केवल प्रतिबंधित
परिचालन के लिए

FOR RESTRICTED
CIRCULATION ONLY

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के परिपत्र - 1995 एवं 1996

CIRCULARS OF THE DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT - 1995 & 1996

भारतीय रिज़र्व बैंक
मुम्बई

RESERVE BANK OF INDIA
MUMBAI

RBI Archives Library, Pune

केवल प्रतिबंधित
परिचालन के लिए

FOR RESTRICTED
CIRCULATION ONLY

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के परिपत्र - 1995 एवं 1996

CIRCULARS OF THE DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT - 1995 & 1996

भारतीय रिज़र्व बैंक
मुम्बई

RESERVE BANK OF INDIA
MUMBAI

7324

प्रकाशक :
ए. घोष
मुख्य महाप्रबंधक
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुम्बई 400 005

Published by :
A. Ghosh
Chief General Manager
Department of Banking Operations
and Development
Reserve Bank of India
Mumbai 400 005

मुद्रक :
प्रभा एजेन्सीज (बॉम्बे) प्राइवेट लिमिटेड
227, पी. डी मेलो रोड,
जी.पी.ओ.के समीप,
मुम्बई - 400 001.

Printed by :
Prabha Agencies (Bom.) Pvt. Ltd.
227, P. D. Mello' Road
Near G. P. O.
Mumbai 400 001.

भारत में मुद्रित

Printed in India

08 MAR 2017

332.1130954
DBOD & RBL

7324

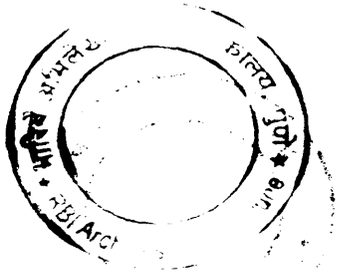

GENERAL CONTENTS

			Page No.
Section I	-	Capital, Dividend, Reserves	1
Section II	-	Deposits	15
Section III	-	Review of Credit Policy/Refinance to banks	109
Section IV	-	Investments	134
Section V	-	Advances	218
Section VI	-	Credit Control (General)	276
Section VII	-	Credit Information	373
Section VIII	-	Appointments/Remuneration	393
Section IX	-	Returns	400
Section X	-	Miscellaneous :	420
		(a) Branch expansion	
		(b) Non-traditional type of work taken up by banks-Merchant banking, credit card system, hire-purchase business etc.	
		(c) Customer Service in banks	
		(d) Frauds, etc. in banks	
		(e) Others	
Section XI	-	Use of Hindi in banks	609

			पृष्ट सं.
भाग I	-	पूंजी, लाभांश, प्रारक्षित निधि	1
भाग II	-	जमाराशि	15
भाग III	-	ऋण नीति/बैंकों को पुनर्वित्त की समीक्षा	109
भाग IV	-	निवेश	134
भाग V	-	अग्रिम	218
भाग VI	-	ऋण नियंत्रण (सामान्य)	276
भाग VII	-	ऋण सूचना	373
भाग VIII	-	नियुक्तियाँ/पारिश्रमिक	393
भाग IX	-	विवरणी	400
भाग X	-	विविध	420
		(क) शाखा विस्तार	
		(ख) बैंक द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपरिक कार्य - व्यापारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किराया खरीद व्यवसाय, आदि	
		(ग) बैंकों में ग्राहक सेवा	
		(घ) बैंकों में धोखाधड़ी, आदि	
		(ड) अन्य	
भाग XI	-	बैंकों में हिन्दी का प्रयोग	609

अनुक्रमणिका

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
		भाग I
दिनांक		**पूंजी, लाभांश, प्रारक्षित निधि**
बैंपविवि. सं. बीसी. 60/ 16.13.100/94-95 दिनांक मई 19, 1995	लाभांश की घोषणा	1
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 13/ 21.01.002/96 दिनांक फरवरी 8, 1996	पूँजी पर्याप्तता विषयक उपाय	7
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 64/ 23.61.001/96 दिनांक मई 24, 1996	पूँजी पर्याप्तता उपाय	8
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 152/ 21.01.002/96 दिनांक नवंबर 27, 1996	पूँजी पर्याप्तता संबंधी उपाय	12
		भाग II
		जमाराशि
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 3/ 13.01.09/94 दिनांक जनवरी 7, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	15
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 2/ 13.01.09/94 दिनांक जनवरी 7, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	16
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 7/ 13.01.01/95 दिनांक जनवरी 19, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें	18
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 14/ 13.01.01/95 दिनांक फरवरी 9, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	19
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 13/ 13.01.01/95 दिनांक फरवरी 9, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	20
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 16/ 13.01.01/95 दिनांक फरवरी 9, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	22

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 15/ 13.01.01/95 दिनांक फरवरी 9, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (निदेश)	23
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 21/ 13.01.09/95 दिनांक फरवरी 22, 1995	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना, अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना, और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जुटायी गयी जमाराशियों पर दलाली का भुगतान/प्रोत्साहन प्रदान करना	24
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 26/ 13.01.01/95 दिनांक मार्च 6, 1995	मांग मुद्रा बाज़ार में सहभागिता (प्रावरण पत्र)	25
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 25/ 13.01.01/95 दिनांक मार्च 6, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दर (निदेश)	28
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 41/ 13.01.09/95 दिनांक अप्रैल 6, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	29
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 40/ 13.01.09/95 दिनांक अप्रैल 6, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	30
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 46/ 13.01.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	32
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 45/ 13.01.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	33
वैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 48/ 13.01.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	35
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 47/ 13.01.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (निदेश)	36
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 56/ 13.01.01/95 दिनांक अप्रैल 27, 1995	मांग मुद्रा बाज़ार में सहभागिता (प्रावरण पत्र)	37

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 55/ 13.01.01/95 दिनांक अप्रैल 27, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दर (निदेश)	40
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 63/ 13.01.09/95 दिनांक मई 27, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	41
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 62/ 13.01.09/95 दिनांक मई 27, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	42
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 71/ 13.01.09/95 दिनांक जुलाई 8, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	44
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 70/ 13.01.09/95 दिनांक जुलाई 8, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	45
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 77/ 13.01.09/95 दिनांक जुलाई 15, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	47
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 76/ 13.01.09/94 दिनांक जुलाई 15, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	48
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 105/ 13.01.01/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	50
बैंपविवि. सं. डी[illegible]इआर. बीसी. 104/ 13.01.01/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	52
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 107/ 13.01.09/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	53
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 106/ 13.01.09/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	55
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 111/ 13.01.01/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना (प्रावरण पत्र)	57

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 110/ 13.01.01/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना (निदेश)	58
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 126/ 13.01.09/95 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	59
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 125/ 13.01.09/95 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	61
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 6/ 13.01.11/96 दिनांक जनवरी 15, 1996	जमाराशि जुटाने की योजनाएं - प्रोत्साहन देना	62
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 18/ 13.01.01/96 दिनांक फरवरी 24, 1996	शहरी सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यमों की योजना (एसयूएमई) और शहरी वेतन रोज़गार की योजना (एसयूडब्ल्यूई) - नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के नाम से बचत बैंक खाते खोलना (प्रावरण पत्र)	66
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 17/ 13.01.01/96 दिनांक फरवरी 24, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	68
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 24/ 13.01.09/96 दिनांक मार्च 14, 1996	अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) एनआरएनआर रुपया जमा योजना	69
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 35/ 13.01.09/96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	70
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 34/ 13.01.09/96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	72
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 86/ 13.01.09/96 दिनांक जून 29, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	74
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 85/ 13.01.09/96 दिनांक जून 29, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	75

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 90/ 13.01.01/96 दिनांक जुलाई 1, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	77
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 89/ 13.01.01/96 दिनांक जुलाई 1, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	78
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 92/ 13.01.01/96 दिनांक जुलाई 1, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	80
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 91/ 13.01.01/96 दिनांक जुलाई 1, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (अधिसूचना)	81
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 109/ 21.03.053/96 दिनांक अगस्त 9, 1996	जमा प्रमाणपत्र योजना	82
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 118/ 13.01.09/96 दिनांक सितम्बर 7, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	83
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 117/ 13.01.09/96 दिनांक सितम्बर 7, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	84
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 132/ 13.01.09/96 दिनांक अक्तूबर 17, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	86
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 131/ 13.01.09/96 दिनांक अक्तूबर 17, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	87
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 134/ 13.01.01/96 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें - (प्रावरण पत्र)	89
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 133/ 13.01.01/96 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें - (निदेश)	90
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 136/ 13.01.01/96 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	92

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 135/ 13.01.01/96 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (अधिसूचना)	93
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 144/ 13.01.09/96 दिनांक अक्तूबर 22, 1996	विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) (बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना (प्रावरण पत्र)	94
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 143/ 13.01.09/96 दिनांक अक्तूबर 22, 1996	विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) (बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना (निदेश)	96
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 147/ 13.01.09/96 दिनांक नवंबर 16, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	99
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 146/ 13.01.09/96 दिनांक नवंबर 16, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	100
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 157/ 13.01.09/96 दिनांक दिसंबर 11, 1996	परिपक्व विदेशी मुद्रा अनिवासी (ए) जमाराशियों का विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) (बी) योजना के अंतर्गत नवीकरण/अतिदेय एफसीएनआर (ए) जमाराशियों पर बकाया ब्याज का भुगतान	102
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 162/ 13.01.09/96 दिनांक दिसंबर 24, 1996	स्वदेश लौटनेवाले भारतीयों के विदेशी मुद्रा अनिवासी/ अनिवासी बाह्य (रुपया) खातों का निवासी विदेशी मुद्रा खातों में परिवर्तन - ब्याज का भुगतान	105
	भाग III	
	ऋण नीति/बैंकों को पुनर्वित्त की समीक्षा	
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 24/ 21.01.001/95 दिनांक मार्च 6, 1995	बिल पुनर्भुनाई योजना - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ बिलों की पुनर्भुनाई	109
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 53/ 21.01.001/95 दिनांक अप्रैल 25, 1995	बिल पुनर्भुनाई योजना - बैंकों द्वारा वाणिज्य बिलों की पुनर्भुनाई	111
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 54/ 21.01.001/95 दिनांक अप्रैल 27, 1995	बिल पुनर्भुनाई योजना - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ बिलों की पुनर्भुनाई	112

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 68/ 24.91.001/95 दिनांक जून 27, 1995	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता की अनुमति - निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियाँ	115
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 130/ 24.91.001/95 दिनांक अक्तूबर 31, 1995	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड	120
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 8/ 24.91.001/95-96 दिनांक फरवरी 2, 1996	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड	121
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 62/ 24.91.001/95-96 दिनांक मई 23, 1996	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड	122
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 69/ 24.92.001/96 दिनांक जून 6, 1996	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई बाज़ार में सहभागिता के लिए अनुमति - प्राथमिक कारोबारी	123
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 105/ 24.92.001/96 दिनांक अगस्त 2, 1996	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार एवं मीयादी मुद्रा बाज़ार में सहभागिता (प्रावरण पत्र)	124
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 104/ 24.92.001/96 दिनांक अगस्त 2, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	125
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 108/ 24.91.001/96-97 दिनांक अगस्त 8, 1996	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड	130
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 124/ 24.91.001/96-97 दिनांक सितंबर 30, 1996	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड	131

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
		भाग IV **निवेश**
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 8/ 24.76.002/94-95 दिनांक फरवरी 1, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन	134
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 23/ 24.76.002/95 दिनांक फरवरी 28, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन	135
बैंपविवि. सं. बीसी. 28/ 13.07.05/95 दिनांक मार्च 10, 1995	कंपनी निकायों के शेयरों और ऋणपत्रों (डिबेंचरों) में निवेश और उनकी हामीदारी	138
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 31/ 24.76.002/94-95 दिनांक मार्च 21, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	141
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 30/ 24.76.002/94-95 दिनांक मार्च 21, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	142
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 37/ 21.04.048/95 दिनांक अप्रैल 3, 1995	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों का कारोबार	143
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 38/ 13.07.05/95 दिनांक अप्रैल 4, 1995	कंपनी निकायों के शेयरों और ऋणपत्रों (डिबेंचरों) में निवेश और उनकी हामीदारी	147
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 69/ 13.07.05/95 दिनांक जून 28, 1995	कंपनी निकाय के शेयरों और डिबेंचरों (ऋणपत्रों) में निवेश और उनकी हामीदारी	148
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 74/ 24.76.002/95-96 दिनांक जुलाई 12, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	149
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 73/ 24.76.002/95-96 दिनांक जुलाई 12, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	150
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 79/ 24.76.002/95-96 दिनांक जुलाई 27, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	151
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 78/ 24.76.002/95-96 दिनांक जुलाई 27, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	152

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 88/ 24.76.002/95-96 दिनांक अगस्त 21, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	154
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 87/ 24.76.002/95-96 दिनांक अगस्त 21, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	155
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 94/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 4, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	156
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 93/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 4, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	157
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 96/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 11, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	158
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 95/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 11, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	159
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 113/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 29, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	160
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 112/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 29, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	161
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 116/ 24.76.002/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेन (रिपोज़)	162
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 122/ 24.76.002/95-96 दिनांक अक्तूबर 14, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	163
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 121/ 24.76.002/95-96 दिनांक अक्तूबर 14, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	164
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 137/ 24.76.002/95-96 दिनांक नवंबर 27, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	165

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 136/ 24.76.002/95-96 दिनांक नवंबर 27, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	166
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 142/ 24.76.002/95-96 दिनांक दिसम्बर 6, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	168
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 141/ 24.76.002/95-96 दिनांक दिसम्बर 6, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	169
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 152/ 24.76.002/95-96 दिनांक दिसम्बर 30, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	170
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 151/ 24.76.002/95-96 दिनांक दिसम्बर 30, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	171
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 11/ 24.76.002/95-96 दिनांक फरवरी 7, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	172
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 10/ 24.76.002/95-96 दिनांक फरवरी 7, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	173
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 22/ 24.76.002/95-96 दिनांक मार्च 1, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	174
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 21/ 24.76.002/95-96 दिनांक मार्च 1, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	175
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 51/ 24.76.002/95-96 दिनांक अप्रैल 10, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	176
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 50/ 24.76.002/95-96 दिनांक अप्रैल 10, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	177
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 56/ 24.76.002/95-96 दिनांक अप्रैल 18, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	178

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 55/ 24.76.002/95-96 दिनांक अप्रैल 18, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	179
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 67/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 5, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	181
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 66/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 5, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	182
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 70/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 8, 1996	सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री	183
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 71/ 24.76.001/96 दिनांक जून 11, 1996	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों का लेनदेन	185
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 73/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 12, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	187
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 72/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 12, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	188
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 74/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 13, 1996	बैंकों द्वारा पारस्परिक निधियों की यूनिटों का विपणन	189
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 80/ 24.76.002/96 दिनांक जून 22, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन	191
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 83/ 24.76.002/96 दिनांक जून 25, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	195
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 82/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 25, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	196
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 100/ 24.76.002/95-96 दिनांक जुलाई 23, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	197

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 99/ 24.76.002/95-96 दिनांक जुलाई 23, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	198
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 101/ 24.76.002/96 दिनांक जुलाई 25, 1996	सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री	200
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 107/ 24.76.002/95-96 दिनांक अगस्त 2, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	201
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 106/ 24.76.002/95-96 दिनांक अगस्त 2, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	202
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 110/ 24.92.001/96 दिनांक अगस्त 10, 1996	प्राथमिक कारोबारियों को बैंक वित्त	203
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 120/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 10, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	205
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 119/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 10, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	206
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 126/ 24.76.002/95-96 दिनांक अक्तूबर 3, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	207
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 125/ 24.76.002/95-96 दिनांक अक्तूबर 3, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	208
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 128/ 24.76.002/95-96 दिनांक अक्तूबर 10, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	209
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 127/ 24.76.002/95-96 दिनांक अक्तूबर 10, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	210
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 145/ 13.07.05/96 दिनांक अक्तूबर 25, 1996	कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश	211

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 148/ 13.07.05/96 दिनांक नवंबर 18, 1996	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किये गये बांडों में निवेश	212
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 153/ 24.76.002/96 दिनांक नवंबर 29, 1996	बैंकों के निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों के लेनदेन	214
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 159/ 24.76.002/95-96 दिनांक दिसम्बर 16, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	215
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 158/ 24.76.002/95-96 दिनांक दिसम्बर 16, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	216
		भाग V अग्रिम
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 1/ 13.07.05/95 दिनांक जनवरी 6, 1995	अपनी ही कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए कर्मचारियों को सहायता के लिए बैंक वित्त संबंधी दिशा-निर्देश	218
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 34/ 21.04.012/95 दिनांक मार्च 30, 1995	जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट	219
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 35/ 21.04.012/95 दिनांक मार्च 30, 1995	पंजाब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में व्यापार और उद्योग को छूट	220
औनिऋवि. सं. ईएफडी. 39/ 04.02.06/94-95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	विदेशी मुद्रा में मूल्य-वर्गीकृत पोतलदानोत्तर ऋण (पीएससीएफसी)	222
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 51/ 13.07.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	223
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 75/ 13.07.05/95 दिनांक जुलाई 17, 1995	शेयरों/डिबेंचरों पर अग्रिम	225

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 86/ 24.01.001/95-96 दिनांक अगस्त 17, 1995	हामीदारी आदि बाध्यताओं के संबंध में प्रतिबद्धताएं	227
बैंपविवि. सं. बीसी. 89/ 13.07.01/95 दिनांक अगस्त 21, 1995	ब्याज दरों पर से विनियमन हटाना - ब्याज कर लगाना	228
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 98/ 13.07.01/95 दिनांक सितम्बर 12, 1995	अग्रिमों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	229
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 97/ 13.07.01/95 दिनांक सितम्बर 12, 1995	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	230
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 109/ 13.01.09/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	मीयादी जमाराशियों पर अग्रिमों के लिए ब्याज दर (प्रावरण पत्र)	231
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 108/ 13.01.09/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	मीयादी जमाराशियों पर अग्रिमों के लिए ब्याज दर (निदेश)	233
औनिऋवि. सं. ईएफडी. 11/ 04.02.06/95-96 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत पोतलदानोत्तर ऋण (पीएससीएफसी) (प्रावरण पत्र)	234
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 124/ 13.07.01/95 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	236
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 148/ 13.07.05/95 दिनांक दिसम्बर 15, 1995	शेयर प्रमाणपत्रों की अनधिकृत अनुलिपि (डुप्लीकेट) जारी करना	238
आइईसीडी. सं. ईएफडी. 17/ 04.02.06/95-96 दिनांक जनवरी 15, 1996	विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में पोतलदानोत्तर ऋण (प्रावरण पत्र)	239
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 7/ 13.07.01/96 दिनांक जनवरी 15, 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	242
आइईसीडी. सं. ईएफडी. 20/ 04.02.01/95-96 दिनांक फरवरी 7, 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें - पोतलदानोत्तर निर्यात रुपया ऋण (प्रावरण पत्र)	244

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 12/ 13.07.01/95-96 दिनांक फरवरी 7, 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें - पोतलदानोत्तर निर्यात रुपया ऋण (निदेश)	245
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 45/ 13.01.04/96 दिनांक अप्रैल 8, 1996	जमाराशि से संबद्ध अग्रिम	247
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/ 21.04.012/96 दिनांक अप्रैल 10, 1996	जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट	249
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 49/ 21.04.012/96 दिनांक अप्रैल 10, 1996	पंजाब राज्य और संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़ में व्यापार और उद्योग को छूट	250
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 53/ 13.01.04/96 दिनांक अप्रैल 15, 1996	अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों की जमानत पर अग्रिम	251
आइईसीडी. सं. ईएफडी. 2/ 04.02.01/96-97 दिनांक जुलाई 3, 1996	माध्यावधि और दीर्घावधि आधार पर पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के लिए ब्याज दर (180 दिन से बाद की अवधि के लिए आस्थगित ऋण) (प्रावरण पत्र)	255
बैंपविवि. सं. बीसी. 78/ 13.07.01/96 दिनांक जुलाई 3, 1996	अग्रिमों पर ब्याज-दर (निदेश)	256
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 98/ 13.01.04/96 दिनांक जुलाई 4, 1996	मीयादी जमा की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज दर	260
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 114/ 13.07.01/96 दिनांक अगस्त 24, 1996	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उधार दरें (प्रावरण पत्र)	261
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 113/ 13.07.01/96 दिनांक अगस्त 24, 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	262
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 116/ 13.07.05/96 दिनांक सितम्बर 6, 1996	शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर ऋण एवं अग्रिम	263
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 139/ 13.07.01/96 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें - आधार (प्राइम) ऋण दर	264

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
आइईसीडी. सं. 10/ 04.02.01/96-97 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण (प्रावरण पत्र)	266
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 142/ 13.07.01/96 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण (निदेश)	268
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 150/ 13.07.05/96 दिनांक नवंबर 21, 1996	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋण बकाया होने की स्थिति में प्रवर्तकों द्वारा अपने शेयरों का कोटा बेचने के संबंध में लोकसभा की आकलन समिति की सिफारिशें	272
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 154/ 13.07.05/96 दिनांक नवंबर 30, 1996	शेयरों/डिबेंचरों पर ऋण एवं अग्रिम	273
	भाग VI **ऋण नियंत्रण (सामान्य)**	
बैंपविवि. सं. बीसी. 6/ 12.01.001/94-95 दिनांक जनवरी 11, 1995	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रावरण पत्र)	276
बैंपविवि. सं. बीसी. 4/ 12.02.001/94-95 दिनांक जनवरी 11, 1995	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (अधिसूचना)	277
बैंपविवि. सं. बीसी. 5/ 12.01.001/94-95 दिनांक जनवरी 11, 1995	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (अधिसूचना)	278
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 12/ 21.02.053/95 दिनांक फरवरी 4, 1995	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 193 (iii क) के अंतर्गत ज़ीरो कूपन बांडों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस)	279
बैंपविवि. सं. बीसी. 19/ 12.01.001/95 दिनांक फरवरी 15, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता बैंक योजना के संबंध में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखना	281

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 32/ 13.08.01/95 दिनांक मार्च 24, 1995	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों का कारोबार करनेवाले उधारकर्ताओं को नयी/ अतिरिक्त ऋण सीमाएं स्वीकृत करना - शक्तियों का प्रत्यायोजन	283
बैंपविवि. सं. बीसी. 33/ 12.01.001/94-95 दिनांक मार्च 27, 1995	अनुसूचीत वाणिज्य बैंकों द्वारा रखने के लिए अपेक्षित नकदी शेष राशियाँ	286
बैंपविवि. सं. बीसी. 39/ 12.01.001/95 दिनांक अप्रैल 5, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) एफसीएनआर (बी) के संबंध में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखना	287
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 50/ 13.08.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम (प्रावरण पत्र)	288
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 49/ 13.08.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम (निदेश)	289
बैंपविवि. सं. बीसी. 58/ 12.02.001/94-95 दिनांक मई 13, 1995	माँग और मीयादी देयताओं की संगणना - भुनाये/खरीदे गये बिलों पर मार्जिन राशि	290
बैंपविवि. सं. बीसी. 61/ 12.05.011/95 दिनांक मई 29, 1995	तुलनपत्र में दिखावा	291
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 83/ 21.02.053/95 दिनांक अगस्त 9, 1995	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 193 (iii क) के अंतर्गत शून्य (ज़ीरो) कूपन बांडों के संबंध में स्त्रोत पर कर की कटौती	293
बैंपविवि. सं. बीसी. 84/ 12.01.001/95-96 दिनांक अगस्त 16, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24- यूरो निर्गम से प्राप्त राशियों पर प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं	295
बैंपविवि. सं. बीसी. 115/ 12.01.001/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) - दैनिक आधार पर 85% के न्यूनतम स्तर का अनुरक्षण	297

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 119/ 12.02.001/95-96 दिनांक अक्तूबर 9, 1995	सांविधिक चल-निधि अनुपात (एसएलआर) के लिए प्रतिभूतियों का मूल्यांकन (प्रावरण पत्र)	303
बैंपविवि. सं. बीसी. 118/ 12.02.001/95-96 दिनांक अक्तूबर 9, 1995	सांविधिक चल-निधि अनुपात (एसएलआर) के लिए प्रतिभूतियों का मूल्यांकन (अधिसूचना)	306
बैंपविवि. सं. बीसी. 129/ 12.01.001/95-96 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई खातों) और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) खातों के अन्तर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी अनुपात (प्रावरण पत्र)	308
बैंपविवि. सं. बीसी. 127/ 12.01.001/95-96 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई खातों) और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) खातों के अन्तर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी अनुपात (अधिसूचना)	310
बैंपविवि. सं. बीसी. 128/ 12.01.001/95-96 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई खातों) और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) खातों के अन्तर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी अनुपात (अधिसूचना)	311
बैंपविवि. सं. बीसी. 133/ 12.01.001/95-96 दिनांक नवंबर 11, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी (प्रावरण पत्र)	312
बैंपविवि. सं. बीसी. 131/ 12.01.001/95-96 दिनांक नवंबर 11, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी	314
बैंपविवि. सं. बीसी. 132/ 12.01.001/95-96 दिनांक नवंबर 11, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी	314
बैंपविवि. सं. बीसी. 139/ 12.01.001/95-96 दिनांक नवंबर 29, 1995	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रावरण पत्र)	315
बैंपविवि. सं. बीसी. 138/ 12.01.001/95-96 दिनांक नवंबर 29, 1995	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात	317

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 144/ 12.01.001/95-96 दिनांक दिसम्बर 6, 1995	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रावरण पत्र)	318
बैंपविवि. सं. बीसी. 143/ 12.01.001/95-96 दिनांक दिसम्बर 6, 1995	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (अधिसूचना)	319
बैंपविवि. सं. बीसी. 146/ 12.01.001/95-96 दिनांक दिसम्बर 9, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी (प्रावरण पत्र)	320
बैंपविवि. सं. बीसी. 145/ 12.01.001/95-96 दिनांक दिसम्बर 9, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी (अधिसूचना)	322
बैंपविवि. सं. बीसी. 4/ 12.01.001/95-96 दिनांक जनवरी 6, 1996	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में छूट (प्रावरण पत्र)	322
बैंपविवि. सं. बीसी. 1/ 12.01.001/95-96 दिनांक जनवरी 6, 1996	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में छूट (अधिसूचना)	325
बैंपविवि. सं. बीसी. 2/ 12.01.001/95-96 दिनांक जनवरी 6, 1996	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में छूट (अधिसूचना)	326
बैंपविवि. सं. बीसी. 3/ 12.01.001/95-96 दिनांक जनवरी 6, 1996	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में छूट (अधिसूचना)	327
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 5/ 21.02.053/96 दिनांक जनवरी 12, 1996	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 193 (iii क) के अंतर्गत ज़ीरो कूपन बांडों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती	328
बैंपविवि. सं. बीसी. 28/ 12.01.001/96 दिनांक मार्च 25, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई), अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा खातों (एनआरएनआर) और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण	331

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 37/ 13.08.01/96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों की जमानत पर अग्रिम (प्रावरण पत्र)	335
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36/ 13.08.01/96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों की जमानत पर अग्रिम (निदेश)	336
बैंपविवि. सं. बीसी. 41/ 12.01.001/95-96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात में छूट (प्रावरण पत्र)	340
बैंपविवि. सं. बीसी. 38/ 12.01.001/95-96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात में छूट (अधिसूचना)	342
बैंपविवि. सं. बीसी. 39/ 12.01.001/95-96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात में छूट (अधिसूचना)	343
बैंपविवि. सं. बीसी. 40/ 12.01.001/96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात में छूट (अधिसूचना)	344
बैंपविवि. सं. बीसी. 77/ 12.01.001/95-96 दिनांक जून 18, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण में संशोधन के परिणामस्वरूप ब्याज के दावे के फार्मेट में परिवर्तन	345
बैंपविवि. सं. बीसी. 88/ 12.01.001/96-97 दिनांक जुलाई 1, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - (प्रावरण पत्र)	349
बैंपविवि. सं. बीसी. 87/ 12.01.001/96-97 दिनांक जुलाई 1, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - (अधिसूचना)	350

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 94/ 13.08.01/96 दिनांक जुलाई 1, 1996	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों की जमानत पर अग्रिम - मार्जिन/ऋण के स्तर में परिवर्तन (प्रावरण पत्र)	351
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 93/ 13.08.01/96 दिनांक जुलाई 1, 1996	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों की जमानत पर अग्रिम - मार्जिन/ऋण के स्तर में परिवर्तन (निदेश)	353
बैंपविवि. सं. बीसी. 96/ 12.01.001/96-97 दिनांक जुलाई 3, 1996	प्राथमिक व्यापारियों को बैंकों के ऋण - प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं के लिए शुद्ध राशि निकालने की संकल्पना	357
बैंपविवि. सं. बीसी. 112/ 12.01.001/96-97 दिनांक अगस्त 17, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) खाता योजना में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की ढील	363
बैंपविवि. सं. डीआइआर. 138/ 13.08.01/96-97 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों में छूट (प्रावरण पत्र)	364
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 137/ 13.08.01/96-97 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों में छूट (निदेश)	365
बैंपविवि. सं. बीसी. 141/ 12.01.001/96-97 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - (प्रावरण पत्र)	367
बैंपविवि. सं. बीसी. 140/ 12.01.001/96-97 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - (अधिसूचना)	369
बैंपविवि. सं. बीसी. 164/ 12.01.001/96-97 दिनांक दिसम्बर 26, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी	370

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
		भाग VII **ऋण सूचना**
बैंपविवि. सं. सीआइएस. 225/ 20.16.002/95 दिनांक फरवरी 3, 1995	चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना प्रकट करना	373
बैंपविवि. सं. सीआइएस. 2/ 20.16.002/95-96 दिनांक जुलाई 6, 1995	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के चूक करनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित सूचनाएँ देना	374
बैंपविवि. सं. सीआइएस. 7/ 20.16.002/95 दिनांक जुलाई 10, 1995	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के चूक करनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित सूचनाएँ देना	376
बैंपविवि. सं. सीआइएस. 32/ 20.16.002/95-96 दिनांक जुलाई 26, 1995	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के चूक करनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित सूचनाएँ देना	380
बैंपविवि. सं. सीआइएस. बीसी. 92/ 20.10.001/95-96 दिनांक अगस्त 31, 1995	ऋण सूचना एकत्र और प्रस्तुत करना - भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 45 सी(1)	382
बैंपविवि. सं. सीआइएस. बीसी. 135/ 20.16.002/95-96 दिनांक नवंबर 24, 1995	चूक करनेवाले उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना प्रकट करना	383
बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 71ए/ 20.16.002/96 दिनांक जून 11, 1996	चूक करनेवाले ऋणकर्ताओं के संबंध में सूचना प्रकट करना	389
बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 156/ 20.16.002/96 दिनांक दिसम्बर 6, 1996	चूककर्ताओं के बारे में सूचना देना	390
		भाग VIII **नियुक्तियाँ / पारिश्रमिक**
बैंपविवि. सं. पीएसबीएस. बीसी. 75/ 16.13.100/96 दिनांक जून 14, 1996	निजी क्षेत्र के बैंक - निदेशकों और अंशकालिक अध्यक्षों की भूमिका	393

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
		भाग IX विवरणी
बैंपविवि. सं. बीसी. 9/ 12.01.001/94-95 दिनांक फरवरी 2, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) योजना पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण	400
बैंपविवि. सं. बीसी. 22/ 12.01.002/94-95 दिनांक फरवरी 24, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) - फार्म "ए" में पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना	404
बैंपविवि. सं. बीसी. 43/ 11.15.001/94-95 दिनांक अप्रैल 19, 1995	एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों को अग्रिम - अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा विवरण प्रस्तुत करना	405
बैंपविवि. सं. बीसी. 67/ 12.01.001/94-95 दिनांक जून 20, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - रिज़र्व बैंक के पास रखे नकदी शेष पर देय ब्याज की राशि दर्शानेवाले तिमाही विवरण का संशोधित प्रोफार्मा	406
बैंपविवि. सं. बीसी. 149/ 12.01.001/95-96 दिनांक दिसम्बर 16, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों, अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमाराशि खातों और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण	410
बैंपविवि. सं. बीसी. 32/ 12.01.002/95-96 दिनांक मार्च 30, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) - फार्म "क" में विशेष पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना	416
बैंपविवि. सं. बीसी. 103/ 12.03.001/96 दिनांक जुलाई 31, 1996	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 - फार्म "IX' में विवरण प्रस्तुत करना - दावा न की गयी जमाराशियां	417

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)

भाग X
विविध

(क) शाखा विस्तार
(ख) बैंकों द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपरिक कार्य - व्यापारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड प्रणाली, किराया खरीद व्यवसाय आदि
(ग) बैंकों में ग्राहक सेवा
(घ) बैंकों में धोखाधड़ी, आदि
(ङ) अन्य

(क) शाखा विस्तार

बैंपविवि. सं. बीसी. 64/ 22.01.001/95 दिनांक जून 5, 1995	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की घाटा उठाने वाली शाखाओं को दूसरे स्थान पर ले जाना और शाखा-तंत्र को औचित्यपूर्ण बनाना	420
बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 80/ 22.05.012/95 दिनांक जुलाई 27, 1995	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा बैंकिंग आँकड़े - खोले/बंद किये गये कार्यालय	425
बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 76/ 22.01.001/96 दिनांक जून 17, 1996	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - के अंतर्गत प्रस्ताव - बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रशासकीय अधिकारों का प्रत्यायोजन	431

(ख) बैंक द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपरिक कार्य - व्यापारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड प्रणाली, किराया खरीद व्यवसाय आदि

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 27/ 24.47.001/95 दिनांक मार्च 9, 1995	स्टॉकइन्वेस्ट योजना	433
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 101/ 24.01.001/95 दिनांक सितम्बर 20, 1995	उपस्कर पट्टे पर देना, किराया खरीद और फैक्टरिंग आदि, गतिविधियां	435
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 147/ 24.01.013/95-96 दिनांक दिसम्बर 11, 1995	मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि योजना - दिशा - निर्देश	436

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 31/ 24.47.001/96 दिनांक मार्च 30, 1996	स्टॉकइन्वेस्ट योजना	447
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 46/ 24.01.013/95-96 दिनांक अप्रैल 9, 1996	मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि योजना - दिशा - निर्देश	449
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 47/ 24.47.001/96 दिनांक अप्रैल 10, 1996	स्टॉकइन्वेस्ट योजना	450
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 95/ 24.01.013/96 दिनांक जुलाई 3, 1996	मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि योजना - दिशा - निर्देश	452
	(ग) बैंकों में ग्राहक सेवा	
बैंपविवि. सं. बीसी. 52/ 09.07.007/95 दिनांक अप्रैल 20, 1995	सरकार के आश्वासन संबंधी समिति, राज्यसभा की 40वीं रिपोर्ट - ग्राहक - सेवा संबंधी गोइपोरिया समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	453
बैंपविवि. सं. बीसी. 59/ 09.07.007/95 दिनांक मई 17, 1995	ग्राहक सेवा - बाहरी चेकों की वसूली	456
बैंपविवि. सं. बीसी. 19/ 09.07.007/96 दिनांक फरवरी 29, 1996	बैंकों में ग्राहक-सेवा संबंधी समिति - गोइपोरिया समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	464
बैंपविवि. सं. बीसी. 79/ 09.07.001/96 दिनांक जून 22, 1996	ग्राहक-सेवा संबंधी स्थायी समिति की 8 नवंबर 1995 को हुई बैठक - कपटपूर्ण लिखतों के भुगतान के संबंध में निपटान की क्रियाविधि	465
बैंपविवि. सं. 724/ 09.07.007/96 दिनांक जून 22, 1996	ग्राहक सेवा - बाहरी चेकों का समाहरण	467

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
	(घ) बैंकों में धोखाधड़ी, आदि	
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 57/ 21.01.001/95 दिनांक मई 4, 1995	बैंकों में धोखाधड़ी - जमाखातों पर निगरानी	469
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 102/ 21.01.001/95 दिनांक सितम्बर 20, 1995	जमाखातों की निगरानी	472
बैंपविवि. सं. बीसी. 14/ 09.07.007/96 दिनांक फरवरी 14, 1996	**बैंकों में धोखाधड़ी और कदाचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जाँच करने के लिए** समिति - जमाकर्ताओं/खाताधारकों के फोटोग्राफ प्राप्त करना	474
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 42/ 21.01.001/96 दिनांक अप्रैल 6, 1996	दस लाख रुपये और उससे अधिक की जमाराशियों और अन्य खातों में नकद जमा और आहरण की निगरानी	475
	(ङ) अन्य	
बैंपविवि. सं. बीसी. आरईटी. 10/ 12.06.029/94-95 दिनांक फरवरी 2, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से निष्कासन - दि बैंक ऑफ कराड लि.	477
बैंपविवि. सं. बीसी. 11/ 12.06.090/94-95 दिनांक फरवरी 2, 1995	**भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "दि चेज मैनहट्टन बैंक एन.ए."**	478
बैंपविवि. सं. बीसी. 17/ 12.06.093/94-95 दिनांक फरवरी 10, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "एचडीएफसी बैंक लि."	479
बैंपविवि. सं. बीसी. 18/ 12.06.091/94-95 दिनांक फरवरी 13, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "स्टेट बैंक ऑफ मारीशस लि."	480
बैंपविवि. सं. बीसी. 20/ 12.06.094/95 दिनांक फरवरी 17, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "सेंचुरियन बैंक लिमिटेड"	481

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 29/ 23.06.001/95 दिनांक मार्च 20, 1995	भारतीय कारोबार में विदेशी निधियाँ लगाना	482
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 36/ 21.04.048/95 दिनांक अप्रैल 3, 1995	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना	492
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 44/ 21.04.048/95 दिनांक अप्रैल 15, 1995	आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यांकन	495
बैंपविवि. सं. एमसी. 149/ 19.03.29/94-95 दिनांक अप्रैल 27, 1995	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	511
बैंपविवि. सं. बीसी. 65/ 12.06.096/95 दिनांक जून 19, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "दि डेवेलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि."	514
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 66/ 21.04.048/95 दिनांक जून 20, 1995	बैंकों का निवेश संविभाग - निवेशों का "स्थायी" और "चालू" श्रेणियों में वर्गीकरण	515
बैंपविवि. सं. बीसी. 72/ 12.06.095/95-96 दिनांक जुलाई 10, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "बैंक ऑफ पंजाब लि."	517
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 81/ 21.01.040/95 दिनांक जुलाई 28, 1995	निष्क्रिय आस्तियों के संबंध में समझौते या बातचीत से निपटान	518
बैंपविवि. सं. बीसी. 82/ 12.06.097/95-96 दिनांक अगस्त 9, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "डेवेलपमेंट क्रेडिट बैंक लि."	522
बैंपविवि. सं. एसपीएल. सेल. बीसी. 90/ 27.08.003/95-96 दिनांक अगस्त 25, 1995	विशेष न्यायालय (प्रतिभूति लेनदेन संबंधी अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 - कुर्क की गयी आस्तियों के धारकों द्वारा उनकी घोषणा न करना	523
बैंपविवि. सं. बीसी. 91/ 12.06.098/95-96 दिनांक अगस्त 31, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "टाइम्स बैंक लि."	525

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 99/ 13.07.01/95 दिनांक सितम्बर 12, 1995	असमाशोधित लिखतों पर आहरण	526
बैंपविवि. सं. बीसी. 100/ 09.07.007/95 दिनांक सितम्बर 16, 1995	इलेक्ट्रानिक समाशोधन योजना (जमा समाशोधन) - हिताधिकारियों के खाते में गंतव्य बैंकों द्वारा विलंबित जमा	527
बैंपविवि. सं. बीसी. 120/ 12.06.099/95-96 दिनांक अक्तूबर 12, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "ड्रेस्डनर बैंक एजी"	529
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 123/ 21.03.051/95 दिनांक अक्तूबर 16, 1995	स्वचालित टेलर मशीन	530
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 134/ 21.04.048/95 दिनांक नवंबर 20, 1995	भारतीय निर्यात-आयात बैंक का ऋण देने का नया कार्यक्रम - आपूर्तिकर्ता को पोतलदान के बाद के ऋण के संबंध में वाणिज्य बैंकों को *गारंटी - सह-पुनर्वित्त प्रदान करना*- विवेकपूर्ण मानदण्डों से छूट	531
बैंपविवि. सं. बीसी. 150/ 12.05.008/95-96 दिनांक दिसम्बर 20, 1995	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए(2) के अंतर्गत अधिसूचना - बैंकिंग कंपनी बंद करना - दि सेफ बैंक लि., बंबई	533
बैंपविवि. सं. बीसी. 9/ 12.06.100/95-96 दिनांक फरवरी 5, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "आइडीबीआइ बैंक लि."	534
बैंपविवि. सं. बीसी. 15/ 12.06.103/95-96 दिनांक फरवरी 15, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "कामर्स बैंक ए.जी."	535
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/ 21.01.023/96 दिनांक फरवरी 16, 1996	भारत में विभिन्न संघों/संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत विदेशी अंशदान की प्राप्ति	536
बैंपविवि. सं. बीसी. 20/ 09.08.001/96 दिनांक फरवरी 29, 1996	"बंबई" का नाम बदलकर "मुंबई" करना	540

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 23/ 21.01.001/96 दिनांक मार्च 1, 1996	अन्य बैंकों के निदेशकों को ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत करना तथा ठेके देना	541
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 25/ 21.04.048/96 दिनांक मार्च 19, 1996	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान	543
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 26/ 21.04.048/96 दिनांक मार्च 19, 1996	निष्क्रिय अग्रिम - भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट देना	547
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 30/ 23.10.011/95-96 दिनांक मार्च 22, 1996	भारत में शाखा परिचालन वाले विदेशी बैंकों द्वारा बैंकिंग आंकड़ों का देश से बाहर संसाधन	551
बैंपविवि. सं. बीसी. 29/ 12.06.101/96 दिनांक मार्च 26, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "बैंक ऑफ सिलोन"	552
बैंपविवि. सं. बीसी. 33/ 12.06.102/96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "दि सियाम कमर्शियल बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड"	553
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 43/ 21.04.048/96 दिनांक अप्रैल 6, 1996	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यांकन	554
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 44/ 21.04.048/96 दिनांक अप्रैल 6, 1996	बैंकों का निवेश संविभाग - "स्थायी" और "चालू" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का वर्गीकरण	563
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 54/ 23.61.001/95-96 दिनांक अप्रैल 18, 1996	एकल ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं के समूह को ऋण संबंधी सीमाएं	564
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 57/ 21.04.018/96 दिनांक अप्रैल 23, 1996	जोखिम आस्ति से पूँजी का अनुपात (सीआरआर) - लेखा-टिप्पणी में सूचना देना	566
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 58/ 21.02.053/96 दिनांक मई 13, 1996	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 193 (III क) के प्रयोजन से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उपलब्ध छूट	567

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 59/ 12.06.104/95-96 दिनांक मई 15, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया"	568
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 60/ 21.03.051/96 दिनांक मई 16, 1996	स्वचालित टेलर मशीनें	569
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 61/ 21.03.023/96 दिनांक मई 21, 1996	विवेकाधीन शक्तियों से अधिक अग्रिमों की स्वीकृति	570
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 65/ 21.04.048/96 दिनांक जून 4, 1996	आय निर्धारण, अस्ति वर्गीकरण और प्रावधान	572
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 68/ 21.04.018/96 दिनांक जून 5, 1996	लेखाकरण मानक 11 (संशोधित)	573
बैंपविवि. सं. बीसी. 81/ 12.06.105/95-96 दिनांक जून 24, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "चो हंग बैंक"	575
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 84/ 13.07.05/96 दिनांक जून 26, 1996	समूह प्रतिष्ठानों को ऋण सुविधाएं मंजूर करना	576
बैंपविवि. सं. बीसी. 97/ 12.06.106/95-96 दिनांक जून 28, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "अरब बांग्लादेश बैंक लिमिटेड"	577
बैंपविवि. सं. एमसी. 2/ 19.06.01/96-97 दिनांक जुलाई 15, 1996	अप्रैल 1996 - मार्च 1998 अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए कार्य योजना	578
बैंपविवि. सं. बीसी. 111/ 12.06.108/96 दिनांक अगस्त 12, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "दि फ्यूजी बैंक लिमिटेड"	580
बैंपविवि. सं. एमसी. 15/ 19.06.01/96-97 दिनांक सितम्बर 4, 1996	अप्रैल 1996 - मार्च 1998 अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए कार्य योजना	581

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 121/ 21.03.038/96 दिनांक सितम्बर 23, 1996	समीक्षा कैलेंडर - निदेशक मंडल और प्रबंध समिति को प्रस्तुत किये जानेवाले मामले	583
बैंपविवि. सं. बीसी. 130/ 12.04.002/96-97 दिनांक अक्तूबर 14, 1996	तार अंतरण भुनाई सुविधा - नवीकरण	599
बैंपविवि. सं. बीसी. 149/ 12.06.107/96 दिनांक नवंबर 20, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक"	600
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 151/ 21.01.023/96 दिनांक नवंबर 26, 1996	विवेकाधीन शक्तियों से अधिक अग्रिम स्वीकृत करना	601
बैंपविवि. सं. बीसी. 155/ 09.08.001/96 दिनांक दिसम्बर 5, 1996	दान राशि प्राप्त करने के लिए विशेष काउंटर खोलना	603
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 161/ 21.03.054/96 दिनांक दिसम्बर 19, 1996	एकल ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं के समूह को ऋण जोखिम की सीमा - सावधि जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम	604
बैंपविवि. सं. बीसी. 160/ 12.06.090/96-97 दिनांक दिसम्बर 21, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - "द चेज मैनहट्टन बैंक एन. ए." से "द चेज मैनहट्टन बैंक"	605
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 163/ 21.04.048/96 दिनांक दिसम्बर 24, 1996	25,000 रुपये से कम की शेष राशि वाले अग्रिमों का वर्गीकरण	606

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	पृष्ठ सं.
(1)	(2)	(3)
	भाग XI **बैंकों में हिन्दी का प्रयोग**	
बैंपविवि. सं. 286/ 06.02.01/95 दिनांक जनवरी 30, 1995	कम्प्यूटरीकृत शाखाओं द्वारा खातेदारों को खाता विवरण हिन्दी में देना	609
बैंपविवि. सं. बीसी. 27/ 06.02.01/96 दिनांक मार्च 25, 1996	बैंकों में हिन्दी का प्रयोग - 12 जनवरी 1996 को संपन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 66वीं बैठक में लिये गये निर्णयों/दिये गये सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई	611
बैंपविवि. सं. बीसी. 63/ 06.02.01/96 दिनांक मई 24, 1996	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 67वीं बैठक का कार्यविवरण - हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए कार्रवाई योजना	612

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
	SECTION I **CAPITAL, DIVIDEND RESERVES**	
DBOD. No. BC. 60/ 16.13.100/94-95 dated May 19, 1995	Declaration of dividends	1
DBOD. No. BP. BC. 13/ 21.01.002/96 dated February 8, 1996	Capital adequacy measures	7
DBOD. No. IBS. BC. 64/ 23.61.001/96 dated May 24, 1996	Capital adequacy measures	8
DBOD. No. BP. BC. 152/ 21.01.002/96 dated November 27, 1996	Capital adequacy measures	12
	SECTION II **DEPOSITS**	
DBOD. No. Dir. BC. 3/ 13.01.09/94 dated January 7, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	15
DBOD. No. Dir. BC. 2/ 13.01.09/94 dated January 7, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	16
DBOD. No. Dir. BC. 7/ 13.01.01/95 dated January 19, 1995	Interest rates on deposits	18
DBOD. No. Dir. BC. 14/ 13.01.01/95 dated February 9, 1995	Interest rates on deposits (Covering letter)	19
DBOD. No. Dir. BC. 13/ 13.01.01/95 dated February 9, 1995	Interest rates on deposits (Directive)	20

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 16/ 13.01.01/95 dated February 9, 1995	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme 1988 (Covering letter)	22
DBOD. No. Dir. BC. 15/ 13.01.01/95 dated February 9, 1995	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme 1988 (Directive)	23
DBOD. No. Dir. BC. 21/ 13.01.09/95 dated February 22, 1995	Payment of brokerage/offering of incentives on deposits mobilised under Foreign Currency Non-resident Accounts (Banks) Scheme, Non-resident (Non-repatriable) Rupee Deposit Scheme and Non-resident (External) Rupee Accounts Scheme.	24
DBOD. No. Dir. BC. 26/ 13.01.01/95 dated March 6, 1995	Participation in the Call Money Market (Covering letter)	25
DBOD. No. Dir. BC. 25/ 13.01.01/95 dated March 6, 1995	Interest rates on deposits (Directive)	28
DBOD. No. Dir. BC. 41/ 13.01.09/95 dated April 6, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	29
DBOD. No. Dir. BC. 40/ 13.01.09/9 dated April 6, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	30
DBOD. No. Dir. BC. 46/ 13.01.01/95 dated April 17, 1995	Interest rates on deposits - (Covering letter)	32

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 45/ 13.01.01/95 dated April 17, 1995	Interest rates on deposits - (Directive)	33
DBOD. No. Dir. BC. 48/ 13.01.01/95 dated April 17, 1995	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme 1988 - (Covering letter)	35
DBOD. No. Dir. BC. 47/ 13.01.01/95 dated April 17, 1995	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme 1988 - (Directive)	36
DBOD. No. Dir. BC. 56/ 13.01.01/95 dated April 27, 1995	Participation in the Call Money Market (Covering letter)	37
DBOD. No. Dir. BC. 55/ 13.01.01/95 dated April 27, 1995	Interest rates on deposits (Directive)	40
DBOD. No. Dir. BC. 63/ 13.01.09/95 dated May 27, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	41
DBOD. No. Dir. BC. 62/ 13.01.09/95 dated May 27, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	42
DBOD. No. Dir. BC. 71/ 13.01.09/95 dated July 8, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	44
DBOD. No. Dir. BC. 70/ 13.01.09/95 dated July 8, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	45

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 77/ 13.01.09/95 dated July 15, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	47
DBOD. No. Dir. BC. 76/ 13.01.09/95 dated July 15, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	48
DBOD. No. Dir. BC. 105/ 13.01.01/95 dated September 29, 1995	Interest rates on deposits - (Covering letter)	50
DBOD. No. Dir. BC. 104/ 13.01.01/95 dated September 29, 1995	Interest rates on deposits - (Directive)	52
DBOD. No. Dir. BC. 107/ 13.01.09/95 dated September 29, 1995	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Covering letter)	53
DBOD. No. Dir. BC. 106/ 13.01.09/95 dated September 29, 1995	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Directive)	55
DBOD. No. Dir. BC. 111/ 13.01.01/95 dated September 29, 1995	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme (Covering letter)	57
DBOD. No. Dir. BC. 110/ 13.01.01/95 dated September 29, 1995	Interest rates on deposits Capital Gains Accounts Scheme (Directive)	58
DBOD. No. Dir. BC. 126/ 13.01.09/95 dated October 30, 1995	Interest rates on term deposits - under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Covering letter)	59

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 125/ 13.01.09/95 dated October 30, 1995	Interest rates on term deposits - under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Directive)	61
DBOD. No. Dir. BC. 6/ 13.01.11/96 dated January 15, 1996	Deposit mobilisation schemes - Offering of incentives	62
DBOD. No. Dir. BC. 18/ 13.01.01/96 dated February 24, 1996	Scheme of Urban Micro Enterprises (SUME) and Scheme of Urban Wage Employment (SUWE) - Opening of savings bank accounts in the name of Urban Local Bodies under Nehru Rozgar Yojana (NRY) (Covering letter)	66
DBOD. No. Dir. BC. 17/ 13.01.01/96 dated February 24, 1996	Interest rates on deposits - (Directive)	68
DBOD. No. Dir. BC. 24/ 13.01.09/96 dated March 14, 1996	Non-Resident (Non-Repatriable) NRNR Rupee Deposit Scheme	69
DBOD. No. Dir. BC. 35/ 13.01.09/96 dated April 3, 1996	Interest rates on deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Covering letter)	70
DBOD. No. Dir. BC. 34/ 13.01.09/96 dated April 3, 1996	Interest rates on deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Directive)	72
DBOD. No. Dir. BC. 86/ 13.01.09/96 dated June 29, 1996	Interest rates on deposits under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	74
DBOD. No. Dir. BC. 85/ 13.01.09/96 dated June 29, 1996	Interest rates on deposits under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	75

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 90/ 13.01.01/96 dated July 1, 1996	Interest rates on deposits - (Covering letter)	77
DBOD. No. Dir. BC. 89/ 13.01.01/96 dated July 1, 1996	Interest rates on deposits - (Directive)	78
DBOD. No. Dir. BC. 92/ 13.01.01/96 dated July 1, 1996	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Covering letter)	80
DBOD. No. Dir. BC. 91/ 13.01.01/96 dated July 1, 1996	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Notification)	81
DBOD. No. BP. BC. 109/ 21.03.053/96 dated August 9, 1996	Certificate of Deposits (CDs)	82
DBOD. No. Dir. BC. 118/ 13.01.09/96 dated September 7, 1996	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	83
DBOD. No. Dir. BC. 117/ 13.01.09/96 dated September 7, 1996	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	84
DBOD. No. Dir. BC. 132/ 13.01.09/96 dated October 17, 1996	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	86
DBOD. No. Dir. BC. 131/ 13.01.09/96 dated October 17, 1996	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	87

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 134/ 13.01.01/96 dated October 19, 1996	Interest rates on deposits - (Covering letter)	89
DBOD. No. Dir. BC. 133/ 13.01.01/96 dated October 19, 1996	Interest rates on deposits - (Directive)	90
DBOD. No. Dir. BC. 136/ 13.01.01/96 dated October 19, 1996	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Covering letter)	92
DBOD. No. Dir. BC. 135/ 13.01.01/96 dated October 19, 1996	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Notification)	93
DBOD. No. Dir. BC. 144/ 13.01.09/96 dated October 22, 1996	Calculations of interest on FCNR(B) deposits (Covering letter)	94
DBOD. No. Dir. BC. 143/ 13.01.09/96 dated October 22, 1996	Calculations of interest on FCNR(B) deposits (Directive)	96
DBOD. No. Dir. BC. 147/ 13.01.09/96 dated November 16, 1996	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	99
DBOD. No. Dir. BC. 146/ 13.01.09/96 dated November 16, 1996	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	100
DBOD. No. Dir. BC. 157/ 13.01.09/96 dated December 11, 1996	Renewal of matured FCNR(A) deposits under FCNR(B) scheme/payment of overdue interest on overdue FCNR(A) deposits.	102
DBOD. No. Dir. BC. 162/ 13.01.09/96 dated December 24, 1996	Conversion of FCNR/NRE accounts of the Returning Indians to RFC accounts - Payment of interest	105

+Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
	SECTION III **REVIEW OF CREDIT POLICY / REFINANCE TO BANKS**	
DBOD. No. BP. BC. 24/ 21.01.001/95 dated March 6, 1995	Bills Rediscounting Scheme - Rediscounting of bills with banks and financial institutions.	109
DBOD. No. BP. BC. 53/ 21.01.001/95 dated April 25, 1995	Bills Rediscounting Scheme - Rediscounting of commercial bills by banks.	111
DBOD. No. BP. BC. 54/ 21.01.001/95 dated April 27, 1995	Bills Rediscounting Scheme - Rediscounting of bills with banks and financial institutions.	112
DBOD. No. FSC. BC. 68/ 24.91.001/95 dated June 27, 1995	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	115
DBOD. No. FSC. BC. 130/ 24.91.001/95 dated October 31, 1995	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	120
DBOD. No. FSC. BC. 8/ 24.91.001/95-96 dated February 2, 1996	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	121
DBOD. No. FSC. BC. 62/ 24.91.001/95-96 dated May 23, 1996	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	122

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 69/ 24.92.001/96 dated June 6, 1996	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Market - Primary Dealers	123
DBOD. No. FSC. BC. 105/ 24.92.001/96 dated August 2, 1996	Participation in Call/ Notice Money and Term Money Market (Covering letter)	124
DBOD. No. FSC. BC. 104/ 24.92.001/96 dated August 2, 1996	Interest rates on deposits (Directive)	125
DBOD. No. FSC. BC. 108/ 24.91.001/96-97 dated August 8, 1996	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	130
DBOD. No. FSC. BC. 124/ 24.91.001/96-97 dated September 30, 1996	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	131
	SECTION IV INVESTMENTS	
DBOD. No. FSC. BC. 8/ 24.76.002/94-95 dated February 1, 1995	Ready Forward Transactions	134
DBOD. No. FSC. BC. 23/ 24.76.002/95 dated February 28, 1995	Ready Forward Transactions	135
DBOD. No. BC. 28/ 13.07.05/95 dated March 10, 1995	Investments in and underwriting of shares and debentures of corporate bodies	138

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 31/ 24.76.002/94-95 dated March 21, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	141
DBOD. No. FSC. BC. 30/ 24.76.002/94-95 dated March 21, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	142
DBOD. No. BP. BC. 37/ 21.04.048/95 dated April 3, 1995	Investment portfolio of banks - Transactions in securities	143
DBOD. No. Dir. BC. 38/ 13.07.05/95 dated April 4, 1995	Investments in and underwriting of shares and debentures of corporate bodies.	147
DBOD. No. Dir. BC. 69/ 13.07.05/95 dated June 28, 1995	Investments in and underwriting of shares and debentures of corporate bodies.	148
DBOD. No. FSC. BC. 74/ 24.76.002/95-96 dated July 12, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	149
DBOD. No. FSC. BC. 73/ 24.76.002/95-96 dated July 12, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	150
DBOD. No. FSC. BC. 79/ 24.76.002/95-96 dated July 27, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	151
DBOD. No. FSC. BC. 78/ 24.76.002/95-96 dated July 27, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	152
DBOD. No. FSC. BC. 88/ 24.76.002/95-96 dated August 21, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	154
DBOD. No. FSC. BC. 87/ 24.76.002/95-96 dated August 21, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	155

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 94/ 24.76.002/95-96 dated September 4, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	156
DBOD. No. FSC. BC. 93/ 24.76.002/95-96 dated September 4, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	157
DBOD. No. FSC. BC. 96/ 24.76.002/95-96 dated September 11, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	158
DBOD. No. FSC. BC. 95/ 24.76.002/95-96 dated September 11, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	159
DBOD. No. FSC. BC. 113/ 24.76.002/95-96 dated September 29, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	160
DBOD. No. FSC. BC. 112/ 24.76.002/95-96 dated September 29, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	161
DBOD. No. FSC. BC. 116/ 24.76.002/95 dated September 29, 1995	Ready Forward Transactions (Repos) in Government and other approved securities	162
DBOD. No. FSC. BC. 122/ 24.76.002/95-96 dated October 14, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	163
DBOD. No. FSC. BC. 121/ 24.76.002/95-96 dated October 14, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	164
DBOD. No. FSC. BC. 137/ 24.76.002/95-96 dated November 27, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	165
DBOD. No. FSC. BC. 136/ 24.76.002/95-96 dated November 27, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	166

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 142/ 24.76.002/95-96 dated December 6, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	168
DBOD. No. FSC. BC. 141/ 24.76.002/95-96 dated December 6, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	169
DBOD. No. FSC. BC. 152/ 24.76.002/95-96 dated December 30, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	170
DBOD. No. FSC. BC. 151/ 24.76.002/95-96 dated December 30, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	171
DBOD. No. FSC. BC. 11/ 24.76.002/95-96 dated February 7, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	172
DBOD. No. FSC. BC. 10/ 24.76.002/95-96 dated February 7, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	173
DBOD. No. FSC. BC. 22/ 24.76.002/95-96 dated March 1, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	174
DBOD. No. FSC. BC. 21/ 24.76.002/95-96 dated March 1, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	175
DBOD. No. FSC. BC. 51/ 24.76.002/95-96 dated April 10, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	176
DBOD. No. FSC. BC. 50/ 24.76.002/95-96 dated April 10, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	177
DBOD. No. FSC. BC. 56/ 24.76.002/95-96 dated April 18, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	178
DBOD. No. FSC. BC. 55/ 24.76.002/95-96 dated April 18, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	179

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 67/ 24.76.002/95-96 dated June 5, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	181
DBOD. No. FSC. BC. 66/ 24.76.002/95-96 dated June 5, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	182
DBOD. No. FSC. BC. 70/ 24.76.002/95-96 dated June 8, 1996	Retailing of Government Securities	183
DBOD. No. FSC. BC. 71/ 24.76.001/96 dated June 11, 1996	Investment portfolio of banks - Transactions in securities	185
DBOD. No. FSC. BC. 73/ 24.76.002/95-96 dated June 12, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	187
DBOD. No. FSC. BC. 72/ 24.76.002/95-96 dated June 12, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	188
DBOD. No. FSC. BC. 74/ 24.76.002/95-96 dated June 13, 1996	Marketing of Mutual Fund (M.F.) units by banks	189
DBOD. No. FSC. BC. 80/ 24.76.002/96 dated June 22, 1996	Ready Forward Transactions	191
DBOD. No. FSC. BC. 83/ 24.76.002/95-96 dated June 25, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	195
DBOD. No. FSC. BC. 82/ 24.76.002/95-96 dated June 25, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	196
DBOD. No. FSC. BC. 100/ 24.76.002/95-96 dated July 23, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	197
DBOD. No. FSC. BC. 99/ 24.76.002/95-96 dated July 23, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	198

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 101/ 24.76.002/96 dated July 25, 1996	Retailing of Government Securities	200
DBOD. No. FSC. BC. 107/ 24.76.002/95-96 dated August 2, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	201
DBOD. No. FSC. BC. 106/ 24.76.002/95-96 dated August 2, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	202
DBOD. No. FSC. BC. 110/ 24.92.001/96 dated August 10, 1996	Bank Finance for Primary Dealers	203
DBOD. No. FSC. BC. 120/ 24.76.002/95-96 dated September 10, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	205
DBOD. No. FSC. BC. 119/ 24.76.002/95-96 dated September 10, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	206
DBOD. No. FSC. BC. 126/ 24.76.002/95-96 dated October 3, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	207
DBOD. No. FSC. BC. 125/ 24.76.002/95-96 dated October 3, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	208
DBOD. No. FSC. BC. 128/ 24.76.002/95-96 dated October 10, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	209
DBOD. No. FSC. BC. 127/ 24.76.002/95-96 dated October 10, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	210
DBOD. No. Dir.BC. 145/ 13.07.05/96 dated October 25, 1996	Investments in shares and debentures of corporate bodies	211
DBOD. No. Dir. BC. 148/ 13.07.05/96 dated November 18, 1996	Investments in bonds issued by Public Sector Undertakings	212

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 153/ 24.76.002/96 dated November 29, 1996	Investment portfolio of banks - Transactions in securities	214
DBOD. No. FSC. BC. 159/ 24.76.002/95-96 dated December 16, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	215
DBOD. No. FSC. BC. 158/ 24.76.002/95-96 dated December 16, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	216
	SECTION V ADVANCES	
DBOD. No. Dir. BC. 1/ 13.07.05/95 dated January 6, 1995	Guidelines for bank finance to assist employees to buy shares of their own companies	218
DBOD. No. BP. BC. 34/ 21.04.012/95 dated March 30, 1995	Relaxations to trade and industry in the State of Jammu & Kashmir	219
DBOD. No. BP. BC. 35/ 21.04.012/95 dated March 30, 1995	Relaxations to trade and industry in the State of Punjab and Union Territory of Chandigarh	220
IECD. No. EFD. 39/ 04.02.06/94-95 dated April 17, 1995	Post-shipment Credit denominated in Foreign Currency (PSCFC) (Covering letter)	222
DBOD. No. Dir. BC. 51/ 13.07.01/95 dated April 17, 1995	Interest rates on advances (Directive)	223
DBOD. No. Dir. BC. 75/ 13.07.05/95 dated July 17, 1995	Advances against shares/debentures	225
DBOD. No. FSC. BC. 86/ 24.01.001/95-96 dated August 17, 1995	Commitments in respect of underwriting etc. obligations	227

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 89/ 13.07.01/95 dated August 21, 1995	Deregulation of interest rates - Levy of interest tax	228
DBOD. No. Dir. BC. 98/ 13.07.01/95 dated September 12, 1995	Interest rates on advances (Covering letter)	229
DBOD. No. Dir. BC. 97/ 13.07.01/95 dated September 12, 1995	Interest rates on advances (Directive)	230
DBOD. No. Dir. BC. 109/ 13.01.09/95 dated September 29, 1995	Rate of interest on advances against term deposits (Covering letter)	231
DBOD. No. Dir. BC. 108/ 13.01.09/95 dated September 29, 1995	Rate of interest on advances against term deposits (Directive)	233
IECD. No. EFD. 11/ 04.02.06/95-96 dated October 30, 1995	Post-shipment Credit denominated in Foreign Currency (PSCFC) (Covering letter)	234
DBOD. No. Dir. BC. 124/ 13.07.01/95 dated October 30, 1995	Interest rates on advances (Directive)	236
DBOD. No. Dir. BC. 148/ 13.07.05/95 dated December 15, 1995	Unauthorised issue of duplicate share certificates	238
IECD. No. EFD. 17/ 04.02.06/95-96 dated January 15, 1996	Post-shipment Credit denominated in Foreign Currency (PSCFC) (Covering letter)	239
DBOD. No. Dir. BC. 7/ 13.07.01/96 dated January 15, 1996	Interest rates on advances (Directive)	242
IECD. No. EFD. 20/ 04.02.01/95-96 dated February 7, 1996	Interest rates on advances - Post-shipment Export Rupee Credit (Covering letter)	244

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 12/ 13.07.01/95-96d dated February 7, 1996	Interest rates on advances - Post-shipment Export Rupee Credit (Directive)	245
DBOD. No. Dir. BC.45/ 13.01.04/96 dated April 8, 1996	Deposit linked advances	247
DBOD. No. BP. BC. 48/ 21.04.012/96 dated April 10, 1996	Relaxations to trade and industry in the State of Jammu & Kashmir	249
DBOD. No. BP. BC. 49/ 21.04.012/96 dated April 10, 1996	Relaxations to trade and industry in the State of Punjab and Union Territory of Chandigarh	250
DBOD. No. Dir. BC. 53/ 13.01.04/95 dated April 15, 1996	Advances against Fixed Deposit Receipts issued by other banks	251
IECD. No. EFD. 2/ 04.02.01/96-97 dated July 3, 1996	Interest rates for Post-shipment Export Credit on medium and long term basis (Deferred credit for the period beyond 180 days) (Covering letter)	255
DBOD. No. BC. 78/ 13.07.01/96 dated July 3, 1996	Interest rates on advances (Directive)	256
DBOD. No. Dir. BC. 98/ 13.01.04/96 dated July 4, 1996	Rate of interest on advances against term deposits.	260
DBOD. No. Dir. BC. 114/ 13.07.01/96 dated August 24, 1996	Lending rates of Regional Rural Banks (Covering letter)	261
DBOD. No. Dir. BC. 113/ 13.07.01/96 dated August 24, 1996	Interest rates on advances (Directive)	262

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 116/ 13.07.05/96 dated September 6, 1996	Loans and advances against shares/debentures	263
DBOD. No. Dir. BC. 139/ 13.07.01/96 dated October 19, 1996	Interest rates on advances - Prime Lending Rate	264
IECD. No.10/ 04.02.01/96-97 dated October 19, 1996	Interest rates on advances - Post-shipment Rupee Credit (Covering letter)	266
DBOD. No.Dir. BC. 142/ 13.07.01/96 dated October 19, 1996	Interest rates on advances Post-shipment Rupee Credit (Directive)	268
DBOD. No.Dir. BC. 150/ 13.07.05/96 dated November 21, 1996	Recommendation of the Estimate Committee of the Lok Sabha regarding off - loading of the promoters quota of shares when loans from banks/financial institutions are outstanding	272
DBOD. No.Dir. BC. 154/ 13.07.05/96 dated November 30, 1996	Loans and advances against shares/debentures	273
	SECTION VI CREDIT CONTROL (GENERAL)	
DBOD. No. BC. 6/ 12.01.001/94-95 dated January 11, 1995	Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Covering letter)	276
DBOD. No. BC. 4/ 12.02.001/94-95 dated January 11, 1995	Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Notification)	277
DBOD. No. BC. 5/ 12.01.001/94-95 dated January 11, 1995	Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Notification)	278

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BP. BC. 12/ 21.02.053/95 dated February 4, 1995	Deduction of tax at source (TDS) in respect of Zero Coupon Bonds under Section 193 (iiia) of the Income Tax Act, 1961.	279
DBOD. No. BC. 19/ 12.01.001/95 dated February 15, 1995	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Maintenance of CRR on Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme	281
DBOD. No. Dir. BC. 32/ 13.08.01/95 dated March 24, 1995	Selective Credit Control - Granting of fresh/ additional limits to borrowers dealing in sensitive commodities - Delegation of powers	283
DBOD. No. BC. 33/ 12.01.001/94-95 dated March 27, 1995	Cash Balances required to be maintained by Scheduled Commercial Banks.	286
DBOD. No. BC. 39/ 12.01.001/95 dated April 5, 1995	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Maintenance of CRR on Foreign Currency (Non-Resident) [FCNR (B)] Scheme	287
DBOD. No. Dir. BC. 50/ 13.08.01/95 dated April 17, 1995	Selective Credit Controls - Advances against sensitive commodities (Covering letter)	288
DBOD. No. Dir. BC. 49/ 13.08.01/95 dated April 17, 1995	Selective Credit Controls - Advances against sensitive commodities (Directive)	289
DBOD. No. BC. 58/ 12.02.001/94-95 dated May 13, 1995	Computation of Demand and Time liabilities - Margin money on bills discounted/purchased	290

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 61/ 12.05.011/95 dated May 29, 1995	Window-dressing of balance sheet	291
DBOD. No. BP. BC. 83/ 21.02.053/95 dated August 9, 1995	Deduction of tax at source (TDS) in respect of Zero Coupon Bonds under section 193 (iiia) of the Income Tax Act, 1961.	293
DBOD. No. BC. 84/ 12.01.001/95-96 dated August 16, 1995	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 and Section 24 of the Banking Regulations Act, 1949 - Reserve Requirements on Euro-Issue Proceeds.	295
DBOD. No. BC. 115/ 12.01.001/95 dated September 29, 1995	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Cash Reserve Ratio (CRR) - Maintenance of minimum level of 85 per cent on a daily basis	297
DBOD. No. BC. 119/ 12.02.001/95-96 dated October 9, 1995	Valuation of securities for Statutory Liquidity Ratio (SLR) (Covering letter)	303
DBOD. No. BC. 118/ 12.02.001/95-96 dated October 9, 1995	Valuation of securities for Statutory Liquidity Ratio (SLR) (Notification)	306
DBOD. No. BC. 129/ 12.01.001/95-96 dated October 30, 1995	Cash Reserve Ratio on deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) and Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Accounts (Covering letter)	308
DBOD. No. BC. 127/ 12.01.001/95-96 dated October 30, 1995	Cash Reserve Ratio on deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) and Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Accounts (Notification)	310

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 128/ 12.01.001/95-96 dated October 30, 1995	Cash Reserve Ratio on deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) and Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Accounts (Notification)	311
DBOD. No. BC. 133/ 12.01.001/95-96 dated November 11, 1995	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Covering letter)	312
DBOD. No. BC. 131/ 12.01.001/95-96 dated November 11, 1995	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Notification)	314
DBOD. No. BC. 132/ 12.01.001/95-96 dated November 11, 1995	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Notification)	314
DBOD. No. BC. 139/ 12.01.001/95-96 dated November 29, 1995	Cash Reserve Ratio on deposits under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme (Covering letter)	315
DBOD. No. BC. 138/ 12.01.001/95-96 dated November 29, 1995	Cash Reserve Ratio on deposits under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme (Notification)	317
DBOD. No. BC. 144/ 12.01.001/95-96 dated December 6, 1995	Cash Reserve Ratio on liabilities under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme (Covering letter)	318
DBOD. No. BC. 143/ 12.01.001/95-96 dated December 6, 1995	Cash Reserve Ratio on liabilities under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme (Notification)	319

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 146/ 12.01.001/95-96 dated December 9, 1995	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Covering letter)	320
DBOD. No. BC. 145/ 12.01.001/95-96 dated December 9, 1995	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Notification)	322
DBOD. No. BC. 4/ 12.01.001/95-96 dated January 6, 1996	Relaxation in the Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Covering letter)	322
DBOD. No. BC. 1/ 12.01.001/95-96 dated January 6, 1996	Relaxation in the Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Notification)	325
DBOD. No. BC. 2/ 12.01.001/95-96 dated January 6, 1996	Relaxation in the Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Notification)	326
DBOD. No. BC. 3/ 12.01.001/95-96 dated January 6, 1996	Relaxation in the Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Notification)	327
DBOD. No. BP. BC. 5/ 21.02.053/96 dated January 12, 1996	Deduction of tax at source (TDS) in respect of Zero Coupon Bonds under Section 193 (iii a) of the Income Tax Act, 1961	328
DBOD. No. BC. 28/ 12.01.001/96 dated March 25, 1996	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Prescription of Cash Reserve Ratio (CRR) on deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts), Non-Resident (Non-repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Accounts and Deposits under FCNR (B) Scheme	331

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 37/ 13.08.01/96 dated April 3, 1996	Selective Credit Controls - Advances against sensitive commodities (Covering letter)	335
DBOD. No. Dir. BC. 36/ 13.08.01/96 dated April 3, 1996	Selective Credit Controls - Advances against sensitive commodities (Directive)	336
DBOD. No. BC. 41/ 12.01.001/95-96 dated April 3, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio - Section 24 of Banking Regulation Act, 1949 - Relaxation in Statutory Liquidity Ratio (Covering letter)	340
DBOD. No. BC. 38/ 12.01.001/95-96 dated April 3, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio - Section 24 of Banking Regulation Act, 1949 - Relaxation in Statutory Liquidity Ratio (Notification)	342
DBOD. No. BC. 39/ 12.01.001/95-96 dated April 3, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio - Section 24 of Banking Regulation Act, 1949 - Relaxation in Statutory Liquidity Ratio (Notification)	343
DBOD. No. BC. 40/ 12.02.001/96 dated April 3, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio - Section 24 of Banking Regulation Act, 1949 - Relaxation in Statutory Liquidity Ratio (Notification)	344
DBOD. No. BC. 77/ 12.01.001/95-96 dated June 18, 1996	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Consequential changes in interest claims format on revision in the CRR prescription	345

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 88/ 12.01.001/96-97 dated July 1, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio - (CRR) (Covering letter)	349
DBOD. No. BC. 87/ 12.01.001/96-97 dated July 1, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio - (CRR) (Notification)	350
DBOD. No. Dir. BC. 94/ 13.08.01/96 dated July 1, 1996	Selective Credit Controls - Advances against sensitive commodities - Changes in margin/level of credit (Covering letter)	351
DBOD. No. Dir. BC. 93/ 13.08.01/96 dated July 1, 1996	Selective Credit Controls - Advances against sensitive commodities - Changes in margin/level of credit (Directive)	355
DBOD. No. BC. 96/ 12.01.001/96-97 dated 3, July 1996	Bank's lending to Primary Dealers - Netting concept for Reserve Requirements	357
DBOD. No. BC. 112/ 12.01.001/96-97 dated August 17, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Relaxation of CRR on Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme	363
DBOD. No. Dir. 138/ 13.08.01/96-97 dated October 19, 1996	Selective Credit Controls - Exemptions in respect of advances against sensitive commodities (Covering letter)	364
DBOD. No. Dir. BC. 137/ 13.08.01/96-97 dated October 19, 1996	Selective Credit Controls - Exemptions in respect of advances against sensitive commodities (Directive)	365

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 141/ 12.01.001/96-97 dated October 19, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Covering letter)	367
DBOD. No. BC. 140/ 12.01.001/96-97 dated October 19, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Notification)	369
DBOD. No. BC. 164/ 12.01.001/96-97 dated December 26, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR)	370
	SECTION VII CREDIT INFORMATION	
DBOD. No. CIS. 225/ 20.16.002/95 dated February 3, 1995	Disclosure of information on defaulting borrowers	373
DBOD. No. CIS. 2/ 20.16.002/95-96 dated July 6, 1995	Disclosure of information regarding defaulting borrowers of banks and financial institutions	374
DBOD. No. CIS. 7/ 20.16.002/95 dated July 10, 1995	Disclosure of information regarding defaulting borrowers of banks and financial institutions	376
DBOD. No. CIS. 32/ 20.16.002/95-96 dated July 26, 1995	Disclosure of information regarding defaulting borrowers of banks and financial institutions	380
DBOD. No. CIS. BC. 92/ 20.10.001/95-96 dated August 31, 1995	Collection and furnishing of credit information - Section 45C(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934.	382

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. CIS. BC. 135/ 20.10.002/95-96 dated November 24, 1995	Disclosure of information regarding defaulting borrowers	383
DBOD. No. DL. BC. 71A/ 20.16.002/96 dated June 11, 1996	Disclosure of information on defaulting borrowers	389
DBOD. No. DL. BC. 156/ 20.16.002/96 dated December 6, 1996	Disclosure of information on defaulters	390
	SECTION VIII APPOINTMENTS / REMUNERATION	
DBOD. No. PSBS. BC. 75/ 16.13.100/96 dated June 14, 1996	Private Sector Banks - Role of Directors and part-time Chairmen	393
	SECTION IX RETURNS	
DBOD. No. BC. 9/ 12.01.001/94-95 dated February 2, 1995	Section 42 of the RBI Act, 1934 - Prescription of cash reserve ratio (CRR) on Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Scheme.	400
DBOD. No. BC. 22/ 12.01.002/94-95 dated February 24, 1995	Section 42 (2) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Submission of fortnightly returns in Form 'A'	404

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 43/ 11.15.001/94-95 dated April 19, 1995	Advances to undertakings registered under the MRTP Act, 1969 - Submission of statements by scheduled commercial banks	405
DBOD. No. BC. 67/ 12.01.001/94-95 dated June 20, 1995	Section 42 of the RBI Act, 1934 - Revised proforma of the quarterly statement showing the amount of interest payable on cash balances maintained with RBI	406
DBOD. No. BC. 149/ 12.01.001/95-96 dated December 16, 1995	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Prescription of Cash Reserve Ratio (CRR) on deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts), Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Accounts and deposits under FCNR (B) Scheme	410
DBOD. No. BC. 32/ 12.01.002/95-96 dated March 30, 1996	Section 42 (2) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Submission of special fortnightly return in form 'A'	416
DBOD. No. BC. 103/ 12.03.001/96 dated July 31, 1996	Section 26 of Banking Regulation Act, 1949 - Submission of Returns in Form IX - Unclaimed deposits	417

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
	SECTION X **MISCELLANEOUS**	
	(a) Branch Expansion **(b) Non-traditional type of work taken up by banks-Merchant banking, credit card system, hire-purchase business etc.** **(c) Customer Service in banks** **(d) Frauds, etc. in banks** **(e) Others**	
	(a) Branch Expansion	
DBOD. No. BC. 64/ 22.01.001/95 dated June 5, 1995	Relocation of loss-making branches and rationalisation of branch network of Regional Rural Banks (RRBs)	420
DBOD. No. BL. BC. 80/ 22.05.012/95 dated July 27, 1995	Section 23 of Banking Regulation Act, 1949 - Branch Banking Statistics - Offices opened / closed	425
DBOD. No. BL. BC. 76/ 22.01.001/96 dated June 17, 1996	Proposals under Section 23 of B.R. Act, 1949 - Delegation of administrative powers to Regional Offices of Department of Banking Operations and Development	431
	(b) Non-traditional type of work taken up by banks-Merchant banking, credit card system, hire-purchase business etc.	
DBOD. No. FSC. BC. 27/ 24.47.001/95 dated March 9, 1995	Stockinvest Scheme	433

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 101/ 24.01.001/95 dated September 20, 1995	Equipment leasing, hire purchase and factoring etc. activities	435
DBOD. No. FSC. BC. 147/ 24.01.013/95-96 dated December 11, 1995	Scheme for Money Market Mutual Funds - Guidelines	436
DBOD. No. FSC. BC. 31/ 24.47.001/96 dated March 30, 1996	Stockinvest Scheme (S1)	447
DBOD. No. FSC. BC. 46/ 24.01.013/96 dated Aprill 9, 1996	Scheme for Money Market Mutual Funds - Guidelines	449
DBOD. No. FSC. BC. 47/ 24.47.001/96 dated April 10, 1996	Stockinvest Scheme	450
DBOD. No. FSC. BC. 95/ 24.01.013/96 dated July 3, 1996	Scheme for Money Market Mutual Funds - Guidelines	452
	(c) Customer Service in banks	
DBOD. No. BC. 52/ 09.07.007/95 dated April 20, 1995	40th Report of the Committee on Government Assurances, Rajya Sabha - Implementation of the recommendations of the Goiporia Committee on Customer Service	453
DBOD. No. BC. 59/ 09.07.007/95 dated May 17, 1995	Customer Service - Collection of outstation cheques	456
DBOD. No. BC. 19/ 09.07.007/96 dated February 29 1996	Committee on Customer Service in Banks - Implementation of the recommendations of the Goiporia Committee	464

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 79/ 09.07.001/96 dated June 22, 1996	Meeting of the Standing Committee on Customer Service held on 8th November 1995 - Settlement procedure in respect of fraudulent instruments	465
DBOD. No. 724/ 09.07.007/96 dated June 22, 1996	Customer Service - Collection of outstation cheques	467
	(d) Frauds, etc. in banks	
DBOD. No. BP. BC. 57/ 21.01.001/95 dated May 4, 1995	Frauds in banks-Monitoring of deposit accounts	469
DBOD. No. BP. BC. 102/ 21.01.001/95 dated September 20 1995	Monitoring of deposit accounts	472
DBOD. No. BC. 14/ 09.07.007/96 dated February 14, 1996	Committee to enquire into various aspects relating to frauds and malpractices in banks - Obtaining photographs of the depositors / account holders	474
DBOD. No. BP. BC. 42/ 21.01.001/96 dated April 6, 1996	Monitoring of cash deposits and withdrawals of Rs. 10 lakh and above in deposits and other accounts	475
	(e) Others	
DBOD. No. BC.RET. 10/ 12.06.029/94-95 dated February 2, 1995	Exclusion from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Bank of Karad Ltd."	477

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 11/ 12.06.090/94-95 dated February 2, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Chase Manhattan Bank N.A."	478
DBOD. No. BC. 17/ 12.06.093/94-95 dated February 10, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "HDFC Bank Ltd."	479
DBOD. No. BC. 18/ 12.06.091/94-95 dated February 13, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "State Bank of Mauritius Ltd."	480
DBOD. No. BC. 20/ 12.06.094/95 dated February 17, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Centurion Bank Ltd."	481
DBOD. No. IBS. BC. 29/ 23.06.001/95 dated March 20, 1995	Deployment of foreign funds in Indian business	482
DBOD. No. BP. BC. 36/ 21.04.048/95 dated April 3, 1995	Income recognition, asset classification and provisioning	492
DBOD. No. BP. BC. 44/ 21.04.048/95 dated April 15, 1995	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters - Valuation of investments	495
DBOD. No. MC. 149/ 19.03.29/94-95 dated April 27, 1995	Average business per employee.	511
DBOD. No. BC. 65/ 12.06.096/95 dated June 19, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Development Bank of Singapore Ltd."	514

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BP. BC. 66/ 21.04.048/95 dated June 20, 1995	Investment portfolio of banks - Classification of investments under "permanent" and "current" category	515
DBOD. No. BC. 72/ 12.06.095/95-96 dated July 10, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Bank of Punjab Ltd."	517
DBOD. No. BP. BC. 81/ 21.01.040/95 dated July 28, 1995	Compromise or negotiated settlements of Non Performing Assets (NPAs)	518
DBOD. No. BC. 82/ 12.06.097/95-96 dated August 9, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Development Credit Bank Ltd."	522
DBOD. No. Spl. Cell. BC. 90/ 27.08.003/95-96 dated August 25, 1995	Special Court (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Act, 1992 - Non-declaration of attached assets by holder thereof	523
DBOD. No. BC. 91/ 12.06.098/95-96 dated August 31, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Times Bank Limited"	525
DBOD. No. Dir. BC. 99/ 13.07.01/95 dated September 12, 1995	Withdrawal against uncleared effects	526
DBOD. No. BC. 100/ 09.07.007/95 dated September 16, 1995	Electronic Clearing Scheme (Credit Clearing) - Delayed credit by Destination Banks to beneficiaries' accounts	527
DBOD. No. BC. 120/ 12.06.099/95-96 dated October 12, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Dresdner Bank AG"	529

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BP. BC. 123/ 21.03.051/95 dated October 16, 1995	Automated Teller Machines (ATMs)	530
DBOD. No. BP. BC. 134/ 21.04.048/95 dated November 20, 1995	Exim Bank's new lending programme - Extension of guarantee-cum-refinance to commercial banks in respect of post-shipment supplier's credit - Exemption from prudential norms	531
DBOD. No. BC. 150/ 12.05.008/95-96 dated December 20, 1995	Notification under Section 36A(2) of Banking Regulation Act, 1949 - Cessation of a Banking Company - The Safe Bank Ltd., Bombay	533
DBOD. No. BC. 9/ 12.06.100/95-96 dated February 5, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "IDBI Bank Ltd."	534
DBOD. No. BC. 15/ 12.06.103/95-96 dated February 15, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "COMMERZ - BANK AG"	535
DBOD. No. BP. BC. 16/ 21.01.023/96 dated February 16, 1996	Receipt of foreign contributions by various Associations/Organisations in India under Foreign Contributions (Regulation) Act (FCRA) 1976	536
DBOD. No. BC. 20/ 09.08.001/96 dated February 29, 1996	Change of name of "Bombay to Mumbai"	540
DBOD. No. BP. BC. 23/ 21.01.001/96 dated March 1, 1996	Grant of loans and advances and award of contracts to directors of other banks	541
DBOD. No. BP. BC. 25/ 21.04.048/96 dated March 19, 1996	Income recognition, asset classification and provisioning	543

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BP. BC. 26/ 21.04.048/96 dated March 19, 1996	Non-performing advances - Reporting to the Reserve Bank of India	547
DBOD. No. IBS. BC. 30/ 23.10.011/95-96 dated March 22, 1996	Cross border processing of banking data by foreign banks having branch operations in India	551
DBOD. No. BC. 29/ 12.06.101/96 dated March 26, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Bank of Ceylon"	552
DBOD. No. BC. 33/ 12.06.102/96 dated April 3, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Siam Commercial Bank Public Company Limited"	553
DBOD. No. BP. BC. 43/ 21.04.048/96 dated April 6, 1996	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters - Valuation of investments	554
DBOD. No. BP. BC. 44/ 21.04.048/96 dated April 6, 1996	Investment portfolio of banks - Classification of investments under 'permanent' and 'current' category	563
DBOD. No. IBS. BC. 54/ 23.61.001/95-96 dated April 18, 1996	Limits on credit exposures to Individual / Group of borrowers	564
DBOD. No. BP. BC. 57/ 21.04.018/96 dated April 23, 1996	Capital to risk asset ratio (CRAR) - Disclosure in the Notes on Accounts	566
DBOD. No. BP. BC. 58/ 21.02.053/96 dated May 13, 1996	Exemption available to public sector banks from the purview of Section 193 (IIIa) of Income Tax Act, 1961	567

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 59/ 12.06.104/95-96 dated May 15, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Bank Internasional Indonesia"	568
DBOD. No. BP. BC. 60/ 21.03.051/96 dated May 16, 1996	Automated Teller Machines (ATMs)	569
DBOD. No. BP. BC. 61/ 21.03.023/96 dated May 21, 1996	Sanction of advances in excess of discretionary powers	570
DBOD. No. BP. BC. 65/ 21.04.048/96 dated June 4, 1996	Income recognition, asset classification and provisioning	572
DBOD. No. BP. BC. 68/ 21.04.018/96 dated June 5, 1996	Accounting standard 11 (Revised)	573
DBOD. No. BC. 81/ 12.06.105/95-96 dated June 24, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Cho Hung Bank"	575
DBOD. No. Dir. BC. 84/ 13.07.05/96 dated June 26, 1996	Sanctioning of credit facilities to group concerns	576
DBOD. No. BC. 97/ 12.06.106/95-96 dated June 28, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Arab Bangladesh Bank Limited"	577
DBOD. No. MC. 2/ 19.06.01/96-97 dated July 15, 1996	Action Plan for Private Sector Banks for the period April 1996 - March 1998	578
DBOD. No. BC. 111/ 12.06.108/96 dated August 12, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Fuji Bank Ltd."	580

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. MC. 15/ 19.06.01/96-97 dated September 4, 1996	Action Plan for Private Sector Banks for the period April 1996 - March 1998	581
DBOD. No. BP. BC. 121/ 21.03.038/96 dated September 23, 1996	Calendar of Reviews-Matters to be placed before the Board of Directors and the Management Committee	583
DBOD. No. BC. 130/ 12.04.002/96-97 dated October 14, 1996	T. T. discounting facility - Renewal	599
DBOD. No. BC. 149/ 12.06.107/96 dated November 20, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Chinatrust Commercial Bank"	600
DBOD. No. BP. BC. 151/ 21.01.023/96 dated November 26, 1996	Sanction of advances in excess of discretionary powers	601
DBOD. No. BC. 155/ 09.08.001/96 dated December 5, 1996	Opening of special counters to receive donations	603
DBOD. No. BP. BC. 161/ 21.03.054/96 dated December 19, 1996	Limits on Credit Exposures to Individuals/Group of borrowers - Advances against security of term deposits	604
DBOD. No. BC. 160/ 12.06.090/96-97 dated December 21, 1996	Alteration in the name of the bank in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Chase Manhattan Bank N.A." to "The Chase Manhattan Bank"	605
DBOD. No. BP. BC. 163/ 21.04.048/96 dated December 24, 1996	Classification of advances with balances less than Rs. 25,000/-	606

Circular No. & Date	Subject	Page No.
(1)	(2)	(3)
	SECTION XI **USE OF HINDI IN BANKS**	
DBOD. No. 286/ 06.02.01/95 dated January 30, 1995	Providing statement of accounts to the accounts holders in Hindi by the computerised branches.	609
DBOD. No. BC. 27/ 06.02.01/96 dated March 25, 1996	Use of Hindi in banks-Follow-up of decisions taken/suggestions given in the 66th meeting of OLIC of public sector banks held on 12th January 1996	611
DBOD. No. BC. 63/ 06.02.01/96 dated May 24, 1996	Minutes of 67th meeting of Official Language Implementation Committee of public sector banks-Action Plan for progressive use of Hindi	612

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 1/ 13.07.05/95 दिनांक जनवरी 6, 1995	अपनी ही कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए कर्मचारियों को सहायता के लिए बैंक वित्त संबंधी दिशा-निर्देश	V
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 2/ 13.01.09/94 दिनांक जनवरी 7, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 3/ 13.01.09/94 दिनांक जनवरी 7, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. बीसी. 4/ 12.02.001/94-95 दिनांक जनवरी 11, 1995	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 5/ 12.01.001/94-95 दिनांक जनवरी 11, 1995	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 6/ 12.01.001/94-95 दिनांक जनवरी 11, 1995	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 7/ 13.01.01/95 दिनांक जनवरी 19, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें	II
बैंपविवि. सं. 286/ 06.02.01/95 दिनांक जनवरी 30, 1995	कम्प्यूटरीकृत शाखाओं द्वारा खातेदारों को खाता विवरण हिन्दी में देना	XI
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 8/ 24.76.002/94-95 दिनांक फरवरी 1, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 9/ 12.01.001/94-95 दिनांक फरवरी 2, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) योजना पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण	IX

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 10/ 12.06.029/94-95 दिनांक फरवरी 2, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से निष्कासन - "दि बैंक ऑफ कराड लि."	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 11/ 12.06.090/94-95 दिनांक फरवरी 2, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "दि चेज मैनहट्टन बैंक एन.ए."	X(ङ)
बैंपविवि. सं. सीआइएस. 225/ 20.16.002/95 दिनांक फरवरी 3, 1995	चूककर्ता उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना प्रकट करना	VII
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 12/ 21.02.053/95 दिनांक फरवरी 4, 1995	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 193 (iii क) के अंतर्गत ज़ीरो कूपन बांडों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस)	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 13/ 13.01.01/95 दिनांक फरवरी 9, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 14/ 13.01.01/95 दिनांक फरवरी 9, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 15/ 13.01.01/95 दिनांक फरवरी 9, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 16/ 13.01.01/95 दिनांक फरवरी 9, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. बीसी. 17/ 12.06.093/94-95 दिनांक फरवरी 10, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "एचडीएफसी बैंक लि."	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 18/ 12.06.091/94-95 दिनांक फरवरी 13, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "स्टेट बैंक ऑफ मारीशस लि."	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 19/ 12.01.001/95 दिनांक फरवरी 15, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के संबंध में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखना	VI

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 20/ 12.06.094/95 दिनांक फरवरी 17, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "सेंचुरियन बैंक लिमिटेड"	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 21/ 13.01.09/95 दिनांक फरवरी 22, 1995	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना, अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना, और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जुटायी गयी जमाराशियों पर दलाली का भुगतान/प्रोत्साहन प्रदान करना	II
बैंपविवि. सं. बीसी. 22/ 12.01.002/94-95 दिनांक फरवरी 24, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) - फार्म "ए" में पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना	IX
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 23/ 24.76.002/95 दिनांक फरवरी 28, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन	IV
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 24/ 21.01.001/95 दिनांक मार्च 6, 1995	बिल पुनर्भुनाई योजना - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ बिलों की पुनर्भुनाई	III
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 25/ 13.01.01/95 दिनांक मार्च 6, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दर (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 26/ 13.01.01/95 दिनांक मार्च 6, 1995	मांग मुद्रा बाज़ार में सहभागिता (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 27/ 24.47.001/95 दिनांक मार्च 9, 1995	स्टॉकइन्वेस्ट योजना	X(ख)
बैंपविवि. सं. बीसी. 28/ 13.07.05/95 दिनांक मार्च 10, 1995	कंपनी निकायों के शेयरों और ऋणपत्रों (डिबेंचरों) में निवेश और उनकी हामीदारी	IV
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 29/ 23.06.001/95 दिनांक मार्च 20, 1995	भारतीय कारोबार में विदेशी निधियाँ लगाना	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 30/ 24.76.002/94-95 दिनांक मार्च 21, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 31/ 24.76.002/94-95 दिनांक मार्च 21, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 32/ 13.08.01/95 दिनांक मार्च 24, 1995	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों का कारोबार करनेवाले उधारकर्ताओं को नयी/ अतिरिक्त ऋण सीमाएं स्वीकृत करना - शक्तियों का प्रत्यायोजन	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 33/ 12.01.001/94-95 दिनांक मार्च 27, 1995	अनुसूचीत वाणिज्य बैंकों द्वारा रखने के लिए अपेक्षित नकदी शेष राशियाँ	VI
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 34/ 21.04.012/95 दिनांक मार्च 30, 1995	जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट	V
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 35/ 21.04.012/95 दिनांक मार्च 30, 1995	पंजाब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में व्यापार और उद्योग को छूट	V
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 36/ 21.04.048/95 दिनांक अप्रैल 3, 1995	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 37/ 21.04.048/95 दिनांक अप्रैल 3, 1995	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों का कारोबार	IV
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 38/ 13.07.05/95 दिनांक अप्रैल 4, 1995	कंपनी निकायों के शेयरों और ऋणपत्रों (डिबेंचरों) में निवेश और उनकी हामीदारी	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 39/ 12.01.001/95 दिनांक अप्रैल 5, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) एफसीएनआर (बी) के संबंध में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखना	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 40/ 13.01.09/95 दिनांक अप्रैल 6, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 41/ 13.01.09/95 दिनांक अप्रैल 6, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 43/ 11.15.001/94-95 दिनांक अप्रैल 19, 1995	एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों को अग्रिम - अनुसूचीत वाणिज्य बैंकों द्वारा विवरण प्रस्तुत करना	IX
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 44/ 21.04.048/95 दिनांक अप्रैल 15, 1995	आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यांकन	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 45/ 13.01.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 46/ 13.01.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 47/ 13.01.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 48/ 13.01.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 49/ 13.08.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम (निदेश)	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 50/ 13.08.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम (प्रावरण पत्र)	VI
औनिऋवि. सं. ईएफडी 39/ 04.02.06/94-95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	विदेशी मुद्रा में मूल्य-वर्गीकृत पोतलदानोत्तर ऋण (पीएससीएफसी) (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 51/ 13.07.01/95 दिनांक अप्रैल 17, 1995	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
बैंपविवि. सं. बीसी. 52/ 09.07.007/95 दिनांक अप्रैल 20, 1995	सरकार के आश्वासन संबंधी समिति, राज्यसभा की 40वीं रिपोर्ट - ग्राहक-सेवा संबंधी गोइपोरिया समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	X(ग)

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 53/ 21.01.001/95 दिनांक अप्रैल 25, 1995	बिल पुनर्भुनाई योजना - बैंकों द्वारा वाणिज्य बिलों की पुनर्भुनाई	III
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 54/ 21.01.001/95 दिनांक अप्रैल 27, 1995	बिल पुनर्भुनाई योजना - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ बिलों की पुनर्भुनाई	III
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 55/ 13.01.01/95 दिनांक अप्रैल 27, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दर (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 56/ 13.01.01/95 दिनांक अप्रैल 27, 1995	मांग मुद्रा बाज़ार में सहभागिता (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. एमसी. 149/ 19.03.029/94-95 दिनांक अप्रैल 27, 1995	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 57/ 21.01.001/95 दिनांक मई 4, 1995	बैंकों में धोखाधड़ी - जमाखातों पर निगरानी	X(घ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 58/ 12.02.001/94-95 दिनांक मई 13, 1995	माँग और मीयादी देयताओं की संगणना - भुनाये/खरीदे गये बिलों पर मार्जिन राशि	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 59/ 09.07.007/95 दिनांक मई 17, 1995	ग्राहक सेवा - बाहरी चेकों की वसूली	X(ग)
बैंपविवि. सं. बीसी 60/ 16.13.100/95 दिनांक मई 19, 1995	लाभांश की घोषणा	I
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 62/ 13.01.09/95 दिनांक मई 27, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. बीसी. 61/ 12.05.011/95 दिनांक मई 29, 1995	तुलनपत्र में दिखावा	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 63/ 13.01.09/95 दिनांक मई 27, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 64/ 22.01.001/95 दिनांक जून 5, 1995	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की घाटा उठाने वाली शाखाओं को दूसरे स्थान पर ले जाना और शाखा-तंत्र को औचित्यपूर्ण बनाना	X(क)
बैंपविवि. सं. बीसी. 65/ 12.06.096/95 दिनांक जून 19, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "दि डेवेलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लि."	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 66/ 21.04.048/95 दिनांक जून 20, 1995	बैंकों का निवेश संविभाग - निवेशों का "स्थायी" और "चालू" श्रेणियों में वर्गीकरण	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 67/ 12.01.001/94-95 दिनांक जून 20, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - रिज़र्व बैंक के पास रखे नकदी शेष पर देय ब्याज की राशि दर्शानेवाले तिमाही विवरण का संशोधित प्रोफार्मा	IX
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 68/ 24.91.001/95 दिनांक जून 27 1995	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता की अनुमति - निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियाँ	III
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 69/ 13.07.05/95 दिनांक जून 28, 1995	कंपनी निकाय के शेयरों और डिबेंचरों (ऋणपत्रों) में निवेश और उनकी हामीदारी	IV
बैंपविवि. सं. सीआइएस. 2/ 20.16.002/95-96 दिनांक जुलाई 6, 1995	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के चूक करनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित सूचनाएँ देना	VII
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 70/ 13.01.09/95 दिनांक जुलाई 8, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 71/ 13.01.09/95 दिनांक जुलाई 8, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. बीसी. 72/ 12.06.095/95-96 दिनांक जुलाई 10, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "बैंक ऑफ पंजाब लि."	X(ङ)
बैंपविवि. सं. सीआइएस. 7/ 20.16.002/95 दिनांक जुलाई 10, 1995	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के चूक करनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित सूचनाएँ देना	VII

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 73/ 24.76.002/95-96 दिनांक जुलाई 12, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 74/ 24.76.002/95-96 दिनांक जुलाई 12, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 76/ 13.01.09/95 दिनांक जुलाई 15, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 77/ 13.01.09/95 दिनांक जुलाई 15, 1995	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 75/ 13.07.05/95 दिनांक जुलाई 17, 1995	शेयरों/डिबेंचरों पर अग्रिम	V
बैंपविवि. सं. सीआइएस. 32/ 20.16.002/95-96 दिनांक जुलाई 26, 1995	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के चूक करनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित सूचनाएँ देना	VII
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 78/ 24.76.002/95-96 दिनांक जुलाई 27, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 79/ 24.76.002/95-96 दिनांक जुलाई 27, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 80/ 22.05.012/95 दिनांक जुलाई 27, 1995	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 - शाखा बैंकिंग आँकड़े - खोले/बंद किये गये कार्यालय	X(क)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 81/ 21.01.040/95 दिनांक जुलाई 28, 1995	निष्क्रिय आस्तियों के संबंध में समझौते या बातचीत से निपटान	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 82/ 12.06.097/95-96 दिनांक अगस्त 9, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "डेवेलपमेंट क्रेडिट बैंक लि."	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 83/ 21.02.053/95 दिनांक अगस्त 9, 1995	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 193 (iii क) के अंतर्गत शून्य (ज़ीरो) कूपन बांडों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती	VI

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 84/ 12.01.001/95-96 दिनांक अगस्त 16, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - यूरो निर्गम से प्राप्त राशियों पर प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं	VI
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 86/ 24.01.001/95-96 दिनांक अगस्त 17, 1995	हामीदारी आदि बाध्यताओं के संबंध में प्रतिबद्धताएं	V
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 87/ 24.76.002/95-96 दिनांक अगस्त 21, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 88/ 24.76.002/95-96 दिनांक अगस्त 21, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 89/ 13.07.01/95 दिनांक अगस्त 21, 1995	ब्याज दरों पर से विनियमन हटाना - ब्याज कर लगाना	V
बैंपविवि. सं. एसपीएल. सेल. बीसी. 90/ 27.08.003/95-96 दिनांक अगस्त 25 1995	विशेष न्यायालय (प्रतिभूति लेनदेन संबंधी अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 - कुर्क की गयी आस्तियों के धारकों द्वारा उनकी घोषणा न करना	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 91/ 12.06.098/95-96 दिनांक अगस्त 31,1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "टाइम्स बैंक लि."	X(ङ)
बैंपविवि. सं. सीआइएस. बीसी. 92/ 20.10.001/95-96 दिनांक अगस्त 31, 1995	ऋण सूचना एकत्र और प्रस्तुत करना - भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 45सी(1)	VII
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 93/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 4, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि: सं. एफएससी. बीसी. 94/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 4,1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 95/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 11, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 96/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 11, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 97/ 13.07.01/95 दिनांक सितम्बर 12, 1995	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 98/ 13.07.01/95 दिनांक सितम्बर 12, 1995	अग्रिमों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 99/ 13.07.01/95 दिनांक सितम्बर 12, 1995	असमाशोधित लिखतों पर आहरण	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 100/ 09.07.007/95 दिनांक सितम्बर 16, 1995	इलेक्ट्रानिक समाशोधन योजना (जमा समाशोधन) - हिताधिकारियों के खाते में गंतव्य बैंकों द्वारा विलंबित जमा	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 101/ 24.01.001/95 दिनांक सितम्बर 20, 1995	उपस्कर पट्टे पर देना, किराया खरीद औऱ फैक्टरिंग आदि गतिविधियां	X(ख)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 102/ 21.01.001/95 दिनांक सितम्बर 20, 1995	जमा खातों की निगरानी	X(घ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 104/ 13.01.01/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 105/ 13.01.01/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 106/ 13.01.09/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 107/ 13.01.09/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 108/ 13.01.09/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	मीयादी जमाराशियों पर अग्रिमों के लिए ब्याज दर (निदेश)	V

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 109/ 13.01.09/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	मीयादी जमाराशियों पर अग्रिमों के लिए ब्याज दर (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 110/ 13.01.01/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 111/ 13.01.01/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 112/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 29, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 113/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 29, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 115/ 12.01.001/95 दिनांक सितम्बर 29, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) - दैनिक आधार पर 85% के न्यूनतम स्तर का अनुरक्षण	VI
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 116/ 24.76.002/95 दिनांक सितंम्बर 29, 1995	सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेन (रिपोज़)	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 118/ 12.02.001/95-96 दिनांक अक्तूबर 9, 1995	सांविधिक चल-निधि अनुपात (एसएलआर) के लिए प्रतिभूतियों का मूल्यांकन (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 119/ 12.02.001/95-96 दिनांक अक्तूबर 9, 1995	सांविधिक चल-निधि अनुपात (एसएलआर) के लिए प्रतिभूतियों का मूल्यांकन (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 120/ 12.06.099/95-96 दिनांक अक्तूबर 12, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "ड्रेरडनर बैंक एजी"	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 121/ 24.76.002/95-96 दिनांक अक्तूबर 14, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 122/ 24.76.002/95-96 दिनांक अक्तूबर 14, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 123/ 21.03.051/95 दिनांक अक्तूबर 16, 1995	स्वचालित टेलर मशीन	X(ङ)
औनिऋवि. सं. ईएफडी. 11/ 04.02.06/95-96 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत पोतलदानोत्तर ऋण (पीएससीएफसी) (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 124/ 13.07.01/95 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 125/ 13.01.09/95 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 126/ 13.01.09/95 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. बीसी. 127/ 12.01.001/95-96 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई खातों) और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) खातों के अन्तर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी अनुपात (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 128/ 12.01.001/95-96 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई खातों) और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) खातों के अन्तर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी अनुपात (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 129/ 12.01.001/95-96 दिनांक अक्तूबर 30, 1995	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई खातों) और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) खातों के अन्तर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी अनुपात (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 130/ 24.91.001/95 दिनांक अक्तूबर 31, 1995	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड	III
बैंपविवि. सं. बीसी. 131/ 12.01.001/95-96 दिनांक नवंबर 11, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - नकदी प्रारक्षित अनुपात में कमी (अधिसूचना)	VI

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 132/ 12.01.001/95-96 दिनांक नवंबर 11, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - नकदी प्रारक्षित अनुपात में कमी (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 133/ 12.01.001/95-96 दिनांक नवंबर 11, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 134/ 21.04.048/95 दिनांक नवंबर 20, 1995	भारतीय निर्यात-आयात बैंक का ऋण देने का नया कार्यक्रम - आपूर्तिकर्ता को पोतलदान के बाद के ऋण के संबंध में वाणिज्य बैंकों को गारंटी - सह-पुनर्वित्त प्रदान करना - विवेकपूर्ण मानदण्डों से छूट	X(ङ)
बैंपविवि. सं. सीआइएस. बीसी. 135/ 20.16.002/95-96 दिनांक नवंबर 24, 1995	चूक करनेवाले उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना प्रकट करना	VII
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 136/ 24.76.002/95-96 दिनांक नवंबर 27, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 137/ 24.76.002/95-96 दिनांक नवंबर 27, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 138/ 12.01.001/95-96 दिनांक नवंबर 29, 1995	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 139/ 12.01.001/95-96 दिनांक नवंबर 29, 1995	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 141/ 24.76.002/95-96 दिनांक दिसम्बर 6, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 142/ 24.76.002/95-96 दिनांक दिसम्बर 6, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 143/ 12.01.001/95-96 दिनांक दिसम्बर 6, 1995	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 144/ 12.01.001/95-96 दिनांक दिसम्बर 6, 1995	विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 145/ 12.01.001/95-96 दिनांक दिसम्बर 9, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 146/ 12.01.001/95-96 दिनांक दिसम्बर 9, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 147/ 24.01.013/95-96 दिनांक दिसम्बर 11, 1995	मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि योजना - दिशा - निर्देश	X(ख)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 148/ 13.07.05/95 दिनांक दिसम्बर 15, 1995	शेयर प्रमाणपत्रों की अनधिकृत अनुलिपि (डुप्लीकेट) जारी करना	V
बैंपविवि. सं. बीसी. 149/ 12.01.001/95-96 दिनांक दिसम्बर 16, 1995	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों, अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमाराशि खातों और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण	IX
बैंपविवि. सं. बीसी. 150/ 12.05.008/95-96 दिनांक दिसम्बर 20, 1995	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए(2) के अंतर्गत अधिसूचना - बैंकिंग कंपनी बंद करना - दि सेफ बैंक लि., बंबई	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 151/ 24.76.002/95-96 दिनांक दिसम्बर 30, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 152/ 24.76.002/95-96 दिनांक दिसम्बर 30, 1995	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 1/ 12.01.001/95-96 दिनांक जनवरी 6, 1996	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में छूट (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 2/ 12.01.001/95-96 दिनांक जनवरी 6, 1996	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में छूट (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 3/ 12.01.001/95-96 दिनांक जनवरी 6, 1996	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में छूट (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 4/ 12.01.001/95-96 दिनांक जनवरी 6, 1996	अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में छूट (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 5/ 21.02.053/96 दिनांक जनवरी 12, 1996	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 193 (iii) (क) के अंतर्गत ज़ीरो कूपन बांडों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 6/ 13.01.11/96 दिनांक जनवरी 15, 1996	जमाराशि जुटाने की योजनाएं - प्रोत्साहन देना	II
आइईसीडी. सं. ईएफडी. 17/ 04.02.06/95-96 दिनांक जनवरी 15, 1996	विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग में पोतलदानोत्तर ऋण (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 7/ 13.07.01/96 दिनांक जनवरी 15, 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 8/ 24.91.001/95-96 दिनांक फरवरी 2, 1996	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड	III
बैंपविवि. सं. बीसी. 9/ 12.06.100/95-96 दिनांक फरवरी 5, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "आइडीबीआइ बैंक लि."	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 10/ 24.76.002/95-96 दिनांक फरवरी 7, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 11/ 24.76.002/95-96 दिनांक फरवरी 7, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
आइईसीडी. सं. ईएफडी. 20/ 04.02.01/95-96 दिनांक फरवरी 7, 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें - पोतलदानोत्तर निर्यात रुपया ऋण (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 12/ 13.07.01/96 दिनांक फरवरी 7, 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें - पोतलदानोत्तर निर्यात रुपया ऋण (निदेश)	V
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 13/ 21.01.002/96 दिनांक फरवरी 8, 1996	पूँजी पर्याप्तता विषयक उपाय	I
बैंपविवि. सं. बीसी. 14/ 09.07.007/96 दिनांक फरवरी 14, 1996	बैंकों में धोखाधड़ी और कदाचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जाँच करने के लिए समिति - जमाकर्ताओं/खाताधारकों के फोटोग्राफ प्राप्त करना	X(घ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 15/ 12.06.103/95-96 दिनांक फरवरी 15, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "कामर्स बैंक ए.जी."	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/ 21.01.023/96 दिनांक फरवरी 16, 1996	भारत में विभिन्न संघों/संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी अंशदान की प्राप्ति	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 17/ 13.01.01/96 दिनांक फरवरी 24, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 18/ 13.01.01/96 दिनांक फरवरी 24, 1996	शहरी सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यमों की योजना (एसयूएमई) और शहरी वेतन रोज़गार की योजना (एसयूडब्ल्यूई) - नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के नाम से बचत बैंक खाते खोलना (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. बीसी. 19/ 09.07.007/96 दिनांक फरवरी 29, 1996	बैंकों में ग्राहक-सेवा संबंधी समिति - गोइपोरिया समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	X(ग)

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 20/ 09.08.001/96 दिनांक फरवरी 29, 1996	"बंबई" का नाम बदलकर "मुंबई" करना	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 21/ 24.76.002/95-96 दिनांक मार्च 1, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 22/ 24.76.002/95-96 दिनांक मार्च 1, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 23/ 21.01.001/96 दिनांक मार्च 1, 1996	अन्य बैंकों के निदेशकों को ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत करना तथा ठेके देना	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 24/ 13.01.09/96 दिनांक मार्च 14, 1996	अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) एनआरएनआर रुपया जमा योजना	II
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 25/ 21.04.048/96 दिनांक मार्च 19, 1996	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 26/ 21.04.048/96 दिनांक मार्च 19, 1996	निष्क्रिय अग्रिम - भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट देना	X(ङ)
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 30/ 23.10.011/95-96 दिनांक मार्च 22, 1996	भारत में शाखा परिचालन वाले विदेशी बैंकों द्वारा बैंकिंग आंकड़ों का देश से बाहर संसाधन	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 27/ 06.02.01/96 दिनांक मार्च 25, 1996	बैंकों में हिन्दी का प्रयोग - 12 जनवरी 1996 को संपन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 66वीं बैठक में लिये गये निर्णयों/दिये गये सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई	XI
बैंपविवि. सं. बीसी. 28/ 12.01.001/96 दिनांक मार्च 25, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई), अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा खातों (एनआरएनआर) और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण	VI

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 29/ 12.06.101/96 दिनांक मार्च 26, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "बैंक ऑफ सिलोन"	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 31/ 24.47.001/96 दिनांक मार्च 30, 1996	स्टॉकइन्वेस्ट योजना	X(ख)
बैंपविवि. सं. बीसी. 32/ 12.01.002/95-96 दिनांक मार्च 30, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) - फार्म "क" में विशेष पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना	IX
बैंपविवि. सं. बीसी. 33/ 12.06.102/96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "दि सियाम कमर्शियल बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड"	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 34/ 13.01.09/96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 35/ 13.01.09/96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 36/ 13.08.01/96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों की जमानत पर अग्रिम (निदेश)	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 37/ 13.08.01/96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों की जमानत पर अग्रिम (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 38/ 12.01.001/95-96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात में छूट (अधिसूचना)	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 39/ 12.01.001/95-96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात में छूट (अधिसूचना)	VI

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 40/ 12.02.001/96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात में छूट (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 41/ 12.01.001/96 दिनांक अप्रैल 3, 1996	भारिबैं, अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात में छूट (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 42/ 21.01.001/96 दिनांक अप्रैल 6, 1996	दस लाख रुपये और उससे अधिक की जमाराशियों और अन्य खातों में नकद जमा और आहरण की निगरानी	X(घ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 43/ 21.04.048/96 दिनांक अप्रैल 6, 1996	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यांकन	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 44/ 21.04.048/96 दिनांक अप्रैल 6, 1996	बैंकों का निवेश संविभाग - "स्थायी" और "चालू" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का वर्गीकरण	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 45/ 13.01.04/96 दिनांक अप्रैल 8, 1996	जमाराशि से संबद्ध अग्रिम	V
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 46/ 24.01.013/95-96 दिनांक अप्रैल 9, 1996	मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि योजना - दिशा - निर्देश	X(ख)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 47/ 24.47.001/96 दिनांक अप्रैल 10, 1996	स्टॉकइन्वेस्ट योजना	X(ख)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/ 21.04.012/96 दिनांक अप्रैल 10, 1996	जम्मू और कश्मीर राज्य में व्यापार और उद्योग को छूट	V
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 49/ 21.04.012/96 दिनांक अप्रैल 10, 1996	पंजाब राज्य और संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़ में व्यापार और उद्योग को छूट	V

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 50/ 24.76.002/95-96 दिनांक अप्रैल 10, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 51/ 24.76.002/95-96 दिनांक अप्रैल 10, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 53/ 13.01.04/96 दिनांक अप्रैल 15, 1996	अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों की जमानत पर अग्रिम	V
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 54/ 23.61.001/95-96 दिनांक अप्रैल 18, 1996	एकल ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं के समूह को ऋण संबंधी सीमाएं	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 55/ 24.76.002/95-96 दिनांक अप्रैल 18, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 56/ 24.76.002/95-96 दिनांक अप्रैल 18, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 57/ 21.04.018/96 दिनांक अप्रैल 23, 1996	जोखिम आस्ति से पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) - लेखा-टिप्पणी में सूचना देना	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 58/ 21.02.053/96 दिनांक मई 13, 1996	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 193 (III क) के प्रयोजन से सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उपलब्ध छूट	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 59/ 12.06.104/95-96 दिनांक मई 15, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया"	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 60/ 21.03.051/96 दिनांक मई 16, 1996	स्वचालित टेलर मशीनें	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 61/ 21.03.023/96 दिनांक मई 21, 1996	विवेकाधीन शक्तियों से अधिक अग्रिमों की स्वीकृति	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 62/ 24.91.001/95-96 दिनांक मई 23, 1996	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड	III

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 63/ 06.02.01/96 दिनांक मई 24, 1996	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 67वीं बैठक का कार्यविवरण - हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए कार्रवाई योजना	XI
बैंपविवि. सं. आइबीएस. बीसी. 64/ 23.61.001/96 दिनांक मई 24, 1996	पूँजी पर्याप्तता उपाय	I
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 65/ 21.04.048/96 दिनांक जून 4, 1996	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 66/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 5, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 67/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 5, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 68/ 21.04.018/96 दिनांक जून 5, 1996	लेखाकरण मानक 11 (संशोधित)	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 69/ 24.92.001/96 दिनांक जून 6, 1996	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई बाजार में सहभागिता के लिए अनुमति - प्राथमिक कारोबारी	III
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 70/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 8, 1996	सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 71/ 24.76.002/96 दिनांक जून 11, 1996	बैंकों का निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों का लेनदेन	IV
बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 71ए/ 20.16.002/96 दिनांक जून 11, 1996	चूक करनेवाले ऋणकर्ताओं के संबंध में सूचना प्रकट करना	VII
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 72/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 12, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 73/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 12, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 74/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 13, 1996	बैंकों द्वारा पारस्परिक निधियों की यूनिटों का विपणन	IV
बैंपविवि. सं. पीएसबीएस. बीसी. 75/ 16.13.100/96 दिनांक जून 14, 1996	निजी क्षेत्र के बैंक - निदेशकों और अंशकालिक अध्यक्षों की भूमिका	VIII
बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 76/ 22.01.001/96 दिनांक जून 17, 1996	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत प्रस्ताव - बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रशासकीय अंधिकारों का प्रत्यायोजन	X(क)
बैंपविवि. सं. बीसी. 77/ 12.01.001/95-96 दिनांक जून 18, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण में संशोधन के परिणामस्वरूप ब्याज के दावे के फार्मेट में परिवर्तन	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 79/ 09.07.001/96 दिनांक जून 22, 1996	ग्राहक-सेवा संबंधी स्थायी समिति की 8 नवंबर 1995 को हुई बैठक - कपटपूर्ण लिखतों के भुगतान के संबंध में निपटान की क्रियाविधि	X(ग)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 80/ 24.76.002/96 दिनांक जून 22, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन	IV
बैंपविवि. सं. 724/ 09.07.007/96 दिनांक जून 22, 1996	ग्राहक सेवा - बाहरी चेकों का समाहरण	X(ग)
बैंपविवि. सं. बीसी. 81/ 12.06.105/95-96 दिनांक जून 24, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "चो हंग बैंक"	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 82/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 25, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 83/ 24.76.002/95-96 दिनांक जून 25, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 84/ 13.07.05/96 दिनांक जून 26, 1996	समूह प्रतिष्ठानों को ऋण सुविधाएं मंजूर करना	X(ङ)

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 97/ 12.06.106/95-96 दिनांक जून 28, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "अरब बांग्लादेश बैंक लिमिटेड"	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 85/ 13.01.09/96 दिनांक जून 29, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 86/ 13.01.09/96 दिनांक जून 29, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. बीसी. 87/ 12.01.001/96-97 दिनांक जुलाई 1, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि. सं. बीसी. 88/ 12.01.001/96-97 दिनांक जुलाई 1, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - (प्रावरण पत्र)	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 89/ 13.01.01/96 दिनांक जुलाई 1, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 90/ 13.01.01/96 दिनांक जुलाई 1, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 91/ 13.01.01/96 दिनांक जुलाई 1, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (अधिसूचना)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 92/ 13.01.01/96 दिनांक जुलाई 1, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 93/ 13.08.01/96 दिनांक जुलाई 1, 1996	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों की जमानत पर अग्रिम - मार्जिन/ऋण के स्तर में परिवर्तन (निदेश)	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 94/ 13.08.01/96 दिनांक जुलाई 1, 1996	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों की जमानत पर अग्रिम - मार्जिन/ऋण के स्तर में परिवर्तन (प्रावरण पत्र)	VI
आइईसीडी. सं. ईएफडी. 2/ 04.02.01/96-97 दिनांक जुलाई 3, 1996	माध्यावधि और दीर्घावधि आधार पर पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के लिए ब्याज दर (180 दिन से बाद की अवधि के लिए आस्थगित ऋण) (प्रावरण पत्र)	V

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 78/ 13.07.01/96 दिनांक जुलाई 3, 1996	अग्रिमों पर ब्याज-दर (निदेश)	V
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 95/ 24.01.013/96 दिनांक जुलाई 3, 1996	मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि योजना - दिशा - निर्देश	X(ख)
बैंपविवि. सं. बीसी. 96/ 12.01.001/96-97 दिनांक जुलाई 3, 1996	प्राथमिक व्यापारियों को बैंकों के ऋण - प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं के लिए शुद्ध राशि निकालने की संकल्पना	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 98/ 13.01.04/96 दिनांक जुलाई 4, 1996	मीयादी जमा की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज दर	V
बैंपविवि. सं. एमसी. 2/ 19.06.01/96-97 दिनांक जुलाई 15, 1996	अप्रैल 1996 - मार्च 1998 अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए कार्य योजना	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 99/ 24.76.002/95-96 दिनांक जुलाई 23, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 100/ 24.76.002/95-96 दिनांक जुलाई 23, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 101/ 24.76.002/96 दिनांक जुलाई 25, 1996	सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 103/ 12.03.001/96 दिनांक जुलाई 31, 1996	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 - फार्म "IX' में विवरण प्रस्तुत करना - दावा न की गयी जमाराशियां	IX
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 104/ 24.92.001/96 दिनांक अगस्त 2, 1996	जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	III
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 105/ 24.92.001/96 दिनांक अगस्त 2,1996	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार एवं मीयादी मुद्रा बाज़ार में सहभागिता (प्रावरण पत्र)	III
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 106/ 24.76.002/95-96 दिनांक अगस्त 2, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 107/ 24.76.002/95-96 दिनांक अगस्त 2, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 108/ 24.91.001/96-97 दिनांक अगस्त 8, 1996	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड	III
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 109/ 21.03.053/96 दिनांक अगस्त 9, 1996	जमा प्रमाणपत्र योजना	II
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 110/ 24.92.001/96 दिनांक अगस्त 10, 1996	प्राथमिक कारोबारियों को बैंक वित्त	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 111/ 12.06.108/96 दिनांक अगस्त 12, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "दि फ्यूजी बैंक लिमिटेड"	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 112/ 12.01.001/96-97 दिनांक अगस्त 17, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) खाता योजना में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की ढील	VI
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 113/ 13.07.01/96 दिनांक अगस्त 24, 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें (निदेश)	V
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 114/ 13.07.01/96 दिनांक अगस्त 24, 1996	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उधार दरें (प्रावरण पत्र)	V
बैंपविवि. सं. एमसी. 15/ 19.06.01/96-97 दिनांक सितम्बर 4, 1996	अप्रैल 1996 - मार्च 1998 अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए कार्य योजना	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 116/ 13.07.05/96 दिनांक सितम्बर 6, 1996	शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर ऋण एवं अग्रिम	V
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 117/ 13.01.09/96 दिनांक सितम्बर 7, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 118/ 13.01.09/96 दिनांक सितम्बर 7, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 119/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 10, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 120/ 24.76.002/95-96 दिनांक सितम्बर 10, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 121/ 21.03.038/96 दिनांक सितम्बर 23, 1996	समीक्षा कैलेंडर - निदेशक मंडल और प्रबंध समिति को प्रस्तुत किये जानेवाले मामले	X(ङ)
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 124/ 24.91.001/96-97 दिनांक सितंबर 30, 1996	मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड	III
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 125/ 24.76.002/95-96 दिनांक अक्तूबर 3, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 126/ 24.76.002/95-96 दिनांक अक्तूबर 3, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 127/ 24.76.002/95-96 दिनांक अक्तूबर 10, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 128/ 24.76.002/95-96 दिनांक अक्तूबर 10, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 130/ 12.04.002/96-97 दिनांक अक्तूबर 14, 1996	तार अंतरण भुनाई सुविधा - नवीकरण	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 131/ 13.01.09/96 दिनांक अक्तूबर 17, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 132/ 13.01.09/96 दिनांक अक्तूबर 17, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैपविवि सं डीआइआर बीसी. 133/ 13.01.01/96 दिनाक अक्तूबर 19, 1996	जमाराशियो पर ब्याज दरे - (निदेश)	II
बैपविवि स डीआइआर बीसी 134/ 13.01.01/96 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	जमाराशियो पर ब्याज दरे - (प्रावरण पत्र)	II
बैपविवि स डीआइआर बीसी. 135/ 13.01.01/96 दिनाक अक्तूबर 19, 1996	जमाराशियो पर ब्याज दरे - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 (अधिसूचना)	II
बैपविवि स. डीआइआर बीसी 136/ 13.01.01/96 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	जमाराशियो पर ब्याज दरे - पूजी लाभ खाता योजना, 1988 (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि सं डीआइआर बीसी 137/ 13.08.01/96-97 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	चयनात्मक ऋण नियंत्रण - सवेदनशील पण्यो की जमानत पर दिये गये अग्रिमो मे छूट (निदेश)	VI
बैंपविवि स डीआइआर. 138/ 13.08.01/96-97 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	चयनात्मक ऋण नियत्रण - संवेदनशील पण्यो की जमानत पर दिये गये अग्रिमो मे छूट (प्रावरण पत्र)	VI
बैपविवि. सं. डीआइआर बीसी. 139/ 13.07.01/96 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	अग्रिमो पर ब्याज दरे - आधार (प्राइम) ऋण दर	V
बैंपविवि स बीसी 140/ 12.01.001/96-97 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात मे कमी - (अधिसूचना)	VI
बैंपविवि स बीसी. 141/ 12.01.001/96-97 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - (प्रावरण पत्र)	VI
आइईसीडी. सं. 10/ 04.02.01/96-97 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	अग्रिमो पर ब्याज दरे - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण (प्रावरण पत्र)	V
बैपविवि. सं. डीआइआर बीसी. 142/ 13.07.01/96 दिनांक अक्तूबर 19, 1996	अग्रिमों पर ब्याज दरें - पोतलदानोत्तर रुपया ऋण (निदेश)	V
बैंपविवि सं. डीआइआर बीसी. 143/ 13.01.09/96 दिनांक अक्तूबर 22, 1996	विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) (बी) जमाराशियो पर ब्याज की गणना (निदेश)	II

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 144/ 13.01.09/96 दिनांक अक्तूबर 22, 1996	विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) (बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 145/ 13.07.05/96 दिनांक अक्तूबर 25, 1996	कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश	IV
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 146/ 13.01.09/96 दिनांक नवंबर 16, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (निदेश)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 147/ 13.01.09/96 दिनांक नवंबर 16, 1996	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें (प्रावरण पत्र)	II
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 148/ 13.07.05/96 दिनांक नवंबर 18, 1996	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किये गये बांडों में निवेश	IV
बैंपविवि. सं. बीसी. 149/ 12.06.107/96 दिनांक नवंबर 20, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "चायनाट्रस्ट कमर्शियल बैंक"	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 150/ 13.07.05/96 दिनांक नवंबर 21, 1996	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋण बकाया होने की स्थिति में प्रवर्तकों द्वारा अपने शेयरों का कोटा बेचने के संबंध में लोकसभा की आकलन समिति की सिफारिशें	V
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 151/ 21.01.023/96 दिनांक नवंबर 26, 1996	विवेकाधीन शक्तियों से अधिक अग्रिम स्वीकृत करना	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 152/ 21.01.002/96 दिनांक नवंबर 27, 1996	पूँजी पर्याप्तता संबंधी उपाय	I
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 153/ 24.76.002/96 दिनांक नवंबर 29, 1996	बैंकों के निवेश संविभाग - प्रतिभूतियों के लेनदेन	IV
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 154/ 13.07.05/96 दिनांक नवंबर 30, 1996	शेयरों/डिबेंचरों पर ऋण एवं अग्रिम	V

परिपत्र सं. और तिथि	विषय	भाग
(1)	(2)	(3)
बैंपविवि. सं. बीसी. 155/ 09.08.001/96 दिनांक दिसम्बर 5, 1996	दान राशि प्राप्त करने के लिए विशेष काउंटर खोलना	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीएल. बीसी. 156/ 20.16.002/96 दिनांक दिसम्बर 6, 1996	चूककर्ताओं के बारे में सूचना देना	VII
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 157/ 13.01.09/96 दिनांक दिसम्बर 11, 1996	परिपक्व विदेशी मुद्रा अनिवासी (ए) जमाराशियों का विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) (बी) योजना के अंतर्गत नवीकरण/अतिदेय एफसीएनआर (ए) जमाराशियों पर बकाया ब्याज का भुगतान	II
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 158/ 24.76.002/95-96 दिनांक दिसम्बर 16, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (निदेश)	IV
बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 159/ 24.76.002/95-96 दिनांक दिसम्बर 16, 1996	हाज़िर वायदा लेनदेन (प्रावरण पत्र)	IV
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 161/ 21.03.054/96 दिनांक दिसम्बर 19, 1996	एकल ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं के समूह को ऋण जोखिम की सीमा - सावधि जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 160/ 12.06.090/96-97 दिनांक दिसम्बर 21, 1996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - "द चेज मैनहट्टन बैंक एन. ए." से "द चेज मैनहट्टन बैंक"	X(ङ)
बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 162/ 13.01.09/96 दिनांक दिसंबर 24, 1996	स्वदेश लौटनेवाले भारतीयों के विदेशी मुद्रा अनिवासी/ अनिवासी बाह्य (रुपया) खातों का निवासी विदेशी मुद्रा खातों में परिवर्तन - ब्याज का भुगतान	II
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 163/ 21.04.048/96 दिनांक दिसम्बर 24, 1996	25,000 रुपये से कम की शेष राशि वाले अग्रिमों का वर्गीकरण	X(ङ)
बैंपविवि. सं. बीसी. 164/ 12.01.001/96-97 दिनांक दिसम्बर 261996	भारिबैं अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी	VI

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 1/ 13.07.05/95 dated January 6, 1995	Guidelines for bank finance to assist employees to buy shares of their own companies	V
DBOD. No. Dir. BC. 2/ 13.01.09/94 dated January 7, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 3/ 13.01.09/94 dated January 7, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	II
DBOD. No. BC. 4/ 12.02.001/94-95 dated January 11, 1995	Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 5/ 12.01.001/94-95 dated January 11, 1995	Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 6/ 12.01.001/94-95 dated January 11, 1995	Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Covering letter)	VI
DBOD. No. Dir. BC. 7/ 13.01.01/95 dated January 19 , 1995	Interest rates on deposits	II
DBOD. No. BC. 286/ 06.02.01/95 dated January 30,1995	Providing statement of accounts to the accounts holders in Hindi by the computerised branches.	XI
DBOD. No. FSC. BC. 8/ 24.76.002/94-95 dated February 1,S 1995	Ready Forward Transactions	IV

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 9/ 12.01.001/94-95 dated February 2 , 1995	Section 42 of the RBI Act, 1934 - Prescription of cash reserve ratio (CRR) on Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Scheme.	IX
DBOD. No. BC. 10/ 12.06.029/94-95 dated February 2 ,1995	Exclusion from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Bank of Karad Ltd."	X(e)
DBOD. No. BC. 11/ 12.06.090/94-95dated February 2 , 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Chase Manhattan Bank N.A."	X(e)
DBOD. No. CIS. 225/ 20.16.002/95 dated February 3, 1995	Disclosure of information on defaulting borrowers	VII
DBOD. No. BP. BC. 12/ 21.02.053/95 dated February 4, 1995	Deduction of tax at source (TDS) in respect of Zero Coupon Bonds under Section 193 (iiia) of the Income Tax Act, 1961.	VI
DBOD. No. Dir. BC. 13/ 13.01.01/95 dated February 9, 1995	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 14/ 13.01.01/95 dated February 9, 1995	Interest rates on deposits (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir. BC. 15/ 13.01.01/95 dated February 9, 1995	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme 1988 (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 16/ 13.01.01/95 dated February 9, 1995	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme 1988 (Covering letter)	II

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 17/ 12.06.093/94-95 dated February 10, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "HDFC Bank Ltd."	X(e)
DBOD. No. BC. 18/ 12.06.091/94-95 dated February 13, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "State Bank of Mauritius Ltd."	X(e)
DBOD. No. BC. 19/ 12.01.001/95 dated February 15, 1995	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Maintenance of CRR on Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme	VI
DBOD. No. BC. 20/ 12.06.094/95 dated February 17, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Centurion Bank Ltd."	X(e)
DBOD. No. Dir. BC. 21/ 13.01.09/95 dated February 22, 1995	Payment of brokerage/offering of incentives on deposits mobilised under Foreign Currency Non-resident Accounts (Banks) Scheme, Non-resident (Non-repatriable) Rupee Deposit Scheme and Non-resident (External) Rupee Accounts Scheme.	II
DBOD. No. BC. 22/ 12.01.002/94-95 dated February 24, 1995	Section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Submission of fortnightly returns in Form 'A'	IX
DBOD. No. FSC. BC. 23/ 24.76.002/95 dated February 28, 1995	Ready Forward Transactions	IV
DBOD. No. BP. BC. 24/ 21.01.001/95 dated March 6, 1995	Bills Rediscounting Scheme - Rediscounting of bills with banks and financial institutions.	III

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 25/ 13.01.01/95 dated March 6, 1995	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 26/ 13.01.01/95 dated March 6, 1995	Participation in the Call Money Market (Covering letter)	II
DBOD. No. FSC. BC. 27/ 24.47.001/95 dated March 9 1995	Stockinvest Scheme	X(b)
DBOD. No. BC. 28/ 13.07.05/95 dated March 10, 1995	Investments in and underwriting of shares and debentures of corporate bodies	IV
DBOD. No. IBS. BC. 29/ 23.06.001/95 dated March 20, 1995	Deployment of foreign funds in Indian business	X(e)
DBOD. No. FSC. BC. 30/ 24.76.002/94-95 dated March 21, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 31/ 24.76.002/94-95 dated March 21, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. Dir. BC. 32/ 13.08.01/95 dated March 24, 1995	Selective Credit Control - Granting of fresh/ additional limits to borrowers dealing in sensitive commodities-Delegation of powers	VI
DBOD. No. BC. 33/ 12.01.001/94-95 dated March 27, 1995	Cash Balances required to be maintained by Scheduled Commercial Banks.	VI
DBOD. No. BP. BC. 34/ 21.04.012/95 dated March 30, 1995	Relaxations to trade and industry in the State of Jammu & Kashmir	V
DBOD. No. BP. BC. 35/ 21.04.012/95 dated March 30, 1995	Relaxations to trade and industry in the State of Punjab and Union Territory of Chandigarh	V

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BP. BC. 36/ 21.04.048/95 dated April 3, 1995	Income recognition, asset classification and provisioning	X(e)
DBOD. No. BP. BC. 37/ 21.04.048/95 dated April 3, 1995	Investment portfolio of banks - Transactions in securities	IV
DBOD. No. Dir. BC. 38/ 13.07.05/95 dated April 4, 1995	Investments in and underwriting of shares and debentures of corporate bodies.	IV
DBOD. No. BC. 39/ 12.01.001/95 dated April 5, 1995	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Maintenance of CRR on Foreign Currency (Non-Resident) [FCNR (B)] Scheme	VI
DBOD. No. Dir. BC. 40/ 13.01.09/95 dated April 6, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 41/ 13.01.09/95 dated April 6, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	II
DBOD. No. BC. 43/ 11.15.001/94-95 dated April 19, 1995	Advances to undertakings registered under the MRTP Act, 1969 - Submission of statements by scheduled commercial banks	IX
DBOD. No. BP. BC. 44/ 21.04.048/95 dated April 15 1995	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters - Valuation of investments	X(e)
DBOD. No. Dir. BC. 45/ 13.01.01/95 dated April 17, 1995	Interest rates on deposits (Directive)	II

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 46/ 13.01.01/95 dated April 17, 1995	Interest rates on deposits (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir. BC. 47/ 13.01.01/95 dated April 17, 1995	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme 1988 - (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 48/ 13.01.01/95 dated April 17, 1995	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme 1988 - (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir. BC. 49/ 13.08.01/95 dated April 17, 1995	Selective Credit Controls - Advances against sensitive commodities (Directive)	VI
DBOD. No. Dir. BC. 50/ 13.08.01/95 dated April 17, 1995	Selective Credit Controls - Advances against sensitive commodities (Covering letter)	VI
IECD. No. EFD. 39/ 04.02.06/94-95 dated April 17, 1995	Post-shipment Credit denominated in Foreign Currency (PSCFC) (Covering letter)	V
DBOD. No. Dir. BC. 51/ 13.07.01/95 dated April 17, 1995	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD. No. BC. 52/ 09.07.007/95 dated April 20, 1995	40th Report of the Committee on Government Assurances, Rajya Sabha - Implementation of the recommendations of the Goiporia Committee on Customer Service	X(c)
DBOD. No. BP. BC. 53/ 21.01.001/95 dated April 25, 1995	Bills Rediscounting Scheme - Rediscounting of commercial bills by banks.	III

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BP. BC. 54/ 21.01.001/95 dated April 27, 1995	Bills Rediscounting Scheme - Rediscounting of bills with banks and financial institutions.	III
DBOD. No. Dir. BC. 55/ 13.01.01/95 dated April 27,1995	Interest rates on deposits (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 56/ 13.01.01/95 dated April 27, 1995	Participation in the Call Money Market (Covering letter)	II
DBOD. No. MC. 149/ 193.03.029/94-95 dated April 27, 1995	Average business per employee.	X(e)
DBOD. No. BP. BC. 57/ 21.01.001/95 dated May 4, 1995	Frauds in banks-Monitoring of deposit accounts	X(d)
DBOD. No. BC. 58/ 12.02.001/94-95 dated May 13, 1995	Computation of Demand and Time liabilities - Margin money on bills discounted/purchased	VI
DBOD. No. BC. 59/ 09.07.007/95 dated May 17, 1995	Customer Service - Collection of outstation cheques	X(c)
DBOD. No. BC. 60/ 16.13.100/95 dated May 19, 1995	Declaration of dividends	I
DBOD. No. Dir. BC. 62/ 13.01.09/95 dated May 27, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD. No. BC. 61/ 12.05.011/95 dated May 29, 1995	Window-dressing of balance sheet	VI

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 63/ 13.01.09/95 dated May 27, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	II
DBOD. No. PSBS. BC. 64/ 22.01.001/95 dated June 5, 1995	Relocation of loss-making branches and rationalisation of branch network of Regional Rural Banks (RRBs)	X(a)
DBOD. No. BC. 65/ 12.06.096/95 dated June 19,1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Development Bank of Singapore Ltd."	X(e)
DBOD. No. BP. BC. 66/ 21.04.048/95 dated June 20,1995	Investment portfolio of banks - Classification of investments under "permanent" and "current" category	X(e)
DBOD. No. BC. 67/ 12.01.001/94-95 dated June 20, 1995	Section 42 of the RBI Act, 1934 - Revised proforma of the quarterly statement showing the amount of interest payable on cash balances maintained with RBI	IX
DBOD. No. FSC. BC. 68/ 24.91.001/95 dated June 27, 1995	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III
DBOD. No. Dir. BC. 69/ 13.07.05/95 dated June 28, 1995	Investments in and underwriting of shares and debentures of corporate bodies.	IV
DBOD. No. CIS. 2/ 20.16.002/95-96 dated July 6, 1995	Disclosure of information regarding defaulting borrowers of banks and financial institutions	VII

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 70/ 13.01.09/95 dated July 8, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 71/ 13.01.09/95 dated July 8, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	II
DBOD. No. BC. 72/ 12.06.095/95-96 dated July 10,1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Bank of Punjab Ltd."	X(e)
DBOD. No. CIS. 7/ 20.16.002/95 dated July 10, 1995	Disclosure of information regarding defaulting borrowers of banks and financial institutions	VII
DBOD. No. FSC. BC. 73/ 24.76.002/95-96 dated July 12, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 74/ 24.76.002/95-96 dated July 12, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. Dir. BC. 76/ 13.01.09/95 dated July 15, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 77/ 13.01.09/95 dated July 15, 1995	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir. BC. 75/ 13.07.05/95 dated July 17, 1995	Advances against shares/debentures	V
DBOD. No. CIS. 32/ 20.16.002/95-96 dated July 26, 1995	Disclosure of information regarding defaulting borrowers of banks and financial institutions	VII

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 78/ 24.76.002/95-96 dated July 27, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 79/ 24.76.002/95-96 dated July 27, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. BL. BC. 80/ 22.05.012/95 dated July 27, 1995	Section 23 of Banking Regulation Act, 1949 - Branch Banking Statistics - Offices opened / closed	X(a)
DBOD. No. BP. BC. 81/ 21.01.040/95 dated July 28, 1995	Compromise or negotiated settlements of Non Performing Assets (NPAs)	X(e)
DBOD. No. BC. 82/ 12.06.097/95-96 dated August 9, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Development Credit Bank Ltd."	X(e)
DBOD. No. BP. BC. 83/ 21.02.053/95 dated August 9, 1995	Deduction of tax at source (TDS) in respect of Zero Coupon Bonds under section 193 (iiia) of the Income Tax Act, 1961.	VI
DBOD. No. BC. 84/ 12.01.001/95-96 dated August 16, 1995	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 and Section 24 of the Banking Regulations Act, 1949 - Reserve Requirements on Euro-Issue Proceeds.	VI
DBOD. No. FSC. BC. 86/ 24.01.001/95-96 dated August 17, 1995	Commitments in respect of underwriting etc. obligations	V
DBOD. No. FSC. BC. 87/ 24.76.002/95-96 dated August 21, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 88/ 24.76.002/95-96 dated August 21, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 89/ 13.07.01/95 dated August 21, 1995	Deregulation of interest rates - Levy of interest tax	V
DBOD. No. Spl. Cell. BC. 90/ 27.08.003/95-96 dated August 25, 1995	Special Court (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Act, 1992 - Non-declaration of attached assets by holder thereof	X(e)
DBOD. No. BC. 91/ 12.06.098/95-96 dated August 31, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Times Bank Limited"	X(e)
DBOD. No. CIS. BC. 92/ 20.16.001/95-96 dated August 31, 1995	Collection and furnishing of credit information - Section 45C(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934.	VII
DBOD. No. FSC. BC. 93/ 24.76.002/95-96 dated September 4, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 94/ 24.76.002/95-96 dated September 4, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 95/ 24.76.002/95-96 dated September 11, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 96/ 24.76.002/95-96 dated September 11, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. Dir. BC. 97/ 13.07.01/95 dated September 12, 1995	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD. No. Dir. BC. 98/ 13.07.01/95 dated September 12, 1995	Interest rates on advances (Covering letter)	V

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 99/ 13.07.01/95 dated September 12, 1995	Withdrawal against uncleared effects	X(e)
DBOD. No. BC. 100/ 09.07.007/95 dated September 16, 1995	Electronic Clearing Scheme (Credit Clearing) - Delayed credit by Destination Banks to beneficiaries' accounts	X(e)
DBOD. No. FSC. BC. 101/ 24.01.001/95 dated September 20, 1995	Equipment leasing, hire purchase and factoring etc. activities	X(b)
DBOD. No. BP. BC. 102/ 21.01.001/95 dated September 20, 1995	Monitoring of deposit accounts	X(d)
DBOD. No. Dir. BC. 104/ 13.01.01/95 dated September 29, 1995	Interest rates on deposits - (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 105/ 13.01.01/95 dated September 29, 1995	Interest rates on deposits - (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir. BC. 106/ 13.01.09/95 dated September 29, 1995	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 107/ 13.01.09/95 dated September 29, 1995	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir. BC. 108/ 13.01.09/95 dated September 29, 1995	Rate of interest on advances against term deposits (Directive)	V
DBOD. No. Dir. BC. 109/ 13.01.09/95 dated September 29, 1995	Rate of interest on advances against term deposits (Covering letter)	V

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 110/ 13.01.01/95 dated September 29, 1995	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 111/ 13.01.01/95 dated September 29, 1995	Interest rates on deposits - Capital Gains Accounts Scheme (Covering letter)	II
DBOD. No. FSC. BC. 112/ 24.76.002/95-96 dated September 29, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 113/ 24.76.002/95-96 dated September 29, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. BC. 115/ 12.01.001/95 dated September 29, 1995	Section 42 of the Reserve Bank of Inida Act, 1934 - Cash Reserve Ratio (CRR) - Maintenance of minimum level of 85 per cent on a daily basis	VI
DBOD. No. FSC. BC. 116/ 24.76.002/95 dated September 29, 1995	Ready Forward Transactions (Repos) in Government and other approved securities	IV
DBOD. No. BC. 118/ 12.02.001/95-96 dated October 9, 1995	Valuation of securities for Statutory Liquidity Ratio (SLR) (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 119/ 12.02.001/95-96 dated October 9, 1995	Valuation of securities for Statutory Liquidity Ratio (SLR) (Covering letter)	VI
DBOD. No. BC. 120/ 12.06.099/95-96 dated October 12, 1995	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Dresdner Bank AG"	X(e)
DBOD. No. FSC. BC. 121/ 24.76.002/95-96 dated October 14,1995	Ready Forward Transactions (Directive)	IV

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 122/ 24.76.002/95-96 dated October 14,1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. BP. BC. 123/ 21.03.051/95 dated October 16, 1995	Automated Teller Machines (ATMs)	X(e)
IECD. No. EFD. 11/ 04.02.06/95-96 dated October 30, 1995	Post-shipment Credit denominated in Foreign Currency (PSCFC) (Covering letter)	V
DBOD. No. Dir. BC. 124/ 13.07.01/95 dated October 30, 1995	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD. No. Dir. BC. 125/ 13.01.09/95 dated October 30, 1995	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 126/ 13.01.09/95 dated October 30, 1995	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Covering letter)	II
DBOD. No. BC. 127/ 12.01.001/95-96 dated October 30, 1995	Cash Reserve Ratio on deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) and Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Account (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 128/ 12.01.001/95-96 dated October 30, 1995	Cash Reserve Ratio on deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) and Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Account (Notification)	VI

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 129/ 12.01.001/95-96 dated October 30, 1995	Cash Reserve Ratio on deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) and Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Account (Covering letter)	VI
DBOD. No. FSC. BC. 130/ 24.91.001/95dated October 31, 1995	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III
DBOD. No. BC. 131/ 12.01.001/95-96 dated November 11, 1995	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 132/ 12.01.001/95-96 dated November 11, 1995	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 133/ 12.01.001/95-96 dated November 11, 1995	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Covering letter)	VI
DBOD. No. BP. BC. 134/ 21.04.048/95 dated November 20, 1995	Exim Bank's new lending programme - Extension of guarantee-cum-refinance to commercial banks in respect of post-shipment supplier's credit - Exemption from prudential norms	X(e)
DBOD. No. CIS. BC. 135/ 20.16.002/95-96 dated November 24, 1995	Disclosure of information regarding defaulting borrowers	VII
DBOD. No. FSC. BC. 136/ 24.76.002/95-96 dated November 27, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	IV

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 137/ 24.76.002/95-96 dated November 27, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. BC. 138/ 12.01.001/95-96 dated November 29, 1995	Cash Reserve Ratio on deposits under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 139/ 12.01.001/95-96 dated November 29, 1995	Cash Reserve Ratio on deposits under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme (Covering letter)	VI
DBOD. No. FSC. BC. 141/ 24.76.002/95-96 dated December 6, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 142/ 24.76.002/95-96 dated December 6, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. BC. 143/ 12.01.001/95-96 dated December 6, 1995	Cash Reserve Ratio on liabilities under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 144/ 12.01.001/95-96 dated December 6, 1995	Cash Reserve Ratio on liabilities under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme (Covering letter)	VI
DBOD. No. BC. 145/ 12.01.001/95-96 dated December 9, 1995	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 146/ 12.01.001/95-96 dated December 9, 1995	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Covering letter)	VI

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 147/ 24.01.013/95-96 dated December 11, 1995	Scheme for Money Market Mutual Funds - Guidelines	X(b)
DBOD. No. Dir. BC. 148/ 13.07.05/95 dated December 15, 1995	Unauthorised issue of duplicate share certificates	V
DBOD. No. BC. 149/ 12.01.001/95-96 dated December 16, 1995	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Prescription of Cash Reserve Ratio (CRR) on deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts), Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Accounts and deposits under FCNR (B) Scheme	IX
DBOD. No. BC. 150/ 12.05.008/95-96 dated December 20, 1995	Notification under Section 36A(2) of Banking Regulation Act, 1949 - Cessation of a Banking Company - The Safe Bank Ltd., Bombay	X(e)
DBOD. No. FSC. BC. 151/ 24.76.002/95-96 dated December 30, 1995	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 152/ 24.76.002/95-96 dated December 30, 1995	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 1/ 12.01.001/95-96 dated January 6, 1996	Relaxation in the Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 2/ 12.01.001/95-96 dated January 6, 1996	Relaxation in the Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 3/ 12.01.001/95-96 dated January 6, 1996	Relaxation in the Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 4/ 12.01.001/95-96 dated January 6, 1996	Relaxation in the Cash Reserve Ratio on Non-Resident Deposit Schemes (Covering letter)	VI
DBOD. No. BP. BC. 5/ 21.02.053/96 dated January 12, 1996	Deduction of tax at source (TDS) in respect of Zero Coupon Bonds under Section 193 (iiia) of the Income Tax Act, 1961	VI
DBOD. No. Dir. BC. 6/ 13.01.11/96 dated January 15, 1996	Deposit mobilisation schemes - Offering of incentives	II
IECD. No. EFD. 17/ 04.02.06/95-96 dated January 15, 1996	Post-shipment Credit denominated in Foreign Currency (PSCFC) (Covering letter)	V
DBOD. No. Dir. BC. 7/ 13.07.01/96 dated January 15, 1996	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD. No. FSC. BC. 8/ 24.91.001/95-96 dated February 2, 1996	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 9/ 12.06.100/95-96 dated February 5, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "IDBI Bank Ltd."	X(e)
DBOD. No. FSC. BC. 10/ 24.76.002/95-96 dated February 7, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 11/ 24.76.002/95-96 dated February 7, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
IECD. No. EFD. 20/ 04.02.01/95-96 dated February 7, 1996	Interest rates on advances - Post-shipment Export Rupee Credit (Covering letter)	V
DBOD. No. Dir. BC. 12/ 13.07.01/96 dated February 7, 1996	Interest rates on advances - Post-shipment Export Rupee Credit (Directive)	V
DBOD. No. BP. BC. 13/ 21.01.002/96 dated February 8, 1996	Capital adequacy measures	I
DBOD. No. BC. 14/ 09.07.007/96 dated February 14, 1996	Committee to enquire into various aspects relating to frauds and malpractices in banks - Obtaining photographs of the depositors / account holders	X(d)
DBOD. No. BC. 15/ 12.06.103/95-96 dated February 15, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "COMMERZ BANK AG"	X(e)
DBOD. No. BP. BC. 16/ 21.01.023/96 dated February 16, 1996	Receipt of foreign contributions by various Associations/Organisations in India under Foreign Contributions (Regulation) Act (FCRA) 1976	X(e)

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 17/ 13.01.01/96 dated February 24, 1996	Interest rates on deposits - (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 18/ 13.01.01/96 dated February 24, 1996	Scheme of Urban Micro Enterprises (SUME) and Scheme of Urban Wage Employment (SUWE) - Opening of savings bank accounts in the name of Urban Local Bodies under Nehru Rozgar Yojana (NRY) (Covering letter)	II
DBOD. No. BC. 19/ 09.07.007/96 dated February 29, 1996	Committee on Customer Service in Banks - Implementation of the recommendations of the Goiporia Committee	X(c)
DBOD. No. BC. 20/ 09.08.001/96 dated February 29, 1996	Change of name of "Bombay to Mumbai"	X(e)
DBOD. No. FSC. BC. 21/ 24.76.002/95-96 dated March 1, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 22/ 24.76.002/95-96 dated March 1, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. BP. BC. 23/ 21.01.001/96 dated March 1, 1996	Grant of loans and advances and award of contracts to directors of other banks	X(e)
DBOD. No. Dir. BC. 24/ 13.01.09/96 dated March 14, 1996	Non-Resident (Non-Repatriable) NRNR Rupee Deposit Scheme	II
DBOD. No. BP. BC. 25/ 21.04.048/96 dated March 19, 1996	Income recognition, asset classification and provisioning	X(e)
DBOD. No. BP. BC. 26/ 21.04.048/96 dated March 19, 1996	Non-performing advances - Reporting to the Reserve Bank of India	X(e)

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. IBS. BC. 30/ 23.10.011/95-96 dated March 22, 1996	Cross border processing of banking data by foreign banks having branch operations in India	X(e)
DBOD. No. BC. 27/ 06.02.01/96 dated March 25, 1996	Use of Hindi in banks-Follow-up of decisions taken/suggestions given in the 66th meeting of OLIC of public sector banks held on 12th January 1996	XI
DBOD. No. BC. 28/ 12.01.001/96 dated March 25, 1996	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Prescription of Cash Reserve Ratio (CRR) on deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts), Non-Resident (Non-repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Accounts and Deposits under FCNR (B) Scheme	VI
DBOD. No. BC. 29/ 12.06.101/96 dated March 26, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Bank of Ceylon"	X(e)
DBOD. No. FSC. BC. 31/ 24.47.001/96 dated March 30, 1996	Stockinvest Scheme (S1)	X(b)
DBOD. No. BC. 32/ 12.01.002/95-96 dated March 30, 1996	Section 42 (2) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Submission of special fortnightly return in form 'A'	IX
DBOD. No. BC. 33/ 12.06.102/96 dated April 3, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Siam Commercial Bank Public Company Limited"	X(e)

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 34/ 13.01.09/96 dated April 3, 1996	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 35/ 13.01.09/96 dated April 3, 1996	Interest rates on term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir. BC. 36/ 13.08.01/96 dated April 3, 1996	Selective Credit Controls - Advances against sensitive Commodities (Directive)	VI
DBOD. No. Dir. BC. 37/ 13.08.01/96 dated April 3, 1996	Selective Credit Controls - Advances against sensitive Commodities (Covering letter)	VI
DBOD. No. BC. 38/ 12.01.001/95-96 dated April 3, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio - Section 24 of Banking Regulation Act, 1949 - Relaxation in Statutory Liquidity Ratio (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 39/ 12.01.001/95-96 dated April 3, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio - Section 24 of Banking Regulation Act, 1949 - Relaxation in Statutory Liquidity Ratio (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 40/ 12.02.001/96 dated April 3, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio - Section 24 of Banking Regulation Act, 1949 - Relaxation in Statutory Liquidity Ratio (Notification)	VI

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 41/ 12.01.001/96 dated April 3, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio - Section 24 of Banking Regulation Act, 1949 - Relaxation in Statutory Liquidity Ratio (Covering letter)	VI
DBOD. No. BP. BC. 42/ 21.01.001/96 dated April 6, 1996	Monitoring of cash deposits and withdrawals of Rs. 10 lakh and above in deposits and other accounts	X(d)
DBOD. No. BP. BC. 43/ 21.04.048/96 dated April 6, 1996	Income recognition, asset classification, provisioning and other related matters - Valuation of investments	X(e)
DBOD. No. BP. BC. 44/ 21.04.048/96 dated April 6, 1996	Investment portfolio of banks - Classification of investments under 'permanent' and 'current' category	X(e)
DBOD. No. Dir. BC. 45/ 13.01.04/96 dated April 8, 1996	Deposit linked advances	V
DBOD. No. FSC. BC. 46/ 24.01.013/95-96 dated April 9, 1996	Scheme for Money Market Mutual Funds - Guidelines	X(b)
DBOD. No. FSC. BC. 47/ 24.47.001/96 dated April 10, 1996	Stockinvest Scheme	X(b)
DBOD. No. BP. BC. 48/ 21.04.012/96 dated April 10, 1996	Relaxations to trade and industry in the State of Jammu & Kashmir	V
DBOD. No. BP. BC. 49/ 21.04.012/96 dated April 10, 1996	Relaxations to trade and industry in the State of Punjab and Union Territory of Chandigarh	V

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 50/ 24.76.002/95-96 dated April 10, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 51/ 24.76.002/95-96 dated April 10, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. Dir. BC. 53/ 13.01.04/95 dated April 15, 1996	Advances against Fixed Deposit Receipts issued by other banks	V
DBOD. No. IBS. BC. 54/ 23.61.001/95-96 dated April 18, 1996	Limits on credit exposures to Individual / Group of borrowers	X(e)
DBOD. No. FSC. BC. 55/ 24.76.002/95-96 dated April 18, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 56/ 24.76.002/95-96 dated April 18, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. BP. BC. 57/ 21.04.018/96 dated April 23, 1996	Capital to risk asset ratio (CRAR) - Disclosure in the Notes on Accounts	X(e)
DBOD. No. BP. BC. 58/ 21.02.053/96 dated May 13, 1996	Exemption available to public sector banks from the purview of Section 193 (IIIa) of Income Tax Act, 1961	X(e)
DBOD. No. BC. 59/ 12.06.104/95-96 dated May 15, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Bank Internasional Indonesia"	X(e)
DBOD. No. BP. BC. 60/ 21.03.051/96 dated May 16, 1996	Automated Teller Machines (ATMs)	X(e)
DBOD. No. BP. BC. 61/ 21.03.023/96 dated May 21, 1996	Sanction of advances in excess of discretionary powers	X(e)

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 62/ 24.91.001/95-96 dated May 23, 1996	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III
DBOD. No. BC. 63/ 06.02.01/96 dated May 24, 1996	Minutes of 67th meeting of Official Language Implementation Committee of public sector banks-Action Plan for progressive use of Hindi	XI
DBOD. No. IBS. BC. 64/ 23.61.001/96 dated May 24, 1996	Capital adequacy measures	I
DBOD. No. BP. BC. 65/ 21.04.048/96 dated June 4, 1996	Income recognition, asset classification and provisioning	X(e)
DBOD. No. FSC. BC. 66/ 24.76.002/95-96 dated June 5, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 67/ 24.76.002/95-96 dated June 5, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. BP. BC. 68/ 21.04.018/96 dated June 5, 1996	Accounting standard 11 (Revised)	X(e)
DBOD. No. FSC. BC. 69/ 24.92.001/96 dated June 6, 1996	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Market - Primary Dealers	III
DBOD. No. FSC. BC. 70/ 24.76.002/95-96 dated June 8, 1996	Retailing of Government Securities	IV
DBOD. No. FSC. BC. 71/ 24.76.002/96 dated June 11, 1996	Investment portfolio of banks - Transactions in securities	IV

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. DL. BC. 71A/ 20.16.002/96 dated June 11, 1996	Disclosure of information on defaulting borrowers	VII
DBOD. No. FSC. BC. 72/ 24.76.002/95-96 dated June 12, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 73/ 24.76.002/95-96 dated June 12, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 74/ 24.76.002/95-96 dated June 13, 1996	Marketing of Mutual Fund (M.F.) units by banks	IV
DBOD. No. PSBS. BC. 75/ 16.13.100/96 dated June 14, 1996	Private Sector Banks - Role of Directors and part-time Chairmen	VIII
DBOD. No. BL. BC. 76/ 22.01.001/96 dated June 17, 1996	Proposals under Section 23 of B.R. Act, 1949 - Delegation of administrative powers to Regional Offices of Department of Banking Operations and Development	X(a)
DBOD. No. BC. 77/ 12.01.001/95-96 dated June 18, 1996	Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Consequential changes in interest claims format on revision in the CRR prescription	VI
DBOD. No. BC. 79/ 09.07.001/96 dated June 22, 1996	Meeting of the Standing Committee on Customer Service held on 8th November 1995 - Settlement procedure in respect of fraudulent instruments	X(c)
DBOD. No. FSC. BC. 80/ 24.76.002/96 dated June 22, 1996	Ready Forward Transactions	IV

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. 724/ 09.07.007/96 dated June 22, 1996	Customer Service - Collection of outstation cheques	X(c)
DBOD No BC 81/ 12.06.105/95-96 dated June 24, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Cho Hung Bank"	X(e)
DBOD. No FSC BC 82/ 24 76 002/95-96 dated June 25, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD No. FSC. BC 83/ 24.76.002/95-96 dated June 25, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No Dir. BC. 84/ 13.07.05/96 dated June 26, 1996	Sanctioning of credit facilities to group concerns	X(e)
DBOD. No. BC. 97/ 12.06.106/95-96 dated June 28, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Arab Bangladesh Bank Limited"	X(e)
DBOD No. Dir. BC. 85/ 13.01.09/96 dated June 29, 1996	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 86/ 13.01.09/96 dated June 29, 1996	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	II
DBOD. No. BC. 87/ 12.01.001/96-97 dated July 1, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio - (CRR) (Notification)	VI
DBOD. No. BC. 88/ 12 01.001/96-97 dated July 1, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio - (CRR) (Covering letter)	VI

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 89/ 13.01.01/96 dated July 1, 1996	Interest rates on deposits - (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 90/ 13.01.01/96 dated July 1, 1996	Interest rates on deposits - (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir. BC. 91/ 13.01.01/96 dated July 1, 1996	Interest rates on deposits Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Notification)	II
DBOD. No. Dir. BC. 92/ 13.01.01/96 dated July 1, 1996	Interest rates on deposits Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir. BC. 93/ 13.08.01/96 dated July 1, 1996	Selective Credit Controls - Advances against sensitive commodities - Changes in margin/level of credit (Directive)	VI
DBOD. No Dir. BC. 94/ 13.08.01/96 dated July 1, 1996	Selective Credit Controls - Advances against sensitive commodities - Changes in margin/level of credit (Covering letter)	VI
IECD. No. EFD. 2/ 04.02.01/96-97 dated July 3, 1996	Interest rates for Post-shipment Export Credit on medium and long term basis (Deferred credit for the period beyond 180 days) (Covering letter)	V
DBOD. No. BC. 78/ 13.07.01/96 dated July 3, 1996	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD. No. FSC. BC. 95/ 24.01.013/96 dated July 3, 1996	Scheme for Money Market Mutual Funds - Guidelines	X(b)
DBOD. No. BC. 96/ 12.01.001/96-97 dated July 3, 1996	Bank's lending to Primary Dealers - Netting concept for Reserve Requirements	VI

CIRCULAR NO. & DATE	SUBJECT	SECTION
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 98/ 13.01.04/96 dated July 4, 1996	Rate of interest on advances against term deposits	V
DBOD. No. MC. 2/ 19.06.01/96-97 dated July 15, 1996	Action Plan for Private Sector Banks for the period April 1996 - March 1998	X(e)
DBOD. No. FSC. BC. 99/ 24.76.002/95-96 dated July 23, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 100/ 24.76.002/95-96 dated July 23, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 101/ 24.76.002/96 dated July 25, 1996	Retailing of Government Securities	IV
DBOD. No. BC. 103/ 12.03.001/96 3dated July 1, 1996	Section 26 of Banking Regulation Act, 1949 - Submission of Returns in Form IX - Unclaimed deposits	IX
DBOD. No. FSC. BC. 104/ 24.92.001/96 dated August 2, 1996	Interest rates on deposits (Directive)	III
DBOD. No. FSC. BC. 105/ 24.92.001/96 dated August 2, 1996	Participation in Call/ Notice Money and Term Money Market (Covering letter)	III
DBOD. No. FSC. BC. 106/ 24.76.002/95-96 dated August 2, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 107/ 24.76.002/95-96 dated August 2, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 108/ 24.91.001/96-97 dated August 8, 1996	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BP. BC. 109/ 21.03.053/96 dated August 9, 1996	Certificate of Deposits (CDs)	II
DBOD No FSC. BC. 110/ 24 92.001/96 dated August 10, 1996	Bank Finance for Primary Dealers	IV
DBOD. No. BC 111/ 12 06.108/96 dated August 12, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Fuji Bank Ltd."	X(e)
DBOD. No BC 112/ 12 01.001/96-97 dated August 17, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Relaxation of CRR on Non-Resident (External) Rupee (NRE) Account Scheme	VI
DBOD No. Dir BC. 113/ 13 07 01/96 dated August 24, 1996	Interest rates on advances (Directive)	V
DBOD No Dir BC. 114/ 13 07 01/96 dated August 24, 1996	Lending rates of Regional Rural Banks (Covering letter)	V
DBOD No. MC 15/ 19 06 01/96-97 dated September 4, 1996	Action Plan for Private Sector Banks for the period April 1996 - March 1998	X(e)
DBOD No Dir BC 116/ 13.07.05/96 dated September 6, 1996	Loans and advances against shares/debentures	V
DBOD. No. Dir BC 117/ 13 01 09/96 dated September 7, 1996	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD No Dir. BC. 118/ 13 01 09/96 dated September 7, 1996	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme(Covering letter)	II

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. FSC. BC. 119/ 24.76.002/95-96 dated September 10, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 120/ 24.76.002/95-96 dated September 10, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. BP. BC. 121/ 21.03.038/96 dated September 23, 1996	Calendar of Reviews-Matters to be placed before the Board of Directors and the Management Committee	X(e)
DBOD. No. FSC. BC. 124/ 24.91.001/96-97 dated September 30, 1996	Permission to participate in Call/ Notice Money Market and Bills Rediscounting Scheme - Private Sector Mutual Funds	III
DBOD. No. FSC. BC. 125/ 24.76.002/95-96 dated October 3, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC BC. 126/ 24.76.002/95-96 dated October 3, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 127/ 24.76.002/95-96 dated October 10, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 128/ 24.76.002/95-96 dated October 10, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV
DBOD. No. BC. 130/ 12.04.002/96-97 dated October 14, 1996	T. T. discounting facility - Renewal	X(e)
DBOD. No. Dir. BC. 131/ 13.01.09/96 dated October 17, 1996	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. Dir. BC. 132/ 13.01.09/96 dated October 17, 1996	Interest rates on deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir. BC. 133/ 13.01.01/96 dated October 19, 1996	Interest rates on deposits - (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 134/ 13.01.01/96 dated October 19, 1996	Interest rates on deposits - (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir. BC. 135/ 13.01.01/96 dated October 19, 1996	Interest rates on deposits -Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Notification)	II
DBOD. No. Dir. BC. 136/ 13.01.01/96 dated October 19, 1996	Interest rates on deposits -Capital Gains Accounts Scheme, 1988 (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir. BC. 137/ 13.08.01/96-97 dated October 19, 1996	Selective Credit Controls - Exemptions in respect of advances against sensitive commodities (Directive)	VI
DBOD. No. Dir. 138/ 13.08.01/96-97 dated October 19, 1996	Selective Credit Controls - Exemptions in respect of advances againstsensitive commodities (Covering letter)	VI
DBOD. No. Dir. BC. 139/ 13.07.01/96 dated October 19, 1996	Interest rates on advances - Prime Lending Rate	V
DBOD. No. BC. 140/ 12.01.001/96-97 dated October 19, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Notification)	VI

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BC. 141/ 12.01.001/96-97 dated October 19, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR) (Covering letter)	VI
IECD. No.10/ 04.02.01/96-97 dated October 19, 1996	Interest rates on advances - Post-shipment Rupee Credit (Covering letter)	V
DBOD. No Dir BC. 142/ 13.07 01/96 dated October 19, 1996	Interest rates on advances Post-shipment Rupee Credit (Directive)	V
DBOD. No. Dir. BC. 143/ 13.01.09/96 dated October 22, 1996	Calculations of interest on FCNR(B) deposits (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 144/ 13.01.09/96 dated October 22, 1996	Calculations of interest on FCNR(B) deposits (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir.BC. 145/ 13.07.05/96 dated October 25, 1996	Investment in shares and debentures of corporate bodies	IV
DBOD. No. Dir. BC. 146/ 13.01.09/96 dated November 16, 1996	Interest rates of deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Directive)	II
DBOD. No. Dir. BC. 147/ 13 01.09/96 dated November 16, 1996	Interest rates of deposits held under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme (Covering letter)	II
DBOD. No. Dir. BC. 148/ 13.07.05/96 dated November 18, 1996	Investments in bonds issued by Public Sector Undertakings	IV
DBOD. No. BC. 149/ 12.06.107/96 dated November 20, 1996	Inclusion in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "Chinatrust Commercial Bank"	X(e)

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No.Dir. BC. 150/ 13.07.05/96 dated November 21,1996	Recommendation of the Estimate Committee of the Lok Sabha regarding off-loading of the promoters quota of shares when loans from banks/financial institutions are outstanding	V
DBOD. No. BP. BC. 151/ 21.01.023/96 dated November 26, 1996	Sanction of advances in excess of discretionary powers	X(e)
DBOD. No. BP. BC. 152/ 21.01.002/96 dated November 27, 1996	Capital adequacy measures	I
DBOD. No. FSC. BC. 153/ 24.76.002/96 dated November 29, 1996	Investment portfolio of banks - Transactions in securities	IV
DBOD. No.Dir. BC. 154/ 13.07.05/96 dated November 30, 1996	Loans and advances against shares/debentures	V
DBOD. No. BC. 155/ 09.08.001/96 dated December 5, 1996	Opening of special counters to receive donations	X(e)
DBOD. No. DL. BC. 156/ 20.16.002/96 dated December 6, 1996	Disclosure of information on defaulters	VII
DBOD. No. Dir. BC. 157/ 13.01.09/96 dated December 11, 1996	Renewal of matured FCNR(A) deposits under FCNR(B) scheme/payment of overdue interest on overdue FCNR(A) deposits	II
DBOD. No. FSC. BC. 158/ 24.76.002/95-96 dated December 16, 1996	Ready Forward Transactions (Directive)	IV
DBOD. No. FSC. BC. 159/ 24.76.002/95-96 dated December 16, 1996	Ready Forward Transactions (Covering letter)	IV

Circular No. & Date	Subject	Section
(1)	(2)	(3)
DBOD. No. BP. BC. 161/ 21.03.054/96 dated December 19, 1996	Limits on Credit Exposures to Individuals/Group of borrowers - Advances against security of term deposits	X(e)
DBOD. No. BC. 160/ 12.06.090/96-97 dated December 21, 1996	Alteration in the name of the bank in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 - "The Chase Manhattan Bank N.A." to "The Chase Manhattan Bank"	X(e)
DBOD. No. Dir. BC. 162/ 13.01.09/96 dated December 24, 1996	Conversion of FCNR/NRE accounts of the Returning Indians to RFC accounts - Payment of interest	II
DBOD. No. BP. BC. 163/ 21.04.048/96 dated December 24, 1996	Classification of advances with balances less than Rs. 25,000/-	X(e)
DBOD. No. BC. 164/ 12.01.001/96-97 dated December 26, 1996	Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 - Reduction in Cash Reserve Ratio (CRR)	VI

भाग I

पूंजी, लाभांश, प्रारक्षित निधि

SECTION I

CAPITAL, DIVIDEND, RESERVES

बैंपविवि. सं. बीसी. 60/16.13.100/94-95

19 मई 1995
29 वैशाख 1917 (शक)

अध्यक्ष
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

लाभांश की घोषणा

आपको विदित ही है कि लाभांश के भुगतान के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यह शर्त सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर अभी तक लागू नहीं की गयी है, जिसके कारण स्पष्ट ही हैं। परन्तु जनता को शेयर जारी करने के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के बैंकों की इक्विटी धारिता में होनेवाले परिवर्तनों के संदर्भ में यह आवश्यक समझा गया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भी इस बारे में निजी क्षेत्र के बैंकों को जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अंतर्गत लाया जाये। तदनुसार इस निम्नप्रकार सूचित करते हैं :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लाभांश घोषित करने के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन निम्नलिखित मामलों में आवश्यक नहीं है :

(i) संबंधित बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 के प्रावधानों का पालन किया है।

(ii) प्रस्तावित लाभांश का भुगतान चालू वर्ष के लाभ में से किया जाना है और वह वर्ष के लिए 25 प्रतिशत से अधिक दर पर नहीं है।

DBOD.No.BC.60/16.13.100/94-95

May 19, 1995
Vaisakha 29, 1917 (Saka)

The Chairmen
of all Public Sector Banks

Dear Sir,

DECLARATION OF DIVIDENDS

As you may be aware, private sector banks are required to obtain prior approval of RBI for payment of dividend which stipulation has not been hitherto made applicable to the public sector banks for obvious reasons. However, in the context of the changes envisaged in the holdings of equity of public sector banks consequent upon the issue of shares to the public, it is considered necessary that public sector banks should also be brought under the purview of the guidelines as issued to private sector banks in this regard. Accordingly, we have to advise as under :

a) Reserve Bank's prior approval need not be obtained for declaration of dividend by the public sector banks in the following cases :

i) The bank has complied with the provisions of Section 15 of the Banking Regulation Act, 1949.

ii) The proposed dividend is to be paid out of the current year's profit and is not at a rate higher than 25% for the year.

(iii) संबंधित बैंक ने लाभ को सांविधिक आरक्षित निधि और अपेक्षित प्रावधानों के लिए अंतरण के संबंध में वर्तमान विनियमों/ दिशा-निर्देशों का पालन किया है।

(iv) संबंधित बैंक ने प्रासंगिक वर्ष में उस पर लागू स्तर पर पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण विनियमों का पालन किया है और आय निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण तथा ऋण हानि संबंधी प्रावधानों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का भी पालन किया है।

(ख) लाभांश की घोषणा के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन निम्नलिखित मामलों में आवश्यक होगा :

(i) अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए :

(ii) जहां प्रस्तावित कुल लाभांश वर्ष के लिए 25 प्रतिशत से अधिक की दर पर होगा ;

(iii) जहां ऊपर उप पैरा (क) में उल्लिखित अन्य शर्तें पूरी नहीं की गयी हैं।

2. जहां किसी बैंक ने उपर्युक्त उप पैरा (क) के अनुसार लाभांश घोषित किया है वहां कार्योत्तर आधार पर हमें और साथ ही हमारे क्षेत्रीय कार्यालय (जिसके कार्यक्षेत्र में बैंक आता है) को एक विवरण भेजना होगा, जिसमें संलग्न प्रोफार्मा (देखे अनुबंध) में वित्तीय आंकड़े देने होंगे। यह विवरण बैंक की प्रासंगिक वार्षिक आम बैठक/

iii) The bank has complied with the extant regulations/guidelines in regard to transfer of profits to statutory reserves and setting up of required provisions.

iv) The bank is in compliance with the prudential regulation relating to capital adequacy at level applicable to it in the relevant year and is also in observance of prudential norms on income recognition, asset classification and loan loss provisioning.

b) Prior approval of Reserve Bank for declaration of dividend will be necessary in the following cases :

i) for payment of interim dividend;

ii) where the proposed total dividend will amount to a rate higher than 25% for the year;

iii) where any of the other conditions mentioned in sub-para (a) above are not satisfied.

2. Where a bank has declared dividend in terms of sub-para (a) above, it is required, on a post-facto basis, to send to us as well as to our Regional Office (under whose jurisdiction the bank falls), a statement furnishing financial data as in the proforma enclosed (vide

लाभांश की घोषणा की तारीख से 10 दिन में भेजना होगा।

भवदीय,

(वि. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

Attachment), within 10 days from the date of the relevant Annual General Meeting of the bank/declaration of dividend.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

अनुबंध

(लाभांश की घोषणा के संदर्भ में पूंजी विन्यास, अर्जन, प्रावधान और विनियोजन संबंधी रिपोर्ट का प्रोफार्मा)

रिपोर्ट देनेवाले बैंक का नाम :
(लेखा-परीक्षित खातों पर आधारित वित्तीय बातें)

भाग अ : पूंजी विन्यास संबंधी रिपोर्ट

	(लाख रुपये) निम्नलिखित के अंत में चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
1.	चुकता पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य .....) जारी किये गये/चुकता शेयरों की सं. .....)	

ATTACHMENT

(Proforma of report on Capital structure, earnings, provisions and appropriations in the context of dividend declaration)

Reporting Bank :
(Financials based on audited accounts)

Part A : Report on Capital Structure

		(Rs. in lakhs) As at end of Current year	**Last year**
1.	Paid up capital (face value of share.....) No. of shares issued/ paid up .....)		

2. प्रारक्षित और अधिशेष
(अनुसूची - 1)
(क) सांविधिक प्रारक्षित निधि
(ख) शेयर प्रीमियम की राशि
(ग) अन्य पूंजी प्रारक्षित निधियां
(i)
(ii)
(घ) राजस्व प्रारक्षित निधियां
(i)
(ii)
(iii)
(ङ) लाभ और हानि खाते में शेष

3. पूंजी पर्याप्तता अनुपात
(क) चरण - I की पूंजी का जोखिम आस्तियों से अनुपात (%)
(ख) चरण - II की पूंजी का जोखिम आस्तियों से अनुपात (%)

भाग आ : अर्जन, प्रावधान एवं विनियोजन संबंधी रिपोर्ट

(लाख रुपये)

		निम्नलिखित के अंत में चालू वर्ष	**पिछले वर्ष**
	अर्जित ब्याज		
घटायें	ब्याज व्यय		
1.	शुद्ध ब्याज		
जोड़ें	अन्य आय (अनुसूची 2)		
घटायें	परिचालन-व्यय (अनुसूची 3)		
2.	परिचालन अधिशेष		
घटायें	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (अनुसूची 4 और 4क)		

2. Reserves and Surplus
(Schedule - 1)
(a) Statutory Reserve Fund
(b) Share Premium amount
(c) Other Capital Reserves
(i)
(ii)
(d) Revenue Reserves
(i)
(ii)
(iii)
(e) Balance in P & L A/c

3. Capital adequacy ratio (%)
(a) Tier I Capital to Risk assets (%)
(b) Tier II Capital to Risk assets (%)

Part B : Report on earnings, provisions and appropriations

(Rs. in lakhs)

		As at end of Current year	**Last year**
	Interest earned		
Less	Interest expended		
1.	Net interest income		
Add	Other income (Sch.2)		
Less	Operating expenses (Sch.3)		
2.	Operational surplus		
Less	Provisions & Contingencies (Sch. 4 & 4a)		

3.	कर पूर्व लाभ/(हानि)	3.	Profit before tax/(loss)
घटायें	कर देयता के लिए प्रावधान	Less	Provision for tax liability
4.	शुद्ध लाभ/(हानि)	4.	Net profit/(loss)
जोड़ें/ घटायें	आगे लाया गया लाभ/(हानि)	Add/ Deduct	Profit/(loss) brought forward
5.	विनियोजन और अंतरण के लिए उपलब्ध लाभ	5.	Profit available for appropriations and transfers
	(i) सांविधिक प्रारक्षित निधि को अंतरण		(i) Transfer to Statutory Reserve
	(ii) अन्य प्रारक्षित निधियों को अंतरण		(ii) Transfer to other reserves
	(क)		(a)
	(ख)		(b)
	(ग)		(c)
6.	निपटान योग्य लाभ	6.	Disposable profit
घटायें	प्रस्तावित लाभांश	Less	Proposed dividend
7.	पास रखा गया लाभ	7.	Retained profit
8.	(क) प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस)	8.	(a) Earnings per share (EPS)
	(ख) प्रति शेयर लाभांश		(b) Dividend per share
	(ग) लाभांश दर (%)		(c) Dividend rate (%)

भाग इ : अनुसूचियां

(दोनों वर्षों के आंकड़े दिये जाने हैं) (संदर्भगत प्रोफार्मा वही हैं जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की अनुसूची III में दिये गये हैं)

Part C : Schedules

(Data for both years to be furnished) (Proforma referred to are those given in Schedule III to Banking Regulation Act, 1949.)

टिप्पणियां :

Notes :

अनुसूची-1. जैसा कि तुलनपत्र के अनुबंध2के प्रोफार्मा में है

Schedule-1. As in the porforma of Annexure 2 to Balance Sheet

अनुसूची-2.	जैसा कि लाभ और हानि खाता के अनुबंध 2 के प्रोफार्मा में है	Schedule-2.	As in the proforma of Annexure 2 to Profit & Loss account
अनुसूची-3.	जैसा कि लाभ और हानि खाता के अनुबंध 4 के प्रोफार्मा में है	Schedule-3.	As in the proforma of Annexure 4 to Profit & Loss account
अनुसूची-4.	प्रावधान और आकस्मिकता संबंधी खातों का अलग-अलग ब्यौरा दिया जाना है।	Schedule-4.	Breakup of provisions and contingency accounts to be given
अनुसूची-4क.	**केवल ऋण हानि संबंधी प्रावधान के लिए** निम्नप्रकार ब्यौरे दिये जायें :	Schedule-4a.	For loan loss provision only Give details as under.
	(i) वर्ष के प्रारंभ में शेष		i) Balance at the beginning of the year
जोड़ें	(ii) वर्ष में किये गये प्रावधान	Add	ii) Provisions made during the year
घटायें	(iii) प्रयुक्त प्रावधान	Less	iii) Provisions utilised
जोड़ें	(iv) ऋण जो बट्टे खाते डाले गये थे बाद में वसूल हुए और वापस जमा लिखे गये	Add	iv) Debts written off recovered and credited back.
	(v) वर्ष के अंत में शेष		v) Balance at the end of the year

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 13 /21.01.002/96

8 फरवरी 1996
19 माघ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

पूँजी पर्याप्तता विषयक उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल ही में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बैंकों को टीअर II पूँजी के लिए सक्षम गैरजमानती प्रतिदेय बांडों के रूप में गौण ऋण जारी करने की अनुमति प्रदान की है ताकि वे पूँजी पर्याप्तता विषयक निर्धारित मानदंड प्राप्त कर सकें। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि अन्य बैंकों के गौण ऋणों में बैंकों द्वारा किये गये निवेश कंपनी निकायों के शेयरों एवं डिबेंचरों में किये गये निवेशों पर लागू 5 प्रतिशत की शीर्ष सीमा के अधीन होंगे। हम यह भी सूचित करते हैं कि टीअर II पूँजी के लिए अन्य बैंकों अथवा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी गौण ऋण लिखतों एवं बांडों में किये गये निवेश (कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 44 के अनुसार) 100 प्रतिशत जोखिम भार धारण करेंगे जैसा कि दिनांक 8 फरवरी 1994 के हमारे परिपत्र सं. बीपी. बीसी. 9/21.01.002/94 के पैरा 1 (iii) द्वारा पहले ही सूचित किया गया है।

भवदीय,

(वि. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.BP.BC.13/21.01.002/96

February 8, 1996
Magha 19, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

CAPITAL ADEQUACY MEASURES

Reserve Bank of India has recently permitted some public sector as well as private sector banks to issue subordinated debts in the nature of unsecured redeemable bonds qualifying for Tier II capital to enable them to achieve the prescribed capital adequacy norms. In this connection, it is advised that investments by banks in the subordinated debts of other banks shall be subject to the ceiling of 5 per cent applicable to investments in shares and debentures of corporate bodies. We also advise that investments in subordinated debt instruments and bonds issued by other banks or Public Financial Institutions (vide Section 4A of the Companies Act, 1956) for their Tier II capital will carry 100 per cent risk weight as already advised vide para 1(iii) of our circular No. BP.BC.9/21.01.002/94 dated 8 February 1994.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. आईबीएस. बीसी 64/23.61.001/96

24 मई 1996
3 ज्येष्ठ 1918 (शक)

मुख्य कार्यपालक
भारत में कारोबार करनेवाले सभी विदेशी बैंक

प्रिय महोदय,

पूँजी पर्याप्तता उपाय

कृपया दिनांक 22 अप्रैल 1992 का हमारा परिपत्र सं. बीपी. बीसी. 117/21.01/002/92 देखें। उसमें निहित अनुदेशों के अनुसार, पूँजी निधियों के रूप में शामिल किया जा सकने वाला एक तत्व स्तर I की पूँजी के अंतर्गत भारतीय बहियों में रखी गयी प्रेषणीय अतिरिक्त राशि है जो कि बैंक के भारत में कारोबार करते रहने तक प्रत्यावर्तनीय नहीं है। इस संबंध में कृपया संलग्न फार्मेट में हमें विवरण प्रस्तुत करें ताकि हमें भारत में रखी हुई प्रेषणीय अतिरिक्त राशि का ब्यौरा मिल सके। आप कृपया हमें इस आशय का एक वचन-पत्र भी प्रस्तुत करें (यदि पहले न किया हो तो) कि जब तक आपका बैंक भारत में कारोबार कर रहा है तब तक वह निधियाँ अर्थात् भारत में रखी प्रेषणीय अतिरिक्त राशि, रखे हुए प्रधान कार्यालय के व्यय सहित, यदि कोई हो, स्तर I की पूँजी में शामिल करने के लिए विदेश नहीं भेजेगा और इन निधियों को एक अलग खाते में रखेगा जिसका नाम होगा "पूँजीगत निधियों" के अंतर्गत "सीआरएआर अपेक्षाओं के निर्वाह के लिए भारत में रखी हुई राशि"। इस आशय का लेखा-परीक्षक का एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाय कि कर निर्धारण के समापन के बाद अथवा कर संबंधी अपीलों के निर्णय के बाद ये निधियाँ प्रधान कार्यालय को भेजने हेतु अतिरिक्त निधियाँ हैं और इनमें कर के प्रावधान के रूप में अथवा अन्य किसी आकस्मिक मद के रूप में निधियाँ शामिल नहीं हैं।

DBOD.No.IBS.BC.64/23.61.001/95

May 24, 1996
Jyestha 3, 1918 (Saka)

The Chief Executives of all
foreign banks operating in India

Dear Sir,

CAPITAL ADEQUACY MEASURES

Please refer to our circular DBOD No. BP.BC.117/21.01.002/92 dated 22nd April 1992. As per the instructions contained therein one of the elements which can be included as capital funds is remittable surplus retained in Indian books under Tier I capital, which is not repatriable so long as the bank functions in India. In this connection, please furnish details in the enclosed format to enable us to have the break up of the remittable surplus retained in India. You are also requested to furnish to us, (if not already done), an undertaking to the effect that your bank will not remit abroad the remittable surplus retained in India and included in Tier I capital, as long as the bank functions in India. These funds may be retained in a separate account entitled "Amount retained in India for meeting CRAR requirement" under "Capital Funds". An auditor's certificate to the effect that these funds represent surplus remittable to Head Office once tax assessments are completed or tax appeals are decided and do not include funds in the nature of provisions towards tax or for any other contingency may also be furnished.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान विनियमों के अनुसार, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अधीन, प्रेषणों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त होने तक विदेशी बैंक प्रेषणीय लाभ को सुरक्षित रख सकते हैं।

भवदीय,

(वि. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

2. As per current RBI regulations foreign banks can hedge remittable profits pending RBI approval for remittances, subject to certain conditions laid down by Exchange Control Department. It may please be noted that once the bank treats any part of the remittable profits as capital funds for capital adequacy purposes, these funds cannot be hedged.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

फार्मेट

भारत में रखे लाभ/अतिरिक्त राशि के प्रेषण का विवरण - वर्षवार स्थिति

वर्ष	शुद्ध लाभ	कर के लिए प्रावधान	निर्धारण के बाद अदा किया गया वास्तविक कर	प्र. का. के व्यय	सांविधिक प्रारक्षित निधि में अंतरित राशि	प्रेषणीय अतिरिक्त राशि/प्रेषित राशि, जैसी भी स्थिति हो	पूँजी पर्याप्तता की अपेक्षाओं के लिए भारत में रखी हुई राशि, यदि कोई हो
से पहले के वर्ष							समेकित स्थिति दी जाय
1991 में समाप्त वर्ष *							
31.3.1991 को समाप्त वर्ष							
31.3.1992 को समाप्त वर्ष							
31.3.1993 को समाप्त वर्ष							
31.3.1994 को समाप्त वर्ष							
31.3.1995 को समाप्त वर्ष							
31.3.1996 को समाप्त वर्ष							

** केवल पिछले वर्षों के लिए भारत में रखी अप्रेषित लाभ की स्थिति दर्शायी जाय। अन्य विवरण न दिये जाएँ।*

FORMAT

DETAILS OF REMITTANCE OF PROFIT/SURPLUS RETAINED IN INDIA- YEARWISE POSITION

Year	Net Profit	Prov. for tax	Actual tax paid after assessment	H.O. expenses	Amount transferred to Statutory Reserve	Amount of remittable surplus/amount remitted, as the case may be	Amount retained, if any, in India for capital adequacy requirement
Years prior to Year ended 1991 @							Consolidated position to be given
Year ended 31.3.1991							
Year ended 31.3.1992							
Year ended 31.3.1993							
Year ended 31.3.1994							
Year ended 31.3.1995							
Year ended 31.3.1996							

@ ONLY POSITION OF UNREMITTED PROFIT RETAINED IN INDIA FOR EARLIER YEARS NEED TO BE INDICATED. OTHER DETAILS NEED NOT BE FURNISHED.

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी 152/21.01.002/96

27 नवंबर 1996
6 अग्रहायण 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

पूँजी पर्याप्तता संबंधी उपाय

कृपया आप पूँजी पर्याप्तता संबंधी उपायों के बारे में हमारे 22 अप्रैल 1992 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 117/21.01.002/92 का पैरा 3(ङ) देखें, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि परिपक्वता की प्रारंभिक अवधि 5 वर्ष से कम अथवा एक वर्ष की शेष परिपक्वता अवधि वाले अनुषंगी ऋण लिखतों को स्तर-II की पूँजी के भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और जैसे-जैसे वे परिपक्वता के समीप पहुंचते जायें उन्हें शामिल करने के लिए क्रमिक बट्टा लगाया जाना चाहिए। चूंकि एक और 5 वर्ष के बीच की परिपक्वता अवधि के लिखतों के लिए जानेवाले बट्टे की मात्रा निर्दिष्ट नहीं की गयी है, अत: बताया गया है कि व्यवहार में इस प्रकार के लिखतों पर लगाने जानेवाले बट्टे के बारे में बैंकों में कोई एकरूपता नहीं है। इस मामले की जांच की गयी है और यह स्पष्ट किया जाता है कि स्तर-II की पूँजी में शामिल किये जानेवाले अनुषंगी ऋण लिखतों पर सभी बैंकों द्वारा एकसमान ढंग से निम्नलिखित दरों पर बट्टा लगाया जाए :

DBOD.No.BP.BC.152/21.01.002/96

November 27, 1996
Agrahayana 6, 1918 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

CAPITAL ADEQUACY MEASURES

Please refer to para 3 (e) of our circular DBOD No. BP.BC.117/21.01.002/92 dated 22nd April 1992 on capital adequacy measures wherein banks were advised that subordinated debt instruments with an initial maturity of less than 5 years or with a remaining maturity of one year should not be included as part of the Tier II capital and that they should be subjected to progressive discount for inclusion as they approach maturity. As the quantum of discount to be applied for instruments having maturity between one and five years has not been specified, it has been reported that in practice, there is no uniformity among the banks in the discount applied on such instruments. The matter has been examined and it is clarified that the subordinated debt instruments included in Tier II capital may be subjected to discount at the rates shown below uniformly by all banks.

लिखतों की शेष परिपक्वता अवधि		बट्टे की दर
(क)	एक वर्ष से कम	100%
(ख)	एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष से कम	80%
(ग)	दो वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम	60%
(घ)	तीन वर्ष से अधिक और चार वर्ष से कम	40%
(ङ)	चार वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से कम	20%

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

Remaining Maturity of the Instruments		Rate of Discount
a)	Less than One year	100%
b)	More than One year and less than Two years	80%
c)	More than Two years and less than Three years	60%
d)	More than Three years and less than Four years	40%
e)	More than Four years and less than Five years	20%

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

भाग II

जमाराशि

SECTION II

DEPOSITS

बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 3/13.01.09/94

7 जनवरी 1995
17 पौष 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 16 नवंबर 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 137/13.01.09/94 देखें। यह निर्णय किया गया है कि 9 जनवरी 1995 से, उन वाणिज्य बैंकों के साथ किये गये लेनदेन के लिए जो कि प्राधिकृत व्यापारी हैं, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों के संबंध में ब्याज दरों के निर्धारण को संशोधित किया जाये। ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण केवल नयी जमाराशियों तथा परिपक्व होनेवाली जमाराशियों पर लागू होगा।

2. दिनांक 7 जनवरी 1995 का एक संशोधनात्मक निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 2/13.01.09/95 संलग्न है, जिसमें ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण दर्शाया गया है।

भवदीय,

(यशवंत मार्डीकर)
उप मुख्य अधिकारी

DBOD.No.Dir.BC.3/13.01.09/94

January 7, 1995
Pausha 17, 1916 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

Please refer to our circular DBOD No. DIR.BC.137/13.01.09/94 dated 16 November 1994 on the captioned subject. It has been decided to revise schedule of interest rates relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme, for transactions entered into with commercial banks which are Authorised Dealers, effective from 9 January, 1995. The revised schedule of interest rates will apply only to fresh deposits and on renewal of maturing deposits.

2. An amending directive DBOD No. Dir. BC.2/13.01.09/95 dated 7 January 1995 indicating the revised schedule of interest rates is enclosed.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
Deputy Chief Officer

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 2/13.01.09/94

7 जनवरी 1995
17 पौष 1916 (शक)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित, 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/13.01.09/93 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि 9 जनवरी, 1995 से कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जो विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी है, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत अथवा नवीकृत जमाराशियों पर नीचे विनिर्दिष्ट दरों के सिवाय अन्य दरों पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

DBOD.No.Dir.BC.2/13.01.09/94

January 7, 1995
Pausha 17, 1916 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and in partial modification of the directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993, as amended from time to time, relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme, the Reserve Bank of India, being satisfied that, it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that with effect from 9th January, 1995 no scheduled commercial bank which is an Authorised Dealer in foreign exchange, shall pay interest on deposits accepted by it or renewed by it under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme except in accordance with the rates specified below :

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज - 9 जनवरी 1995 से

परिपक्वता अवधि	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)			
	पौंड स्टर्लिंग	अमेरिकी डालर	ड्यूश मार्क	जापानी येन
(क) 6 महीने और उससे अधिक, किंतु 1 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	5.25	4.50	4.50	2.00
(ख) 1 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 2 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	6.50	6.50	5.00	2.25
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	7.25	7.00	5.75	2.75
(घ) केवल 3 वर्ष की जमाराशियों के लिए	7.50	7.00	6.00	3.25

2. हमारे 11 सितंबर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95/सी. 347 (I) - 86 और 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/13.01.09/93, समय-समय पर यथा संशोधित के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(कुमारी आइ. टी. वाज़)
कार्यपालक निदेशक

Interest on deposits accepted under FCNR (Banks) Scheme with effect from 9th January, 1995

Maturity Period	Rate of Interest (per cent per annum)			
	Pound Sterling	US Dollar	Deut-sche Mark	Japan-ese Yen
(a) For deposits for 6 months and above but less than 1 year	5.25	4.50	4.50	2.00
(b) For deposits for 1 year and above but less than 2 years	6.50	6.50	5.00	2.25
(c) For deposits for 2 years and above but less than 3 years	7.25	7.00	5.75	2.75
(d) For deposits for 3 years only	7.50	7.00	6.00	3.25

2. All other provisions of directive DBOD No. Dir. BC.95/C.347(I)-86 dated 11th September, 1986 and also directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993 as amended from time to time shall remain unchanged.

(Kum. I. T. Vaz)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 7/13.01.01/95

19 जनवरी 1995
29 पौष 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

हमें जानकारी दी गयी है कि कुछ बैंकों ने हमारे अनुदेशों का उल्लंघन करके समान अवधि की देशी सावधि जमाराशियों पर विभिन्न श्रेणियों के ग्राहकों को भिन्न भिन्न ब्याज दरें देने का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में हम आपका ध्यान 27 दिसंबर 1985 के अपने निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 के पैराग्राफ 17 (सी) की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके अनुसार एक ही तारीख को और समान अवधि के लिए स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज दर देने के मामले में बैंक एक जमाराशि और दूसरी जमाराशि के बीच भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे इस तरह की जमाराशियां उसी कार्यालय में स्वीकार की गयी हों अथवा बैंक के भिन्न-भिन्न कार्यालयों में। इसके अतिरिक्त हमारे 21 अप्रैल 1992 के परिपत्र बैंपविवि. सं. 114/13.01.01/92 के पैराग्राफ 3 में बैंकों से कहा गया है कि अलग-अलग बैंक किसी भी समय पर अपनी सभी शाखाओं में और सभी ग्राहकों के लिए एकसमान दरें लगायें।

2. अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि जमाराशि की मात्रा, ग्राहक की मूल्यवत्ता आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को समान अवधि की देशी सावधि जमाराशियों पर भिन्न-भिन्न ब्याज दरें देना बैंकों के लिए नियमानुसार **नहीं** होगा और उन्हें इस संबंध में हमारे अनुदशों का कुशलतापूर्वक पालन करना चाहिए। किसी भी

DBOD.No.Dir.BC.7/13.01.01/95

January 19, 1995
Pausha 29, 1916 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS

It has been brought to our notice that some banks have offered varying rates of interest on domestic term deposits of similar maturities to different categories of customers in violation of our instructions. In this connection we have to draw your attention to paragraph 17 (c) of our directive DBOD. No. Dir. BC. 151/C.347-85 dated 27 December 1985 in terms of which banks are prohibited from discriminating in the matter of rates of interest paid on deposits, between one deposit and another, accepted on the same date and for the same maturity, whether such deposits are accepted at the same office or at different offices of the bank. Further, in paragraph 3 of our circular DBOD No.114/13.01.01/92 dated 21st April 1992, the banks have been advised that, at any point of time, individual banks have to adopt uniform rates at all their branches and for all customers.

2. The banks are, therefore, advised that it would not be in order for them to offer varying rates of interest on domestic term deposits of similar maturities to different type of customers based on consideration of size of deposit, value of customer etc. and that they should scrupulously follow our instructions in this regard. Any violation will

उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अंतर्गत दंड लगाया जा सकता है।

3. कृपया हमें बतायें कि क्या आपके बैंक ने इन अनुदेशों का उल्लंघन करके जमाराशियां स्वीकार की हैं और यदि की हैं तो हमें उनके ब्योरे यथाशीघ्र प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(यशवंत मार्डीकर)
उप मुख्य अधिकारी

be viewed seriously by us and may invite penalty under provisions of the Banking Regulation Act, 1949.

3. Please let us know whether your bank has accepted deposits in violation of these instructions and if so, the details thereof may be furnished to us at an early date.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
Deputy Chief Officer

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 14/13.01.01/95

9 फरवरी 1995
20 माघ 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसंबर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान हमारे गवर्नर के 9 फरवरी 1995 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 142/07.01.279/94-95 की ओर आकर्षित किया जाता है। उसमें बताए गए अनुसार यह निर्णय किया गया है कि 46 दिन से तीन वर्ष और उससे अधिक की अवधि पूर्णतावाली जमा दरों में 10 फरवरी 1995 से 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि करके उसे "11.0

DBOD.No.Dir.BC.14/13.01.01/95

February 9, 1995
Magha 20, 1916 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS

Please refer to our directive DBOD No. BC.151/C.347/85 dated 27December 1985, as amended from time to time. In this connection, attention is invited to our Governor's circular No. CPC. BC.142/ 07.01.279/94-95 dated February 9, 1995. As indicated therein, it has been decided to increase, effective from February 10, 1995, the deposit rates for maturity of 46 days to 3

प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं" कर दिया जाए। जमा दरों का संशोधित विन्यास केवल नयी जमाराशियों और अवधि पूर्ण होनेवाली जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होगा।

2. इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

3. दिनांक 9 फरवरी 1995 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 13/13.01.01/95 संलग्न है।

भवदीय,

(ओ. पी. अग्रवाल)
संयुक्त मुख्य अधिकारी

years and above by 1 percentage point to 'not exceeding 11.0 per cent per annum.' The revised structure of deposit rates will apply only to fresh deposits and on renewals of maturing deposits.

2. All other instructions issued from time to time in this regard will remain unchanged.

3. An amending directive DBOD No. Dir. BC.13/13.01.01/95 dated 9 February 1995 is enclosed.

Yours faithfully,

(O. P. Agarwal)
Joint Chief Officer

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 13/13.01.01/95

9 फरवरी 1995
20 माघ 1916 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसंबर 1985 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक और जनहित में समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश

DBOD.No.Dir.BC.13/13.01.01/95

February 9, 1995
Magha 20, 1916 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of its directive DBOD. No. Dir. BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and

देता है कि उपर्युक्त निदेश का अनुबंध - I संलग्न संशोधित अनुबंध से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. यह संशोधन 10 फरवरी 1995 से लागू होगा।

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

expedient in the public interest so to do, hereby directs that the Annexure-I to the aforesaid directive shall be substituted by the enclosed revised Annexure.

2. The amendment shall be effective from February 10, 1995.

(A. P. Aiyer)
Executive Director

अनुबंध

जमाराशियों पर 10 फरवरी 1995 से लागू ब्याज दर

(अनिवासी जमाराशियों को छोड़कर)

खाते की श्रेणी		(प्रतिशत वार्षिक)
(i)	चालू	शून्य
(ii)	बचत	4.5
(iii)	**सावधि जमाराशियां**	
	46 दिन से तीन वर्ष और उससे अधिक	11.0 प्रतिशत से अधिक नहीं

ANNEXURE

RATE OF INTEREST ON DEPOSITS APPLICABLE WITH EFFECT FROM FEBRUARY 10, 1995

(Excluding Non-resident Deposits)

Category of Account		(Per Cent per annum)
(i)	Current	Nil
(ii)	Savings	4.5
(iii)	**Term Deposits**	
	46 days to three years and above	Not exceeding 11.0

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 16/13.01.01/95

9 फरवरी 1995
20 माघ 1916 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें -
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988

कृपया आप 17 अक्तूबर 1994 की हमारी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी 120/13.01.01/94 देखें, जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू की गयी पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमा की गयी राशियों पर ब्याज दरें बैंकों को सूचित की गयी हैं। हमने इन दरों की समीक्षा की है और संशोधित ब्याज दरों की हमारी 9 फरवरी 1995 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 15/13.01.01/95 संलग्न है। संशोधित ब्याज दरें 10 फरवरी 1995 से लागू होंगी।

इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(ओ. पी. अग्रवाल)
संयुक्त मुख्य अधिकारी

DBOD.No.Dir.BC.16/13.01.01/95

February 9, 1995
Magha 20, 1916 (Saka)

All Public Sector Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS - CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME, 1988

Please refer to our notification DBOD.No.Dir.BC.120/13.01.01/94 dated October 17, 1994 in terms of which the banks were advised of the rates of interest on deposits made under Capital Gains Accounts Scheme 1988, introduced by Government of India. We have reviewed these rates and our notification DBOD No. Dir. BC15/13.01.01/95 dated February 9, 1995 advising the revised rates of interest, is enclosed. The revised rates will come into effect from February 10, 1995.

All other instructions issued from time to time in this regard will remain unchanged.

Yours faithfully,

(O. P. Agarwal)
Joint Chief Officer

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 15/13.01.01/95

9 फरवरी 1995
20 माघ 1916 (शक)

अधिसूचना

**जमाराशियों पर ब्याज दरें -
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क और पूंजी लाभ खाता योजना (कैपिटल गेन्स एकाउंट्स स्कीम), 1988 के पैराग्राफ 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 17 अक्तूबर 1994 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 120/13.01.01/94 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत खाता अ और खाता आ में जमा की गयी राशियों पर बैंकों द्वारा अदा किया जानेवाला ब्याज 9 फरवरी 1995 से निम्नलिखित होगा :

खाते की श्रेणी		(प्रतिशत वार्षिक)
(i)	खाता-अ	4.5
(ii)	खाता-आ	
	46 दिन से तीन वर्ष तक और	11.0 से अधिक
	उससे अधिक के लिए	नहीं

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.Dir.BC.15/13.01.01/95

February 9, 1995
Magha 20, 1916 (Saka)

NOTIFICATION

**INTEREST RATES ON DEPOSITS-
CAPITAL GAINS ACCOUNTS
SCHEME, 1988**

In exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and paragraph 8 of the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 and in modification of its notification DBOD No. Dir. BC.120/ 13.01.01/94 dated October 17, 1994, Reserve Bank of India hereby specifies that the interest paid by the banks on the deposits made in Account A and Account B under the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 shall be as hereunder, effective February 10, 1995.

Category of Account		(Per Cent per annum)
(i)	Account - A	4.5
(ii)	Account - B	Not exceeding
	For 46 days to three	11.0
	years and above	

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 21/13.01.09/95

22 फरवरी 1995
3 फाल्गुन 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना, अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जुटायी गयी जमाराशियों पर दलाली का भुगतान/प्रोत्साहन प्रदान करना

कृपया आप 20 जनवरी 1993 और 9 फरवरी 1993 के हमारे परिपत्र क्रमशः बैंपविवि. सं. बीसी. 69 और 75/13.01.09/93 का अवलोकन करें जिनके अनुसार बैंकों को अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना के अंतर्गत जुटायी गयी जमाराशियों पर दलाली प्रदान करने की अनुमति दी गयी है।

2. उक्त मामले की पुनरीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना के अंतर्गत जुटायी गयी जमाराशियों पर कोई दलाली, कमीशन अथवा प्रोत्साहन प्रदान न किया जाये।
हम यह भी सूचित करते हैं कि विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जुटायी गयी जमाराशियों पर भी कोई दलाली/कमीशन अथवा प्रोत्साहन प्रदान न किया जाये।

DBOD.No.Dir.BC.21/13.01.09/95

February 22, 1995
Phalguna 3, 1916 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

PAYMENT OF BROKERAGE/ OFFERING OF INCENTIVES ON DEPOSITS MOBILISED UNDER FOREIGN CURRENCY NON-RESIDENT ACCOUNTS (BANKS) SCHEME NON-RESIDENT (NON-REPATRIABLE) RUPEE DEPOSIT SCHEME AND NON-RESIDENT (EXTERNAL) RUPEE ACCOUNTS SCHEME

Please refer to our Circulars DBOD.No.BC.69 and 75/13.01.09/93 dated 20 January and 9 February, 1993 respectively, in terms of which banks have been permitted to pay brokerage on the deposits mobilised under Non-resident (External) Rupee Accounts Scheme and Non-resident (Non-repatriable) Rupee Deposit Scheme.

2. On review of the matter, it has been decided that no brokerage, commission or incentives should be paid on deposits mobilised under Non-resident (External) Rupee Accounts Scheme and Non-resident (Non-repatriable) Rupee Deposit Scheme. We further advise that no brokerage/ commission or incentives should be paid also on deposits mobilised under Foreign Currency Non-resident Accounts (Banks) Scheme.

3. उपर्युक्त अनुदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क के अंतर्गत जारी किये गये हैं।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
अपर मुख्य अधिकारी

3. The above instructions are issued under Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Additional Chief Officer

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 26/13.01.01/95

6 मार्च 1995
15 फाल्गुन 1916 (शक)

मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में भाग लेने के लिए अनुमतिप्राप्त सभी वाणिज्य बैंक तथा अन्य संस्थायें (अनुबंध के अनुसार)

प्रिय महोदय,

मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में सहभागिता

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारे निदेश, 27 दिसम्बर 1985 का डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 और 29 जनवरी 1991 का डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 76/सी. 347-91, देखें।

2. इस बीच यह निर्णय किया गया है कि बीओबी पारस्परिक निधि को मांग मुद्रा बाज़ार (रात भर के लिए मांग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधि के लिए अल्पसूचना

DBOD.No.Dir.BC.26/13.01.01/95

March 6, 1995
Phalguna 15, 1916 (Saka)

All Commercial Banks and Other Institutions permitted to participate in Call/Notice Money Market (as per Annexure)

Dear Sir,

PARTICIPATION IN THE CALL MONEY MARKET

Please refer to our directive DBOD.No.Dir.BC.151/C-347-85 dated 27th December 1985 and DBOD No. Dir. BC.76/ C-347-91 dated January 29, 1991 on the above subject.

2. It has since been decided to permit BOB Mutual Fund to participate in the call/ notice money market (overnight call money

मुद्रा) में ऋणदाता के रूप में तत्काल प्रभाव से भाग लेने की अनुमति दी जाये।

3. मांग मुद्रा बाज़ार के संस्थागत सहभागियों ने यदि भारतीय रिज़र्व बैंक से अल्पावधि उधार लिए होंगे तो उन्हें मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में ऋण देने की अनुमति नहीं होगी।

4. दिनांक 6 मार्च 1995 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 25/13.01.01/95 संलग्न है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश अग्रवाल)
संयुक्त मुख्य अधिकारी

and short notice money for periods upto and including 14 days) **as a lender,** with immediate effect.

3. Institutional participants in the call money market would not be allowed to lend in the call/notice money market, if they have short-term borrowings from the the Reserve Bank of India.

4. An amending directive DBOD No. Dir. BC.25/13.01.01/95 dated March 6, 1995 is enclosed.

Yours faithfully,

(O. P. Agarwal)
Joint Chief Officer

अनुबंध

मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में भाग के लिए अनुमत संस्थाओं की सूची

(अ) मांग/सूचना, मुद्रा बाज़ार तथा सावधि मुद्रा बाज़ार में ऋणदाता और ऋणकर्ता दोनों के रूप में भाग लेने के लिए अनुमत

1. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
2. सहकारी बैंक
3. भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि.
4. भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.

ANNEXURE

List of Institutions permitted to participate in the Call/Notice Money Market

(A) Permitted to participate in the call/ notice money market and term money market both as lenders and borrowers

1. All scheduled commercial banks
2. Co-operative banks
3. Discount and Finance House of India Ltd.
4. Securities Trading Corporation of India Ltd.

(आ) मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में केवल ऋणदाता के रूप में भाग लेने के लिए अनुमत

1. भारतीय जीवन बीमा निगम
2. भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3. भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाएं
4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
6. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.
7. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक
8. भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम लि.
9. भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक निधि (म्युच्युअल फंड)
10. केनबैंक पारस्परिक निधि
11. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
12. राष्ट्रीय आवास बैंक
13. भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश कंपनी लि.
14. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.
15. भारतीय निर्यात-आयात बैंक
16. भारतीय जीवन बीमा पारस्परिक निधि
17. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
18. बैंक ऑफ इंडिया पारस्परिक निधि
19. इंडियन बैंक पारस्परिक निधि
20. पीएनबी पारस्परिक निधि
21. साधारण बीमा निगम पारस्परिक निधि
22. बीओबी पारस्परिक निधि

(B) Permitted to participate in the call/ notice money market only as lenders

1. Life Insurance Corporation of India
2. Unit Trust of India
3. General Insurance Corporation of India and its subsidiaries
4. Industrial Development Bank of India
5. National Bank for Agriculture and Rural Development
6. Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.
7. Industrial Reconstruction Bank of India
8. Export Credit and Guarantee Corporation of India Ltd.
9. SBI Mutual Fund
10. Canbank Mutual Fund
11. Industrial Finance Corporation of India
12. National Housing Bank
13. Shipping Credit and Investment Company of India Ltd.
14. Tourism Finance Corporation of India Ltd.
15. Export - Import Bank of India
16. LIC Mutual Fund
17. Small Industries Development Bank of India
18. BOI Mutual Fund
19. Indian Bank Mutual Fund
20. PNB Mutual Fund
21. GIC Mutual Fund
22. BOB Mutual Fund

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 25/13.01.01/95

6 मार्च 1995
15 फाल्गुन 1916 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 के इसके निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 को नीचे लिखे गये ढंग से 6 मार्च 1995 से संशोधित किया जाये। पैराग्राफ 15, "छूट" में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :

"(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाओं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि., भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम लि., भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक निधि (म्युच्युअल फंड), केनबैंक पारस्परिक निधि, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश कंपनी लि., भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि., भारतीय निर्यात-आयात बैंक, भारतीय जीवन बीमा पारस्परिक निधि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, बीओआइ पारस्परिक निधि, इंडियन बैंक पारस्परिक निधि, पीएनबी पारस्परिक निधि, साधारण बीमा निगम पारस्परिक निधि, बीओबी पारस्परिक निधि से अधिकतम 14 दिन की अवधि लिए, जो मांग और अल्प सूचना मुद्रा की द्योतक हैं, और"

DBOD.No.Dir.BC.25/13.01.01/95

March 6, 1995
Phalguna 15, 1916 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that its directive DBOD No. Dir. BC.151/C-347-85 dated 27th December 1985 as amended from time to time, shall be modified in the manner set out below with effect from 6th March 1995. In paragraph 15, Exemptions, Clause (c) shall be substituted by the following :

"(c) for a period not exceeding 14 days from the Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, General Insurance Corporation of India and its subsidiaries, Industrial Development Bank of India, National Bank for Agricultural and Rural Development, Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd., Industrial Reconstruction Bank of India, Export Credit and Guarantee Corporation of India Ltd., SBI Mutual Fund, Canbank Mutual Fund, Industrial Finance Corporation of India, National Housing Bank, Shipping Credit and Investment Company of India Ltd.,Tourism Finance Corporation of India Ltd., Export-Import Bank of India, LIC Mutual Fund, Small Industries Development Bank of India, BOI Mutual Fund, Indian Bank Mutual Fund, PNB Mutual Fund, GIC Mutual Fund and BOB Mutual Fund representing money at call or short notice, and"

समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 के अन्य उपबन्ध यथावत् रहेंगे।

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

The other provisions of the directive DBOD No. Dir. BC.151/C-347-85 dated 27th December 1985, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 41/13.01.09/95

6 अप्रैल 1995
16 चैत्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता बैंक योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 7 जनवरी 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि सं. डीआइआर. बीसी. 3/13.01.09/95 देखें। यह निर्णय किया गया है कि 7 अप्रैल 1995 से, उन वाणिज्य बैंकों के साथ किये गये लेनदेन के लिए जो कि प्राधिकृत व्यापारी हैं, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों के संबंध में ब्याज दरों के निर्धारण को संशोधित किया जाये। ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण केवल नयी जमाराशियों तथा परिपक्व होनेवाली जमाराशियों पर लागू होगा।

DBOD.No.Dir.BC.41/13.01.09/95

April 6, 1995
Chaitra 16, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC.3/13.01.09/95 dated January 7, 1995 on the captioned subject. It has been decided to revise schedule of interest rates relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme, for transactions entered into with commercial banks which are Authorised Dealers, effective April 7, 1995. The revised schedule of interest rates will apply only to fresh deposits and on renewals of maturing deposits.

2. दिनांक 6 अप्रैल 1995 का एक संशोधनात्मक निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर बीसी. 40/13.01.09/95 संलग्न है, जिसमें ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण दर्शाया गया है।

भवदीय,

(यशवंत मार्डीकर)
उप मुख्य अधिकारी

2. An amending directive DBOD No. Dir. BC.40/13.01.09/95 dated April 6, 1995 indicating the revised schedule of interest rates is enclosed.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
Deputy Chief Officer

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 40/13.01.09/95

6 अप्रैल 1995
16 चैत्र 1917 (शक)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित, 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी 115/13.01.09/93 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि 7 अप्रैल 1997 से कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जो विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी है, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत

DBOD.No.Dir.BC.40/13.01.09/95

April 6, 1995
Chaitra 16, 1917 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and in partial modification of the directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993, as amended from time to time, relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme, the Reserve Bank of India, being satisfied that, it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that with effect from 7th April, 1995 no scheduled commercial

स्वीकृत अथवा नवीकृत जमाराशियों पर नीचे विनिर्दिष्ट दरों के सिवाय अन्य दरों पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

bank which is an Authorised Dealer in foreign exchange, shall pay interest on deposits accepted by it or renewed by it under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme except in accordance with the rates specified below :

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज 7 अप्रैल 1995 से

परिपक्वता अवधि	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)			
	पौंड स्टर्लिंग	अमेरिकी डालर	ड्यूश मार्क	जापानी येन
(क) 6 महीने और उससे अधिक, किंतु 1 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	5.25	4.50	4.50	1.75
(ख) 1 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 2 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	7.00	6.50	5.00	2.00
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	7.75	7.00	5.75	2.50
(घ) केवल 3 वर्ष की जमाराशियों के लिए	8.00	7.00	6.00	3.00

Interest on deposits accepted under FCNR (Banks) Scheme with effect from 7th April, 1995

Maturity Period	Rate of Interest (per cent per annum)			
	Pound Sterling	US Dollar	Deutsche Mark	Japanese Yen
(a) For deposits for 6 months and above but less than 1 year	5.25	4.50	4.50	1.75
(b) For deposits for 1 year and above but less than 2 years	7.00	6.50	5.00	2.00
(c) For deposits for 2 years and above but less than 3 years	7.75	7.00	5.75	2.50
(d) For deposits for 3 years only	8.00	7.00	6.00	3.00

2. हमारे 11 सितम्बर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95/सी. 347 (I) - 86 और 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/13.01.09/93, समय-समय पर यथा संशोधित के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(ओ. पी. सोढ़ानी)
कार्यपालक निदेशक

2. All other provisions of directive DBOD No. Dir. BC.95/C.347(I)-86 dated 11th September, 1986 and also directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993 as amended from time to time shall remain unchanged.

(O. P. Sodhani)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 46/13.01.01/95

17 अप्रैल 1995
27 चैत्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसम्बर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान हमारे गवर्नर के 17 अप्रैल 1995 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 144/07.01.279/94-95 के पैरा 14(क) की ओर आकर्षित किया जाता है। उसमें बताए गए अनुसार यह निर्णय किया गया है कि 46 दिन से तीन वर्ष और उससे अधिक की अवधि पूर्णतावाली जमा दरों में 18 अप्रैल 1995 से 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि करके उसे "12.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं" कर दिया जाये। जमा दरों का संशोधित विन्यास केवल नयी जमाराशियों और अवधि पूर्ण होनेवाली जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होगा।

DBOD.No.Dir.BC.46/13.01.01/95

April 17, 1995
Chaitra 27, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS

Please refer to our directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985, as amended from time to time. In this connection, attention is invited to paragraph 14(a) of our Governor's circular No. CPC.BC.144/07.01.279/94-95 dated April 17, 1995. As indicated therein, it has been decided to increase, effective from April 18, 1995, the deposit rates for maturity of 46 days to 3 years and above by 1 percentage point to 'not exceeding 12.0 per cent per annum'. The revised structure of deposit rates will apply only to fresh deposits and on renewals of maturing deposits.

2. इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

3. दिनांक 17 अप्रैल 1995 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 45/13.01.01/95 संलग्न है।

भवदीय,

(ओ. पी. अग्रवाल)
संयुक्त मुख्य अधिकारी

2. All other instructions issued from time to time in this regard will remain unchanged.

3. An amending directive DBOD No. Dir. BC.45/13.01.01/95 dated April 17, 1995 is enclosed.

Yours faithfully,

(O. P. Agarwal)
Joint Chief Officer

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 45/13.01.01/95

17 अप्रैल 1995
27 चैत्र 1917 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151/ सी. 347-85 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक और जनहित में समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश का अनुबंध - I संलग्न संशोधित अनुबंध से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

DBOD.No.Dir.BC.45/13.01.01/95

April 17, 1995
Chaitra 27, 1917 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and in modification of its directive DBOD No. Dir. BC.151/ C.347-85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the Annexure-I to the aforesaid directive shall be substituted by the enclosed revised Annexure.

2. यह संशोधन 18 अप्रैल 1995 से लागू होगा।

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

अनुबंध

जमाराशियों पर 18 अप्रैल 1995 से लागू ब्याज दर

(अनिवासी जमाराशियों को छोड़कर)

	खाते की श्रेणी	**(प्रतिशत वार्षिक)**
(i)	चालू	शून्य
(ii)	बचत	4.5
(iii)	**सावधि जमाराशियां**	
	46 दिन से तीन वर्ष और उससे अधिक	12.0 प्रतिशत से अधिक नहीं

2. The amendment shall be effective from April 18, 1995.

(A. P. Aiyer)
Executive Director

ANNEXURE

RATE OF INTEREST ON DEPOSITS APPLICABLE WITH EFFECT FROM APRIL 18, 1995

(Excluding Non-resident Deposits)

	Category of Account	**(Per Cent per annum)**
(i)	Current	Nil
(ii)	Savings	4.5
(iii)	**Term Deposits**	
	46 days to three years and above	Not exceeding 12.0

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 48/13.01.01/95

17 अप्रैल 1995
27 चैत्र 1917 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

**जमाराशियों पर ब्याज दरें -
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988**

कृपया आप 9 फरवरी 1995 की हमारी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी 15/13.01.01/95 देखें, जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू की गयी पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमा की गयी राशियों पर ब्याज दरें बैंकों को सूचित की गयी हैं। हमने इन दरों की समीक्षा की है और संशोधित ब्याज दरों की हमारी 17 अप्रैल 1995 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 47/13.01.01/95 संलग्न है। संशोधित ब्याज दरें 18 अप्रैल 1995 से लागू होंगी।

इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(ओ. पी. अग्रवाल)
संयुक्त मुख्य अधिकारी

DBOD.No.Dir.BC.48/13.01.01/95

**April 17, 1995
Chaitra 27, 1917 (Saka)**

All Public Sector Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS-CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME 1988

Please refer to our notification DBOD No. Dir. BC.15/13.01.01/95 dated February 9, 1995 in terms of which the banks were advised of the rates of interest on deposits made under Capital Gains Accounts Scheme 1988, introduced by Government of India. We have reviewed these rates and our notification DBOD No. Dir. BC.47/13.01.01/95 dated April 17, 1995 advising the revised rates of interest, is enclosed. The revised rates will come into effect from April 18, 1995.

All other instructions issued from time to time in this regard will remain unchanged.

Yours faithfully,

(O. P. Agarwal)
Joint Chief Officer

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 47/13.01.01/95

17 अप्रैल 1995
27 चैत्र 1917 (शक)

अधिसूचना

जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क और पूंजी लाभ खाता योजना (कैपिटल गेन्स एकाउंट्स स्कीम), 1988 के पैराग्राफ 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 9 फरवरी 1995 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 15/13.01.01/95 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत खाता अ और खाता आ में जमा की गयी राशियों पर बैंकों द्वारा अदा किया जानेवाला ब्याज 18 अप्रैल 1995 से निम्नलिखित होगा :

खाते की श्रेणी		(प्रतिशत वार्षिक)
(i)	खाता-अ	4.5
(ii)	खाता-आ	
	46 दिन से तीन वर्ष तक और उससे अधिक के लिए	12.0 से अधिक नहीं

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.Dir.BC.47/13.01.01/95

April 17, 1995
Chaitra 27, 1917 (Saka)

NOTIFICATION

INTEREST RATES ON DEPOSITS-CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME - 1988

In exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and paragraph 8 of the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 and in modification of its notification DBOD No. Dir. BC.15/ 13.01.01/95 dated February 9, 1995, Reserve Bank of India hereby specifies that the interest paid by the banks on the deposits made in Account A and Account B under the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 shall be as hereunder, effective April 18, 1995.

Category of Account		(Per Cent per annum)
(i)	Account - A	4.5
(ii)	Account - B	Not exceeding
	For 46 days to three years and above	12.0

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 56/13.01.01/95

27 अप्रैल 1995
7 वैशाख 1917 (शक)

मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में भाग लेने के लिए अनुमतिप्राप्त सभी वाणिज्य बैंक तथा अन्य संस्थाएं (अनुबंध के अनुसार)

प्रिय महोदय,

मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में सहभागिता

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारे निदेश, 27 दिसम्बर 1985 का डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 और 6 मार्च 1995 का डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 25/13.01.01/95, देखें।

2. इस बीच यह निर्णय किया गया है कि आइडीबीआइ पारस्परिक निधि को मांग मुद्रा बाज़ार (रात भर के लिए मांग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधि के लिए अल्पसूचना मुद्रा) में ऋणदाता के रूप में तत्काल प्रभाव से भाग लेने की अनुमति दी जाये।

3. मांग मुद्रा बाज़ार के संस्थागत सहभागियों ने यदि भारतीय रिज़र्व बैंक से अल्पावधि उधार लिए होंगे तो उन्हें मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में ऋण देने की अनुमति नहीं होगी।

DBOD.No.Dir.BC.56/13.01.01/95

April 27, 1995
Vaishakha 7, 1917 (Saka)

All Commercial Banks and Other Institutions permitted to participate in Call/Notice Money Market (as per Annexure)

Dear Sir,

PARTICIPATION IN THE CALL MONEY MARKET

Please refer to our directive DBOD.No.Dir.BC.151/C-347-85 dated 27th December 1985 and DBOD No. Dir. BC.25/ 13.01.01 dated March 6, 1995 on the above subject.

2. It has since been decided to permit IDBI Mutual Fund to participate in the call/ notice money market (overnight call money and short notice money for periods upto and including 14 days) **as a lender,** with immediate effect.

3. Institutional participants in the call money market would not be allowed to lend in the call/notice money market, if they have short-term borrowings from the the Reserve Bank of India.

4. दिनांक 27 अप्रैल 1995 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 55/13.01.01/95 संलग्न है।

भवदीय,

(यशवंत मार्डीकर)
उप महा प्रबंधक

4. An amending directive DBOD No. Dir. BC.55/13.01.01/95 dated April 27, 1995 is enclosed.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
Deputy General Manager

अनुबंध

मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में भाग के लिए अनुमत संस्थाओं की सूची

(अ) मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार तथा सावधि मुद्रा बाज़ार में ऋणदाता और ऋणकर्ता दोनों के रूप में भाग लेने के लिए अनुमत

1. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
2. सहकारी बैंक
3. भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि.
4. भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.

(आ) मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में केवल ऋणदाता के रूप में भाग लेने के लिए अनुमत

1. भारतीय जीवन बीमा निगम
2. भारतीय यूनिट ट्रस्ट

ANNEXURE

List of Institutions permitted to participate in the Call/Notice Money Market

(A) Permitted to participate in the call/ notice money market and term money market both as lenders and borrowers

1. All scheduled commercial banks
2. Co-operative banks
3. Discount and Finance House of India Ltd.
4. Securities Trading Corporation of India Ltd.

(B) Permitted to participate in the call/ notice money market only as lenders

1. Life Insurance Corporation of India
2. Unit Trust of India

3. भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाएं
4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
6. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.
7. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक
8. भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम लि.
9. भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक निधि (म्युच्युअल फंड)
10. केनबैंक पारस्परिक निधि
11. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
12. राष्ट्रीय आवास बैंक
13. भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश कंपनी लि.
14. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.
15. भारतीय निर्यात-आयात बैंक
16. भारतीय जीवन बीमा पारस्परिक निधि
17. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
18. बीओआइ पारस्परिक निधि
19. इंडियन बैंक पारस्परिक निधि
20. पीएनबी पारस्परिक निधि
21. साधारण बीमा निगम पारस्परिक निधि
22. बीओबी पारस्परिक निधि
23. आइडीबीआइ पारस्परिक निधि

3. General Insurance Corporation of India and its subsidiaries
4. Industrial Development Bank of India
5. National Bank for Agriculture and Rural Development
6. Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.
7. Industrial Reconstruction Bank of India
8. Export Credit and Guarantee Corporation of India Ltd.
9. SBI Mutual Fund
10. Canbank Mutual Fund
11. Industrial Finance Corporation of India
12. National Housing Bank
13. Shipping Credit and Investment Company of India Ltd.
14. Tourism Finance Corporation of India Ltd.
15. Export - Import Bank of India
16. LIC Mutual Fund
17. Small Industries Development Bank of India
18. BOI Mutual Fund
19. Indian Bank Mutual Fund
20. PNB Mutual Fund
21. GIC Mutual Fund
22. BOB Mutual Fund
23. IDBI Mutual Fund

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 55/13.01.01/95

27 अप्रैल 1995
7 वैशाख 1917 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दर

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 के इसके निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 को नीचे लिखे गये ढंग से 27 अप्रैल 1995 से संशोधित किया जाये। पैराग्राफ 15, "छूट" में खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा:

"(ग) भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाओं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि., भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम लि., भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक निधि (एसबीआइ म्युच्युअल फंड), केनबैंक पारस्परिक निधि, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश कंपनी लि., भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि., भारतीय निर्यात-आयात बैंक, भारतीय जीवन बीमा पारस्परिक निधि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, बीओआइ पारस्परिक निधि, इंडियन बैंक पारस्परिक निधि, पीएनबी पारस्परिक निधि, साधारण बीमा निगम पारस्परिक निधि, बीओबी पारस्परिक निधि, आइडीबीआइ पारस्परिक निधि से अधिकतम 14 दिन की अवधि लिए, जो मांग और अल्प सूचना मुद्रा की द्योतक हैं, और"

DBOD.No.Dir.BC.55/13.01.01/95

April 27, 1995
Vaishakha 7, 1917 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that its directive DBOD No. Dir. BC.151/C-347-85 dated 27th December 1985 as amended from time to time, shall be modified in the manner set out below with effect from 27th April 1995. In paragraph 15, Exemptions, Clause (c) shall be substituted by the following :

"(c) for a period not exceeding 14 days from the Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, General Insurance Corporation of India and its subsidiaries, Industrial Development Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd., Industrial Reconstruction Bank of India, Export Credit and Guarantee Corporation of India Ltd., SBI Mutual Fund, Canbank Mutual Fund, Industrial Finance Corporation of India, National Housing Bank, Shipping Credit and Investment Company of India Ltd., Tourism Finance Corporation of India Ltd., Export-Import Bank of India, LIC Mutual Fund, Small Industries Development Bank of India, BOI Mutual Fund, Indian Bank Mutual Fund, PNB Mutual Fund, GIC Mutual Fund, BOB Mutual Fund and IDBI Mutual Fund representing money at call or short notice, and"

समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी 151/सी. 347-85 के अन्य उपबन्ध यथावत् रहेंगे।

The other provisions of the directive DBOD No. Dir. BC.151/C-347-85 dated 27th December 1985, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 63/13.01.09/95

27 मई 1995
6 ज्येष्ठ 1917 (शक)

DBOD.No.Dir.BC.63/13.01.09/95

May 27, 1995
Jyestha 6, 1917 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 6 अप्रैल 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि सं. डीआइआर. बीसी. 41/13.01.09/95 देखें। यह निर्णय किया गया है कि 29 मई 1995 से, उन वाणिज्य बैंकों के साथ किये गये लेनदेन के लिए जो कि प्राधिकृत व्यापारी हैं, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों के संबंध में ब्याज दरों के निर्धारण को संशोधित किया जाये। ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण केवल नयी जमाराशियों तथा परिपक्व होनेवाली जमाराशियों पर लागू होगा।

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC.41/13.01.09/95 dated April 6, 1995 on the captioned subject. It has been decided to revise schedule of interest rates relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme, for transactions entered into with commercial banks which are Authorised Dealers, effective May 29, 1995. The revised schedule of interest rates will apply only to fresh deposits and on renewals of maturing deposits.

2. दिनांक 27 मई 1995 का एक संशोधनात्मक निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 62/13.01.09/95 संलग्न है, जिसमें ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण दर्शाया गया है।

भवदीय,

(यशवंत मार्डीकर)
उप महाप्रबंधक

2. An amending directive DBOD No. Dir. BC.62/13.01.09/95 dated May 27, 1995 indicating the revised schedule of interest rates is enclosed.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
Deputy General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 62/13.01.09/95

27 मई 1995
6 ज्येष्ठ 1917 (शक)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित, 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी 115/13.01.09/93 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि 29 मई 1995 से कोई अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जो विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी है, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत

DBOD.No.Dir.BC.62/13.01.09/95

May 27, 1995
Jyestha 6, 1917 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and in partial modification of the directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993, as amended from time to time, relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme, the Reserve Bank of India, being satisfied that, it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that with effect from 29th May, 1995 no scheduled commercial

स्वीकृत अथवा नवीकृत जमाराशियों पर नीचे विनिर्दिष्ट दरों के सिवाय अन्य दरों पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

bank which is an Authorised Dealer in foreign exchange, shall pay interest on deposits accepted by it or renewed by it under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme except in accordance with the rates specified below :

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज 29 मई 1995 से

परिपक्वता अवधि	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)			
	पौंड स्टर्लिंग	अमेरिकी डालर	ड्यूश मार्क	जापानी येन
(क) 6 महीने और उससे अधिक, किंतु 1 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	5.25	4.50	4.50	1.00
(ख) 1 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 2 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	7.00	6.50	5.00	1.25
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	7.75	7.00	5.75	1.75
(घ) केवल 3 वर्ष की जमाराशियों के लिए	8.00	7.00	6.00	2.25

Interest on deposits accepted under FCNR (Banks) Scheme with effect from 29th May, 1995

Maturity Period	Rate of Interest (per cent per annum)			
	Pound Sterling	US Dollar	Deut-sche Mark	Japan-ese Yen
(a) For deposits for 6 months and above but less than 1 year	5.25	4.50	4.50	1.00
(b) For deposits for 1 year and above but less than 2 years	7.00	6.50	5.00	1.25
(c) For deposits for 2 years and above but less than 3 years	7.75	7.00	5.75	1.75
(d) For deposits for 3 years only	8.00	7.00	6.00	2.25

2. हमारे 11 सितम्बर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95 सी. 347 (I) - 86 और 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/ 13.01.09/93, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 71/13.01.09/95

8 जुलाई 1995
17 आषाढ़ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता बैंक योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याजदरें

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 मई 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि सं. डीआइआर. बीसी. 63/13.01.09/95 देखें। यह निर्णय किया गया है कि 10 जुलाई 1995 से, उन वाणिज्य बैंकों के साथ किये गये लेनदेन के लिए जो कि प्राधिकृत व्यापारी हैं, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों के संबंध में ब्याज दरों के निर्धारण को संशोधित किया जाये। ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण केवल नयी जमाराशियों तथा परिपक्व होनेवाली जमाराशियों पर लागू होगा।

2. All other provisions of directive DBOD No. Dir. BC.95/C.347(I)-86 dated 11th September, 1986 and also directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993 as amended from time to time shall remain unchanged.

(A. P. Aiyer)
Executive Director

DBOD.No.Dir.BC.71/13.01.09/95

July 8, 1995
Aashadha 17, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC.63/13.01.09/95 dated May 27, 1995 on the captioned subject. It has been decided to revise schedule of interest rates relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme, for transactions entered into with commercial banks which are Authorised Dealers, effective July 10, 1995. The revised schedule of interest rates will apply only to fresh deposits and on renewals of maturing deposits.

2. दिनांक 8 जुलाई 1995 का एक संशोधनात्मक निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 70/13.01.09/95 संलग्न है, जिसमें ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण दर्शाया गया है।

भवदीय,

(यशवंत मार्डीकर)
उप महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 70/13.01.09/95

8 जुलाई 1995
17 आषाढ़ 1917 (शक)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित, 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी 115/13.01.09/93 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि 10 जुलाई 1995 से कोई अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जो विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी है, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के

2. An amending directive DBOD No. Dir. BC.70/13.01.09/95 dated July 8, 1995 indicating the revised schedule of interest rates is enclosed.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
Deputy General Manager

DBOD.No.Dir.BC.70/13.01.09/95

July 8, 1995
Aashadha 17, 1917 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and in partial modification of the directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993, as amended from time to time, relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme, the Reserve Bank of India, being satisfied that, it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that with effect from 10th July, 1995 no scheduled commercial

अंतर्गत स्वीकृत अथवा नवीकृत जमाराशियों पर नीचे विनिर्दिष्ट दरों के सिवाय अन्य दरों पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

bank which is an Authorised Dealer in foreign exchange, shall pay interest on deposits accepted by it or renewed by it under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme except in accordance with the rates specified below :

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज 10 जुलाई 1995 से

परिपक्वता अवधि	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)			
	पौंड स्टर्लिंग	अमेरिकी डालर	ड्यूश मार्क	जापानी येन
(क) 6 महीने और उससे अधिक, किंतु 1 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	5.25	4.50	4.00	0.75
(ख) 1 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 2 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	7.00	6.50	5.00	1.25
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	7.75	7.00	5.75	1.75
(घ) केवल 3 वर्ष की जमाराशियों के लिए	8.00	7.00	6.00	2.25

2. हमारे 11 सितम्बर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95 सी. 347 (I) - 86 और 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी.

Interest on deposits accepted under FCNR (Banks) Scheme with effect from 10th July, 1995

Maturity Period	Rate of Interest (per cent per annum)			
	Pound Sterling	US Dollar	Deutsche Mark	Japanese Yen
(a) For deposits for 6 months and above but less than 1 year	5.25	4.50	4.00	0.75
(b) For deposits for 1 year and above but less than 2 years	7.00	6.50	5.00	1.25
(c) For deposits for 2 years and above but less than 3 years	7.75	7.00	5.75	1.75
(d) For deposits for 3 years only	8.00	7.00	6.00	2.25

2. All other provisions of directive DBOD No. Dir. BC.95/C.347(I)-86 dated 11th September, 1986 and also directive

115/13.01.09/93, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(ओ. पी. सोढानी)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 77/13.01.09/95

15 जुलाई 1995
24 आषाढ़ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 8 जुलाई 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि सं. डीआइआर. बीसी. 71/13.01.09/95 देखें। यह निर्णय किया गया है कि 17 जुलाई 1995 से, उन वाणिज्य बैंकों के साथ किये गये लेनदेन के लिए जो कि प्राधिकृत व्यापारी हैं, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों के संबंध में ब्याज दरों के निर्धारण को संशोधित किया जाये। ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण केवल नयी जमाराशियों तथा अवधिपूर्ण होनेवाली जमाराशियों पर लागू होगा।

2. दिनांक 15 जुलाई 1995 का एक संशोधनात्मक निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 76/13.01.09/95

DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993 as amended from time to time shall remain unchanged.

(O. P. Sodhani)
Executive Director

DBOD.No.Dir.BC.77/13.01.09/95

July 15, 1995
Aashadha 24, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC.71/13.01.09/95 dated July 8, 1995 on the captioned subject. It has been decided to revise schedule of interest rates relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme, for transactions entered into with commercial banks which are Authorised Dealers, effective July 17, 1995. The revised schedule of interest rates will apply only to fresh deposits and on renewals of maturing deposits.

2. An amending directive DBOD No. Dir. BC.76/13.01.09/95 dated July 15, 1995

संलग्न है, जिसमें ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण दर्शाया गया है।

भवदीय,

(यशवंत मार्डीकर)
उप महाप्रबंधक

indicating the revised schedule of interest rates is enclosed.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
Deputy General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 76/13.01.09/94

15 जुलाई 1995
24 आषाढ़ 1917 (शक)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित, 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी 115/13.01.09/93 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि 17 जुलाई 1995 से कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जो विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी है, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत अथवा नवीकृत जमाराशियों पर नीचे विनिर्दिष्ट दरों के सिवाय अन्य दरों पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

DBOD.No.Dir.BC.76/13.01.09/95

July 15, 1995
Aashadha 24, 1917 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and in partial modification of the directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993, as amended from time to time, relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme, the Reserve Bank of India, being satisfied that, it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that with effect from 17th July, 1995 no scheduled commercial bank which is an Authorised Dealer in foreign exchange, shall pay interest on deposits accepted by it or renewed by it under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme except in accordance with the rates specified below :

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज 17 जुलाई 1995 से

परिपक्वता अवधि	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)			
	पौंड स्टर्लिंग	अमेरिकी डालर	ड्यूश मार्क	जापानी येन
(क) 6 महीने और उससे अधिक, किंतु 1 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	5.25	4.50	4.00	0.75
(ख) 1 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 2 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	7.00	6.00	5.00	1.25
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	7.75	6.50	5.75	1.50
(घ) केवल 3 वर्ष की जमाराशियों के लिए	8.00	6.50	6.00	2.00

2. हमारे 11 सितम्बर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95 सी. 347 (I) - 86 और 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/ 13.01.09/93, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(ओ. पी. सोढानी)
कार्यपालक निदेशक

Interest on deposits accepted under FCNR (Banks) Scheme with effect from 17th July, 1995

Maturity Period	Rate of Interest (per cent per annum)			
	Pound Sterling	US Dollar	Deutsche Mark	Japanese Yen
(a) For deposits for 6 months and above but less than 1 year	5.25	4.50	4.00	0.75
(b) For deposits for 1 year and above but less than 2 years	7.00	6.00	5.00	1.25
(c) For deposits for 2 years and above but less than 3 years	7.75	6.50	5.75	1.50
(d) For deposits for 3 years only	8.00	6.50	6.00	2.00

2. All other provisions of directive DBOD No. Dir. BC.95/C.347(I)-86 dated 11th September, 1986 and also directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993 as amended from time to time shall remain unchanged.

(O. P. Sodhani)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 105/13.01.01/95-96

29 सितम्बर 1995
7 आश्विन 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसम्बर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान हमारे गवर्नर के 29 सितम्बर 1995 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी 145/07.01.279/95-96 के पैरा 14(क) की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. बैंकों के संसाधनों में वृद्धि करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ताकि वे अपनी उधार और निवेश वचनबद्धताओं को पूरा कर सकें, यह निर्णय किया गया है कि जमाराशियों पर ब्याज दरों के वर्तमान ढांचे को अधिक लचीला बनाया जाये। तदनुसार 1 अक्तूबर 1995 से अनुसूचित वाणिज्य बैंक 2 वर्ष से अधिक की परिपक्वतावाली घरेलू मीयादी जमाराशियों पर और 46 दिन और 2 वर्ष तक की घरेलू मीयादी जमाराशियों पर अपनी स्वयं की ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, उक्त ब्याज दर "12 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं", की मौजूदा दर पर निर्धारित की गयी है। संशोधित घरेलू मीयादी जमा दरें केवल नयी जमाराशियों और परिपक्व जमाराशियों के नवीकरण पर ही लागू होंगी।

3. 2 वर्ष से अधिक की परिपक्वतावाली जमाराशियों पर जमा दरें देने के लिए बैंक अपने संबंधित बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करें। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे मीयादी जमाराशियों की विभिन्न

DBOD.No.Dir.BC.105/13.01.01/95

September 29, 1995
Ashwina 7, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS

Please refer to our directive DBOD No. Dir.BC.151/C.347/85 dated 27 December 1985, as amended from time to time. In this connection, attention is invited to paragraph 14(a) of our Governor's circular No. CPC.BC.145/07.01.279/95-96 dated September 29, 1995.

2. Keeping in view of the need to increase the resources of banks to enable them to meet their lending and investment commitments, it has been decided to make the present structure of interest rates on deposits more flexible. Accordingly with effect from October 1, 1995, scheduled commercial banks are free to fix their own interest rates on domestic term deposits with a maturity of over 2 years and on domestic term deposits of 46 days and upto 2 years, the interest rate is prescribed at the existing rate of 'not exceeding 12.0 per cent per annum.' The revised domestic term deposit rates will apply only to fresh deposits and on renewals of maturing deposits.

3. Banks should obtain the approval of their respective Boards for the deposit rates they will be offering on deposits of maturity of over 2 years. Banks are advised to use

परिपक्वताओं पर ब्याज दरें देने में पूरी सावधानी बरतें और वे यह सुनिश्चित करें कि वे काफी लम्बी परिपक्वता अवधियों वाली जमाराशि में नहीं फंसें और इस संबंध में समग्र आस्ति-देयता परिपक्वता असंगतियाँ सुनिश्चित करने के लिए बैंक उनकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। किसी भी समय, अलग-अलग बैंक अपनी अपनी सभी शाखाओं और सभी ग्राहकों के लिए एकसमान दरें अपनायें।

4. अप्रैल 1992 में यह शर्त लगायी गयी थी कि जमाराशियों पर निर्धारित उच्चतम दर के भीतर कम से कम 0.25 प्रतिशत अंक के विभेद-वाली कम से कम तीन परिपक्वता अवधियाँ निर्धारित की जायें (21 अप्रैल 1992 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 114/13.01.01/92 का पैरा 3 देखें)। अब यह शर्त हटा ली गयी है।

5. इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

6. दिनांक 29 सितम्बर 1995 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 104/13.01.01/95 संलग्न है।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

utmost caution in offering interest rates on various maturities of term deposits and they should ensure that they do not get locked into excessively long deposit maturities and in this connection, banks should undertake a careful review to ensure against overall asset-liability maturity mismatches. At any point of time, individual banks should adopt uniform rates at all their branches and for all customers.

4. In April 1992 it was stipulated that within the prescribed ceiling rate on deposits, there must be atleast three maturity prescriptions with a minimum differential of 0.25 percentage point (cf. para 3 of circular DBOD No. BC.114/13.01.01/92 dated April 21, 1992). This stipulation has now been withdrawn.

5. All other instructions issued from time to time in this regard will remain unchanged.

6. An amending directive DBOD No. Dir. BC.104/13.01.01 dated September 29, 1995 is enclosed.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 104/13.01.01/95

29 सितम्बर 1995
7 आश्विन 1917 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. सं. 151/सी. 347-85 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक और जनहित में समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश का अनुबंध - I संलग्न संशोधित अनुबंध से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

2. यह संशोधन 1 अक्तूबर 1995 से लागू होगा।

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.Dir.BC.104/13.01.01/95

September 29, 1995
Ashwina 7, 1917 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of its directive DBOD. No. Dir. BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the Annexure-I to the aforesaid directive shall be substituted by the enclosed revised Annexure-I.

2. The amendment shall be effective from October 1, 1995.

(A. P. Aiyer)
Executive Director

अनुबंध-I

जमाराशियों पर 1 अक्तूबर 1995 से लागू ब्याज दर

(अनिवासी जमाराशियों को छोड़कर)

खाते की श्रेणी		(प्रतिशत वार्षिक)
(i)	चालू	शून्य
(ii)	बचत	4.5
(iii)	सावधि जमाराशियां	
	46 दिन से 2 वर्ष तक	12.0 प्रतिशत से अधिक नहीं
	2 वर्ष से अधिक	मुक्त

ANNEXURE-I

RATE OF INTEREST ON DEPOSITS APPLICABLE WITH EFFECT FROM OCTOBER 1, 1995

(Excluding Non-resident Deposits)

Category of Account		(Per Cent per annum)
(i)	Current	Nil
(ii)	Savings	4.5
(iii)	**Term Deposits**	
	46 days and upto	Not exceeding
	2 years	12.0
	Over 2 years	Free

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 107/13.01.09/95

29 सितम्बर 1995
7 आश्विन 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसम्बर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान हमारे गवर्नर के 29 सितम्बर 1995 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 145/07.01.279/95-96 के पैरा 14(क) की ओर आकर्षित किया जाता है।

DBOD.No.Dir.BC.107/13.01.09/95

September 29, 1995
Ashwina 7, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON TERM DEPOSITS UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL) RUPEE ACCOUNTS (NRE ACCOUNTS)

Please refer to our directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time. In this connection, attention is invited to paragraph 14(c) of the Governor's circular No. CPC. BC.145/07.01.279/95-96 dated September 29, 1995.

2. घरेलू मीयादी जमाराशियों और अनिवासी (बाह्य) रुपया मीयादी जमा-राशियों पर ब्याज दरों के बीच विभेद रखने के दृष्टिकोण से यह निर्णय किया गया है कि 6 महीने से 3 वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वतावाली अनिवासी (बाह्य) रुपया मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर को 1 अक्तूबर 1995 से "8.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं" से बढ़ा कर "10.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं" कर दिया जाये। संशोधित मीयादी जमाराशि दरें केवळ नयी जमाराशियों और परिपक्व जमाराशियों के नवीकरण पर ही लागू होंगी। अनिवासी (बाह्य) रुपया मीयादी जमाराशियों के लिए मौजूदा और संशोधित दरें नीचे सूचित की गयी हैं :

अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

अवधि	मौजूदा दरें	नयी दरें (1अक्तूबर 1995 से लागू)
6 महीने से 3 वर्ष और उससे अधिक	"8.0 से अधिक नहीं"	"10.0 से अधिक नहीं"

3. इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

2. With a view to maintain the differential between the interest rates on domestic term deposits and Non-Resident (External) Rupee (NRE) term deposits, it has been decided to raise effective from October 1, 1995, the interest rate on NRE term deposits for maturity of 6 months to 3 years and over from 'not exceeding 8.0 per cent per annum.' to 'not exceeding 10.0 per cent per annum.' The revised term deposit rates will be made applicable to only fresh deposits and on renewal of maturing deposits. The existing and the revised rates for NRE term deposits are set out below :

Scheduled Commercial Banks Interest Rates on Term Deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts)

(per cent per annum)

Duration	Existing	New Rates (Effective October 1, 1995)
6 months to 3 years and above.	'Not exceeding 8.0'	'Not exceeding 10.0'

3. All other instructions issued from time to time in this regard will remain unchanged.

4. दिनांक 29 सितम्बर 1995 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 106/13.01.09/95 संलग्न है।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 106/13.01.09/95

29 सितम्बर 1995
7 आश्विन 1917 (शक)

अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित 17 अक्तूबर 1994 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 116/13.01.09/94 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है,

इसके द्वारा यह निदेश देता है कि विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी एवं अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाला कोई भी वाणिज्य बैंक, इस प्रकार की जो भी जमाराशियां स्वीकार करेगा अथवा उनका नवीकरण करेगा, नीचे बतायी गयी

4. An amending directive DBOD No. Dir. BC.106/13.01.09/95 dated September 29, 1995 is enclosed.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

DBOD.No.Dir.BC.106/13.01.09/95

September 29, 1995
Ashwina 7, 1917 (Saka)

INTEREST RATES ON TERM DEPOSITS UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL) RUPEE ACCOUNTS (NRE ACCOUNTS)

In exercise of powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of its directive DBOD No. Dir. BC.116/13.01.09/94 dated October 17, 1994 relating to deposits accepted under Non-Resident (External) Rupee Accounts Scheme, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that no commercial bank, which is an Authorised Dealer in foreign exchange and which accepts term deposits under the Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) Scheme, shall

दरों को छोड़कर अन्य किसी दर पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

(प्रतिशत वार्षिक)

खाते की श्रेणी	मौजूदा दरें	नयी दरें	लागू होने की तारीख
मीयादी जमाराशियां			
6 महीने से 3 वर्ष तक और उससे अधिक	"8.0 से अधिक नहीं"	"10.0 से अधिक नहीं"	1 अक्तूबर 1995

2. 27 दिसम्बर 1985 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85, समय-समय पर यथासंशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

pay interest on such deposits of money accepted by it or renewed by it except in accordance with the rates as indicated below :

(per cent per annum)

Category of Accounts	Existing rates	New Rates	Effective Date
Term Deposit			
6 months to 3 years and above.	'Not exeeding 8.0'	'Not exceeding 10.0'	October 1, 1995

2. All other provisions of the directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time shall remain unchanged.

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 111/13.01.01/95

29 सितंबर 1995
7 आश्विन 1917 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें -
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988

कृपया आप 17 अप्रैल 1995 की हमारी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 47/13.01.01/95 देखें, जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू की गयी पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमा की गयी राशियों पर ब्याज दरें बैंकों को सूचित की गयी हैं। हमने इन दरों की समीक्षा की है और संशोधित ब्याज दरों की हमारी 29 सितंबर 1995 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 110/13.01.01/95 संलग्न है। संशोधित ब्याज दरें 1 अक्तूबर 1995 से लागू होंगी।

2. इस संबंध में जमाराशियों पर ब्याज दरें संबंधी 29 सितंबर 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 105/13.01.01/95 की विषय-वस्तु की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

DBOD.No.Dir.BC.111/13.01.01/95

September 29, 1995
Ashwina 7, 1917 (Saka)

All Public Sector Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS-CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME, 1988

Please refer to our notification DBOD No. Dir. BC.47/13.01.01/95 dated April 17, 1995 in terms of which the banks were advised of the rates of interest on deposits made under Capital Gains Accounts Scheme 1988, introduced by Government of India. We have reviewed these rates and our notification DBOD No. Dir. BC.110/13.01.01/95 dated September 29, 1995 advising the revised rates of interest, is enclosed. The revised rates will come into effect from October 1, 1995.

2. In this connection, a reference is invited to the contents of our circular DBOD No. Dir. BC.105/13.01.01/95 dated September 29, 1995 on interest rates on deposits.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 110/13.01.01/95

29 सितम्बर 1995
7 आश्विन 1917 (शक)

अधिसूचना

जमाराशियों पर ब्याज दरें - पूंजी लाभ खाता योजना, 1988

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क और पूंजी लाभ खाता योजना (कैपिटल गेन्स एकाउंट्स स्कीम), 1988 के पैराग्राफ 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 17 अप्रैल 1995 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 47/13.01.01/95 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत खाता अ और खाता आ में जमा की गयी राशियों पर बैंकों द्वारा अदा किया जानेवाला ब्याज 1 अक्तूबर 1995 से निम्नलिखित होगा :

खाते की श्रेणी		(प्रतिशत वार्षिक)
(i)	खाता-अ	4.5
(ii)	खाता-आ	
	46 दिन से 2 वर्ष तक के लिए	12.0 से अधिक नहीं
	2 वर्ष से अधिक	मुक्त

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.Dir.BC.110/13.01.01/95

September 29, 1995
Ashwina 7, 1917 (Saka)

NOTIFICATION

INTEREST RATES ON DEPOSITS- CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME 1988

In exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and paragraph 8 of the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 and in modification of its notification DBOD No. Dir. BC.47/ 13.01.01/95 dated April 17, 1995, Reserve Bank of India hereby specifies that the interest paid by the banks on the deposits made in Account A and Account B under the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 shall be as hereunder, effective October 1, 1995.

Category of Account		(Per Cent per annum)
(i)	Account - A	4.5
(ii)	Account - B	
	For 46 days and upto 2 years	Not exceeding 12.0
	Over 2 years	Free

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 126/13.01.09/95

30 अक्तूबर 1995
8 कार्तिक 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसम्बर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान हमारे गवर्नर के 30 अक्तूबर 1995 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 146/07.01.279/95-96 के पैरा 1(क) की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. घरेलू मीयादी जमाराशियों और अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई खातों) की ब्याज दरों में बेहतर तारतम्य लाने की दृष्टि से, यह निर्णय किया गया है कि 6 महीने से 3 वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वतावाली अनिवासी (बाह्य) रुपया मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर को 31 अक्तूबर 1995 से "10.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं" से बढ़ाकर "12.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं" कर दिया जाये। संशोधित मीयादी जमाराशि दरें केवल नयी जमाराशियों और परिपक्व जमाराशियों के नवीकरण पर ही लागू होंगी। अनिवासी (बाह्य) रुपया मीयादी जमाराशियों के लिए मौज़ूदा और संशोधित मीयादी जमा दरें नीचे सूचित की गयी हैं :

DBOD.No.Dir.BC.126/13.01.09/95

October 30, 1995
Kartika 8, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON TERM DEPOSITS UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL) RUPEE ACCOUNTS (NRE ACCOUNTS)

Please refer to our directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time. In this connection, attention is invited to paragraph 1(a) of the Governor's circular No. CPC. BC.146/07.01.279/95-96 dated October 30, 1995.

2. With a view to bringing about a better alignment of interest rates on domestic term deposits and term deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts), it has been decided to raise effective October 31, 1995, the interest rate on NRE term deposits for maturity of 6 months to 3 years and over from 'not exceeding 10.0 per cent per annum.' to 'not exceeding 12.0 per cent per annum.' The revised term deposit rates will be made applicable to only fresh deposits and on renewal of maturing deposits. The existing and the revised term deposit rates for NRE term deposits are set out overleaf .

अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

अवधि	मौजूदा दरें	नयी दरें (31अक्तूबर 1995 से लागू)
6 महीने से 3 वर्ष और उससे अधिक	"10.0 से अधिक नहीं"	"12.0 से अधिक नहीं"

3. इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

4. दिनांक 30 अक्तूबर 1995 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 125/13.01.09/95 संलग्न है।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

Scheduled Commercial Banks Interest Rates on Term Deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts)

(per cent per annum)

Duration	Existing	New Rates (Effective October 31, 1995)
6 months to 3 years and over	'Not exeeding 10.0'	'Not exceeding 12.0'

3. All other instructions issued from time to time in this regard will remain unchanged.

4. An amending directive DBOD No. Dir. BC.125/13.01.09/95 dated October 30, 1995 is enclosed.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 125/13.01.09/95

30 अक्तूबर 1995
8 कार्तिक 1917 (शक)

अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित 29 सितम्बर 1995 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी 106/13.01.09/95 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी एवं अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाला कोई भी वाणिज्य बैंक, इस प्रकार की जो भी जमाराशियां स्वीकार करेगा अथवा उनका नवीकरण करेगा, नीचे बतायी गयी दरों को छोड़कर अन्य किसी दर पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

(प्रतिशत वार्षिक)

खाते की श्रेणी	मौजूदा दरें	नयी दरें	लागू होने की तारीख
मीयादी जमाराशियां			
6 महीने से 3 वर्ष और उससे अधिक	"10.0 से अधिक नहीं"	"12.0 से अधिक नहीं"	31 अक्तूबर 1995

DBOD.No.Dir.BC.125/13.01.09/95

October 30, 1995
Kartika 8, 1917 (Saka)

INTEREST RATES ON TERM DEPOSITS UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL) RUPEE ACCOUNTS (NRE ACCOUNTS)

In exercise of powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of its directive DBOD No. Dir. BC.106/13.01.09/95 dated Septembr 29, 1995 relating to deposits accepted under Non-Resident (External) Rupee Accounts Scheme, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that no commercial bank, which is an Authorised Dealer in foreign exchange and which accepts term deposits under the Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) Scheme, shall pay interest on such deposits of money accepted by it or renewed by it except in accordance with the rates as indicated below :

(per cent per annum)

Category of Accounts	Existing rates	New Rates	Effective Date
Term Deposits			
6 months to 3 years and over.	'Not exeeding 10.0'	'Not exceeding 12.0'	October 31, 1995

2. 27 दिसम्बर 1985 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85, समय-समय पर यथासंशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(बी. के. पाल)
कार्यपालक निदेशक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 6/13.01.11/96

15 जनवरी 1996
25 पौष 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

जमाराशि जुटाने की योजनाएं
प्रोत्साहन देना

आपको विदित ही है कि हमारे 27 दिसम्बर 1985 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 के पैराग्राफ 17(घ) के अनुसार जमाराशियों पर किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था अथवा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में दलाली अदा करने की बैंकों को मनाही है; विशेष योजना के अंतर्गत द्वार-द्वार जाकर जमाराशियों का संग्रह करने के लिए नियुक्त एजेंटों को अदा किया जानेवाला कमीशन तथा कम खर्चीली उपहार वस्तुएं, जिनकी लागत भारतीय बैंक संघ द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित राशि से अधिक न हो, देना इसका अपवाद है। भारतीय बैंक संघ के आधारभूत नियम और नैतिक संहिता का संबंधित अंश (नियम

2. All other provisions of the directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time shall remain unchanged.

(B. K. Pal)
Executive Director

DBOD.No.Dir.BC.6/13.01.11/96

January 15, 1996
Pausha 25, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

DEPOSIT MOBILISATION SCHEMES-
OFFERING OF INCENTIVES.

As you are aware, in terms of paragraph 17(d) of our directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985, banks are prohibited from paying brokerage on deposits in any form to any individual, firm, company, association, institution or any other person except commission paid to agents employed to collect door-to-door deposits under a special scheme and inexpensive gifts costing not more than the amount prescribed by the Indian Banks' Association (IBA) in this regard from time to time. The relevant extract (Rule 4A) from

4अ) संलग्न है। इस प्रकार अनुमत सीमा को छोड़कर, कमीशन या उपहार सहित किसी भी रूप में दलाली की अदायगी पर पाबंदी है।

the Ground Rules and Code of Ethics (GRACE) of the Indian Banks' Association (IBA), is enclosed. Thus, payment of brokerage in any form including commission or gift, except to the extent permitted, is prohibited.

2. हमें जानकारी मिली है कि कुछ बैंकों ने पुरस्कारों/लॉटरी अथवा मुफ्त विदेश यात्रा/पुरस्कार जैसे अन्य प्रोत्साहनों से जुड़ी जमाराशि संग्रहण योजनाएं प्रारंभ की हैं/प्रस्तावित की हैं। हमने मामले की जांच की है और यह सूचित करते हैं कि दो वर्ष से अधिक की जमाराशियों, जहां बैंक ब्याज दर नियत करने के लिए स्वतंत्र हैं, उन पर भी उपहार अथवा पुरस्कार अथवा किसी अन्य रूप में/ढंग से कोई प्रोत्साहन देना हमारे ऊपर उल्लिखित 27 दिसम्बर 1985 के निदेश तथा 20 मई 1986 के परिपत्र डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 59/सी. 347 (क)-86, जिसमें बैंकों से पुरस्कार से जुड़ी जमाराशियां जुटाने की योजनाएं शुरू न करने के लिए कहा गया है, का उल्लंघन है।

2. It has come to our notice that some banks have recently launched/proposed to launch deposit mobilisation schemes linked with prizes/lottery or other form of incentives like free travel abroad/prizes, etc. We have examined the matter and advise that offering incentives in the form of gift or prizes or in any other form/manner even on deposits over two years where banks are free to fix the rate of interest, constitutes violation of our directive dated December 27, 1985, referred to above and circular DBOD No. Dir. BC.59/ C.347(K)-86 dated May 20, 1986 wherein banks have been advised **not** to float prize-oriented deposit mobilisation schemes.

3. इसलिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे पुरस्कार से जुड़ी जमाराशि जुटाने की योजनाएं शुरू न करें और ऊपर उल्लिखित 27 दिसम्बर 1985 के हमारे निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 के पैराग्राफ 17(घ) में बताये गये को छोड़कर किसी ढंग से अथवा किसी भी रूप में जमाराशियों पर कमीशन अथवा उपहार अथवा प्रोत्साहन के रूप में दलाली अदा न करें। इस संबंध में किसी भी उल्लंघन को हम गंभीरता से लेंगे और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अधीन दंड लगाया जा सकेगा। यदि किसी बैंक ने ऐसी कोई योजना प्रारंभ की हो तो वे उसे तत्काल बंद कर दें।

3. The banks are, therefore, advised that they should desist from launching prize-oriented deposit mobilisation schemes and paying brokerage in the form of commission or gift or incentives on deposits in any manner or in any other form except as indicated in paragraph 17(d) of our directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 referred to above. Any violation in this regard will be viewed seriously by us and would invite penalties under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949. If any bank has floated any such scheme, it should be discontinued forthwith.

4. हमें यह भी जानकारी दी गयी है कि एजेंट कमीशन के आधार पर बैंकों को भारी जमाराशियां लाने का प्रस्ताव देते हैं। जमाराशियों पर कमीशन की अदायगी न करने के अलावा बैंकों को इस प्रकार के एजेंटों द्वारा प्रस्तावित भारी जमाराशि स्वीकार करने के प्रति भी सावधान किया जाता है।

5. इसके अलावा जो बैंक भारतीय बैंक संघ के सदस्य हैं वे जमाराशि जुटाने की कोई नयी योजना लागू करने के लिए भारतीय बैंक संघ की पूर्व सहमति लेना जारी रखें, जैसा कि हमारे 31 जनवरी 1992 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 75/13.01.11/92 के अनुसार अपेक्षित है। अन्य बैंक (जो भारतीय बैंक संघ के सदस्य नहीं है) इस प्रकार की योजनाएं लागू करने से पहले पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

4. It has also been brought to our notice that large amounts of deposits are offered to banks by agents on commission basis. Apart from desisting from payment of commission on deposits, banks are also cautioned against accepting large deposits offered by such agents.

5. Further, banks which are members of the Indian Banks' Association (IBA) should continue to obtain the prior concurrence of the IBA for introducing any new deposit mobilisation schemes as required in terms of our circular DBOD No. BC.75/13.01.11/92 dated January 31, 1992. Other banks (which are not members of the IBA) should obtain our prior approval before introducing such schemes.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

भारतीय बैंक संघ के आधारभूत नियम और नीति संहिता का अंश

4. आधारभूत नियम

(आ) पुरस्कार एवं उपहार

(क) बैंक जमाराशियों के प्रतिफल के रूप में कोई पुरस्कार, उपहार आदि नहीं देंगे।

(ख) बैंक किसी लॉटरी, पुरस्कारों, लकी डिप्स, उपहारों आदि से जुड़ी ऐसी कोई जमा योजना लागू नहीं करेंगे जिसमें जमाकर्ता को उपहारों, पुरस्कारों या किसी अन्य लाभ का वितरण शामिल हो, चाहे ऐसे उपहार, पुरस्कार या लाभ का वितरण शामिल हो, चाहे ऐसे उपहार, पुरस्कार या लाभ का वितरण मूलधन के आंशिक भुगतान या उपचित/भावी ब्याज या चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दर के अंतर जैसी जमाकर्ता की अपनी राशि से ही होती है।

(ग) बैंक जमाकर्ताओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लाभ, अनुलाभ, उपहार या कोई अन्य वस्तु नहीं देंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा रु. 25/- प्रति नग तक के मूल्य का कोई उपहार दिया जा सकता है। बेहतर हो उस पर बैंक का नाम लिखा हो।

EXTRACT FROM INDIAN BANKS' ASSOCIATION'S GROUND RULES AND CODE OF ETHICS (GRACE)

4. GROUND RULES

(A) PRIZES AND GIFTS

(a) Banks shall not give any prizes, gifts, etc., as consideration for deposits.

(b) Banks shall not have any deposit scheme linked with any lottery, prizes, lucky dips, gifts, etc., which include distribution of gifts, prizes or any other benefit to the depositors even if such gifts, prizes or benefits come from the depositors' own money, such as part payment of principal or accrued/future interest or the differential between the compound and the simple rate of interest.

(c) Banks shall not give to depositors, either directly or indirectly, any advantage, perquisites, gifts or any other articles except inexpensive gifts preferably bearing the name of the bank, the cost of which to the bank does not exceed Rs.25/- per piece.

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 18/13.01.01/96

24 फरवरी 1996
5 फाल्गुन 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

शहरी सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यमों की योजना (एसयूएमई) और शहरी वेतन रोज़गार की योजना (एसयूडब्ल्यूई)- नेहरू रोज़गार योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों के नाम से बचत बैंक खाते खोलना

कृपया आप 29 अक्तूबर 1990 का हमारा परिपत्र डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 40/सी. 347-90 देखें, जिसके साथ हमारा 29 अक्तूबर 1990 का निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी 39/सी. 347-90 भेजा गया है, जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों को शहरी सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यमों की योजना के लिए नेहरू रोज़गार योजना के अंतर्गत उपदान के रूप में दी गयी निधियों के संबंध में शहरी स्थानीय निकायों, अर्थात् नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के नाम से बचत बैंक खाते खोलने की अनुमति दी गयी है।

2. भारत सरकार, शहरी कार्य और रोज़गार मंत्रालय ने हमें सूचित किया है कि शहरी स्थानीय निकायों, अर्थात् नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगमों से अपेक्षा की जाती है कि वे नेहरू रोज़गार योजना के अंतर्गत शहरी वेतन रोज़गार की योजना हेतु दी गयी निधियों (केन्द्रीय सहायता + राज्य के अंश) को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कार्यान्वयन करनेवाली चुनी हुई शाखाओं में बचत बैंक खाते में राशि जमा करेंगे। इसके

DBOD.No.Dir.BC.18/13.01.09/96

February 24, 1996
Phalguna 5, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SCHEME OF URBAN MICRO ENTERPRISES (SUME) AND SCHEME OF URBAN WAGE EMPLOYMENT (SUWE) - OPENING OF SAVINGS BANK ACCOUNTS IN THE NAME OF URBAN LOCAL BODIES UNDER NEHRU ROZGAR YOJANA (NRY)

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC. 40/C.347-90 dated October 29, 1990 forwarding therewith our directive DBOD No. Dir. BC. 39/C.347-90 dated October 29, 1990 permitting public sector banks to open savings bank account in the name of Urban Local Bodies, viz., Nagar Panchayats, Nagar Palikas and Municipal bodies in relation to funds given as subsidy under Nehru Rozgar Yojana towards the Scheme of Urban Micro Enterprises (SUME).

2. The Government of India, Ministry of Urban Affairs and Employment has advised us that the Urban Local Bodies, viz., Nagar Panchayats, Nagar Palikas and Municipal Bodies are required to deposit in the savings bank account with each of the implementing selected branches of public sector banks the funds (Central assistance + State share) given towards Scheme of Urban Wage Employment (SUWE) under Nehru

अलावा नेहरू रोज़गार योजना के अंतर्गत शहरी सूक्ष्म उद्यमों की योजना और शहरी वेतन रोज़गार योजना से संबंधित (i) उपदान और (ii) प्रशिक्षण और मूलभूत सुविधाओं के घटकों की जमाराशियों पर अर्जित ब्याज का उपयोग उन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा, जो नेहरू रोज़गार के अंतर्गत निधियां जमा करने के लिए खोले गये खातों का परिचालन करेंगे। इनका उपयोग निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए किया जायेगा :

(i) सामान्य कार्यस्थानों, नगर पालिका कामगार केन्द्र अथवा नगर निगम सेवा केन्द्र, सामान्य विक्रय-स्थानों/फुटकर विक्रय प्रणाली, मशीनरी/उपकरणों आदि की संयुक्त खरीद जैसी सामान्य सुविधाओं के रूप में हिताधिकारियों को मूलभूत सुविधा संबंधी सहायता प्रदान करना; और

(ii) उपयुक्त प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल में हुई प्रगति की द्योतक विशिष्ट मशीनरी, उपकरण के रूप में केवल प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता।

3. तदनुसार हमारे 27 दिसम्बर 1985 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 का पैराग्राफ 3(ii)(ण) उपयुक्त रूप में संशोधित कर दिया गया है। संबंधित 24 फरवरी 1996 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 17/13.01.01/96 संलग्न है।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

Rozgar Yojana. Further, the interest earned on deposits of the components of (i) subsidy and (ii) Training and Infrastructure of the Scheme of Urban Micro Enterprises (SUME) and the Scheme of Urban Wage Employment (SUWE) of Nehru Rozgar Yojana is to be utilised by the Urban Local Bodies, who operate the bank accounts opened for depositing the funds under NRY, for the activities mentioned below :

(i) Infrastructure support to the beneficiaries in terms of common facilities such as common work-places, Nagar Palika Kamgar Kendra or the Municipal Service Centre, Common Selling Places/retail outlets for the beneficiaries, joint purchase of machinery/equipments, etc., and

(ii) Support to training institutions only in terms of specific machinery equipment representing a recent advance in the sphere of appropriate technology.

3. Accordingly paragraph 3(ii) (o) of our directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 has been suitably amended. The relevant amending directive DBOD No. Dir. BC. 17/13.01.01/96 dated February 24, 1996 is enclosed.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 17/13.01.01/96

24 फरवरी 1996
5 फाल्गुन 1917 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि 27 दिसम्बर 1985 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 का पैराग्राफ 3(ii)(ण) नीचे दिये गये अनुसार तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जायेगा :

"(ण) शहरी सूक्ष्म उद्यमों की योजना और शहरी वेतन रोज़गार की योजना के (i) उपदान और (ii) प्रशिक्षण और मूलभूत सुविधाओं के घटकों के लिए दी गयी निधियों (केन्द्रीय सहायता + राज्य के अंश) तथा शहरी सूक्ष्म उद्यमों की योजना के अंतर्गत दोनों घटकों की जमाराशियों पर अर्जित ब्याज और शहरी वेतन रोज़गार की योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर अर्जित ब्याज के संबंध में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम निकाय, परंतु इस शर्त पर कि इस तरह का कोई खाता सरकारी क्षेत्र के बैंक से इतर किसी अन्य बैंक में नहीं खोला जायेगा।"

2. 27 दिसम्बर 1985 के समय-समय पर यथासंशोधित निदेश डीबीओडी. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 के अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(जे. आर. प्रभू)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.Dir.BC.17/13.01.01/96

February 24, 1996
Phalguna 5, 1917 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that, with immediate effect, paragraph 3(ii)(o) of its directive DBOD No. dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 shall be amended as indicated below :

'(o) Nagar Panchayats, Nagar Palikas and Municipal bodies in relation to funds (Central assistance + State share) given under Nehru Rozgar Yojana towards the components of (i) Subsidy and (ii) Training and Infrastructure of Scheme of Urban Micro Enterprises (SUME) and Scheme of Urban Wage Employment (SUWE) and interest earned on deposits under both the components of SUME and on deposits under SUWE subject, however, to the condition that no such account shall be opened with a bank other than a public sector bank.'

2. The other provisions of the directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time shall remain unchanged.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 24/13.01.09/96

14 मार्च 1996
24 फाल्गुन 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय)
एनआरएनआर रुपया जमा योजना

जैसा कि आप जानते हैं, 11 जून 1992 के हमारे निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 139/13.01.09/92 के खंड (vi) के अनुसार बैंकों को यह स्वतंत्रता दी गयी है कि वे अपने विवेक से उपर्युक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज-दर का निर्धारण करें। इस संबंध में अनेक बैंकों ने जमाराशियों की मात्रा के अनुसार एनआरएनआर जमाराशियों पर अलग-अलग ब्याज-दरों की संभावना के बारे में स्पष्टीकरण चाहा है और यह कि यदि ऐसा है तो क्या इससे हमारे वर्तमान निर्देशों का उल्लंघन होता है?

2. इस संबंध में हम यह स्पष्ट करते हैं कि दिनांक 11 सितम्बर 1986 के हमारे निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 95/सी. 397(I)-86 के पैरा 10(ख) में निहित प्रावधान कि "एक ही तारीख और एक ही परिपक्वता के लिए स्वीकृत एक जमाराशि और अन्य जमाराशि के बीच जमाराशियों पर दी गयी ब्याज दर के मामले में कोई बैंक अंतर नहीं करेगा, चाहे ऐसी जमाराशियाँ बैंक के उसी कार्यालय में अथवा भिन्न कार्यालयों में स्वीकृत हुई हों", एनआरएनआर जमा योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों पर लागू **नहीं** होगा।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

DBOD.No.Dir.BC.24/13.01.09/96

March 14, 1996
Phalguna 24, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

NON-RESIDENT (NON-REPATRIABLE) NRNR RUPEE DEPOSIT SCHEME

As you are aware, in terms of clause (vi) of our directive DBOD No. BC.139/13.01.09/92 dated 11 June, 1992 banks have been granted freedom to determine at their discretion, the rate of interest on the deposits accepted under the above scheme. In this connection, several banks have sought clarification as to the scope for offering varying rates of interest on NRNR deposits according to the size of the deposit and if so whether this would amount to violation of our extant instruction.

2. In this connection, we clarify that provision contained in paragraph 10(b) of our directive DBOD No. Dir. BC.95/ C.347(I)-86 dated September 11, 1986 that "no bank shall discriminate in the matter of rate of interest paid on deposits between one deposit and another accepted on the same date and for the same maturity, whether such deposits are accepted at the same office or at different offices of the bank" would **not** apply to the deposits accepted under NRNR deposit scheme.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 35/13.01.09/96

3 अप्रैल 1996
14 चैत्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसम्बर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान गवर्नर महोदय के 3 अप्रैल 1996 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 155/07.01.279/95-96 के पैराग्राफ 20(ख)(iii) की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) की मीयादी जमाराशियों की अवधिपूर्णता को घरेलू मीयादी जमाराशियों के अनुसार बनाने की दृष्टि से अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों की दो वर्ष से अधिक मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें 4 अप्रैल 1996 से स्वतंत्र कर दी गयी हैं। अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना की मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों का मौजूदा और नया विन्यास नीचे दिया गया है :

DBOD.No.Dir.BC.35/13.01.09/96

April 3, 1996
Chaitra 14, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL) RUPEE (NRE) ACCOUNTS SCHEME

Please refer to our directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time. In this connection, attention is invited to paragraph 20(b) (iii) of the Governor's circular No. CPC. BC.155/07.01.279/95-96 dated April 3, 1996.

2. With a view to bringing about an alignment of the maturity structure of Non-Resident (External) (NRE) term deposits with that on domestic term deposits, effective April 4, 1996, interest rates on NRE term deposits of over two years have been freed. The existing and the new structure of interest rates on NRE term deposits are set out below :-

अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर वाणिज्य बैंकों की ब्याज दरों की अनुसूची

(प्रतिशत वार्षिक)

मौजूदा		नयी	
अवधि	दरें	अवधि	दरें (4 अप्रैल 1996 से लागू)
6 महीने से 3 वर्ष और उससे अधिक	"12.0 से अधिक नहीं"	-	-
		6 महीने के लिए और 2 वर्ष तक	"12.0 से अधिक नहीं"
		2 वर्ष से अधिक	स्वतंत्र

3. बैंक दो वर्ष से अधिक अवधि की एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दर निर्धारित करते समय वही क्रियाविधि अपनायें, जो 29 सितम्बर 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 105/13.01.01/ 95 के पैराग्राफ 3 में बतायी गयी है जैसा कि घरेलू मीयादी जमाराशियों के मामले में लागू है।

4. इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

Scheduled Commercial Banks Interest Rates on Deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme

(Per cent per annum)

Existing		New	
Duration	Rates	Duration	Rates (Effective April 4, 1996)
6 months to 3 years and over	'Not exeeding 12.0'		--
		6 months & upto 2 years	'Not exceeding 12.0'
		Over 2 years	Free

3. Banks should follow the same procedure as advised in paragraph 3 of our circular DBOD No. Dir. BC.105/13.01.01/ 95 dated September 29, 1995 while determining the rate of interest for NRE deposits of over 2 years as applicable in case of domestic term deposits.

4. All other instructions issued from time to time in this regard shall remain unchanged.

5. दिनांक 3 अप्रैल 1996 का संशोधक निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 34/13.01.09/96 संलग्न है।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 34/13.01.09/96

3 अप्रैल 1996
14 चैत्र 1918 (शक)

अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित 30 अक्तूबर 1995 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 125/13.01.09/95 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी एवं अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत मीयादी जमाराशियाँ स्वीकार करनेवाला कोई भी वाणिज्य बैंक, इस प्रकार की जो भी जमाराशियां स्वीकार करेगा अथवा उनका नवीकरण करेगा, उन पर नीचे बतायी गयी दरों को छोड़कर अन्य किसी दर पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

5. An amending directive DBOD No. Dir. BC.34/13.01.09/96 dated April 3, 1996 is enclosed.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

DBOD.No.Dir.BC.34/13.01.09/96

April 3, 1996
Chaitra 14, 1918 (Saka)

INTEREST RATES ON TERM DEPOSITS UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL) RUPEE ACCOUNTS (NRE ACCOUNTS)

In exercise of powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of the directive DBOD No. Dir. BC.125/13.01.09/95 dated October 30, 1995 relating to deposits accepted under Non-Resident (External) Rupee Accounts Scheme, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that no commercial bank, which is an Authorised Dealer in foreign exchange and which accepts term deposits under the Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) Scheme, shall pay interest on such deposits of money accepted by it or renewed by it except in accordance with the rates as indicated below :

(प्रतिशत वार्षिक)

खाते की श्रेणी	मौजूदा दरें	खाते की श्रेणी	नयी दरें (4 अप्रैल 1996 से लागू)
मीयादी जमाराशियां		**मीयादी जमाराशियां**	
6 महीने से 3 वर्ष और उससे अधिक	"12.0 से अधिक नहीं"	-	-
		6 महीने के लिए और 2 वर्ष तक	"12.0 से अधिक नहीं"
		2 वर्ष से अधिक	स्वतंत्र

2. 27 दिसम्बर 1985 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85, समय-समय पर यथासंशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(जे. आर. प्रभू)
कार्यपालक निदेशक

(Per cent per annum)

Category of Account	Existing Rates	Category of Account	New Rates (Effective April 4, 1996)
Term Deposits		**Term Deposits**	
6 months to 3 years and above	'Not exceeding 12.0'		--
		6 months & upto 2 years	'Not exceeding 12.0'
		Over 2 years	Free

2. All other provisions of the directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time shall remain unchanged.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 86/13.01.09/96

29 जून 1996
8 आषाढ़ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 15 जुलाई 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि सं. डीआइआर. बीसी. 77/13.01.09/95 देखें। यह निर्णय किया गया है कि 1 जुलाई 1996 से, उन वाणिज्य बैंकों के साथ किये गये लेनदेन के लिए जो कि प्राधिकृत व्यापारी हैं, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों के संबंध में ब्याज दरों के निर्धारण को संशोधित किया जाये। ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण केवल नयी जमाराशियों तथा परिपक्व होने पर नवीकरण वाली जमाराशियों पर लागू होगा।

2. दिनांक 29 जून 1996 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 85/13.01.09/96 संलग्न है, जिसमें ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण दर्शाया गया है।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

DBOD.No.Dir.BC.86/13.01.09/96

June 29, 1996
Aashadha 8, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

Please refer to our circular DBOD NO. DIR.BC.77/13.01.09/95 dated July 15, 1995 on the captioned subject. It has been decided to revise schedule of interest rates relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme, for transactions entered into with commercial banks which are Authorised Dealers, effective July 1, 1996. The revised schedule of interest rates will apply only to fresh deposits and on renewal of maturing deposits.

2. An amending directive DBOD No. Dir. BC.85/13.01.09/96 dated June 29, 1996 indicating the revised schedule of interest rates is enclosed.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 85/13.01.09/96

29 जून 1996
8 आषाढ़ 1918 (शक)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित, 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/13.01.09/93 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि 1 जुलाई 1996 से कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जो विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी है, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत अथवा नवीकृत जमाराशियों पर नीचे विनिर्दिष्ट दरों के सिवाय अन्य दरों पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

DBOD.No.Dir.BC.85/13.01.09/96

June 29, 1996
Aashadha 8, 1918 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and in partial modification of the directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993, as amended from time to time, relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme, the Reserve Bank of India, being satisfied that, it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that with effect from 1st July, 1996 no scheduled commercial bank which is an Authorised Dealer in foreign exchange, shall pay interest on deposits accepted by it or renewed by it under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme except in accordance with the rates specified below :

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज 1 जुलाई 1996 से

परिपक्वता अवधि	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)			
	पौंड स्टर्लिंग	अमेरिकी डालर	ड्यूश मार्क	जापानी येन
(क) 6 महीने और उससे अधिक, किंतु 1 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	4.75	4.50	3.00	0.75
(ख) 1 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 2 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	6.50	6.25	4.00	1.25
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	7.25	6.75	4.75	1.50
(घ) केवल 3 वर्ष की जमाराशियों के लिए	7.50	7.00	5.00	2.00

2. हमारे 11 सितम्बर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95 सी. 347 (I) - 86 और 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/13.01.09/93, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(बी. के. पाल)
कार्यपालक निदेशक

Interest on deposits accepted under FCNR (Banks) Scheme with effect from 1st July, 1996

Maturity Period	Rate of Interest (per cent per annum)			
	Pound Sterling	US Dollar	Deut-sche Mark	Japan-ese Yen
(a) For deposits for 6 months and above but less than 1 year	4.75	4.50	3.00	0.75
(b) For deposits for 1 year and above but less than 2 years	6.50	6.25	4.00	1.25
(c) For deposits for 2 years and above but less than 3 years	7.25	6.75	4.75	1.50
(d) For deposits for 3 years only	7.50	7.00	5.00	2.00

2. All other provisions of directive DBOD No. Dir. BC.95/C.347(I)-86 dated 11th September, 1986 and also directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993 as amended from time to time shall remain unchanged.

(B. K. Pal)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 90/13.01.01/96

1 जुलाई 1996
10 आषाढ़ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसम्बर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान हमारे गवर्नर के 1 जुलाई 1996 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 156/07.01.279/96-97 के पैरा 1(ख) की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. बैंकों को उनकी मीयादी जमा दरों के निर्धारण में और अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, 2 जुलाई 1996 से, वाणिज्य बैंक एक वर्ष से अधिक की अपनी घरेलू मीयादी जमाराशियों पर अपनी ब्याज-दरों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं। पुनश्च, मुद्रा बाज़ार की गतिविधियों तथा नकद ऋण प्रणाली से ऋण प्रणाली की ओर प्रगामी प्रवृत्ति के कारण अल्पावधि अतिरिक्त निधियों के प्रबंध के लिए कोई मार्ग प्रदान करने की आवश्यकता है। अतः यह आवश्यक है कि मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि को 46 दिन से घटाकर 30 दिन कर दिया जाये। तदनुसार, 02 जुलाई 1996 से, 30 दिन और एक वर्ष तक की घरेलू मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर "11.0 प्रतिशत से अधिक नहीं" पर निर्धारित की गयी है। संशोधित घरेलू मीयादी जमा दरें केवल नयी जमाराशियों पर तथा परिपक्व होनेवाली जमाराशियों के नवीकरण पर ही लागू होंगी।

3. एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर जमा दरें देने के लिए बैंक अपने

DBOD.No.Dir.BC.90/13.01.01/96

July 1, 1996
Aashadha 10, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS

Please refer to our directive DBOD No.DIR. BC.151/C.347/85 dated 27 December 1985, as amended from time to time. In this connection, attention is invited to paragraph 1(b) of our Governor's circular No. CPC. BC.156/07.01.279/96-97 dated July 1, 1996.

2. With a view to providing banks greater flexibility in determining their term deposit rates, effective July 2, 1996, commercial banks are free to fix their own interest rates on domestic term deposits of over one year. Furthermore, with the developments in the money markets and the progressive move from the cash credit system to loan system, there is a need for providing some outlet for management of short term surplus funds. Hence, it is necessary to reduce the minimum period of term deposits from 46 days to 30 days. Accordingly, effective July 2, 1996, on domestic term deposits of 30 days and upto one year the interest rate is prescribed at 'not exceeding 11.0 per cent per annum'. The revised domestic term deposit rates will apply only to fresh deposits and on renewals of maturing deposits.

3. Banks should obtain the prior approval of their respective Boards for the deposit

संबंधित बोर्ड से पूर्वानुमोदन प्राप्त करें। किसी भी समय, अलग-अलग बैंक अपनी सभी शाखाओं और सभी ग्राहकों के लिए एकसमान दरें अपनायें।

4. इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

5. 1 जुलाई 1996 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 89/13.01.01/96 संलग्न है।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

rates they will be offering on deposits of maturity of over 1 year. At any point of time, individual banks should adopt uniform rates at all their branches and for all customers.

4. All other instructions issued from time to time in this regard will remain unchanged.

5. An amending directive DBOD No. Dir. BC.89/13.01.01/96 dated July 1, 1996 is enclosed.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 89/13.01.01/96

1 जुलाई 1996
10 आषाढ़ 1918 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक और जनहित में समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश का अनुबंध - I संलग्न संशोधित अनुबंध से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

DBOD.No.Dir.BC.89/13.01.01/96

July 1, 1996
Aashadha 10, 1918 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of its directive DBOD. No. Dir. BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the Annexure-I to the aforesaid directive shall be substituted by the enclosed revised Annexure-1.

2. यह संशोधन 2 जुलाई 1996 से लागू होगा।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

अनुबंध - I

जमाराशियों पर 2 जुलाई 1996 से लागू ब्याज दर

(अनिवासी जमाराशियों को छोड़कर)

	खाते की श्रेणी	**(प्रतिशत वार्षिक)**
(i)	चालू	शून्य
(ii)	बचत	4.5
(iii)	**सावधि जमाराशियां**	
	30 दिन और 1 वर्ष तक	11.0 प्रतिशत से अधिक नहीं
	1 वर्ष से अधिक	मुक्त

2. The amendment shall be effective from July 2, 1996.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

ANNEXURE - I

RATE OF INTEREST ON DEPOSITS APPLICABLE WITH EFFECT FROM JULY 2, 1996

(Excluding Non-resident Deposits)

	Category of Account	**(Per cent per annum)**
(i)	Current	Nil
(ii)	Savings	4.5
(iii)	**Term Deposits**	
	30 days and upto	Not exceeding
	1 year	11.0
	Over 1 year	Free

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 92/13.01.01/96

1 जुलाई 1996
10 आषाढ़ 1918 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

**जमाराशियों पर ब्याज दरें -
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988**

कृपया आप 29 सितम्बर 1995 की हमारी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी 110/13.01.01/95 देखें, जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू की गयी पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमा की गयी राशियों पर ब्याज दरें बैंकों को सूचित की गयी हैं। हमने इन दरों की समीक्षा की है और संशोधित ब्याज दरों की हमारी 1 जुलाई 1996 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 91/13.01.01/96 संलग्न है। संशोधित ब्याज दरें 2 जुलाई 1996 से लागू होंगी।

2. इस संबंध में जमाराशियों पर ब्याज दरों संबंधी 1 जुलाई 1996 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 90/13.01.01/96 की विषय-वस्तु की ओर आपका ध्यान आकर्षिक किया जाता है।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

DBOD.No.Dir.BC.92/13.01.01/96

July 1, 1996
Aashadha 10, 1918 (Saka)

All Public Sector Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS - CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME, 1988

Please refer to our notification DBOD.No.Dir.BC.110/13.01.01/95 dated September 29, 1995 in terms of which the banks were advised of the rates of interest on deposits made under Capital Gains Accounts Scheme, 1988, introduced by Government of India. We have reviewed these rates and our Notification DBOD No. Dir. BC91/13.01.01/96 dated July 1, 1996 advising the revised rates of interest, is enclosed. The revised rates will come into effect from July 2, 1996.

2. In this connection, a reference is invited to the contents of our circular DBOD No. Dir. BC.90/13.01.01/96 dated July 1, 1996 on interest rates on deposits.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 91/13.01.01/96

1 जुलाई 1996
10 आषाढ़ 1918 (शक)

अधिसूचना

**जमाराशियों पर ब्याज दरें -
पूँजी लाभ खाता योजना, 1988**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क और पूंजी लाभ खाता योजना (कैपिटल गेन्स एकाउंटस स्कीम), 1988 के पैराग्राफ 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 29 सितम्बर 1995 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 110/13.01.01/95 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत खाता अ और खाता आ में जमा की गयी राशियों पर बैंकों द्वारा अदा किया जानेवाला ब्याज 2 जुलाई 1996 से निम्नलिखित होगा :

खाते की श्रेणी		(प्रतिशत वार्षिक)
(i)	खाता-अ	4.5
(ii)	खाता-आ	
	30 दिन से 1 वर्ष तक के लिए	11.0 प्रतिशत से अधिक नहीं
	1 वर्ष से अधिक	मुक्त

(जे. आर. प्रभू)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.Dir.BC.91/13.01.01/96

July 1, 1996
Aashadha 10, 1918 (Saka)

NOTIFICATION

**INTEREST RATES ON DEPOSITS-
CAPITAL GAINS ACCOUNTS
SCHEME, 1988**

In exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and paragraph 8 of the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 and in modification of its notification DBOD No. Dir. BC.110/ 13.01.01/95 dated September 29, 1995, Reserve Bank of India, hereby specifies that the interest paid by the banks on the deposits made in Account A and B under the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 shall be as hereunder, effective July 2, 1996.

Category of Account		(Per cent per annum)
(i)	Account - A	4.5
(ii)	Account - B	
	30 days and upto 1 year	Not exceeding 11.0
	Over 1 year	Free

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 109/21.03.053/96

9 अगस्त 1996
18 श्रावण 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

जमा प्रमाणपत्र योजना

कृपया आप जमा प्रमाणपत्र योजना से संबंधित 6 जून 1989 का हमारा परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 134/65-89 देखें। अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किये गये जमा प्रमाणपत्रों में वाणिज्य बैंकों द्वारा निवेश किये जाने के प्रश्न पर हाल ही में हमने विचार किया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के जमा प्रमाणपत्रों में बैंकों द्वारा निवेश किये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। परांकन और सुपुर्दगी द्वारा जमा प्रमाणपत्र उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 8 में बताये गये अनुसार जारी किये जाने के 45 दिन के बाद की बजाय जारी किये जाने की तारीख से 30 दिन बाद स्वतंत्रतापूर्वक हस्तांतरित किये जा सकते हैं।

2. बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्र जारी किये जाने से संबंधित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.BP.BC.109/21.03.053/96

August 9, 1996
Shravana 18, 1918 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

CERTIFICATE OF DEPOSITS (CDs) SCHEME

Please refer to our circular DBOD NO. BP. BC.134/65-89 dated June 6, 1989 on the scheme of Certificate of Deposits (CDs). The question of investment by commercial banks in CDs issued by other banks/financial institutions was recently examined by us and it is clarified that there is no prohibition on banks investing in CDs of other banks/ financial institutions. The CDs will be freely transferable by endorsement and delivery after 30 days of the date of issue, instead of 45 days of the date of issue stipulated in paragraph 8 of the circular referred to above.

2. All other terms and conditions relating to issue of CDs by banks remain unchanged.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 118/13.01.09/96

7 सितम्बर 1996
16 भाद्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 जून 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि सं. डीआइआर. बीसी. 86/13.01.09/96 देखें। यह निर्णय किया गया है कि 9 सितम्बर 1996 से, उन वाणिज्य बैंकों के साथ किये गये लेनदेन के लिए जो कि प्राधिकृत व्यापारी हैं, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों के संबंध में ब्याज दरों के निर्धारण को संशोधित किया जाये। ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण केवल नयी जमाराशियों तथा परिपक्व होने पर नवीकरण वाली जमाराशियों पर लागू होगा।

2. दिनांक 7 सितम्बर 1996 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 117/13.01.09/96 संलग्न है, जिसमें ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण दर्शाया गया है।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

DBOD.No.Dir.BC.118/13.01.09/96

September 7, 1996
Bhadra 16, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC.86/13.01.09/96 dated June 29, 1996 on the captioned subject. It has been decided to revise schedule of interest rates relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme, for transactions entered into with commercial banks which are Authorised Dealers, effective September 9, 1996. The revised schedule of interest rates will apply only to fresh deposits and on renewals of maturing deposits.

2. An amending directive DBOD No. Dir. BC.117/13.01.09/96 dated September 7, 1996 indicating the revised schedule of interest rates is enclosed.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 117/13.01.09/96

7 सितम्बर 1996
16 भाद्र 1918 (शक)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित, 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी 115/13.01.09/93 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि 9 सितम्बर 1996 से कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जो विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी है, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत अथवा नवीकृत जमाराशियों पर नीचे विनिर्दिष्ट दरों के सिवाय अन्य दरों पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

DBOD.No.Dir.BC.117/13.01.09/96

September 7, 1996
Bhadra 16, 1918 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and in partial modification of the directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993, as amended from time to time, relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme, the Reserve Bank of India, being satisfied that, it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that with effect from 9th September, 1996 no scheduled commercial bank which is an Authorised Dealer in foreign exchange, shall pay interest on deposits accepted by it or renewed by it under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme except in accordance with the rates specified below :

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज- 9 सितम्बर 1996 से

परिपक्वता अवधि	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)			
	पौंड स्टर्लिंग	अमेरिकी डालर	ड्यूश मार्क	जापानी येन
(क) 6 महीने और उससे अधिक, किंतु 1 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	4.75	4.50	3.00	0.75
(ख) 1 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 2 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	6.50	6.25	3.75	1.00
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	7.25	6.75	4.50	1.50
(घ) केवल 3 वर्ष की जमाराशियों के लिए	7.50	7.00	5.00	2.00

2. हमारे 11 सितम्बर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95/सी. 347 (I) - 86 और 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/ 13.01.09/93, समय-समय पर यथासंशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(बी. के. पाल)
कार्यपालक निदेशक

Interest on deposits accepted under FCNR (Banks) Scheme with effect from 9th September, 1996

Maturity Period	Rate of Interest (per cent per annum)			
	Pound Sterling	US Dollar	Deut-sche Mark	Japan-ese Yen
(a) For deposits for 6 months and above but less than 1 year	4.75	4.50	3.00	0.75
(b) For deposits for 1 year and above but less than 2 years	6.50	6.25	3.75	1.00
(c) For deposits for 2 years and above but less than 3 years	7.25	6.75	4.50	1.50
(d) For deposits for 3 years only	7.50	7.00	5.00	2.00

2. All other provisions of directive DBOD No. Dir. BC.95/C.347(I)-86 dated 11th September, 1986 and also directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993 as amended from time to time shall remain unchanged.

(B. K. Pal)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 132/13.01.09/96

17 अक्तूबर 1996
25 आश्विन 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 7 सितंबर 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि सं. डीआइआर. बीसी. 118/13.01.09/96 देखें। यह निर्णय किया गया है कि 18 अक्तूबर 1996 से, उन वाणिज्य बैंकों के साथ किये गये लेनदेन के लिए जो कि प्राधिकृत व्यापारी हैं, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों के संबंध में ब्याज दरों के निर्धारण को संशोधित किया जाये। ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण केवल नयी जमाराशियों तथा परिपक्व होने पर नवीकरण वाली जमाराशियों पर लागू होगा।

2. दिनांक 17 अक्तूबर 1996 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर बीसी. 131/13.01.09/96 संलग्न है, जिसमें ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण दर्शाया गया है।

भवदीय,

(यशवंत मार्डीकर)
महा प्रबंधक

DBOD.No.Dir.BC.132/13.01.09/96

October 17, 1996
Ashwina 25, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

Please refer to our circular DBOD No. Dir.BC.118/13.01.09/96 dated September 7, 1996 on the captioned subject. It has been decided to revise schedule of interest rates relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme, for transactions entered into with commercial banks which are Authorised Dealers, effective October 18, 1996. The revised schedule of interest rates will apply only to fresh deposits and on renewal of maturing deposits.

2. An amending directive DBOD No. Dir. BC.131/13.01.09/96 dated October 17, 1996 indicating the revised schedule of interest rates is enclosed.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 131/13.01.09/96

17 अक्तूबर 1996
25 आश्विन 1918 (शक)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित, 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी 115/13.01.09/93 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि 18 अक्तूबर 1996 से कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जो विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी है, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत अथवा नवीकृत जमाराशियों पर नीचे विनिर्दिष्ट दरों के सिवाय अन्य दरों पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

DBOD.No.Dir.BC.131/13.01.09/96

October 17, 1996
Ashwina 25, 1918 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and in partial modification of the directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993, as amended from time to time, relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme, the Reserve Bank of India, being satisfied that, it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that with effect from 18th October, 1996 no scheduled commercial bank which is an Authorised Dealer in foreign exchange, shall pay interest on deposits accepted by it or renewed by it under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme except in accordance with the rates specified below :

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज- 18 अक्तूबर 1996 से

परिपक्वता अवधि	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)			
	पौंड स्टर्लिंग	अमेरिकी डालर	ड्यूश मार्क	जापानी येन
(क) 6 महीने और उससे अधिक, किंतु 1 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	4.75	4.50	3.00	0.50
(ख) 1 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 2 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	6.25	6.00	3.50	1.00
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	6.75	6.25	4.25	1.25
(घ) केवल 3 वर्ष की जमाराशियों के लिए	7.00	6.50	4.75	1.75

2. हमारे 11 सितम्बर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95/सी. 347 (I) - 86 और 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/ 13.01.09/93, समय-समय पर यथासंशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(बी. के. पाल)
कार्यपालक निदेशक

Interest on deposits accepted under FCNR (Banks) Scheme with effect from 18th October, 1996

Maturity Period	Rate of Interest (per cent per annum)			
	Pound Sterling	US Dollar	Deut-sche Mark	Japan-ese Yen
(a) For deposits for 6 months and above but less than 1 year	4.75	4.50	3.00	0.50
(b) For deposits for 1 year and above but less than 2 years	6.25	6.00	3.50	1.00
(c) For deposits for 2 years and above but less than 3 years	6.75	6.25	4.25	1.25
(d) For deposits for 3 years only	7.00	6.50	4.75	1.75

2. All other provisions of directive DBOD No. Dir. BC.95/C.347(I)-86 dated 11th September, 1986 and also directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993 as amended from time to time shall remain unchanged.

(B. K. Pal)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 134/13.01.01/96

19 अक्तूबर 1996
27 आश्विन 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसम्बर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान 19 अक्तूबर 1996 के गवर्नर के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी 158/07.01.279/96-97 के पैरा 14(डी) की ओर आकर्षित किया जाता है।

वर्तमान में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की घरेलू मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें 30 दिन और 1 वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए "11.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं" के आदेश के अधीन हैं। एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि के लिए बैंक अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह निर्णय किया गया है कि दिनांक **21 अक्तूबर 1996** से 30 दिन और एक वर्ष तक की परिपक्वता अवधि के लिए जमाराशियों पर ब्याज दर "11.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं" से एक प्रतिशत घटाकर "10.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं" की जाये। घरेलू मीयादी जमाराशियों पर ये संशोधित ब्याज दरें केवल नई जमाराशियों तथा परिपक्व जमाराशियों के नवीकरण पर ही लागू होंगी।

एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर दी जानेवाली ब्याज दरों के लिए बैंक अपने संबंधित बोर्ड से पुर्वानुमोदन प्राप्त करना जारी रखें। प्रत्येक बैंक अपनी सभी शाखाओं और सभी

DBOD.No.Dir.BC.134/13.01.01/96

October 19, 1996
Ashwina 27, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS

Please refer to our directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time. In this connection, attention is invited to paragraph 14(d) of Governor's circular No. CPC. BC.158/07.01.279/96-97 dated October 19, 1996.

At present interest rates on domestic term deposits of scheduled commercial banks are subject to a prescription of 'not exceeding 11.0 per cent per annum' for maturity of 30 days and upto 1 year. For maturity of over 1 year, banks are free to fix their own interest rates. It has been decided to reduce effective from **October 21, 1996** the deposit rates for maturity of 30 days and upto 1 year by one percentage point from 'not exceeding 11.0 per cent per annum.' to 'not exceeding 10.0 per cent per annum.' The revised domestic term deposit rates will apply only to fresh deposits and on renewals of maturing deposits.

Banks should continue to obtain the prior approval of their respective Boards for the deposit rates they will be offering on deposits of maturity of over 1 year. At any point of time, individual banks should adopt

ग्राहकों के लिए एक समय में एक सामान ब्याज दर अपनाएं।

इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

दिनांक 19 अक्तूबर 1996 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 133/13.01.01/96 संलग्न है।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

uniform rates at all their branches and for all customers.

All other instructions issued from time to time in this regard will remain unchanged.

An amending directive DBOD No. Dir. BC. 133/13.01.01/96 dated October 19, 1996 is enclosed.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 133/13.01.01/96

19 अक्तूबर 1996
27 आश्विन 1918 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 के अपने निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उपर्युक्त निदेश का अनुबंध - I संलग्न संशोधित अनुबंध से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

DBOD.No.Dir.BC. 133/13.01.01/96

October 19, 1996
Ashwina 27, 1918 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in modification of its directive DBOD. No. Dir. BC.151/C.347/85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the Annexure-I to the aforesaid directive shall be substituted by the enclosed revised Annexure.

2. यह संशोधन 21 अक्तूबर 1996 से लागू होगा।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

अनुबंध

जमाराशियों पर 21 अक्तूबर 1996 से लागू ब्याज दर

(अनिवासी जमाराशियों को छोड़कर)

	खाते की श्रेणी	(प्रतिशत वार्षिक)
(i)	चालू	शून्य
(ii)	बचत	4.5
(iii)	**सावधि जमाराशियां**	
	30 दिन से 1 वर्ष तक	10.0 प्रतिशत से अधिक नहीं
	1 वर्ष से अधिक	मुक्त

2. The amendment shall be effective from October 21, 1996.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

ANNEXURE

Rate of interest on deposits applicable with effect from October 21, 1996

(Excluding Non-Resident Deposits)

	Category of Account	(Per cent per annum)
(i)	Current	Nil
(ii)	Savings	4.5
(iii)	**Term Deposits**	
	30 days and upto 1 year	Not exceeding 10.0
	Over 1 year	Free

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 136/13.01.01/96

19 अक्तूबर 1996
27 आश्विन 1918 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

जमाराशियों पर ब्याज दरें -
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988

कृपया आप 1 जुलाई 1996 की हमारी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 91/13.01.01/96 देखें, जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा लागू की गयी पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमा की गयी राशियों पर ब्याज दरें बैंकों को सूचित की गयी हैं। हमने इन दरों की समीक्षा की है और संशोधित ब्याज दरों की हमारी 19 अक्तूबर 1996 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 135/13.01.01/96 संलग्न है। संशोधित ब्याज दरें 21 अक्तूबर 1996 से लागू होंगी।

2. इस संबंध में जमाराशियों पर ब्याज दरों संबंधी 19 अक्तूबर 1996 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 134/13.01.01/96 की विषय-वस्तु की ओर आपका ध्यान आकर्षिक किया जाता है।

भवदीय,

(यशवंत मार्डीकर)
महा प्रबंधक

DBOD.No.Dir.BC.136/13.01.01/96

October 19, 1996
Ashwina 27, 1918 (Saka)

All Public Sector Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS - CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME, 1988

Please refer to our notification DBOD.No.Dir.BC.91/13.01.01/96 dated July 1, 1996 in terms of which the banks were advised of the rates of interest on deposits made under Capital Gains Accounts Scheme, 1988, introduced by Government of India. We have reviewed these rates and our notification DBOD No. Dir. BC.135/ 13.01.01/96 dated October 19, 1996 advising the revised rates of interest, is enclosed. The revised rates will come into effect from October 21, 1996.

2. In this connection, a reference is invited to the contents of our circular DBOD No. Dir. BC. 134/13.01.01/96 dated October 19, 1996 on interest rates on deposits.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 135/13.01.01/96

19 अक्तूबर 1996
27 आश्विन 1918 (शक)

अधिसूचना

**जमाराशियों पर ब्याज दरें -
पूंजी लाभ खाता योजना, 1988**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क और पूंजी लाभ खाता योजना (कैपिटल गेन्स एकाउंट्स स्कीम), 1988 के पैराग्राफ 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 1 जुलाई 1996 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 91/13.01.01/96 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि पूंजी लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत खाता अ और खाता आ में जमा की गयी राशियों पर बैंकों द्वारा अदा किया जानेवाला ब्याज 21 अक्तूबर 1996 से निम्नलिखित होगा :

खाते की श्रेणी		(प्रतिशत वार्षिक)
(i)	खाता-अ	4.5
(ii)	खाता-आ	
	30 दिन और 1 वर्ष तक के लिए	10.0 प्रतिशत से अधिक नहीं
	1 वर्ष से अधिक	मुक्त

(जे. आर. प्रभू)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.Dir.BC.135/13.01.01/96

October 19, 1996
Ashwina 27, 1918 (Saka)

NOTIFICATION

INTEREST RATES ON DEPOSITS-CAPITAL GAINS ACCOUNTS SCHEME, 1988

In exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and paragraph 8 of the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 and in modification of its Notification DBOD No. Dir. BC.91/13.01.01/96 dated July 1, 1996, Reserve Bank of India hereby specifies that the interest paid by the banks on the deposits made in Account A and B under the Capital Gains Accounts Scheme, 1988 shall be as hereunder, effective October 21, 1996.

Category of Account		(Per cent per annum)
(i)	Account - A	4.5
(ii)	Account - B	
	30 days and upto 1 year	Not exceeding 10.0
	Over 1 year	Free

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 144/13.01.09/96

22 अक्तूबर 1996
30 आश्विन 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) (बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना

जैसा कि आप जानते हैं, 25 नवम्बर 1991 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 52/सी. 347(I)-91 के साथ पठित 11 सितम्बर 1986 और 29 अप्रैल 1993 के हमारे निदेश क्रमशः डीबीबोडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95/सी. 347(I)-86 और बैंपविवि. सं. बीसी.115/ 13.01.09/93 के अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे एक वर्ष में 360 दिन के आधार पर एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान करें। पुनश्च, एफसीएनआर(बी) के अंतर्गत अर्धवार्षिक अथवा उससे अधिक समय के अंतरालों पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है और जमा की तारीख के आधार पर किसी विशेष छमाही में आने वाले दिनों की वास्तविक संख्या को ध्यान में रखते हुए चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। भारतीय बैंक संघ तथा कुछ अन्य बैंकों ने भी हमें अभ्यावेदन दिये हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने के लिए 180 दिन के अंतराल पर उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की अनुमति दी जाय। हमने भारतीय बैंक संघ से परामर्श करके मामले की जाँच की है और यह निर्णय लिया गया है कि 6 महीने से अधिक समय की जमा के लिए बैंकों को 180 दिन के अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की अनुमति दी जाय। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें :

DBOD.No.Dir.BC.144/13.01.09/96

Ocober 22, 1996
Ashwina 30, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

CALCULATION OF INTEREST ON FCNR (B) DEPOSITS

As you are aware, in terms of our directive DBOD No.Dir. BC.95/C.347(I)/86 dated September 11, 1986, and DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated April 29, 1993 read with circular DBOD No. Dir. BC.52/ C.347(I)/91 dated November 25, 1991, banks are required to pay interest on FCNR (B) deposits on the basis of 360 days to a year. Further, interest under FCNR(B) Scheme is compounded at half yearly or longer rests and compounding of interest is done taking into account the actual number of days falling under a particular half-year depending upon the date of placement of deposit. Indian Banks' Association (IBA) as also some banks have represented to us to allow them to compound interest at an interval of 180 days to have uniformity in the methodology of compounding of interest. The matter has been examined by us in consultation with the Indian Banks' Association (IBA) and it has been decided to allow the banks to compound interest at an interval of 180 days for deposits of more than 6 months. The banks are advised to follow the procedure as indicated below for calculation of interest on FCNR (B) deposits :

(i) छह माह के लिये रखी गयी जमाराशियों के लिए, छह माह की अवधि के दौरान बिना चक्रवृद्धि के दिनों की वास्तविक संख्या के लिए ब्याज की गणना की जाएगी।

(ii) छह माह से अधिक की जमाराशियों के लिए, 180 दिन की प्रत्येक कालावधि के लिए और उसके बाद शेष दिनों की वास्तविक संख्या के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाएगा।

(उपर्युक्त आधार पर गणना के कुछ उदाहरण अनुबंध में दिये गये हैं)

2. उपर्युक्त अनुदेश केवल नयी जमाराशियों एवं परिवपक्व होनेवाली जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होंगे।

3. इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

4. दिनांक 22 अक्तूबर 1996 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 143/13.01.09/96 संलग्न है।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

(i) for deposits kept for six months, interest shall be calculated for actual number of days during the six months without any compounding effect,

(ii) for deposits of more than six months, interest shall be calculated for every block of 180 days and thereafter for the remaining actual number of days with compounding effect.

(Few examples of the calculations on the above basis are furnished in the Annexure)

2. The above instructions will apply only to fresh deposits and on renewals of maturing deposits.

3. All other instructions issued from time to time in this regard shall remain unchanged.

4. An amending directive DBOD No. Dir. BC.143/13.01.09/96 dated October 22, 1996 is enclosed.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 143/13.01.09/96

22 अक्तूबर 1996
30 आश्विन 1918 (शक)

विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) (बी) जमाराशियों पर ब्याज की गणना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित, समय-समय पर यथासंशोधित, 11 सितम्बर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95/ सी. 347(I)-86 एवं बैंपविवि. सं. बीसी. 115/13.01.09/93 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 11 सितम्बर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95/ सी. 347(I)-86 के वर्तमान पैरा 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाय :

ब्याज के भुगतान की आवधिकता

जमाराशियों पर ब्याज की गणना एवं भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।

(i) छह माह की परिपक्वतावाली जमाराशियों पर छह माह के दौरान के दिनों की वास्तविक संख्या के लिए बिना चक्रवृद्धि के, और

(ii) छह माह से अधिक समय की परिपक्वता वाली जमाराशियों पर 180 दिनों के अंतराल पर और उसके बाद शेष दिनों की वास्तविक संख्या के लिए चक्रवृद्धि करके।

DBOD.No. Dir.BC.143/13.01.09/96

Ocober 22, 1996
Ashwina 30, 1918 (Saka)

CALCULATION OF INTEREST ON FCNR (B) DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in partial modification of its directive DBOD No. Dir. BC.95/C.347(I)/86 dated September 11, 1986, and DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated April 29, 1993 as amended from time to time, relating to deposits accepted under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the existing paragraph 2 of the directive DBOD No. Dir. BC.95/ C.347(I)/86 dated September 11, 1986 shall be substituted by the following :

Periodicity of Payment of Interest :

Interest on deposits shall be calculated and paid in the manner indicated below :

(i) In respect of deposits of maturity of six months, for the actual number of days during the six months without any compounding effect, and

(ii) in respect of deposits of maturity of more than six months, at intervals of 180 days each and thereafter for remaining actual number of days with compounding effect.

2. समय-समय पर यथासंशोधित, 11 सितम्बर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95/सी. 347(I)-86 के सभी अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

2. All other provisions of the directive DBOD No. Dir. BC.95/C.347(I)/86 dated September 11, 1986 as amended from time to time shall remain unchanged.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

अनुबंध

(i) 10,000 अमेरिका डालर 12.7 .1996 को छह माह के लिए जमा, लगायी गयी ब्याज-दर 4.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

जमाराशि 12.1.1997 को देय होगी और 184 दिन तक रहती है.

उपचित ब्याज 230 अमेरिकी डॉलर है (10,000 x 184/360 x 4.5/100).
जमाकर्ता को 12.1.1997 को 10,230 अमेरिका डालर वापस मिलेंगे.

(ii) 10,000 अमेरिका डालर 12.7.1996 को 6 माह 1 दिन के लिए जमा.

लगायी गयी ब्याज दर 4.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष है,

जमाराशि 13/01/1997 को देय होगी और 185 दिन तक रहती है.

मूलधन + 180 दिन के लिए ब्याज 10,225 अमेरिकी डालर होगा (102.2500 x 100).
10,225 अमेरिकी डालर पर 5 दिन का ब्याज 6.39 अमेरिकी डालर होगा (10,225 x 5/360 x 4.5/100).

Annexure

(i) US $.10000 deposited on 12/07/1996 for six months Rate of interest applied is 4.50% per annum.

The deposit will be due on 12/01/1997 and remains for 184 days.

Interest accuring is US $.230 (10000 x 184/360 x 4.5/100).
The depositor will get back US $.10230 on 12/01/1997.

(ii) US $.10000 deposited on 12/07/1996 for 6 months 1 day.

Rate of interest applied is 4.50% per annum.

The deposit will be due on 13/01/1997 and remains for 185 days.

Principal plus interest for 180 days will be US $.10225 (102.2500 x 100).
Interest for 5 days on US $.10225 will be US $.6.39 (10225 x 5/360 x 4.5/100).

जमाकर्ता को 13.1.1997 को 10231.39 अमेरिकी डालर वापस मिलेंगे (10225 + 6.39)

The depositor will get back US $.10231.39 (10225 + 6.39) on 13/01/1997.

(iii) (क) 10,000 पौण्ड 12.7.1996 को 1 वर्ष के लिए जमा. लगायी गयी ब्याज दर 6.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी. जमाराशि 12.7.1997 को देय होगी और 365 दिन तक रहेगी।

(iii) (a) Pounds 10000 deposited on 12/07/1996 for 1 year. Rate of interest applied will be 6.50% per annum. Deposit will be due on 12/07/1997 and will remain for 365 days.

मूलधन + प्रत्येक 180 दिन की दो अवधि के लिए ब्याज 10660.56 पौण्ड होगा (106.6056 x 100).

Principal plus interest for 2 periods of 180 days each will be pounds 10660.56 (106.6056 x 100).

10660.56 पौण्ड का 5 दिन का ब्याज 9.62 पौण्ड होगा (10660.56 x 5/360 x 6.50/100).

Interest for 5 days on Pounds 10660.56 will be Pounds 9.62 (10660.56 x 5/360 x 6.50/100)

जमाकर्ता को 12.7.1997 को 10670.18 पौण्ड वापस मिलेंगे (10660.56 + 9.62)

Depositor will get back Pounds 10670.18 (10660.56 + 9.62) on 12/07/1997.

(ख) 12.7.1996 को जमा करते समय उपर्युक्त जमाराशि पर उपचित आवधिक ब्याज यदि जमाकर्ता वापस लेना चाहता है तो, 8.1.1997 को 180 दिन की प्रथम अवधि के लिए उसे 325 पौण्ड का (10,000 x 180/360 x 6.50/100). और 7.7.1997 को 180 दिन की द्वितीय अवधि के लिए 325 पौण्ड का ब्याज मिलेगा। 12.7.1997 को उसे 10009.03 पौण्ड वापस मिलेंगे अर्थात् मूलधन 10,000 पौण्ड + 5 दिन का ब्याज 9.03 पौण्ड (10000 x 5/360 x 6.5/100).

(b) If periodical accrued interest is sought to be withdrawn by the depositor on the above deposit while depositing on 12/07/1996, he will get interest of Pounds 325 (10000 x 180/360 x 6.50/100) for first period of 180 days on 08/01/1997 and interest of Pounds 325 for second period of 180 days on 07/07/1997. On 12/07/1997 he will get back Pounds 10009.03, viz. principal Pounds 10000 plus interest for 5 days Pounds 9.03 (10000 x 5/360 x 6.5/100).

(iv) 10,000 अमेरिका डालर 12.7.1996 को 3 वर्ष के लिए जमा. लगायी गयी ब्याज-दर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी. जमाराशि का पुनर्भुगतान 12.7.1997 को होना है.

इन 3 वर्षों में प्रत्येक 180 दिन की तीन अवधि हैं और 15 शेष दिन हैं.

प्रत्येक 180 दिन की 6 अवधि के लिए मूलधन + ब्याज 12292.55 अमेरिकी डालर होगा (122.9255 x 100).

12292.55 अमेरिकी डालर के लिए 15 दिन का ब्याज 35.85 अमेरिकी डालर होगा (12292.55 x 15/360 x 7/100).

जमाकर्ता को 12.7.1999 को 12328.40 अमेरिकी डालर वापस मिलेंगे (12292.55 + 35.85).

(iv) US $. 10000 is deposited on 12/07/1996 for 3 years. Rate of interest applied will be 7% p.a. Deposit is repayable on 12/07/1999.

These 3 years consist of 6 periods of 180 days each and residual 15 days.

Principal plus interest for 6 periods of 180 days each will be US $. 12292.55 (122.9255 x 100)

Interest for 15 days on US $. 12292.55 will be US $.35.85 (12292.55 x 15/360 x 7/100).

Depositor will get back US $.12328.40 (12292.55 + 35.85) on 12/07/1999.

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 147/13.01.09/96

16 नवम्बर 1996
25 कार्तिक 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 17 अक्तूबर 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि सं. डीआइआर. बीसी. 132/13.01.09/96 देखें। यह निर्णय किया गया है कि 18 नवम्बर 1996 से, उन वाणिज्य बैंकों के

DBOD.No.Dir.BC.147/13.01.09/96

November 16, 1996
Kartika 25, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

Please refer to our circular DBOD NO. Dir. BC.132/13.01.09/96 dated October 17, 1996 on the captioned subject. It has been decided to revise schedule of interest rates relating

साथ किये गये लेनदेन के लिए जो कि प्राधिकृत व्यापारी हैं, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों के संबंध में ब्याज दरों के निर्धारण को संशोधित किया जाये। ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण केवल नयी जमाराशियों तथा परिपक्व होने पर नवीकरण वाली जमाराशियों पर लागू होगा।

2. दिनांक 16 नवम्बर 1996 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर बीसी. 146/13.01.09/96 संलग्न है, जिसमें ब्याज दरों का संशोधित निर्धारण दर्शाया गया है।

भवदीय,

(यशवंत मार्डीकर)
महा प्रबंधक

to deposits accepted under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme, for transactions entered into with commercial banks which are Authorised Dealers, effective November 18, 1996. The revised schedule of interest rates will apply only to fresh deposits and on renewals of maturing deposits.

2. An amending directive DBOD No. Dir. BC.146/13.01.09/96 dated November 16, 1996 indicating the revised schedule of interest rates is enclosed.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 146/13.01.09/96

16 नवम्बर 1996
25 कार्तिक 1918 (शक)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखी जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों से संबंधित, समय-समय पर यथा संशोधित, 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी 115/13.01.09/93

DBOD.No.Dir.BC.146/13.01.09/96

November 16, 1996
Kartika 25, 1918 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS HELD UNDER FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) SCHEME

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and in partial modification of the directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993, as amended from time to time, relating to

में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि 18 नवम्बर 1996 से कोई भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक, जो विदेशी मुद्रा का प्राधिकृत व्यापारी है, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत अथवा नवीकृत जमाराशियों पर नीचे विनिर्दिष्ट दरों के सिवाय अन्य दरों पर ब्याज अदा नहीं करेगा :

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत स्वीकृत जमाराशियों पर ब्याज- 18 नवम्बर 1996 से

परिपक्वता अवधि	ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)			
	पौंड स्टर्लिंग	अमेरिकी डालर	ड्यूश मार्क	जापानी येन
(क) 6 महीने और उससे अधिक, किंतु 1 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	5.25	4.50	2.75	0.50
(ख) 1 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 2 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	6.25	5.75	3.50	0.75
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक, किंतु 3 वर्ष से कम की जमाराशियों के लिए	6.75	6.00	4.25	1.00
(घ) केवल 3 वर्ष की जमाराशियों के लिए	7.00	6.25	4.75	1.50

deposits accepted under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme, the Reserve Bank of India, being satisfied that, it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that with effect from 18th November, 1996 no scheduled commercial bank which is an Authorised Dealer in foreign exchange, shall pay interest on deposits accepted by it or renewed by it under Foreign Currency (Non-resident) Accounts (Banks) Scheme except in accordance with the rates specified below :

Interest on deposits accepted under FCNR (Banks) Scheme with effect from 18th November, 1996

Maturity Period	Rate of Interest (per cent per annum)			
	Pound Sterling	US Dollar	Deutsche Mark	Japanese Yen
(a) For deposits for 6 months and above but less than 1 year	5.25	4.50	2.75	0.50
(b) For deposits for 1 year and above but less than 2 years	6.25	5.75	3.50	0.75
(c) For deposits for 2 years and above but less than 3 years	6.75	6.00	4.25	1.00
(d) For deposits for 3 years only	7.00	6.25	4.75	1.50

2. हमारे 11 सितम्बर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95/सी. 347 (I) - 86 और 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 115/ 13.01.09/93, समय-समय पर यथासंशोधित, के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(बी. के. पाल)
कार्यपालक निदेशक

2. All other provisions of directives DBOD No. Dir. BC.95/C.347(I)-86 dated 11th September, 1986 and also directive DBOD No. BC.115/13.01.09/93 dated 29th April 1993 as amended from time to time shall remain unchanged.

(B. K. Pal)
Executive Director

बैंपविवि. सं. बीसी. 157/13.01.09/96

11 दिसम्बर 1996
20 अग्रहायण 1918 (शक)

DBOD.No.Dir.BC.157/13.01.09/96

December 11, 1996
Agrahayana 20, 1918 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

All Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

परिपक्व विदेशी मुद्रा अनिवासी (ए) जमारशियों का विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर)(बी) योजना के अंतर्गत नवीकरण/अतिदेय एफसीएनआर (ए) जमाराशियों पर बकाया ब्याज का भुगतान

RENEWAL OF MATURED FCNR (A) DEPOSITS UNDER FCNR (B) SCHEME/PAYMENT OF OVERDUE INTEREST ON OVERDUE FCNR (A) DEPOSITS

15 अगस्त 1994 से एफसीएनआर (ए) योजना की समाप्ति के फलस्वरूप, बैंक हमसे यह स्पष्टीकरण माँगते रहे हैं कि क्या परिपक्व होने वाली एफसीएनआर (ए) जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान दिनांक 29 जुलाई 1988 के हमारे निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 9/सी. 347(I) 88 के अनुसार किया जा सकता है और क्या इन जमाराशियों का नवीकरण पूर्वव्यापी प्रभाव से एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत किया जा सकता है।

Consequent to withdrawal of FCNR (A) scheme effective 15 August 1994, banks have been seeking our clarification on whether interest on maturing FCNR (A) deposits can be paid as indicated in our directive DBOD No. Dir. BC.9/C.347(I)/88 dated July 29, 1988 and whether these deposits can be renewed under FCNR (B) scheme retrospectively.

2. हमने मामले की जाँच की है और सूचित करते हैं कि ऐसे मामलों में बैंक निम्नानुसार कार्रवाई करें :

(क) एफसीएनआर (ए) की उन जमाराशियों के मामले में जो परिपक्व नहीं हुई हैं, बैंकों को चाहिए कि वे नियत तिथि से काफ़ी पहले, अर्थात् परिपक्वता से 3 माह पहले, जमाराशियों की परिपक्वता के बाद उनके निपटान के बारे में एफसीएनआर(ए) जमाराशियों के सभी धारकों से नये अनुदेश प्राप्त करें। यदि जमाकर्ता एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत निधियों के नियोजन के लिए सहमत होता है, तो परिपक्व होनेवाली एफसीएनआर (ए) जमाराशियाँ नियत तारीखों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पुनः खरीदी जानी चाहिए और एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत उनका पुनर्निवेश किया जाना चाहिए।

(ख) यदि जमाधारकों से नये अनुदेश/सहमति प्राप्त न हो, तो भी बैंकों को चाहिए कि वे नियत तारीखों को भारतीय रिज़र्व बैंक से एफसीएनआर (ए) जमाराशियों को खरीद लें और जैसा उपयुक्त समझें उस तरीके से उनका नियोजन करें क्योंकि परिपक्वता की तारीख के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक से उन्हें ब्याज संबंधी कोई लाभ अथवा विनिमय सुरक्षा प्राप्त नहीं हो सकती।

(ग) यदि ग्राहकों से एफसीएनआर (ए) जमाराशि की परिपक्वता के बाद अनुदेश प्राप्त हों, तो एक संभावित तारीख से निधियों को एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत रखें। यदि बैंक बीच की उस अवधि के लिए जमाकर्ता को क्षतिपूर्ति देना चाहते हैं जिसके दौरान उन्होंने निधियों का उपभोग किया था, तो बैंक अपने विवेकानुसार, ऐसी निधियों के नियोजन से प्राप्त होनेवाले प्रतिफल को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छानुसार उपयुक्त दर पर एफसीएनआर (बी) जमाराशि के रूप में पुनर्नियोजित राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान कर सकते हैं, परंतु किसी भी हालत में ऐसी ब्याज-दर आरएफसी खाता योजना

2. We have examined the matter and advise that the following course of action may be adopted by banks in such cases :

(a) In case of FCNR (A) deposits which have not matured, banks should seek fresh instructions from all the FCNR (A) deposit holders about disposal of the funds on maturity of deposits well before the due dates, say 3 months before the maturity. In case the depositor agrees for placing the funds under FCNR (B) scheme, then the maturing FCNR (A) deposits should be repurchased from RBI on the due dates and reinvested under FCNR (B) scheme.

(b) Even if fresh instructions/ concurrence of deposit holders are not received, the banks should purchase the FCNR (A) deposits on due dates from RBI and deploy the same in the manner they deem appropriate since they cannot get any benefit of interest or exchange cover from RBI beyond the date of maturity.

(c) When the instructions from the customers are received after the maturity of the FCNR (A) deposit, the funds may be placed under FCNR (B) scheme from a prospective date. If the banks desire to compensate the depositor for the intervening period during which the funds were enjoyed by them, banks may, at their discretion, pay simple interest on the amount reinvested as FCNR (B) deposit at a rate they may deem fit

के अंतर्गत रखी बचत बैंक जमाराशियों पर बैंक द्वारा दी जानेवाली दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पुनश्च अपेक्षित विदेशी मुद्रा बाज़ार से खरीदी जानी चाहिए न कि भारतीय रिज़र्व बैंक से। उपर्युक्त अतिदेय ब्याज का भुगतान भी बैंकों द्वारा उनके विवेकानुसार उन सभी मामलों में किया जाना चाहिए जिनमें परिपक्व एफसीएनआर(ए) जमाराशियों का एफसीएनआर(बी) योजना के अंतर्गत पहले ही पुनर्निवेश किया गया हो।

keeping in view the return on deployment of such funds but such rate of interest in no case, should exceed the rate offered by the banks on the Savings Bank deposits held under RFC account scheme. Further, the required foreign exchange should be purchased from the market and not claimed from the RBI. The overdue interest as indicated above can also be paid by the banks at their discretion in all such cases where matured FCNR (A) deposits have already been reinvested under FCNR (B) Scheme.

(घ) ऐसे मामले, जिनमें वर्तमान एफसीएनआर (ए) जमाराशियों की परिपक्वता की तारीख से एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत पुनर्निवेश अथवा 15 अगस्त 1994 से योजना की समाप्ति से पूर्व एफसीएनआर (ए) योजना के अंतर्गत नवीकरण के एफसीएनआर (ए) जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से पूर्व ग्राहकों से अनुदेश पहले ही प्राप्त हो गये हों परंतु किन्हीं कारणों से बैंक ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित न कर सके हों, उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेजा जाना चाहिए और उनके साथ पूरा विवरण भी भेजा जाना चाहिए जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, गलती करने वाले स्टाफ के विरुद्ध की गयी कार्रवाई तथा ग्राहक की शिकायत की क्षतिपूर्ति के लिए उनके प्रस्ताव का उल्लेख होना चाहिए। ऐसे मामलों में, मामले की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट हो लेने के पश्चात्, पूर्वव्यापी प्रभाव से एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत निधियों के पुनर्निवेश की अनुमति दी जा सकती है, परंतु शर्त यह होगी कि संबंधित एफसीएनआर (ए) जमा की परिपक्वता की तारीख के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई विनिमय सुरक्षा नहीं की जाएगी।

(d) The cases where instructions have already been received from the customers before the maturity date of FCNR (A) deposit for renewal under FCNR (A) scheme prior to withdrawal of the scheme from 15 August, 1994 or reinvestment under FCNR (B) scheme from the date of maturity of the existing FCNR (A) deposits but the banks have failed to carry out such instructions for some reason, may be referred to Reserve Bank of India with full details, indicating, inter alia, the action taken against the erring staff and their proposal for redressing the customer's grievance. In such cases, after being satisfied about the bonafides of the case, reinvestment of funds under FCNR (B) scheme with retrospective effect could be allowed subject, however, to the condition that no exchange cover will be provided by RBI beyond the maturity date of the relative FCNR (A) deposit.

3. जो जमाराशियाँ पहले से ही एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत रखी हुई हैं, उनका नवीकरण तथा उन पर अतिदेय ब्याज का भुगतान पूर्णतः दिनांक 29 जुलाई 1988 के हमारे निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 9/सी. 347 (I)-88 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

4. उपर्युक्त अनुदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 एवं 35क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 162/13.01.09/96

24 दिसम्बर 1996
3 पौष 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

स्वदेश लौटनेवाले भारतीयों के विदेशी मुद्रा अनिवासी/अनिवासी बाह्य (रुपया) खातों का निवासी विदेश मुद्रा खातों में परिवर्तन - ब्याज का भुगतान

कृपया आप 20 जनवरी 1993 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 68/13.01.09/93 देखें, जिसमें निवासी मुद्रा खातों में परिवर्तन के प्रयोजन हेतु विदेशी मुद्रा अनिवासी/

3. In case of deposits already placed under FCNR (B) scheme, renewal thereof as also payment of overdue interest thereon has to be done strictly in accordance with the provision indicated in our directive DBOD No. Dir. BC.9/C.347(I)/88 dated July 29, 1988.

4. The above instructions are issued in exercise of the powers conferred under Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

DBOD.No.Dir.BC.162/13.01.09/96

December 24, 1996
Pausha 3, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

CONVERSION OF FCNR/NRE ACCOUNTS OF THE RETURNING INDIANS TO RFC ACCOUNTS - PAYMENT OF INTEREST

Please refer to our circular DBOD No. BC.68/13.01.09/93 dated January 20, 1993

अनिवासी बाह्य (रुपया) खातों की जमाराशियों को अवधिपूर्ण होने से पहले आहरित करने पर दंड लगाने से छूट की सूचना दी गयी है।

इस संबंध में हम विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग द्वारा जारी किये गये 30 अक्तूबर 1996 के परिपत्र सं.ईसी. सीओ. एनआर-एफएडी. 241/18.32.30/96-97 की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। आपको विदित ही है कि जो अनिवासी भारतीय 18 अप्रैल 1992 को या उस के बाद भारत लौट आये हैं, वे भारत में बैंकों के साथ स्वतंत्रता से परिवर्तन हो सकनेवाली विदेशी मुद्रा में निवासी विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं। परन्तु मौजूदा अनुदेशों के अनुसार प्रासंगिक विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते/अनिवासी बाह्य रुपया खाते की जमाराशि पर उतनी ही अवधि के लिए ब्याज मिलेगा जितनी अवधि के लिए जमाराशि रही हो, अर्थात् जमा होने की तारीख से अवधि समाप्त होने से पहले बंद होने की तारीख तक के लिए, बशर्ते जमाराशि न्यूनतम उतनी अवधि तक तो रही ही हो जितनी न्यूनतम अवधि स्वीकृति के समय उपलब्ध थी। बैंकों को विदित ही है कि विदेशी मुद्रा अनिवासी (ए) योजना के अंतर्गत प्रारंभिक परिपक्वता अवधियां क्रमशः समाप्त कर दी गयी थीं और 15 फरवरी 1994 से इस प्रकार की जमाराशियों को केवल तीन वर्ष की अवधि के लिए ही स्वीकार करने की अनुमति दी गयी थी। इस दृष्टि से निवासी विदेशी मुद्रा खाते का विकल्प देने पर अनेक विदेशी मुद्रा अनिवासी (ए) जमाराशियों पर कोई ब्याज नहीं मिल सकता था, भले ही ये जमाराशियां काफी लम्बी अवधि के लिए रही हों। जमाकर्ताओं को राहत देने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि बैंक विदेशी मुद्रा अनिवासी (ए) जमाराशियों पर उतनी अवधि के लिए ब्याज दे सकते हैं जितनी अवधि के लिए जमाराशियां रखी गयी हों, अर्थात निवासी विदेशी मुद्रा खातों में परिवर्तन की तारीख तक। यह ब्याज विदेशी मुद्रा अनिवासी (बी) योजना के अंतर्गत उपलब्ध तदनुरूपी परिपक्वता अवधि के लिए लागू दर पर दिया जायेगा। परन्तु यदि जमाराशि छः महीने तक न रही हो तो उसे ब्याज देय नहीं होगा। यह भी ध्यान रखा जाये कि ब्याज के भाग पर विदेशी मुद्रा विनिमय का जोखिम बैंकों को उठाना चाहिए। इसलिए बैंकों ने विदेशी मुद्रा अनिवासी (ए) जमाराशियों के संबंध में यदि किसी ब्याज का दावा रिज़र्व बैंक में किया हो तो

advising exemption from levy of penalty for premature withdrawal of FCNR/NRE deposits for the purpose of conversion to Resident Foreign Currency Accounts (RFC).

In this connection we invite a reference to the circular No. EC. CO. NR-FAD.241/ 18.32.30/96-97 dated October 30, 1996 issued by ECD in this regard. As you are aware, non-resident Indians who have returned to India on or after 18 April 1992 are eligible to open RFC accounts in any freely convertible foreign currency with banks in India. However, as per the existing instructions the relative FCNR/NRE deposit will earn interest for the period it has run, i.e., from the date of deposit to the date of premature closure, provided the deposit has run for the minimum maturity available at the time of its acceptance. As banks are aware, the maturity period under FCNR (A) Scheme at the shorter end were withdrawn in a phased manner and with effect from February 15, 1994 such deposits were permitted to be accepted for a maturity of 3 years only. In view of this many FCNR (A) depositors could not earn any interest on their opting for RFC Account even when the deposits have run for fairly long period. With a view to providing relief to the depositors, it has been decided that banks may pay interest on FCNR (A) deposits for the period it has run., i.e., upto the date of conversion thereof into RFC accounts, at a rate applicable to the corresponding maturity available under FCNR (B) Scheme. However, no interest is payable if the deposit has not run for 6 months. It may also be noted that the exchange risk on account of interest portion should be borne by the banks. Banks should, therefore, surrender to Reserve Bank

वे उसे छोड़ दें और भविष्य में ब्याज दावों में उसका उल्लेख करें, जो लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो।

2. उपर्युक्त अनुदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 एवं 35क के अंतर्गत जारी किये गये हैं।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

the interest if any, claimed in respect of such FCNRA deposits and indicate the same in future interest claims duly certified by the Auditors.

2. The above instructions are issued under Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

भाग III

ऋण नीति/बैंकों को पुनर्वित्त की समीक्षा

SECTION III

REVIEW OF CREDIT POLICY/REFINANCE TO BANKS

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 24/21.01.001/95

6 मार्च 1995
15 फाल्गुन 1916 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बिल पुनर्भुनाई योजना - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ बिलों की पुनर्भुनाई

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 28 जून 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 81/21.01.001/94 देखें। यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को उनके वास्तविक व्यापारिक और वाणिज्यिक बिलों की पुनर्भुनाई वर्तमान पात्र संस्थाओं के अलावा अब बॉब पारस्परिक निधि के साथ भी करने की अनुमति दी जाये।

2. बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने के लिए अनुमत संस्थाओं की सूची अनुबंध में दी गयी है।

भवदीय,

(आर. जे. फर्नांडिस)
उप मुख्य अधिकारी

DBOD.No.BP.BC.24/21.01.001/95

March 6, 1995
Phalguna 15, 1916 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

BILLS REDISCOUNTING SCHEME-REDISCOUNTING OF BILLS WITH BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

Please refer to our circular DBOD No. BP.BC 81/21.01.001/94 dated 28th June 1994 on the above subject. It has been decided to permit banks to rediscount genuine trade and commercial bills of exchange held by them with the BoB Mutual Fund in addition to existing eligible institutions.

2. The list of institutions permitted to participate in the Bills Rediscounting Scheme is set out in the Annexure.

Yours faithfully,

(R. J. Fernandes)
Deputy Chief Officer

अनुबंध

बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने के लिए अनुमत संस्थाओं की सूची

1. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
2. भारतीय जीवन बीमा निगम
3. भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाएं
4. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.
5. भारतीय यूनिट ट्रस्ट
6. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक
7. भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम लि.
8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
9. भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक निधि
10. चुने हुए शहरी सहकारी बैंक (जो 5 मार्च 1988 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 101/सी. 469-88 के अनुबंध में उल्लिखित हैं)
11. केनबैंक पारस्परिक निधि
12. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
13. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
14. भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि.
15. राष्ट्रीय आवास बैंक
16. भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश कंपनी लि.
17. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.
18. भारतीय निर्यात-आयात बैंक
19. भारतीय जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि
20. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
21. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., बम्बई

ANNEXURE

List of Institutions permitted to participate in the Bills Re-discounting Scheme.

1. All Scheduled Commercial Banks
2. Life Insurance Corporation of India
3. General Insurance Corporation of India and its subsidiaries
4. Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.
5. Unit Trust of India
6. Industrial Reconstruction Bank of India
7. Export Credit and Guarantee Corporation of India Ltd.
8. Industrial Development Bank of India
9. SBI Mutual Fund
10. Select Urban Co-operative Banks (As mentioned in the Annexure to circular DBOD No. BP. BC.101/C.469/88 dated March 5, 1988).
11. Canbank Mutual Fund
12. Industrial Finance Corporation of India
13. National Bank for Agriculture and Rural Development
14. Discount and Finance House of India Ltd.
15. National Housing Bank
16. Shipping Credit and Investment Company of India Ltd.
17. Tourism Finance Corporation of India Ltd.
18. Export - Import Bank of India
19. LIC Mutual Fund
20. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit, Bhopal.
21. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., Bombay.

22. तामिलनाडु स्टेट अपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., मद्रास
23. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
24. बीओआइ पारस्परिक निधि
25. इंडियन बैंक पारस्परिक निधि
26. पीएनबी पारस्परिक निधि
27. जी.आई.सी. पारस्परिक निधि
28. राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर
29. भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.
30. बीओबी पारस्परिक निधि

22. Tamil Nadu State Apex Co-operative Bank Ltd., Madras.
23. Small Industries Development Bank of India
24. BOI Mutual Fund
25. Indian Bank Mutual Fund
26. PNB Mutual Fund
27. GIC Mutual Fund
28. Rajasthan State Co-operative Bank Ltd., Jaipur.
29. Securities Trading Corporation of India Ltd.
30. BoB Mutual Fund

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 53/21.01.001/95

25 अप्रैल 1995
5 वैशाख 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बिल पुनर्भुनाई योजना - बैंकों द्वारा वाणिज्य बिलों की पुनर्भुनाई

कृपया आप गवर्नर के 17 अप्रैल 1995 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 144/07.01.279/94-95 का पैराग्राफ 14(च) देखें।

2. यह पाया गया है कि कुछ बैंक वाणिज्य बिलों और व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) मीयादी वचनपत्रों की पुनर्भुनाई की सुविधा का प्रयोग एक-एक दिन की अवधि के लिए भी करते हैं, जो एक तरह से मांग मुद्रा से नाम-परिवर्तन के रूप में होता है। बैंक वाणिज्य बिलों की पुनर्भुनाई का आश्रय इस

DBOD.No.BP.BC.53/21.01.001/95

April 25, 1995
Vaishakha 5, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

BILLS REDISCOUNTING SCHEME - REDISCOUNTING OF COMMERCIAL BILLS BY BANKS

Please refer to paragraph 14 (f) of Governor's circular No. CPC. BC.144/07.01.279/94-95 dated April 17, 1995.

2. It has been observed that some banks are using the facility of rediscounting of commercial bills and derivative usance promissory notes for as short a period as one day merely as a change in nomenclature from call money. With a view to ensuring that

सुविधा की भावना के अनुसार ही लें, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से हम यह सूचित करते हैं कि 29 अप्रैल 1995 से वाणिज्य बिलों और व्युत्पन्न मीयादी वचनपत्रों की पुनर्भुनाई कम से कम 15 दिन की अवधि के लिए होगी।

3. उपर्युक्त अनुदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 एवं 35क के अंतर्गत जारी किये गये हैं।

भवदीय,

(आर. जे. फर्नांडिस)
उप महा प्रबंधक

banks resort to rediscounting of commercial bills in accord with the spirit of this facility, we advise that effective from April 29, 1995. rediscounting of commercial bills and derivative usance promissory notes should be for a minimum period of 15 days.

3. The above instructions are issued under Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949.

Yours faithfully,

(R. J. Fernandes)
Deputy General Manager

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 54/21.01.001/95

27 अप्रैल 1995
7 वैशाख 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बिल पुनर्भुनाई योजना - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ बिलों की पुनर्भुनाई

कृपया आप उक्त विषयक 6 मार्च 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 24/21.01.001/95 देखें। यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को उनके वास्तविक व्यापारिक और वाणिज्यिक बिलों

DBOD.No.BP.BC.54/21.01.001/95

April 27, 1995
Vaishakha 7, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

BILLS REDISCOUNTING SCHEME-REDISCOUNTING OF BILLS WITH BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

Please refer to our circular DBOD No. BP.BC 24/21.01.001/95 dated 6th March 1995 on the above subject. It has been decided to permit banks to rediscount

की पुनर्भुनाई वर्तमान संस्थाओं के अलावा अब आइडीबीआइ पारस्परिक निधि के साथ भी करने की अनुमति दी जाये।

2. बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने के लिए अनुमत संस्थाओं की सूची अनुबंध में दी गयी है।

भवदीय,

(आर. जे. फर्नांडिस)
महा प्रबंधक

genuine trade and commercial bills of exchange held by them with the IDBI Mutual Fund in addition to existing eligible institutions.

2. The list of institutions permitted to participate in the Bills Rediscounting Scheme is set out in the Annexure.

Yours faithfully,

(R. J. Fernandes)
Deputy General Manager

अनुबंध

बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने के लिए अनुमत संस्थाओं की सूची

1. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
2. भारतीय जीवन बीमा निगम
3. भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाएं
4. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.
5. भारतीय यूनिट ट्रस्ट
6. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक
7. भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम लि.
8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
9. भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक निधि

ANNEXURE

List of Institutions permitted to participate in the Bills Re-discounting Scheme.

1. All Scheduled Commercial banks
2. Life Insurance Corporation of India
3. General Insurance Corporation of India and its subsidiaries
4. Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.
5. Unit Trust of India
6. Industrial Reconstruction Bank of India
7. Export Credit and Guarantee Corporation of India
8. Industrial Development Bank of India
9. SBI Mutual Fund

10. चुने हुए शहरी सहकारी बैंक (जो 5 मार्च 1988 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 101/ सी. 469-88 के अनुबंध में उल्लिखित हैं)

11. केनबैंक पारस्परिक निधि
12. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

13. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

14. भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि.

15. राष्ट्रीय आवास बैंक
16. भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश कंपनी लि.
17. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.

18. भारतीय निर्यात-आयात बैंक
19. भारतीय जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि
20. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
21. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., बम्बई
22. तामिलनाडु स्टेट अपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., मद्रास
23. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

24. बीओआइ पारस्परिक निधि
25. इंडियन बैंक पारस्परिक निधि
26. पीएनबी पारस्परिक निधि
27. जी.आइ.सी. पारस्परिक निधि
28. राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर
29. भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.

30. बीओबी पारस्परिक निधि
31. आइडीबीआइ पारस्परिक निधि

10. Select Urban Co-operative Banks (As mentioned in the Annexure to circular DBOD No. BP. BC.101/C.469/88 dated March 5, 1988).
11. Canbank Mutual Fund
12. Industrial Finance Corporation of India
13. National Bank for Agriculture and Rural Development
14. Discount and Finance House of India Ltd.
15. National Housing Bank
16. Shipping Credit and Investment Company of India Ltd.
17. Tourism Finance Corporation of India Ltd.
18. Export - Import Bank of India
19. LIC Mutual Fund
20. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit, Bhopal.
21. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., Bombay.
22. Tamil Nadu State Apex Co-operative Bank Ltd., Madras.
23. Small Industries Development Bank of India
24. BOI Mutual Fund
25. Indian Bank Mutual Fund
26. PNB Mutual Fund
27. GIC Mutual Fund
28. Rajasthan State Co-operative Bank Ltd., Jaipur.
29. Securities Trading Corporation of India Ltd.
30. BOB Mutual Fund
31. IDBI Mutual Fund

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 68/24.91.001/95

27 जून 1995
6 आषाढ़ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता की अनुमति - निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियां

कृपया आप गवर्नर महोदय के 17 अप्रैल 1995 के ऋण नीति परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 144/07.01.279/94-95 का पैराग्राफ 14(छ) देखें, जिसमें निजी क्षेत्र में स्थापित और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित पारस्परिक निधियों को मांग/सूचना मुद्रा/बिल पुनर्भुनाई बाज़ार में ऋणदाता के रूप में भाग लेने की अनुमति देने से संबंधित नीति घोषित की गयी है। तदनुसार, मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार (रातभर के लिए मांग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधि के लिए अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में केवल ऋणदाता के रूप में भाग लेने के लिए निजी क्षेत्र की निम्नलिखित पारस्परिक निधियों को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।

1. बिड़ला म्यूच्युअल फंड
2. मोर्गन स्टैन्ली म्यूच्युअल फंड
3. ऐपल म्यूच्युअल फंड
4. श्रीराम म्यूच्युअल फंड
5. जे. एम. म्यूच्युअल फंड
6. कोठारी पायोनियर म्यूच्युअल फंड
7. सीआरबी म्यूच्युअल फंड
8. आईसीआईसीआई म्यूच्युअल फंड
9. अलाएन्स कैपिटल म्यूच्युअल फंड
10. ट्वेन्टीथ सेंचुरी म्यूच्युअल फंड
11. टौरस म्यूच्युअल फंड

DBOD.No.FSC.BC.68/24.91.001/95

June 27, 1995
Aashadha 6, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS RE-DISCOUNTING SCHEME - PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS

Please refer to paragraph 14 (g) of Governor's Credit Policy circular No. CPC. BC.144/07.01.279/94-95 dated April 17, 1995 in terms of which Mutual Funds set up in the private sector and approved by SEBI have been permitted access in the call/notice money/bill rediscounting market as lenders. Accordingly, it has been decided to permit the undernoted private sector mutual funds to participate only as lenders in the Call/Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme.

1. Birla Mutual Fund
2. Morgan Stanley Mutual Fund
3. Apple Mutual Fund
4. Shriram Mutual Fund
5. J. M. Mutual Fund
6. Kothari Pioneer Mutual Fund
7. CRB Mutual Fund
8. ICICI Mutual Fund
9. Alliance Capital Mutual Fund
10. 20th Century Mutual Fund
11. Taurus Mutual Fund

2. मांग/सूचना मुद्रा और बिल पुनर्भुनाई बाज़ार में भाग लेने के लिए अनुमत संस्थाओं के नाम अनुबंध में दिये गये हैं

भवदीय,

(जे. आर. प्रभू)
मुख्य महा प्रबंधक

2. The names of institutions permitted to participate in the call/notice money and Bills Rediscounting Markets are set out in the Annexures I and II.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

अनुबंध - I

मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में भाग के लिए अनुमत संस्थाओं की सूची

(अ) मांग/सूचना, मुद्रा बाज़ार और सावधि मुद्रा बाज़ार में ऋणदाता और ऋणकर्ता दोनों के रूप में भाग लेने के लिए अनुमत

1. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
2. सहकारी बैंक
3. भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि.
4. भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.

(आ) मांग/सूचना, मुद्रा बाज़ार में केवल ऋणदाता के रूप में भाग लेने के लिए अनुमत

1. भारतीय जीवन बीमा निगम
2. भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3. भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाएं

ANNEXURE - I

List of Institutions permitted to participate in the Call/Notice Money Market

(A) Permitted to participate in the call/ notice money market and term money market both as lenders and borrowers

1. All scheduled commercial banks
2. Co-operative banks
3. Discount and Finance House of India Ltd.
4. Securities Trading Corporation of India Ltd.

(B) Permitted to participate in the call/ notice money market only as lenders

1. Life Insurance Corporation of India
2. Unit Trust of India
3. General Insurance Corporation of India and its subsidiaries

4.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	4.	Industrial Development Bank of India
5.	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	5.	National Bank for Agriculture and Rural Development
6.	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.	6.	Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.
7.	भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	7.	Industrial Reconstruction Bank of India
8.	भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम लि.	8.	Export Credit and Guarantee Corporation of India Ltd.
9.	भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक निधि	9.	SBI Mutual Fund
10.	केनबैंक पारस्परिक निधि	10.	Canbank Mutual Fund
11.	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	11.	Industrial Finance Corporation of India
12.	राष्ट्रीय आवास बैंक	12.	National Housing Bank
13.	भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश कंपनी लि.	13.	Shipping Credit and Investment Company of India Ltd.
14.	भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.	14.	Tourism Finance Corporation of India Ltd.
15.	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	15.	Export - Import Bank of India
16.	भारतीय जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि	16.	LIC Mutual Fund
17.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	17.	Small Industries Development Bank of India
18.	बीओआइ पारस्परिक निधि	18.	BOI Mutual Fund
19.	इंडियन बैंक पारस्परिक निधि	19.	Indian Bank Mutual Fund
20.	पीएनबी पारस्परिक निधि	20.	PNB Mutual Fund
21.	जी. आइ. सी. पारस्परिक निधि	21.	GIC Mutual Fund
22.	बीओबी पारस्परिक निधि	22.	BOB Mutual Fund
23.	आइडीबीआइ पारस्परिक निधि	23.	IDBI Mutual Fund
24.	बिड़ला म्यूच्युअल फंड	24.	Birla Mutual Fund
25.	मोर्गन स्टैन्ली म्यूच्युअल फंड	25.	Morgan Stanley Mutual Fund
26.	ऐपल म्यूच्युअल फंड	26.	Apple Mutual Fund
27.	श्रीराम म्यूच्युअल फंड	27.	Shriram Mutual Fund
28.	जे. एम. म्यूच्युअल फंड	28.	J. M. Mutual Fund
29.	कोठारी पायोनियर म्यूच्युअल फंड	29.	Kothari Pioneer Mutual Fund
30.	सीआरबी म्यूच्युअल फंड	30.	CRB Mutual Fund
31.	आइसीआइसीआइ म्यूच्युअल फंड	31.	ICICI Mutual Fund
32.	अलाएन्स कैपिटल म्यूच्युअल फंड	32.	Alliance Capital Mutual Fund
33.	ट्वेन्टीथ सेंचुरी म्यूच्युअल फंड	33.	20th Century Mutual Fund
34.	टौरस म्यूच्युअल फंड	34.	Taurus Mutual Fund

अनुबंध - II

बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने के लिए अनुमत संस्थाओं की सूची

1. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
2. भारतीय जीवन बीमा निगम
3. भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाएं
4. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.
5. भारतीय यूनिट ट्रस्ट
6. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक
7. भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम लि.
8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
9. भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक निधि
10. चुने हुए शहरी सहकारी बैंक (जो 5 मार्च 1988 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 101/सी. 469-88 के अनुबंध में उल्लिखित हैं)
11. केनबैंक पारस्परिक निधि
12. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
13. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
14. भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि.
15. राष्ट्रीय आवास बैंक
16. भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश कंपनी लि.
17. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.
18. भारतीय निर्यात-आयात बैंक
19. भारतीय जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि
20. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
21. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., बम्बई

ANNEXURE - II

List of Institutions permitted to participate in the Bills Re-discounting Scheme.

1. All Scheduled Commercial banks
2. Life Insurance Corporation of India
3. General Insurance Corporation of India and its subsidiaries
4. Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.
5. Unit Trust of India
6. Industrial Reconstruction Bank of India
7. Export Credit and Guarantee Corporation of India Ltd.
8. Industrial Development Bank of India
9. SBI Mutual Fund
10. Select Urban Co-operative Banks (As mentioned in the Annexure to circular DBOD No. BP. BC.101/C.469/88 dated March 5, 1988).
11. Canbank Mutual Fund
12. Industrial Finance Corporation of India
13. National Bank for Agriculture and Rural Development
14. Discount and Finance House of India Ltd.
15. National Housing Bank
16. Shipping Credit and Investment Company of India Ltd.
17. Tourism Finance Corporation of India Ltd.
18. Export - Import Bank of India
19. LIC Mutual Fund
20. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit, Bhopal.
21. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., Bombay.

22. तामिलनाडु स्टेट अपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., मद्रास
23. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
24. बीओआइ पारस्परिक निधि
25. इंडियन बैंक पारस्परिक निधि
26. पीएनबी पारस्परिक निधि
27. जी.आइ.सी. पारस्परिक निधि
28. राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर
29. भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.
30. बीओबी पारस्परिक निधि
31. आइडीबीआइ पारस्परिक निधि
32. बिड़ला म्यूच्युअल फंड
33. मोर्गन स्टैन्ली म्यूच्युअल फंड
34. ऐपल म्यूच्युअल फंड
35. श्रीराम म्यूच्युअल फंड
36. जे. एम. म्यूच्युअल फंड
37. कोठारी पायोनियर म्यूच्युअल फंड
38. सीआरबी म्यूच्युअल फंड
39. आइसीआइसीआइ म्यूच्युअल फंड
40. अलाएन्स कैपिटल म्यूच्युअल फंड
41. ट्वेन्टीथ सेंचुरी म्यूच्युअल फंड
42. टौरस म्यूच्युअल फंड

22. Tamil Nadu State Apex Co-operative Bank Ltd., Madras.
23. Small Industries Development Bank of India
24. BOI Mutual Fund
25. Indian Bank Mutual Fund
26. PNB Mutual Fund
27. GIC Mutual Fund
28. Rajasthan State Co-operative Bank Ltd., Jaipur.
29. Securities Trading Corporation of India Ltd.
30. BOB Mutual Fund
31. IDBI Mutual Fund
32. Birla Mutual Fund
33. Morgan Stanley Mutual Fund
34. Apple Mutual Fund
35. Shriram Mutual Fund
36. J. M. Mutual Fund
37. Kothari Pioneer Mutual Fund
38. CRB Mutual Fund
39. ICICI Mutual Fund
40. Alliance Capital Mutual Fund
41. 20th Century Mutual Fund
42. Taurus Mutual Fund

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 130/24.91.001/95

31 अक्तूबर 1995
9 कार्तिक 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्यूच्युअल फंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 जून 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 68/24.91.001/95 देखें। यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित निजी क्षेत्र के म्यूच्युअल फंड्स को **केवल उधारदाताओं के रूप में** माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार (रात भर की माँग मुद्रा और 14 दिन तक की अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाये :

(i) टाटा म्यूच्युअल फंड
(ii) रिलाएंस कैपिटल म्यूच्युअल फंड

भवदीय,

(बी. एस. एम. आचार्य)
महाप्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.130/24.91.001/95

October 31, 1995
Kartika 9, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME - PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.68/24.91.001/95 dated June 27, 1995 on the above subject. It has been decided to permit the undernoted private sector mutual funds also to participate **only as lenders** in the Call/Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme :

i) Tata Mutual Fund
ii) Reliance Capital Mutual Fund

Yours faithfully,

(B.S.M. Acharya)
General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 8/24.91.001/95-96

2 फरवरी 1996
13 माघ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्यूच्युअल फंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 31 अक्तूबर 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 130/24.91.001/95 देखें। यह निर्णय किया गया है कि जार्डीन फ्लेमिंग म्यूच्युअल फंड को भी **केवल उधारदाता के रूप में** माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार (रात भर की माँग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधिवाली अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

भवदीय,

(के. वी. राजन)
उप महाप्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.8/24.91.001/95-96

February 2, 1996
Magha 13, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME - PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.130/24.91.001/95 dated October 31, 1995 on the above subject. It has been decided to permit Jardine Fleming Mutual Fund also to participate **only as lenders** in the Call/Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme.

Yours faithfully,

(K. V. Rajan)
Deputy General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 62/24.91.001/95-96

23 मई 1996
2 ज्येष्ठ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्यूच्युअल फंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 2 फरवरी 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 8/24.91.001/95-96 देखें। यह निर्णय किया गया है कि एच. बी. म्यूच्युअल फंड, टेम्पलटन म्यूच्युअल फंड और सन एफ एंड सी म्यूच्युअल फंड को भी **केवल उधारदाताओं के रूप में** माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार (रात भर की माँग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधिवाली अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

भवदीय,

(बी. एस. एम. आचार्य)
महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.62/24.91.001/95-96

May 23, 1996
Jyestha 2, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME - PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.8/24.91.001/95-96 dated February 2, 1996 on the above subject. It has been decided to permit H. B. Mutual Fund, Templeton Mutual Fund and SUN F & C Mutual Fund also to participate **only as lenders** in the Call/Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme.

Yours faithfully,

(B.S.M. Acharya)
General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. **69/24.92.001/96**

6 जून 1996
16 ज्येष्ठ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई बाजार में सहभागिता के लिए अनुमति - प्राथमिक कारोबारी

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 23 मई 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 62/24.91.001/95-96 देखें। यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित चार प्राथमिक कारोबारियों को **उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के रूप में** माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार (रात भर की माँग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधिवाली अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाय :

1. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
2. एसबीआइ गिल्ट्स लिमिटेड
3. गिल्ट्स सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड
4. आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

भवदीय,

(बी. एस. एम. आचार्य)
महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.69/24.92.001/96

June 6, 1996
Jyestha 16, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING MARKET - PRIMARY DEALERS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.62/24.91.001/95-96 dated May 23, 1996 on the captioned subject. It has been decided to allow the following four Primary Dealers to participate in the Call/Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme **as lenders and borrowers :**

i) PNB Gilts Ltd.
ii) SBI Gilts Ltd.
iii) Gilts Securities Trading Corporation Ltd.
iv) ICICI Securities and Finance Company Ltd.

Yours faithfully,

(B.S.M. Acharya)
General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. **105/24.92.001/96**

2 अगस्त 1996
11 श्रावण 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक और मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार एवं मीयादी मुद्रा बाज़ार में सहभागिता के लिए अनुमत अन्य संस्थाएं (संलग्न सूची के अनुसार)

प्रिय महोदय,

माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार एवं मीयादी मुद्रा बाज़ार में सहभागिता

कृपया, दिनांक 6 जून 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 69/24.92.001/96 देखें जिसके द्वारा

1. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
2. एसबीआइ गिल्ट्स लिमिटेड
3. गिल्ट्स सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड
4. आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

को मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार (रात भर की मांग मुद्रा और 14 दिन की अवधिवाली अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में उधारदाता एवं उधारकर्ता के रूप में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गयी है।

2. यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त चारों प्राथमिक कारोबारियों को तत्काल प्रभाव से उधारदाता एवं उधारकर्ता दोनों ही रूपों में मीयादी मुद्रा बाज़ार में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाये। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लिमिटेड एवं अन्य अनुमत संस्थाओं के साथ वे बाज़ार में भाग लेंगे।

DBOD.No.FSC.BC.105/24.92.001/96

August 2, 1996
Shravan 11, 1918 (Saka)

All Commercial Banks and other Institutions permitted to participate in Call/Notice Money Market and Term Money Market (as per list attached)

Dear Sir,

PARTICIPATION IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND TERM MONEY MARKET

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.69/24.92.001/96 dated June 6, 1996 permitting

i) PNB Gilts Ltd.
ii) SBI Gilts Ltd.
iii) Gilts Securities Trading Corporation Ltd.
iv) ICICI Securities and Finance Company Ltd.

to participate in the call/notice money market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme as lenders and borrowers.

2. It has been decided to permit the above four Primary Dealers to participate in the Term Money Market both as a lender and a borrower with immediate effect. They will participate in the market along with all scheduled commercial banks, cooperative banks, Discount & Finance House of India Ltd., Securities Trading Corporation of India Ltd., and other approved institutions.

3. दिनांक 2 अगस्त 1996 का एक संशोधित निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 104/24.92.001/96 संलग्न है।

भवदीय,

(बी. एस. एम. आचार्य)
महा प्रबंधक

3. An amended Directive DBOD No. FSC. BC.104/24.92.001/96 dated 2nd August is enclosed.

Yours faithfully,

(B.S.M. Acharya)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 104/24.92.001/96

2 अगस्त 1996
11 श्रावण 1918 (शक)

जमाराशियों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि समय-समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 के इसके निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 को नीचे लिखे गये ढंग से तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाये। पैराग्राफ 15, "छूट" में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :

"(क) किसी बैंकिंग संस्था, भूमि विकास बैंक से इतर किसी सहकारी बैंक, भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि., भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि., पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, एसबीआइ गिल्ट्स लिमिटेड, गिल्ट्स सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड और

DBOD.No.FSC.BC.104/24.92.001/96

August 2, 1996
Shravan 11, 1918 (Saka)

INTEREST RATES ON DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that its Directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated 27th December 1985, as amended from time to time, shall be modified with immediate effect, in the manner set out below. In paragraph 15, Exemptions, Clause (a) shall be substituted by the following :

"(a) from a banking institution, a co-operative bank other than Land Development Bank, Discount and Finance House of India Ltd. (DFHI), Securities Trading Corporation of India Ltd. (STCI), PNB Gilts Ltd.,

आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड",

2. समय-समय पर यथासंशोधित, 27 दिसम्बर 1985 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 के अन्य उपबंध यथावत् रहेंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

SBI Gilts Ltd., Gilts Securities Trading Corporation Ltd., ICICI Securities and Finance Company Ltd.",

2. The other provisions of the Directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347/85 dated 27th December 1985, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में भाग के लिए अनुमत संस्थाओं की सूची

(अ) मांग/सूचना, मुद्रा बाज़ार और सावधि मुद्रा बाज़ार में ऋणदाता और ऋणकर्ता दोनों के रूप में भाग लेने के लिए अनुमत

1. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
2. सहकारी बैंक
3. भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि.
4. भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.
5. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
6. एसबीआइ गिल्ट्स लिमिटेड
7. गिल्ट्स सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड
8. आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

List of Institutions permitted to participate in the Call/Notice Money Market

(A) Permitted to participate in the call/ notice money market and term money market both as lenders and borrowers

1. All scheduled commercial banks
2. Co-operative banks
3. Discount and Finance House of India Ltd.
4. Securities Trading Corporation of India Ltd.
5. PNB Gilts Ltd.
6. SBI Gilts Ltd.
7. Gilt Securities Trading Corporation Ltd.
8. ICICI Securities and Finance Company Ltd.

(आ) मांग/सूचना मुद्रा बाज़ार में केवल ऋणदाता के रूप में भाग लेने के लिए अनुमत

1. भारतीय जीवन बीमा निगम
2. भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3. भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाएं
4. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
6. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.
7. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक
8. भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम लि.
9. भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक निधि
10. केनबैंक पारस्परिक निधि
11. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
12. राष्ट्रीय आवास बैंक
13. भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश कंपनी लि.
14. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.
15. भारतीय निर्यात-आयात बैंक
16. भारतीय जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि
17. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
18. बीओआइ पारस्परिक निधि
19. इंडियन बैंक पारस्परिक निधि
20. पीएनबी पारस्परिक निधि
21. जी. आइ. सी. पारस्परिक निधि
22. बीओबी पारस्परिक निधि
23. आइडीबीआइ पारस्परिक निधि
24. बिड़ला म्यूच्युअल फंड
25. मोर्गन स्टैन्ली म्यूच्युअल फंड
26. ऐपल म्यूच्युअल फंड
27. श्रीराम म्यूच्युअल फंड
28. जे. एम. म्यूच्युअल फंड
29. कोठारी पायोनियर म्यूच्युअल फंड

(B) Permitted to participate in the call/ notice money market only as lenders

1. Life Insurance Corporation of India
2. Unit Trust of India
3. General Insurance Corporation of India and its subsidiaries
4. Industrial Development Bank of India
5. National Bank for Agriculture and Rural Development
6. Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.
7. Industrial Reconstruction Bank of India
8. Export Credit and Guarantee Corporation of India Ltd.
9. SBI Mutual Fund
10. Canbank Mutual Bank
11. Industrial Finance Corporation of India
12. National Housing Bank
13. Shipping Credit and Investment Company of India Ltd.
14. Tourism Finance Corporation of India Ltd.
15. Export - Import Bank of India
16. LIC Mutual Fund
17. Small Industries Development Bank of India
18. BOI Mutual Fund
19. Indian Bank Mutual Fund
20. PNB Mutual Fund
21. GIC Mutual Fund
22. BOB Mutual Fund
23. IDBI Mutual Fund
24. Birla Mutual Fund
25. Morgan Stanley Mutual Fund
26. Apple Mutual Fund
27. Shriram Mutual Fund
28. J. M. Mutual Fund
29. Kothari Pioneer Mutual Fund

30. सीआरबी म्यूच्युअल फंड
31. आइसीआइसीआइ म्यूच्युअल फंड
32. अलाएन्स कैपिटल म्यूच्युअल फंड
33. ट्वेन्टीथ सेंचुरी म्यूच्युअल फंड
34. टौरस म्यूच्युअल फंड
35. टाटा म्यूच्युअल फंड
36. रिलाएंस कैपिटल म्यूच्युअल फंड
37. जार्डिन फ्लेमिंग म्यूच्युअल फंड
38. एच. बी. म्यूच्युअल फंड
39. टेम्पल्टन म्यूच्युअल फंड
40. सन एफ एण्ड सी म्यूच्युअल फंड

30. CRB Mutual Fund
31. ICICI Mutual Fund
32. Alliance Capital Mutual Fund
33. 20th Century Mutual Fund
34. Taurus Mutual Fund
35. Tata Mutual Fund
36. Reliance Capital Mutual Fund
37. Jardine Fleming Mutual Fund
38. H. B. Mutual Fund
39. Templeton Mutual Fund
40. Sun F & C Mutual Fund

बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने के लिए अनुमत संस्थाओं की सूची

1. सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
2. भारतीय जीवन बीमा निगम
3. भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक संस्थाएं
4. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि.
5. भारतीय यूनिट ट्रस्ट
6. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक
7. भारतीय निर्यात ऋण और गारंटी निगम लि.
8. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
9. भारतीय स्टेट बैंक पारस्परिक निधि
10. चुने हुए शहरी सहकारी बैंक (जो 5 मार्च 1988 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 101/ सी. 469-88 के अनुबंध में उल्लिखित हैं)
11. केनबैंक पारस्परिक निधि
12. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
13. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

List of Institutions permitted to participate in the Bills Rediscounting Scheme.

1. All Scheduled Commercial banks
2. Life Insurance Corporation of India
3. General Insurance Corporation of India and its subsidiaries
4. Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd.
5. Unit Trust of India
6. Industrial Reconstruction Bank of India
7. Export Credit and Guarantee Corporation of India Ltd.
8. Industrial Development Bank of India
9. SBI Mutual Fund
10. Select Urban Co-operative Banks (As mentioned in the Annexure to circular DBOD No. BP. BC.101/C.469/88 dated March 5, 1988).
11. Canbank Mutual Fund
12. Industrial Finance Corporation of India
13. National Bank for Agriculture and Rural Development

14. भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि.
15. राष्ट्रीय आवास बैंक
16. भारतीय जहाजरानी ऋण और निवेश कंपनी लि.
17. भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि.
18. भारतीय निर्यात-आयात बैंक
19. भारतीय जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि
20. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
21. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., बम्बई
22. तामिलनाडु स्टेट अपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., मद्रास
23. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
24. बीओआइ पारस्परिक निधि
25. इंडियन बैंक पारस्परिक निधि
26. पीएनबी पारस्परिक निधि
27. जी.आइ.सी. पारस्परिक निधि
28. राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि., जयपुर
29. भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.
30. बीओबी पारस्परिक निधि
31. आइडीबीआइ पारस्परिक निधि
32. बिड़ला म्यूच्युअल फंड
33. मोर्गन स्टैन्ली म्यूच्युअल फंड
34. ऐपल म्यूच्युअल फंड
35. श्रीराम म्यूच्युअल फंड
36. जे. एम. म्यूच्युअल फंड
37. कोठारी पायोनियर म्यूच्युअल फंड
38. सीआरबी म्यूच्युअल फंड
39. आइसीआइसीआइ म्यूच्युअल फंड
40. अलाएन्स कैपिटल म्यूच्युअल फंड
41. ट्वेन्टीथ सेंचुरी म्यूच्युअल फंड
42. टौरस म्यूच्युअल फंड
43. टाटा म्यूच्युअल फंड
44. रिलाएंस कैपिटल म्यूच्युअल फंड
45. जार्डिन फ्लेमिंग म्यूच्युअल फंड

14. Discount and Finance House of India Ltd.
15. National Housing Bank
16. Shipping Credit and Investment Company of India Ltd.
17. Tourism Finance Corporation of India Ltd.
18. Export - Import Bank of India
19. LIC Mutual Fund
20. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit, Bhopal.
21. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd., Bombay.
22. Tamil Nadu State Apex Co-operative Bank Ltd., Madras.
23. Small Industries Development Bank of India
24. BOI Mutual Fund
25. Indian Bank Mutual Fund
26. PNB Mutual Fund
27. GIC Mutual Fund
28. Rajasthan State Co-operative Bank Ltd., Jaipur.
29. Securities Trading Corporation of India Ltd.
30. BOB Mutual Fund
31. IDBI Mutual Fund
32. Birla Mutual Fund
33. Morgan Stanley Mutual Fund
34. Apple Mutual Fund
35. Shriram Mutual Fund
36. J. M. Mutual Fund
37. Kothari Pioneer Mutual Fund
38. CRB Mutual Fund
39. ICICI Mutual Fund
40. Alliance Capital Mutual Fund
41. 20th Century Mutual Fund
42. Taurus Mutual Fund
43. Tata Mutual Fund
44. Reliance Capital Mutual Fund
45. Jardine Fleming Mutual Fund

46. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
47. एसबीआइ गिल्ट्स लिमिटेड
48. गिल्ट्स सिक्योरिटीज़ ट्रेड्रिंग कारपोरेशन लिमिटेड
49. आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
50. एच. बी. म्यूच्युअल फंड
51. टेम्पल्टन म्यूच्युअल फंड
52. सन एफ एण्ड सी म्यूच्युअल फंड

46. PNB Gilts Ltd.
47. SBI Gilts Ltd.
48. Gilt Securities Trading Corporation Ltd.
49. ICICI Securities and Finance Company Ltd.
50. H. B. Mutual Fund
51. Templeton Mutual Fund
52. Sun F & C Mutual Fund

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 108/24.91.001/95-96

8 अगस्त 1996
17 श्रावण 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्यूच्युअल फंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 23 मई 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 62/24.91.001/95-96 देखें। यह निर्णय किया है गया कि आइ.टी.सी. थ्रेडनीडल म्यूच्युअल फंड को भी **केवल उधारदाता के रूप में** माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार (रात भर की माँग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधिवाली अल्प

DBOD.No.FSC.BC.108/24.91.001/95-96

August 8, 1996
Shravan 17, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME - PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.62/24.91.001/95-96 dated May 23, 1996 on the above subject. It has been decided to permit ITC Threadneedle Mutual Fund to participate **only as a lender** in the Call/

सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

भवदीय,

(बी. एस. एम. आचार्य)
महा प्रबंधक

Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme.

Yours faithfully,

(B.S.M. Acharya)
General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 124/24.91.001/95-96

30 सितम्बर 1996
8 आश्विन 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक और माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार में सहभागिता के लिए अनुमत अन्य संस्थाएँ

प्रिय महोदय,

माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार और बिल पुनर्भुनाई योजना में सहभागिता के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्यूच्युअल फंड

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 8 अगस्त 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 108/24.91.001/95-96 देखें। यह निर्णय किया गया है कि एस्कोर्ट्स म्यूच्युअल फंड को भी **केवल**

DBOD.No.FSC.BC.124/24.91.001/95-96

September 30, 1996
Ashwina 8, 1918 (Saka)

All Commercial Banks and other Institutions permitted to participate in Call/Notice Money Market

Dear Sir,

PERMISSION TO PARTICIPATE IN CALL/NOTICE MONEY MARKET AND BILLS REDISCOUNTING SCHEME - PRIVATE SECTOR MUTUAL FUNDS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.108/24.91.001/95-96 dated August 8, 1996 on the above subject. It has been decided to permit Escorts Mutual Fund to

उधारदाता के रूप में माँग/सूचना मुद्रा बाज़ार (रात भर की माँग मुद्रा और 14 दिन तक की अवधिवाली अल्प सूचना मुद्रा) तथा बिल पुनर्भनाई योजना में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

भवदीय,

(बी. एस. एम. आचार्य)
महा प्रबंधक

participate **only as a lender** in the Call/ Notice Money Market (overnight call money and short notice money for period upto and including 14 days) and Bills Rediscounting Scheme.

Yours faithfully,

(B.S.M. Acharya)
General Manager

भाग IV

निवेश

SECTION IV

INVESTMENTS

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 8/24.76.002/94-95

1 फरवरी 1995
12 माघ 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप 16 अगस्त 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएमसी. बीसी. 95/27.02.001/94-95 का पैराग्राफ 3 देखें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार से परामर्श करके हाज़िर वायदा संविदा के प्रयोजन हेतु उसमें सूचीबद्ध चार दिनांकित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त भारत सरकार के ज़ीरो कूपन बांड, 2000 का भी अनुमोदन किया है।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य अधिकारी

DBOD.No.FSC.BC.8/24.76.002/94-95

February 1, 1995
Magha 12, 1916 (Saka)

The Chairmen / Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to paragraph 3 of our circular DBOD No. FMC. BC.95/27.02.001/94-95 dated August 16, 1994. Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, has now approved the Zero Coupon Bonds, 2000 of the Government of India for the purpose of ready forward contracts in addition to the four dated securities listed therein.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief Officer

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 23/24.76.002/95

28 फरवरी 1995
9 फाल्गुन 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारा 16 अगस्त 1994 का परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएमसी. बीसी. 95/27.02.001/94-95 देखें।

2. भारत सरकार ने अपनी 18 अक्तूबर 1994 की अधिसूचना एफ. सं. 1/9/एसइ/94 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा हमारे 16 अगस्त 1994 के उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2 में बतायी गयी संस्थाओं के अलावा भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि. को एक ऐसी पात्र संस्था के रूप में अधिसूचित किया है, जो खज़ाना बिलों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के परामर्श से यथाअनुमोदित भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकेगी। इसलिए भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि. के साथ ऊपर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के हाज़िर वायदा लेनदेन करना बैंकों के लिए उचित होगा।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य अधिकारी

DBOD.No.FSC.BC.23/24.76.002/95

February 28, 1995
Phalguna 9, 1916 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FMC. BC.95/27.02.001/94-95 dated August 16, 1994 on the above subject.

2. The Government of India, vide their notification F. No. 1/9/SE/94 dated October 18, 1994, (copy enclosed) have notified Securities Trading Corporation of India Ltd. as an eligible institution in addition to the institutions indicated in paragraph 2 of our circular of August 16, 1994, to undertake ready forward transactions in Treasury Bills and in such dated securities of the Government of India as are approved by the RBI in consultation with the Government. It would, therefore, be in order for banks to enter into ready forward transactions in the securities specified above with Securities Trading Corporation of India Ltd.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief Officer

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRA ORDINARY PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
(ECB AND INVESTMENT DIVISION)

New Delhi, the 18th October, 1994

NOTIFICATION

S.O. (E) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments to the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S.O. 425(E) dated June 1, 1994, namely :

(a) In the first proviso to the said Notification after Serial number (iii), the following serial number and entry shall be inserted, namely :-

"(iv) Securities Trading Corporation of India Limited"

(b) In the Explanation to the said notification, after serial number (iii) the following shall be inserted, namely :-

"(iv) Securities Trading Corporation of India Limited" means the Securities Trading Corporation of

India Limited, a company within the meaning of Companies Act, 1956 which is jointly owned by the Reserve Bank of India, Public Sector Banks and All India Financial Institutions."

F. No.1/9/SE/94

(P. J. Nayak)
Joint Secretary to the Government of India

बैंपविवि. सं. 28 /13.07.05/95

10 मार्च 1995
19 फाल्गुन 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

कंपनी निकायों के शेयरों और ऋणपत्रों (डिबेंचरों) में निवेश और उनकी हामीदारी

जैसा कि हमारे 18 मई 1994 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 61/13.07.05/94 में बताया गया है, बैंक कंपनी निकायों के शेयर (सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की ईक्विटी सहित) और/अथवा ऋणपत्र प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, इनमें हामीदारी बाध्यताओं के कारण धारिताएं भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन ही रखा जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त उच्चतम सीमा में पारस्परिक निधियों (भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित) में निवेश शामिल हैं। इसलिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि मार्च 1995 से प्रारंभ करके पारस्परिक निधियों में किये गये निवेश 26 फरवरी 1990 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 51/सी.96 (एसडी/पीएसबी)-90 के अनुसार प्रस्तुत किये जानेवाले छमाही विवरण में अलग से सम्मिलित किये जायें। उक्त विवरण का संशोधित फार्मेट संलग्न है।

भवदीय,

(यशवंत मार्डीकर)
उप मुख्य अधिकारी

DBOD.No.28/13.07.05/95

March 10, 1995
Phalguna 19, 1916 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INVESTMENTS IN AND UNDERWRITING OF SHARES AND DEBENTURES OF CORPORATE BODIES

As advised in our circular DBOD No. Dir. BC.61/13.07.05/94 dated May 18, 1994, banks are free to acquire shares [including Public Sector Undertaking (PSU) equities] and/or debentures of corporate bodies, including holdings through development of underwriting obligations, subject to the ceiling of 5 per cent of the incremental deposits of the previous year. It is clarified that the ceiling is inclusive of investments in Mutual Funds (including Unit Trust of India). Banks are, therefore, advised that, commencing from March 1995, investments in Mutual Funds should be separately incorporated in the half-yearly statement submitted in terms of our circular DBOD No. Dir. BC.51/C.96(SD/PSB)-90 dated November 26, 1990. A revised format of the statement is enclosed.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
Deputy Chief Officer

कंपनी शेयरों/ऋणपत्रों (डिबेंचरों), सरकारी क्षेत्र के बांडों में और पारस्परिक निधियों के यूनिटों में निवेश और हामीदारी

(राशि - करोड़ रुपये)

बैंक का नाम : _____

		मार्च/सितंबर के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति
अ.	**कंपनी शेयरों और ऋणपत्रों के संबंध में शुद्ध वृद्धि**	
	(क) नये निर्गमों में सीधे अभिदान करके प्राप्त	
	(ख) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के कारण जो लेने पड़े	
	(ग) निजी नियोजन द्वारा प्राप्त	
	(घ) जोड़ अ (क)+(ख)+(ग)	
आ.	**पारस्परिक निधियों (भारतीय यूनिट ट्रस्ट सहित) के यूनिटों में शुद्ध निवेश**	
इ.	**जोड़ अ + आ**	
ई.	**सरकारी क्षेत्र के बांडों के संबंध में शुद्ध वृद्धि**	
	(क) सीधे अभिदान करके प्राप्त	
	(ख) हामीदारी प्रतिबद्धताओं के कारण जो लेने पड़े	
	(ग) निजी नियोजन द्वारा प्राप्त	
	(घ) जोड़ ई	
उ.	**पिछले राजकोषीय वर्ष अर्थात् मार्च के अंतिम शुक्रवार को वृद्धिशील जमाराशियां**	
ऊ.	**उ में इ का प्रतिशत**	

टिप्पणी : मार्च के अंत की स्थिति की विवरणी में पिछले वर्ष अप्रैल से 31 मार्च (अर्थात् विवरण की तारीख) तक की अवधि में हुई शुद्ध वृद्धि दिखायी जानी चाहिए।

सितम्बर के अंत की स्थिति की विवरणी में पहली अप्रैल से 30 सितम्बर (अर्थात् विवरण की तारीख) तक की अवधि में हुई शुद्ध वृद्धि दिखायी जानी चाहिए।

Investments in corporate shares/debentures, public sector bonds and units of Mutual Funds

(Amount in crores of rupees)

Name of Bank : _____

As on the last working day of March/September_____

A. Net additions in respect of Corporate Shares and Debentures

(a) Acquired by direct subscription to new issues

(b) Devolution by way of underwriting commitments

(c) Acquired by way of private placement

(d) Total A (a) + (b) + (c)

B. Net investments in Units of Mutual Funds (including those of Unit Trust of India)

C. Total A + B

D. Net additions in respect of Public Sector Bonds

(a) Acquired by direct subscription

(b) Devolution by way of underwriting commitments

(c) Acquired by way of private placement

Total D

E. Incremental deposits of the previous fiscal year i.e. as on last Friday of March

F. Percentage of C to E

Note :- The return as at the end of March should indicate the net additions made during the period 1st April of previous year to 31st March (i.e. date of statement)

The return as at the end of September should indicate the net additions made during the period 1st April to 30th September (i.e. date of statement).

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 31/24.76.002/94-95

21 मार्च 1995
30 फाल्गुन 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारे 16 अगस्त 1994 के परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएमसी. बीसी. 95/27.02.001/94-95 का पैराग्राफ 3 और 1 फरवरी 1995 का परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 8/24.76.002/94-95 देखें।

2. यह निर्णय लिया गया है कि ऊपर उल्लिखित परिपत्रों में अनुमोदित सभी पांचों प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा लेनदेनों की अनुमति तभी होगी जब उक्त लेनदेन बम्बई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 21 मार्च 1995 का अनुदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 30/24.76.002/95 संलग्न है।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य अधिकारी

DBOD.No.FSC.BC.31/24.76.002/94-95

March 21, 1995
Phalguna 30, 1916 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to paragraph 3 of our circular DBOD No. FMC. BC.95/27.02.001/94-95 dated August 16, 1994 and DBOD No. FSC. BC.8/24.76.002/94-95 dated February 1, 1995 on the above subject.

2. It has been decided that ready forward deals in all the five securities approved in the above mentioned circulars will be permitted, only if the transations are effected at Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A Directive DBOD. No. FSC. BC.30/24.76.002/95 dated March 21, 1995 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief Officer

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 30/24.76.002/94-95

21 मार्च 1995
30 फाल्गुन 1916 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा निदेश देता है कि नीचे बतायी गयी सभी पांचों प्रतिभूतियों में हाज़िर वायदा सौदों की अनुमति केवल तभी दी जायेगी, जब उक्त लेनदेन बम्बई में हों और उक्त सौदे सहायक सामान्य बही खातों (एसजीएल खातों) के माध्यम से किये जायें।

(i) 12.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1995

(ii) 12.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1996

(iii) 12.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1999

(iv) 12.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2004

(v) भारत सरकार शून्य कूपन बांड, 2000

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.30/24.76.002/94-95

March 21, 1995
Phalguna 30, 1916 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

In exercise of the powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs, that ready forward deals in all the five securities listed below will be permitted only if the transactions are effected in Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(i) 12.00 per cent Government Stock, 1995

(ii) 12.75 per cent Government Stock, 1996

(iii) 12.00 per cent Government Stock, 1999

(iv) 12.50 per cent Government Stock, 2004

(v) Government of India Zero Coupon Bonds, 2000

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 37/21.04.048/95

3 अप्रैल 1995
13 चैत्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंकों का निवेश संविभाग -
प्रतिभूतियों का कारोबार

बैंक की लेखा-परीक्षा समिति की एक बैठक 10 मार्च 1995 को आयोजित की गयी थी जिसमें भारतीय सनदी लेखा-परीक्षक संस्थान (आइसीएआइ) और कुछ प्रमुख बैंकों के अध्यक्ष शामिल थे। इसकी अध्यक्षता उप-गवर्नर (श्री तलवार) ने की थी। बैठक में निवेशों के मूल्यांकन से संबंधित वर्तमान दिशानिर्देशों की समीक्षा की गयी। बैठक में हुई चर्चा के आधार पर हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :

1. "स्थायी" निवेशों का मूल्यांकन

20 जून 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 143ए/24.48.001/91-92 के साथ संलग्न लेखा-परीक्षा विषयक मानदण्डों से संबंधित अनुबंध में यह उल्लेख किया गया था कि यदि "स्थायी" निवेशों को बही मूल्य पर धारित किया जाता है तो अभिग्रहण मूल्य (अभिग्रहण लागत) और शोधन मूल्य के बीच का अंतर अभिग्रहण से शोधन की तारीख के बीच की अवधि तक उपचित होना चाहिए और उसे आय अथवा व्यय माना जाना चाहिए। पुनश्च, 4 फरवरी 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 8/21.04.043/94 में यह स्पष्ट किया गया था कि जबकि बैंक अपनी इच्छा से बाज़ार मूल्य पर सतत आधार पर "स्थायी" श्रेणी के अंतर्गत अनुमोदित

DBOD.No.BP.BC.37/21.04.048/95

April 3, 1995
Chaitra 13, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INVESTMENT PORTFOLIO OF BANKS-
TRANSACTIONS IN SECURITIES

A meeting of the Bank Audit Committee comprising representatives of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and Chairmen of some major banks was held on 10 March 1995. It was presided over by Deputy Governor (Shri Talwar). The meeting reviewed the existing guidelines on valuation of investments. In the light of the discussion held in the meeting, we advise as under :

1. Valuation of "permanent" investments

In the annexure on accounting standards attached to our circular DBOD No. FSC. BC.143A/24.48.001/91-92 dated 20 June 1992 it was indicated that if the "permanent" investments are carried at book value, the difference between the acquisition price (acquisition cost) and the redemption price should be accrued over the period from the acquisition to the redemption date and should be recognised as income or expense. Further, in our circular DBOD No. BP. BC.8/ 21.04.043/94 dated 4 February 1994 it was clarified that while banks may, at their option,

ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, उन्हें उन प्रतिभूतियों के मामले में ऐसा नहीं करना चाहिए जिनका बाज़ार मूल्य तुलन-पत्र की तारीख को बही मूल्य (लागत) से अधिक हो। दूसरे शब्दों में, ऐसे मामलों में, इन प्रतिभूतियों को अंकित/शोधन मूल्य से अधिक मूल्य पर धारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे निवेशों के संबंध में अप्राप्त लाभ को मान्यता प्राप्त होगी। अब यह निर्णय किया गया है कि "स्थायी" निवेशों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाना चाहिए और यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो, प्रीमियम का परिशोधन प्रतिभूति की परिपक्वता की शेष अवधि के बीच होना चाहिए। दूसरी ओर, यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से कम हो तो, बीच के अंतर की परवाह नहीं करनी चाहिए और उसका परिशोधन नहीं किया जाना चाहिए अथवा उसे आय खाते में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऐसी राशि अप्राप्त लाभ की द्योतक होती है।

value the approved debt securities under the "permanent" category on a consistent basis at market value, they should refrain from doing so in respect of securities whose market price is higher than the book value (cost) on the balance sheet date. In other words, in these cases, it will not be permissible to carry these securities at a value higher than face/redemption value as this will result in recognising unrealised gain in respect of such investments. It has now been decided that the "permanent" investments should be valued at cost and in case the cost price is higher than the face value, the premium should be amortized over the remaining period of maturity of the security. On the other hand, where the cost price is less than the face value, the difference should be ignored and should not be amortized or taken to income account since the amount represents unrealised gain.

2. सकल अथवा शुद्ध मूल्यह्रास पर धारित निवेश

यह निर्णय लिया गया था कि "निवेशों" को तुलन-पत्र में शुद्ध मूल्यह्रास के रूप में दिखाया जाना चाहिए। तथापि, बैंकों को यह छूट होगी कि वे, प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ, तुलन-पत्र में निवेशों के बही मूल्य, उनके तहत मूल्यह्रास और निवेशों की शुद्ध राशि को अलग से दर्शायें।

2. Investments to be carried at gross or net of depreciation

It was decided that "investments" should be shown in the balance sheet net of depreciation. It would, however, be open to the banks, for disclosure purposes, to show in the balance sheet the book value of investments, the depreciation thereagainst and net amount of investments separately.

3. तिमाही आधार पर निवेशों का मूल्यांकन

20 जून 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 143ए/24.48.001/91-92 में यह उल्लेख किया गया कि "चालू" श्रेणी में प्रतिभूतियों के धारण मूल्य का तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब यह निर्णय किया गया है कि "चालू"

3. Valuation of investments on a quarterly basis

In our circular DBOD No. FSC. BC.143A/ 24.48.001/91-92 dated 20 June 1992, it was mentioned that the carrying value of securities under "current" category should be revalued at market prices on a quarterly

श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का धारण सतत आधार पर लागत अथवा बाज़ार मूल्य से कम पर किया जाना चाहिए और यह कि मूल्यांकन तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, तिमाही आधार पर मूल्यांकन का आधार वही होगा जैसा कि वार्षिक लेखा के लिए होता है। यह भी निर्णय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष अंतिम लेखा के लिए हमारे द्वारा परिचालित विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के परिपक्वता-प्रतिफल (वाइटीएम) का उपयोग निवेशों के तिमाही मूल्यांकन हेतु बाद की तिमाहियों के लिए भी होना चाहिए। ऐसे तिमाही मूल्यांकनों के आधार पर बैंक कल्पित आधार पर लाभ अथवा हानि का आकलन कर सकते हैं और इस तरह के लाभ अथवा हानि को दर्शाने के लिए कोई प्रविष्टि दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी।

basis. It has now been decided that the investments under "current" category should be carried at lower of cost or market value, on a consistent basis and that the valuation should be done on a quarterly basis. In other words, the basis of valuation on quarterly basis would be the same as that followed for annual accounts. It was also decided that the rates of Yield To Maturity (YTM) of different kinds of securities circulated by us for the final accounts of each year should be used for the subsequent quarters also for the purpose of quarterly valuation of investments. The banks may arrive on notional basis gains or losses on the basis of such quarterly valuation and it may not be necessary to pass entries booking such gains or losses.

4. अतिरिक्त मूल्यहास, यदि कोई हो, का उपचार

यह निर्णय लिया गया था कि चालू निवेशों के मूल्यहास को शेड्यूल 14 के अंतर्गत नामे मद के रूप में लाभ-हानि खाते में दर्शाया जाना चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया था कि जहाँ "चालू" निवेशों पर मूल्यहास दिया जाता है वहाँ बाद के वर्ष में, संबंधित प्रतिभूतियों के बाज़ार मूल्य में सुधार हो जाने पर, मूल्यहास संबंधी अतिरिक्त प्रावधान को लाभ-हानि खाते में डाला जा सकता है और उसके बाद उसे "प्रारक्षित पूँजी" खाते में डाला जा सकता है।

4. Treatment of excess depreciation, if any

It was decided that depreciation on "current" investments should be shown in the profit and loss account as a debit item under schedule 14. It was also decided that where depreciation is provided on "current" investments but in a subsequent year, the market price of the relevant securities improved, the excess provision towards depreciation could be taken to the profit and loss account and thereafter it could be appropriated to the "capital reserve" account.

5. पुनःपूँजीकरण बाण्डों का उपचार

पुनः पूँजीकरण बाण्डों को "स्थायी" अथवा "चालू" निवेशों का हिस्सा माना जाएगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकार से प्राप्त पुनः पूँजीकरण बाण्डों पर मूल्यहास का प्रावधान करना आवश्यक नहीं

5. Treatment of recapitalisation bonds

The recapitalisation bonds will not form part of "permanent" or "current" investments. It will not be necessary to provide for depreciation on the recapitalisation bonds

होगा। तथापि, यदि बैंकों को निवेश के प्रयोजनार्थ दूसरे बैंको ने पुनःपूँजीकरण बाण्ड प्राप्त होते हैं तो मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाना चाहिए।

received by the nationalised banks from Government. In case, however, banks acquire recapitalisation bonds of other banks for investment purposes, the depreciation, if any, will have to be provided for.

6. "स्थायी" और "चालू" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों के वर्गीकरण के संबंध में प्रतिशत का संशोधन

6. Modification of percentages in respect of classification of investments under "permanent" and "current" category.

27 अप्रैल 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 129/21.04.043/92 में यह उल्लेख किया गया था कि प्रारंभिक तौर पर, लेखा-वर्ष 1992-93 के लिए बैंकों को अपने निवेशों का 70 प्रतिशत से अधिक "स्थायी" श्रेणी में नहीं रखना चाहिए जिसे यथासमय कम करके 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए। बैठक में यह सुझाव दिया गया था कि इस अनुपात को 60:40 के अनुपात पर नीचे लाना आवश्यक है। तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि "स्थायी" और "चालू" निवेशों में अनुमोदित प्रतिभूतियों के अनुपात को 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए भी 70:30 के अनुपात में बनाये रखा जाये।

In our circular DBOD No. BP. BC.129/ 21.04.043/92 dated 27 April 1992, it was stated that, to begin with, banks should keep not more than 70% of their investments in "permanent" category for the accounting year 1992-93 which would be brought down to 50% in due course. It was suggested in the meeting that there was a need for bringing down the ratio to 60:40. It was, however, decided to maintain the ratio of approved securities into "permanent" and "current" investments at 70:30 for the year ended 31 March 1995 also.

7. प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ का प्रविष्टि-पथ

7. Routing of gain from sale of securities

27 अप्रैल 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 129/21.04.043/92में बैंकों को यह सूचित किया गया था कि "स्थायी" श्रेणी में प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त किसी लाभ को "प्रारक्षित पूँजी" खाते में डालना चाहिए। अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे लाभ को पहले लाभ-हानि खाते में डालना चाहिए

In our circular DBOD No. BP. BC.129/ 21.04.043/92 dated 27 April 1992, banks were advised that any gain on sale of securities in the "permanent" category should be taken to "capital reserve" account. It has now been decided that such gain should be

और बाद में उसे "प्रारक्षित पूँजी" खाते में डाला जा सकता है।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य अधिकारी

first taken to the profit and loss account and thereafter it could be appropriated to the "capital reserve" account.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief Officer

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 38/13.07.05/95

4 अप्रैल 1995
14 चैत्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

कंपनी निकायों के शेयरों और ऋणपत्रों (डिबेंचरों) में निवेश और उनकी हामीदारी

हमें जानकारी मिली है कि कतिपय बैंक शेयरों/ऋणपत्रों के अभिग्रहण के लिए द्वितीयक बाज़ार में व्यापार करते हैं, जो कि उचित नहीं है। इस संबंध में हम आपका ध्यान 18 मई 1994 के अपने परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 61/13.07.05/94 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके अनुसार बैंकों को पिछले वर्ष की अपनी वृद्धिशील जमाराशियों के 5 प्रतिशत की सीमा तक कंपनी निकायों (सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की ईक्विटी सहित) में **सीधे अभिदान,** निजी स्थापना सहित, करने की अनुमति बैंकों को दी गयी है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि **द्वितीयक बाज़ार में व्यापार करने की उन्हें**

DBOD.No.Dir.BC.38/13.07.05/95

April 4, 1995
Chaitra 14, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INVESTMENT IN AND UNDERWRITING OF SHARES AND DEBENTURES OF CORPORATE BODIES

It has come to our notice that certain banks have been trading in secondary market for acquiring shares/debentures, which is not in order. In this connection we invite a reference to our circular DBOD No. Dir. BC.61/13.07.05/94 dated May 18, 1994 in terms of which banks have been permitted to **directly subscribe,** including private placements, to shares and debentures of corporate bodies (including equities of Public Sector Undertakings) upto 5% of the incremental deposits of the previous year. The banks are

अनुमति नहीं है और इसलिए वे द्वितीयक बाज़ार में शेयर/ऋणपत्र आदि प्राप्त न करें।

भवदीय,

(यशवंत मार्डीकर)
उप मुख्य अधिकारी

advised that **they are not permitted to trade in the secondary market** and as such they should desist from resorting to acquisition of shares/debentures etc. in the secondary market.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
Deputy Chief Officer

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 69 /13.07.05/95

28 जून 1995
7 आषाढ़ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

कंपनी निकायों के शेयरों और ऋणपत्रों (डिबेंचरों) में निवेश और उनकी हामीदारी

कृपया आप कंपनी शेयरों और डिबेंचरों में बैंकों के निवेशों से संबंधित हमारा 18 मई 1994 का परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 61/13.07.05/94 देखें।

2. बैंकों ने यह स्पष्ट करने के लिए हमें लिखा है कि क्या कंपनी शेयरों और डिबेंचरों में निवेश के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा का पालन वर्ष के अंत में ही किया जाना है। इस संबंध में हम स्पष्ट करते हैं कि बैंकों को पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा का पालन **सतत आधार पर**

DBOD.No.Dir.BC.69/13.07.05/95

June 28, 1995
Ashadha 7, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INVESTMENTS IN AND UNDERWRITING OF SHARES AND DEBENTURES OF CORPORATE BODIES

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC.61/13.07.05/94 dated May 18, 1994 relating to banks' investments in corporate shares and debentures.

2. We have been receiving references from banks seeking clarification as to whether the ceiling prescribed for investments in corporate shares and debentures has to be observed only at the end of the year. In this connection, we clarify

करना है। बैंकों को सावधानी रखनी चाहिए कि इस सीमा का उल्लंघन न हो।

3. हमारे 18 मई 1994 के परिपत्र में निर्धारित अन्य शर्तों और बाद के अनुदेशों का भी पालन किया जाना चाहिए।

भवदीय,

(यशवंत मार्डीकर)
उप महा प्रबंधक

that banks are required to adhere to the ceiling of 5% of incremental deposits of the previous year on **an on-going basis.** Banks should exercise care to see that the limit is not exceeded.

3. The other conditions stipulated in our circular dated May 18, 1994 and subsequent instructions should be observed.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
Deputy General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 74/24.76.002/95-96

12 जुलाई 1995
21 आषाढ़ 1917 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 21 मार्च 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 31/24.76.002/94-95 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित पांच दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा 13.25 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 (12 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1995 के बदले में

DBOD.No.FSC.BC.74/24.76.002/95-96

July 12, 1995
Ashadha 21, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.31/24.76.002/94-95 dated March 21, 1995 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.25 per cent Government Stock, 1997 (being issued in

जारी किया जा रहा है) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अब अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन बम्बई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 12 जुलाई 1995 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 73/24.76.002/95 संलग्न है।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

conversion of 12 per cent Government Stock. 1995) for the purpose of ready forward contracts, in addition to the five dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.73/24.76.002/95 dated July 12, 1995 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 73/24.76.002/95-96

12 जुलाई 1995
21 आषाढ़ 1917 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425(ई) के जरिए यथा संशोधित 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में, जो केन्द्रीय सरकार ने प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की थी; हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए 13.25 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 का अनुमोदन कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का

DBOD.No.FSC.BC.73/24.76.002/95-96

July 12, 1995
Ashadha 21, 1917 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contract (Regulation) Act, 1956, approved the 13.25 per cent Government Stock, 1997 for the purpose of ready forward contracts, the Bank

प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.25 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक 13.25 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल बंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों से किये जाएंगे।

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.25 per cent Government Stock, 1997 subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.25 per cent Government Stock, 1997 only at Bombay and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 79/24.76.002/95-96

27 जुलाई 1995
5 श्रावण 1917 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 12 जुलाई 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 74/24.76.002/95-96 देखें।

DBOD.No.FSC.BC.79/24.76.002/95-96

July 27, 1995
Shravana 5, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.74/24.76.002/95-96 dated July 12, 1995 on the above subject.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पहले ही अनुमोदित की जा चुकी छह दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब भारत सरकार के शून्य (जीरो) कूपन बांड, 2000 (द्वितीय श्रृंखला) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन बम्बई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 27 जुलाई 1995 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 78/24.76.002/95 संलग्न है।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the Government of India Zero Coupon Bonds, 2000 (Second Series) for the purpose of ready forward contracts, in addition to the six dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.78/24.76.002/95-96 dated July 27, 1995 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 78/24.76.002/95-96

27 जुलाई 1995
5 श्रावण 1917 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में भारत सरकार के शून्य (जीरो) कूपन

DBOD.No.FSC.BC.78/24.76.002/95-96

July 27, 1995
Shravana 5, 1917 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contract

बांड, 2000 (द्वितीय श्रृंखला) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत सरकार के शून्य (ज़ीरो) कूपन बांड, 2000 (द्वितीय शृंखला) के हाज़िर वायदा लेनदेन सौदे कर सकते हैं :

(i) बैंक भारत सरकार के शून्य (ज़ीरो) कूपन बांड, 2000 (द्वितीय श्रृंखला) के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल बंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से ही किये जाएंगे।

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

(Regulation) Act, 1956, approved the Government of India Zero Coupon Bonds, 2000 (Second Series) for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in Government of India Zero Coupon Bonds, 2000 (Second Series) subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in Government of India Zero Coupon Bonds, 2000 (Second Series) only at Bombay and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 88/24.76.002/95-96

21 अगस्त 1995
30 श्रावण 1917 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 27 जुलाई 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 79/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित सात दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 13.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1998 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन बम्बई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 21 अगस्त 1995 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 87/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.88/24.76.002/95-96

August 21, 1995
Shravana 30, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.79/24.76.002/95-96 dated July 27, 1995 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.65 per cent Government Stock, 1998 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the seven dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.87/24.76.002/95-96 dated August 21, 1995 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 87/24.76.002/95-96

21 अगस्त 1995
30 श्रावण 1917 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 13.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1998 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1998 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक 13.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1998 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल बंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(डी. एस. रामचंद्र राजू)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.87/24.76.002/95-96

August 21, 1995
Shravana 30, 1917 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 13.65 per cent Government Stock, 1998 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.65 per cent Government Stock, 1998 subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.65 per cent Government Stock, 1998 only at Bombay and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(D. S. Ramachandra Raju)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 94/24.76.002/95-96

4 सितंबर 1995
13 भाद्रपद 1917 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 21 अगस्त 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 88/24.76.002/94-95 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित आठ दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा 13.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अब अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन बम्बई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 4 सितम्बर 1995 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 93/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.94/24.76.002/95-96

September 4, 1995
Bhadra 13, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.88/24.76.002/95-96 dated August 21, 1995 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.50 per cent Government Stock, 1997 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the eight dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.93/24.76.002/95-96 dated September 4, 1995 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 93/24.76.002/95-96

4 सितम्बर 1995
13 भाद्रपद 1917 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 13.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 में हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक 13.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल बंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.93/24.76.002/95-96

September 4, 1995
Bhadra 13, 1917 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 13.50 per cent Government Stock, 1997 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.50 per cent Government Stock, 1997 subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.50 per cent Government Stock, 1997 only at Bombay and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 96/24.76.002/95-96

11 सितम्बर 1995
20 भाद्रपद 1917 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 4 सितम्बर 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 94/ 24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित नौ दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 14.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 जिसके लिए किस्तों में अदायगी की गयी है, को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिये अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन बम्बई में किये जाए और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 11 सितम्बर 1995 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 95/ 24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.96/24.76.002/95-96

September 11, 1995
Bhadra 20, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.94/24.76.002/95-96 dated September 4, 1995 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 14.00 per cent Government Stock, 2005 for which the payment is made in instalments for the purpose of ready forward contracts, in addition to the nine dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.95/ 24.76.002/95-96 dated September 11, 1995 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 95/24.76.002/95-96

11 सितम्बर 1995
20 भाद्रपद 1917 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 14.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 जिसके लिए किस्तों में अदायगी की गयी है, को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 14.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 जिसके लिए किस्तों में अदायगी की गयी है, के हाज़िर वायदा लेनदेने कर सकते हैं :

(i) बैंक 14.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 जिसके लिए किस्तों में अदायगी की गयी है, के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल बंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से ही किये जाएंगे।

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

Sec. IV

DBOD.No.FSC.BC.95/24.76.002/95-96

September 11, 1995
Bhadra 20, 1917 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 14.00 per cent Government Stock, 2005 for which the payment is made in instalments for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 14.00 per cent Government Stock, 2005 for which the payment is made in instalments subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 14.00 per cent Government Stock, 2005 for which the payment is made in instalments only at Bombay and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(A. P. Aiyer)
Executive Director

Sec. IV

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 113/24.76.002/95-96

29 सितम्बर 1995
7 आश्विन 1917 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त से संबंधित 11 सितम्बर 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 96/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दस दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब भारत सरकार मुक्त दर बांड, 1999 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन बम्बई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 29 सितम्बर 1995 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 112/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.113/24.76.002/95-96

September 29, 1995
Ashwina 7, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.96/24.76.002/95-96 dated September 11, 1995 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the Government of India Floating Rate Bonds, 1999 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the ten dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.112/24.76.002/95-96 dated September 29, 1995 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 112/24.76.002/95-96

29 सितम्बर 1995
7 आश्विन 1917 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में भारत सरकार मुक्त दर बांड, 1999 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत सरकार मुक्त दर बांड, 1999 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक भारत सरकार मुक्त दर बांड, 1999 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल बंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से ही किये जाएंगे।

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.112/24.76.002/95-96

September 29, 1995
Ashwina 7, 1917 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved Government of India Floating Rate Bonds, 1999 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in Government of India Floating Rate Bonds, 1999 subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in Government of India Floating Rate Bonds, 1999 only at Bombay and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 116/24.76.002/95-96

29 सितम्बर 1995
7 आश्विन 1917 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा लेनदेन (रिपोज़)

कृपया 29 सितम्बर 1995 के गवर्नर के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 145/07.01.279/95-96 का पैरा 14(ज) देखें।

2. जैसा कि उसमें उल्लिखित है, सरकारी प्रतिभूतियाँ रखने वाले बैंकों को चलनिधि प्रदान करने की दृष्टि से, सभी प्रकार की परिपक्वता अवधियों के खज़ाना बिलों और कतिपय भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में हाजिर वायदा लेनदेन (रिपोज़) की अनुमति प्रदान की गयी है। यह देखा गया है कि माँग मुद्रा से केवल नाम के परिवर्तन के रूप में एक दिन की अल्प अवधि के लिए भी हाज़िर वायदा लेनदेन का प्रयोग किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि बैंक इस सुविधा की भावना के अनुसार हाजिर वायदा लेनदेन करें, यह निर्णय किया गया है कि 30 सितम्बर 1995 से हाजिर वायदा (रिपो) लेनदेन की न्यूनतम अवधि तीन दिन होगी।

3. उपयुक्त अनुदेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

DBOD.No.FSC.BC.116/24.76.002/95-96

September 29, 1995
Ashwina 7, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS (REPOS) IN GOVERNMENT AND OTHER APPROVED SECURITIES

Please refer to paragraph 14(h) of Governor's circular No. CPC. BC.145/07.01.279/95-96 dated September 29, 1995.

2. As mentioned therein, with a view to providing liquidity to banks holding Government securities, ready forward transactions (repos) have been permitted in Treasury Bills of all maturities and certain Government of India dated securities. It has been observed that ready forward transactions are being used for as short a period as one day merely as a change in nomenclature from call money. Further with a view to ensuring that banks resort to ready forward transactions in accord with the spirit of this facility, it has been decided that effective from September 30, 1995, the minimum period for ready forward (repo) transactions will be three days.

3. The above instructions are issued by the Reserve Bank of India in exercise of

हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गये हैं।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 122/24.76.002/95-96

14 अक्तूबर 1995
22 आश्विन 1917 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त से संबंधित 29 सितम्बर 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 113/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 13.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 (दूसरा निर्गम) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन बम्बई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) से किये जायें।

DBOD.No.FSC.BC.122/24.76.002/95-96

October 14, 1995
Ashwina 22, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.113/24.76.002/95-96 dated September 29, 1995 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.50 per cent Government Stock, 1997 (Second Issue) for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. इस संबंध में जारी किया गया 14 अक्तूबर 1995 का निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 121/ 24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 121/24.76.002/95-96

14 अक्तूबर 1995
22 आश्विन 1917 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 13.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 (दूसरा निर्गम) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 (दूसरा निर्गम) के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

3. A directive DBOD No. FSC. BC.121/ 24.76.002/95-96 dated October 14, 1995 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

DBOD.No.FSC.BC.121/24.76.002/95-96

October 14, 1995
Ashwina 22, 1917 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 13.50 per cent Government Stock, 1997 (Second Issue) for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.50 per cent Government Stock, 1997 (Second Issue) subject to the condition that :

(i) बैंक 13.50प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 (दूसरा निर्गम) के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल बंबई में ही करेंगे ; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों से किये जाएंगे।

(बी. के. पाल)
कार्यपालक निदेशक

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.50 per cent Government Stock, 1997 (Second Issue) only at Bombay and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(B. K. Pal)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 137/24.76.002/95-96

27 नवम्बर 1995
6 अग्रहायण 1917 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 14 अक्तूबर 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 122/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब (i) 14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005, (ii) 14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 (दूसरा निर्गम) और (iii) 14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 (तीसरा निर्गम) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन बम्बई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर

DBOD.No.FSC.BC.137/24.76.002/95-96

November 27, 1995
Agrahayan 6, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.122/24.76.002/95-96 dated October 14, 1995 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the (i) 14 per cent Government Stock, 2005, (ii) 14 per cent Government Stock, 2005 (Second Issue) and (iii) 14 per cent Government Stock, 2005 (Third Issue) for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated

खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 27 नवम्बर 1995 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 136/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

securities approved earlier, provided the transactions are effected at Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.136/24.76.002/95-96 dated November 27, 1995 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 136/24.76.002/95-96

27 नवम्बर 1995
6 अग्रहायण 1917 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में (i) 14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005, (ii) 14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 (दूसरा निर्गम) और (iii) 14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 (तीसरा निर्गम) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा

DBOD.No.FSC.BC.136/24.76.002/95-96

November 27, 1995
Agrahayan 6, 1917 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved-(i) 14 per cent Government Stock, 2005, (ii) 14 per cent Government Stock, 2005 (Second Issue) and (iii) 14 per cent Government Stock, 2005 (Third Issue) for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of

करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन (i) 14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005, (ii) 14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 (दूसरा निर्गम) और (iii) 14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 (तीसरा निर्गम) के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक (i) 14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005, (ii) 14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 (दूसरा निर्गम) और (iii) 14 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2005 (तीसरा निर्गम) के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल बंबई में ही करेंगे ; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(बी. के. पाल)
कार्यपालक निदेशक

its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in (i) 14 per cent Government Stock, 2005, (ii) 14 per cent Government Stock, 2005 (Second Issue) and (iii) 14 per cent Government Stock, 2005 (Third Issue) subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in (i) 14 per cent Government Stock, 2005, (ii) 14 per cent Government Stock, 2005 (Second Issue) and (iii) 14 per cent Government Stock, 2005 (Third Issue) only at Bombay and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(B. K. Pal)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 142/24.76.002/95-96

6 दिसम्बर 1995
15 अग्रहायण 1917 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त से संबंधित 27 नवम्बर 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 137/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब भारत सरकार अस्थिर दर (फ्लोटिंग रेट) बांड, 1999 (दूसरा निर्गम) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन बम्बई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 6 दिसम्बर 1995 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 141/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महाप्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.142/24.76.002/95-96

December 6, 1995
Agrahayan 15, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.137/24.76.002/95-96 dated November 27, 1995 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the Government of India Floating Rate Bonds, 1999 (Second Issue) for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.141/24.76.002/95-96 dated December 6, 1995 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 141/24.76.002/95-96

6 दिसम्बर 1995
15 अग्रहायण 1917 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में भारत सरकार अस्थिर दर (फ्लोटिंग रेट) बांड, 1999 (दूसरा निर्गम) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है; अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत सरकार अस्थिर दर बांड, 1999 (दूसरा निर्गम) के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक भारत सरकार अस्थिर दर बांड, 1999 (दूसरा निर्गम) के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल बंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(जे. आर प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

Sec. IV

DBOD.No.FSC.BC.141/24.76.002/95-96

December 6, 1995
Agrahayan 15, 1917 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved Government of India Floating Rate Bonds, 1999 (Second Issue) for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in Government of India Floating Rate Bonds, 1999 (Second Issue) subject to the condition that:

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in Government of India Floating Rate Bonds, 1999 (Second Issue) only at Bombay and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 152/24.76.002/95-96

30 दिसम्बर 1995
9 पौष 1917 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त से संबंधित 6 दिसम्बर 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 142/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2000 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अब अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन बम्बई में किये जाएं और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 30 दिसम्बर 1995 का निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 151/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.152/24.76.002/95-96

December 30, 1995
Pausha 9, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.142/24.76.002/95-96 dated December 6, 1995 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.85 per cent Government Stock, 2000 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.151/24.76.002/95-96 dated December 30, 1995 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 151/24.76.002/95-96

30 दिसम्बर 1995
9 पौष 1917 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2000 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2000 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक 13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2000 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल बंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.151/24.76.002/95-96

December 30, 1995
Pausha 9, 1917 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 13.85 per cent Government Stock, 2000 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.85 per cent Government Stock, 2000 subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.85 per cent Government Stock, 2000 only at Bombay and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 11/24.76.002/95-96

7 फरवरी 1996
18 माघ 1917 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त से संबंधित 30 दिसम्बर 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 152/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 13.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1999 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 7 फरवरी 1996 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 10/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.11/24.76.002/95-96

February 7, 1996
Magha 18, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.152/24.76.002/95-96 dated December 30, 1995 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.65 per cent Government Stock, 1999 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.10/24.76.002/95-96 dated February 7, 1996 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 10/24.76.002/95-96

7 फरवरी 1996
18 माघ 1917 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 13.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1999 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1999 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक 13.65 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1999 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल बंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.10/24.76.002/95-96

February 7, 1996
Magha 18, 1917 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 13.65 per cent Government Stock, 1999 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.65 per cent Government Stock, 1999 subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.65 per cent Government Stock, 1999 only at Bombay and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 22/24.76.002/95-96

1 मार्च 1996
11 फाल्गुन 1917 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त से संबंधित 7 फरवरी 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 11/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 13.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 (तृतीय निर्गम) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन बंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 1 मार्च 1996 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 21/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.22/24.76.002/95-96

March 1, 1996
Phalguna 11, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.11/24.76.002/95-96 dated February 7, 1996 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.50 per cent Government Stock, 1997 (Third Issue) for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Bombay and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.21/24.76.002/95-96 dated March 1, 1996 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 21/24.76.002/95-96

1 मार्च 1996
11 फाल्गुन 1917 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 13.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 (तृतीय निर्गम) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 (तृतीय निर्गम) के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक 13.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1997 (तृतीय निर्गम) के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल बंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.21/24.76.002/95-96

March 1, 1996
Phalguna 11, 1917 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 13.50 per cent Government Stock, 1997 (Third Issue) for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.50 per cent Government Stock, 1997 (Third Issue) subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.50 per cent Government Stock, 1997 (Third Issue) only at Bombay and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 51/24.76.002/95-96

10 अप्रैल 1996
21 चैत्र 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 1 मार्च 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 22/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब निम्नलिखित तीन सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

13.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1998

13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001

14.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2006

DBOD.No.FSC.BC.51/24.76.002/95-96

April 10, 1996
Chaitra 21, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.22/24.76.002/95-96 dated March 1, 1996 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the following three Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

13.50 per cent Government Stock, 1998

13.85 per cent Government Stock, 2001

14.00 per cent Government Stock, 2006

3. इस संबंध में जारी किया गया 10 अप्रैल 1996 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 50/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 50/24.76.002/95-96

10 अप्रैल 1996
21 चैत्र 1918 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में निम्नलिखित तीन सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त सरकारी प्रतिभूतियों के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

3. A directive DBOD No. FSC. BC.50/24.76.002/95-96 dated April 10, 1996 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

DBOD.No.FSC.BC.50/24.76.002/95-96

April 10, 1996
Chaitra 21, 1918 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the following three Government dated securities for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in the said Government securities subject to the condition that :

(i) बैंक उक्त तीन सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

13.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1998

13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001

14.00 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2006

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in the said three Government dated securities only at Mumbai and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

13.50 per cent Government Stock, 1998

13.85 per cent Government Stock, 2001

14.00 per cent Government Stock, 2006

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 56/24.76.002/95-96

18 अप्रैल 1996
29 चैत्र 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 10 अप्रैल 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 51/24.76.002/95-96 देखें।

DBOD.No.FSC.BC.56/24.76.002/95-96

April 18, 1996
Chaitra 29, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.51/24.76.002/95-96 dated April 10, 1996 on the above subject.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 13.50 प्रतिशत सरकारी (परिवर्तन) स्टॉक, 1998 (12.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1996 के परिवर्तन में जारी) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 18 अप्रैल 1996 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 55/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.50 per cent Government (Conversion) Stock, 1998 (being issued in conversion of 12.75 per cent Government Stock, 1996) for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.55/24.76.002/95-96 dated April 18, 1996 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 55/24.76.002/95-96

18 अप्रैल 1996
29 चैत्र 1918 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में

DBOD.No.FSC.BC.55/24.76.002/95-96

April 18, 1996
Chaitra 29, 1918 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of

13.50 प्रतिशत सरकारी (परिवर्तन) स्टॉक, 1998 (12.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1996 के परिवर्तन में जारी) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.50 प्रतिशत सरकारी (परिवर्तन) स्टॉक, 1998 (12.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1996 के परिवर्तन में जारी) के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक 13.50 प्रतिशत सरकारी (परिवर्तन) स्टॉक, 1998 (12.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1996 के परिवर्तन में जारी) के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 13.50 per cent Government (Conversion) Stock, 1998 (being issued in conversion of 12.75 per cent Government Stock 1996) for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.50 per cent Government (Conversion) Stock, 1998 (being issued in inconversion of 12.75 per cent Government Stock, 1996) subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.50 per cent Government (Conversion) Stock, 1998 (being issued in conversion of 12.75 per cent Government Stock, 1996) only at Mumbai and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 67/24.76.002/95-96

5 जून 1996
15 ज्येष्ठ 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 18 अप्रैल 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 56/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 13.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 5 जून 1996 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 66/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.67/24.76.002/95-96

June 5, 1996
Jyaistha 15, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.56/24.76.002/95-96 dated April 18, 1996 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.75 per cent Government Stock, 2001 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.66/24.76.002/95-96 dated June 5, 1996 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 66/24.76.002/95-96

5 जून 1996
15 जेष्ठ 1918 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 13.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक 13.75 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.66/24.76.002/95-96

June 5, 1996
Jyaistha 15, 1918 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 13.75 per cent Government Stock, 2001 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.75 per cent Government Stock, 2001 subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.75 per cent Government Stock, 2001 only at Mumbai and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 70/24.76.002/95-96

8 जून 1996
18 जेष्ठ 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री

जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए गौण बाज़ार को सक्रिय करने तथा ऐसी प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार को गहरा एवं व्यापक आधार प्रदान करने के बारे में काफी समय से भारतीय रिज़र्व बैंक सोचता रहा है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए, सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में प्राथमिक कारोबारियों की प्रणाली लागू करने, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए पूर्णतः समर्पित पारस्परिक निधियों के लिए चलनिधि आधार प्रदान करने जैसे कतिपय उपाय कुछ समय पहले ही लागू किये गये हैं।

2. कुछ बैंकों ने अब हमसे इस बात के लिए संपर्क किया है कि उन्हें भविष्य निधियों, न्यासों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, उच्च शुद्ध हैसियत वाले व्यक्तियों, आदि जैसे निवेशकों के बीच सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री का कारोबार करने की अनुमति प्रदान की जाये। उपर्युक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री का कारोबार करने के लिए अनुमति प्रदान करने से संबंधित बैंकों के अनुरोध की हमने जाँच की है और ऐसा महसूस किया जाता है कि विस्तृत शाखातंत्र के सहारे बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार बढ़ाने की स्थिति में होंगे। अतः यह निर्णय किया गया है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकों को बैंकेतर ग्राहकों के साथ सरकारी प्रतिभूतियों

DBOD.No.FSC.BC.70/24.76.002/95-96

June 8, 1996
Jyaishta 18, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

RETAILING OF GOVERNMENT SECURITIES

As you are aware, activating the secondary market for Government securities and making the market for such securities deep and broad-based has been receiving the attention of the Reserve Bank of India for quite some time and with this end in view, certain measures such as introduction of a system of Primary Dealers (PDs) in the Government securities market, liquidity support to Mutual Funds exclusively dedicated to Government securities, have been introduced in the recent past.

2. Some banks have since approached us for permission to undertake the business of retailing of Government securities among investors like Provident Funds, Trusts, non-banking financial companies (NBFCs), high net worth individuals, etc. The request for permission by banks for undertaking the business of retailing of Government securities has been examined by us keeping in view the above objectives and it is felt that with the large network of branches, banks would be in a position to enlarge the market for the Government securities. It has, therefore, been decided to permit banks to

की खुदरा बिक्री का कारोबार करने की अनुमति प्रदान की जाये :

(i) ग्राहक को बेची गयी प्रतिभूतियाँ 46 दिन व्यतीत होने से पहले ग्राहक से खरीदी नहीं जानी चाहिए।

(ii) सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री गौण बाज़ार की लेन-देन से उत्पन्न चालू बाज़ार दरों/प्रतिफल के घुमाव पर आधारित होनी चाहिए।

(iii) जब तक बैंक अपने संविभाग में वास्तविक स्क्रिप्स के रूप में अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक में खोले गये एसजीएल खाते में प्रतिभूतियाँ नहीं रखते, तब तक बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की कोई बिक्री नहीं की जानी चाहिए।

(iv) बिक्री के तुरंत बाद, बैंक द्वारा उसके निवेश खाते से तथा उसकी सांविधिक चलनिधि अनुपात की आस्तियों में से तदनुरूप राशि काट ली जानी चाहिए।

(v) बैंक को उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण जाँच पड़ताल/ तंत्र को सही रखना चाहिए जैसा कि दिनांक 20 जून 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 143ए/24.48.001/91-92 में बताया गया है।

(vi) इस तरह की लेनदेन समवर्ती लेखा-परीक्षा के अधीन होनी चाहिए, जैसा कि दिनांक 11 अक्तूबर 1993 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 182/ 16.13.100/93-94 में बताया गया है तथा बैंक

undertake retailing of Government securities with non-bank clients subject to the following conditions :

(i) The securities sold to the client should not be purchased from the client before the expiry of 46 days.

(ii) The retailing of Government securities should be on the basis of ongoing market rates / yield curve emerging out of secondary market transactions.

(iii) No sale of Government securities should be effected by banks unless they hold the securities in their portfolio either in the form of physical scrips or in the SGL Account maintained with the Reserve Bank of India.

(iv) Immediately on sale, the corresponding amount should be deducted by the bank from its investment account and also from its SLR assets.

(v) Banks should put in place adequate internal control checks / mechanisms as indicated in our circular DBOD No. FSC. BC.143A/24.48.001/91-92 dated 20 June 1992.

(vi) These transactions should be subjected to concurrent audit as advised in our circular DBOD BC.182/16.13.100/93-94 dated 11 October 1993 and should also

की सांविधिक लेखा-परीक्षा के समय भी लेखा-परीक्षकों द्वारा इसकी जाँच की जानी चाहिए।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महाप्रबंधक

be looked into by the auditors at the time of the bank's statutory audit.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 71/24.76.001/96

11 जून 1996
21 ज्येष्ठ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंकों का निवेश संविभाग -
प्रतिभूतियों का लेनदेन

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20 जून 1992 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 143ए/24.48.001/91-92 देखें। उसके पैरा 3 में, अन्य बातों के साथ-साथ, बिक्री करने वाले बैंक के एसजीएल खाते में पर्याप्त शेष न रहने के कारण एसजीएल अंतरण फार्मों के अदत्त लौटने की स्थिति में दंड के बारे में बैंकों को सूचित किया गया है। सरकारी प्रतिभूतियों के लेनदेन का अभिलेख रखने के लिए अब भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुपुर्दगी बनाम अदायगी की प्रणाली (डीवीपी) लागू की है, जिसके अंतर्गत निधियों के अंतरण के साथ-साथ ही प्रतिभूतियों का अंतरण होता है।

DBOD.No.FSC.BC.71/24.76.002/96

June 11, 1996
Jyaistha 21, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INVESTMENT PORTFOLIO OF BANKS- TRANSACTIONS IN SECURITIES

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.143A/24.48.001/91-92 dated June 20, 1992 on the captioned subject. In paragraph 3 thereof, banks have been advised among others, of the penalties in the event of bouncing of SGL transfer forms for want of sufficient balances in the SGL account of the selling bank. The Reserve Bank of India has since introduced the Delivery Versus Payment System (DVP) for recording the transactions in Government securities, under which the transfer of securities takes place

तदनुसार, बेचने और खरीदने वाले दोनों ही बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक में चालू खाता रखना आवश्यक होगा। डीवीपी पर सभी एसजीएल खाताधारकों को हमारे लोक ऋण कार्यालय द्वारा जारी ज्ञापन में, डीवीपी के अंतर्गत आनेवाले एसजीएल खाताधारकों को यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी और इसलिए किसी भी खरीद के लिए उन्हें चालू खाते में उपयुक्त शेष रखना चाहिए। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि खरीद करने वाले बैंक के चालू खाते में पर्याप्त शेष न रहने के कारण एसजीएल फार्म अदत्त लौटने को (संबंधित क्रेता बैंक के विरुद्ध) एसजीएल सुविधा से वंचित करने के प्रयोजन हेतु बिक्री करने वाले बैंक के एसजीएल खाते में पर्याप्त शेष न रहने के कारण (बिक्री करने वाले बैंक के विरुद्ध) अदत्त लौटाये जाने के बराबर माना जायेगा। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि दोनों ही खातों में (अर्थात् एसजीएल खाते और चालू खाते) वापसी की घटनाओं को संबंधित एसजीएल खाताधारक के विरुद्ध उसकी सुविधा समाप्त करने के लिए एक साथ गिना जायेगा (अर्थात् अस्थायी निलंबन के लिए एक छमाही में 3 और एसजीएल सुविधा बहाल किये जाने के बाद कोई वापसी, स्थायी समापन के लिए)।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

simultaneously with the transfer of funds. Accordingly, it would be necessary for both the selling bank and the buying bank to maintain current account with the RBI. In the Memorandum on the DVP System issued by our PDO to all SGL account holders, it has been made clear to the SGL account holders falling under DVP discipline that no overdraft facility in the current account will be extended and, therefore, adequate balance in current account should be maintained by them for effecting any purchase transaction. The banks are, therefore, advised that bouncing on account of insufficient balance in the current account of the buying banks would be reckoned (against the buying bank concerned) for the purpose of debarment from the use of SGL facility on par with the bouncing on account of insufficient balance in SGL account of the selling bank (against selling bank). Accordingly, it is clarified that instances of bouncing in both the accounts (i.e. SGL account and current account) would be reckoned together against the SGL account holder concerned for the purpose of debarment (i.e. three in a half-year for temporary suspension and any bouncing after restoration of SGL facility, for permanent debarment).

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 73/24.76.002/95-96

12 जून 1996
22 ज्येष्ठ 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 5 जून 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 67/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 13.70 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1999 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 12 जून 1996 का निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 72/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.73/24.76.002/95-96

June 12, 1996
Jyaistha 22, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.67/24.76.002/95-96 dated June 5, 1996 on the above subject.

2. The Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.70 per cent Government Stock, 1999 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.72/24.76.002/95-96 dated June 12, 1996 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 72/24.76.002/95-96

12 जून 1996
22 ज्येष्ठ 1918 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 13.70 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1999 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.70 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1999 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक 13.70 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1999 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.72/24.76.002/95-96

June 12, 1996
Jyaistha 22, 1918 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 13.70 per cent Government Stock, 1999 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.70 per cent Government Stock, 1999 subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.70 per cent Government Stock, 1999 only at Mumbai and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 74/24.76.002/95-96

13 जून 1996
23 जेष्ठ 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

बैंको द्वारा पारस्परिक निधियों के यूनिटों का विपणन

कृपया दिनांक 8 जून 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 70/24.76.002/95-96 देखें जिसमें बैंकों को अपने ग्राहकों को सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री करने की अनुमति दी गयी है। पारस्परिक निधियों के यूनिटों के विपणन के लिए भी हमें बैंकों से इसी तरह के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित शर्तों के अधीन हम पारस्परिक निधियों के यूनिटों के विपणन के लिए पारस्परिक निधियों के साथ बैंकों द्वारा करार किये जाने हेतु सहमत हैं :

(i) पारस्परिक निधि/रजिस्ट्रारों/अंतरण एजेंटों को पारस्परिक निधि के यूनिटों के खरीद/बिक्री के लिए निवेशकों के आवेदन-पत्रों को अग्रेषित करते हुए बैंकों को केवल ग्राहकों के एजेंट के रूप में काम करना चाहिए। यूनिटों की खरीद ग्राहकों की जोखिम पर होनी चाहिए और बैंक को किसी निश्चित प्रतिफल की गारंटी नहीं देनी चाहिए।

(ii) बैंकों को गौण बाज़ार से पारस्परिक निधियों के यूनिट प्राप्त नहीं करने चाहिए।

(iii) बैंकों को अपने ग्राहकों से पारस्परिक निधियों के यूनिट पुनः नहीं खरीदने चाहिए।

(iv) यदि बैंक शेयरों अथवा पारस्परिक निधियों के यूनिटों की जमानत पर अलग-अलग व्यक्तियों को कोई ऋण सुविधा देने का प्रस्ताव करता है

DBOD.No.FSC.BC.74/24.76.002/95-96

June 13, 1996
Jyaistha 23, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

MARKETING OF MUTUAL FUND (MF) UNITS BY BANKS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.70/24.76.002/95-96 dated June 8, 1996, permitting banks to undertake retailing of government securities to its clients. Similar requests have been received by us from banks for marketing the units of mutual funds. We are aggreeable to banks entering into agreements with mutual funds for marketing the mutual fund units subject to the following terms and conditions :

(i) Banks should only act as an agent of the customers, forwarding the investor's applications for purchase / sale of MF units to the Mutual Fund / the Registrars / the transfer agents. The purchase of units should be at the customers' risk and without the bank guaranteeing any assured return.

(ii) Banks should not acquire units of Mutual Funds from the secondary market.

(iii) Banks should not buy back units of mutual funds from their customers.

(iv) If banks propose to extend any credit facility to individuals against the security of shares or units of Mutual Funds, sanction of

तो ऐसी सुविधा की स्वीकृति दिनांक 24 अक्तूबर 1986 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइसी. बीसी. 114/सी. 739(ए-1)/86 और समय-समय पर उसमें किये गये संशोधनों तथा 16 सितंबर 1993 के परिपत्र बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 168/13.07.05/93-94 में निहित अनुदेशों के अनुसार होनी चाहिए।

(v) अपने ग्राहकों की ओर से पारस्परिक निधियों के यूनिट अपने पास रखने वाले बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके खुद के निवेश तथा ग्राहकों के निवेश अलग-अलग रखे जाएँ।

(vi) बैंक को उपयुक्त एवं प्रभावी नियंत्रण प्रणाली ठीक-ठाक रखनी चाहिए जैसा कि दिनांक 20 जून 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी बीसी. 143ए/24.48.001/91-92 में बताया गया है। साथ ही, बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से, पारस्परिक निधियों के यूनिटों की खुदरा बिक्री बैंक की कुछ चुनी हुई शाखाओं तक ही सीमित रखी जाये।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

such facility should be in accordance with the instructions contained in our circular DBOD No. FSC. BC.114/C.739(A-1)/86 dated 24 October 1986 and modifications made thereto from time to time as also those contained in circular DBOD Dir. BC.168/13.07.05/93-94 dated September 16, 1993.

(v) Banks holding custody of MF units on behalf of their customers, should ensure that their own investments and investments belonging to their customers are kept distinct from each other.

(vi) Banks should put in place adequate and effective control mechanisms as detailed in our circular DBOD No. FSC. BC.143A/24.48.001/91-92 dated 20th June 1992. Besides, with a view to ensuring better control, retailing of units of mutual funds may be confined to certain selected branches of a bank.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 80/24.76.002/96

22 जून 1996
1 आषाढ़ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारा 28 फरवरी 1995 का परिपत्र सं. एफएससी. बीसी. 23/24.76.002/95 देखें।

2. भारत सरकार ने अपनी 13 जून 1996 की अधिसूचना एफ. सं. 1/9/एसई./94 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा पहले बतायी गयी संस्थाओं के अलावा (i) एसबीआइ गिल्ट्स लि., (ii) पीएनबी गिल्ट्स लि., (iii) गिल्ट सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कारपोरेशन लि. और (iv) आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंस कंपनी लि. को ऐसी पात्र संस्थाओं के रूप में अधिसूचित किया है, जो खज़ाना बिलों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार के परामर्श से यथाअनुमोदित भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकेंगी। इसलिए (i) एसबीआइ गिल्ट्स लि., (ii) पीएनबी गिल्ट्स लि., (iii) गिल्ट सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कारपोरेशन लि. और (iv) आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस कंपनी लि. के साथ ऊपर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के हाज़िर वायदा लेनदेन करना बैंकों के लिए उचित होगा।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.80/24.76.002/96

June 22, 1996
Ashadha 1, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.23/24.76.002/95 dated February 28, 1995 on the above subject.

2. The Government of India, vide their notification F. No. 1/9/SE/94 dated June 13, 1996 (copy enclosed) have notified (i) SBI Gilts Ltd., (ii) PNB Gilts Ltd., (iii) Gilt Securities Trading Corporation Ltd., (iv) ICICI Securities and Finance Co. Ltd. as eligible institutions in addition to the institutions indicated earlier to undertake ready forward transactions in Treasury Bills and in such dated securities of the Government of India as are approved by the RBI in consultation with the Government. It would, therefore, be in order for banks to enter into ready forward transactions in the securities specified above with (i) SBI Gilts Ltd., (ii) PNB Gilts Ltd., (iii) Gilt Securities Trading Corporation Ltd., (iv) ICICI Securities and Finance Co. Ltd.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

To be Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3, Sub-Section (ii)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
(ECB & CM DIVISION)

New Delhi, the 13th June, 1996

NOTIFICATION

S.O. (E) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby further amends the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. S. O. 2561, dated 27th June 1969, namely :

In the said Notification, after the first proviso, for the second and third provisos and the Explanation thereunder, the following provisos and the Explanation shall be substituted, namely :

"Provided further that ready-forward contracts may be entered into by :

(i) a banking company ;

(ii) a cooperative bank ;

(iii) The Discount and Finance House of India Ltd.

(iv) Securities Trading Corporation of India Ltd.

(v) SBI Gilts Ltd.

(vi) PNB Gilts Ltd.

(vii) Gilt Securities Trading Corporation Ltd., and

(viii) ICICI Securities and Finance Co. Ltd.

Provided also that all transactions under the second proviso are put through the Subsidiary General Ledger Account with the Reserve Bank of India in Treasury Bills of all maturities issued by the Government of India and in such dated securities of Government of India as are approved by the Reserve Bank of India, in consultation with the Central Government.

EXPLANATION - For purposes of this notification :

(i) "Banking company" means a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(ii) "cooperative bank" means a bank as defined in clause (cci) of Section 5 read with clause (c) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) ;

(iii) "Discount and Finance House of India Limited" means a company incorporated under the Companies Act, 1956, jointly owned by the Reserve Bank of India, Public Sector

Banks and all-India Financial Institutions ;

(iv) "Gilt Securities Trading Corporation Ltd." means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (no. 1 of 1956) having its Registered Office at Varma Chambers, 11, Homji Street, Fort, Mumbai - 400 001 ;

(v) "ICICI Securities and Finance Company Limited" means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (no. 1 of 1956) and having its Registered Office at the Hindustan Times House, 18/20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001 ;

(vi) "PNB Gilts Limited" means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (no. 1 of 1956) and having its registered office at 5, Parliament Street, New Delhi - 110 001;

(vii) "SBI Gilts Limited" means a company incorporated under the Companies Act (no. 1 of 1956) and having its registered office at Tulsiani Chambers (1st Floor, West Wing), Free Press Journal Marg, 212, Nariman Point, Mumbai - 400 021. and

(viii) "Securities Trading Corporation of India Ltd." means a company incorporated under the Companies Act, 1956 (no. 1 of 1956) which is jointly owned by the Reserve Bank of India, public sector banks and all-India financial institutions and having its registered office at 3rd Floor, Amar

Building, Sir P. M. Road, Mumbai - 400 001.

(F. No. 1/9/SE/94)

(Dr. U. Sarat Chandran)
Joint Secretary to the Government of India

NOTE : The Principal Notification was issued under S. O. No.2561 dated 27.6.1969 published in the Gazettee of India Part II, Section 3, Page 839 dated 27.6.1969, and subsequent amendment Notifications S.O.No.425(E) and S.O.No.750(E) were published in the Gazettee of India Part II, Section 3, sub-section (ii) on 1.6.1994 and 18.10.1994 respectively.

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 83/24.76.002/95-96

25 जून 1996
4 आषाढ़ 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 12 जून 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 73/ 24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2006 को, जिसके लिए किस्तों में अदायगी की

DBOD.No.FSC.BC.83/24.76.002/95-96

June 25, 1996
Ashadha 4, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.73/24.76.002/95-96 dated June 12, 1996 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.85 per cent Government Stock, 2006 for which payment is made in

जाती है, हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 25 जून 1996 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 82/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

instalments for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.82/24.76.002/95-96 dated June 25, 1996 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 82/24.76.002/95-96

25 जून 1996
4 आषाढ़ 1918 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2006 को, जिसके लिए किस्तों में अदायगी की जाती है, हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का

DBOD.No.FSC.BC.82/24.76.002/95-96

June 25, 1996
Ashadha 4, 1918 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 13.85 per cent Government Stock, 2006 for which payment is made in instalments the purpose of ready forward contracts, the Bank in

प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2006, जिसके लिए किस्तों में अदायगी की जाती है, के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक 13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2006, जिसके लिए किस्तों में अदायगी की जाती है, के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.85 per cent Government Stock, 2006 for which payments are made in instalments subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.85 per cent Government Stock, 2006 for which payments are made in instalments only at Mumbai and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 100/24.76.002/95-96

23 जुलाई 1996
1 श्रावण 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 25 जून 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 83/ 24.76.002/95-96 देखें।

DBOD.No.FSC.BC.100/24.76.002/95-96

July 23, 1996
Shravan 1, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.83/24.76.002/95-96 dated June 25, 1996 on the above subject.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब "भारत सरकार के जीरो कूपन बांड, 2000 (तृतीय श्रृंखला)" को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुम्बई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 23 जुलाई 1996 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 99/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the "Government of India Zero Coupon Bonds, 2000 (Third Series)" for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.99/24.76.002/95-96 dated July 23, 1996 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 99/24.76.002/95-96

23 जुलाई 1996
1 श्रावण 1918 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में "भारत सरकार के जीरो कूपन बांड, 2000 (तृतीय श्रृंखला)" को हाज़िर वायदा संविदाओं के

DBOD.No.FSC.BC.99/24.76.002/95-96

July 23, 1996
Shravan 1, 1918 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the

प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन "भारत सरकार के जीरो कूपन बांड, 2000 (तृतीय श्रृंखला)" के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक "भारत सरकार के जीरो कूपन बांड, 2000 (तृतीय श्रृंखला)" के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से ही किये जाएंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

"Government of India Zero Coupon Bonds, 2000 (Third Series)" for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in "Government of India Zero Coupon Bonds, 2000 (Third Series)" subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in "Government of India Zero Coupon Bonds, 2000 (Third Series)" only at Mumbai and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 101/24.76.002/96

25 जुलाई 1996
3 श्रावण 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री

कृपेंया दिनांक 8 जून 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 70/24.76.002/96 देखें जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की खुदरा बिक्री करने की अनुमति प्रदान की गयी है। उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 2(i) में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय किया गया है कि ग्राहकों को बेची गयी प्रतिभूतियाँ उसमें उल्लिखित 46 दिन के बजाय 30 दिन की समाप्ति के पहले उनसे खरीदी नहीं जानी चाहिए।

2. दिनांक 8 जून 1996 के हमारे परिपत्र में उल्लिखित सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय,

(के. वी. राजन)
उप महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.101/24.76.002/96

July 25, 1996
Shravan 3, 1918 (Saka)

**The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)**

Dear Sir,

RETAILING OF GOVERNMENT SECURITIES

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.70/24.76.002/96 dated June 8, 1996 permitting banks to undertake retailing of Government securities subject to the conditions mentioned therein. In partial modification to the condition at para 2(i) of the above circular, it has been decided that the securities sold to the clients should not be purchased by banks from them before the expiry of 30 days instead of 46 days mentioned therein.

2. All other terms and conditions indicated in our circular dated June 8, 1996 remain unchanged.

Yours faithfully,

(K. V. Rajan)
Deputy General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 107/24.76.002/95-96

2 अगस्त 1996
11 श्रावण 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 23 जुलाई 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 100/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब "13.62 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1998" को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 2 अगस्त 1996 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 106/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.107/24.76.002/95-96

August 2, 1996
Shravan 11, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.100/24.76.002/95-96 dated July 23, 1996 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.62 per cent Government Stock, 1998 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.106/24.76.002/95-96 dated August 2, 1996 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 106/24.76.002/95-96

2 अगस्त 1996
11 श्रावण 1918 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में "13.62 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1998" को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन "13.62 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1998" के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक "13.62 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 1998" के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.106/24.76.002/95-96

August 2, 1996
Shravan 11, 1918 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 13.62 per cent Government Stock, 1998 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.62 per cent Government Stock, 1998 subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.62 per cent Government Stock, 1998 only at Mumbai and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 110/24.92.001/96

10 अगस्त 1996
19 श्रावण 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

प्राथमिक कारोबारियों को बैंक वित्त

जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए संस्थागत ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक कारोबारियों की एक प्रणाली लागू की है। छह संस्थाओं अर्थात् -

(क) भारतीय मितीकाटा और वित्त गृह लि.

(ख) भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि.

(ग) एसबीआइ गिल्ट्स लिमिटेड
(घ) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
(ङ) आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज़ एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड और
(च) गिल्ट सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड

को प्राथमिक कारोबारियों के रूप में काम करने के लिए मान्य किया गया है।

2. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे प्राथमिक कारोबारियों के लिए ऋण सुविधा का विचार करते समय, हमारे द्वारा/औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग द्वारा जारी किये गये निम्नलिखित परिपत्रों में निहित निर्देशों का ध्यान रखें :

DBOD.No.FSC.BC.110/24.92.001/96

August 10, 1996
Shravan 19, 1918 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

BANK FINANCE FOR PRIMARY DEALERS

As you are aware, with a view to strengthening the institutional structure for Government Securities, the Reserve Bank of India has introduced a system of Primary Dealers (PDs). Six institutions viz.,

a) Discount & Finance House of India Ltd.
b) Securities Trading Corporation of India Ltd.
c) SBI Gilts Ltd.
d) PNB Gilts Ltd.
e) ICICI Securities and Finance Co. Ltd. and
f) Gilts Securities Trading Corporation Ltd.

have been given accredition by the RBI as Primary Dealers.

2. While considering credit facilities to the Primary Dealers, banks are advised to keep in view, the instructions contained in the following circulars issued by us/ Industrial & Export Credit Department (IECD).

(i) डीबीओडी सं. एसआइसी. बीसी. 114/सी.739 (ए-1) 86 दिनांक 24-10-1986, शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिमों के संबंध में

(ii) बैंपविवि. सं. डीआइआर बीसी. 147/13.07.05 /93 दिनांक 5-8-1993, बाज़ार बनाने वालों के लिए बैंक वित्त के संबंध में

(iii) बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 75/13.07.05/ 95, दिनांक 17.07.1995, शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिमों के संबंध में

(iv) आइईसीडी. परिपत्र सं. 25/08.12.01/95-96 दिनांक 18.04.1996, बैंक ऋण प्रदान करने के लिए ऋण प्रणाली के संबंध में।

3. जहाँ तक प्राथमिक कारोबारियों से संबंधित अग्रिमों पर ब्याज दर का प्रश्न है, बैंकों को दिनांक 17 अक्तूबर 1994 के हमारे निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 114/13.07.01/94 के अनुसार चलना चाहिए।

भवदीय,

(बी. एस. एम. आचार्य)
महा प्रबंधक

(i) DBOD No. SIC. BC.114/C.739(A-1)86 dated 24.10.86 regarding advances against shares and debentures.

(ii) DBOD No. Dir. BC.147/13.07.05/93 dated 5.8.93 regarding bank finance for market makers

(iii) DBOD No. Dir. BC.75/13.07.05/95 dated 17.7.95 regarding advances against shares and debentures.

(iv) IECD Circular No. 25/08.12.01/95-96 dated April 18, 1996 regarding loan system for delivery of bank credit.

3. As regards the rate of interest on the advances to the PDs, banks should be guided by the instructions contained in our Directive DBOD No. Dir. BC.114/13.07.01/94 dated October 17, 1994.

Yours faithfully,

(B.S.M. Acharya)
General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 120/24.76.002/95-96

10 सितम्बर 1996
19 भाद्र 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 2 अगस्त 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 107/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब "13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2006" को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 10 सितम्बर 1996 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 119/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.120/24.76.002/95-96

September 10, 1996
Bhadra 19, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.107/24.76.002/95-96 dated August 2, 1996 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.85 per cent Government Stock, 2006 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.119/24.76.002/95-96 dated September 10, 1996 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 119/24.76.002/95-96

10 सितम्बर 1996
19 भाद्र 1918 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में "13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2006" को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अतः बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन "13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2006" के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक "13.85 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2006" के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.119/24.76.002/95-96

September 10, 1996
Bhadra 19, 1918 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved 13.85 per cent Government Stock, 2006 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.85 per cent Government Stock, 2006 subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.85 per cent Government Stock, 2006 only at Mumbai and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 126/24.76.002/95-96

3 अक्तूबर 1996
11 आश्विन 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 10 सितम्बर 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 120/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब "13.82 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2002" को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 3 अक्तूबर 1996 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 125/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.126/24.76.002/95-96

October 3, 1996
Ashwina 11, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.120/24.76.002/95-96 dated September 10, 1996 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.82 per cent Government Stock, 2002 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.125/24.76.002/95-96 dated October 3, 1996 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 125/24.76.002/95-96

3 अक्तूबर 1996
11 आश्विन 1918 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में "13.82 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2002" को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन "13.82 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2002" के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक "13.82 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2002" के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.125/24.76.002/95-96

October 3, 1996
Ashwina 11, 1918 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 13.82 per cent Government Stock, 2002 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.82 per cent Government Stock, 2002 subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.82 per cent Government Stock, 2002 only at Mumbai and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 128/24.76.002/95-96

10 अक्तूबर 1996
18 आश्विन 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त से संबंधित 3 अक्तूबर 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 126/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब ज़ीरो कूपन बांड्स, 2000 (तृतीय श्रृंखला) (द्वितीय निर्गम) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिये अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुम्बई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 10 अक्तूबर 1996 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 127/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.128/24.76.002/95-96

October 10, 1996
Ashwina 18, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.126/24.76.002/95-96 dated October 3, 1996 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the Zero Coupon Bonds, 2000 (Third Series) (Second Issue) for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.127/24.76.002/95-96 dated October 10, 1996 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 127/24.76.002/95-96

10 अक्तूबर 1996
18 आश्विन 1918 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425 (ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में जीरो कूपन बांड्स, 2000 (तृतीय श्रृंखला) (द्वितीय निर्गम) को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन ज़ीरो कूपन बांड्स, 2000 (तृतीय श्रृंखला) (द्वितीय निर्गम) के हाज़िर वायदा लेनदेन सौदे कर सकते हैं :

(i) बैंक ज़ीरो कूपन बांड्स, 2000 (तृतीय श्रृंखला) (द्वितीय निर्गम) के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.127/24.76.002/95-96

October 10, 1996
Ashwina 18, 1918 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the Zero Coupon Bonds, 2000 (Third Series) (Second Issue) for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in Zero Coupon Bonds, 2000 (Third Series) (Second Issue) subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in Zero Coupon Bonds, 2000 (Third Series) (Second Issue) only at Mumbai and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 145/13.07.05/96

25 अक्तूबर 1996
3 कार्तिक 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

कंपनी निकायों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश

कृपया आप 4 अप्रैल 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 38/13.07.05/95 देखें, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि द्वितीयक बाज़ार में व्यापार करने की उन्हें अनुमति नहीं है और इसलिए वे द्वितीयक बाज़ार से शेयरों/डिबेंचरों का अभिग्रहण न करें। इस संबंध में आपका ध्यान गवर्नर महोदय के 19 अक्तूबर 1996 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 158/07.01.279/96-97 के पैराग्राफ 14(ठ) की ओर आकर्षित किया जाता है। उसमें बताये गये अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को द्वितीयक बाज़ार से शेयर और डिबेंचर खरीदने की अनुमति दी जाये। यह खरीद पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के 5 प्रतिशत की मौजूदा उस उच्चतम सीमा के अंदर होगी, जो कंपनी शेयरों, डिबेंचरों और पारस्परिक निधियों के यूनिटों में निवेश के लिए निर्धारित की गयी है। द्वितीयक बाज़ार में शेयरों और डिबेंचरों की खरीद (अंतर बैंक लेनदेनों से इतर) केवल मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों और पंजीकृत शेयर दलालों के माध्यम से की जानी चाहिए।

2. द्वितीयक बाज़ार में शेयरों और डिबेंचरों के अभिग्रहण के लिए आंतरिक नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देश बैंकों को स्वयं बनाने चाहिए, जो निदेशक मंडल से विधिवत् अनुमोदित हों।

DBOD.No.Dir.BC.145/13.07.05/96

October 25, 1996
Kartika 3, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INVESTMENTS IN SHARES AND DEBENTURES OF CORPORATE BODIES

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC.38/13.07.05/95 dated April 4, 1995, wherein banks were advised that they are not permitted to trade in the secondary market and as such they should desist from resorting to acquisition of shares/debentures etc in the secondary market. In this connection a reference is invited to paragraph 14(1) of Governor's circular No. CPC. BC.158/07.01.279/96-97 dated October 19, 1996. As indicated therein, it has been decided to allow banks to purchase shares and debentures in the secondary market within the existing ceiling of 5% of the incremental deposits of the previous year prescribed for investments in corporate shares, debentures and units of mutual funds. Purchase of shares and debentures in the secondary market (other than inter-bank transactions) should be only through recognised Stock Exchanges and registered stock brokers.

2. Banks should formulate their own internal control guidelines for acquisition of shares and debentures in the secondary market duly approved by their Boards of Directors.

3. द्वितीयक बाज़ार से अभिग्रहण किये गये शेयरों और डिबेंचरों सहित सभी शेयरों और डिबेंचरों में निवेशों को एकल ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं के समूह के लिए जोखिम निकालने के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए, जैसा कि 26 मई 1989 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीसी. 132/88-89 में निर्धारित है।

4. बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) का अनुपालन भी सुनिश्चित करना चाहिए।

भवदीया,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

3. The investments in shares and debentures including those acquired from the secondary market should be reckoned for arriving at single borrower/group of borrowers exposure ceilings as prescribed in circular DBOD. No. BC.132/88-89 dated May 26, 1989.

4. The banks should also ensure compliance with Section 19(2) of the Banking Regulation Act, 1949.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 148/13.07.05/96

18 नवम्बर 1996
27 कार्तिक 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा जारी किये गये बांडों में निवेश

कृपया आप 25 अक्तूबर 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 145/13.07.05/96 देखें, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि वे द्वितीयक बाज़ार में शेयर और डिबेंचर खरीद सकते हैं। यह खरीद कंपनी शेयरों और डिबेंचरों तथा पारस्परिक निधियों के यूनिटों

DBOD.No.Dir.BC.148/13.07.05/96

November 18, 1996
Kartika 27, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INVESTMENTS IN BONDS ISSUED BY PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC.145/13.07.05/96 dated October 25, 1996 advising banks that they may purchase shares and debentures in the secondary market within the existing ceiling of 5% of the

में निवेश के लिए निर्धारित पिछले वर्ष की वृद्धिशील जमाराशियों के 5 प्रतिशत की मौजूदा सीमा के अंदर होगी। इस संबंध में 25 जनवरी 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 4/13.07.05./94 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बांडों में निवेशों के लिए वृद्धिशील जमाराशियों के 5 प्रतिशत की निर्धारित सीमा समाप्त कर दी गयी थी। इस संबंध में हम यह सूचित करते हैं कि बैंक सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बांड द्वितीयक बाज़ार में भी खरीद सकते हैं जहाँ स्क्रिप जारी की गयी है और विक्रेता के नाम से पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त द्वितीयक बाज़ार में सरकारी क्षेत्र के बांडों की खरीद (अंतर बैंक लेनदेनों से इतर) केवल मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों और पंजीकृत शेयर दलालों के माध्यम से की जानी चाहिए। बैंक सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बांडों की द्वितीयक बाज़ार में खरीद के लिए अपने निजी आंतरिक दिशा-निर्देश बना सकते हैं, जो उनके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हों। सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के बांडों में निवेशों को, द्वितीयक बाज़ार से प्राप्त किये गये सहित एकल उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के समूह के लिए जोखिम की सीमा निकालने के लिए हिसाब में लिया जाना चाहिए (संदर्भ : 30 मार्च 1994 के परिपत्र डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 36/21.03.054/94)।

भवदीय,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

incremental deposits of the previous year stipulated for investments in corporate shares and debentures and units of mutual funds. A reference is also invited to circular DBOD No. Dir. BC.4/13.07.05/94 dated January 25, 1994 in terms of which the ceiling of 5% of the incremental deposits prescribed for investments in Public Sector Undertakings (PSUs) bonds was abolished. In this connection, we advise that banks may also purchase PSU bonds in the secondary market where the scrips have been issued and registered in the name of the seller. Besides, the purchase of PSU bonds in the secondary market (other than inter-bank transactions) should be only through recognised stock exchanges and registered stock brokers.

2. The banks should formulate their own internal guidelines for acquisition of PSU bonds in the secondary market duly approved by their Boards of Directors. The investments in PSU bonds, including those acquired in the secondary market, should be reckoned for arriving at single borrower/group of borrowers exposure ceilings (c.f. Circular DBOD No. BP. BC.36/21.03.054/94 dated March 30, 1994).

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 153/24.76.002/96

29 नवंबर 1996
8 अग्रहायण 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

**बैंकों का निवेश संविभाग -
प्रतिभूतियों के लेनदेन**

कृपया आप हमारा 31 दिसम्बर 1992 का परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएमसी. बीसी. 62/27.02.001/92-93 देखें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि किसी वर्ष में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में दलालों के माध्यम से करने हेतु किये गये कुल लेनदेनों (खरीद और बिक्री दोनों) के 5 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। यह सीमा प्रत्येक अनुमोदित दलाल के लिए संविदा की कुल उच्चतर सीमा होगी। अब यह सूचित किया जाता है कि 5 प्रतिशत का उपर्युक्त मानदंड प्राथमिक सौदागरों (डीलर्स) के माध्यम से किये गये बैंक के सौदों के लिए लागू नहीं होगा।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.153/24.76.002/96

November 29, 1996
Agrahayan 8, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

INVESTMENT PORTFOLIO OF BANKS-TRANSACTIONS IN SECURITIES

Please refer to our circular DBOD No. FMC. BC.62/27.02.001/92-93 dated December 31, 1992 advising banks that a limit of 5% of the total transactions through brokers (both purchases and sales) in Government securities entered into by a bank during a year, should be fixed as the aggregate upper contract limit for each of the approved brokers. It is advised that the above norm of 5% would not be applicable to banks' dealings through Primary Dealers.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 159/24.76.002/95-96

16 दिसम्बर 1996
25 अग्रहायण 1918 (शक)

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक,
सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

हाज़िर वायदा लेनदेन

कृपया आप उपर्युक्त विषय से संबंधित 10 अक्तूबर 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 128/24.76.002/95-96 देखें।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से पूर्व में अनुमोदित दिनांकित प्रतिभूतियों के अलावा अब 13.55 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन के लिए अनुमोदित कर दिया है, बशर्ते उक्त लेनदेन मुंबई में किये जायें और उक्त सौदे सहायक सामान्य लेजर खातों (एसजीएल) के माध्यम से किये जायें।

3. इस संबंध में जारी किया गया 16 दिसम्बर 1996 का एक निदेश बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 158/24.76.002/95-96 संलग्न है।

भवदीय,

(अमलेन्दु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.159/24.76.002/95-96

December 16, 1996
Agrahayan 25, 1918 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

READY FORWARD TRANSACTIONS

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.128/24.76.002/95-96 dated October 10, 1996 on the above subject.

2. Reserve Bank of India in consultation with the Government of India has now approved the 13.55 Government Stock, 2001 for the purpose of ready forward contracts, in addition to the dated securities approved earlier, provided the transactions are effected at Mumbai and the deals are put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

3. A directive DBOD No. FSC. BC.158/24.76.002/95-96 dated December 16, 1996 issued in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 158/24.76.002/95-96

16 दिसम्बर 1996
25 अग्रहायण 1918 (शक)

हाज़िर वायदा लेनदेन

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में उल्लिखित) ने 1 जून 1994 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 425(ई) द्वारा यथासंशोधित और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 16 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार द्वारा जारी की गयी 27 जून 1969 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 2561 के अनुसरण में 13.55 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 को हाज़िर वायदा संविदाओं के प्रयोजन हेतु अनुमोदित कर दिया है, अत: बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान करता है कि वे निम्नलिखित शर्तों के अधीन 13.55 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 के हाज़िर वायदा लेनदेन कर सकते हैं :

(i) बैंक 13.55 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2001 के सभी हाज़िर वायदा लेनदेन केवल मुंबई में ही करेंगे; और

(ii) ऐसे लेनदेन सहायक सामान्य लेजर (एसजीएल) खातों के माध्यम से किये जाएंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.FSC.BC.158/24.76.002/95-96

December 16, 1996
Agrahayan 25, 1918 (Saka)

READY FORWARD TRANSACTIONS

As the Reserve Bank of India, (hereinafter referred to as 'the Bank') has in terms of Notification No. S. O. 2561 dated June 27, 1969, as amended vide Notification No. S. O. 425(E) dated June 1, 1994, and issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 16 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, approved the 13.55 Government Stock, 2001 for the purpose of ready forward contracts, the Bank in exercise of its powers conferred by Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby permits the banks to undertake ready forward deals in 13.55 Government Stock, 2001 subject to the condition that :

i) the banks would undertake all transactions of ready forward in 13.55 Government Stock, 2001 only at Mumbai and

ii) such transactions shall be put through the Subsidiary General Ledger (SGL) Accounts.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

भाग V

अग्रिम

SECTION V

ADVANCES

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 1/13.07.05/95

6 जनवरी 1995
16 पौष 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

अपनी ही कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए कर्मचारियों को सहायता के लिए बैंक वित्त संबंधी दिशा-निर्देश

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारा 17 मार्च 1988 का परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 106/सी. 96 (एस एंड डी) - 88 देखें। उक्त परिपत्र के पैरा (i) के अनुसार कर्मचारियों को अपनी ही कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए शेयरों के खरीद मूल्य के 90 प्रतिशत तक, किन्तु 20,000 रुपये अथवा कर्मचारी के छः महीने के वेतन से अधिक नहीं, जो भी कम हो, अग्रिम के रूप में दिये जा सकते हैं। पुनरीक्षा के बाद यह निर्णय किया गया है कि वर्तमान उच्चतम सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये अथवा कर्मचारी के छः महीने के वेतन के बराबर, जो भी कम हो, कर दी जाये।

2. इस ऋण पर ब्याज हमारे 17 अक्तूबर 1994 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 114/13.07.01/94 के अनुबंध में बताये गये अनुसार लगाया जायेगा। इस प्रकार लगाया गया ब्याज रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर किये जानेवाले परिवर्तनों, यदि कोई हों, के अधीन होगा।

DBOD.No.Dir.BC.1/13.07.05/95

January 6, 1995
Pausha 16, 1916 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

GUIDELINES FOR BANK FINANCE TO ASSIST EMPLOYEES TO BUY SHARES OF THEIR OWN COMPANIES

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC.106/C.96(S&D)/88 dated March 17, 1988 on the above subject. In terms of para (i) thereof, advances upto 90% of the purchase price of the shares, but not exceeding Rs. 20,000/- or six months' salary of the employee, whichever is less, may be granted to enable the employees to buy shares of their own companies. On a review it has been decided to raise the present ceiling of Rs. 20,000/- to Rs. 50,000/- or six months' salary of the employee, whichever is less.

2. The interest on the loan shall be charged as indicated in the Annexure to our directive DBOD No. Dir. BC.114/13.07.01/94 dated October 17, 1994. The interest so charged should be subject to the changes, if any, made by Reserve Bank from time to time.

3. ऊपर उल्लिखित हमारे 17 मार्च 1988 के परिपत्र में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय,

(ओम प्रकाश अग्रवाल)
संयुक्त मुख्य अधिकारी

3. The other terms and conditions specified in our above referred circular of March 17, 1988 remain unchanged.

Yours faithfully,

(O. P. Agarwal)
Joint Chief Officer

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 34/21.04.012/95

30 मार्च 1995
9 चैत्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

जम्मू और कश्मीर राज्य में
व्यापार और उद्योग को छूट

कृपया 31 मार्च 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 37/21.04.012/94 देखें, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को दी जाने वाली रियायतों/ऋण संबंधी छूट की अवधि को 31 मार्च 1995 तक बढ़ाया गया था। यह निर्णय लिया गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में उधारकर्ताओं/ग्राहकों को उपलब्ध वर्तमान रियायतें/ ऋण संबंधी छूट 31 मार्च 1996 तक एक और वर्ष तक लागू रहेंगी।

DBOD.No.BP.BC.34/21.04.012/95

March 30, 1995
Chaitra 9, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

RELAXATIONS TO TRADE AND INDUSTRY IN THE STATE OF JAMMU & KASHMIR

Please refer to our circular letter DBOD No. BP. BC.37/21.04.012/94 dated March 31, 1994 extending the period of concessions/ credit relaxations to the borrowers/customers in the State of Jammu & Kashmir upto 31 March 1995. It has been decided that the existing concessions/credit relaxations to borrowers/customers in the State of Jammu & Kashmir will continue to be operative for a further period of one year upto 31st March 1996.

2. कृपया इस संबंध में अपने नियंत्रक/शाखा कार्यालयों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

भवदीय,

(आर. जे. फर्नाण्डिस)
उप मुख्य अधिकारी

2. Suitable instructions may please be issued to your controlling/branch offices in this regard.

Yours faithfully,

(R. J. Fernandes)
Deputy Chief Officer

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 35/21.04.012/95

30 मार्च 1995
9 चैत्र 1917 (शक)

DBOD.No.BP.BC.35/21.04.012/95

March 30, 1995
Chaitra 9, 1917 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

पंजाब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में व्यापार और उद्योग को छूट

RELAXATIONS TO TRADE AND INDUSTRY IN THE STATE OF PUNJAB AND UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

कृपया 27 अप्रैल 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.04.012/94 देखें, जिसके द्वारा पंजाब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दी जाने वाली रियायतों/ऋण संबंधी छूट की अवधि को 31 मार्च 1995 तक बढ़ाया गया था। अब यह निर्णय लिया गया है कि पंजाब राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में उधारकर्ताओं/ग्राहकों को उपलब्ध वर्तमान रियायतें/ऋण संबंधी छूट, जिनका उल्लेख 1 अप्रैल 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 106/21.04.012/92 में किया गया है, निम्नलिखित संशोधनों के अधीन,

Please refer to our circular letter DBOD No. BP. BC.48/21.04.012/94 dated April 27, 1994 extending the period of concessions/ credit relaxations to the borrowers/customers in the State of Punjab and Union Territory of Chandigarh upto 31 March 1995. It has now been decided that the existing concessions/credit relaxations to borrowers/ customers in the State of Punjab and Union Territory of Chandigarh as stated in our circular DBOD No. BP. BC.106/21.04.012/

एक और वर्ष तक अर्थात् 31 मार्च 1996 तक लागू रहेंगी :

(i) बिलों की जमानत पर वित्तपोषण के लिए मार्जिन पर 10 प्रतिशत तथा चयनात्मक ऋण नियंत्रण के निदेशों के अंतर्गत न आनेवाले पण्यों की जमानत पर आहरण अधिकार की गणना के लिए मार्जिन पर 15 प्रतिशत की वर्तमान शीर्ष सीमा 30 सितम्बर 1995 तक जारी रखी जानी चाहिए। उसके बाद, संबंधित मार्जिनों को दो चरणों में बढ़ाया जाना चाहिए अर्थात् 1 अक्तूबर 1995 से और 1 अप्रैल 1996 से।

(ii) बैंक गारंटियों तथा अंतर्देशीय साख-पत्रों के लिए मार्जिन भी 30 सितम्बर 1995 तक जारी रहेगी और उसके बाद, 1 अक्तूबर 1995 से और 1 अप्रैल 1996 से दो चरणों में रियायतें समाप्त की जाएंगी।

(iii) सेवा प्रभारों के संबंध में 50 प्रतिशत की जगह सामान्य/वर्तमान प्रभारों के 25 प्रतिशत की दर से रियायतें प्रदान की जानी चाहिए।

2. इस संबंध में आप अपने नियंत्रक/शाखा कार्यालयों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

भवदीय,

(आर. जे. फर्नाण्डिस)
उप मुख्य अधिकारी

92 dated April 1, 1992 will continue to be operative for a further period of one year i.e. upto 31 March 1996, subject to the following modifications :

(i) The existing ceiling of 15 per cent on margin for calculation of drawing power against commodities not covered under selective credit control directives and margin of 10 per cent for finance against bills should be continued upto 30 September 1995. Thereafter, the respective margins should be increased in two stages i.e. from 1 October 1995 and 1 April 1996.

(ii) The margin for bank guarantees and inland letters of credit would also be continued upto 30 September 1995 and thereafter the concessions will be withdrawn in two stages from 1 October 1995 and 1 April 1996.

(iii) The concessions in service charges should be allowed at 25 per cent of normal/ existing charges instead of 50 per cent.

2. Suitable instructions may be issued to your controlling/branch offices in this regard.

Yours faithfully,

(R. J. Fernandes)
Deputy Chief Officer

औनिऋवि सं. ईएफडी. 39/02.02.06/94-95

17 अप्रैल 1995
27 चैत्र 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा में मूल्य-वर्गीकृत पोतलदानोत्तर ऋण (पीएससीएफसी)

कृपया हमारे ऋण आयोजन कक्ष द्वारा जारी दिनांक 17 अप्रैल 1995 का परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 144/07.01.279/94-95 का पैराग्राफ 14 ख (ii) देखें, जिसमें 1995-96 की प्रथम छमाही के लिए मुद्रा और ऋण नीति दी गई है।

2. उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार, अमरीकी डॉलरों में मूल्य-वर्गीकृत पोतलदानोत्तर ऋण हेतु ब्याज दर 18 अप्रैल 1995 से 6.5% से बढ़ाकर 7.5% कर दी गयी है। इसके फलस्वरूप, "विदेशी मुद्रा में मूल्य-वर्गीकृत पोतलदानोत्तर ऋण के लिए अन्यथा विनिर्दिष्ट न किये गये निर्यात ऋण" की दर उक्त तारीख से 9.5% प्रतिवर्ष होगी। इस संबंध में हमारे 17 अप्रैल 1995 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 51/13.07.01/95 द्वारा जारी निदेशों की एक प्रति आपकी जानकारी हेतु संलग्न है। दिनांक 24 मार्च 1986 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 38 सी. 96/86 की विषयवस्तु इस योजना पर लागू होगी और तदनुसार नयी ब्याज दर न केवल नये अग्रिमों पर बल्कि वर्तमान बकाया राशियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,

(आर. वेंकटेसन)
मुख्य अधिकारी

IECD.No.EFD.39/02.02.06/94-95

April 17, 1995
Chaitra 27, 1917 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

POST-SHIPMENT CREDIT DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY (PSCFC)

Kindly refer to paragraph 14B(ii) of Circular No. CPC. BC.144/07.01.279-94/95 dated 17 April 1995 issued by our Credit Planning Cell setting out the monetary and credit policy for the first half of 1995-96.

2. In terms of the above circular interest rate for Post-Shipment Credit denominated in U.S. dollars has been increased from 6.5% to 7.5% with effect from 18 April 1995. The rate for "Export Credit Not Otherwise Specified for PSCFC" will consequently be 9.5% p.a. with effect from the above date. A copy of our directive DBOD No. BC.51/13.07.01/95 dated 17 April 1995 issued in this connection is enclosed for your information. The contents of our circular DBOD No. Dir. BC.38C. 96/86 dated 24 March 1986 will be applicable to this Scheme and accordingly the new rates will be applicable not only to fresh advances but also to the existing outstanding amounts.

Yours faithfully,

(R. Venkatesan)
Chief Officer

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 51/13.07.01/95

17 अप्रैल 1995
27 चैत्र 1917 (शक)

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित के लिए आवश्यक और समीचीन है,एतद्द्वारा निदेश जारी करता है कि दिनांक 17 अक्तूबर 1994 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 114/13.07.01/94 के अनुबंध की मद 3(5) पर निर्दिष्ट ब्याज दरें, दिनांक 18 अप्रैल 1995 से, अनुबंध में दर्शाये गये अनुसार परिवर्तित कर दी जाएं।

2. इससे दिनांक 17 अक्तूबर 1994 के उक्त निदेश में निर्दिष्ट अन्य सभी शर्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ओ. पी. सोढाणी)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.Dir.BC.51/13.07.01/95

April 17, 1995
Chaitra 27, 1917 (Saka)

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from 18 April 1995, the interest rates indicated against items 3(5) to the Annexure to its directive DBOD No. Dir. BC.114/13.07.01/94 dated 17 October 1994 be changed as given in the Annexure.

2. All other terms and conditions contained in the directive dated 17 October 1994 ibid will remain unaffected.

(O. P. Sodhani)
Executive Director

अनुबंध

ANNEXURE

3.	निर्यात ऋण	ब्याज की दर (%प्रतिवर्ष)	
		प्रचलित	नयी दरें (18 अप्रैल 1995 से प्रभावी)
	X X X X		
	X X X X		
(5)	अमरीकी डॉलरों में मूल्य वर्गीकृत पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण		
(i)	पारगमन अवधि के लिए मांग बिल (फेडॉय द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट)	6.5	7.5
(ii)	मीयादी बिल (कुल अवधि, जिसमें निर्यात बिलों की प्रचलित अवधि, फेडॉय द्वारा निर्दिष्ट पारगमन अवधि तथा रियायती अवधि, जहां लागू हो, शामिल है) पोतलदान की तारीख से छह माह तक	6.5	7.5
(iii)	पीएससीएफसी - हेतु अन्यथा विनिर्दिष्ट न किये गये निर्यात	8.5	9.5

3.	Export Credit	Rate of Interest (Per Cent per annum)	
		Existing	New Rates (Effective April, 18, 1995)
	X X X X X		
	X X X X X		
(5)	Post-shipment Export Credit Denominated in U.S. Dollars		
(i)	Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	6.5	7.5
(ii)	Usance bills (for total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable)	6.5	7.5
(iii)	Export Credit Not Otherwise Specified for PSCFC	8.5	9.5

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 75/13.07.05/95

17 जुलाई 1995
26 आषाढ़ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

शेयरों/डिबेंचरों पर अग्रिम

जैसा कि आपको विदित है, शेयर और स्टॉक दलालों को, कारोबारी स्टॉक के रूप में उनके द्वारा धारित शेयरों और डिबेंचरों पर अग्रिम देने के लिए कोई उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। 24 अक्तूबर 1986 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. एसआइसी. बीसी. 114/सी.739(ए-1)-86 के साथ संलग्न ज्ञापन के पैराग्राफ 13(iii) के अनुसार बैंक शेयर और स्टॉक दलालों को यथोचित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं। फिर भी, जमानत के रूप में रखे गये शेयरों और डिबेंचरों में नियमित कारोबार होना चाहिए। यदि शेयर और डिबेंचर तीन महीने से अधिक अवधि के लिए रखे जाते हैं तो उन्हें ज्ञापन में दिये गये दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 11 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार बैंक के नाम अंतरित करवा लेना चाहिए। समीक्षा करने पर यह निर्णय किया गया है कि तीन महीने की अवधि को बढ़ाकर नौ महीने कर दी जाये। शेयर और स्टॉक दलालों द्वारा गिरवी रखे गये शेयरों के साथ विधिवत निष्पादित कोरे अंतरण फार्म होने चाहिए। हालांकि शेयर और स्टॉक दलाल आवश्यकता पड़ने पर अपने द्वारा गिरवी रखे गये शेयर बदलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेखे में होनेवाली चूक के मामले में बैंक को उक्त शेयर अपने नाम अंतरित करवा लेने के विकल्प का प्रयोग करना चाहिए।

अब दी गयी ये रियायतें केवल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीकृत शेयर दलालों और मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों के सदस्यों के लिए लागू की जानी चाहिए।

DBOD.No.Dir.BC.75/13.07.05/95

July 17, 1995
Aashadha 26, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

ADVANCES AGAINST SHARES/ DEBENTURES

As you are aware, there is no ceiling limit fixed for advances to share and stock brokers against shares and debentures held by them as stock in trade. In terms of paragraph 13(iii) of the memorandum attached to our circular DBOD No. SIC. BC.114/C.-739(A-1)/86 dated 24 October 1986, banks are free to provide reasonable overdraft facilities to share and stock brokers. There should, however, be regular turnover in the shares and debentures lodged as security. If the shares and debentures are held beyond 3 months, they are required to be transferred to the bank's name as stipulated in paragraph 11 of the guidelines contained in the memoradum. On a review it has been decided to raise the period of 3 months to nine months. The shares pledged by share and stock brokers should be accompanied by duly executed blank transfer forms. While the share and stock brokers are free to substitute the shares pledged by them as and when necessary, in case of default in the account the bank should exercise the option to get the shares transferred in its name.

The relaxations made now should be made applicable only to share brokers registered with Securities & Exchange Board of India (SEBI) and who are members of the recognised Stock Exchanges.

2. व्यक्तियों, न्यासों और धर्मदायों को अग्रिम देने के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा वर्तमान में 5 लाख रुपये है (देखें 20 जनवरी 1988 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 82/सी.347(पीएसबी)-88 द्वारा यथासंशोधित 24 अक्तूबर 1986 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एसआइसी. बीसी. 114/सी. 739(ए-1)/86)। अतः शेयरों और डिबेंचरों पर अग्रिम देने संबंधी तीन लाख रुपये की आर्थिक सीमा को (ज्ञापन में दिये गये दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 9 द्वारा निर्धारित) जहां प्रतिभूति बैंक के नाम अंतरित करना अपेक्षित है, बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है।

3. हाल ही में ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि शेयर बाज़ार में जाली और बेनामी शेयर सर्टिफिकेट प्रचलन में हैं। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि जमानत के रूप में उनके पास रखी गयी स्क्रिप्स असली हैं।

4. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम देने संबंधी 24 अक्तूबर 1986 और समय समय पर यथासंशोधित परिपत्रों में यथासूचित सभी अन्य शर्तें अपरिवर्तित हैं।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

2. The ceiling limit fixed for advances to individuals, trusts and endowments is at present Rs. 5 lakhs (vide our Circular DBOD No. SIC. BC.114/C-739(A-1)/86 dated October 24, 1986 ibid as amended by circular DBOD No. Dir. BC.82/C.347(PSB)/88 dated January 20, 1988). The monetary limit of Rs. 3 lakhs (prescribed vide paragraph 9 of the guidelines contained in the memorandum) for advances against shares and debentures where the security is required to be transferred in the bank's name is raised to Rs. 5 lakhs.

3. Recently there have been reports of fake and benami share certificates circulating in the stock market. The banks are therefore, advised to ensure genuineness of the scrips lodged with them as security.

4. All other terms and conditions for grant of advances against the security of shares and debentures as advised in the circular of October 24, 1986, and as amended from time to time, remain unchanged.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 86/24.01.001/95-96

17 अगस्त 1995
26 श्रावण 1917 (शक)

सभी बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

हामीदारी आदि बाध्यताओं के संबंध में प्रतिबद्धताएं

कृपया आप 29 सितम्बर 1989 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 26/सी.469/89 देखें, जिसके अनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि हामीदारी आदि के संबंध में उनके द्वारा अथवा उनकी सहायक कंपनियों द्वारा की गयी प्रतिबद्धताएं बैंक/सहायक संस्था की स्वाधिकृत निधियों और उन पर आ सकनेवाली प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए तथा ये प्रतिबद्धताएं किसी भी स्थिति में निर्गम के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमें यह जानकारी मिली है कि बैंक कंपनी निकायों द्वारा जारी किये गये अल्पावधि अस्थिर (फ्लोटिंग) दर नोट, अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों (डिबेंचरों) तथा अन्य अल्पावधि लिखतों के लिए आवर्ती (रिवाल्विंग) हामीदारी सुविधा दे रहे हैं। इस मामले की जांच की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों/उनकी सहायक संस्थाओं को कंपनी निकायों द्वारा जारी किये गये अल्पावधि अस्थिर दर नोटों/बांडों को आवर्ती हामीदारी सुविधा नहीं देनी चाहिए।

भवदीय,

(के. वी. राजन)
उप महा प्रबंधक

DBOD.No.FSC.BC.86/24.01.001/95-96

August 17, 1995
Shravana 26, 1917 (Saka)

The Chairmen / Chief Executives of All Banks (excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

COMMITMENTS IN RESPECT OF UNDERWRITING ETC. OBLIGATIONS

Please refer to our circular DBOD FSC. BC. No. 26/C.469/89 dated 29 September 1989 in terms of which banks have been advised that underwriting committments etc. taken up by them or their subsidiaries should be related to the owned funds of the bank/ subsidiary and the capacity to meet the commitments that may devolve on them and should not in any case exceed 15% of an issue. It has come to our notice that banks are extending Revolving Underwriting Facility to short term Floating Rate Notes (FRN), non convertible debentures and other short term instruments issued by corporate bodies. The matter has been examined and it has been decided that banks/their subsidiaries should not extend Revolving Underwriting Facility to short term Floating Rate Notes/Bonds or debentures issued by corporate entities.

Yours faithfully,

(K. V. Rajan)
Deputy General Manager

बैंपविवि. सं. बीसी. 89/13.07.01/95

21 अगस्त 1995
30 श्रावण 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

ऋण दरों पर से विनियमन हटाना - ब्याज कर लगाना

बैंकों को विदित ही है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऋण दरों में ब्याज कर शामिल नहीं है और बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ब्याज कर का भार **समानुपातिक आधार पर** अपने उधारकर्ताओं पर डालेंगे; उधारकर्ताओं की श्रेणी और अग्रिम का प्रकार चाहे जो हो। चूंकि हमारे 17 अक्तूबर 1994 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 115/13.07.01/94 के पैराग्राफ 2 के अनुसार बैंकों द्वारा घोषित की जानेवाली आरंभिक ऋण दर (प्राइम लेंडिंग रेट) भी ब्याज कर छोड़कर होगी, अत: बैंक आरंभिक ऋण दर घोषित करते समय, पारदर्शिता की दृष्टि से, अपने ग्राहकों को उपर्युक्त स्थिति उपयुक्त रूप से स्पष्ट कर दें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश अग्रवाल)
महा प्रबंधक

DBOD.No.BC.89/13.07.01/95

August 21, 1995
Shravana 30, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

DEREGULATION OF LENDING RATES- LEVY OF INTEREST TAX

As banks are aware, the lending rates prescribed by Reserve Bank of India are exclusive of interest tax and banks are required to pass on incidence of interest tax **pro rata,** to their borrowers irrespective of the category of borrowers and types of advances. As the Prime Lending Rate (PLR) required to be declared by the banks in terms of paragraph 2 of our circular DBOD No. Dir. BC.115/13.07.01/94 dated October 17, 1994 would also be exclusive of interest tax, banks may, while declaring PLR, suitably clarify the above position for the sake of transparency.

Yours faithfully,

(O. P. Agarwal)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 98/13.07.01/95

12 सितम्बर 1995
21 भाद्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

अग्रिमों पर ब्याज दरें

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारा 21 सितंबर 1990 का परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 19/सी. 96-90 देखें, जिसके साथ उसी तारीख का निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 18/सी. 96-90 भेजा गया है। साथ ही, समय-समय पर जारी किये गये अन्य प्रासंगिक निदेश/ परिपत्र भी देखें।

2. आपको विदित ही है कि हमारे 20 मई 1994 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 66/13.07.01/94 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार आवास वित्त एजेंसियों को मध्यवर्ती एजेंसियों की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसलिए वाणिज्य बैंकों द्वारा इन एजेंसियों को दिये जानेवाले वित्त पर ब्याज दर सीमा की मात्रा के अनुसार लगायी जाती है, जो संबंधित बैंक की मूल ऋण दर के अधीन होती है। पुनर्विचार करने पर यह महसूस किया गया है कि अंतिम हिताधिकारियों को ऋण देने के लिए आवास वित्त एजेंसियों को वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जानेवाले वित्त पर ब्याज दर बैंकों द्वारा सीधे ऋण देने के मामले में लगायी जानेवाली दर से कुछ कम होनी चाहिए। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि आवास वित्त एजेंसियों को मध्यवर्ती एजेंसियों की श्रेणी में शामिल किया जाये। तदनुसार, बैंक तत्काल प्रभाव से, अंतिम हिताधिकारियों को ऋण देने के लिए मध्यवर्ती एजेंसियों को दिये जानेवाले अवास वित्त पर दो लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों की श्रेणी में ऋण सीमाओं के लिए अपनी प्रासंगिक मूल ऋण दर से 1.5 प्रतिशत अंक कम

DBOD.No.Dir.BC.98/13.07.01/95

September 12, 1995
Bhadra 21, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INTEREST RATES ON ADVANCES

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC.19/C.96-90 dated September 21, 1990 forwarding the directive DBOD No. Dir. BC.18/C.96-90 of even date and other relevant directives/circulars issued from time to time.

2. As you are aware, in terms of instructions contained in our circular DBOD No. Dir. BC. 66/13.07.01/94 dated May 20, 1994, housing finance agencies have been excluded from the category of intermediary agencies and, as such, finance granted by commercial banks to these agencies attracts rate of interest as per size of the limit subject to the Prime Lending Rate (PLR) of the bank concerned. On a review, it is felt that the loans made available by commercial banks to housing finance agencies for on-lending to ultimate beneficiaries should be at somewhat lower rates than the banks themselves would charge in the case of direct lending. It has therefore been decided to include the housing finance agencies in the category of intermediary agencies. Accordingly, with immediate effect, banks should charge a fixed rate of interest at 1.5 percentage points below their respective

पर ब्याज की नियत दर लगायें।

3. दिनांक 12 सितम्बर 1995 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 97/13.07.01/95 संलग्न है।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

Prime Lending Rate (PLR) for credit limits in the category of advances over Rs. 2 lakhs on housing finance granted to intermediary agencies for on lending to ultimate beneficiaries.

3. An amending directive DBOD No. Dir. BC.97/13.07.01/95 dated September 12, 1995, is enclosed.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 97/13.07.01/95

12 सितम्बर 1995
21 भाद्र 1917 (शक)

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि 17 अक्तूबर 1994 के इसके निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 114/13.07.01/94 के अनुबंध की श्रेणी 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

DBOD.No.Dir.BC.97/13.07.01/95

September 12, 1995
Bhadra 21, 1917 (Saka)

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that, with immediate effect, Category 5 of the Annexure to the directive DBOD No. BC.114/13.07.01/94 dated October 17, 1994 shall be substituted by the following.

5. अंतिम हिताधिकारियों और निर्विष्ट सहायता देनेवाली एजेंसियों को ऋण देने के लिए मध्यवर्ती एजेंसियों (आवास वित्त एजेंसियों सहित) को दिया गया वित्त	अंतिम हिताधिकारियों और निर्विष्ट सहायता देनेवाली एजेंसियों को ऋण देने के लिए मध्यवर्ती एजेंसियों (आवास वित्त एजेंसियों सहित) को दिये जानेवाले वित्त पर लगायी जानेवाली दर दो लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों की श्रेणी में ऋण सीमाओं के लिए प्रत्येक बैंक की मूल ऋणदर से 1.5 प्रतिशत अंक कम होगी।
5. Finance granted to intermediary agencies (including those for housing) for on-lending to ultimate beneficiaries and agencies providing input support	For finance granted to intermediary agencies (including those for housing) for on lending to ultimate beneficiaries and agencies providing input support, the rate will be 1.5 percentage points below each bank's prime lending rate for credit limits in the category of advances over Rs. 2 lakhs.

2. समय-समय पर यथासंशोधित 21 सितम्बर 1990 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 18/सी.96/90 के अन्य नियम और शर्तें अप्रभावित रहेंगी।

2. All other terms and conditions contained in the directive DBOD No. BC.18/ C. 96-90 dated September 21, 1990 as amended from time to time, shall remain unaffected.

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 109/13.01.09/95

29 सितम्बर 1995
7 आश्विन 1917 (शक)

DBOD.No.Dir.BC.109/13.01.09/95

September 29, 1995
Ashwina 7, 1917 (Saka)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

मीयादी जमाराशियों पर अग्रिमों के लिए ब्याज दर

कृपया आप समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 27 दिसम्बर 1985 का हमारा निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी. 347-85 देखें।

All Commercial Banks

Dear Sirs,

RATE OF INTEREST ON ADVANCES AGAINST TERM DEPOSITS

Please refer to our directive DBOD No. Dir. BC.151/C.347-85 dated December 27, 1985 as amended from time to time. As indicated

गवर्नर के 29 सितम्बर 1995 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 145/07.01.279/95-96 के पैरा 14(घ) में आये उल्लेख के अनुसार लचीली उधार दरों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्णय किया गया है कि बैंक किसी व्यक्ति को जिसके नाम राशि (एकल/संयुक्त या संरक्षक के रूप में) जमा है, मीयादी जमाराशि पर प्रदत्त 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों/अग्रिमों पर वसूल की जानेवाली ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। फिर भी जमा दर से ऊपर 2 प्रतिशत अंक की वर्तमान ब्याज दर शर्त 2 लाख रुपये तक के ऐसे ऋणों/अग्रिमों के लिए जारी रहेगी। यह नयी शर्त घरेलू और अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाराशियों के संबंध में लागू होगी और **1 अक्तूबर 1995** से प्रभावी होगी।

2. विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना, विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना और अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया जमाराशि योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर अग्रिमों संबंधी वर्तमान अनुदेश अपरिवर्तित हैं।

3. 29 सितम्बर 1995 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 108/13.01.09/95 संलग्न है।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

in para 14(d) of the Governor's circular No. CPC. BC. 145/07.01.279/95-96 dated September 29, 1995, it has been decided, in the context of the flexible lending rates, that the banks will have the freedom to determine the interest rates chargeable on loans/ advances over Rs.2 lakhs granted against a term deposit to a person in whose name the deposit stands (singly/jointly or as a guardian). However, the present interest rate stipulation of 2 percentage points above the deposit rate, will continue for such loans/ advances upto Rs.2 lakhs. The new stipulation will be applicable in respect of domestic and Non-Resident (External) Rupee deposits and will come into effect from **October 1, 1995.**

2. The extant instructions on advances against deposits under Foreign Currency Non-Resident Accounts Scheme (FCNRA), Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) Scheme [FCNR(B)] and Non-Resident Non-Repatriable Rupee Deposit Scheme (NRNR) remain unchanged.

3. An amending directive DBOD No. Dir. BC.108/13.01.09/95 dated September 29, 1995 is enclosed.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 108/13.01.09/95

29 सितम्बर 1995
7 आश्विन 1917 (शक)

मीयादी जमाराशियों पर अग्रिमों के लिए ब्याज दर

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय समय पर यथासंशोधित 27 दिसम्बर 1985 के अपने निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 151/ सी. 347-85 में संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा यह निदेश देता है कि ऊपर उल्लिखित निदेश का पैराग्राफ 11 (क) निम्नानुसार संशोधित किया जाये :

(क) जब किसी मीयादी जमाराशि पर अग्रिम दिया जाता है और उक्त राशि निम्नलिखित के नाम जमा है

(i) उधारकर्ता के नाम पर अकेले या संयुक्त रूप से,
(ii) भागीदारी संस्था (कन्सर्न) के भागीदारों में से किसी एक भागीदार के नाम पर और अग्रिम संस्था को स्वीकृत किया गया होना चाहिए,
(iii) स्वामित्ववाली संस्था के स्वामी को और ऐसा अग्रिम उक्त संस्था को स्वीकृत किया गया हो,
(iv) वह आश्रित (वार्ड), जिसका अभिभावक आश्रित की ओर से उधार लेने के लिए सक्षम है और जहां उक्त क्षमता में आश्रित के अभिभावक को अग्रिम स्वीकृत किया गया हो।

यदि ऐसे अग्रिम की राशि 2 लाख रुपये तक है तो उस पर वसूल की जानेवाली ब्याज दर मीयादी जमाराशि पर देय दर से 2 प्रतिशत अधिक चाहिए; यदि ऐसे अग्रिम की राशि 2 लाख रुपये से अधिक है तो बैंक उस पर

DBOD.No.Dir.BC.108/13.01.09/95

September 29, 1995
Ashwina 7, 1917 (Saka)

RATE OF INTEREST ON ADVANCES AGAINST TERM DEPOSITS

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, and in modification of its directive DBOD No. Dir. BC.151/ C.347-85 dated December 27, 1985, as amended from time to time, the Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that paragraph 11(a) of the aforesaid directive shall be amended as under :

(a) When an advance is granted against a term deposit and the deposit stands in the name of

(i) The borrower either singly or jointly,
(ii) one of the partners of a partnership firm and the advance is made to the said firm,
(iii) the proprietor of a proprietory concern and the advance is made to such a concern.
(iv) a ward whose guardian is competent to borrow on behalf of the ward and where the advance is made to the guardian of the ward in such capacity.

the interest rate chargeable shall be 2 per cent over the rate payable on the term deposit when such advance is upto Rs. 2 lakh; banks will have the freedom to determine the in-

वसूल की जानेवाली ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

पैरा 11 में निहित अन्य प्रावधान जारी रहेंगे।

terest rate chargeable when such advantage is for over Rs. 2 lakh.

The other provisions contained in paragraph 11 shall continue.

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

(A. P. Aiyer)
Executive Director

औनिक्रवि. सं. ईएफडी. 11/04.02.06/95-96

30 अक्तूबर 1995

IECD.No.EFD.11/04.02.06/95-96

October 30, 1995

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

All Scheduled Commercial Banks

प्रिय महोदय,

Dear Sir,

विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत पोत-लदानोत्तर ऋण (पीएससीएफसी)

POST-SHIPMENT CREDIT DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY (PSCFC)

कृपया हमारे ऋण आयोजना कक्ष द्वारा जारी, 30 अक्तूबर 1995 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 146/07.01.279/95-96 का पैरा 1(घ) देखें।

Kindly refer to paragraph 1(d) of Circular, No. CPC. BC.146/07.01.279-95/96 dated 30 October, 1995 issued by our Credit Planning Cell.

2. उक्त परिपत्र के अनुसार, अमरीकी डॉलरों में मूल्यवर्गीकृत पोतलदानोत्तर ऋण की ब्याज दर दिनांक 31 अक्तूबर 1995 से युक्तिसंगत (रैशनलाइज्ड) बना दी गई है। तदनुसार, पोतलदान की तारीख से 90 दिन तक की अवधि वाले और 90 दिन से अधिक तथा 6 माह तक की अवधि वाले मीयादी बिलों के संबंध में दो अलग-अलग दरें होंगी। 90 दिन से ऊपर की कुल अवधि वाले मीयादी बिलों के संबंध में 9.5 प्रतिशत की नई दर **अग्रिम की तारीख से** लागू होगी। "विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत पोतलदानोत्तर

2. In term of the above circular, interest rate for Post-shipment Credit denominated in U.S. dollars has been rationalised with effect from 31st October, 1995. Accordingly, there will be two separate rates in respect of usance bills for period upto 90 days and for period beyond 90 days and upto six months from date of shipment. In respect of usance bills with total period beyond 90 days the new rate of 9.5% will apply **from the date**

ऋण हेतु अन्यथा अनिर्दिष्ट निर्यात ऋण" पर से उक्त तारीख से प्रतिबंध हटा लिया गया है और बैंकों को तदनुसार ब्याज की दर निर्धारित करने की आज़ादी दे दी गई है। इस संबंध में जारी किए गए, दिनांक 30 अक्तूबर 1995 के हमारे निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 124/13.07.01/95 की एक प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न है।

3. नई दरें न केवल नए अग्रिमों पर अपितु हमारे 24 मार्च 1986 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी 38/सी. 96-86 में यथाविनिर्दिष्ट मौजूदा बकाया राशियों पर भी लागू होंगी।

4. हमारे 31 मई 1993 के परिपत्र औनिऋवि सं. 36/04.02.02/92-93 के अनुसार, पीएससीएफसी के तहत, देय तारीख के बाद और क्रिस्टलाइजेशन की तारीख तक के बिलों के लिए फिलहाल जो पुनर्वित्त उपलब्ध होता था, वह 31 अक्तूबर 1995 से उपलब्ध नहीं होगा। तदनुसार, बैंक पुनर्वित्त के प्रयोजन हेतु हमारे ऋण आयोजना कक्ष को आंकड़े भेजते समय इस प्रकार के बिलों को शामिल न करें। क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रिया, क्रिस्टलाइजेशन पर अग्रिम की तारीख से रुपया ब्याज दर लगाने तथा पुनर्वित्त संबंधी ब्याज दर अन्तर की वापसी से संबंधित अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

भवदीय,

(आर. वेंकटेसन)
मुख्य महा प्रबंधक

of advance. The rate for "Export Credit Not Otherwise Specified for PSCFC" has been freed with effect from the above date and accordingly banks have freedom to determine the rate of interest. A copy of our directive DBOD No. Dir. BC.124/13.07.01/95 dated 30th October, 1995 issued in this connection is enclosed for your information.

3. The new rates will be applicable not only to fresh advances but also to the existing outstanding amounts as indicated in circular DBOD No. Dir. BC.38/C.96-86 dated 24 March 1986.

4. The refinance which is available for the bills beyond thc duc date till the date of crystallisation under PSCFC Scheme in terms of our circular IECD. No. 36/04.02.02/92-93 dated 31st May 1993 will not be available with effect from 31st October, 1995. Accordingly, banks may exclude such bills while reporting data to our CPC for the purpose of refinance. The instructions regarding crystallisation procedure, application of rupee interest rate from date of advance on crystallisation and the refund of interest rate differential in respect of refinance will remain unchanged.

Yours faithfully,

(R. Venkatesan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 124/13.07.01/95

30 अक्तूबर 1995

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश जारी करता है कि 31 अक्तूबर 1995 से इसके 17 अप्रैल 1995 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 51/13.07.01/95 के अनुबंध की मद 3(5) के सामने निर्दिष्ट ब्याज दरें अनुबंध में दर्शाये गये अनुसार परिवर्तित कर दी जाएं।

(बी. के. पाल)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.Dir.BC.124/13.07.01/95

October 30, 1995

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from 31st October, 1995, the interest rates indicated against items 3(5) to the Annexure to its directive DBOD No. Dir. BC.51/13.07.01/95 dated 17 April, 1995 be changed as given in the Annexure.

(B. K. Pal)
Executive Director

अनुबंध

3.	निर्यात ऋण	ब्याज की दर (%प्रतिवर्ष)	
		प्रचलित	नयी दरें (31 अक्तूबर 1995 से प्रभावी)
	X X X X		
	X X X X		
(5)	**अमरीकी डॉलरों में मूल्यवर्गीकृत पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण**		
(i)	पारवहन अवधि हेतु मांग बिल (फेडॉय द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट)	7.5	7.5
(ii)	**मीयादी बिल** (कुल अवधि हेतु, जिसमें निर्यात बिलों की व्यवहारी अवधि, फेडॉय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारवहन अवधि और, जहां लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल है)		
	(क) 90 दिनों तक	7.5	7.5
	(ख) 90 दिनों से अधिक तथा पोतलदान की तारीख से 6 माह तक	7.5	9.5
(iii)	विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत पोतलदानोत्तर ऋण हेतु अन्यथा अविनिर्दिष्ट निर्यात ऋण	9.5	मुक्त

ANNEXURE

3.	Export Credit	Rate of Interest (Per Cent per annum)	
		Existing	New Rates (Effective October, 31, 1995)
	X X X X X		
	X X X X X		
(5)	**Post-shipment Export Credit Denominated in U.S. Dollars**		
(i)	Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	7.5	7.5
(ii)	**Usance bills** (for total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable)		
	(a) Upto 90 days	7.5	7.5
	(b) Beyond 90 days and upto six months from the date of shipment	7.5	9.5
(iii)	Export Credit Not Otherwise Sepcified for PSCFC	9.5	Free

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. सं. 148/13.07.05/95

15 दिसम्बर 1995
24 अग्रहायण 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

शेयर प्रमाणपत्रों की अनधिकृत अनुलिपि (डुप्लीकेट) जारी करना

कृपया आप हमारा 6 सितम्बर 1993 का परिपत्र बैंपविवि. सं.एफएससी. बीसी. 162/24.56.001/93 देखें, जिसके अनुसार बैंकों को सचेत किया गया है कि वे अग्रिमों की जमानत के रूप में शेयरों, डिबेंचरों, बांडों आदि को स्वीकार करते समय संबंधित स्क्रिप की प्रामाणिकता का उचित सत्यापन करने में विशेष सावधानी बरतें।

2. समाचार पत्रों में प्रकाशित उन रिपोर्टों की जानकारी तो आपको होगी ही जिनमें बताया गया है कि कुछ संस्थाएं शेयरों के हस्तांतरण के समय परिवर्तन (स्विचिंग) की समस्या का सामना कर रही हैं और यह कि कतिपय कंपनियों ने तो शेयरों की अनुलिपियां जारी करने तक की परंपरा अपनायी है। यह संभव है कि इस प्रकार के भिन्न/अनुलिपि शेयर बैंकों को अग्रिमों की जमानत के लिए प्रस्तुत किये जायें। अतः बैंकों को एक बार पुनः सचेत किया जाता है कि वे अग्रिमों की जमानत के रूप में शेयरों, डिबेंचरों, बांडों आदि को स्वीकार करते समय संबंधित स्क्रिप की प्रामाणिकता का उचित सत्यापन करने में विशेष सावधानी बरतें।

3. इस बीच बैंकों को सलाह है कि शेयरों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों के लिए जो शेयर उनके निवेश खाते में अथवा बंधकग्राही के रूप में उनके पास पहले से ही हैं, उनके बारे में वे इस बात से संतुष्ट हो लें कि ये वही शेयर हैं जो

DBOD.No.Dir.BC.148/13.07.05/95

December 15, 1995
Agrahayana 24, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

UNAUTHORISED ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES

Please refer to our circular DBOD No. FSC. BC.162/24.56.001/93 dated September 6, 1993 in terms of which banks have been cautioned to be vigilant while accepting shares, debentures, bonds etc. as security for advances through proper verification as to the authenticity of the relative scrips.

2. As you are aware, reports have appeared in the press that some institutions have been faced with the problem of switching of the shares at the time of transfer and that certain companies have even resorted to the practice of unauthorised issue of duplicate shares. It is likely that such different/duplicate shares may be offered to the banks as security for advances. The banks are, therefore, once again cautioned to be vigilant while accepting shares, debentures, bonds etc. for advances through proper verification as to the authenticity of the relative scrips.

3. In the meantime, the banks are advised to satisfy themselves that shares already held by them either in their investment account or in their capacity as pledgees for advances granted against

हस्तांतरण के लिए मूल रूप से प्रस्तुत किये गये थे, न कि ऐसे शेयर, जिनके लिए अनधिकृत अनुलिपि शेयर जारी किये गये हैं। यदि इस प्रकार की कोई अनियमित बैंक की जानकारी में आये तो हमें उनके पूरे ब्यौरे तत्काल सूचित किये जायें।

4. उपर्युक्त अनुदेश आप अपनी शाखाओं को तत्काल सूचित करें और साथ ही यदि आपके बैंक ने कोई मर्चेंट बैंकिंग की सहायक कंपनी/पारस्परिक निधि प्रायोजित की हो तो उन्हें भी आवश्यक अनुपालन के लिए ये अनुदेश बताये जायें।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

shares, are the same as the shares originally lodged for transfer and the shares are not those for which unauthorised duplicate shares have been issued. If any irregularities in this regard come to the notice of banks, the full details thereof must be advised to us expeditiously.

4. The above instructions may be immediately brought to the notice of your branches as also merchant banking subsidiary/mutual fund, if any, sponsored by your bank, for necessary compliance.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

औनिक्रवि सं. ईएफडी. 17/04.02.06/95-96

15 जनवरी 1996

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा में मूल्य-वर्गीकृत पोतलदानोत्तर ऋण (पीएससीएफसी)

कृपया ऋण आयोजना कक्ष द्वारा जारी दिनांक 15 जनवरी 1996 का परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 153/07.01.279/95-96 का पैरा 2 देखें।

IECD.No.EFD.17/04.02.06/95-96

January 15, 1996

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

POST-SHIPMENT CREDIT DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY (PSCFC)

Kindly refer to paragraph 2 of Circular No. CPC. BC.153/07.01.279/95-96 dated January 15, 1996 issued by the Credit Planning Cell.

2. उक्त परिपत्र के अनुसार, अमरीकी डॉलरों में मूल्यवर्गीकृत पोतलदानोत्तर ऋण की ब्याज दर 16 जनवरी 1996 से संशोधित कर दी जाएगी। तदनुसार, 90 दिनों तक की कुल अवधि वाले ऋण पर ब्याज की दर 9.5% होगी और पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक तथा 6 माह से कम अवधि वाले ऋण तथा "पीएससीएफसी हेतु अन्यथा अनिर्दिष्ट निर्यात ऋण" पर, उक्त तारीख से, ब्याज की दर व्यक्तिगत तौर पर निर्धारित करने की छूट दे दी गई है और इस तरह के मामलों में, बैंकों को अपनी-अपनी ब्याज-दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। इस संबंध में 15 जनवरी 1996 के हमारे निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 7/13.07.01/96 की एक प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ संलग्न है।

2. In term of the above circular, interest rate for Post-Shipment Credit denominated in U.S. dollar has been revised with effect from 16th January, 1996. Accordingly, on credit for a total period upto 90 days the rate of interest would be 9.5% and for credit over 90 days and upto 6 months from the date of shipment and on "Export Credit Not Otherwie Specified for PSCFC", interest rates have been freed with effect from the above date and banks would have the freedom to determine the rate of interest in these cases. A copy of our directive DBOD No. Dir. BC.7/13.07.01/96 dated 15th January, 1996 issued in this connection is enclosed for your information.

3. नई दरें न केवल नए अग्रिमों पर बल्कि 24 मार्च 1986 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 38/सी. 96-86 में निर्दिष्ट मौजूदा बकाया राशियों पर भी लागू होंगी। तदनुसार, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि :-

3. The new rates will be applicable not only to fresh advances but also to the existing outstanding amounts as indicated in circular DBOD No. Dir. BC.38/C.96-86 dated 24th March 1986. Accordingly, it is further clarified as under :

(क) जहां बकाया राशि का संबंध, 90 दिनों तक की अवधि वाले किसी निर्यात बिल पर शुरू में अनुमत ऋण से हो, उन मामलों में, बकाया राशि पर, प्रारंभिक ऋण की शेष अवधि का ब्याज 16 जनवरी 1996 से, 9.5% की दर से लगाया जाना चाहिए।

a) Where the amount outstanding relates to the credit originally allowed on an export bill for a total period of upto 90 days, interest rate @ 9.5% should be charged with effect from January 16, 1996, on the outstanding amount for the remaining period of original credit.

(ख) जहां बकाया राशि का संबंध, पोतलदान की तारीख से 90 दिनों से अधिक तथा 6 माह तक की अवधि वाले किसी निर्यात बिल पर शुरू में अनुमत ऋण से हो, उन मामलों में, बैंकोंको बकाया राशि पर, प्रारंभिक ऋण की शेष अवधि के लिए 16 जनवरी 1996 से, अपनी-अपनी ब्याज-दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।

b) Where the amount outstanding relates to the credit originally allowed on an export bill for a period over 90 days and upto 6 months from the date of shipment, banks would have the freedom to fix their own interest rates, with effect from January 16, 1996, for the remaining period of original credit.

4. इस योजना के तहत ब्याज-दरों में परिवर्तन हो जाने से, बैंक इस योजना के तहत केवल 90 दिन तक की अवधि वाले बिलों पर ही पुनर्वित्त प्रदान करने के पात्र होंगे। तदनुसार, बैंकों को चाहिए कि वे पुनर्वित्त के प्रयोजन से, ऋण आयोजना कक्ष को आंकड़े भेजते समय उनमें केवल 90 दिन तक की अवधि वाले बिलों को ही शामिल करें। यदि ऋण की व्यवस्था 16 जनवरी 1996 से पहले की जा चुकी हो तो पीएससीएफसी योजना के तहत, किसी निर्यात ऋण पर पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक तथा 6 माह तक की अवधि तक पुनर्वित्त का आहरण जारी रखा जा सकता है। यदि उक्त ऋण की व्यवस्था 15 जनवरी 1996 के बाद की गई हो तो पीएससीएफसी योजना के तहत, पोतलदान की तारीख से 90 दिन से अधिक तथा 6 माह तक की अवधि के लिए निर्यात ऋण की पात्रता नहीं होगी।

भवदीय,

(ए. चंद्रमौलीश्वरन)
मुख्य महा प्रबंधक

4. With the changes in the interest rates under this Scheme banks will be eligible for refinance under this Scheme only against bills upto 90 days. Accordingly, banks should include only bills for a total period upto 90 days, while reporting data to Credit Planning Cell for the purpose of refinance. Refinance can continue to be drawn against export credit under PSCFC for a period over 90 days and upto 6 months from the date of shipment if the credit was provided prior to January 16, 1996. Export credit provided under PSCFC for periods over 90 days and upto 6 months from the date of shipment will not be eligible for refinance if such credit is provided after January 15, 1996.

Yours faithfully,

(A. Chandramouliswaran)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 7/13.07.01/96

15 जनवरी 1996

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा निदेश देता है कि इसके 30 अक्तूबर 1995 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 124/13.07.01/95 के अनुबंध में मद 3(5) पर दर्शायी गयी ब्याज दरों को, 16 जनवरी 1996 से, अनुबंध में दिये गये अनुसार परिवर्तित कर लिया जाएं।

(जगदीश कपूर)
कार्यपालक निदेशक

अनुबंध

3.	निर्यात ऋण	ब्याज की दर (%प्रतिवर्ष)	
		प्रचलित	नयी दरें (16 जनवरी 1996 से प्रभावी)
	x x x x		
	x x x x		
5.	अमरीकी डॉलरों में मूल्यवर्गीकृत पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण		

DBOD.No.Dir.BC.7/13.07.01/96

January 15, 1996

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from 16th January, 1996, the interest rates indicated against items 3(5) to the Annexure to its directive DBOD No. Dir. BC.124/13.07.01/95 dated October 30, 1995 be changed as given in the Annexure.

(Jagdish Capoor)
Executive Director

ANNEXURE

3.	Export Credit	Rate of Interest (Per Cent per annum)	
		Existing	New Rates (Effective January, 16, 1996)
	x x x x x		
	x x x x x		
(5)	Post-shipment Export Credit Denominated in U.S. Dollars		

(i) पारवहन अवधि हेतु मांग बिल (फेडॉय द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट)	7.5	9.5
(ii) **मीयादी बिल** (कुल अवधि हेतु, जिसमें निर्यात बिलों की व्यवहारी अवधि, फेडॉय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारवहन अवधि और, जहां लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल है)		
(क) 90 दिनों तक	7.5	9.5
(ख) 90 दिनों से अधिक तथा पोतलदान की तारीख से 6 माह तक	9.5	मुक्त
(iii) पोतलदानोत्तर ऋण हेतु अन्यथा अविनिर्दिष्ट निर्यात ऋण	मुक्त	मुक्त

(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	7.5	9.5
(ii) **Usance bills** (for total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable)		
(a) Upto 90 days	7.5	9.5
(b) Beyond 90 days and upto six months from the date of shipment	9.5	Free
(iii) Export Credit Not Otherwise Sepcified for PSCFC	Free	Free

औनिऋवि. सं. ईएफडी. 20/04.02.01/95-96

7 फरवरी 1996

सभी वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

अग्रिमों पर ब्याज-दरें -
पोतलदानोत्तर निर्यात रुपया ऋण

कृपया हमारे ऋण आयोजना कक्ष द्वारा जारी, 7 फरवरी 1996 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 154/07.01.279/95-96 का पैरा I (ख) देखें।

2. उक्त परिपत्र के अनुसार, पोतलदानोत्तर निर्यात रुपया ऋण की ब्याज दर 8 फरवरी 1996 से संशोधित कर दी जाएगी। तदनुसार, पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक तथा 6 माह तक की कुल अवधि के लिए, पोतलदानोत्तर निर्यात रुपया ऋण की ब्याज दर, उक्त तारीख से, मुक्त रखी जायेगी और बैंकों को इस तरह के ऋण की ब्याज दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। इस तरह के ऋण पर बैंकों द्वारा निर्धारित ब्याज-दर **अग्रिम तारीख से प्रभावी होगी**। 90 दिनों तक की कुल अवधि वाले पोतलदानोत्तर निर्यात रुपया ऋण; जिसमें पारवहन अवधि (फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट) वाले मांग बिल भी शामिल हैं, पर लगनेवाली 13 प्रतिशत ब्याज-दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस संबंध में जारी 7 फरवरी 1996 के हमारे निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 12/13.07.01/96 की एक प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ संलग्न है।

3. जैसा कि हमारे 24 मार्च 1986 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 38/सी. 96/86 में दर्शाया गया था, ब्याज दर में यह संशोधन न केवल

IECD.No.EFD.20/04.02.01/95-96

February 7, 1996

The Chairmen / Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON ADVANCES-
POST-SHIPMENT EXPORT RUPEE CREDIT

Please refer to paragraph 1(b) of circular No. CPC. BC.154/07.01.279/95-96 dated February 7, 1996 issued by our Credit Planning Cell.

2. In terms of the above circular, interest rate for Post-Shipment Export Rupee Credit has been revised with effect from 8th February, 1996. Accordingly, the interest rate on post-shipment export rupee credit for total period over 90 days and upto 6 months from the date of shipment is freed from the above date and banks would have the freedom to determine the interest rate on such credit. The interest rate as fixed by the bank on such credit **will apply from the date of advance.** There is no change in the interest rate of 13 per cent on the post-shipment export rupee credit for total period upto 90 days including Demand bills for transit period (as specifird by FEDAI). A copy of our directive DBOD No. Dir. BC.12/13.07.01/96 dated February 7, 1996 issued in this connection is enclosed for your information.

3. The revision in the interest rate will be applicable not only to fresh advance but also to the existing outstanding amounts as

नये अग्रिमों पर बल्कि मौजूदा बकाया राशियों पर भी लागू होगा। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि बकाया राशि का संबंध, पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक तथा 6 माह तक की कुल अवधि वाले किसी निर्यात बिल पर शुरू में अनुमत ऋण होने की स्थिति में, दिनांक 8 फरवरी 1996 से, बैंकों को मूल ऋण की शेष अवधि के लिए अपनी-अपनी ब्याज–दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।

भवदीय,

(ए. चंद्रमौलीश्वरन)
मुख्य महा प्रबंधक

indicated in circular DBOD No. Dir. BC.38/C.96-86 dated 24th March, 1986. Accordingly, it is clarified that where the amount outstanding relates to the credit originally allowed on an export bill for a total period over 90 days and upto 6 months from the date of shipment, banks would have the freedom to fix their own interest rate, with effect from February 8, 1996, for the remaining period of original credit.

Yours faithfully,

(A. Chandramouliswaran)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 12/13.07.01/96

7 फरवरी 1996

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा निदेश जारी करता है कि इसके 17 अक्तूबर 1994 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 114/13.07.01/94 के अनुबंध की मद 3(2)(ii) (ख) के सामने दर्शायी गयी ब्याज-दर में 8 फरवरी 1996 से अनुबंध में दिये गये अनुसार परिवर्तन कर लिया जाए।

(जे आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.Dir.BC.12/13.07.01/96

February 7, 1996

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from February 8, 1996, the interest rates indicated against item 3(2)(ii)(b) to the Annexure to its directive DBOD No. Dir. BC.114/13.07.01/94 dated October 17, 1994 be changed as given in the Annexure.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

अनुबंध

3.	निर्यात ऋण	ब्याज की दर (%प्रतिवर्ष)	
		प्रचलित	नयी दरें (8 फरवरी 1996 से प्रभावी)
	X X X X		
	X X X X		
	(2) पोतलदानोत्तर ऋण		
	(ii) मीयादी बिल (कुल अवधि हेतु, जिसमें निर्यात बिलों की व्यवहारी अवधि, फेडॉय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारवहन अवधि और, जहां लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल है)		
	(ख) पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक तथा 6 माह तक की अवधि के लिए।	15%	मुक्त

ANNEXURE

3.	Export Credit	Rate of Interest (Per Cent per annum)	
		Existing	New Rates (Effective February, 8, 1996)
	X X X X X		
	X X X X X		
	(2) POST-SHIPMENT CREDIT		
	(ii) Usance bills (for total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable)		
	(b) Beyond 90 days and upto six months from the date of shipment	15%	Free

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 45/13.01.04/96

8 अप्रैल 1996
19 चैत्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

जमाराशि से संबद्ध अग्रिम

हमें ऐसी सूचना मिली है कि वर्तमान/संभाव्य उधारकर्ताओं को बाध्य करके कुछ बैंकों ने जमाराशियाँ जुटाने की प्रथा शुरू की है। इस संबंध में अपनायी जानेवाली कार्यपद्धति यह है कि वर्तमान/संभाव्य उधारकर्ताओं पर इस बात के लिए दबाव डाला जाता है कि वे पहले से ही स्वीकृत ऋणों के वास्तविक वितरण से पहले अपने रिश्तेदारों, मित्रों अथवा अन्य कंपनियों से बड़ी राशियाँ जमा करायें। वास्तव में वर्तमान/संभाव्य उधारकर्ताओं को ऋण वितरित करने के उद्देश्य से इस तरह की जमाराशियाँ जुटायी जाती हैं। कुछ मामलों में, ऐसे एजेंटों/मध्यस्थों को ऋण स्वीकृत किये जाने की सूचना मिली है जिन्होंने अतिरिक्त निधियों का पता लगाने एवं ऐसी निधियों को बैंकों में अल्पावधि जमा के रूप में रखने में सहायता की थी। हम बैंकों को इस बात के लिए सावधान करना चाहेंगे कि आगे चलकर इस तरह की प्रथा के बड़े गंभीर परिणाम होते हैं क्योंकि इस तरह जुटायी गयी जमाराशियाँ बैंकों में थोड़ी ही अवधि के लिए रहती हैं जबकि दिये गये ऋण इससे काफी लंबे समय तक बने रहते हैं जिसके कारण आस्ति एवं देयताओं के बीच गंभीर असंतुलन पैदा होता है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे, वर्तमान/संभाव्य उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अथवा जमाराशियाँ जुटाने के बदले में उन मध्यस्थों को ऋण देने के लिए, जिन्हें अपनी वास्तविक व्यापार संबंधी आवश्यकताओं के लिए निधियों की आवश्यकता नहीं होती, एजेंटों/तीसरी पार्टियों के माध्यम से संसाधन जुटाने के अनैतिक तरीके अपनाने से बचें। यदि हमें पता चला कि बैंक इस तरह के

DBOD.No.Dir.BC.45/13.01.04/96

April 8, 1996
Chaitra 19, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sirs,

DEPOSIT LINKED ADVANCES

It has been brought to our notice that certain banks have resorted to the practice of raising deposits by coercing the existing/prospective borrowers. The modus operandi followed in this regard is to insist upon the existing/ prospective borrowers to bring sizeable deposits from their relatives, friends or other corporates before actual disbursal of loans already sanctioned. The deposits so mobilised are obviously intended to be used as resources for dispensation of credit to the existing/prospective borrowers. In certain cases, loans are reported to have been sanctioned to the agents/intermediaries who have assisted in locating surplus funds and parking such funds in short-term deposits with the banks. We would like to caution the banks that the above practices have serious repercussions in the long run inasmuch as the deposits so mobilised would remain with the banks for short periods while the credit extended would continue for a much longer period resulting in a serious asset-liability mismatch. The banks are advised to desist from becoming party to such unethical practices of raising of resources through agents/third parties to meet the credit needs of the existing/prospective borrowers or to grant loans to the intermediaries based on

कार्यों में लिप्त हैं तो यह बहुत गंभीर बात मानी जाएगी। सभी ऋण प्रस्ताव मूल्यांकन संबंधी सामान्य मानदंडों के अनुरूप होने चाहिए तथा इस संबंध में प्राप्त होने वाली जमाराशियों के लिहाज़ से मानदंडों में कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए।

the consideration of deposit mobilisation who may not require the funds for their genuine business requirements. A serious view will be taken by us in case the bank is found to be indulging in such practices. All credit proposals should be subjected to normal appraisal standards and there should be no dilution of standards in this regard on consideration of receiving deposits.

2. कृपया इस संबंध में अपने सभी नियंत्रक कार्यालयों/ अपनी शाखाओं को आप अविलंब उपर्युक्त अनुदेश जारी करें।

2. We shall be glad if you will please issue appropriate instructions urgently to your controlling offices/branches in this regard.

भवदीय,

Yours faithfully,

(अमलेंदु घोष)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

(A. Ghosh)
Additional. Chief General Manager

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 48/21.04.012/96

10 अप्रैल 1996
21 चैत्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

जम्मू और कश्मीर राज्य में
व्यापार और उद्योग को छूट

कृपया आप 30 मार्च 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 34/21.04.012/95 देखें, जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य में उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को छूट/ऋण में ढील की अवधि 31 मार्च 1996 तक बढ़ायी गयी है। यह निर्णय लिया गया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मौजूदा छूट/ऋण में ढील एक वर्ष तक और अर्थात् 31 मार्च 1997 तक जारी रहेगी।

2. कृपया आप इस संबंध में अपने नियंत्रण कार्यालयों/शाखाओं को उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

भवदीय,

(आर. जे. फर्नांडिस)
उप महा प्रबंधक

DBOD.No.BP.BC.48/21.04.012/96

April 10, 1996
Chaitra 21, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sirs,

RELAXATIONS TO TRADE AND INDUSTRY IN THE STATE OF JAMMU & KASHMIR

Please refer to our circular letter DBOD No. BP. BC.34/21.04.012/95 dated 30 March 1995 extending the period of concessions/ credit relaxations to the borrowers/customers in the State of Jammu & Kashmir upto 31 March 1996. It has been decided that the existing concessions/credit relaxations to borrowers/customers in the State of Jammu & Kashmir will continue to be operative for a further period of one year i.e. upto 31 March 1997.

2. Suitable instructions may please be issued to your controlling/branch offices in this regard.

Yours faithfully,

(R. J. Fernandes)
Deputy General Manager

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 49/21.04.012/96

10 अप्रैल 1996
21 चैत्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

पंजाब राज्य और संघशासित क्षेत्र चंढीगढ़ में व्यापार और उद्योग को छूट

कृपया आप 30 मार्च 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 35/21.04.012/95 देखें, जिसमें पंजाब राज्य और संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़ में उधारकर्ताओं/ग्राहकों को छूट/ऋण में ढील की अवधि 31 मार्च 1996 तक बढ़ायी गयी है। यह निर्णय लिया गया है कि पंजाब राज्य और संघशासित क्षेत्र चंडीगढ़ में उधारकर्ताओं/ग्राहकों को मौजूदा छूट/ऋण में ढील छः महीने तक और अर्थात् 30 सितंबर 1996 तक जारी रहेगी।

2. कृपया आप इस संबंध में अपने नियंत्रण कार्यालयों/ शाखाओं को उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

भवदीय,

(आर. जे. फर्नांडिस)
उप महा प्रबंधक

DBOD.No.BP.BC.49/21.04.012/96

April 10, 1996
Chaitra 21, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

RELAXATIONS TO TRADE AND INDUSTRY IN THE STATE OF PUNJAB AND UNION TERRITORY OF CHANDIGARH

Please refer to our circular letter DBOD No. BP. BC.35/21.04.012/95 dated 30 March 1995 extending the period of concessions/ credit relaxations to the borrowers/customers in the State of Punjab and Union Territory of Chandigarh upto 31 March 1996. It has been decided that the existing concessions/ credit relaxations to borrowers/customers in the State of Punjab and Union Territory of Chandigarh as stated in our above circular will continue to be operative for a further period of six months i.e. upto 30 September 1996.

2. Suitable instructions may please be issued to your controlling/branch offices in this regard.

Yours faithfully,

(R. J. Fernandes)
Deputy General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 53/13.01.04/96

15 अप्रैल 1996
26 चैत्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों की जमानत पर अग्रिम

जैसा कि आप जानते हैं, बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों की जमानत पर ऐसी रसीदों के धारक/धारकों तथा तृतीय पार्टी/पार्टियों को अग्रिम स्वीकृत करने के अलावा, बहुत-ही अपवादात्मक परिस्थितियों में बैंक कभी-कभी मामले में सभी उचित एवं आवश्यक सावधानियां बरतते हुए अन्य बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदों की जमानत पर भी अग्रिम स्वीकृत करते हैं। हाल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, जिनमें कथित रूप से कुछ बैंकों द्वारा जारी जाली मीयादी जमा रसीदों का इस्तेमाल अन्य बैंकों से अग्रिम प्राप्त करने के लिए किया गया था, हमने स्थिति की पुनरीक्षा की है। हम सूचित करते हैं कि बैंक तुरंत अन्य बैंकों की सावधि जमा रसीदों अथवा अन्य मीयादी जमा रसीदों की जमानत पर अग्रिम स्वीकृत करना बंद कर दें।

2. यदि आपके बैंक ने अन्य बैंकों की सावधि जमा रसीदों/मीयादी जमा रसीदों की जमानत पर अग्रिम स्वीकृत किये हैं तो आप ऐसे सारे मामलों की छानबीन करें तथा यह सुनिश्चित करें कि ये अग्रिम अन्य बैंकों की वास्तविक सावधि जमा रसीदों/मीयादी जमा रसीदों की जमानत पर स्वीकृत किये गये हैं तथा आवश्यक सावधानियां बरती गयी हैं। यदि कोई अनियमितता

DBOD.No.Dir.BC.53/13.01.04/96

April 15, 1996
Chaitra 26, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

ADVANCES AGAINST FIXED DEPOSIT RECEIPTS (FDRs) ISSUED BY OTHER BANKS

As you are aware, apart from grant of advances against security of bank's own Fixed Deposit Receipts (FDRs) to holder/s of such receipts, as also to third party/ies, banks in very exceptional circumstances sometimes also sanction advances against FDRs issued by other banks after taking all due and necessary precautions in the matter. The position has been reviewed by us in the light of recent happenings where fake term deposit receipts purported to have been issued by some banks were used for obtaining advances from other banks. We advise that banks should with immediate effect desist from sanctioning advances against FDRs or other term deposits of other banks.

2. In case your bank has sanctioned advances against FDRs/term deposits of other banks, you may scrutinize all such cases and ensure that these advances have been granted against genuine FDRs/term deposits of other banks and necessary precautions have been observed. If any irregu-

दिखायी पड़े तो उसकी सूचना संलग्न प्रोफार्मा में संगत विवरणों सहित हमें तुरंत भेजें।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

larities are noticed, these may be brought to our notice immediately with relevant details, as in the proforma enclosed.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंक का नाम :

अन्य बैंकों द्वारा जारी मीयादी जमा रसीदों की जमानत पर स्वीकृत अग्रिमों का विवरण (..... तक की अद्यतन स्थिति)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	अग्रिम की राशि	बकाया राशि	उन मीयादी जमा रसीदों का विवरण जिनकी जमानत पर अग्रिम स्वीकृत किये गये				पायी गयी अनियमितता का स्वरूप	बकाया देयों के समायोजन हेतु की गयी कार्रवाई	टिप्पणी : पायी गयी अनियमितताओं के लिए स्टाफ के विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण
				बैंक का नाम	रसीद की संख्या एवं तारीख	जमा की राशि	जमाकर्ता का नाम			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

ANNEXURE

Name of Bank :

Particulars of the advances granted against Term Deposit Receipts (TDRs) issued by other banks (Latest position as on)

Sr. No.	Name of the borrower	Amount of advance	Amount out-standing	Details of Term deposit receipt against which advance sanctioned				Nature of irregularities observed	Action taken to adjust the outstanding dues	Remarks : Details of action proposed to be taken against staff for the irregul-arities noticed
				Name the bank	Number & date of receipt	Amount of deposit	Name of depositor			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

औनिक्रविं. सं. ईएफडी. 2/04.02.01/96-97

3 जुलाई 1996
12 आषाढ़ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

मध्यावधि और दीर्घावधि आधार पर पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के लिए ब्याज दर(180 दिनों से अधिक अवधि का आस्थगित ऋण)

कृपया आप 27 फरवरी 1993 का हमारा डीबीओडी. परिपत्र सं. बीसी.86/13.07.01/93 देखें, जिसके साथ उसी दिन का निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 85/13.07.01/93 संलग्न है।

2. यह निर्णय लिया गया है कि मध्यावधि और दीर्घावधि आधार पर अर्थात 180 दिनों से अधिक दिनों के लिए पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण के लिए ब्याज दर को मुक्त रखा जाए। तदनुसार, आस्थगित ऋण पर ब्याज दर वाणिज्य बैंकों द्वारा अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निर्धारित किया जायेगा। दिनांक 3 जुलाई 1996 के हमारे निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 78/13.07.01/96 की एक प्रति आपकी जानकारी हेतु संलग्न है। निर्यात ऋण पर ब्याज दर संरचना 5 जुलाई 1996 से प्रभावी होगी, जो अनुबंध II में दर्शायी गयी है।

IECD.No.EFD.2/04.02.01/96-97

July 3, 1996
Aashadha 12, 1918 (Saka)

The Chairmen / Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATE FOR POST-SHIPMENT EXPORT CREDIT ON MEDIUM AND LONG TERM BASIS (DEFERRED CREDIT FOR THE PERIOD BEYOND 180 DAYS)

Please refer to DBOD circular No. BC.86/13.07.01/93 dated February 27, 1993, enclosing Directive DBOD No. BC.85/13.07.01/93 of the same date.

2. It has been decided to free the rate of interest on post-shipment export credit on medium and long term basis, i.e. for any period beyond 180 days. Accordingly, the rate of interest on such deferred credit may be decided by the commercial banks after securing the approval of their Board. A copy of our directive DBOD No. BC.78/13.07.01/96 dated July 3, 1996, is enclosed for your information. The interest rate structure on Export Credit effective from July 5, 1996 is given in Annexure II.

2. बैंकों द्वारा निर्धारित ब्याज दर 5 जुलाई 1996 अथवा उसके पश्चात मंजूर किये गये नये अग्रिमों पर ही लागू होगी।

भवदीय,

(ए. चंद्रमौलीश्वरन)
मुख्य महा प्रबंधक

3. The interest rate as fixed by the banks will be applicable only to fresh advances sanctioned on or after July 5, 1996.

Yours faithfully,

(A. Chandramouliswaran)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. बीसी. 78/13.07.01/96

3 जुलाई 1996
12 आषाढ़ 1918 (शक)

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा निदेश देता है कि इसके 27 फरवरी 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 85/13.07.01/93 के अनुबंध में मद 3(3) पर दर्शायी गयी ब्याज दरों को 5 जुलाई 1996 से अनुबंध में दिये गये अनुसार संशोधित किया जाए :

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.BC.78/13.07.01/96

July 3, 1996
Aashadha 12, 1918 (Saka)

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from July 5, 1996, the interest rates indicated against items 3(3) of the Annexure to its directive DBOD No. BC.85/13.07.01/93 dated February 27, 1993 be changed as given in the Annexure.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

अनुबंध

		ब्याज की दर (% वार्षिक)	
		प्रचलित	नयी दरें (5 जुलाई 1996 से प्रभावी)
3.	निर्यात ऋण		
(1)	X X X X		
(2)	X X X X		
3.	आस्थगित ऋण		
	180 दिनों से ज्यादा अवधि का आस्थगित ऋण	13%	मुक्त

ANNEXURE

		Rate of Interest (Per Cent per annum)	
		Existing	New Rates (Effective July, 5, 1996)
3.	Export Credit		
(1)	X X X X X		
(2)	X X X X X		
(3)	Deferred Credit		
	Deferred Credit for the period beyond 180 days	13%	Free

अनुबंध - II

निर्यात ऋण - अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों के लिए 5 जुलाई 1996 से प्रभावी ब्याज दर संरचना

क.	ऋण सीमा	ब्याज की दर (% वार्षिक)
	X X X X	X X X
ख.	चयनात्मक ऋण नियंत्रण की परिसीमा के भीतर आनेवाले पण्यों के लिए उधार-दर (एससीसी)	

ANNEXURE - II

EXPORT CREDIT - INTEREST RATE STRUCTURE FOR ADVANCES OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS EFFECTIVE FROM 5TH JULY 1996

A.	SIZE OF LIMIT	RATE OF INTEREST (% per annum)
	X X X X X	XXX
B.	LENDING RATE FOR COMMODITIES COMING WITHIN THE PURVIEW OF SELECTIVE CREDIT CONTROL (SCC)	

X X X X		X X X	X X X X X		XXX
ग.	**निर्यात ऋण**		C.	**EXPORT CREDIT**	
(1)	**पोतलदानपूर्व ऋण**		(1)	**PRE - SHIPMENT CREDIT**	
(i)	(अ) 180 दिनों तक	13.0	(i)	(a) Upto 180 days	13.0
	(आ) 180 दिनों से अधिक तथा 270 दिनों तक	15.0		(b) Beyond 180 days and upto 270 days	15.0
(ii)	निऋगांनि गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों की जमानत पर (90 दिनों तक)	13.0	(ii)	Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	13.0
(2)	**पोतलदानोत्तर ऋण**		(2)	**POST - SHIPMENT CREDIT**	
(i)	पारवहन अवधि हेतु मांग बिल (फेडॉय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट)	13.0	(i)	Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	13.0
(ii)	मीयादी बिल (कुल अवधि के लिए जिसमें निर्यात बिलों की व्यवहारी अवधि, फेडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारवहन अवधि तथा, जहां लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल हैं।)		(ii)	Usance Bills (For total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI, and grace period wherever applicable)	
	(अ) 90 दिनों तक	13.0		(a) Upto 90 days	13.0
	(आ) पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक तथा 6 माह तक की अवधि के लिए	मुक्त x+		(b) Beyond 90 days and upto six months from the date of shipment	Free*@
(iii)	पोतलदान की तारीख से 6 महीने की अवधि से अधिक के लिए	मुक्त x	(iii)	Beyond six months from the date of shipment	Free*
(iv)	निऋगांनि गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहनों की जमानत पर (90 दिनों तक)	13.0	(iv)	Against incentives receivable from Government covered by ECGC GUARANTEE upto 90 days	13.0

(v)	अनाहरित शेष की जमानत पर (90 दिनों तक)	13.0
(vi)	पोतलदान की तारीख से 1 वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण राशि (केवल आपूर्ति भाग के लिए, की जमानत पर (90 दिनों तक)	13.0
(3)	**आस्थगित ऋण**	
	180 दिनों से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित ऋण	मुक्त x+
(4)	**अन्यथा निर्दिष्ट न किये गये निर्यात ऋण**	मुक्त x

x ब्याज दर निर्धारित करने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं।

\+ अग्रिम की तारीख से

(v)	Against undrawn balance (upto 90 days)	13.0
(vi)	Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	13.0
(3)	**DEFERRED CREDIT**	
	Deferred credit for the period beyond 180 days	Free*@
(4)	**EXPORT CREDIT NOT OTHERWISE SPECIFIED**	Free*

* Banks are free to determine the rate.

@ From the date of advance

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 98/13.01.04/96

4 जुलाई 1996
13 आषाढ़ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

मियादी जमा की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर ब्याज दर

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 29 सितम्बर 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 109/13.01.09/95 देखें, जिसके अनुसार बैंक किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके नाम पर जमा राशि है (अकेले/संयुक्त रूप से अथवा अभिभावक के रूप में), घरेलू/एनआरई मियादी जमा की जमानत पर स्वीकृत 2 लाख रुपये से अधिक के ऋणों/अग्रिमों पर लगायी जाने वाली ब्याज दरों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके नाम पर जमा राशि है (अकेले/संयुक्त रूप से अथवा अभिभावक के रूप में), घरेलू/एनआरई मियादी जमाराशियों की जमानत पर स्वीकृत 2 लाख रुपये से अधिक के अग्रिमों पर न्यूनतम उधार दर (प्राइम लेंडिंग रेट) संबंधी शर्तें लागू होंगी।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

DBOD.No.Dir.BC.98/13.01.04/96

July 4, 1996
Aashadha 13, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sirs,

RATE OF INTEREST ON ADVANCES AGAINST TERM DEPOSITS

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC.109/13.01.09/95 dated 29 September 1995 on the captioned subject in terms of which banks have been given freedom to determine the interest rates chargeable on loans/advances over Rs. 2 lakhs granted against a domestic/NRE term deposit to a person in whose name the deposit stands (singly/jointly or as a guardian). It is clarified that advances over Rs. 2 lakhs granted against domestic/NRE term deposits to a person in whose name the deposit stands (singly/jointly or as a guardian) would attract the stipulations regarding prime lending rate.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 114/13.07.01/96

24 अगस्त 1996
2 भाद्र 1918 (शक)

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय,

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उधार दरें

अक्तूबर 1994 में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमाओं के लिए अपनी उधार दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गयी थी। साथ-ही-साथ सहकारी बैंकों की उधार एवं जमा दरें पूर्णतः अविनियमित कर दी गयी थी और इन बैंकों को 12.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की न्यूनतम उधार दर के निर्धारण के अधीन अपनी जमा और उधार दरें निर्धारित करने की अनुमति दी गयी थी। जून 1995 से, शहरी सहकारी बैंक 13.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की न्यूनतम उधार दर के अधीन सभी श्रेणियों के उधारकर्ताओं के लिए उधार दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

2. इस संदर्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए उधार दरों का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता को सुनिश्चित करने तथा और अधिक युक्तियुक्तता प्रदान करने एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए उपयुक्त एवं वहन करने योग्य ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने की आवश्यकता के संदर्भ में, यह निर्णय किया गया है कि, 26 अगस्त 1996 से, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी उधार दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

3. 24 अगस्त 1996 का एक संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 113/13.01.07/96 संलग्न है।

DBOD.No.Dir.BC.114/13.07.01/96

August 24, 1996
Bhadra 2, 1918 (Saka)

All Regional Rural Banks

Dear Sir,

LENDING RATES OF REGIONAL RURAL BANKS

In October 1994, scheduled commercial banks including Regional Rural Banks were given the freedom to fix their lending rates for credit limits of over Rs. 2 lakhs. Simultaneously the lending and deposit rates of cooperative banks were totally deregulated and these banks were allowed to determine their deposit and lending rates subject to the prescription of a minimum lending rate of 12.0 per cent per annum. Since June 1995, Urban Cooperative banks are free to fix the lending rate to all categories of borrowers subject to the minimum lending rate of 13.0 per cent per annum.

2. In this context the question of lending rates for Regional Rural Banks has been under consideration for some time. In the context of the need for ensuring viability of Regional Rural Banks and providing greater manoeuvrability and ensuring the flow of adequate and sustainable credit to the rural sector, it has been decided that, effective August 26, 1996, Regional Rural Banks are free to determine their lending rates.

3. An amending directive DBOD No. Dir. BC.113/13.01.07/96 dated August 24, 1996 is enclosed.

4. कृपया इस पत्र की प्राप्ति-सूचना मुख्य महा प्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, केंद्र 1, विश्व व्यापार केंद्र, पोस्ट बॉक्स सं. 6089, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई 400 005 को दें।

भवदीय,

(श्रीमती श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

4. Kindly acknowledge receipt of this letter to the Chief General Manager, Department of Banking Operations & Development, Central Office, Reserve Bank of India, Centre 1, World Trade Centre, P. B. No. 6089, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai - 400 005.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 113/13.07.01/96

24 अगस्त 1996
2 भाद्र 1918 (शक)

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा निदेश देता है कि 26 अगस्त 1996 से 21 सितम्बर 1990 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 18/सी.96-90, समय-समय पर यथासंशोधित, में निहित कोई भी बात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू नहीं होगी।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.Dir.BC.113/13.07.01/96

August 24, 1996
Bhadra 2, 1918 (Saka)

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from August 26, 1996, nothing contained in the directive DBOD No. Dir. BC.18/C.96-90 dated September 21, 1990, as amended from time to time, shall apply to Regional Rural Banks.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 116/13.07.05/96

6 सितम्बर 1996
15 भाद्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर ऋण एवं अग्रिम

कृपया 20 जनवरी 1988 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 82/सी.347(पीएसबी)-88 देखें जिसके अनुसार बैंकों को वर्तमान शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर किसी एक उधारकर्ता को 5 लाख रुपये से अनधिक राशि का अग्रिम प्रदान करने की अनुमति दी गयी है। पुनरीक्षा करने पर, यह निर्णय किया गया है कि, तत्काल प्रभाव से,अलग-अलग प्रति उधारकर्ता के लिए 5 लाख रुपये की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया जाये। जिन मामलों में यह अपेक्षित है कि प्रतिभूतियां बैंक के नाम अंतरित की जायें, उनमें भी अलग-अलग उधारकर्ताओं को शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर 5 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है (देखें दिनांक 17 जुलाई 1995 का परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 75/13.07.05/95)।

2. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे उनके पास जमानत के रूप में जमा की गयी स्क्रिप्स का सही होना सुनिश्चित करें।

3. शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम स्वीकृत करने से संबंधित अन्य सभी शर्तें, जो कि समय-समय पर यथासंशोधित 24 अक्तूबर 1986

DBOD.No.Dir.BC.116/13.07.05/96

September 6, 1996
Bhadra 15, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

LOANS AND ADVANCES AGAINST SHARES/DEBENTURES

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC.82/C.347(PSB)-88 dated 20 January 1988 in terms of which banks have been permitted to advance amounts not exceeding Rs. 5 lakhs to an individual borrower against the security of existing shares and debentures. On a review, it has been decided to raise, with immediate effect, the existing limit of Rs. 5 lakhs to Rs. 10 lakhs per individual borrower. The monetary limit of Rs. 5 lakhs for advances against shares and debentures to individuals where the securities are required to be transferred in the bank's name (vide circular DBOD. No. Dir. BC.75/13.07.05/95 dated 17 July 1995) is also raised from Rs. 5 lakhs to Rs. 10 lakhs.

2. Banks are advised to ensure genuineness of the scrips lodged with them as security.

3. All other terms and conditions for grant of advances against the security of shares and debentures as advised in the cir-

के परिपत्र में बतायी गयी हैं, अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

cular of October 24, 1986, and as amended from time to time, remain unchanged.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 139/13.07.01/96

19 अक्तूबर 1996
27 आश्विन 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

अग्रिमों पर ब्याज दरें -
आधार (प्राइम) ऋण दर

कृपया आप 17 अक्तूबर 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 115/13.07.01/94 देखें, जिसके अनुसार बैंक 2 लाख रुपये से अधिक की सीमाओं वाले अपने अग्रिमों पर ऋण दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं ; परन्तु उनकी ये दरें उनकी आधार ऋण दर के अधीन होंगी, जो कि इस प्रकार के अग्रिमों के लिए न्यूनतम दर होगी। इस संबंध में आपका ध्यान गवर्नर के 19 अक्तूबर 1996 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 158/07.01.279/96-97 के पैराग्राफ 14(च) की ओर आकर्षित किया जाता है। जैसा कि उसमें उल्लेख है, प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं कम हो जाने से बैंकों के पहले से अधिकृत संसाधनों का अनुपात बहुत कम कर दिया गया है। इससे निधियों पर उनके औसत प्रतिलाभ में सुधार

DBOD.No.Dir.BC.139/13.07.01/96

October 19, 1996
Ashwina 27, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INTEREST RATES ON ADVANCES - PRIME LENDING RATE

Please refer to our circular DBOD No. Dir. BC. 115/13.07.01/94 dated 17 October 1994, in terms of which banks are free to determine their own lending rates on their advances with limits of over Rs. 2 lakhs subject to their Prime Lending Rate (PLR), which will be minimum rate for such advances. In this connection, your attention is invited to paragraph 14(f) of the Governor's circular No. CPC. BC.158/07.01.279/96-97 dated 19 October 1996. As indicated therein, with the reductions in reserve requirements, the proportion of pre-emptive resources of banks has substantially been brought down. This in turn has improved the average return on

हुआ है। बैंकों को इस लाभ का कम से कम कुछ भाग ऋणकर्ताओं को देना चाहिए। अत्यधिक ब्याज दरों से ऋणकर्ताओं की अदायगी की क्षमता प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, यह इसलिए भी बनाये रखने योग्य नहीं होगी कि अंततः इससे बैंकों की निष्क्रिय आस्तियों में वृद्धि होगी। गवर्नर द्वारा वर्ष 1996-97 की दूसरी छमाही के लिए घोषित मौद्रिक नीति संबंधी उपायों के प्रकाश में यह आशा की जाती है कि बैंक अपनी आधार ऋण दरों में उपयुक्त कमी करेंगे।

2. यह भी देखा गया है कि अनेक बैंक 2 लाख रुपये की ऋण सीमाओं वाले ऋणकर्ताओं पर बैंक ऋण के काफी बड़े भाग पर आधार ऋण दर से अधिक की ऋण दरें लगाते हैं। यदि वास्तव में लगायी गयी ब्याज दरें आधार ऋण दर से बहुत अधिक होती हैं तो आधार ऋण दर की विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। इसलिए निर्णय लिया गया है कि बैंक अपनी आधार ऋण दर की घोषणा के साथ-साथ, उपभोक्ता ऋण से इतर सभी अग्रिमों के लिए, आधार ऋण दर से अधिक कितनी दर लगायी जा सकती है, इस अंतर की भी घोषणा करें। बैंकों को चाहिए कि वे अपनी आधार ऋण दर के ऊपर अधिकतम अंतर निर्धारित करने के लिए अपने निदेशक मंडल का अनुमोदन तत्काल प्राप्त करें।

भवदीय,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

funds. Banks need to pass on at least part of the gains to the borrowers. Extremely high interest rates would affect the viability of the borrowers' capacity to repay. Besides, they would be unsustainable as they may eventually result in an increase in the non-performing assets (NPA) of the banks. In the light of the package of measures announced by the Governor in the Monetary Policy for the Second Half of 1996-97, it is expected that banks would reduce their Prime Lending Rates appropriately.

2. It is also observed that a number of banks are charging lending rates far higher than PLR on a significant portion of bank credit to borrowers with credit limit of over Rs. 2 lakhs. Credibility of the PLR is lost if the actual interest rates charged by the banks are sharply higher than the PLR. It has, therefore, been decided that banks, along with the announcement of their PLR, should also announce the maximum spread over the Prime Lending Rate for all advances other than consumer credit. Banks should immediately obtain the approval of their respective Boards for fixation of maximum spread over the Prime Lending Rate.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

औनिऋवि. सं. 10/04.02.01/96-97

19 अक्तूबर 1996
27 आश्विन 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

**अग्रिमों पर ब्याज दरें -
पोतलदानोत्तर रुपया ऋण**

कृपया आप गवर्नर का दिनांक 19 अक्तूबर 1996 का परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 158/07.01.279/96-97 देखें।

2. उक्त पत्र के पैरा 14(ङ) के अनुसार, 90 दिनों से अधिक तथा 6 माह तक की अवधि के पोतलदानोत्तर रुपया ऋण की ब्याज दरें 21 अक्तूबर 1996 से युक्ति संगत कर दी गई हैं। तदनुसार, पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक तथा 6 माह तक की अवधि (जिसमें निर्यात बिलों की व्यवहारी अवधि, फेडॉय द्वारा विनिर्दिष्ट पारवहन अवधि तथा जहां लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल है) वाले पोतलदानोत्तर रुपया ऋण (मीयादी बिल) पर बैंकों को 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाना चाहिए। ऐसे मामलों में 15% ब्याज की उच्चतर दर केवल 90 दिनों से अधिक अवधि वाले ऋणों पर लागू होगी और अग्रिम की तारीख से **नहीं**। कुल मिलाकर 90 दिनों की अवधि वाले मीयादी बिलों, जिनमें पारवहन अवधि के मांग बिल (फेडॉय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट) शामिल हैं, पर पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर लगने वाली 13% ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसप्रकार 21 अक्तूबर 1996 से, पोतलदानोत्तर रुपया ऋण पर पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों तक की कुल अवधि के लिए ब्याज-दर 13 प्रतिशत और 90 दिन से अधिक तथा 6 माह तक की अवधि के लिए ब्याज की दर 15 प्रतिशत होगी। इस संबंध में जारी हमारे 19 अक्तूबर 1996

IECD.No.10/04.02.01/96-97

October 19, 1996
Ashwina 27, 1918 (Saka)

The Chairmen / Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

**INTEREST RATE ON ADVANCES -
POST-SHIPMENT RUPEE CREDIT**

Please refer to Governor's letter No. CPC. BC.158/07.01.279/96-97 dated October 19, 1996.

2. In terms of paragraph 14(e) of the above letter, interest rate on Post-shipment Rupee Credit for the period beyond 90 days and upto six months has been rationalised with effect from October 21, 1996. Accordingly, on post-shipment rupee credit (usance bills) for total period (comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI and grace period wherever applicable) beyond 90 days and upto 6 months from the date of shipment, banks should charge interest at the rate of 15 per cent per annum. In such cases, the higher rate of interest of 15% will apply only for the period beyond 90 days and **not** from the date of advance. There is no change in the interest rate of 13 percent on the post-shipment rupee credit on usance bills for total period upto 90 days including Demand bills for transit period (as specified by FEDAI). Thus the rate of interest applicable on post-shipment rupee credit, with effect from October 21, 1996, will be 13 per cent upto a

के दिशा-निर्देश सं.बीसी. 142/13.07.01/96 की एक प्रति आपके सूचनार्थ संलग्न है।

total period of 90 days and 15 percent for period beyond 90 days and upto six months from the date of shipment. A copy of our Directive DBOD No. Dir. BC.142/13.07.01/96 dated October 19, 1996 issued in this connection is enclosed for your information.

3. जैसा कि हमारे 24 मार्च 1986 के परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर बीसी.38/सी-96/86 में दर्शाया गया था, ब्याज दर में यह संशोधन न केवल नये अग्रिमों पर, बल्कि मौजूदा बकाया राशि पर भी लागू होगा। तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि बकाया राशि का संबंध पोतलदान की तारीख से लेकर 90 दिनों से अधिक तथा 6 माह तक की कुल अवधि वाले किसी निर्यात बिल पर शुरू में अनुमत ऋण से होने की स्थिति में ऊपर दर्शाये गये अनुसार दिनांक 21 अक्तूबर 1996 से मूल ऋण की शेष अवधि के लिए अपनी-अपनी ब्याज- दरें फिर से निर्धारित कर लें।

3. The revision in the interest rate will be applicable not only to fresh advances but also to the existing outstanding amounts as indicated in circular DBOD No. Dir. BC.38/C.96/86 dated 24 March 1986. Accordingly, it is clarified that where the amount outstanding relates to the credit originally allowed on an export bill for a total period over 90 days and upto 6 months from the date of shipment, banks should refix interest rate as indicated above, with effect from October 21, 1996, for the remaining period of original credit.

4. दिनांक 21 अक्तूबर 1996 से निर्यात ऋण पर लागू होने वाली ब्याज-दरों का ढांचा इस परिपत्र के अनुबंध II में दिया गया है।

4. The interest rate structure on export credit effective from October 21, 1996 is furnished in Annexure II of the Circular.

5. निर्यात को बढ़ावा देने की अत्यधिक आवश्यकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निर्यात-ऋण का लक्ष्य, प्रत्येक बैंक के शुद्ध बैंक ऋण के मौजूदा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर प्रत्येक बैंक के शुद्ध बैंक ऋण का 12 प्रतिशत कर दिया गया है। (संदर्भ के लिए गवर्नर के उक्त पत्र का पैरा 14(ग) देखें।) बैंकों को यह संशोधित लक्ष्य मार्च 1997 के अंत तक प्राप्त करना होगा। इस लक्ष्य-प्राप्ति में बैंकों द्वारा की जाने वाली प्रगति पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अत: बैंक यह सुनिश्चित करें कि निर्यात ऋण का तिमाही विवरण संबंधित तिमाही की

5. In recognition of the paramount need to promote exports, the target for export credit of scheduled commercial banks has been increased from the present 10.0 per cent of each bank's net bank credit to 12.0 per cent of each bank's net bank credit [para 14(c) of Governor's letter referred to above]. This revised target will have to be reached by end-March 1997. The progress of banks in attaining the stipulated target will be closely monitored and as such banks should ensure prompt submission of the quarterly statement on export credit, in the prescribed

समाप्ति से एक माह के भीतर निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत कर दिया जाता है।

भवदीय,

(ए. चंद्रमौलीश्वरन)
मुख्य महा प्रबंधक

format, within a month from the close of the quarter to which the statement relates.

Yours faithfully,

(A. Chandramouliswaran)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. बीसी. 142/13.07.01/96

19 अक्तूबर 1996
27 अश्विन 1918 (शक)

DBOD.No.BC.142/13.07.01/96

October 19, 1996
Ashwina 27, 1918 (Saka)

अग्रिमों पर ब्याज दरें

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और उचित है, एतद्द्वारा निदेश देता है कि इसके 7 फरवरी 1996 के निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 12/13.07.01/96 के अनुबंध की मद 3(2)(II)(ख) के सामने दर्शायी गयी ब्याज-दरों में 21 अक्तूबर 1996 से, इस निदेश के अनुबंध में दिये गये अनुसार परिवर्तन कर लिया जाए।

(बी. के. पाल)
कार्यपालक निदेशक

INTEREST RATES ON ADVANCES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that with effect from October 21, 1996, the interest rate indicated against item 3(2) (ii) (b) of the Annexure to its directive DBOD No. BC.12/13.07.01/96 dated February 7, 1996 be changed as given in the Annexure.

(B. K. Pal)
Executive Director

अनुबंध

	ब्याज की दर (% वार्षिक)	
	प्रचलित	(21 अक्तूबर 1996 से लागू)
3.	निर्यात ऋण	
(2)	पोतलदानोत्तर ऋण	
(ii)	मीयादी बिल (कुल अवधि के लिए, जिसमें निर्यात बिलों की व्यवहारी अवधि, फेडॉय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट पारवहन अवधि तथा जहां लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल हैं।)	
(ख)	90 दिनों से अधिक तथा पोतलदान की तारीख से लेकर 6 माह तक की अवधि के लिए	मुक्त x 15%

x अग्रिम की तारीख से

ANNEXURE

	Rate of Interest (Per Cent per annum)	
	Existing	(Effective October, 21, 1996)
3.	EXPORT CREDIT	
(2)	POST - SHIPMENT CREDIT	
(II)	USANCE BILLS (For total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI, and grace period wherever applicable)	
(b)	Beyond 90 days and upto six months from the date of shipment	Free* 15%

* From the date of advance.

अनुबंध - II

निर्यात ऋण - अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों पर उक्त तिथि से प्रभावी ब्याज दर की संरचना

ANNEXURE - II

EXPORT CREDIT - INTEREST RATE STRUCTURE FOR ADVANCES OF SCHEDULED COMMERCIAL BANKS AS ON DATE

	ब्याज की दर (% वार्षिक)
निर्यात ऋण	
(1) पोतलदानपूर्व ऋण	
(i) (अ) 180 दिनों तक	13.0
(आ) 180 दिनों से अधिक तथा 270 दिनों तक	15.0
(ii) ईसीजीसी गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्त होनेवाली प्रोत्साहन राशि की जमानत पर (90 दिनों तक)	13.0
(2) पोतलदानोत्तर ऋण	
(i) पारवहन अवधि हेतु मांग बिल (फेडॉय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट)	13.0
(ii) मीयादी बिल (कुल अवधि के लिए, जिसमें निर्यात बिलों की व्यवहारी अवधि, फेडॉय द्वारा विनिर्दिष्ट पारवहन अवधि तथा जहां लागू हो, अनुग्रह अवधि शामिल हैं,	
(अ) 90 दिनों तक	13.0

	RATE OF INTEREST (% per annum)
EXPORT CREDIT	
(1) PRE - SHIPMENT CREDIT	
(i) (a) Upto 180 days	13.0
(b) Beyond 180 days and upto 270 days	15.0
(ii) Against incentives receivable from Government covered by ECGC Guarantee (upto 90 days)	13.0
(2) POST - SHIPMENT CREDIT	
(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	13.0
(ii) Usance Bills (For total period comprising usance period of export bills, transit period as specified by FEDAI, and grace period wherever applicable)	
(a) Upto 90 days	13.0

(आ)	90 दिनों से अधिक तथा पोतलदान की तारीख से लेकर 6 माह तक की अवधि के लिए	15.0	(b) Beyond 90 days ane upto six months from the date of shipment	15.0
(iii)	पोतलदान की तारीख से 6 माह से अधिक अवधि के लिए	मुक्त x	(iii) Beyond six months from the date of shipment	Free*
(iv)	ईसीजीसी गारंटी द्वारा रक्षित सरकार से प्राप्य प्रोत्साहन राशि की जमानत पर (90 दिनों तक)	13.0	(iv) Against incentives receivable from Government covered by ECGC GUARANTEE upto 90 days	13.0
(v)	अनाहरित शेष राशि की जमानत पर (90 दिनों तक)	13.0	(v) Against undrawn balances (upto 90 days)	13.0
(vi)	पोतलदान की तारीख से 1 वर्ष के भीतर देय प्रतिधारण राशि (केवल आपूर्ति भाग के लिए) की जमानत पर (90 दिनों तक)	13.0	(vi) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (upto 90 days)	13.0
(3)	**आस्थगित ऋण**		**(3) DEFERRED CREDIT**	
	180 दिनों से अधिक की अवधिवाले आस्थगित ऋण	मुक्त x	Deferred credit for the period beyond 180 days	Free*
(4)	**अन्यथा अनिर्दिष्ट निर्यात ऋण**	मुक्त x	**(4) EXPORT CREDIT NOT OTHERWISE SPECIFIED**	Free*

x बैंक ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

* Banks are free to determine the rate of interest.

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 150/13.07.05/96

21 नवंबर 1996
30 कार्तिक 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋण बकाया होने की स्थिति में प्रवर्तकों द्वारा अपने शेयरों का कोटा बेचने के संबंध में लोकसभा की आकलन समिति की सिफारिशें

जैसा कि आप जानते हैं, कंपनियों के प्रवर्तक जो परियोजना वित्त के माध्यम से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से मीयादी ऋण लेते हैं, सामान्यतया इस आशय का वचन देते हैं कि वे ऋण की अवधि के दौरान शेयरों का प्रवर्तक कोटा नहीं बेचेंगे। पूंजी बाज़ार विकास एवं उससे संबद्ध अन्य पहलुओं के संबंध में लोकसभा की आकलन समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि जिन प्रवर्तकों ने मीयादी ऋण लिये हैं उनके शेयरों को बैंकों द्वारा अपनी अभिरक्षा में रखा जाए, अथवा कम-से-कम ऐसे शेयरों की आवधिक तौर पर प्रत्यक्ष जांच की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण बकाया रहने की अवधि में प्रवर्तक उस अवधि के दौरान अपने शेयर न बेचने के अपने वचन को पूरा कर रहे हैं। यदि बैंक इन शेयरों को अपनी अभिरक्षा में नहीं रख सकते तो उन्हें चाहिए कि वे वचनपत्र के साथ-साथ प्रवर्तकों से प्रतिवर्ष इस आशय का एक घोषणापत्र प्राप्त करें कि वे शेयर अभी भी उनके नाम पर हैं। ऐसे घोषणापत्र के साथ कंपनी के लेखा-परीक्षकों का एक प्रमाणपत्र भी संलग्न होना चाहिए कि

DBOD.No.Dir.BC.150/13.07.05/96

November 21, 1996
Kartika 30, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

RECOMMENDATION OF THE ESTIMATES COMMITTEE OF THE LOK SABHA REGARDING OFF-LOADING OF THE PROMOTERS QUOTA OF SHARES WHEN LOANS FROM BANKS/FINANCIAL INSTITUTIONS ARE OUT-STANDING

As you are aware, promoters of companies who avail of term loans from banks/financial institutions by way of project finance, usually give an undertaking not to off-load promoters quota of shares during the tenure of the loan. Pursuant to the recommendatons of the Estimates Committee of the Lok Sabha in its report on Development of Capital Market and other related issues, it has been decided that banks should take custody of the shares of promoters who have taken term loans, or at least conduct periodic physical verification of such shares in order to ensure that the promoters fulfil the undertaking given to these institutions for not off-loading their shares during the period when the loans are outstanding. In case banks do not take custody of the shares, they should, in addition to the undertaking, obtain a declaration from the promoters every year that they continue to hold the shares in their

उन्होंने इन शेयरों की जांच की है और वे अभी भी प्रवर्तकों के नाम पर हैं।

भवदीय

(यशवंत मार्डीकर)
महा प्रबंधक

names. Such declarations should be accompanied by a certificate from the company's auditors that they have verified the shares and that the shares continue to be held in the names of the promoters.

Yours faithfully,

(Y. W. Mardikar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 154/13.07.05/96

30 नवंबर 1996
9 अग्रहायण 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

शेयर/डिबेंचरों पर ऋण एवं अग्रिम

कृपया दिनांक 24 अक्तूबर 1986 के परिपत्र डीबीओडी. सं. एसआइसी. बीसी.114/सी.739(ए-1)/86 के साथ संलग्न उपर्युक्त विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों का पैराग्राफ 12 देखें, जिसके अनुसार शेयरों और डिबेंचरों पर रु.5 लाख से अधिक के अग्रिम निदेशक मंडल/समिति द्वारा स्वीकृत किये जाने चाहिए। इसकी समीक्षा करने पर यह निर्णय किया गया है कि बैंकों के निदेशक मंडल अब से शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिम स्वीकृत करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी स्तर तय कर सकते हैं। बैंक ऐसे अग्रिम स्वीकृत करने के लिए आंतरिक मार्गदर्शी सिद्धांत और सुरक्षा उपाय तैयार कर सकते हैं जो उनके निदेशक मंडल द्वारा

DBOD.No.Dir.BC.154/13.07.05/96

November 30, 1996
Agrahayana 9, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

LOANS AND ADVANCES AGAINST SHARES/DEBENTURES

Please refer to paragraph 12 of the guidelines on the above subject forwarded under cover of circular DBOD No. SIC. BC.114/C.739(A-1)/86 dated October 24, 1986, in terms of which advances exceeding Rs. 5 lakhs against shares and debentures should be sanctioned by the Board/Committee of Directors. On a review, it has been decided that the Boards of Directors of banks may henceforth decide the appropriate levels of authority for sanction of advances against the security of shares and debentures. The banks may also frame internal guidelines

अनुमोदित होने चाहिए।

शेयरों और डिबेंचरों की जमानत पर अग्रिमों की स्वीकृति हेतु समय-समय पर यशासंशोधित दिनांक 24 अक्तूबर 1986 के परिपत्र में निहित सभी अन्य शर्तें लागू रहेंगी।

भवदीय,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

and safeguards for grant of such advances which should be approved by their Boards.

All other terms and conditions for grant of advances against the security of shares and debentures as contained in the circular dated October 24, 1986, as amended from time to time, will continue to be in force.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

भाग VI

ऋण नियंत्रण (सामान्य)

SECTION VI

CREDIT CONTROL (GENERAL)

बैंपविवि. सं. बीसी.6/12.01.001/94-95

11 जनवरी 1995
21 पौष 1916 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 10 जनवरी 1995 का गवर्नर का परिपत्र सीपीसी. बीसी. 141/07.01.279/94-95 देखें. इस संबंध में हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :-

2.(क) विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) (एफसीएनआर) (वी) योजना पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

हमारे 24 अक्तूबर 1994 के परिपत्र बैंपविवि. बीसी. 128/12.01.001/94-95 के पैराग्राफ 2(i)(क) के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं पर 7.5 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने की अपेक्षा की जाती है। अब एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को 21 जनवरी 1995 से प्रारंभ पखवारे से 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15.0 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 11 जनवरी 1995 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 4/12.01.001/94-95 की प्रतिलिपि संलग्न है।

(ख) अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) योजना पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

DBOD.No.BC.6/12.01.001/94-95

January 11, 1995
Pausha 21, 1916 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

CASH RESERVE RATIO ON NON-RESIDENT DEPOSIT SCHEMES

Please refer to Governor's circular CPC. BC.141/07.01.279/94-95 dated January 10, 1995 on the captioned subject. In this connection we advise as under :-

2.a) Cash Reserve Ratio (CRR) on Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) [FCNR(B)] Scheme

In terms of paragraph 2(i) (a) of our circular DBOD BC. 128/12.01.001/94-95 dated October 24, 1994 scheduled commercial banks are required to maintain a cash reserve ratio (CRR) of 7.5 per cent on liabilities under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme. It has now been decided to raise the CRR on liabilities under FCNR(B) Scheme from 7.5 per cent to 15.0 per cent from the fortnight beginning January 21, 1995. A copy of the relative Notification DBOD No. BC.4/12.01.001/94-95 dated January 11, 1995 is enclosed.

b) Cash Reserve Ratio (CRR) on Non-Resident Accounts (Non-Repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Scheme

हमारी 10 जून 1992 की अधिसूचना बैंपविवि. बीसी. सं.137/12.01.001/92 के अनुसार अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना के अंतर्गत जमा राशियों पर वर्तमान में प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं शून्य हैं। परन्तु अब एनआरएनआर योजना के संबंध में शून्य प्रारक्षित अनुपात संबंधी अपेक्षा केवल प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने के संबंध में 21 जनवरी 1995 से प्रारंभ पखवारे से वापस ले ली गयी है। तदनुसार, यह निर्णय किया गया है कि 21 जनवरी 1995 से प्रारंभ पखवारे से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से एनआरएनआर योजना के अंतर्गत देयताओं पर 7.5 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने की अपेक्षा की जायेगी। दिनांक 11 जनवरी 1995 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 5/12.01.001/94-95 की प्रतिलिपि संलग्न है।

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने के संबंध में अन्य सभी मौजूदा निर्धारण जारी रहेंगे।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
अपर मुख्य अधिकारी

In terms of Notification DBOD No. BC.137/12.01.001/92 dated 10th June 1992 deposits under Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Scheme are at present subject to zero reserve requirements. However, the zero reserve requirement in respect of NRNR Scheme has now been withdrawn in regard to maintenance of CRR with effect from the fortnight beginning January 21, 1995. Accordingly, it has been decided that from the fortnight beginning January 21, 1995, scheduled commercial banks will be required to maintain a cash reserve ratio of 7.5 per cent on liabilities under the NRNR Scheme. A copy of the relative Notification DBOD No. BC.5/12.01.001/94-95 dated January 11, 1995 is enclosed.

All other existing prescriptions relating to maintenance of CRR will continue.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Additional Chief Officer

बैंपविवि. सं. बीसी.4/12.02.001/94-95

11 जनवरी 1995
21 पौष 1916 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके

DBOD.No.BC.4/12.02.001/94-95

January 11, 1995
Pausha 21, 1916 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the

द्वारा निदेश देता है कि विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमा देयताओं के संबंध में औसत दैनिक शेष रखने की अपेक्षा से छूट देने से संबंधित इसकी 24 अक्तूबर 1994 की अधिसूचना बैंपविवि.सं.बीसी. 126/12.01.001/94-95 अब 21 जनवरी 1995 से प्रारंभ पखवारे से वापस ले ली गयी है।

Reserve Bank of India hereby directs that with effect from the fortnight beginning January 21, 1995, its Notification DBOD No. BC.126/12.01.001/94-95 dated October 24, 1994 in regard to the exemption from the requirement of maintaining an average daily balance in respect of deposit liabilities under the Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme, shall stand withdrawn.

(ए.पी.अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. बीसी.5/12.01.001/94-95

11 जनवरी 1995
21 पौष 1916 (शक)

DBOD.No.BC.5/12.01.001/94-95

January 11, 1995
Pausha 21, 1916 (Saka)

अधिसूचना

NOTIFICATION

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (7) के साथ पठित उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 जून 1992 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. बीसी.137/12.01.001/92 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना के अंतर्गत जमा देयताओं के संबंध में प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक 21 जनवरी 1995 से प्रारंभ पखवारे से साढ़े सात प्रतिशत का औसत दैनिक शेष रखेगा।

In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) read with sub-section (7) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of its Notification DBOD No. BC.137/12.01.001/92 dated 10 June 1992, the Reserve Bank of India hereby specifies that with effect from the fortnight beginning January 21, 1995, every scheduled commercial bank shall, in respect of its deposit liabilities under the Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee Deposit Scheme, maintain an average daily balance of seven and half per cent of such deposits.

(ए.पी.अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.12/12.02.053/95

4 फरवरी 1995
15 माघ 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आयकर अधिनियम, (1961) की धारा 193(iii क) के अंतर्गत ज़ीरो कूपन बान्डों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस)

ज़ीरो कूपन बाण्डों को स्रोत पर कर की कटौती से मुक्त रखने के प्रश्न पर हमने भारत सरकार से संपर्क किया था। इस संबंध में हम इसके पीछे भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नयी दिल्ली की दिनांक 30 जनवरी 1995 की अधिसूचना सं.एस.ओ. 66 (ई) की एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर रहे हैं जो कि आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 193 (iii क) के प्रावधानों के अनुसार ज़ीरो कूपन बाण्डों के बोली मूल्य तथा उसके मोचन मूल्य के बीच की देय राशि के अंतर को स्रोत पर कर की कटौती से मुक्त करती है।

भवदीय

(आर. जे. फर्नांडिस)
उप मुख्य अधिकारी

DBOD.No.BP.BC.12/12.02.053/95

February 4, 1995
Magha 15, 1916 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

DEDUCTION OF TAX AT SOURCE (TDS) IN RESPECT OF ZERO COUPON BONDS UNDER SECTION 193 (IIIA) OF THE INCOME ACT, 1961

The question of exempting Zero Coupon Bonds from deduction of tax at source was taken up by us with the Government of India. In this connection, we append overleaf for information and necessary action a copy of Notification No. S.O.66(E) dated 30 January 1995 issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, New Delhi, exempting the difference payable between redemption value and the bid price of Zero Coupon Bonds from deduction of tax at source in terms of the provisions of Section 193 (iiia) of the Income Tax Act, 1961.

Yours faithfully,

(R. J. Fernandes)
Deputy Chief Officer

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 30th January 1995.

NOTIFICATION

S. O. 66(E) In exercise of the powers conferred by clause (iiia) of the proviso to Section 193 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby specifies, for the purposes of the clause, the difference payable between the redemption value and the bid price of Zero Coupon Bonds of 5 years tenure of the Government of India issued under the Scheme for sale of Zero Coupon Bonds of Government of India - by Auction vide Notification No. F. 4(5) W & M/93 dated the 7th January 1994 of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Provided that the said Bonds are held by :-

i) a banking company;
ii) a co-operative bank;
iii) a public financial institution as defined in Section 4A of Companies Act, 1956 (1 of 1956);
iv) Discount and Finance House of India Limited;
v) Securities Trading Corporation of India Limited

(C. V. Gupte)
Addl. Secretary to the Government of India

F. No. 275/10/95-IT(B)

बैंपविवि. सं. बीसी.19/12.01.001/95

15 फरवरी 1995
27 माघ 1916 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के संबंध में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखना

आपको विदित ही है कि हमारे 24 अक्तूबर 1994 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 128/12.01.001/94-95 के पैराग्राफ 2(i)(क) के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की गयी है कि वे विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं पर 29 अक्तूबर 1994 से प्रारंभ पखवारे से 7.5 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखेंगे तथा 11 जनवरी 1995 के परिपत्र बैंपविवि. बीसी. 6/12.01.001/94-95 के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं पर 21 जनवरी 1995 से प्रारंभ पखवारे से 15 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखेंगे।

2. हाल ही में एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक ने यह मान लिया कि विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना की निधियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात केवल उतनी ही निधियों पर रखना है जितनी भारतीय रुपयों में हैं। हमने इस मामले की जांच की है और यह स्पष्ट करते हैं कि विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत कुल बकाया देयताएं अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन हैं,

DBOD.No.BC.19/12.01.001/95

February 15, 1995
Magha 26, 1916 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

SECTION 42 OF THE RBI ACT, 1934, MAINTENANCE OF CRR ON FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) ACCOUNTS (BANKS) [FCNR(B)] SCHEME

As you are aware, in terms of paragraph 2(i)(a) of our circular DBOD No. BC.128/12.01.001/94-95 dated October 24, 1994 scheduled commercial banks were required to maintain cash reserve ratio (CRR) of 7.5 per cent on liabilities under the Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) [FCNR(B)] Scheme from the fortnight beginning October 29, 1994 and in terms of circular DBOD No. BC.6/12.01.001/94-95 dated January 11, 1995, all scheduled commercial banks are required to maintain a cash reserve ratio (CRR) of 15 per cent on liabilities under the Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) [FCNR(B)] Scheme from the fortnight beginning January 21, 1995.

2. Recently one of the scheduled commercial bank presumed that it has to maintain requisite CRR on FCNR(B) funds only to the extent of such funds held in Indian Rupees. We have since examined the matter and clarify that total outstanding liabilities under Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (Banks) Scheme should

चाहे वे निधियां भारतीय रुपयों में परिवर्तित कर ली गयी हों अथवा नहीं। प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रुपयों में समान देयता निर्धारित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित विदेशी मुद्रा की वह संदर्भ दर प्रयोग में लायी जानी चाहिए जो दर रिपोर्टिंग शुक्रवार को प्रचलित हो।

be subject to a requisite cash reserve ratio irrespective of the fact that funds under the scheme are converted into Indian Rupees or not. In order to determine the rupee equivalent liability under FNCR (B) Scheme for the purpose of cash reserve ratio the reference rate of foreign currency announced by the Reserve Bank on relevant reporting Friday should be used.

3. यदि आपके बैंक ने विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना की उन जमाराशियों को अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने के प्रयोजन हेतु भारतीय रुपयों में परिवर्तित नहीं किया है तो आप अपने बैंक की विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) जमाराशियों पर अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात निकालने के लिए 29 अक्तूबर 1994 से प्रारंभ पखवारे से रिपोर्टिंग शुक्रवार को प्रचलित रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित विदेशी मुद्रा की संदर्भ दर का प्रयोग करके पुनः गणना करें और तदनुसार यदि आवश्यक हो तो फार्म 'ए' में संशोधित विवरणी बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पुनः प्रस्तुत करें।

3. In case, your bank has not taken into account FCNR(B) deposits which are not converted to Indian Rupees for the purpose of maintenance of requisite CRR, you may re-workout your bank's CRR requirements on FCNR(B) deposits by using reference rate of foreign currency announced by the Reserve Bank on relevant reporting Friday from the fortnight beginning October 29, 1994 and accordingly submit revised return in Form 'A', if necessary, to the concerned Regional Office of the DBOD.

4. कृपया इस पत्र की प्राप्ति-सूचना भिजवायें और बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस आशय की पुष्टि करें कि आपके बैंक ने उपर्युक्त प्रक्रिया का दृढ़ता से पालन किया है।

4. Please acknowledge receipt of this letter and confirm to the concerned Regional Office of DBOD that your bank has strictly followed the above procedure.

भवदीय

Yours faithfully,

(सुनील बेंद्रे)
संयुक्त मुख्य अधिकारी

(S. A. Bendre)
Joint Chief Officer

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.32/13.08.01/95

24 मार्च 1995
3 चैत्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

चयनात्मक ऋण नियंत्रण - संवेदनशील पण्यों का कारोबार करनेवाले उधारकर्ताओं को नयी/अतिरिक्त ऋण सीमाएं स्वीकृत करना - शक्तियों का प्रत्यायोजन

कृपया उपर्युक्त विषय से संबंधित दिनांक 21 सितम्बर 1993 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं डीआइआर. बीसी. 169/13.08.01/93 के साथ पठित दिनांक 30 दिसम्बर 1992 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 61/13.08.01/92 देखें। चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले संवेदनशील पण्यों से संबंधित ऋण प्रस्तावों के अनुमोदन के संबंध में शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित मामले की और आगे पुनरीक्षा की गयी है और यह निर्णय लिया गया है कि **1 अप्रैल 1995** से, ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदित करने की शक्तियां बैंकों/भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों को निम्नानुसार प्रत्यायोजित की जाएंगी।

मंजूर करनेवाले प्राधिकारी	**सीमा की मात्रा**
क) प्रत्येक बैंक का सक्षम प्राधिकारी	एक करोड़ रुपये तक की सीमाएं
ख) भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जम्मू और तिरुवनंतपुरम के बैंपविवि के क्षेत्रीय कार्यालय, जिनके अधिकार क्षेत्र में ऋण सीमा	एक करोड़ रुपये से ऊपर और दो करोड़ रुपये तक

DBOD.No.Dir.BC.32/13.08.01/95

March 24, 1995
Chaitra 3, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

SELECTIVE CREDIT CONTROL-GRANTING OF FRESH / ADDITIONAL LIMITS TO BORROWERS DEALING IN SENSITIVE COMMODITIES -- DELEGATION OF POWERS

Please refer to our circular DBOD No. BC.61/13.08.01/92 dated 30 December 1992 read with our circular DBOD No. Dir. BC.169/13.08.01/93 dated 21 September 1993 on the above subject. The matter relating to delegation of powers with regard to approval of credit proposals relating to sensitive commodities coming under Selective Credit Control has been further reviewed and it has been decided that with effect from **April 1, 1995,** the powers for clearance of such proposals will be delegated to the banks/offices of Reserve Bank of India as indicated below :

Sanctioning authority	**Size of limit**
a) Competent authority in each bank.	Limits upto Rs. 1 crore.
b) Regional Offices of DBOD at Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Guwahati, Jammu, Lucknow and	Over Rs. 1 crore and upto Rs. 2 crore

	स्वीकृत करनेवाली शाखा अवस्थित है।			Thiruvananthapuram under whose jurisdiction the branch granting the limits is situated.	
ग)	अहमदाबाद, बंगलूर कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, पटना, मद्रास और नयी दिल्ली के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय, जिनके अधिकार क्षेत्र में ऋण सीमा स्वीकृत करनेवाली शाखा अवस्थित है।	एक करोड़ रुपये से ऊपर और तीन करोड़ रुपये तक	c)	Regional Offices of DBOD at Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Patna, Madras and New Delhi under whose jurisdiction the branch granting the limits is situated.	Over Rs. 1 crore and upto Rs. 3 crore.
घ)	बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग का केन्द्रीय कार्यालय	i) बैंपविवि., बम्बई क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली (अर्थात् केवल महाराष्ट्र राज्य और गोवा में अवस्थित) शाखाओं के मामले में एक करोड़ रुपये से ऊपर	d)	Central Office of DBOD	i) Over Rs. 1 crore in case of branches under jurisdiction of DBOD. Bombay Regional Office (i.e. situated in States of Maharashtra and Goa only)
		ii) मद (ख) में उल्लिखित बैंपविवि. के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली शाखाओं के मामले में दो करोड़ रुपये से ऊपर			ii) Over Rs. 2 crore in case of branches under jurisdiction of Regional Offices of DBOD mentioned at item(b).
		iii) मद (ग) में उल्लिखित बैंपविवि. के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आनेवाली शाखाओं के मामले में तीन करोड़ रुपये से ऊपर			iii) Over Rs. 3 crore in case of branches under jurisdiction of Regional Offices of DBOD mentioned at item(c).

ऋण सीमा की मात्रा बैंकिंग तंत्र से संवेदनशील पण्यों के स्टॉक की जमानत पर निधि पर आधारित कुल ऋण सीमा से संबंधित है।

2. उपर्युक्त प्रत्यायोजन को ध्यान में रखते हुए, संवेदनशील पण्यों का कारोबार करनेवाले उधारकर्ताओं के संबंध में एक करोड़ रुपये तक के ऋण प्रस्तावों को बैंकों को उनके पूर्वानुमोदन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के पास भेजने की आवश्यकता नहीं हैं। फिर भी, यह नोट किया जाये कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की शर्त समाप्त किये जाने का तात्पर्य एक लाख रुपये के वर्तमान स्तर के चयनात्मक ऋण नियंत्रण के प्रावधानों की छूट सीमा में वृद्धि करना नहीं है। बैंकों को चाहिए कि वे स्वयं एक करोड़ रुपये तक की ऋण सीमा स्वीकृत करते समय दो मुख्य नियंत्रणों अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी इसके चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी निदेशों में निर्धारित न्यूनतम मार्जिन और ऋण स्तर विषयक सभी प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन करें।

3. 30 दिसम्बर 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 61/13.08.01/92 में निहित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
अपर मुख्य अधिकारी

The size of the limit refers to the total fund based limits against the stock of sensitive commodities from the banking system.

2. In view of the above delegation, the banks need not forward the credit proposal upto Rs. 1 crore in respect of borrowers dealing in sensitive commodities to Reserve Bank of India for its prior approval. It may, however, be noted that the withdrawal of the condition for prior approval of the Reserve Bank of India shall not be construed as upward revision of exemption limit of the provisions of selective credit control directives from existing level of Rs. 1 lakh. The banks should scrupulously comply with all the major controls viz., minimum margin and level of credit ceiling prescribed by Reserve Bank of India from time to time in its Selective Credit Control Directives while sanctioning credit limits upto Rs. 1 crore by themselves.

3. All other instructions contained in our circular DBOD No. BC. 61/13.08.01/ 92 dated December 30, 1992 remain unchanged.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Additional Chief Officer

बैंपविवि. सं. बीसी.33/12.01.001/95

27 मार्च 1995
6 चैत्र 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखने के लिए अपेक्षित नकदी शेषराशियाँ

कृपया दिनांक 24 अक्तूबर 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं बीसी. 128/12.01.001/94-95 का पैरा 2(i) (ख) देखें, जिसके द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 7 जनवरी 1995 से शुरू होने वाले पखवारे से, रिपोर्टिंग पखवारे के प्रत्येक 13 दिन बैंकों द्वारा रखने के लिए अपेक्षित प्रारक्षित नकदी अनुपात के 85 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को बनाये रखें। बैंकों को यह अनुमति प्रदान की गयी थी कि रिपोर्टिंग पखवारे के 14 वें दिन वे दैनिक शेष राशियों के औसत को अपेक्षित स्तर से समायोजित करने हेतु अपेक्षित नकदी शेष राशियों के 85 प्रतिशत से कम रखें।

2. 1 अप्रैल से 14 अप्रैल 1995 तक के रिपोर्टिंग पखवारे के बीच घटित होने वाले विशेषकारकों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 1995 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवारे के प्रत्येक13 दिन बैंकों द्वारा रखे जाने के लिए अपेक्षित प्रारक्षित नकदी अनुपात के 85 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को 85 प्रतिशत से कम करके 50प्रतिशत कर दिया जाय, यह छूट केवल 1 अप्रैल से 14 अप्रैल 1995 तक के बीच के पखवारे की अवधि के लिए है। उसके बाद, रखे जाने के लिए अपेक्षित नकदी शेष राशियों का न्यूनतम स्तर रिपोर्टिंग पखवारे के प्रत्येक 13दिन रखे जाने के लिए अपेक्षित प्रारक्षित नकदी अनुपात की राशि का 85 प्रतिशत का पिछला स्तर हो जाएगा।

DBOD.No.BC.33/12.01.001/94-95

March 27, 1995
Chaitra 6, 1917 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

CASH BALANCES REQUIRED TO BE MAINTAINED BY SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

Please refer to paragraph 2(i)(b) of our circular letter DBOD No. BC.128/ 12.01.001/94-95 dated October 24, 1994 advising scheduled commercial banks to maintain effective fortnight beginning January 7, 1995, a minimum level of 85 per cent of the CRR balances required to be maintained by banks on each of the first 13 days of the reporting fortnight. On the 14th day of the reporting fortnight, banks were allowed to maintain less than 85 per cent of the required cash balances to adjust the average of daily balances to the required level.

2. Considering the special factors operating in the reporting fortnight covering the period April 1 to April 14, 1995, it has been decided that the minimum level of 85 per cent of the CRR balances required to be maintained by the banks on each of the first 13 days of the reporting fortnight beginning April 1 will stand reduced to 50 per cent instead of 85 per cent. This dispensation is only for the reporting fortnight covering the period of April 1 to April 14, 1995; thereafter, the minimum level of cash

इस उपाय से संबंधित अन्य शर्तें अपवर्तित रहेंगी।

भवदीय,

(एस. ए. बेन्द्रे)
संयुक्त मुख्य अधिकारी

balances required to be maintained will revert back to 85 per cent of the amount of CRR required to be maintained on each of the first 13 days of the reporting fortnight. Other stipulations regarding this measure will remain unchanged.

Yours faithfully,

(S. A. Bendre)
Joint Chief Officer

बैंपविवि. सं.बीसी.39/12.01.001/95

5 अप्रैल 1995
15 चैत्र 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - विदेशी मुद्रा (अनिवासी) (बैंक) [एफसीएनआर (बी)] योजना के संबंध में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखना

आपका ध्यान हमारे 15 फरवरी 1995 के परिपत्र बैंपविवि. सं. 19/12.01.001/95 के पैराग्राफ 2 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि बैंक भारतीय रुपयों में परिवर्तित न की गयी एफसीएनआर (बी) जमाराशियों के संबंध में अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने के लिए उस संदर्भ दर का इस्तेमाल करें, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित की गयी हो। परन्तु उक्त संदर्भ दर केवल अमेरिकी डॉलरों में उपलब्ध होती है और एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत जमाराशियां चारों प्रमुख मुद्राओं अर्थात् पौंड स्टर्लिंग, अमेरिका डॉलर, ड्यूश मार्क

DBOD.No.BC.39/12.01.001/95

April 5, 1995
Chaitra 15, 1917 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

SECTION 42 OF THE RBI ACT, 1934, MAINTENANCE OF CRR ON FOREIGN CURRENCY (NON-RESIDENT) [FCNR(B)] SCHEME

We invite a reference to paragraph 2 of the circular DBOD No.19/12.01.001/95 dated February 15, 1995 advising that banks may use reference rate of foreign currency announced by Reserve Bank of India for FCNR(B) deposits which are not converted into Indian Rupees for the purpose of maintenance of requisite CRR. However, as reference rate is available in respect of US Dollars only and as the deposits under FCNR(B) Scheme are accepted in all four

और जापानी येन में स्वीकार की जाती हैं, इसलिए हमने इस मामले की पुनः जांच की है।

2. अब हम यह सूचित करते हैं कि प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रयोजन हेतु एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत रुपया सममूल्य देयता निर्धारित करने के लिए संबंधित रिपोर्टिंग शुक्रवार को सभी चारों मुद्राओं के लिए भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की निर्देशक दर इस्तेमाल की जाये।

3. प्रसंगवश, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की निर्देशक दर सभी कार्य-दिवसों को दोपहर 12.00 बजे पर्दे पर अर्थात् रायटर 2001, पृष्ठ एफएक्स-आइआर पर उपलब्ध होती है।

भवदीय,

(सुनील बेन्द्रे)
संयुक्त मुख्य अधिकारी

major currencies i.e. Pound Sterling, US Dollars, Deutsche Mark and Japanese Yen, the matter has been re-examined by us.

2. We now advise that in order to determine the rupee equivalent liability under FCNR(B) Scheme for the purpose of cash reserve ratio (CRR), the FEDAI indicative rate for all the four currencies on relevant reporting Friday may be used.

3. Incidentally FEDAI indicative rate is available at 12.00 noon on any working day on the screen, i.e. Reuter 2001, page FX-IR.

Yours faithfully,

(S. A. Bendre)
Joint Chief Officer

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.**50/13.08.01/95**

17 अप्रैल 1995
27 चैत्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

चयनात्मक ऋण नियंत्रण -
संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम

कृपया आप गवर्नर महोदय के 17 अप्रैल 1995 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 144/07.01.279/94-95

DBOD.No.Dir.BC.50/13.08.01/95

April 17, 1995
Chaitra 27, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SELECTIVE CREDIT CONTROLS-ADVANCES AGAINST SENSITIVE COMMODITIES

Please refer to paragraph 14(h) of Governor's circular No. CPC. BC.144/07.01.279/94-95

का पैरा 14(ज) देखें। उसमें किये गये उल्लेख के अनुसार जिन पण्यों के संबंध में ऋण का उच्चतम स्तर निर्धारित किया गया है, वहां 18 अप्रैल 1995 से संदर्भ अवधि एक वर्ष आगे बढ़ाकर 1993-94 (नवंबर-अक्तूबर) को समाप्त तीन वर्ष की जा रही है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चयनात्मक ऋण नियंत्रण के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये निदेशों के अन्य सभी उपबंध यथावत् रहेंगे।

3. इस संबंध में 17 अप्रैल 1995 का संशोधक निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 49/13.08.01/95 संलग्न है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश अग्रवाल)
संयुक्त मुख्य अधिकारी

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.**49/13.08.01/95**

17 अप्रैल 1995
27 चैत्र 1917 (शक)

चयनात्मक ऋण नियंत्रण -
संवेदनशील पण्यों पर अग्रिम

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 31 मार्च 1987 के अपने निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 38/सी./218/87 में आंशिक आशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है,

dated April 17, 1995. As indicated therein, for commodities where there is a stipulation on the level of credit ceiling, the reference period is being brought forward by one year to the three years ended 1993-94 (November-October) with effect from April 18, 1995.

2. All other provisions of Selective Credit Control directives issued by Reserve Bank of India from time to time, shall remain unchanged.

3. An amending directive DBOD No. Dir. BC.49/13.08.01/95 dated April 17, 1995 in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(O. P. Agarwal)
Joint Chief Officer

DBOD.No.Dir.BC.49/13.08.01/95

April 17, 1995
Chaitra 27, 1917 (Saka)

SELECTIVE CREDIT CONTROLS-ADVANCES AGAINST SENSITIVE COMMODITIES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in partial modification of its directive DBOD No. Dir. BC.38/C.218/87 dated March 31, 1987, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is

इसके द्वारा निदेश देता है कि जिन पण्यों के संबंध में ऋण का उच्चतम स्तर निर्धारित किया गया है, वहां 18 अप्रैल 1995 से संदर्भ अवधि एक वर्ष आगे बढ़ाकर 1993-94 (नवंबर-अक्तूबर) को समाप्त तीन वर्ष कर दी जायेगी।

2. समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 31 मार्च 1987 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 38/सी.218-87 के अन्य सभी प्रावधान यथावत् रहेंगे।

(ए. पी. अय्यर)
कार्यपालक निदेशक

necessary and expedient in the public interest so to do hereby directs that with effect from April 18, 1995 for commodities where there is a stipulation on the level of credit ceiling, the reference period shall be brought forward by one year to the three years ended 1993-94 (November-October).

2. All other provisions of directive DBOD No. Dir. BC. 38/C.218/87 dated March 31, 1987, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(A. P. Aiyer)
Executive Director

बैंपविवि. सं. बीसी.**58/12.02.001/94-95**

13 मई 1995
23 वैशाख 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

माँग और मीयादी देयताओं की संगणना - भुनाये/खरीदे गये बिलों पर मार्जिन राशि

हाल ही में यह देखा गया है कि खरीदे/भुनाये गये बिलों पर मार्जिन की गणना के लिए बैंक अलग-अलग तरह की लेखा प्रणाली अपनाते हैं। जबकि कुछ बैंक मीयादी जमा के रूप में मार्जिन राशि रखते हैं और परिणामस्वरूप उसे मांग और मीयादी देयताओं में शामिल कर लेते हैं, वहीं कुछ अन्य बैंक उपर्युक्त मार्जिन को अन्य देयताओं के रूप में मानते हैं और उसे माँग और मीयादी देयताओं में शामिल नहीं करते। कुछ बैंक

DBOD.No.BC.58/12.02.001/94-95

May 13, 1995
Vaishakha 23, 1917 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

COMPUTATION OF DEMAND AND TIME LIABILITIES - MARGIN MONEY ON BILLS DISCOUNTED/ PURCHASED

Of late, it is observed that banks seem to adopt different accounting procedures for accounting for margin on bills purchased/ discounted. While some banks hold the margin money as term deposits and consequently include them under DTL, some banks treat the above margin as 'other liabilities' and exclude them from DTL. A

खरीदे/भुनाये गये बिलों की गणना शुद्ध मार्जिन के रूप में करते हैं जिसके कारण उनकी बहियों में मार्जिन अलग से नहीं दर्शायी जाती और इसलिए देयता के रूप में इसे पहचानने का प्रश्न ही नहीं उठता।

2. अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी बैंकों को खरीदे/भुनाये गये बिलों पर मार्जिन राशि को बाह्य देयताओं के रूप में मानना चाहिए तथा प्रारक्षित अपेक्षाओं के अनुरक्षणार्थ उसे कुल मांग और मीयादी देयताओं में शामिल करना चाहिए।

भवदीय,

(एस. ए. बेन्द्रे)
महा प्रबंधक

few banks account for the bills purchased/ discounted **net** of margin, whereby the margin does not appear separately in their books and the question of recognising it as a liability does not therefore arise.

2. It is, therefore, clarified that all banks follow uniform procedure in treating margin money on bills purchased/discounted as outside liabilities and should be included in total demand and time liabilities for the purpose of maintenance of reserve requirements.

Yours faithfully,

(S. A. Bendre)
General Manager

बैंपविवि. सं. बीसी.61/12.05.001/94-95

29 मई 1995
8 ज्येष्ठ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

तुलनपत्र में दिखावा

आपको विदित ही है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बार-बार बैंकों से कहता रहा है कि वे वर्ष के अंत में जमाराशियों में दिखावा करने की परिपाटी न अपनायें। इस संबंध में आपका ध्यान हमारे 2 फरवरी 1989 के परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 68/सी.254-89 और

DBOD.No.BC.61/12.05.001/94-95

May 29, 1995
Jyestha 8, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

WINDOW - DRESSING OF BALANCE SHEET

As you are aware, Reserve Bank of India has been repeatedly advising banks to desist from the practice of year-end window dressing of deposits. In this connection, your attention is invited to our circular DBOD No.

27 सितम्बर 1990 के परिपत्र बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 22/सी.254-90 की ओर आकर्षित किया जाता है। इन अनुदेशों के बावजूद जमाराशियों में कृत्रिम वृद्धि दर्शाने और बैंक की वास्तविक निष्पादन-स्थिति छिपाने के उद्देश्य से बैंकों की अनेक शाखाएं दिखावा करती रहती हैं।

Ret. BC.68/C.254/89 dated February 2, 1989 and DBOD No. Ret. BC.22/C.254/90 dated September 27, 1990. Despite these instructions, several branches of banks continue to indulge in window dressing with a view to artificially inflating deposits and camouflaging the actual performance of banks.

2. यह कोई कहने की बात नहीं है कि बैंकों को केवल स्थिर रह सकने वाले जमा संसाधन जुटाने चाहिए और यह कि वर्ष के अंत में तुलनपत्र में आंकड़े बढ़ा-बढ़ा कर दिखाने से कोई वास्तविक प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है; इससे अलग-अलग बैंकों के निष्पादन संबंधी आंकड़े विकृत ही होते हैं और सकल योग के रूप में समग्र बैंकिंग तंत्र के आंकड़े विकृत होते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति पर कारगर रोक लगाने की दृष्टि से आपका बैंक अपने आंचलिक/क्षेत्रीय/शाखा प्रबंधकों को तत्काल स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी करे कि जमाराशियां जुटाने के भरसक प्रयत्न किये जायें, किंतु शाखा प्रबंधक जमाराशियों में किसी तरह का दिखावा न करें और यह कि यदि इस प्रकार का कोई उदाहरण जानकारी में आयेगा तो संबंधित अधिकारियों की उचित जवाबदेही तय की जायेगी और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। कृपया यह नोट करें कि इन अनुदेशों का किसी तरह उल्लंघन करने पर बैंकों के खिलाफ बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 के अंतर्गत किये गये प्रावधान के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

2. We need hardly emphasize that banks should raise only stable deposit resources and that inflating the balance sheet figures at the year end serves no real purpose and only distorts the performance figures of individual banks as also in the aggregate for the banking system as a whole. In order to effectively curb such a tendency, your bank may immediately issue clear and strict instructions to the Zonal/Regional/Branch Manager that while all efforts are made to mobilise deposits, branch managers should not in any manner, resort to window dressing of deposits and that in case such instances are noticed, appropriate responsibility will be fixed on the officials concerned subjecting them to disciplinary action. It may kindly be noted that any infringement of these instructions would invite penal action on banks as provided under Section 46 of the Banking Regulation Act, 1949.

3. इस परिपत्र की एक प्रति निदेशक मंडल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाये।

3. A copy of this circular may be placed before the Board of Directors at its next meeting.

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.**83/21.02.053/95**

9 अगस्त 1995
18 श्रावण 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 193 (iiiक) के अंतर्गत शून्य (ज़ीरो) कूपन बांड़ों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती

कृपया आप 4 फरवरी 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 12/21.02.053/95 देखें, जो भारत सरकार की 30 जनवरी 1995 की अधिसूचना सं. एस. ओ. 66(ई) द्वारा शून्य कूपन बांडों के विमोचन मूल्य और बोली मूल्य के देय अंतर को आय कर अधिनियम 1961 की धारा 193 (iiiक) के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती से छूट देने के संबंध में है। इस संबंध में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा जारी की गयी 11 जुलाई 1995 की एक और अधिसूचना सं. एस. ओ. 622(ई) की प्रतिलिपि आपकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके पीछे उद्धृत कर रहे हैं। इस अधिसूचना में शून्य कूपन बांड, 2000 (भारत सरकार की 30 जनवरी 1995 की अधिसूचना सं. एफ. 4(4)-डब्ल्यू एंड एम/94 द्वारा 3 फरवरी 1995 को निर्गमित) के विमोचन मूल्य और बोली मूल्य के बीच देय अंतर को आय कर अधिनियम, 1961 की

DBOD.No.BP.BC.83/21.02.053/95

August 9, 1995
Sravana 18, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

DEDUCTION OF TAX AT SOURCE (TDS) IN RESPECT OF ZERO COUPON BONDS UNDER SECTION 193 (IIIA) OF THE INCOME TAX ACT, 1961

Please refer to our circular DBOD No. BP. BC.12/21.02.053/95 dated 4 February 1995 regarding exemption of difference payable between redemption value and the bid price of Zero Coupon Bonds from deduction of tax at source in terms of the provisions of section 193(iiia) of the Income Tax Act, 1961 vide Government of India's Notification No. S. O. 66(E) dated 30th January 1995. In this connection we append overleaf for information and necessary action, a copy of one more Notification No. S.O. 622(E) Dated July 11, 1995, issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, New Delhi, exempting the difference payable between redemption value and the bid price of Zero Coupon Bonds, 2000 (issued on February 3, 1995 vide Government of India Notification No. F. 4(4)-W & M/94 dated January 30,

धारा 193 (iii क) के अनुसार स्रोत पर आय कर की कटौती से छूट दी गयी है।

भवदीय,

(आर. जे. फर्नांडिस)
उप महा प्रबंधक

1995) from deduction of tax at source in terms of the provisions of Section 193(iiia) of the Income Tax Act, 1961.

Yours faithfully,

(R. J. Fernandes)
Deputy General Manager

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, the 11th July 1995.

NOTIFICATION

S.O. 622(E) - In exercise of the powers conferred by clause (iiia) of the proviso to Section 193 of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies, for the purpose of that clause, the difference payable between the redemption value and the bid price of Zero Coupon Bonds of 5 years tenor of the Government of India issued under the Scheme for sale of Zero Coupon Bonds of Government of India by Auction, vide Notification No. F. 4(4) W & M/94 dated the 30th January 1995 of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Provided that the said Bonds are held by :-

i) a banking company;
ii) a co-operative bank;
iii) a public financial institution as defined in Section 4A of Companies Act, 1956 (1 of 1956);
iv) Discount and Finance House of India Limited;
vi) Securities Trading Corporation of India Limited

(S. N. Shende)
Addl. Secretary to the Government of India

F. No. 275/10/95-IT(B)

बैंपविवि. सं. बीसी.**84/12.01.001/95-96**

16 अगस्त 1995
25 श्रावण 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24

यूरो निर्गम से प्राप्त राशियों पर प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं

भारत सरकार द्वारा 24 मई 1995 को जारी किये गये "यूरो निर्गमों के लिए दिशा-निर्देश" (संशोधित) के अनुसार यूरो निर्गम करने वाली कंपनियों को अब यह विकल्प होगा कि वे निर्गम के माध्यम से प्राप्त

DBOD.No.BC.84/12.01.001/95-96

August 16, 1995
Sravana 25, 1917 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

SECTION 42 OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 AND SECTION 24 OF THE BANKING REGULATION ACT, 1949

RESERVE REQUIREMENTS ON EURO ISSUE PROCEEDS

In terms of the revised "Guidelines for Euro Issues" issued by Government of India, on May 24, 1995, the companies going in for Euro issues will now have the option of

विदेशी मुद्रा जमाराशियों को, उन निधियों का अनुमोदित अंतिम उपयोग होने तक, बैंकों में रख सकेंगी। इस प्रकार की विदेशी मुद्रा जमाराशियों पर 7.5 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से अपेक्षा की जाती है कि वे 19 अगस्त 1995 से प्रारंभ पखवाड़े से इस प्रकार की जमाराशियों पर 7.5 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखेंगे। इसके लिए इन जमाराशियों को रिपोर्टिंग शुक्रवार को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की संकेतात्मक दर पर भारतीय रुपयों में काल्पनिक रूप से परिवर्तित कर लिया जायेगा। यह भी निर्णय किया गया है कि ये देयताएं सांविधिक चलनिधि अनुपात संबंधी निर्धारण से मुक्त रहेंगी।

2. हम यह दोहराना चाहते हैं कि विभिन्न श्रेणी की देयताओं पर अनेक निर्धारणों, जिनमें विधिसम्मत यथानिर्धारित कुछ देयताओं पर शून्य प्रारक्षित निधि का निर्धारण भी शामिल है, की दृष्टि से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा गया प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात कुल मांग और मीयादी देयताओं के क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

भवदीय,

(सुनील बेन्द्रे)
महा प्रबंधक

keeping the issue proceeds in foreign currency deposits with banks till the funds are deployed for approved end uses. It has been decided to prescribe a cash reserve ratio (CRR) of 7.5 per cent on such foreign currency deposits to be converted into Indian rupees notionally at the FEDAI indicative rate on the reporting Friday. Accordingly, all scheduled commercial banks (excluding regional rural banks) are required to maintain a cash reserve ratio of 7.5 per cent on such deposits with effect from the fortnight beginning August 19, 1995. It has also been decided that these liabilities would be free from the stipulation of Statutory Liquidity Ratio (SLR).

2. It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including prescription of a zero reserve requirement on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by scheduled commercial banks on total net demand and time liabilities should not be less than 3 per cent and 25 per cent, respectively.

Yours faithfully,

(S. A. Bendre)
General Manager

बैंपविवि. सं. बीसी.115/12.01.001/95-96

29 सितबंर 1995
7 आश्विन 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) - दैनिक आधार पर 85% के न्यूनतम स्तर का अनुरक्षण

कृपया दिनांक 29 सितम्बर 1995 के गवर्नर के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 145/07.01.279/95-96 का पैरा 14(च) देखें। इस संबंध में दिनांक 24 अक्तूबर 1994का हमारा परिपत्र बैंपविवि. बीसी.128/12.01.001/94-95 देखें जिसमें सूचित किया गया था कि 7 जनवरी 1995 से शुरू होने वाले पखवाड़े से रिज़र्व बैंक के पास बैंकों द्वारा नकद शेषराशियों के अनुरक्षण में होनेवाले उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे रिपोर्टिंग पखवाड़े के प्रत्येक प्रथम 13 दिन तक बैंकों द्वारा अनुरक्षणीय नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) शेषराशियों के 85 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर कायम रखें। बैंकों को यह अनुमति दी गयी थी कि वे रिपोर्टिंग पखवाड़े के 14वें दिन दैनिक शेषराशियों के औसत को अपेक्षित स्तर से समायोजन करने हेतु अपेक्षित नकद शेषराशियों के 85 प्रतिशत से कम का अनुरक्षण कर सकते हैं और रिपोर्टिंग पखवाड़े के प्रथम 13 दिनों में से किसी भी दिन सीआरआर के 85 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को कायम रखने में असफल होने पर बैंकों को उन्हें देय ब्याज राशि के 1/14 वें भाग तक ब्याज नहीं दिया जाएगा भले ही पखवाड़े में औसत के आधार पर सीआरआर में कोई गिरावट न रही हो।

DBOD.No.BC.115/12.01.001/95-96

September 29, 1995
Ashwina 7, 1917 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

SECTION 42 OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - CASH RESERVE RATIO (CRR) - MAINTENANCE OF MINIMUM LEVEL OF 85 PER CENT ON A DAILY BASIS.

Please refer to paragraph 14(f) of Governor's circular No. CPC. BC.145/07.01.279/95-96 dated September 29, 1995. In this connection, a reference is invited to our circular DBOD BC.128/12.01.001/94-95 dated October 24, 1994 advising that in order to reduce volatility in maintenance of cash balances by banks with Reserve Bank, effective fortnight beginning January 7, 1995, banks were required to maintain a minimum level of 85 percent of the Cash Reserve Ratio (CRR) balances required to be maintained by banks on each of the first 13 days of the reporting fortnight, on the 14th day of the reporting fortnight, banks were allowed to maintain less than 85 percent of the required cash balances to adjust the average of daily balances to the required level and any failure to observe this minimum level of 85 per cent of CRR requirement on any of the first 13 days of the reporting fortnight, banks would not be paid interest to the extent of one fourteenth of the eligible amount of interest even if there was no shortfall in the CRR on the average basis for the fortnight.

2. छुट्टियों के कारण, दैनिक आधार पर सीआरआर शेषराशियों के 85 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को कायम रखने में बैंकों को कठिनाइयों से बचाने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि 30 सितम्बर 1995 से शुरू होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे केवल रिपोर्टिंग पखवाड़े के .प्रथम कार्य दिन से सीआरआर के 85 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को कायम रखें और बैंकों को उनके नकदी शेष के समायोजन में समर्थ बनाने की दृष्टि से, रिपोर्टिंग पखवाड़े के अंतिम कार्य दिन को 85 प्रतिशत की शर्त का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। इसके प्रयोजनार्थ, बैंकों को अपने उन केन्द्रों के संदर्भ में छुट्टियों का हिसाब करना चाहिए जहाँ सीआरआर के अनुरक्षणार्थ उनका प्रधान खाता होता है। निदर्शन के लिए कृपया अनुबंध देखें।

3. सीआरआर से संबंधित अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

2. With a view to avoiding hardships to banks, because of holidays, in the maintenance of minimum level of 85 percent stipulation on CRR balances, on a daily basis, it has been decided that with effect from the fortnight beginning September 30, 1995, scheduled commercial banks need to maintain a minimum level of 85 per cent of the CRR requirement only from the first working. day of the reporting fortnight and to enable banks to adjust their cash balances, the 85 percent stipulation would not be required to be maintained on the last working day of the reporting fortnight. For this purpose banks should reckon the holidays with reference to the Centre where they have their principal account for maintenance of CRR. For illustration please see the annexure.

3. The other stipulations in regard, to CRR will remain unchanged.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

अनुबंध

रिपोर्टिंग पखवाड़े के दौरान दैनिक आधार पर नकदी प्रारक्षित अनुपात के अंतर्गत नकद शेषराशियों के अनुरक्षण से संबंधित शर्त का निदर्शी परिचालन

बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे औसत के आधार पर उस नकदी प्रारक्षित अनुपात की पूरी राशि का अनुरक्षण करें जिसका रिपोर्टिंग पखवाड़े के दौरान अनुरक्षण अपेक्षित है। 30 सितम्बर 1995 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से, बैंकों को रिपोर्टिंग पखवाड़े के पहले कार्य दिन से नकदी प्रारक्षित अनुपात संबंधी अपेक्षा के 85 प्रतिशत का न्यूनतम स्तर कायम रखना चाहिए और उन्हें रिपोर्टिंग पखवाड़े के अंतिम दिन अपेक्षित स्तर से अपनी नकद शेष राशियों को समायोजित करने की अनुमति है। 95 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर की प्रयोज्यता का परिचालन नीचे दिया गया है :

रिपोर्टिंग पखवाड़ा	निर्देशन - I		निर्देशन - II	
	कार्य दिन/छुट्टी	नकदी प्रारक्षित अनुपात संबंधी अपेक्षा के 85 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को कायम रखने की शर्त	कार्य दिन/छुट्टी	नकदी प्रारक्षित अनुपात संबंधी अपेक्षा के 85 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को कायम रखने की शर्त
पहला शनिवार	छुट्टी	लागू नहीं	कार्य दिन	लागू
दूसरा रविवार	छुट्टी	लागू नहीं	छुट्टी	लागू
तीसरा सोमवार	छुट्टी	लागू नहीं	कार्य दिन	लागू
चौथा मंगलवार	छुट्टी	लागू नहीं	कार्य दिन	लागू
पाँचवाँ बुधवार	कार्य दिन	लागू	कार्य दिन	लागू
छठा गुरुवार	कार्य दिन	लागू	कार्य दिन	लागू
सातवाँ शुक्रवार	कार्य दिन	लागू	कार्य दिन	लागू
आठवाँ शनिवार	कार्य दिन	लागू	कार्य दिन	लागू
नौवाँ रविवार	छुट्टी	लागू	छुट्टी	लागू
दसवाँ सोमवार	कार्य दिन	लागू	कार्य दिन	लागू
ग्यारहवाँ मंगलवार	कार्य दिन	लागू	कार्य दिन	लागू नहीं
बारहवाँ बुधवार	छुट्टी	लागू	छुट्टी	लागू नहीं
तेरहवाँ गुरुवार	कार्य दिन	लागू	छुट्टी	लागू नहीं
चौदहवाँ शुक्रवार (रिपोर्टिंग शुक्रवार)	कार्य दिन	लागू नहीं	छुट्टी	लागू नहीं

अगला पखवाड़ा

पहला शनिवार	कार्य दिन	लागू	छुट्टी	लागू नहीं
दूसरा रविवार	छुट्टी	लागू	छुट्टी	लागू नहीं
तीसरा सोमवार	कार्य दिन	लागू	छुट्टी	लागू नहीं
चौथा मंगलवार	छुट्टी	लागू	कार्य दिन	लागू
पाँचवाँ बुधवार	छुट्टी	लागू	कार्य दिन	लागू
छठा गुरुवार	कार्य दिन	लागू	कार्य दिन	लागू
सातवाँ शुक्रवार	कार्य दिन	लागू	कार्य दिन	लागू
आठवाँ शनिवार	कार्य दिन	लागू	कार्य दिन	लागू
नौवाँ रविवार	छुट्टी	लागू	छुट्टी	लागू
दसवाँ सोमवार	कार्य दिन	लागू	कार्य दिन	लागू
ग्यारहवाँ मंगलवार	कार्य दिन	लागू	कार्य दिन	लागू
बारहवाँ बुधवार	कार्य दिन	लागू	कार्य दिन	लागू
तेरहवाँ गुरुवार	कार्य दिन	लागू	कार्य दिन	लागू
चौदहवाँ शुक्रवार (रिपोर्टिंग शुक्रवार)	कार्य दिन	लागू नहीं	कार्य दिन	लागू नहीं

यह नोट किया जाय कि रिपोर्टिंग पखवाड़े के किसी भी दिन प्रारक्षित नकदी अनुपात संबंधी अपेक्षा के 85 प्रतिशत के उपर्युक्त न्यूनतम स्तर कायम रखने में असफल रहने की स्थिति में बैंकों को प्रतिदिन उन्हें देय ब्याज राशि के 1/14 वें भाग तक ब्याज नहीं दिया जाएगा भले ही पखवाड़े में औसत के आधार पर नकदी प्रारक्षित अनुपात में कोई गिरावट न रही हो।

ANNEXURE

Illustrative Operration of Stipulation regarding Maintenance of Cash Balances under CRR on Daily basis during Reporting Fortnight - Minimum level of 85 per cent of CRR Requirement

Banks are required to maintain on an average basis full amount of CRR required to be maintained during reporting fortnight. With effect from the fortnight beginning September 30, 1995, banks have to maintain a minimum level of 85 per cent of CRR requirement from the first working day of the reporting fortnight and they are allowed to adjust their cash balances on last working day of the reporting fortnight to the required level. Operation of applicability of minimum level of 95 per cent is set out below.

Reporting Fortnight	Illustration I		Illustration II	
	Working Day/ Holiday	Stipulation on Maintenance on Minimum of 85 per cent of CRR Requirement	Working Day/ Holiday	Stipulation on Maintenance minimum of 85 per cent of CRR Requirement
1st Saturday	Holiday	Not Applicable	Working Day	Applicable
2nd Sunday	Holiday	Not Applicable	Holiday	Applicable
3rd Monday	Holiday	Not Applicable	Working Day	Applicable
4th Tuesday	Holiday	Not Applicable	Working Day	Applicable
5th Wednesday	Working Day	Applicable	Working Day	Applicable
6th Thursday	Working Day	Applicable	Working Day	Applicable
7th Friday	Working Day	Applicable	Working Day	Applicable
8th Saturday	Working day	Applicable	Working day	Applicable
9th Sunday	Holiday	Applicable	Holiday	Applicable
10th Monday	Working Day	Applicable	Working Day	Applicable
11th Tuesday	Working Day	Applicable	Working Day	Not Applicable
12th Wednesday	Holiday	Applicable	Holiday	Not Applicable
13th Thursday	Working Day	Applicable	Holiday	Not Applicable
14th Friday (Reporting Friday)	Working Day	Not Applicable	Holiday	Not Applicable

Following Fortnight

1st Saturday	Working Day	Applicable	Holiday	Not Applicable
2nd Sunday	Holiday	Applicable	Holiday	Not Applicable
3rd Monday	Working Day	Applicable	Holiday	Not Applicable
4th Tuesday	Holiday	Applicable	Working Day	Applicable
5th Wednesday	Holiday	Applicable	Working Day	Applicable
6th Thursday	Working Day	Applicable	Working Day	Applicable
7th Friday	Working Day	Applicable	Working Day	Applicable
8th Saturday	Working day	Applicable	Working day	Applicable
9th Sunday	Holiday	Applicable	Holiday	Applicable
10th Monday	Working Day	Applicable	Working Day	Applicable
11th Tuesday	Working Day	Applicable	Working Day	Applicable
12th Wednesday	Working Day	Applicable	Working Day	Applicable
13th Thursday	Working Day	Applicable	Working Day	Applicable
14th Friday (Reporting Friday)	Working Day	Not Applicable	Working Day	Not Applicable

---

It may be noted that any failure to observe minimum level of 85 per cent of CRR requirement on any day/days during a reporting fortnight, as set out above, banks will not be paid interest to the extent of one fourteenth of the eligible amount of interest per day even if there is no shortfall in the CRR on average basis for the fortnight.

बैंपविवि. सं. बीसी.119/12.02.001/95-96

9 अक्तूबर 1995
17 आश्विन 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

सांविधिक चल-निधि अनुपात (एसएलआर) के लिए प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

कृपया गवर्नर के दिनांक 29 सितम्बर 1995 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी.145/07.01.279/95-96 का पैराग्राफ 14(छ) देखें। इस संबंध में, बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 पर हमारे दिनांक 23 मार्च 1985 के परिपत्र सं. बैंपविवि. एलईजी. बीसी. 34/सी. 233ए-85 तथा दिनांक 29 मार्च 1985 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 37/सी. 233ए-85 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. वर्तमान समय में, बैंकों द्वारा सांविधिक चल-निधि अनुपात (एसएलआर) के अनुरक्षणार्थ प्रतिभूतियों के मूल्यांकन का तरीका, तुलन-पत्र के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया से भिन्न है। अतः यह आवश्यक समझा जाता है कि सांविधिक चल-निधि अनुपात (एसएलआर) के अनुरक्षण के प्रयोजन और तुलन-पत्र के प्रयोजन के लिए प्रतिभूतियों का एक समान मूल्यांकन किया जाए। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 की उप-धारा (2क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 14 अक्तूबर 1995 से शुरू होने वाले पखवाड़े से, तुलन-पत्र के लिए अपनायी जाने वाली मूल्यांकन प्रणाली एस एल आर के अनुरक्षणार्थ भी उपयोग में लायी जाए।

DBOD.No.BC.119/12.02.001/95-96

October 9, 1995
Ashwina 17, 1917 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

VALUATION OF SECURITIES FOR STATUTORY LIQUIDITY RATIO (SLR)

Please refer to paragraph 14(g) of Governor's circular No. CPC. BC.145/07.01.279/95-96 dated September 29, 1995. In this connection, attention is drawn to our circular DBOD No. Leg. BC.34/C.233A-85 dated March 23, 1985 on Banking Laws (Amendment) Act, 1983 and Notification DBOD No. Leg. BC.37/C.233A-85 dated March 29, 1985.

2. At present, the method of valuation of securities for maintenance of Statutory Liquidity Ratio (SLR) by banks is different from the procedure adopted for the balance-sheet. It is, therefore, considered necessary to move towards uniform valuation of securities for the purpose of maintenance of Statutory Liquidity Ratio (SLR) and for balance-sheet purpose. Accordingly, by virtue of powers conferred under sub-section (2A) of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949, it has been decided that with effect from the fortnight beginning October 14, 1995, the system of valuation adopted for the purpose of balance sheet should also be used for the purpose of maintaining SLR.

3. तुलन-पत्र के लिए सरकारी और अनुमोदित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की एक-प्रणाली हमारे दिनांक 27 अप्रैल 1992 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 129/21.04.043/92, दिनांक 20 जून, 1992 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 143ए/24.48.001/91-92, दिनांक 15 अप्रैल 1995 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 44/21.04.048/95 और दिनांक 20 जून 1995 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 66/21.04.048/95 में दी गयी है।

4. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान सांविधिक चल-निधि अनुपात के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए, तुलन-पत्र के प्रयोजनार्थ पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च के दिन अपनाया गया प्रतिभूतियों के मूल्यांकन का तरीका ही उन प्रतिभूतियों के लिए अपनाया जाए जो निरन्तर धारिता में चली आ रही हों और अभी भी बैंक के संविभाग में हों। किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल के बाद से अभिगृहीत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, अंकित मूल्य अथवा अभिग्रहण की तारीख के लागत मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, पर किया जाएगा। जब तक ये प्रतिभूतियाँ बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी, तब तक अथवा वित्तीय वर्ष के अंत तक, इनमें से जो भी पहले हो, इन्हें उसी मूल्य पर दर्शाया जाएगा।

5. 1995-96 और 1996-97 के वित्तीय वर्षों के लिए एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :

एस एल आर का अनुपालन	मूल्यांकन प्रक्रिया
14 अक्तूबर 1995 से 31 मार्च 1996 तक की अवधि के लिए	(क) 31 मार्च 1995 के दिन संविभाग में धारित और निरन्तर धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन 31 मार्च 1995 के तुलन-पत्र में किये गये मूल्यांकन के अनुरूप किया जाएगा।
	(ख) 1 अप्रैल 1995 के बाद और 31 मार्च 1996 तक अभिगृहीत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंकित मूल्य अथवा अभिग्रहण की

3. A system of valuation of government and approved securities for the purpose of balance-sheet is set out in our circular No. DBOD BP. BC.129/21.04.043/92 dated April 27, 1992, DBOD No. BC. 143A/24.48.001/91-92 dated June 20, 1992, DBOD BP. BC.44/21.04.048/95 dated April 15, 1995 and DBOD No. BP. BC.66/21.04.048/95 dated June 20, 1995.

4. For the purpose of maintenance of SLR during a financial year, the valuation of securities adopted as on March 31 of the previous financial year for the purpose of balance sheet should be adopted for such securities as are held continuously and are still in the bank's portfolio. Securities acquired from April 1 onwards in a financial year will be valued at face value or cost price as on the date of acquisition, whichever is lower. These securities will be shown at the same value till these securities remain in the portfolio of the bank or till the end of financial year whichever is earlier.

5. An illustration for the financial years 1995-96 and 1996-97 is set out below :

SLR Compliance	Valuation Procedure
For the period from October 14, 1995, to March 31, 1996	(a) Securities held in the portfolio as on March 31, 1995 and held continuously shall be value as per the valuation in the balance sheet for March 31, 1995
	(b) securities acquired from April 1, 1995 onwards upto March 31, 1996 will be valued at face value or cost price, as on the date of

तारीख के लागत मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, पर किया जाएगा। जब तक ये प्रतिभूतियाँ बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी तब तक अथवा 31 मार्च 1996 तक, इनमें से जो भी पहले हो, इन्हें उसी मूल्य पर दर्शाया जाएगा।

1 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 1997 तक की अवधि के लिए

(क) 31 मार्च 1996 के दिन संविभाग में धारित और निरन्तर धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन 31 मार्च 1996 के तुलन-पत्र में किये गये मूल्यांकन के अनुरूप किया जाएगा।

(ख) 1 अप्रैल 1996 के बाद और 31 मार्च 1997 तक अभिगृहीत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन अंकित मूल्य अथवा अभिग्रहण की तारीख के लागत मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, पर किया जाएगा। जब तक ये प्रतिभूतियाँ बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी तब तक अथवा 31 मार्च 1997 तक, इनमें से जो भी पहले हो, इन्हें उसी मूल्य पर दर्शाया जाएगा।

6. इस संबंध में एक अधिसूचना संलग्न है।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

acquisition, whichever is lower. These securities will be shown at the same value till these securities remain in the portfolio of the bank or till March 31, 1996, whichever is earlier.

For the period from April 1, 1996 to March 31, 1997

(a) Securities held in the portfolio as on March 31, 1996 and held continuously shall be valued as per the valuation in the balance sheet for March 31, 1996

(b) securities acquired from April 1, 1996 onwards upto March 31, 1997 will be valued at face value or cost price, as on the date of acquisition, whichever is lower. These securities will be shown at the same value till these securities remain in the portfolio of the bank or till March 31, 1997, whichever is earlier.

6. A notification in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. बीसी.118/12.02.001/95-96

9 अक्तूबर 1995
17 आश्विन 1917 (शक)

अधिसूचना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 29 मार्च 1985 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 37सी. 233ए-85 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि 14 अक्तूबर 1995 को और से, उक्त अधिनियम की धारा 24 के प्रयोजन के लिए, भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके बाद "प्रतिभूतियाँ" कहा गया है) का मूल्यांकन निम्नलिखित विधि से किया जाएगा, अर्थात :

(क) 31 मार्च 1995 के दिन धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, जब तक वे निरन्तर धारिता में रहेंगी तथा बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी, तब तक उसी मूल्यांकन प्रणाली को अपनाते हुए किया जाएगा जो उस तारीख को तुलन-पत्र के लिए अपनायी गयी हो। उक्त मूल्यांकन तुरंत बाद के सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेगा। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 1996 तक अभिगृहीत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, अंकित मूल्य अथवा अभिग्रहण की तारीख के लागत मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, पर किया जाएगा। जब तक ये प्रतिभूतियाँ बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी, तब तक अथवा 31 मार्च, 1996 तक, इनमें से जो भी पहले हो इन प्रतिभूतियों को उसी मूल्य पर दर्शाया जाएगा।

DBOD.No.BC.118/12.02.001/95-96

October 9, 1995
Ashwina 17, 1917 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949, (10 of 1949), and in supersession of its Notification DBOD No. Leg. BC.37C.233A-85 dated March 29, 1985, the Reserve Bank of India hereby specifies that on and from 14th October 1995, for the purpose of Section 24 of the said Act, unencumbered approved securities (hereinafter referred to as 'securities'), shall be valued in the manner following, namely:

(a) securities held on 31st March 1995, so long as they are held continuously and are still in the bank's portfolio shall be valued by adopting the same system of valuation as for the balance sheet as on that date. The valuation shall remain unchanged throughout the financial year immediately following. Further, securities acquired from April 1, 1995 onwards upto March 31, 1996 shall be valued at face value or cost price, as on the date of acquisition, whichever is lower. These securities shall be shown at the same value till these securities remain in the portfolio of the bank or till March 31, 1996 whichever is earlier.

(ख) उसके बाद, प्रति वर्ष 31 मार्च के दिन धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, जब तक ये निरन्तर धारिता में रहेंगी तथा बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी, तब तक उसी मूल्यांकन प्रणाली को अपनाते हुए किया जाएगा जो उस तारीख को तुलन-पत्र के लिए अपनायी गयी हो। उक्त मूल्यांकन तुरंत बाद के सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेगा। तथापि, आने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान अभिगृहीत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, अंकित मूल्य अथवा अभिग्रहण की तारीख के लागत मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, पर किया जाएगा। जब तक ये प्रतिभूतियाँ बैंक के संविभाग में बनी रहेंगी, तब तक अथवा वित्तीय वर्ष के अंत तक, इनमें से जो भी पहले हो, उन्हें उसी मूल्य पर दर्शाया जाएगा।

(बी. के. पाल)
कार्यपालक निदेशक

(b) securities held on 31st March every year thereafter so long as these are held continuously and are still in the bank's portfolio shall be valued by adopting the same system of valuation as for the balance sheet as on that date. The valuation shall remain unchanged throughout the financial year immediately following. However, the securities acquired during the ensuing financial year shall be valued at face value or cost price, as on the date of acquisition, whichever is lower. These securities shall be shown at the same value till these securities remain in the portfolio of the bank or till the end of financial year, whichever is earlier.

(B. K. Pal)
Executive Director

बैंपविवि. सं. बीसी.129/12.01.001/95-96

30 अक्तूबर 1995
8 कार्तिक 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई खातों) और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) खातों के अन्तर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी अनुपात

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 अक्तूबर 1995 का गवर्नर का परिपत्र सीपीसी. बीसी. 146/07.01. 279/95-96 देखें। इस संबंध में हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :

2(क) अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई खातों) के अन्तर्गत जमाराशियों पर नकदी प्रारक्षित अनुपात

वर्तमान समय में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई खातों) के अन्तर्गत देयताओं पर 15.0 प्रतिशत का औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाये रखें। अब यह निर्णय किया गया है कि 28 अक्तूबर 1995 से शुरू पखवाड़े से, 27 अक्तूबर 1995 के स्तर के ऊपर अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता (एनआरई) जमाराशियों में हुई किसी वृद्धि को औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात के अनुरक्षण से छूट होगी। तथापि, बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे 27 अक्तूबर 1995 के स्तर तक एनआरई जमाराशियों पर 15.0 प्रतिशत के औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात को

DBOD.No.BC.129/12.01.001/95-96

October 30, 1995
Kartika 8, 1917 (Saka)

**All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)**

Dear Sir,

CASH RESERVE RATIO ON DEPOSITS UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL) RUPEE ACCOUNTS (NRE ACCOUNTS) AND NON-RESIDENT (NON-REPATRIABLE) RUPEE DEPOSIT (NRNR) ACCOUNTS

Please refer to Governor's circular CPC BC.146/07.01.279/95-96 dated October 30, 1995 on the captioned subject. In this connection, we advise as under :

2a) Cash Reserve Ratio on Deposist under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts)

At present, Scheduled Commercial Banks are required to maintain an average Cash Reserve Ratio (CRR) of 15.0 per cent on liabilities under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts). It has now been decided that, with effect from the fortnight beginning October 28, 1995, any increase in NRE deposits over the level outstanding as on October 27, 1995 will be exempt from maintenance of the average Cash Reserve Ratio. Banks will, however, continue to be required to maintain the

बनाये रखें। इस संबंध में 30 अक्तूबर 1995 की एक अधिसूचना सं. बैंपविवि. बीसी. 127/12.01.001/95-96 संलग्न है।

average CRR of 15 per cent on NRE Deposits upto the level as on October 27, 1995. A Notification no. DBOD BC. 127/12.01.001/95-96 dated October 30, 1995, in this regard is enclosed.

2(ख) अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया (एनआरएनआर) खातों के अन्तर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी अनुपात

2b) Cash Reserve Ratio on Deposits under Non-Resident (Non Repatriable) Rupee (NRNR) Accounts.

वर्तमान समय में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे दिनांक 11 जनवरी 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. बीसी. 6/12.01.001/94-95 के अनुसार अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर) रुपया खातों के अन्तर्गत जमाराशियों पर 7.5 प्रतिशत का औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) बनाये रखें। अब यह निर्णय किया गया है कि 28 अक्तूबर 1995 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से, 27 अक्तूबर 1995 के स्तर के ऊपर एनआरएनआर जमाराशियों में हुई किसी वृद्धि को नकदी प्रारक्षित अनुपात के अनुरक्षण से छूट होगी। तथापि, बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे 27 अक्तूबर 1995 के स्तर तक एनआरएनआर जमाराशियों पर 7.5 प्रतिशत के औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात को बनाये रखें। इस संबंध में 30 अक्तूबर 1995 की एक अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 128/12.01.001/95-96 संलग्न है।

At present Scheduled Commercial Banks are required to maintain an average Cash Reserve Ratio (CRR) of 7.5 per cent on deposits under Non-Resident Non-Repatriable (NRNR) Rupee Accounts in terms of our circular DBOD BC.6/12.01.001/94-95 dated January 11, 1995. It has now been decided that with effect from the fortnight beginning October 28, 1995, any increase in NRNR Deposits over the level outstanding as on October 27, 1995 will be exempt from maintenance of the Cash Reserve Ratio. The banks will, however, continue to be required to maintain the average CRR of 7.5 per cent on NRNR Deposits upto the level as on October 27, 1995. A Notification DBOD No. BC.128/12.01.001/95-96 dated October 30, 1995, in this regard is enclosed.

3. यह बात दोहरायी जाती है कि विभिन्न श्रेणियों की देयताओं से संबंधित विभिन्न निर्धारणों, कुछ देयताओं से संबंधित शून्य प्रारक्षित अपेक्षा के निर्धारणों सहित, जैसा कि कानून द्वारा विनिर्दिष्ट है, को दृष्टि में रखते हुए कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अनुरक्षित प्रभावी नकदी प्रारक्षित

3. It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including prescriptions of a zero reserve requirement on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by

अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

बैंपविवि. सं. बीसी.127/12.01.001/95-96

30 अक्तूबर 1995
8 कार्तिक 1917 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक के साथ पठित उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 11 अप्रैल 1989 के परिपत्र डीबीओडी. सं. आरआईटी. बीसी. 108/सी.96/(आरईटी)/89 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 28 अक्तूबर 1995 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से 27 अक्तूबर 1995 के स्तर के ऊपर अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाखातों की देयताओं में हुई किसी वृद्धि को औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) के अनुरक्षण से छूट होगी। तथापि, बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे 27 अक्तूबर 1995 के स्तर तक एनआरई जमाराशियों के अंतर्गत देयताओं के 15.0 प्रतिशत के औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात को बनाये रखें।

scheduled commercial banks on total net demand and time liabilities should not be less than 3 per cent and 25 per cent respectively.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

DBOD.No.BC.127/12.01.001/95-96

October 30, 1995
Kartika 8, 1917 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) read with proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of circular DBOD No. Ret. BC.108/C.96/(Ret)/89 dated 11th April 1989, the Reserve Bank of India hereby directs that with effect from the fortnight beginning October 28, 1995 any increase in liabilities under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Deposit Accounts over the level outstanding as on October 27, 1995 shall be exempt from maintenance of the average Cash Reserve Ratio (CRR). Banks will, however, continue to be required to maintain the average CRR of 15.0 per cent on liability under NRE deposit upto the level as on October 27, 1995.

2. ऊपर विनिर्दिष्ट छूट वाणिज्य बैंक द्वारा अनुरक्षित उसकी कुल शुद्ध माँग और मियादी देयताओं पर 3 प्रतिशत से अनधिक के प्रभावी नकदी प्रारक्षित अनुपात के अधीन होगी।

(बी. के. पाल)
कार्यपालक निदेशक

2. The exemption stipulated above shall be subject to the effective CRR maintained by a scheduled commercial bank at not less than 3 per cent on its total net demand and time liabilities.

(B. K. Pal)
Executive Director

बैंपविवि. सं. बीसी.**128/12.01.001/95-96**

30 अक्तूबर 1995
8 कार्तिक 1917 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक के साथ पठित उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 11 जनवरी 1995 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 5/12.01.001/94-95 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 28 अक्तूबर 1995 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से 27 अक्तूबर 1995 के स्तर के ऊपर अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया (एनआरएनआर) जमाखातों की देयताओं में हुई किसी वृद्धि को औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) के अनुरक्षण से छूट होगी। तथापि, बैंकों से यह अपेक्षित होगा कि वे 27 अक्तूबर 1995 के स्तर तक एनआरएनआर जमाराशियों के अंतर्गत देयताओं के 7.5 प्रतिशत के औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात को बनाये रखें।

DBOD.No.BC.128/12.01.001/95-96

October 30, 1995
Kartika 8, 1917 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) read with proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of its Notification DBOD No. BC.5/12.01.001/94-95 dated 11th January 1995, the Reserve Bank of India hereby specifies that with effect from the fortnight beginning October 28, 1995 any increase in the liabilities under Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee (NRNR) Deposit Accounts over the level outstanding as on October 27, 1995 shall be exempt from maintenance of the average Cash Reserve Ratio (CRR). Banks will, however, continue to be required to maintain the average CRR of 7.5 per cent of liability under NRNR deposit upto the level as on October 27, 1995.

2. ऊपर विनिर्दिष्ट छूट वाणिज्य बैंक द्वारा अनुरक्षित उसकी कुल शुद्ध माँग और मियादी देयताओं पर 3 प्रतिशत से अनधिक के प्रभावी नकदी प्रारक्षित अनुपात के अधीन होगी।

(बी. के. पाल)
कार्यपालक निदेशक

2. The exemption stipulated above shall be subject to the effective CRR maintained by a scheduled commercial bank at not less than 3 per cent on its total net demand and time liabilities.

(B. K. Pal)
Executive Director

बैंपविवि. सं. बीसी.133/12.01.001/95-96

11 नवंबर 1995
20 कार्तिक 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) में कमी

कृपया 11 नवंबर 1995 के गवर्नर के परिपत्र सीपीसी. बीसी. 147/07.01.279/95-96 का पैरा 2 देखें। इस संबंध में हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :

2. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 का धारा 42(1) के अंतर्गत, वर्तमान समय में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक के पास शुद्ध मांग और मियादी देयताओं के 15.0 प्रतिशत का नकदी प्रारक्षित अनुपात रखें। यह निर्णय किया गया है कि 11 नवंबर 1995 से शुरू होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) की सभी श्रेणियों की शुद्ध माँग

DBOD.No.BC.133/12.01.001/95-96

November 11, 1995
Kartika 20, 1917 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42(1) OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - REDUCTION IN CASH RESERVE RATIO (CRR)

Please refer to paragraph 2 of Governor's circular No. CPC BC.147/07.01.279/95-96 dated November 11, 1995. In this connection, we have to advise as under :

2. Under Section 42(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934, scheduled commercial banks are, at present, required to maintain with the Reserve Bank of India, Cash Reserve Ratio (CRR) of 15.0 per cent of the net demand and time liabilities (NDTL). It has been decided that effective from the fortnight beginning November 11,

और मियादी देयताओं पर जहाँ नकदी प्रारक्षित अनुपात का वर्तमान निर्धारण 15.0 प्रतिशत है, नकदी प्रारक्षित अनुपात 14.5 प्रतिशत होगा। दिनांक 30 अक्तूबर 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 129/12.01.001/95-96 द्वारा सूचित अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई) के अंतर्गत देयताओं पर रखा जाने वाला नकदी प्रारक्षित अनुपात 27 अक्तूबर 1995 के स्तर पर 14.50 प्रतिशत होगा। 11 नवंबर 1995 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 131/12.01.001/95-96 और बैंपविवि. सं. बीसी. 132/12.01.001/95-96 की प्रतियाँ संलग्न हैं।

1995 on all categories of net demand and time liabilities of scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks) where the present CRR prescription is 15.0 per cent, the CRR will be reduced to 14.5 per cent. The requirement of CRR on liabilities under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts), communicated vide our circular DBOD No. BC.129/12.01.001/95-96 dated October 30, 1995 will be 14.50 per cent on the level outstanding as on October 27, 1995. Copies of the relative notifications DBOD No. BC.131/12.01.001/95-96 and DBOD No. BC. 132/12,01.001/95-96 dated November 11, 1995 are enclosed.

3. यह बात दोहरायी जाती है कि विभिन्न श्रेणियों की देयताओं से संबंधित विभिन्न निर्धारणों, कुछ देयताओं से संबंधित शून्य प्रारक्षित अपेक्षा के निर्धारणों सहित, जैसा कि कानून द्वारा विनिर्दिष्ट है, को दृष्टि में रखते हुए कुल शुद्ध मांग और मियादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अनुरक्षित प्रभावी नकदी प्रारक्षित अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

3. It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including prescriptions of a zero reserve requirement on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by scheduled commercial banks on total net demand and time liabilities should not be less than 3 per cent and 25 per cent respectively.

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. बीसी.131/12.01.001/95-96

11 नवंबर 1995
20 कार्तिक 1917 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखा जानेवाला औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) 11 नवंबर 1995 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से 14.50 प्रतिशत होगा।

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.BC.131/12.01.001/95-96

November 11, 1995
Kartika 20, 1917 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by the scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks) shall, from the fortnight beginning from November 11, 1995, be at 14.50 per cent.

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. बीसी.132/12.01.001/95-96

11 नवंबर 1995
20 कार्तिक 1917 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 30 अक्तूबर 1995 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 127/12.01.001/95-96 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को

DBOD.No.BC.132/12.01.001/95-96

November 11, 1995
Kartika 20, 1917 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), and in partial modification of its Notification DBOD No. BC.127/12.01.001/95-96 dated October 30, 1995, the Reserve Bank of India hereby specifies that the

छोड़कर) द्वारा 27 अक्तूबर 1995 के स्तर तक अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमा खातों के अंतर्गत देयताओं के संबंध में रखा जानेवाला औसत नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर) 11 नवंबर 1995 से शुरू होने वाले पखवाड़े से ऐसी देयता का 14.50 प्रतिशत होगा।

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by the scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks) in respect of liabilities under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Deposit Accounts upto the level as on October 27, 1995 shall, from the fortnight beginning from November 11, 1995, be at 14.50 per cent of such liability.

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.**139/12.01.001/95-96**

29 नवम्बर 1995
8 अग्रहायण 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर गवर्नर महोदय का 29 नवम्बर 1995 का परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 149/07.01.279/95-96 देखें। इस संबंध में, हम यह सूचित करते हैं कि वर्तमान में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं पर 14.5 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने की अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की जाती है। अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत

DBOD.No.BC.139/12.01.001/95-96

November 29,1995
Agrahayana 8, 1917 (S)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

CASH RESERVE RATIO ON DEPOSITS UNDER FOREIGN CURRENCY NON-RESIDENT ACCOUNTS (BANKS) [FCNR (B)] SCHEME.

Please refer to Governor's circular CPC BC 149/07.01.279/95-96 dated November 29, 1995 on the captioned subject. In this connection, we advise that at present, Scheduled Commercial Banks are required to maintain an average Cash Reserve Ratio (CRR) of 14.5 per cent on liabilities under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme. It has now been de-

24 नवम्बर 1995 को शेष स्तर से ऊपर हुई वृद्धि को 25 नवम्बर 1995 से प्रारंभ पखवाड़े से छूट प्राप्त होगी। परंतु बैंक विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना की जमाराशियों पर 24 नवम्बर 1995 के स्तर तक 14.5 प्रतिशत का औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात इस संबंध में जारी की गयी 29 नवम्बर 1995 की अधिसूचना सं. बैंपविवि. बीसी. 138/12.01.001/ 95-96 संलग्न है।

cided that, with effect from the fortnight beginning November 25, 1995, any increase in FCNR (B) deposits over the level outstanding as on November 24, 1995 will be exempt from maintenance of the average Cash Reserve Ratio. Banks will, however, continue to be required to maintain the average CRR of 14.5 per cent on FCNR (B) Deposits upto the level as on November 24, 1995. A Notification No. DBOD. BC. 138/ 12.01.001/95-96 dated November 29, 1995, in this regard is enclosed.

2. हम यह दोहराना चाहते हैं कि देयताओं की विभिन्न श्रेणियों पर अनेक निर्धारणों, जिनमें कुछ देयताओं पर 'शून्य' निर्धारण भी शामिल है, जैसा कि कानूनन विनिर्दिष्ट है, की दृष्टि से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर रखा जानेवाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

2. It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including prescriptions of a zero reserve requirement on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by scheduled commercial banks on total net demand and time liabilities should not be less than 3 per cent and 25 per cent respectively.

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

Yours faithfully,

(C.V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.138/12.01.001/95-96

29 नवंबर 1995
8 अग्रहायण 1917 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक के साथ पठित उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 11 नवंबर 1995 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी 131/12.01.001/95-96 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं में 24 नवंबर 1995 के शेष स्तर से ऊपर होनेवाली वृद्धि को 25 नवंबर 1995 से प्रारंभ पखवाड़े से औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट प्राप्त होगी। परन्तु बैंक 24 नवंबर 1995 के स्तर तक विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना की जमाराशियों के अंतर्गत देयता का 14.5 प्रतिशत औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखेंगे।

2. ऊपर निर्धारित छूट अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा उसकी कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर रखे जानेवाले कम से कम 3 प्रतिशत के प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन होगी।

(बी. के. पाल)
कार्यपालक निदेशक

DBOD. No.BC.138/12.01.001/95-96

November 29,1995
Agrahayana 8, 1917 (S)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) read with proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of its Notification DBOD No. BC. 131/12.01.001/95-96 dated November 11, 1995, the Reserve Bank of India hereby specifies that with effect from the forthnight beginning November 25, 1995, any increase in the liabilities under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme over the level outstanding as on November 24, 1995, shall be exempt from the maintenance of the average Cash Reserve Ratio (CRR). Banks will, however, continue to be required to maintain the average CRR of 14.5 per cent of liability under FCNR (B) deposits upto the level as on November 24, 1995.

2. The exemption stipulated above shall be subject to the effective CRR maintained by a scheduled commercial bank at not less than 3 per cent on its total net demand and time liabilities.

(B. K. Pal)
Executive Director

बैंपविवि.सं.बीसी.144/12.01.001/95-96

6 दिसम्बर 1995
15 अग्रहायण 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर गवर्नर महोदय का 6 दिसम्बर 1995 का परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 150/07.01.279/95-96 देखें। इस संबंध में, हम यह सूचित करते हैं कि वर्तमान में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत 24 नवम्बर 1995 को बकाया स्तर तक की देयताओं पर 14.5 प्रतिशत का औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने की अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की जाती है। अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं पर 24 नवम्बर 1995 को शेष स्तर तक औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 9 दिसम्बर 1995 से प्रारंभ पखवाड़े से 14.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया जाये। विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं में 24 नवम्बर 1995 को बकाया स्तर से ऊपर की वृद्धि पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट जारी रहेगी। इस संबंध में 6 दिसम्बर 1995 की अधिसूचना सं. बैंपविवि. बीसी. 143/12.01.001/95-96 संलग्न है।

2. हम यह दोहराना चाहते हैं कि देयताओं की विभिन्न श्रेणियों पर अनेक निर्धारणों, जिनमें कुछ देयताओं

DBOD.No.BC.144/12.01.001/95-96

December 6,1995
Agrahayana 15, 1917 (S)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

CASH RESERVE RATIO ON LIABILITIES UNDER FOREIGN CURRENCY NON-RESIDENT ACCOUNTS (BANKS) [FCNR (B)] SCHEME.

Please refer to Governor's circular CPC BC 150/07.01.279/95-96 dated December 6, 1995 on the captioned subject. In this connection, we advise that at present, Scheduled Commercial Banks are required to maintain an average Cash Reserve Ratio (CRR) of 14.5 per cent on liabilities under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme upto the level outstanding as on November 24, 1995. It has been decided that, with effect from the fortnight beginning December 9, 1995, the average Cash Reserve Ratio on liabilities under FCNR (B) Scheme upto the level outstanding as on November 24, 1995 will be reduced from 14.5 per cent to 7.5 per cent. The increase in liabilities under FCNR (B) Scheme over the level outstanding as on November 24, 1995 will continue to be exempt from maintenance of CRR. A Notification No. DBOD.BC. 143/12.01.001/95-96 dated December 6, 1995, in this regard is enclosed.

2. It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions on different categories

पर 'शून्य' निर्धारण भी शामिल है, जैसा कि कानूनन विनिर्दिष्ट है, की दृष्टि से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर रखा जानेवाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

of liabilities, including prescriptions of a zero reserve requirement on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by scheduled commercial banks on total net demand and time liabilities should not be less than 3 per cent and 25 per cent respectively.

Yours faithfully,

(C.V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं.बीसी.**143/12.01.001/95-96**

6 दिसंबर 1995
15 अग्रहायण 1917 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक के साथ पठित उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 29 नवंबर 1995 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी 138/12.01.001/95-96 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत 24 नवंबर 1995 को बकाया स्तर तक की देयताओं पर 9 दिसंबर 1995 से प्रारंभ पखवाड़े से औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 14.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया जाये।

DBOD.No.BC.143/12.01.001/95-96

December 6,1995
Agrahayana 15, 1917 (S)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) read with proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of its Notification DBOD No. BC. 138/12.01.001/95-96 dated November 29, 1995, the Reserve Bank of India hereby specifies that with effect from the forthnight beginning December 9, 1995, the average Cash Reserve Ratio (CRR) on the liabilities under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme upto the level outstanding as on November 24, 1995, stand reduced to 7.5 per cent from 14.5 per cent.

2. ऊपर निर्धारित छूट अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा उसकी कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर रखे जानेवाले कम से कम 3 प्रतिशत के प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन होगी।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

2. The exemption stipulated above shall be subject to the effective CRR maintained by a scheduled commercial bank at not less than 3 per cent on its total net demand and time liabilities.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि.सं.बीसी.**146/12.01.001/95-96**

9 दिसम्बर 1995
18 अग्रहायण 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी

कृपया आप गवर्नर के 9 दिसंबर 1995 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 151/07.01.279/95-96 का पैरा 1 देखें। इस संबंध में हम निम्नानुसार सूचित करते हैं।

2. वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 14.5 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रिज़र्व बैंक के पास रखें। यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) की सभी श्रेणियों की शुद्ध माँग और मीयादी देयताओं पर, जहाँ प्रारक्षित

DBOD.No.BC.146/12.01.001/95-96

December 9,1995
Agrahayana 18, 1917 (S)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42 (1) OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - REDUCTION IN CASH RESERVE RATIO (CRR)

Please refer to paragraph 1 of Governor's circular No. CPC. BC. 151/07.01.279/95-96 dated December 9, 1995. In this connection, we have to advise as under.

2. Under Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934, scheduled commercial banks are at present, required to maintain with the Reserve Bank of India, Cash Reserve Ratio (CRR) of 14.5 per cent of the net demand and time liabilities (NDTL). It has been decided that effective from the fortnight beginning December 9,

नकदी निधि अनुपात का वर्तमान निर्धारण 14.5 प्रतिशत है, 9 दिसंबर 1995 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से घटाकर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 14.0 प्रतिशत कर दिया जाये। अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई) के अंतर्गत देयताओं पर रखा जाने वाला प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 14.5 प्रतिशत से घटाकर 27 अक्तूबर 1995 को बकाया स्तर पर 14.0 प्रतिशत किया जाएगा। इस बारे में 9 दिसंबर 1995 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 145/12.01.001/95-96 संलग्न है।

3. यह बात दोहरायी जाती है कि विभिन्न श्रेणियों की देयताओं से संबंधित विभिन्न निर्धारणों, कुछ देयताओं से संबंधित शून्य प्रारक्षित अनुपात की अपेक्षा सहित, जैसा कि कानून द्वारा विनिर्दिष्ट है, को दृष्टि में रखते हुए कुल शुद्ध मांग और मियादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अनुरक्षित प्रभावी प्रारक्षित निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय,

(डी. वी. झवेरी)
उप महा प्रबंधक

1995, on all categories of net demand and time liabilities of scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks) where the present CRR prescription is 14.5 per cent, the CRR will be reduced to 14.0 per cent. The requirement of CRR on liabilities under Non-resident (External) Rupee Accounts (NRE Accounts) will be reduced from 14.5 per cent to 14.0 per cent on the level outstanding as on October 27, 1995. A copy of the relative Notification DBOD.No. 145/12.01.001/95-96 dated December 9,1995, is enclosed.

3. It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including prescriptions of a zero reserve requirement on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by scheduled commercial banks on total net demand and time liabilities should not be less than 3 per cent and 25 per cent respectively.

Yours faithfully,

(D. V. Jhaveri)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.145/12.01.001/95-96

9 दिसंबर 1995
18 अग्रहायण 1917 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 11 नवंबर 1995 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी 131/12.01.001/95-96 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखा जानेवाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 9 दिसंबर 1995 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से 14.00 प्रतिशत होगा।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.BC.145/12.01.001/95-96

December 9,1995
Agrahayana 18, 1917 (S)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification DBOD No. BC. 131/12.01.001/95-96 dated November 11, 1995, the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by the scheduled commercial banks (excluding Regional Rural Banks) shall, from the fortnight beginning from December 9, 1995, be at 14.00 per cent.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. बीसी. 4/12.01.001/95-96

6 जनवरी 1996
16 पौष 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

अनिवासी जमा योजनाओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

DBOD.No.BC.4/12.01.001/95-96

January 6,1996
Pausha 16, 1917 (S)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

RELAXATION IN THE CASH RESERVE RATIO (CRR) ON NON-RESIDENT DEPOSIT SCHEMES

कृपया उपर्युक्त विषय पर 5 जनवरी 1996 का गवर्नर महोदय का परिपत्र सीपीसी. बीसी. 152/07.01.279/95-96 देखें। इस संबंध में हम निम्नानुसार सूचित करते हैं :

2(क) विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियां

वर्तमान में विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत 24 नवंबर 1995 को बकाया स्तर तक की देयताओं पर 7.5 प्रतिशत का औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने की अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की जाती है। इस स्तर से ऊपर की वृद्धि पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट है। अब यह निर्णय लिया गया है कि 6 जनवरी 1996 से प्रारंभ पखवाड़े से विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत सभी देयताओं को प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी निर्धारणों से छूट प्राप्त होगी। इस संबंध में 6 जनवरी 1996 की अधिसूचना सं. बैंपविवि. बीसी. 1/12.01.001/95-96 संलग्न है।

2(ख) अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया (एनआरएनआर) खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

वर्तमान में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि 27 अक्तूबर 1995 के स्तर तक एनआरएनआर योजना के अंतर्गत देयताओं पर 7.5 प्रतिशत का औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखें। इस स्तर से ऊपर की जमाराशियां प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट प्राप्त हैं। अब यह निर्णय किया गया है कि 6 जनवरी 1996 से प्रारंभ पखवाड़े से (एनआरएनआर) योजना के अंतर्गत सभी देयताएं प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होंगी। इस संबंध में 6 जनवरी 1996 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 2/12.01.001/95-96 संलग्न है।

Please refer to Governor's circular No. CPC. BC. 152/07.01.279/95-96 dated January 5, 1996. In this connection, we have to advise as under :

2.(a) Deposits under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme

At present, scheduled commercial banks are required to maintain an average Cash Reserve Ratio (CRR) of 7.5 per cent upto the level outstanding as on November 24, 1995 on liabilities under FCNR (B) Scheme. The increase in deposits over this level is already exempt from maintenance of CRR. It has since been decided that with effect from the fortnight beginning January 6, 1996, all liabilities under FCNR (B) Scheme will be exempt from CRR prescriptions. A Notification No. DBOD. BC. 1/12.01.001/95-96 dated January 6, 1996 in this regard is enclosed.

(b) Deposits under Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee (NRNR) Accounts Scheme.

At present, scheduled commercial banks are required to maintain an average Cash Reserve Ratio (CRR) of 7.5 percent upto the level outstanding as on October 27, 1995 on liabilities under NRNR Scheme. The increase in deposits over this level is already exempt from maintenance of CRR. It has since been decided that with effect from the fortnight beginning January 6,1996,all liabilities under NRNR Scheme will be exempt from CRR prescriptions. A Notification No. DBOD. BC. 2/12.01.001/95-96 dated January 6, 1996 in this regard is enclosed.

(ग) अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता (एनआरई) योजना के अंतर्गत जमाराशियां

वर्तमान में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) खातों के अंतर्गत देयताओं पर 27 अक्तूबर 1995 को बकाया स्तर तक 14 प्रतिशत का औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखें। इस स्तर से ऊपर की जमाराशियों को प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने की अपेक्षा से छूट प्राप्त है। अब यह निर्णय किया गया है कि 6 जनवरी 1996 से शुरू पखवाड़े से 27 अक्तूबर 1995 के स्तर तक की अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता देयताओं पर औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाये। इस संबंध में 6 जनवरी 1996 की एक अधिसूचना सं. बैंपविवि. बीसी.3/12.01.001/95-96 संलग्न है।

3. यह बात दोहरायी जाती है कि विभिन्न श्रेणियों की देयताओं से संबंधित विभिन्न निर्धारणों, कुछ देयताओं से संबंधित शून्य प्रारक्षित अपेक्षा के निर्धारण सहित, जैसा कि कानून द्वारा विनिर्दिष्ट है, को दृष्टि में रखते हुए कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जानेवाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

(c) Deposits under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme

At present, scheduled commercial banks are required to maintain an average Cash Reserve Ratio (CRR) of 14 per cent upto the level outstanding as on October 27, 1995 on liabilities under the NRE deposit scheme. The increase in deposits over this level is already exempt from maintenance of average CRR. It has since been decided that with effect from the fortnight beginning January 6, 1996, the average CRR on NRE liabilities upto the level outstanding as on October 27, 1995 will be reduced from 14 per cent to 10 per cent. A Notification No. DBOD. BC. 3/12.01.001/95-96 dated January 6, 1996 in this regard is enclosed.

3. It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including prescriptions of a zero reserve requirement on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by scheduled commercial banks on total net demand and time liabilities should not be less than 3 per cent and 25 per cent respectively.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.1/12.01.001/95-96

6 जनवरी 1996
16 पौष 1917 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक के साथ पठित उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 6 दिसंबर 1995 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 143/12.01.001/95-96 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत सभी देयताएं 6 जनवरी 1996 से प्रारंभ पखवाड़े से औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट प्राप्त होंगी।

2. ऊपर निर्धारित छूट अनुसूचित वाणिज्य बैंक की कुल शुद्ध माँग और मियादी देयताओं पर रखे जानेवाले कम से कम 3 प्रतिशत के प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन होगी।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यापालक निदेशक

DBOD.No.BC.1/12.01.001/95-96

January 6,1996
Pausha 16, 1917 (S)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) read with proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification DBOD No. BC. 143/12.01.001/95-96 dated December 6, 1995, the Reserve Bank of India hereby specifies that with effect from the forthnight beginning January 6, 1996, all the liabilities under Foreign Currency Non-Resident Accounts (Banks) [FCNR (B)] Scheme shall be exempt from maintenance of the average Cash Reserve Ratio (CRR).

2. The exemption stipulated above shall be subject to the effective CRR maintained by a scheduled commercial bank at not less than 3 per cent on its total net demand and time liabilities.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि.सं.बीसी.2/12.01.001/95-96

6 जनवरी 1996
16 पौष 1917 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक के साथ पठित उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 30 अक्तूबर 1995 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 128/12.01.001/94-95 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 6 जनवरी 1996 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमाखातों के अंतर्गत सभी देयताएं औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) रखने से छूट प्राप्त होंगी।

2. ऊपर विनिर्दिष्ट छूट अनुसूचित वाणिज्य बैंक की कुल शुद्ध माँग और मियादी देयताओं पर कम से कम 3 प्रतिशत के प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन होगी।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.BC. 2/12.01.001/95-96

January 6,1996
Pausha 16, 1917 (S)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) read with proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification DBOD No. BC. 128/12.01.001/94-95 dated October 30, 1995, the Reserve Bank of India hereby specifies that with effect from the forthnight beginning January 6, 1996, all the liabilities under Non-Resident (Non-Repatriable) Rupee (NRNR) Deposit Accounts shall be exempt from maintenance of the average Cash Reserve Ratio (CRR).

2. The exemption stipulated above shall be subject to the effective CRR maintained by a scheduled commercial bank at not less than 3 per cent on its total net demand and time liabilities.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि.सं.बीसी.3/12.01.001/95-96

6 जनवरी 1996
16 पौष 1917 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक के साथ पठित उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 9 दिसंबर 1995 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 145/12.01.001/95-96 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 27 अक्तूबर 1995 को बकाया स्तर तक की अनिवासी (बाह्य) रुपया जमा खातों के अंतर्गत देयताओं पर रखा जानेवाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) 6 जनवरी 1996 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाये। परंतु अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाखातों के अंतर्गत देयताओं में 27 अक्तूबर 1995 को बकाया स्तर के ऊपर की वृद्धि पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात से छूट जारी रहेगी।

2. ऊपर निर्धारित छूट अनुसूचित वाणिज्य बैंक की कुल शुद्ध माँग और मियादी देयताओं पर रखे जानेवाले कम से कम 3 प्रतिशत के प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन होगी।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.BC.3/12.01.001/95-96

January 6,1996
Pausha 16, 1917 (S)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) read with proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in partial modification of Notification DBOD No. BC. 145/12.01.001/95-96 dated December 9, 1995, the Reserve Bank of India hereby directs that with effect from the forthnight beginning January 6, 1996, the average CRR required to be maintained by scheduled commercial banks on liabilities under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Deposit Accounts upto the level outstanding as on October 27, 1995 shall be reduced to 10 per cent from 14 per cent. However, any increase in liabilities under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Deposit Accounts over the level outstanding as on October 27, 1995 shall continue to be exempt from maintenance of average CRR.

2. The exemption stipulated above shall be subject to the effective CRR maintained by a scheduled commercial bank at not less than 3 per cent on its total net demand and time liabilities.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.5/21.02.053/96

12 जनवरी 1996
22 पौष 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 193(iiiक) - के अंतर्गत जीरो-कूपन बांडों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 9 अगस्त 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 83/21.02.053/95 देखें। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 5 दिसंबर 1995 के शुद्धिपत्र एफ. सं.275/10/95-आईटी(ख) के साथ पठित 25 जुलाई 1995 की एक अन्य अधिसूचना सं. एस.ओ.666 (ई) जारी की है जिसके द्वारा जीरो-कूपन बांड,2000 (द्वितीय शृंखला) (20 जुलाई 1995 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ.4(4) डब्ल्यू एण्ड एम/95 के अनुसार 27 जुलाई 1995 को जारी) के विमोचन मूल्य और बोली मूल्य के बीच देय अंतर को स्रोत पर कर की कटौती से छूट प्रदान की गयी है।

2. हम इसके पीछे अधिसूचना एवं शुद्धिपत्र की प्रतिलिपि संलग्न कर रहे हैं।

भवदीय,

(आर. जे. फर्नांडिस)
उप महा प्रबंधक

DBOD.No.BP.BC.5/21.02.053/96

January 12,1996
Pausha 22, 1917 (S)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

DEDUCTION OF TAX AT SOURCE (TDS) IN RESPECT OF ZERO-COUPON BONDS UNDER SECTION 193 (iiia) OF INCOME TAX ACT, 1961

Please refer to our circular DBOD No. BP. BC 83/21.02.053/95 dated August 9, 1995 on the captioned subject. Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes has issued another Notification No.S.O.666 (E) dated July 25, 1995 read with corrigendum F.No. 275/10/95-IT (B) dated December 5, 1995 exempting the difference payable between redemption value and the bid price of Zero Coupon Bonds, 2000 (Second Series) (Issued on July 27, 1995 vide Government of India Notification No. F.4.(4)-W&M/95 dated July 20, 1995) from Tax deduction at source.

2. We append overleaf a copy each of the Notification and Corrigendum.

Yours faithfully,

(R. J. Fernandes)
Deputy General Manager

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3 SUB SECTION (II) OF THE GAZETTE OF INDIA EXTRA - ORDINARY)

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, July 25,1995

NOTIFICATION

S.O. 666 (E) - In exercise of the powers conferred by clause (iiia) of the proviso to Section 193 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies, for the purpose of that clause, the difference payable between the redemption value and the bid price of Zero Coupon Bonds of 5 years tenor of the Government of India, issued under the scheme for sale of Zero Coupon Bonds, 2000 of Government of India by Auction, vide Notification No. F.4.(4) - W&M/94 dated 20th July,1995 of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) :
Provided that the said bonds are held by :-

(i) a banking company
(ii) a cooperative bank
(iii) a public financial institution as defined in Sec. 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)
(iv) Discount and Finance House of India Ltd.
(v) Securities Trading Corporation of India Ltd.

(C.V.Gupte)
Additional Secretary to the Govt. of India

F.No. 275/10/95-IT(B)
Notification No. 9825

F.No. 275/10/95-IT(B)

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes

New Delhi, December 5,1995

CORRIGENDUM

The "Notification No. F.4 (4) - W&M/94" appearing in line 9 of the Notification No. S.O.666(E) dated 25th July, 1995 may be read as "Notification No. F.4 (4) - W&M/95"

(Y.P.Vashishat)
Under Secretary to the Govt. of India

To,
The General Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, New Delhi

बैंपविवि.सं.बीसी.28/12.01.001/96

25 मार्च 1996
5 चैत्र 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 की धारा 42
अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों (एनआरई),
अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा खातों
(एनआरएनआर) और विदेशी मुद्रा अनिवासी
खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात

कृपया आप 6 जनवरी 1996 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 4/12.01.001/95-96 के पैराग्राफ 2(क) और 2(ख) देखें। जहां तक अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना का संबंध है, बैंक 6 जनवरी 1996 से प्रारंभ पखवाड़े से 27 अक्तूबर 1995 को बकाया स्तर तक 10 प्रतिशत की दर पर प्रारक्षित नकदी अनुपात रखना जारी रखेंगे और इन जमाराशियों में 27 अक्तूबर 1995 के स्तर से ऊपर जो वृद्धि होगी उसे फार्म 'ए' की पाद टिप्पणी द्वारा दर्शाया जाएगा। अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना और विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक योजना की संपूर्ण जमाराशियों को 5 जनवरी 1996 की स्थिति के रिपोर्टिंग शुक्रवार से फार्म 'ए' के अनुबंध में शून्य प्रारक्षित निर्धारण के अंतर्गत शामिल किया जाये। कृपया यह भी ध्यान रखें कि हमारे ऊपर उल्लिखित परिपत्र के पैराग्राफ 2 (क) और 2(ख) में बताये गये अनुसार 6 जनवरी 1996 से प्रारंभ पखवाड़े से विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाता योजना के अंतर्गत कोई प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखना आवश्यक नहीं है। बैंक एनआरएनआर जमाराशियों और एफसीएनआर (बी) योजना के

DBOD.No.BC.28/12.01.001/96

March 25,1996
Chaitra 5, 1918(S)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42 OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - PRESCRIPTION OF CASH RESERVE RATIO (CRR) ON DEPOSITS UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL) RUPEE ACCOUNTS (NRE ACCOUNTS), NON-RESIDENT (NON-REPATRIABLE) RUPEE DEPOSIT (NRNR) ACCOUNTS AND DEPOSITS UNDER FCNR (B) SCHEME.

Please refer to paragraph 2 (a) and 2(b) of our circular DBOD No. BC.4/12.01.001/95-96 dated 6 January 1996. As regards deposits under Non-Resident (External) Accounts Scheme, the banks will continue to maintain, with effect from fortnight beginning January 6, 1996, CRR @ 10 per cent upto the level outstanding as on October 27, 1995 and increase in these deposits over the level of October 27, 1995 may be shown by way of footnote in the form 'A'. The entire amount of deposits under NRNR and FCNR (B) schemes may be included in the annexure to form 'A' under zero reserve prescription from the reporting Friday as on January 5, 1996. It may also please be noted that as advised in paragraghs 2(a) and 2(b) of our abovementioned circular, with effect from the fortnight beginning January 6, 1996, no CRR is required to be maintained on all liabilities under FCNR (B) scheme and

अंतर्गत जमाराशियों के संबंध में 22 दिसंबर 1995 को रिपोर्टिंग शुक्रवार के संबंध में तथा एनआरई जमाराशियों के संबंध में सभी रिपोर्टिंग शुक्रवार के लिए 16 दिसंबर 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. बीसी.149/12.01.001/95-96 के पैरा 2 में बताये गये ढंग से पखवाड़ावार विवरण फार्म 'ए' में विवरणी के साथ और प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात पर तदर्थ ब्याज दावे का विवरण भी साथ भेजें। संबंधित पखवाड़े की एनआरई जमाराशियां यहां अनुबंध में दिये गये संशोधित फार्मेट में स्तंभ 5 में दर्शायी जाए, ताकि हम बैंकों द्वारा रखे गये प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के औसत की गणना की जांच कर सकें। बैंक संबंधित पखवाड़े की संपूर्ण एनआरई जमाराशियों पर वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखना जारी रखें।

तिमाही विवरण का संशोधित प्रोफार्मा संलग्न है। बैंक मार्च 1996 के अंत में समाप्त तिमाही के लिए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात पर ब्याज का अपना दावा संशोधित प्रोफार्मा में ही भेजने का ध्यान रखें।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

NRNR scheme. The banks will continue to forward a fortnight-wise statement on the lines indicated in para 2 of our circular DBOD.BC.149/12.01.001/95-96 dated December 16,1995 in respect of NRNR deposits and deposits under FCNR (B) scheme for the reporting Friday as on December 22, 1995 and in respect of NRE deposits for all the reporting Fridays along with return in Form 'A' as well as statement of adhoc CRR interest claim. In the revised format as per Annexure, the amount of NRE deposits of the respective fortnight should be shown under column 5 to enable us to check calculation of average CRR/incremental CRR maintained by the banks. The banks are required to continue to maintain incremental CRR on entire NRE deposits of the respective fortnight.

The revised proforma of the quarterly statement is enclosed. The banks should note to submit their CRR interest claim for the quarter ended March 1996 in the revised proforma.

Yours faithfully,

(C.V.Amalnerkar)
General Manager

बैंक का नाम :

..... को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी शेष पर देय ब्याज की राशि दर्शानेवाला विवरण

(राशि हजार में)

क्रम सं.	पखवाड़े के रिपोर्टिंग शुक्रवार की तारीख	बकाया भारत विकास बांडों की राशि	स्तंभ (2) में दर्शाये निम्नलिखित के तहत देयताए गये			23 मार्च 1990 को एफसी एनआर जमाराशियों महित शुद्ध देयताएं, उनपर ब्याज महित	सीआरआर के प्रयोजन हेतु अपेक्षित औसत दैनिक शेष राशि					भा. रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1ए) के अंतर्गत अपेक्षित वृद्धिशील सीआरआर की राशि		औसत दैनिक शेष की राशि		स्तंभ 8 के अनुसार शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं की पात्र शेष राशि पर 10.5% वार्षिक की दर पर देय ब्याज की राशि
			रिपोर्टिंग शुक्रवार को आइडीबी, एफसीएनआरए एनआरई सहित 27.10.95 को बकाया स्तर तक की पहले पखवाड़े के लिए शुद्ध देयताएं उन पर ब्याज सहित, किंतु दूसरे पखवाड़े मे एनआरएनआर योजना एफसीएनआर (बी) योजना और एनआरई जमाराशियों तथा शून्य प्रारक्षित निर्धारण श्रेणियों के अंतर्गत देयताओं को छोड़कर	एनआरई योजना के अंतर्गत 27.10.95 को (रु.) जमाराशियां प्रत्येक रिपोर्टिंग शुक्रवार को संपूर्ण शेष राशि	एनआर एनआर योजना के अंतर्गत 7.10.95 को बकाया	एफसी एनआर (बी) योजना के अंतर्गत 24.11.95 को बकाया		को समाप्त पखवाड़े के लिए	स्तंभ 4 के आधार पर राशि (14%)	स्तंभ 5 के आधार पर राशि प्रथम पखवाड़े के लिए 14% तथा 27.10.95 को एनआरई जमाराशियों पर शेष पखवाड़े के लिए 10%	स्तंभ 4 के आधार पर राशि पहले पखवाड़े के लिए	स्तंभ 7 के आधार पर राशि (7.5%) पहले पखवाड़े के लिए	3.5.91 को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं मे अधिक	5.8.94/ 30.9.94 को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं मे अधिक $	भा. रि. बैं अधि., 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) के अंतर्गत अपेक्षित 10, 11, 12 13, 14, और 15 स्तंभ का जोड़	भा. रि. बैं. अधि., 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) के अनुसार सीआरआर के प्रयोजन हेतु रखी गयी वास्तविक राशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी सही है। हमारे बैंक ने उक्त तिमाही के सभी पखवाड़ों के लिए सीआरआर अपेक्षा का पालन किया है / नहीं किया है @ और तिमाही के दौरान सीआरआर रखने में चूक की है / नहीं की है @। बाद में किसी चूक का पता लगने की स्थिति में अधिक राशि तथा रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये ब्याज को मांग की तारीख से एक सप्ताह में लौटाने का हम वचन देते हैं। हम रिज़र्व बैंक को यह प्राधिकार देते हैं कि ऐसा न होने पर वह अपने पास हमारे चालू खाते में उतनी राशि नामे कर दें। हमने यह भी नोट कर लिया है कि गलत जानकारी देने/अपेक्षित विवरणी देर से प्रस्तुत करने/गलत विवरणी प्रस्तुत करने की स्थिति में रिज़र्व बैंक ब्याज के तदर्थ भुगतान की सुविधा समाप्त कर देगा।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

यदि किसी पखवाड़े में सीआरआर रखने में कोई चूक/कमी हुई हो तो कृपया उसके कारण बतायें।

@ जो लागू न हो उसे काट दें, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षर करें।

$ इस स्तंभ में जानकारी उन 37 बैंकों द्वारा दी जानी है, जिनसे 5.8.94/30.9.94 को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं से अधिक पर 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने को कहा गया है।

नोट : दो क्रम संख्याओं के बीच कृपया पर्याप्त स्थान छोड़ें।

Name of the bank _____

Statement showing the amount of interest payable on cash balance maintained with RBI for the quarter ended _____

('000' Omitted)

Sr. No.	Date of reporting Friday of the fort-night	Amount of outstanding India Deve-lopment Bonds	Net liabilities including IDB, FCNRA, NRE upto the level outstanding as on 27.10.1995 for the first fortnight with interest thereon as on the report-ing Friday indi-cated in column No. (2) but excluding liabilities under Non-resident (Non-repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Scheme/ Deposits under FCNR (B) scheme and NRE deposits from the second fortnight onwards and zero reserve prescription categories	Liabilities under			Net liabilities including FCNR, NRE deposits with interest thereon as on the March 23, 1990	Amount of average daily balances required to be maintained for the purpose of CRR					Amount of incremental CRR required to be main-tained under sec. 42 (1A) of the RBI Act. 1934		Amount of average daily balance		Amount of interest payable at 10.5% per annum on eligible balances on the NDTL as per col. (8)
				NRE depo-sites as on 27.10. 95 (Rs....) Entire balances on every reporting Friday.	NRNR Scheme outstan-ding as on 27. 10.95	FCNR(B) Scheme outstan-ding as on 24. 11.95		for the fortnight ended	Amount on the basis of col. (4) (14%-)	Amount on the basis of column No. 5 14% for the first fortnight and 10% for the remaining fortnight on the level of NRE deposits as on 27.10.95	Amount on the basis of col. (6) (7.5%) For the first fortnight	Amount on the basis of col. No. (7)(7.5%) For the first fortnight	over the NDTL as of 3.5.91	over the NDTL as of 5.8.94/ 30.9.94 $	requi-red to be main-ed under sec. 42 (1) and sec. 42(1A) of RBI Act.1934 total of col. Nos. (10), (11), (12), (13), (14) and (15).	actua-lly main-tained for the purpose of CRR in terms of sec. 42(1) & 42 (1A) of RBI. Act. 1934	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	

@ @

We hereby certify that the information furnished above is correct. Our bank has / has not complied with CRR requirement for all the fortnights of the quarter and has / has not defaulted in the maintenance of CRR during the quarter. In case of dafault detected subsequently, we undertake to refund the excess amount along with such interest as may be levied by Reserve Bank within a week from the date of demand, failing which we authorise Reserve Bank to debit our current account with them for like amount. We also note that Reserve Bank would withdraw the facility of adhoc payment of interest in the event of furnishing incorrect information/delayed submission of required returns/submission of incorrect returns.

Place :

Date :

Signature :

Name :

Designation :

In case there is default/shortfall in the maintenance of CRR in any of the fortnights, please indicate reasons therefor.

@ Strike out whichever is not applicable under the singature of authorised signatory.

$ Information under this col. is to be furnished by 37 banks which were asked to maintain 10 per cent incremental CRR over their NDTL of 5.8.94/30.9.94

NB Please leave sufficient space between two Sr. Nos.

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. **37/13.08.01/95-96**

3 अप्रैल 1996
14 चैत्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

चयनात्मक ऋण नियंत्रण -
संवेदनशील पण्यों की
जमानत पर अग्रिम

कृपया आप गवर्नर महोदय के 3 अप्रैल 1996 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 155/07.01.279/95-96 का पैरा 20(ङ) देखें। उसमें बताये गये अनुसार यह निर्णय किया गया है कि चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले सभी पण्यों की जमानत पर न्यूनतम मार्जिन 4 अप्रैल 1996 से सीधे 15 प्रतिशत अंक कम कर दिया जायेगा। परंतु चीनी के अतिरिक्त स्टॉक और चीनी के जारी न किये गये स्टॉक के मामले में क्रमशः शून्य प्रतिशत और 20 प्रतिशत का मौजूदा निर्धारण ज़ारी रहेगा। इसके अतिरिक्त संदर्भ अवधि आगे लाकर वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (नवंबर-अक्तूबर) के तीन वर्ष कर दी जायेगी तथा जहां वर्तमान में ऋण की उच्चतम सीमा का स्तर 85 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, वहां उसे 15 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया जायेगा।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चयनात्मक ऋण नियंत्रण के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये निदेशों के अन्य सभी उपबंध यथावत् रहेंगे।

DBOD.No.Dir.BC.37/13.08.01/95-96

April 3, 1996
Chaitra 14, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SELECTIVE CREDIT CONTROLS - ADVANCES AGAINST SENSITIVE COMMODITIES

Please refer to paragraph 20(e) of Governor's circular No. CPC. BC.155/07.01.279/95-96 dated April 3, 1996. As indicated therein, it has been decided that, with effect from April 4, 1996, the minimum margins on bank advances against all commodities covered under selective credit controls will be reduced by 15 percentage points across-the-board. In the case of buffer stock of sugar and unreleased stocks of sugar, the existing prescriptions of zero per cent and 20 per cent respectively would, however, continue. Further, the reference period for the level of credit stipulations has been brought forward to the three years period comprising 1992-93, 1993-94 and 1994-95 (November-October) and also wherever the level of credit ceilings are, at present, prescribed at 85 per cent stand raised by 15 percentage points.

2. All other provisions of selective credit control directives issued by the Reserve Bank of India from time to time shall remain unchanged.

3. इस संबंध में 3 अप्रैल 1996 का संशोधक निदेश बैंपविवि. सं. बीसी. 36/13.08.01/96 संलग्न है।

भवदीय,

(चं. वा. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

3. An amending directive DBOD No. BC.36/13.08.01/96 dated April 3, 1996, issued in this regard, is enclosed.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. **36/13.08.01/96**

3 अप्रैल 1996
14 चैत्र 1918 (शक)

चयनात्मक ऋण नियंत्रण -
संवेदनशील पण्यों की
जमानत पर अग्रिम

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 31 मार्च 1987 के अपने निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 38/सी./218/87 में अंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि **4 अप्रैल 1996** से उपर्युक्त निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे।

(i) न्यूनतम मार्जिन

चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले सभी पण्यों की जमानत पर बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन सीधे 15 प्रतिशत अंक कम कर दिया जायेगा। परन्तु चीनी के अतिरिक्त भंडार और चीनी के जारी न किये गये स्टॉक के मामले

DBOD.No.Dir.BC.36/13.08.01/96

April 3, 1996
Chaitra 14, 1918 (Saka)

SELECTIVE CREDIT CONTROLS-ADVANCES AGAINST SENSITIVE COMMODITIES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in partial modification of its directive DBOD No. Dir. BC.38/C.218-87 dated March 31, 1987, as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the following changes shall be made in the above directive with effect from **April 4, 1996.**

i) Minimum Margins :

Minimum Margins on bank advances against all commodities covered under selective credit controls shall be reduced across-the-board by 15 percentage points. In the case of buffer stock of sugar and

में क्रमशः शून्य प्रतिशत और 20 प्रतिशत के वर्तमान निर्धारण जारी रहेंगे।

(ii) ऋण का स्तर :

जिन पण्यों के संबंध में ऋण के स्तर पर उच्चतम सीमा निर्धारित है उनके लिए संदर्भ अवधि एक वर्ष आगे लाकर 1994-95 (नवंबर-अक्तूबर) में समाप्त तीन वर्ष कर दी जायेगी तथा जहां वर्तमान में ऋण की उच्चतम सीमा का स्तर 85 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, वहां उसे 15 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया जायेगा।

2. चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत आनेवाले सभी पण्यों के लिए न्यूनतम मार्जिन और ऋण के उच्चतम स्तर के निर्धारण अनुबंध में दिये गये हैं।

3. हमारे समय-समय पर यथासंशोधित 31 मार्च 1987 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 38/सी./218/87 के अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(जे आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

unreleased stocks of sugar, the existing prescriptions of zero per cent and 20 per cent, respectively, shall however, continue.

ii) Level of Credit :

For commodities where there is a stipulation on level of credit ceilings, the reference period shall be brought forward by one year to the three years ended 1994-95 (November-October) and wherever the level of credit ceilings are, at present, prescribed at 85 per cent, shall be raised by 15 percentage points.

2. The minimum margins and level of credit ceiling stipulations for all commodities covered under the selective credit controls are set out in the Annexure.

3. All other provisions of directive DBOD No. Dir BC. 38/C. 218-87 dated March 31, 1987, as amended from time to time, shall remain unchanged.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

अनुबंध

चयनात्मक ऋण नियंत्रणों के अधीन पण्यों की जमानत पर बैंक अग्रिमों से संबंधित न्यूनतम मार्जिन एवं उच्चतम ऋण सीमाओं का स्तर

(प्रतिशत अंक)

	पण्य	मौजूदा				नया (4 अप्रैल 1996 से लागू)			
		न्यूनतम मार्जिन			ऋण का स्तर	न्यूनतम मार्जिन			ऋण का स्तर
		मिलें/ अभिसंस्करण इकाइयां	अन्य	भंडार गृह रसीदें	आधार वर्ष : 1993-94 (नवं-अक्तू.) में समाप्त तीन वर्ष	मिलें/ अभिसंस्करण इकाइयां	अन्य	भंडार गृह रसीदें	आधार वर्ष : 1994-95 (नवं-अक्तू.) में समाप्त तीन वर्ष
1.	दालें	60	75	60	85	45	60	45	100
2.	अन्य खाद्यान्न (धान/चावल, गेहूं और दालों से इतर)	45	60	45	100	30	45	30	100
3.	तिलहन (अर्थात् मूंगफली, तोरिया/सरसों, तोरिया/सरसों का तेल, बिनौला, अलसी, एरण्ड तथा अन्य सभी आयातित तिलहन)	60	75	60	85	45	60	45	100
4.	वनस्पति तेल (अर्थात् मूंगफली का तेल, तोरिया/सरसों का तेल, बिनौले का तेल, अलसी का तेल, एरंड तेल, वनस्पति तथा सभी आयातित वनस्पति तेल)	60 @	75	60	85	45@	60	45	100
5.	चीनी								
	(क) अतिरिक्त स्टॉक	0	-	-	-	0	-	-	-
	(ख) जारी न किया गया स्टॉक	20	-	-	-	20	-	-	-
	(ग) जारी किया गया	75	75	60	-	60	60	45	-
6.	गुड़ और खांडसारी	45	75	60	-	30	60	45	-
7.	रूई और कपास	X	60	45	100+	X	45	30	100+

@ पंजीकृत तेल मिलों और वनस्पति विनिर्माताओं के लिए लागू।
- लागू नहीं
X निर्धारणों से मुक्त
+ बुनाई मिलों सहित सूती मिलों से इतर के लिए

ANNEXURE

THE STRUCTURE OF MINIMUM MARGINS AND LEVEL OF CREDIT CEILINGS ON BANK ADVANCES AGAINST COMMODITIES SUBJECT TO SELECTIVE CREDIT CONTROLS

(Percentages)

Commodities	Existing				New (Effective April 4, 1996)			
	Minumum Margins			Level of Credit	Minimum Margins			Level of Credit
	Mills/ processing units	Others	Warehouse receipts	Base year : Three years ending 1993-1994 (Nov-Oct.)	Mills/ processing units	Others	Warehouse receipts	Base year : Three years ending 1994-1995 (Nov-Oct.)
1. Pulses	60	75	60	85	45	60	45	100
2. 'Other foodgrains' (other than paddy/ rice, wheat and pulses)	45	60	45	100	30	45	30	100
3. Oilseeds (viz., groundnut, rapeseed/mustard, cottonseed, linseed, castorseed and all imported oilseeds)	60	75	60	85	45	60	45	100
4. Veg. oils (viz., groundnut oil, rapeseed/mustard oil cottonseed oil, linseed oil, castor oil, vanaspati and all imported oils)	60@	75	60	85	45@	60	45	100
5. Sugar								
a) Buffer	0	-	-	-	0	-	-	-
b) Unrealsed Stocks	20	-	-	-	20	-	-	-
c) Released	75	75	60	-	60	60	45	-
6. Gur and Khandsari	45	75	60	-	30	60	45	-
7. Cotton & Kapas	X	60	45	100+	X	45	30	100+

@ *Applicable to registered oil mills and vanaspati manufacturers.*
\- *Not applicable.*
X *Exempt from the stipulations.*
\+ *Applicable to other than cotton mills including spinning mills.*

बैंपविवि.सं.बीसी.41/12.01.001/95-96

3 अप्रैल 1996
14 चैत्र 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 - सांविधिक चलनिधि अनुपात में छूट

कृपया आप गवर्नर महोदय के 3 अप्रैल 1996 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 155/07.01.279/95-96 के पैराग्राफ 20 (क) और 20 (ख) (i), (ii) देखें। इस संबंध में हम निम्नप्रकार सूचित करते हैं :

2(क) प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रा.न.नि.अ.)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से वर्तमान में अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 14 प्रतिशत का प्रा.न.नि.अ. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखेंगे। अब यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखे जानेवाले प्रा.न.नि.अ. को 14 प्रतिशत से दो चरणों में घटाकर 13 प्रतिशत कर दिया जाये अर्थात् 27 अप्रैल 1996 से प्रारंभ पखवाड़े से 13.5 प्रतिशत और 11 मई 1996 से प्रारंभ पखवाड़े से 13 प्रतिशत कर दिया जाये। इस संबंध में 3 अप्रैल 1996 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 38/12.01.001/95-96 की प्रति संलग्न है।

DBOD.No.BC.41/12.01.001/95-96

April 3,1996
Chaitra 14, 1918 (S)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42 (1) OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - REDUCTION IN CASH RESERVE RATIO (CRR) - SECTION 24 OF BANKING REGULATION ACT, 1949 -RELAXATION IN STATUTORY LIQUIDITY RATIO

Please refer to paragraphs 20 (a) and 20 (b) (i),(ii) of Governor's circular No. CPC.BC. 155/07.01.279/95-96 dated April 3, 1996. In this connection, we have to advise as under:

2(a) Cash Reserve Ratio (CRR)

Under Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 scheduled commercial banks are, at present, required to maintain with the Reserve Bank of India, Cash Reserve Ratio (CRR) of 14.0 per cent of the net demand and time liabilities (excluding liabilities subject to Zero CRR prescriptions and NRE liabilities). It has now been decided that CRR to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) should be reduced in two phases from 14 per cent to 13.5 per cent and further to 13.0 per cent from the fortnight beginning April 27, 1996, and May 11, 1996 respectively. A copy of the relative notification DBOD No. BC. 38/12.01.001/95-96 dated April 3, 1996 is enclosed.

2(ख) अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में छूट

वर्तमान में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों की देयताओं पर 27 अक्तूबर 1995 को बकाया स्तर तक के लिए 10 प्रतिशत का औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखेंगे। इस स्तर से ऊपर की जमाराशियां प्रा.न.नि.अ. रखने से पहले से छूट प्राप्त है। अब यह निर्णय किया गया है कि 13 अप्रैल 1996 से प्रारंभ पखवाड़े से अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत सभी देयताओं को प्रा.न.नि.अ. निर्धारणों से छूट प्रदान की जाये। इस संबंध में 3 अप्रैल 1996 की संबंधित अधिसूचना सं. बैंपविवि. बीसी.39/12.01.001/95-96 की प्रति संलग्न है।

(ग) अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों पर सांविधिक चलनिधि अनुपात (सां.च.नि.अ.)

यह निर्णय किया गया है कि अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत बकाया देयताओं पर सां.च.नि.अ. मौजूदा 30 प्रतिशत से घटाकर 13 अप्रैल 1996 से प्रारंभ पखवाड़े से 25 प्रतिशत कर दिया जाये। इस संबंध में 3 अप्रैल 1996 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी.40/12.02.001/95-96की प्रति संलग्न है।

3. यह बात दोहरायी जाती है कि विभिन्न श्रेणियों की देयताओं से संबंधित विभिन्न निर्धारणों, कुछ देयताओं से संबंधित शून्य प्रारक्षित अपेक्षा के निर्धारण सहित, जैसा कि कानून द्वारा विनिर्दिष्ट है, को दृष्टि में रखते हुए कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जानेवाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि

2(b) Relaxation of the CRR on Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme.

At present, scheduled commercial banks are required to maintain an average Cash Reserve Ratio (CRR) of 10 per cent upto the level outstanding as on October 27, 1995 on liabilities under the NRE deposit scheme. The increase in deopsits over this level is already exempt from maintenance of average CRR. It has since been decided that with effect from the fortnight beginning April 13, 1996 all liabilities under NRE Accounts Scheme will be exempt from CRR prescriptions. A copy of the relative Notification No. DBOD.BC. 39/12.01.001/95-96 dated April 3, 1996 in this regard is enclosed.

2(c) Relaxation of the Statutory Liquidity Ratio (SLR) - on Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts.

It has been decided that with effect from the fortnight beginning April 13, 1996 the Statutory Liquidity Ratio (SLR) on outstanding liabilities under the Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts scheme would be reduced from the existing 30.0 per cent to 25.0 per cent. A copy of the relative Notification DBOD. No. BC. 40/12.02.001/95-96 dated 3rd April, 1996 is enclosed.

3. It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including prescription of a zero reserve requirement on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by scheduled commercial banks on total net demand and

अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीसी. **38/12.01.001/95-96**

3 अप्रैल 1996
14 चैत्र 1918 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 9 दिसंबर 1995 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 145/12.01.001/95-96 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखा जानेवाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात नीचे उल्लिखित प्रभावी तारीखों से उनके सामने बताये गये प्रतिशत अंक होगा।

प्रभावी तारीख (अर्थात पखवाड़ा प्रारंभ होने की तारीख)	शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर प्रा.न.नि. अनुपात (प्रतिशत)
27 अप्रैल 1996	13.5
11 मई 1996	13.0

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

time liabilities should not be less than 3 per cent and 25 per cent respectively.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

DBOD.No.BC.38/12.01.001/95-96

April 3,1996
Chaitra 14, 1918 (S)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification DBOD No. BC. 145/12.01.001/95-96 dated December 9, 1995, the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by the Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall, from the effective dates mentioned below, be at the percentage points as indicated thereagainst.

Effective date (i. e. fortnight beginning from)	**CRR on net demand and time liabilities (Per cent)**
April 27, 1996	13.5
May 11, 1996	13.0

(J.R.Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि.सं.बीसी.39/12.01.001/95-96

3 अप्रैल 1996
14 चैत्र 1918 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक के साथ पठित उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 6 जनवरी 1996 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 3/12.01.001/95-96 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि 13 अप्रैल 1996 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत सभी देयताएं औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात से छूट प्राप्त होंगी।

2. ऊपर निर्धारित छूट अनुसूचित वाणिज्य बैंक की कुल शुद्ध माँग और मियादी देयताओं पर रखे जानेवाले कम से कम 3 प्रतिशत के प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन होगी।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.BC.39/12.01.001/95-96

April 3,1996
Chaitra 14, 1918 (S)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) read with proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification DBOD No. BC. 3/12.01.001/95-96 dated January 6, 1996, the Reserve Bank of India hereby specifies that with effect from the fortnight beginning April 13, 1996, all the liabilities under Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme shall be exempt from maintenance of the average Cash Reserve Ratio (CRR).

2. The exemption stipulated above shall be subject to the effective CRR maintained by a scheduled commercial bank at not less than 3 per cent of its total net demand and time liabilities.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि.सं.बीसी.40/12.01.001/95-96

3 अप्रैल 1996
14 चैत्र 1918 (शक)

अधिसूचना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उप-धारा (2ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 19 अप्रैल 1990 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 99/सी.236/(जी) एसपीएल. 90 का अधिक्रमण करके भारतीय रिज़र्व बैंक, इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 13 अप्रैल 1996 से प्रारंभ पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा 2(ए) में विनिर्दिष्ट आस्तियों के रूप में, अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) खाता योजना के अंतर्गत उतनी राशि रखेगा जो कि किसी भी दिन कारोबार की समाप्ति पर, भारत में उसकी कुल माँग और मीयादी देयताओं के पचीस प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.BC.40/12.02.001/95-96

April 3,1996
Chaitra 14, 1918 (S)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 24 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and in supersession of its Notification DBOD No. Ret. BC. 99/C. 236(G) Spl. 90 dated April 19, 1990, the Reserve Bank of India hereby specifies that with effect from the fortnight beginning April 13, 1996, every Scheduled Commercial Bank other than a Regional Rural Bank, shall maintain in India an amount which shall not, at the close of business on any day, be less than twenty five percent of the total of its demand and time liabilities in India under the Non-Resident (External) Rupee (NRE) Accounts Scheme, in the form of assets specified in sub-section (2A) of Section 24 of the Act ibid.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि.सं.बीसी.77/12.01.001/95-96

18 जून 1996
28 ज्येष्ठ 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण में संशोधन के परिणामस्वरूप ब्याज के दावे के फार्मेट में परिवर्तन

कृपया आप 25 मार्च 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 28/12.01.001/96 देखें, जिसके साथ प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात पर तदर्थ ब्याज दावों के तिमाही विवरण का संशोधित प्रोफार्मा संलग्न किया गया है। हमारे 3 अप्रैल 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 41/12.01.001/95-96 के पैराग्राफ 2 (ख) के अनुसार अनिवासी बाह्य रुपया खाता योजना के अंतर्गत सभी देयताओं को 13 अप्रैल 1996 से प्रारंभ पखवाड़े से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण से छूट दी गयी है। इस दृष्टि से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात पर तदर्थ ब्याज दावे के तिमाही विवरण का फार्मेट संशोधित किया गया है और आपके प्रयोग के लिए संलग्न है। तदनुसार आप ब्याज दावों के विवरण के स्तंभ 4 के अंतर्गत अनिवासी बाह्य रुपया खाता जमाराशियों और उन पर ब्याज संबंधी देयताओं को छोड़कर संबंधित पखवाड़ों के लिए शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं की राशि दर्शायें। परन्तु अनिवासी बाह्य रुपया खाता जमाराशियों की बकाया राशि 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अंतर्गत अपेक्षा की गणना के लिए संबंधित पखवाड़ों के लिए विवरण के स्तंभ 5 के अंतर्गत दर्शायी जानी चाहिए।

DBOD.No.BC.77/12.01.001/95-96

June 18,1996
Jyestha 28, 1918 (S)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42 OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - CONSEQUENTIAL CHANGES IN THE INTEREST CLAIM FORMATS ON REVISION IN THE CRR PRESCRIPTION

Please refer to our letter DBOD No. BC.28/12.01.001/96 dated 25th March 1996 enclosing therewith revised proforma of the quarterly statement of adhoc CRR interest claims. In terms of paragraph 2 (b) of our circular letter DBOD No. BC.41/12.01.001/95-96 dated 3rd April 1996, all liabilities under NRE Accounts Scheme are exempted from CRR prescription with effect from the fortnight beginning 13th April 1996. In view of this the format of the quarterly statement of Ad-hoc CRR interest claim has been modified and is enclosed for your use. Accordingly, you are advised to furnish the amount of NDTL for the respective fortnights exclusive of liabilities under NRE deposits and interest thereon under column 4 of the interest claim statement. The outstanding under NRE deposits accounts are however to be shown under column 5 of the statemnt for the relative fortnights for computing requirement under 10% incremental CRR.

2. इसके अतिरिक्त आपको सूचित किया जाता है कि रिपोर्टिंग शुक्रवार, 12 अप्रैल 1996 से अनिवासी बाह्य रुपया खाता योजना की जमाराशि फार्म 'ए' के अनुबंध में शून्य प्रारक्षित निर्धारण में शामिल की जायेगी।

3. बैंक कृपया यह ध्यान रखें कि जून 1996 में समाप्त तिमाही के लिए प्रारक्षित नकदी निधि संबंधी अपने ब्याज दावे केवल संशोधित प्रोफार्मा में ही प्रेषित करें। यदि प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के निर्धारण में कोई परिवर्तन न हो तो आगामी तिमाहियों के लिए भी इसी प्रोफार्मा का इस्तेमाल किया जाये।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

2. Further, you are advised that with effect from the reporting Friday, 12th April 1996, the liabilities under NRE Deposit Account Scheme shall be included in the Annexure to the Form 'A' under zero reserve prescription.

3. The banks should note to submit their CRR interest claims for the quarter ending June 1996 in the revised proforma only. The same proforma is to be used for subsequent quarters also if no change takes place in the CRR prescription.

Yours faithfully,

(C.V.Amalnerkar)
General Manager

बैंक का नाम :

..... को समाप्त तिमाही के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी शेष पर देय ब्याज की राशि दर्शानेवाला विवरण

(राशि हजार में)

क्रम सं.	पखवाड़े के रिपोर्टिंग शुक्रवार की तारीख	बकाया भारत विकास बांडों की राशि	स्तंभ 2 में दर्शायी गयी तारीख को शुद्ध देयताएं, जिनमें आइडीबी, एफ्मीएनआर ए शामिल हैं, किंतु अनिवासी (अप्रत्या.) रुपया जमा योजना, एफ्मीएनआर बी योजना, एनआरई जमाराशियों तथा शून्य प्रारक्षित निर्धारण श्रेणियों के अंतर्गत देयताओं को छोड़कर	एनआरई योजना के अंतर्गत 27.10.95 को जमाराशि (रु. .....) संबंधी देयताएं। प्रत्येक रिपोर्टिंग शुक्रवार को संपूर्ण शेष राशि	23 मार्च 1998 को एफ्मीएनआरए, एनआरई जमाराशियों सहित शुद्ध देयताएं, उन पर ब्याज सहित	सीआरआर के प्रयोजन हेतु अपेक्षित औसत दैनिक शेष राशि			भा.रि.बैं. अधि., 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत अपेक्षित वृद्धिशील सीआरआर की राशि		भा.रि.बैं. अधि., 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत अपेक्षित वृद्धिशील सीआरआर की राशि		स्तंभ 6 के अनुसार शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं की पात्र शेष राशि पर 10.5% वार्षिक की दर पर देय ब्याज की राशि
						..... को समाप्त पखवाड़े के लिए	स्तंभ 4 के आधार पर राशि, पहले दो पखवाड़ों के लिए 14% तीसरे पखवाड़े के लिए 13.5% और बाद के पखवाड़ों के लिए 13%	स्तंभ 5 के आधार पर राशि, प्रथम पखवाड़े के लिए 27.10.95 को एनआरई जमाराशियों के स्तर पर 10%	3.5.1991 को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं से अधिक	5.8.94/ 30.9.94 को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं से अधिक $	भा.रि.बैं. अधि. 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) के अंतर्गत अपेक्षित स्तंभ 8, 9, 10 और 11 का जोड़	भा.रि.बैं. अधि. 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) के अनुसार सीआरआर के प्रयोजन हेतु रखी गयी वास्तविक राशि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी सही है। हमारे बैंक ने उक्त तिमाही के सभी पखवाड़ों के लिए सीआरआर अपेक्षा का पालन किया है @ नहीं किया है और तिमाही के दौरान सीआरआर रखने में चूक की है @ नहीं की है। बाद में किसी चूक का पता लगने की स्थिति में अधिक राशि तथा रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये ब्याज को मांग की तारीख से एक सप्ताह में लौटाने का हम वचन देते हैं। हम रिज़र्व बैंक को यह प्राधिकार देते हैं कि ऐसा न होने पर वह अपने पास हमारे चालू खाते में उतनी राशि नामे कर दें। हमने यह भी नोट कर लिया है कि गलत जानकारी देने अपेक्षित विवरणी देर से प्रस्तुत करने/गलत विवरणी प्रस्तुत करने की स्थिति में रिज़र्व बैंक ब्याज के तदर्थ भुगतान की सुविधा समाप्त कर देगा।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

बैंक की सील

यदि किसी पखवाड़े में सीआरआर रखने में कोई चूक/कमी हुई हो तो कृपया उसके कारण बतावें।

@ जो लागू न हो उसे काट दें, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हस्ताक्षर करें।

$ इस स्तंभ में जानकारी उन 37 बैंकों द्वारा दी जानी है, जिनमें 5.8.94/30.9.94 को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं में अधिक पर 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने को कहा गया है।

नोट : दो क्रम संख्याओं के बीच कृपया पर्याप्त स्थान छोड़ें।

Name of the bank _____

Statement showing the amount of interest payable on cash balance maintained with RBI for the quarter ended _____

(000 Omitted)

Sr. No.	Date of reporting Friday of the fort-night	Amount of outstanding under India Development Bonds	Net liabilities including IDB, FCNRA, on dates indicated in column No. (2) but excluding liabilities under Non-resident (Non-repatriable) Rupee deposit (NRNR) Scheme, Deposits under FCNR (B) scheme NRE deposits and zero reserve prescription categories.	Liabilities under ---------- NRE deposits as on 27.10.95 (Rs.) Entire balances on every reporting Friday	Net liabilities including FCNRA, NRE deposits with interest thereon as on the March 23, 1990	Amount of average daily balances required to be maintained for the purpose of CRR ---------- for the fortnight ended	Amount on the basis of col. (4) (14%- for the first two fortnights 13.5% for third fortnight & 13% for subsequent fortnights	Amount on the basis of column No. 5 10% for the first fortnight on the level of NRE deposits as on 27.10.95	Amount of incremental CRR required to be maintained under Sec 42 (1A) of the RBI Act, 1934 ---------- over the NDTL as of 3.5.1991	over the NDTL as of 5.8.94/ 30.9.94 $	Amount of average daily balance ---------- required to be maintained under sec. 42(1) and 42(1A) of RBI Act, 1934 total of col. Nos. (8), (9), (10), (11)	actually maintained for the purpose of CRR in terms of sec. 42(1) & 42(1A) of RBI Act, 1934	Amount of interest payble at 10.5% per annum on eligible balances on the NDTL as per Col. (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													

We hereby certify that the information furnished above is correct. Our bank has / has not@ complied with CRR requirement for all the fortnights of the quarter has / has not@ defaulted in the maintenance of CRR during the quarter. In case of dafault detected subsequently, we undertake to refund the excess amount along with such interest as may be levied by Reserve Bank within a week from the date of demand, failing which we authorise Reserve Bank to debit our current account with them for like amount. We also note that Reserve Bank would withdraw the facility of adhoc payment of interest in the event of furnishing incorrect information/delayed submission of required returns/submission of incorrect returns.

Place :

Date :

Signature :

Name :

Designation :

In case there is default/shortfall in the maintenance of CRR in any of the fortnights, please indicate reasons therefor.

@ Strike out whichever is not applicable under the signature of authorised signatory.

$ Information under this col. is to be furnished by 37 banks which were asked to maintain 10 per cent incremental CRR over their NDTL of 5.8.94/30.9.94

Please leave sufficient space between two Sr. Nos.

Seal of the bank

बैंपविवि.सं.बीसी.88/12.01.001/96-97

1 जुलाई 1996
10 आषाढ़ 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भा.रि.बैं. अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में कमी -

कृपया आप गवर्नर महोदय के 1 जुलाई 1996 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 156/07.01.279/96-97 का पैराग्राफ 1 (क) देखें। इस संबंध में हम निम्नप्रकार सूचित करते हैं :

2 प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रा.न.नि.अ.)

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से वर्तमान में अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के 13 प्रतिशत का प्रा.न.नि.अ. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखेंगे। (शून्य प्रा.न.नि.अ. के निर्धारणों के अधीन देयताओं को छोड़कर) अब यह निर्णय किया गया है कि 6 जुलाई 1996 से प्रारंभ पखवाड़े से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखे जानेवाले प्रा.न.नि.अ. को 13 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया जाये। इस संबंध में 1 जुलाई 1996 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी.87/12.01.001/96-97 की प्रति संलग्न है।

3. यह बात दोहरायी जाती है कि विभिन्न श्रेणियों की देयताओं से संबंधित विभिन्न निर्धारणों, कुछ देयताओं से संबंधित शून्य प्रारक्षित अपेक्षा के निर्धारण

DBOD.No.BC.88/12.01.001/96-97

July 1,1996
Aashada 10, 1918 (S)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42 (1) OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - REDUCTION IN CASH RESERVE RATIO (CRR)

Please refer to paragraphs 1 (a) of Governor's circular No. CPC.BC. 156/07.01.279/96-97 dated July 1, 1996. In this connection, we have to advise as under :

2. Cash Reserve Ratio (CRR)

Under Section 42 (1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 scheduled commercial banks are, at present, required to maintain with the Reserve Bank of India, Cash Reserve Ratio (CRR) of 13.0 per cent of the net demand and time liabilities (excluding liabilities subject to Zero CRR prescriptions). It has now been decided that CRR to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) should be reduced from 13.0 percent to 12.0 percent from the fortnight beginning July 6, 1996. A copy of the relative notification DBOD No. BC. 87/ 12.01.001/96-97 dated July 1, 1996 is enclosed.

3. It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including prescription of a zero

सहित, जैसा कि कानून द्वारा विनिर्दिष्ट है, को दृष्टि में रखते हुए कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जानेवाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

reserve requirement on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and Statutory Liquidity Ratio (SLR) maintained by Scheduled Commercial Banks on total net demand and time liabilities should not be less than 3 per cent and 25 per cent respectively.

Yours faithfully,

(C.V.Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.87/12.01.001/96-97

1 जुलाई 1996
10 आषाढ़ 1918 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 3 अप्रैल 1996 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 38/12.01.001/95-96 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखा जानेवाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 6 जुलाई 1996 से शुरू होनेवाले पखवाड़े से 12 प्रतिशत होगा।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.BC.87/12.01.001/96-97

July 1,1996
Aashadha 10, 1918 (S)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification No. DBOD No. BC. 38/12.01.001/95-96 dated April 3, 1996, the Reserve Bank of India hereby specifies that the Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by the Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall be 12.0 per cent with effect from the fortnight beginning July 6, 1996.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. **94/13.08.01/96**

1 जुलाई 1996
10 आषाढ़ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

चयनात्मक ऋण नियंत्रण -
संवेदनशील पण्यों की जमानत पर
अग्रिम - मार्जिन/ऋण के स्तर में परिवर्तन

कृपया आप गवर्नर महोदय के 1 जुलाई 1996 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 156/07.01.279/96-97 का पैराग्राफ 1(ग) देखें। उसमें बताये गये अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि चयनात्मक ऋण नियंत्रण के निम्नलिखित उपबंध 2 जुलाई 1996 से संशोधित कर दिये जायें :

(i) न्यूनतम मार्जिन

(क) चीनी, गुड और खांडसारी

चीनी के जारी किये गये स्टॉक पर तथा चीनी, गुड़ और खांडसारी की जमानत पर "अन्य" को और भंडार गृह रसीदों पर बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन 15 प्रतिशत अंक घटा दिया जायेगा।

(ख) रूई और कपास

रूई और कपास पर "अन्य" (अर्थात् कताई मिलों सहित मिलों) को बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन 15% अंक घटा दिया जायेगा।

DBOD.No.Dir.BC.94/13.08.01/96

July 1, 1996
Aashadha 10, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SELECTIVE CREDIT CONTROLS - ADVANCES AGAINST SENSITIVE COMMODITIES - CHANGES IN MARGIN/LEVEL OF CREDIT

Please refer to paragraph 1(c) of Governor's circular No. CPC. BC.156/07.01.279/96-97 dated 1st July 1996. As indicated therein it has been decided to modify with effect from 2 July 1996, the following provisions of Selective Credit Controls.

I) Minimum Margins

(a) Sugar, Gur and Khandsari

The minimum margins on bank advances to mills against sugar for released stocks and to 'others' and warehouse receipts against sugar, gur and khandsari will be reduced by 15 percentage points.

(b) Cotton and Kapas

The minimum margins on bank advances against Cotton and Kapas will be reduced by 15 percentage points to 'others' (Viz. other than cotton mills including spinning mills).

(ii) ऋण का स्तर

रूई और कपास

रूई और कपास की जमानत पर अग्रिमों के लिए उच्चतम ऋण सीमा, जो वर्तमान में किसी पार्टी के द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 (नवंबर-अक्तूबर) के तीन वर्ष में किसी भी वर्ष में रखे गये ऋण के उच्चतम स्तर के 100 प्रतिशत तक है, बढ़ाकर 110 प्रतिशत तक कर दी जायेगी।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये चयनात्मक ऋण नियंत्रण संबंधी निदेशों के अन्य सभी उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

3. इस संबंध में 1 जुलाई 1996 का संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 93/13.08.01/96 संलग्न है।

भवदीय,

(चं. वा. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

(II) Level of Credit

Cotton and Kapas

The level of credit ceiling for advances against cotton and kapas will be raised to 110 per cent from 100 per cent of the peak level of credit maintained by a party in any of the three year period comprising 1992-93, 1993-94 and 1994-95 (November-October).

2. All other provisions of the selective credit control directives issued by the Reserve Bank of India from time to time will remain unchanged.

3. An amending directive DBOD No. Dir. BC. 93/13.08.01/96 dated July 1, 1996 in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. **93/13.08.01/96**

1 जुलाई 1996
10 आषाढ़ 1918 (शक)

चयनात्मक ऋण नियंत्रण -
संवेदनशील पण्यों की जमानत पर अग्रिम

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 31 मार्च 1987 के अपने निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 38/सी./218/87 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा निदेश जारी करता है कि 2 जुलाई 1996 से उपर्युक्त निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे।

(i) चीनी, गुड़ और खांडसारी

चीनी के जारी किये गये स्टॉक पर मिलों को तथा चीनी, गुड़ और खांडसारी की जमानत पर "अन्य" को एवं भंडार गृह रसीदों पर बैंक अग्रिमों पर न्यूनतम मार्जिन 15 प्रतिशत अंक घटा दिया जायेगा। मार्जिन में परिवर्तन निम्नप्रकार होंगे :

(प्रतिशत)

	मौजूदा			संशोधित (2 जुलाई 1996 से लागू)		
	मिलें/ अभिसं-स्करण इकाइयां	अन्य	भंडार गृह रसीदें	मिलें/ अभिसं-स्करण इकाइयां	अन्य	भंडार गृह रसीदें
चीनी						
अतिरिक्त स्टॉक	0	-	-	0	-	-
जारी न किया गया स्टॉक	20	-	-	20	-	-
जारी किया गया स्टॉक	60	60	45	45	45	30
गुड़ और खांडसारी	30	60	45	30	45	30

– लागू नहीं

(ii), रूई और कपास

रूई और कपास की जमानत पर न्यूनतम मार्जिन "अन्य" (अर्थात् कताई मिलों सहित सूती मिलें) के लिए 15 प्रतिशत अंक घटा दिया जायेगा और ऋण का उच्चतम स्तर किसी पार्टी द्वारा 1992-93 से 1994-95 (नवंबर-अक्तूबर) तक की तीन वर्ष की अवधि में किसी भी वर्ष के उच्चतम स्तर के मौजूदा 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 110 प्रतिशत तक कर दिया जायेगा।

(प्रतिशत)

	मौजूदा				संशोधित (2 जुलाई 1996 से लागू)			
	कताई मिलों सहित मिलें	अन्य	भंडार गृह रसीदें	ऋण का उच्चतम स्तर (आधारवर्ष : 1994-95 (नवं-अक्तू.) में समाप्त वर्ष	कताई मिलों सहित मिलें	अन्य	भंडार गृह रसीदें	ऋण का उच्चतम स्तर (आधारवर्ष : 1994-95(नवं-अक्तू.) में समाप्त वर्ष
	X	45	30	100+	X	30	30	110+

X - निर्धारण से छूट
\+ - कताई मिलों सहित मिलों पर लागू नहीं

2. समय-समय पर यथासंशोधित 31 मार्च 1987 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 38/सी. 218-87 के अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.Dir.BC.93/13.08.01/96

July 1, 1996
Aashadha 10, 1918 (Saka)

SELECTIVE CREDIT CONTROL - ADVANCES AGAINST SENSITIVE COMMODITIES

In exercise of the powers conferred by Sections 21 and 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and in partial modification of its directive DBOD No. Dir. BC.38/C.218/87 dated March 31, 1987 as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the following changes shall be made in the Annexure to the above directive with effect from July 2, 1996.

I) Sugar, Gur and Khandsari

The minumum margins on bank advances to mills against sugar for released stocks and to 'others' and warehouse receipts against sugar, gur and khandsari shall be reduced by 15 percentage points. The changes in margins shall be as follows :

(Percentages)

	EXISTING			**REVISED** (Effective July 2, 1996)		
	Minimum Margins			**Minimum Margins**		
	Mills/'Others' processing units		Warehouse receipts	Mills/ processing units	'Others'	WareHouse receipts
Sugar						
Buffer Stock	0	--	--	0	--	--
Unreleased stocks	20	--	--	20	--	--
Released stocks	60	60	45	45	45	30
Gur and Khandsari	30	60	45	30	45	30

-- *Not applicable.*

II) Cotton & Kapas

The minumum margins on bank advances against cotton & kapas shall be reduced by 15 percentage points for 'others' (viz. other than cotton mills including spinning mills) and the level of credit ceiling shall be raised to 110 per cent from the existing 100 per cent of peak level of credit maintained by a party in any of the three year period 1992-93 to 1994-95 (November-October). The new margins and level of credit shall be as follows :-

(Percentages)

	EXISTING				**REVISED** (Effective July 2, 1996)			
	Minumum Margins			**Level of Credit Ceilings**	**Minimum Margins**			**Level of Credit Ceilings**
	Mills/ including spinning mills	'Others'	Ware House receipts	Base year : Three years ending 1994-1995 (Nov-Oct.)	Mills/ including spinning mills	'Others'	Ware House receipts	Base year : Three years ending 1994-1995 (Nov-Oct.)
	X	45	30	100+	X	30	30	110+

X *Exempt from the stipulations*

\+ *Not applicable to mills including spinning mills*

2. All other provisions of directive DBOD No. Dir. BC.38/C.218/87 dated March 31, 1987 as amended from time to time shall remain unchanged.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि.सं.बीसी.96/12.01.001/96-97

3 जुलाई 1996
12 आषाढ़ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

प्राथमिक व्यापारियों को बैंकों के ऋण - प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं के लिए शुद्ध राशि निकालने की संकल्पना

कृपया आप 23 दिसंबर 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 148/12.01.001/94-95 देखें जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया है कि वे भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम, लि. (एसटीसीआइ) में (भारतीय मितिकाटा और वित्तगृह लि. (डीएफएचआइ) के अलावा) अपने व्यवहारों के संबंध में आस्तियों और देयताओं की शुद्ध राशि निकालने का लाभ ले सकते हैं।

2 इसके अलावा, चार प्राथमिक व्यापारियों अर्थात् पीएनबी गिल्ट्स लि., एसबीआइ गिल्ट्स लि., गिल्ट सिक्युरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि. और आइसीआइसीआइ सिक्युरिटीज एंड फाइनेंस कंपनी लि. को 6 जून 1996 से मांग/सूचना मुद्रा बाजार तथा बिल पुनर्भुनाई योजना में ऋणदाता और उधारकर्ता दानों रूप में भाग लेने की अनुमति दी गयी थी। बैंक ऊपर उल्लिखित चार प्राथमिक व्यापारियों को दिये अपने ऋणों/से लिए उधारों के संबंध में शुद्ध राशि निकालने का लाभ ले सकें, इसके लिए भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) की मद (vi) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के प्रयोजन हेतु पीएनबी गिल्ट्स लि., एसबीआई गिल्ट्स लि., गिल्ट सिक्युरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि. तथा आइसीआइसीआइ सिक्युरिटीज एंड फाइनेंस कंपनी लि. को वित्तीय संस्थाओं के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। 21 जून 1996 की आवश्यक अधिसूचनाएं

DBOD.No.Dir.BC.96/12.01.001/96-97

July 3, 1996
Aashadha 12, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

BANKS' LENDING TO PRIMARY DEALERS - NETTING CONCEPT FOR RESERVE REQUIREMENTS

Please refer to our Circular letter DBOD.No.BC.148/12.01.001/94-95 dated 23rd December 1994 advising the banks that they can derive the benefit of netting of assets and liabilities in respect of their dealings with Securities Trading Corporation of India Limited (in addition to Discount and Finance House of India).

2. Further, four Primary Dealers-PNB Gilts Lid., SBI Gilts Ltd, Gilts Serurities Trading Corporation Ltd. and ICICI Securities and Finance Company Ltd. were permitted to participate as both lenders and borrowers in the Call/Notice money market and Bills Rediscounting Scheme with effect from June 6, 1996. In order to enable banks to get the benefit of netting in respect of their lending/borrowings to the above mentioned four Primary Dealers, the Governemnt of India have, on the recommendation of the Reserve Bank of India, notified PNB Gilts Ltd., SBI Gilts Ltd., Gilts Securities Trading Corporation Ltd. and ICICI Securities and Finance Company Ltd. as financial institutions for the purposes of item (vi) of Clause (d) of Explanation to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India

भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(ii) में प्रकाशित की गयी हैं। उपर्युक्त अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक उक्त चार प्राथमिक व्यापारियों के साथ अपने व्यवहारों के संबंध में आस्तियों और देयताओं की शुद्ध राशि निकालने का लाभ ले सकते हैं।

Act, 1934 as also Clause (d) of Explanation to sub-section (1) of Section 18 of the Banking Regulation Act, 1949. Necessary Notifications dated June 21, 1996 are published in Part II Section 3 (ii) of Gazette fo India (copy enclosed). In view of the above notifications, banks can derive the benefit of netting of the assets and liabilities in respect of their dealings with the four Primary Dealers.

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

(भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ)

एफ सं. **20/3/94** बी.ओ.ए. **(i)**
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 जून 1996
31 ज्येष्ठ 1918 (शक)

अधिसूचना

का. आ. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के खण्ड (ङ) की मद (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा "पीएनबी गिल्ट्स

(To be published in Part II Section 3 (ii) of the Gazette of India)

No. 20/3/94 (i) BOA (i)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Banking Division)

New Delhi, dated the 21 June, 1996
31 Jyaistha, 1918 (Saka)

NOTIFICATION

S.O. In exercise of the powers conferred by item (v) of Clause (e) of Explanation to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the

लि.", "एसबीआई गिल्ट्स लि." "गिल्ट सिक्युरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि." और "आइसीआइसीआइ सिक्युरिटीज एंड फाइनेंस कम्पनी लि. नामक कम्पनियों को, जो पूर्वोक्त मद के प्रयोजन के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं, वित्तीय संस्थाओं के रूप में अधिसूचित करती है।

Central Government hereby notifies as financial institutions the entities known as "PNB Gilts Ltd.", "SBI Gilts Ltd." "Gilts Securities Trading Corporation Ltd." and "ICICI Securities and Finance Company Ltd." being companies registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) for the purpose of the aforesaid item.

(पी. मोहन)
निदेशक

(P. Mohan)
Director

सेवा में.
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
रिंग रोंड, नई दिल्ली

To,
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, New Delhi

(भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ)

(To be published in Part II Section 3 (ii) of the Gazette of India)

एफ सं. **20/3/94** बी.ओ.ए. **(ii)**
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)

No. 20/3/94-B.O.A. (ii)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Banking Division)

नई दिल्ली, **21** जून **1996**
31 ज्येष्ठ **1918** (शक)

New Delhi, dated 21st June,1996
31 Jyaistha, 1918 (Saka)

अधिसूचना

NOTIFICATION

का. आ. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के खण्ड (घ) की मद (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा "पीएनबी गिल्ट्स

S.O. In exercise of the powers conferred by item (vi) of Clause (d) of Explanation to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the

लि.", "एसबीआई गिल्ट्स लि." "गिल्ट सिक्युरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि." और "आइसीआइसीआइ सिक्युरिटीज एंड फाइनेंस कम्पनी लि. नामक कम्पनियों को, जो पूर्वोक्त मद के प्रयोजन के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं, वित्तीय संस्थाओं के रूप में अधिसूचित करती है।

Central Government hereby notifies as financial institutions the entities known as "PNB Gilts Ltd." ,"SBI Gilts Ltd." ,"Gilts Securities Trading Corporation Ltd." and "ICICI Securities and Finance Company Ltd." being companies registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) for the purpose of the aforesaid item.

(पी. मोहन)
निदेशक

(P. Mohan)
Director

सेवा में.
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
रिंग रोड, नई दिल्ली

To,
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, New Delhi

(भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ)

एफ सं. 20/3/94 बी.ओ.ए. (iii)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 जून 1996
31 ज्येष्ठ 1918 (शक)

अधिसूचना

का. आ. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 18 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा "पीएनबी गिल्ट्स लि.", "एसबीआई गिल्ट्स लि." "गिल्ट सिक्युरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि." और "आइसीआइसीआइ सिक्युरिटीज एंड फाइनेंस कम्पनी लि. नामक कम्पनियों को, जो पूर्वोक्त मद के प्रयोजन के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं, वित्तीय संस्थाओं के रूप में अधिसूचित करती है।

(पी. मोहन)
निदेशक

सेवा में.
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
रिंग रोड, नई दिल्ली

(To be published in Part II Section 3 (ii) of the Gazette of India)

No. 20/3/94-B.O.A. (iii)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Banking Division)

New Delhi, dated 21st June,1996
31st Jyaistha, 1918 (Saka)

NOTIFICATION

S.O. In exercise of the powers conferred by Clause (d) of Explanation to sub-section (1) of Section 18 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby notifies as financial institutions the entities known as "PNB Gilts Ltd.", "SBI Gilts Ltd.", "Gilts Securities Trading Corporation Ltd." and "ICICI Securities and Finance Company Ltd." being companies registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) for the purpose of the aforesaid item.

(P. Mohan)
Director

To,
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, New Delhi

(भारत के राजपत्र के भाग II खंड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ)

एफ सं. 20/3/94 बी.ओ.ए. (iv)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 21 जून 1996
31 ज्येष्ठ 1918 (शक)

अधिसूचना

का. आ. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के खण्ड (ञ) के साथ पठित धारा 18 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा "पीएनबी गिल्ट्स लि.", "एसबीआई गिल्ट्स लि." "गिल्ट सिक्युरिटीज ट्रेडिंग कार्पोरेशन लि." और "आइसीआइसीआइ सिक्युरिटीज एंड फाइनेंस कम्पनी लि. नामक कम्पनियों को, जो पूर्वोक्त खंड के प्रयोजन के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं, वित्तीय संस्थाओं के रूप में अधिसूचित करती है।

(पी. मोहन)
निदेशक

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
रिंग रोड, नई दिल्ली

(To be published in Part II Section 3 (ii) of the Gazette of India)

No. 20/3/94-B.O.A. (iv)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Banking Division)

New Delhi, dated 21st June,1996
31 Jyaistha, 1918 (Saka)

NOTIFICATION

S.O. In exercise of the powers conferred by Clause (d) of Explanation to sub-section (1) of Section 18 read with clause (j) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby notifies as financial institutions the entities known as "PNB Gilts Ltd.", "SBI Gilts Ltd.", "Gilts Securities Trading Corporation Ltd." and "ICICI Securities and Finance Company Ltd." being companies registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) for the purpose of the aforesaid Clause.

(P. Mohan)
Director

To,
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
Ring Road, New Delhi

बैंपविवि.सं.बीसी.112/12.01.001/96-97

17 अगस्त 1996
26 श्रावण 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई) खाता योजना में प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में ढील

हम दिनांक 3 अप्रैल 1996 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 41/12.01.001/95-96 के पैरा 2(ख) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं जो कि एनआरई जमा योजना के अंतर्गत देयताओं के संबंध में औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) रखने से छूट के बारें में है। इस संबंध में हम यह स्पष्ट करते हैं कि एनआरई खाता योजना के अंतर्गत देयताओं से संबंधित छूट केवल औसत सीआरआर रखने के लिए लागू है न कि वृद्धिशील सीआरआर पर (भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए)। अत: आपको यह नोट करने के लिए सूचित किया जाता है कि अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत देयताएँ अब तक की तरह ही वृद्धिशील सीआरआर रखने के अधीन हैं।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

DBOD.No.BC. 112/12.01.001/96-97

August 17,1996
Shravana 26, 1918 (S)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42 (1) OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - RELAXATION OF CRR ON NON-RESIDENT (EXTERNAL) RUPEE (NRE) ACCOUNTS SCHEME

We invite a reference to paragraph 2(b) of the circular DBOD.BC.41/12.01.001/95-96 dated April 3, 1996 regarding exemption from maintenance of average Cash Reserve Ratio (CRR) on liabilities under the NRE deposit scheme. In this connection, we clarify that the exemption on liabilities under the NRE Accounts Scheme is applicable only for maintenance of average CRR and not on incremental CRR (Section 42 (1A) of Reserve Bank of India Act, 1934). You are, therefore, advised to note that the liabilities under the Non-Resident (External) Rupee Account Scheme are subject to maintenance of incremental CRR as hitherto.

Yours faithfully,

(C.V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 138/13.08.01/96-97

19 अक्तूबर 1996
27 आश्विन 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

चयनात्मक ऋण नियंत्रण -
संवेदनशील पण्यों की जमानत
पर दिये गये अग्रिमों में छूट

कृपया आप गवर्नर महोदय के 19 अक्तूबर 1996 के परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 158/07.01.279/96-97 का पैराग्राफ 14(जी) देखें। उसमें बताये गये अनुसार अनुकूल आपूर्ति स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, यह निर्णय किया गया है कि 21 अक्तूबर 1996 से दालों, "अन्य खाद्यान्नों" (अर्थात् मोटे अनाज़ों), तेलहन (अर्थात् मूंगफली, तोरईबीज/सरसों, बिनौला, अलसी, एरंड बीज), उनके तेल और वनस्पति, सभी आयातित तेलहन और तेल, चीनी के लिए चीनी मिलों को बफर स्टॉक तथा चीनी के अमुक्त स्टॉक को छोड़कर, गुड़ और खांडसारी तथा रूई और कपास के लिए दिये जानेवाले बैंक अग्रिमों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण की सभी शर्तों से छूट दी जाये। बैंक संवेदनशील पण्यों की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मार्जिन निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

2. चीनी के अमुक्त स्टॉक पर न्यूनतम मार्जिन 21 अक्तूबर 1996 से 5 प्रतिशत अंक कम करके वर्तमान 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत किया जा रहा है। इस रियायत से चीनी के स्टॉकों का मूल्यांकन 1 जुलाई 1996 से पूर्व अपनायी जानेवाली पद्धति से किया जायेगा। चीनी के

DBOD.No.Dir.BC.138/13.08.01/96-97

October 19, 1996
Ashwina 27, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sirs,

SELECTIVE CREDIT CONTROLS-EXEMPTIONS IN RESPECT OF ADVANCES AGAINST SENSITIVE COMMODITIES

Please refer to paragraph 14(g) of Governor's circular letter No. CPC. 158/07.01.279/96-97 dated October 19, 1996. As indicated therein, in the context of favourable supply situation, it has been decided that with effect from October 21, 1996, bank advances against pulses, 'other food grains' (viz. coarse grains), oilseeds (viz. groundnut, rapeseed/mustard, cottonseed, linseed, castorseed), oils thereof including vanaspati, all imported oilseeds and oils, sugar except buffer stock and unreleased stock of sugar to sugar mills, gur and khandsari, and cotton and kapas will be exempted from all the stipulations of selective credit controls. Banks are free to fix prudential margins on advances against sensitive commodities.

2. Minimum margin on unreleased stocks of sugar is being lowered by 5 percentage points from the existing 20 per cent to 15 per cent effective October 21, 1996. With this relaxation, the valuation of

बफ़र स्टॉक के मामले में ज़ीरो प्रतिशत का वर्तमान आदेश जारी रहेगा।

3. इस संबंध में 19 अक्तूबर 1996 का एक संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 137/13.08.01/96 संलग्न है।

भवदीय,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

stocks of sugar will revert to the method that existed prior to July 1, 1996. In the case of buffer stock of sugar, the existing prescription of a zero per cent would continue.

3. An amending directive DBOD No. Dir. BC.137/13.08.01/96 dated October 19, 1996 in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. **137/13.08.01/96-97**

19 अक्तूबर 1996
27 आश्विन 1918 (शक)

चयनात्मक ऋण नियंत्रण -
संवेदनशील पण्यों की जमानत
पर दिये गये अग्रिमों में छूट

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 31 मार्च 1987 के अपने निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 38/सी.218/87 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्द्वारा निदेश देता है कि 21 अक्तूबर 1996 से उपर्युक्त निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे :

DBOD.No.Dir.BC.137/13.08.01/96-97

October 19, 1996
Ashwina 27, 1918 (Saka)

SELECTIVE CREDIT CONTROLS-EXEMPTIONS IN RESPECT OF ADVANCES AGAINST SENSITIVE COMMODITIES

In exercise of the powers conferred by Section 21 and 35A of Banking Regulation Act, 1949, and in partial modification of its directive DBOD No. Dir. BC.38/C.218-87 dated March 31, 1987 as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the following changes shall be made in the above directive with effect from October 21, 1996.

चीनी के बफ़र/अमुक्त स्टॉक से इतर पण्यों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण की शर्तों से छूट

दालों, "अन्य खाद्यान्नों" (अर्थात् मोटे अनाज़ों), तेलहन (अर्थात् मूंगफली, तोरईबीज/सरसों, बिनौला, अलसी, एरंड बीज), उनके तेल और वनस्पति, सभी आयातित तेलहन और तेल, चीनी के जारी किये गये स्टॉक, गुड़ और खांडसारी तथा रूई और कपास के लिए दिये जानेवाले बैंक अग्रिमों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण की सभी शर्तों से छूट दी जाये। बैंक संवेदनशील पण्यों की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मार्जिन निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

चीनी (बफ़र/अमुक्त स्टॉक)

चीनी के अमुक्त स्टॉक पर न्यूनतम मार्जिन 21 अक्तूबर 1996 से 5 प्रतिशत अंक कम करके वर्तमान 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया जाये। चीनी के बफ़र स्टॉक के मामले में ज़ीरो प्रतिशत का वर्तमान आदेश जारी रहेगा।

(जे. आर. प्रभू)
कार्यपालक निदेशक

COMMODITIES OTHER THAN BUFFER/UNRELEASED STOCKS OF SUGAR FROM STIPULATIONS OF SELECTIVE CREDIT CONTROL

Bank advances against pulses, 'other foodgrains' (viz. coarse grains), oilseeds (viz. groundnut, rapeseed/mustard, cottonseed, linseed, castorseed), oils thereof including vanaspati, all imported oilseeds and oils, released stocks of sugar, gur and khandsari and cotton and kapas shall be exempted from all the stipulations of selective credit controls. Banks shall be free to fix prudential margins on advances against sensitive commodities.

SUGAR (BUFFER / UNRELEASED STOCKS)

The minimum margin on unreleased stocks of sugar shall be lowered by 5 percentage points from existing 20 per cent to 15 per cent effective October 21, 1996. In the case of buffer stock of sugar, the existing prescription of a zero per cent shall continue.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बफ़र स्टॉक के मामले में ज़ीरो प्रतिशत का वर्तमान आदेश जारी रहेगा।

3. इस संबंध में 19 अक्तूबर 1996 का एक संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 137/13.08.01/96 संलग्न है।

भवदीय,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

stocks of sugar will revert to the method that existed prior to July 1, 1996. In the case of buffer stock of sugar, the existing prescription of a zero per cent would continue.

3. An amending directive DBOD No. Dir. BC.137/13.08.01/96 dated October 19, 1996 in this regard is enclosed.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 137/13.08.01/96-97

19 अक्तूबर 1996
27 आश्विन 1918 (शक)

चयनात्मक ऋण नियंत्रण -
संवेदनशील पण्यों की जमानत
पर दिये गये अग्रिमों में छूट

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 31 मार्च 1987 के अपने निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 38/सी.218/87 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक एवं समीचीन है, एतद्द्वारा निदेश देता है कि 21 अक्तूबर 1996 से उपर्युक्त निदेश में निम्नलिखित परिवर्तन किये जायेंगे :

DBOD.No.Dir.BC.137/13.08.01/96-97

October 19, 1996
Ashwina 27, 1918 (Saka)

SELECTIVE CREDIT CONTROLS-EXEMPTIONS IN RESPECT OF ADVANCES AGAINST SENSITIVE COMMODITIES

In exercise of the powers conferred by Section 21 and 35A of Banking Regulation Act, 1949, and in partial modification of its directive DBOD No. Dir. BC.38/C.218-87 dated March 31, 1987 as amended from time to time, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby directs that the following changes shall be made in the above directive with effect from October 21, 1996.

चीनी के बफ़र/अमुक्त स्टॉक से इतर पण्यों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण की शर्तों से छूट

दालों, "अन्य खाद्यान्नों" (अर्थात् मोटे अनाज़ों), तेलहन (अर्थात् मूंगफली, तोरईबीज/सरसों, बिनौला, अलसी, एरंड बीज), उनके तेल और वनस्पति, सभी आयातित तेलहन और तेल, चीनी के जारी किये गये स्टॉक, गुड़ और खांडसारी तथा रूई और कपास के लिए दिये जानेवाले बैंक अग्रिमों को चयनात्मक ऋण नियंत्रण की सभी शर्तों से छूट दी जाये। बैंक संवेदनशील पण्यों की जमानत पर दिये जानेवाले अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मार्जिन निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

चीनी (बफ़र/अमुक्त स्टॉक)

चीनी के अमुक्त स्टॉक पर न्यूनतम मार्जिन 21 अक्तूबर 1996 से 5 प्रतिशत अंक कम करके वर्तमान 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत कर दिया जाये। चीनी के बफ़र स्टॉक के मामले में ज़ीरो प्रतिशत का वर्तमान आदेश जारी रहेगा।

(जे. आर. प्रभू)
कार्यपालक निदेशक

COMMODITIES OTHER THAN BUFFER/UNRELEASED STOCKS OF SUGAR FROM STIPULATIONS OF SELECTIVE CREDIT CONTROL

Bank advances against pulses, 'other foodgrains' (viz. coarse grains), oilseeds (viz. groundnut, rapeseed/mustard, cottonseed, linseed, castorseed), oils thereof including vanaspati, all imported oilseeds and oils, released stocks of sugar, gur and khandsari and cotton and kapas shall be exempted from all the stipulations of selective credit controls. Banks shall be free to fix prudential margins on advances against sensitive commodities.

SUGAR (BUFFER / UNRELEASED STOCKS)

The minimum margin on unreleased stocks of sugar shall be lowered by 5 percentage points from existing 20 per cent to 15 per cent effective October 21, 1996. In the case of buffer stock of sugar, the existing prescription of a zero per cent shall continue.

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि.सं.बीसी.140/12.01.001/96-97

19 अक्तूबर 1996
27 आश्विन 1918 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 1 जुलाई 1996 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 87/12.01.001/96-97 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखा जानेवाला औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात नीचे उल्लिखित प्रभावी तारीखों से उनके सामने बताये गये प्रतिशत अंक होगा।

प्रभावी तारीख (अर्थात पखवाड़ा प्रारंभ होने की तारीख)	शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर प्रा.न.नि. अनुपात (प्रतिशत)
26 अक्तूबर 1996	11.5
9 नवम्बर 1996	11.0
4 जनवरी 1997	10.5
18 जनवरी 1997	10.0

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

DBOD.No.BC.140/12.01.001/96-97

October 19,1996
Ashwina 27, 1918 (S)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification No. DBOD BC. 87/12.01.001/96-97 dated July 1, 1996, the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by the Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall from the effective dates mentioned below, be at the percentage points as indicated thereagainst.

Effective date (i.e. (fortnight beginning from)	CRR on Net Demand and time liabilities (per cent)
October 26, 1996	11.5
November 9, 1996	11.0
January 4, 1997	10.5
January 18, 1997	10.0

(J. R. Prabhu)
Executive Director

बैंपविवि.सं.बीसी.164/12.01.001/96-97

26 दिसम्बर 1996
5 पौष 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी -

कृपया उपर्युक्त विषय पर उप गवर्नर का 26 दिसम्बर 1996 का परिपत्र सं. सीपीसी. बीसी. 159/07.01.279/96-97 एवं 19 अक्तूबर 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 141/12.01.001/96-97 देखें।

2 मौद्रिक एवं मूल्य स्थिति की समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में परिकल्पित कमी को, क्रमशः 4 जनवरी 1997 और 18 जनवरी 1997 से शुरू पखवाड़ों से 0.5 प्रतिशत अंक प्रत्येक के दो चरणों में कम करके 11.0 प्रतिशत से 10.0 प्रतिशत कर दिया जाय। तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा रखे जानेवाले प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को निम्नानुसार क्रमशः 4 जनवरी 1997 और 18 जनवरी 1997 से शुरू होनेवाले पखवाड़ों से 0.5 प्रतिशत अंक प्रत्येक के दो चरणों में उनकी शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के वर्तमान 11.0 प्रतिशत से एक प्रतिशत कम करके 10.0 प्रतिशत किया जा रहा है।

DBOD.No.BC.164/12.01.001/96-97

December 26,1996
Pausha 5, 1918 (S)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42 (1) OF RBI ACT, 1934 - REDUCTION IN CASH RESERVE RATIO (CRR)

Please refer to Deputy Governor's circular No. CPC. BC.159/07.01.279/96-97 dated December 26, 1996 and also our circular DBOD No, BC. 141/12.01.001/96-97 dated October 19, 1996 on the captioned subject.

2. On a review of the monetary and price situation, it has been decided to give effect to the envisaged reduction in the Cash Reserve Ratio (CRR) by one percentage point from 11.0 per cent to 10.0 per cent in two phases of 0.5 percentage point each effective from the fortnights beginning January 4 and January 18, 1997 respectively. Accordingly, the CRR to be maintained by Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) is being reduced by 1 percentage point from the existing 11.0 per cent of their net demand and time liabilities to 10.0 per cent in two phases of 0.5 percentage point each effective from the fortnights beginning from January 4, 1997 and January 18, 1997 respectively as set out below :

शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर प्रा.न.नि.अ. (प्रतिशत)	प्रभावी तिथि (से शुरू पखवाड़ा)
10.5	4 जनवरी 1997
10.0	18 जनवरी 1997

3. यह बात दोहरायी जाती है कि विभिन्न श्रेणियों की देयताओं से संबंधित विभिन्न निर्धारणों, कुछ देयताओं से संबंधित शून्य प्रारक्षित अपेक्षा के निर्धारण सहित, जैसा कि कानून विनिर्दिष्ट है, को दृष्टि में रखते हुए कुल शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रखा जानेवाला प्रभावी प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात क्रमशः 3 प्रतिशत और 25 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

भवदीय,

(डी. वी. झवेरी)
महा प्रबंधक

CRR on Net Demand and Time Liabilities (per cent)	Effective date (fortnight beginning from)
10.5	January 4, 1997
10.0	January 18, 1997

3. It may be reiterated that in view of the multiple prescriptions on different categories of liabilities, including prescription of a zero reserve requirement on some liabilities, as stipulated under the law, effective CRR and SLR maintained by Scheduled Commercial Banks on total net demand and time liabilities should not be less than 3 per cent and 25 per cent respectively.

Yours faithfully,

(D. V. Jhaveri)
General Manager

भाग VII

ऋण सूचना

SECTION VII

CREDIT INFORMATION

बैंपविवि.सं.बीसी.सीआइएस. 225/20.16.002/95

3 फरवरी 1995
14 माघ 1916 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय महोदय,

चूककर्ता उधारकर्ताओं के बारे में सूचना प्रकट करना

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक 23 अप्रैल 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीसी/सीआइएस/47/20:16:002 देखें।

2. जैसा कि आप जानते हैं, वित्तीय संस्थाएं/बैंक/सरकार अपने अधिकारियों/अन्य व्यक्तियों को कुछ कंपनियों के निदेशक मंडल में अपने नामिती निदेशकों के रूप में नामित करती है। चूंकि इन नामिती निदेशकों को उनकी व्यावसायिक क्षमता के तहत नियुक्त किया जाता है, अतः चूककर्ता सूचियों के प्रयोजनार्थ उन्हें चयनित निदेशकों के बराबर नहीं माना जा सकता। इसलिए, हम सूचित करते हैं कि बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा हमें प्रस्तुत ऐसी सूचियों में ऐसे नामिती निदेशकों के नाम अलग से अवश्य दर्शाये जाने चाहिए ताकि हम बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को भेजी जानेवाली सूचियों में से उनके नाम हटा सकें।

3. हमें यह भी पता चला है कि बैंक उन ग्राहकों को ऋण-सुविधाएं प्रदान करने से इनकार करते हैं जिनके निदेशक मंडल में चूक करनेवाली कंपनियों के ऐसे नामिती निदेशक भी निदेशक होते हैं। यद्यपि बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा बरती जा रही इस सावधानी की हम प्रशंसा करते हैं, परंतु हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि उन्हें ऐसे ग्राहकों को मात्र इस आधार पर ऋण-सुविधाएं

DBOD.No.BC.CIS.225/20.16.002/95

February 3, 1995
Magha 14, 1916 (Saka)

Chairmen/Chief Executive Officers
All Scheduled Commercial Banks and Financial Institutions

Dear Sir,

DISCLOSURE OF INFORMATION ON DEFAULTING BORROWERS

Please refer to our Circular letter DBOD.No.BC/CIS/47/20:16:002 dated 23rd April 1994 on the captioned subject.

2. As you are aware, financial institutions/banks/Government do nominate their officials/other individuals on the Boards of Directors of some companies as their nominee directors. As these nominee directors are appointed in their professional capacity, they cannot be equated with the elected directors for the purpose of the defaulters' lists. We, therefore, advise that such lists furnished to us by the banks and financial institutions should invariably indicate the names of such nominee directors separately so as to enable us to eliminate their names from the lists supplied to banks/financial institutions.

3. It has also been brought to our notice that banks are denying credit facilities to those constituents on whose Board of Directors such nominee directors of the defaulting companies also happen to be the directors. While we appreciate the cautious approach being taken by the banks and

प्रदान करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि उनका निदेशक चूक करनेवाली किसी कंपनी का नामिती निदेशक है।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
अपर मुख्य अधिकारी

financial institutions, we would like to clarify that they should not deny credit facilities to such constituents merely on the ground that their director happens to be the nominee director of a defaulting company.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Additional Chief Officer

बैंपविवि.सं.बीसी.सीआइएस.2/20.16.002/95-96

6 जुलाई 1995
15 आषाढ़ 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों एवं
वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय महोदय,

बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के चूक करनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित सूचनाएं देना

जैसा कि आप जानते हैं, कुल 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की बकाया राशि (निधिकृत और गैर-निधिकृत दोनों) वाले चूककर्ता उधारकर्ताओं तथा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा संदिग्ध एवं हानि के रूप में वर्गीकृत तथा ऐसे खातों, जिन पर मुकदमे दाखिल हुए हैं, से संबंधित सूचना परिचालित करते समय हमने सूचित किया था कि बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं चूक करनेवाली उधारकर्ता इकाइयों द्वारा तथा सूची में नामित स्वामियों/भागीदारों/ निदेशकों आदि, चाहे उनके स्वयं के नाम पर अथवा ऐसी अन्य इकाइयों के नाम परं जिनसे वे संबद्ध हैं, द्वारा

DBOD.No.BC.CIS.2/20.16.002/95-96

July 6, 1995
Aashadha 15, 1917 (S)

The Chairmen/Chief Executive Officers
All Scheduled Commercial Banks and Financial Institutions

Dear Sir

DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING DEFAULTING BORROWERS OF BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

As you are aware while circulating the information relating to the defaulting borrowers with outstanding aggregating Rs. 1 crore and above (both funded and non-funded) and classified by banks/financial institutions as doubtful and loss as also suit-filed accounts, we had advised that the banks and financial institutions may make use of the information at the time of considering on merits the requests for new or additional

नयी अथवा अतिरिक्त ऋण सीमाओं के लिए किये गये अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार करते समय ऐसी सूचना का उपयोग कर सकती हैं। कृपया हमें सूचित करें कि हमारे द्वारा प्रेषित सूचना का आप किस तरह उपयोग करते हैं।

2. इस संबंध में हमारा यह भी सुझाव है कि ऋण सीमाओं की स्वीकृति/नवीकरण/वृद्धि के लिए उच्च अधिकारियों को मूल्यांकन टिप्पणी प्रस्तुत करते समय उसमें इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि हमारे द्वारा परिचालित सूची में संबंधित उधारकर्ता/निदेशकों के नाम आये हैं।

भवदीय,

(जे.जी. गुप्ता)
उप महा प्रबंधक

credit limits by the defaulting borrowing units and also proprietor/partners/directors etc. named in the list, either in their own name or in the name of other units with which they are associated. We shall be glad if you will please advise us the manner in which the information furnished by us is being used by you.

2. In this connection we also suggest that while submitting appraisal note to higher authorities for sanction/renewal/enhancement of credit limits a mention may be made therein regarding the fact that the names of the concerned borrower/directors appear in the list circulated by us.

Your faithfully,

(J. G. Gupta)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं.सीआइएस. 7/20.16.002/95

10 जुलाई 1995
19 आषाढ़ 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों एवं
वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय महोदय,

बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के चूक करनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित सूचनाएं देना

कृपया दिनांक 23 अप्रैल 1994 का हमारा पत्र बैंपविवि.सं.बीसी.सीआइएस.47/20.16.002/94 देखें जिसमें संदिग्ध एवं हानि के रूप में वर्गीकृत उधार खातों तथा कुल एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की बकाया राशि (निधिकृत और गैर-निधिकृत दोनों) वाले ऐसे खातों, जिन पर मुकदमा दाखिल हुए, से संबंधित ब्यौरे 31 मार्च और 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार छमाही आधार पर हर साल क्रमशः 15 अप्रैल एवं अक्तूबर तक देने को कहा गया है।

कृपया 31 मार्च और 30 सितम्बर 1994 की जो सूचना फ्लॉपी में भेजी गयी है उससे संबंधित आंकड़े संलग्न अनुबंध में तत्काल प्रेषित कीजिए।

DBOD.CIS.7/20.16.002/95

July 10, 1995
Aashadha 19, 1917 (S)

**Chairmen/Chief Executive Officers
All Scheduled Commercial Banks and Financial Institutions**

Dear Sir,

DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING DEFAULTING BORROWERS OF BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

Please refer to our circular DBOD.No.BC.CIS.47/20.16.002/94 dated 23.4.94 advising you to submit to us details of the borrowal accounts which have been classified as 'Doubtful and Loss' as also suit filed accounts with outstandings aggregating Rs. 1 crore and above (both funded and non-funded) on a half-yearly basis as on 31st March and 30th September by 15th April and October respectively every year.

We shall be glad if you will kindly arrange to furnish this information (summary) to us as on 31.3.94 and 30.9.94 for which floppies have been sent by bank, as per the Annexure, urgently.

2. वैसी ही सूचना, अर्थात् खातों की कुल संख्या और प्रत्येक श्रेणी (अर्थात् संदिग्ध, हानि और मुकदमे दाखिल खातों) के अंतर्गत कुल बकाया राशि, बाद की छमाहियों के लिए छमाही आंकड़े (फ्लापी में) भेजते समय **अग्रेषण पत्र के साथ भेजें।**

भवदीय,

(जे.जी.गुप्ता)
उप महा प्रबंधक

2. Similar information, viz., Total number of accounts and total amount outstanding under each category, (i.e. Doubtful, Loss and suit filed accounts) may please **be furnished in the letter** forwarding the half yearly data (in floppy) for subsequent half years.

Yours faithfully,

(J. G. Gupta)
Deputy General Manager

अनुबंध

एक करोड़ रुपये व उससे अधिक (निधिकृत एवं गैर-निधिकृत)

(राशि करोड़ रुपये में)

	खातों की संख्या		राशि	
	31.3.94	30.9.94	31.3.94	30.9.94
1. संदिग्ध				
2. हानि				
कुल				

मुकदमे दाखिल

1. संदिग्ध में सम्मिलित				
2. हानि में सम्मिलित				
3. अन्य				
कुल				

ANNEXURE

OUTSTANDING Rs. 1 crore and above (Funded and Non-Funded)

(Amount in Crores of Rs.)

Category	No. of Accounts as on		Total amount as on	
	31.3.94	30.9.94	31.3.94	30.9.94
i) Doubtful				
ii) Loss				
Total				
Suit Filed				
i) Included under Doubtful				
ii) Included under Loss				
iii) Others				
Total :				

बैंपविवि.सं.सीआइएस.32/20.16.002/95-96

26 जुलाई 1995
4 श्रावण 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों एवं
वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य
कार्यपालक अधिकारी

प्रिय महोदय,

बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के चूक करनेवाले उधारकर्ताओं से संबंधित सूचनाएं देना

हम सूचित करते हैं कि दिनांक 9 जुलाई 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीसी/सीआइएस/40/20.16.002/94 तथा बैंपविवि.सं.बीसी/सीआइएस/225/20.16.002/95 के साथ पठित दिनांक 23 अप्रैल 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीसी/सीआइएस/47/20.16.002/94 के अनुसार बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से यह अपेक्षित था कि वे (i) संदिग्ध एवं (ii) हानि तथा मुकदमे दाखिल किये गये ऐसे खातों के बारे में, जिनके संबंध में **कुल 1 करोड़ रुपये अथवा उससे अधिक की राशि बकाया हो** (निधिकृत तथा गैर-निधिकृत दोनों), **केवल फ्लापी डिस्केट्स में ही** सूचना भेजें। परन्तु, हमें भेजी गयी सूचना से हम पाते हैं कि :-

i) कुछ बैंकों ने पत्र/विवरण के माध्यम से सूचना भेजी है न कि फ्लापियों में, जैसा कि उनसे कहा गया था। यह ठीक नहीं है।

ii) कुछ बैंकों ने वर्डस्टार फाइल फार्मेट में फ्लापियां प्रस्तुत की हैं न कि दिनांक 23 अप्रैल 1994 के हमारे परिपत्र के अनुबंध में दिये गये निर्देशों के अनुसार।

DBOD.No.CIS.32/20.16.002/95-96

July 26, 1995
Shravana 4, 1917 (Saka)

**The Chairmen/Chief Executive Officers
All Scheduled Commercial Banks and Financial Institutions**

Dear Sir,

DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING DEFAULTING BORROWERS OF BANKS AND FINANCIAL INSTITUTIONS

We have to advise that in terms of our circular letter DBOD.No.BC.CIS.47/20.16.002/94 dated 23rd April 1994 read with instructions contained in our circulars DBOD.No.BC.CIS.40/20.16.002/94 dated 9th July 1994 and DBOD.No.BC.CIS.225/20.16.002/95 dated 3rd February 1995, banks and financial institutions were required to submit the information about borrowal accounts which have been classified as (i) Doubtful and (ii) Loss as also Suitfiled Accounts with **outstandings aggregating Rs. 1 crore and above** (both funded and non-funded) on **floppy diskettes only.** However, from the information submitted to us, we observe as under :

i) Some of the banks have furnished the information by means of a letter/statement and not on floppies as required. This is not in order.

ii) Some banks have submitted floppies in Wordstar file format and not as per instructions given in the Annexure to our circular dated 23rd April 1994.

iii) कुछ बैंकों ने कुल 1 करोड़ रुपये से कम की बकाया राशियों वाले उधारकर्ताओं के बारे में भी विवरण प्रस्तुत किये हैं जो कि दिनांक 23 अप्रैल 1994 के हमारे पत्र के पैरा 2(i) में दिये गये अनुदेशों के विरुद्ध है।

2. आपसे अनुरोध है कि आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि हमारे उपर्युक्त परिपत्रों में दिये गये अनुदेशों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा बताये गये फार्मेट में फ्लापी डिस्केट्स में सूचना तत्परता से प्रस्तुत की जाय।

भवदीय,

(जे.जी. गुप्ता)
उप महा प्रबंधक

iii) Some banks have furnished details of borrowers with aggregate outstandings of less than Rs. 1 crores also, which is contrary to the instructions issued by us vide paragraph 2(i) of our letter dt. 23rd April 1994.

2. You are, requested to ensure that information is submitted to us promptly on floppy diskettes in the format given by us keeping in view the instructions given in our aforesaid circulars.

Yours faithfully,

(J. G. Gupta)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं.सीआइएस.बीसी.92/20.10.001/95-96

31 अगस्त 1995
9 भाद्रपद 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45अ(क) के प्रयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाएं

प्रिय महोदय,

ऋण सूचना एकत्र करना और प्रस्तुत करना - भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45इ(1)

आपको विदित ही है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45इ (1) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ऋण सूचना योजना के अंतर्गत बैंकों और अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं से अलग-अलग ऋणकर्ताओं से संबंधित जानकारी एकत्र करता रहा है। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे कुल 10 लाख रुपये और उससे अधिक की जमानती ऋण सीमाएं और कुल 5 लाख रुपये और उससे अधिक की गैर-जमानती ऋण सीमाएं प्राप्त करने वाले ऋण खातों के ब्योरे छमाही आधार पर (अप्रैल और अक्तूबर के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार) भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेंगे। हमने हाल ही में इस योजना की समीक्षा की है। यह पाया गया है कि हम जो जानकारी संकलित करते हैं, उसकी मांग बहुत कम बैंक करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की बकाया वाले चूककर्ताओं से संबंधित जानकारी एकत्र करने की एक नयी योजना अप्रैल 1994 से लागू की है, जो बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के बीच परिचालित करने के लिए होती है। इन कारणों से यह निर्णय किया गया है कि अब बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को अक्तूबर 1995 में समाप्त होने

DBOD.No.CIS.BC.92/20.10.001/95-96

August 31, 1995
Bhadra 9, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

All Financial Institutions notified by the Government of India for the purpose of Section 45(A)(a) of Reserve Bank of India Act, 1934

Dear Sir,

COLLECTIONAND FURNISHING OF CREDIT INFORMATION-SECTION 45C(1) OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934

As you are aware, the Reserve Bank of India has been collecting information under Credit Information Scheme (CIS) in terms of Section 45C(1) of the Reserve Bank of India Act, 1934 relating to individual borrowers from banks and notified financial institutions. As per the extant instructions, the banks and financial institutions have to furnish to Reserve Bank of India on a half-yearly basis (as on the last Friday of April and October) details of borrowal accounts having secured credit limits aggregating Rs. 10 lakhs and above and unsecured credit limits aggregating Rs. 5 lakhs and above. We have recently reviewed this scheme. It is observed that very few banks have been making requisitions for the information compiled by us. Besides, we have introduced since April 1994 a new scheme of collecting information relating to defaulters with outstandings aggregating Rs. 1 crore and

वाली छमाही से ऋण सूचना योजना के अंतर्गत छमाही विवरणी हमें प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

(जे.आर.प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

above, for circulation among banks and financial institutions. In view of these reasons, it has been decided that banks and the financial institutions need not submit to us the half-yearly return under Credit Information Scheme beginning with the half-year ending October 1995.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.सीआइएस.(डी).135/20.16.002/95-96

24 नवम्बर 1995
3 अग्रहायण 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय महोदय,

चूक करनेवाले उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना प्रकट करना

कृपया आप हमारा 23 अप्रैल 1994 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी/सीआइएस/47/20.16.002/94 देखें, जिसके अनुसार "संदिग्ध" अथवा "हानि" के अंतर्गत वर्गीकृत उधारकर्ताओं के बारे में तथा जिनके बारे में मुकदमे दायर किये गये हैं, उनके बारे में भी सूचना प्रत्येक वर्ष 31 मार्च और 30 सितम्बर की स्थिति दर्शाते हुए छमाही आधार पर फ्लॉपी डिस्क पर प्रस्तुत करने के लिए आपसे कहा गया है। हम उपर्युक्त जानकारी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उनके गोपनीय प्रयोग के लिए

DBOD.No.BC.CIS.(D).135/20.16.002/95-96

November 24, 1995

The Chairmen/Chief Executive Officers All Scheduled Commercial Banks and Financial Institutions

Dear Sir,

DISCLOSURE OF INFORMATION REGARDING DEFAULTING BORROWERS

Please refer to our circular letter DBOD.No.BC.CIS.47/20.16.002/94 dated 23 April 1994 in terms of which you have been submitting to us information about borrowers classified under 'doubtful' or 'loss' and also against whom suits have been filed, on floppy diskettes on a half-yearly basis as on 31 March and 30th September each year. We have been circulating the

परिचालित करते रहे हैं।

2. हम बैंकों द्वारा फ्लापी में प्रस्तुत सूचना के आधार पर मुकदमा दायर किये गये खातों की सूची भी अलग से प्रकाशित करते रहे हैं। परन्तु उपर्युक्त फ्लापी डिस्क से मुकदमे दायर किये खातों को अलग करना हमारे लिए कठिन होता है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप 31 मार्च 1995 तथा उसके बाद की छमाहियों के लिए अनुबंध I में दिये गये प्रोफार्मा के अनुसार एक विवरण उन खातों के बारे में दें जिनके बारे में मुकदमा दायर किया गया है।

3. हम जिन चूक करनेवाले उधारकर्ताओं की सूचना परिचालित करते हैं उनके उपयोग के बारे में भी बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा हमसे प्रश्न पूछे गये हैं, इसलिए हमारा अनुरोध है कि जिन उधारकर्ताओं/निदेशकों/ भागीदारों की रिपोर्ट हमें पहले फ्लापी डिस्क में चूककर्ताओं के रूप में दी गयी है, किन्तु बाद में जिन्हें नयी सीमाएं स्वीकृत की गयी/बढ़ायी गयी हैं/सीमाओं का नवीकरण किया गया है, उनके बारे में ब्यौरे तिमाही आधार पर हमें अनुबंध II में दिये गये प्रोफार्मा के अनुसार एक अलग विवरण में भेजें।

4. यह देखा गया है कि फ्लापी डिस्क पर जानकारी हमें बहुत विलम्ब से प्रस्तुत की जाती है, जिससे उस जानकारी को परिचालित करने में विलम्ब होता है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप प्रत्येक छमाही (अर्थात् 31 मार्च और 30 सितम्बर) की समाप्ति के बाद उक्त जानकारी तत्परता से भेजना सुनिश्चित करने के लिए निजी तौर पर ध्यान दें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश अग्रवाल)
महा प्रबंधक

above information to banks and financial institutions for their confidential use.

2. We are also publishing separately a list of suit-filed accounts on the basis of the information furnished by the banks in floppies. However, it becomes difficult for us to segregate the suit-filed accounts from the above floppy diskettes. Therefore, we would request you to please furnish the information about suit-filed accounts in a statement as per proforma given in Annexure I for the half-year ended 31st March 1995 and onward, on a half-yearly basis.

3. Questions have also been asked about the use made by the banks/financial institutions of the information on defaulter borrowers circulated by us. We shall, therefore, be glad if the particulars of borrowers/directors/partners reported to us in the earlier floppy diskettes as defaulters, but who have been allowed fresh limits/ enhancement/renewal subsequently, are furnished to us separately in a statement on a quarterly basis, as per proforma given in Annexure II.

4. It is observed that the informaton on floppy diskettes on defaulter borrowers is submitted to us very late which delays the circulation thereof. We, therefore, request you to please bestow your personal attention to ensure prompt submission of the information after the end of the half-year (i.e., 31 March and 30 September).

Yours faithfully,

(O. P. Agarwal)
General Manager

अनुबंध I

बैंक का नाम :

31 मार्च 19 /30 सितंबर 19 को समाप्त छमाही के संबंध में एक करोड़ रुपये और उससे अधिक की कुल बकाया राशि वाले उन खातों की सूची, जिनके बारे में मुकदमा दायर किया गया है (डिक्री प्राप्त खातों सहित)

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम और पता	निदेशकों/भागीदारों/ स्वामियों के नाम	बकाया शेष राशि	आस्ति वर्गीकरण	वर्गीकरण की तारीख	शाखा का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुबंध II

बैंक का नाम :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित चूककर्ता सूचियों में शामिल ऐसे उधारकर्ताओं/निदेशकों/भागीदारों के ब्यौरे, जिन्हें नयी सीमाओं की अनुमति दी गयी/सीमाएं बढ़ायी गयीं/उनका नवीकरण किया गया ।
.....को समाप्त तिमाही

क्र. सं.	उधारकर्ताओं के नाम	निदेशकों/भागीदारों आदि के नाम	पहले दिये गये ब्यौरे			नयी/अतिरिक्त ऋण सुविधा/नवीकरण, जिसकी अनुमति दी गयी		
			छमाही	वर्गीकरण	राशि	तारीख	सुविधा का स्वरूप	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

ANNEXURE I

Name of the Bank :

List of suit-filed (including decreed) accounts with aggregate outstanding of Rs. 1 crore and above for the half-year ended 31st March 19 /30th September 19

(Rs. in crores)

Sr. No.	Borrower's Name and address	Names of Directors/ partners/proprietors	Balance outstanding	Assets classi-fication	Date of classi-fication	Name of Branch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

ANNEXURE II

Name of the Bank :

Particualrs of borrowers/directors/partners appearing in the defaulters lists circulated by RBI who have been allowed fresh limits/enhancement/renewal subsequently for the quarter ended.....

Sr.	Name of the borrowers	Name of directors/ partners, etc.	Particulars reported earlier			Fresh/additional credit facility/renewals allowed		
			Half-year	Classi-fication	Amount	Date	Nature of facility	Amount
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

बैंपविवि.सं. बीसी.डीएल.71A/20.16.022/96

11 जून 1996
21 ज्येष्ठ 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और
वित्तीय संस्थाओं के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय महोदय,

चूक करनेवाले ऋणकर्ताओं के संबंध में सूचना प्रकट करना

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारा 23 अप्रैल 1994 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. सीआइएस. 47/20.16.002 देखें।

2. कंपनी ऋणकर्ताओं/उद्योग संगठनों से हमें इस आशय के अभिवेदन प्राप्त होते रहे हैं कि कंपनियों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से नया वित्त प्राप्त करने अथवा मौजूदा सीमाओं के नवीकरण/वृद्धि करवाने में उस समय कठिनाइयां अनुभव होती हैं जब उनके निदेशक मंडल में ऐसे पेशेवर निदेशक होते हैं जो चूककर्ता कंपनियों के निदेशक मंडलों में भी निदेशक होते हैं, हालांकि हो सकता है कि पेशेवर निदेशक चूककर्ता कंपनियों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों से सम्बद्ध न हों अथवा ऐसी कंपनियों में उनका कोई महत्त्वपूर्ण हित न हो। हमने इस स्थिति की समीक्षा की है और यह मानते हैं कि सामान्य (कॉमन) पेशेवर निदेशकों के कारण कतिपय मामलों में बैंक वित्त प्राप्त करने में वास्तव में कठिनाइयां हो सकती हैं। इसलिए हम यह सूचित करते हैं कि बैंक/वित्तीय संस्थाएं ऋण संबंधी निर्णय लेते समय ऋण लेनेवाली कंपनियों से उचित पूछताछ करके यह सुनिश्चित करें कि उन्हें ऋण सुविधाओं से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा रहा है कि उनका कोई निदेशक, पेशेवर होने के कारण, कतिपय चूककर्ता कंपनियों के निदेशक मंडल में

DBOD.No.BC.DL.71A/20.16.022/96

June 11, 1996
Jyestha 21, 1918 (Saka)

**The Chairmen/Chief Executive Officers
All Scheduled Commercial Banks and Financial Institutions**

Dear Sir,

DISCLOSURE OF INFORMATION ON DEFAULTING BORROWERS

Please refer to our circular DBOD. No.BC.CIS.47/20.16.002 dated April 23, 1994 on the captioned subject.

2. We have been receiving representations from corporate borrowers/industry organisations about the difficulties experienced in getting fresh finance or renewal/ enhancement of the existing limits by companies from banks/financial institutions when there are professional directors on their Boards who are also directors on the Boards of defaulting companies, although the professional directors may not be connected with the day-to-day affairs of the defaulting companies or have any substantial interest in such companies. We have examined the position and appreciate that there could be genuine difficulties in certain cases in obtaining bank finance because of the common professional directors. We, therefore, advise that the banks/financial institutions while taking credit decisions

भी है परन्तु वह चूककर्ता कंपनियों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के कार्यों से किसी तरह सम्बद्ध नहीं है।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

should make appropriate enquiries from the borrowing companies to ensure that the credit facilities are not denied to them only for the reasons that any of their directors, being professionals, happen to be on the Boards of certain defaulting companies also but who are not in any way connected with the day-to-day management of the affairs of the defaulting companies.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.डीएल.156/20.16.002/96

6 दिसम्बर 1996
15 अग्रहायण 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों एवं
वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

चूककर्ताओं के बारे में सूचना देना

कृपया दिनांक 3 फरवरी 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी/सीआइएस/225/20.16.002/95 देखें जिसके द्वारा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया था कि वे चूक करनेवाली कंपनियों के निदेशक मंडल के नामित निदेशकों के नाम अलग से सूचित करें। हम सूचित करते हैं कि पेशेवर निदेशकों, केन्द्रीय/राज्य सरकारों/बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, आदि के नामित निदेशकों

DBOD.No.BC.DL.156/20.16.002/96

December 6, 1996
Agrahayana 15, 1918 (Saka)

The Chairmen / Chief Executives
All Scheduled Commercial Banks & Financial Institutions

Dear Sir,

DISCLOSURE OF INFORMATION ON DEFAULTERS

Please refer to our circular letter DBOD.No.BC.CIS.225/20.16.002/95 dated February 3, 1995 advising the banks and financial institutions to report the names of the nominee directors on the Boards of Directors of defaulting companies separately. We advise that the status of the

- जैसे निदेशकों का स्तर सूची में कोष्ठकों में दर्शाया जाय।

2. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को चूककर्ताओं की सूची की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें उल्लिखित अध्यक्षों/प्रबंध निदेशकों/कार्यपालक निदेशकों/निदेशकों के नाम वर्तमान समय के ही हैं, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक को सूची प्रस्तुत करने की तारीख को वे उस पद पर थे।

भवदीय,

(ओ.पी.अग्रवाल)
महा प्रबंधक

directors, such as, professional directors, nominee directors of Central/State Governments/Banks/Financial Institutions, etc. may be indicated in brackets in the list.

2. The banks/financial institutions should check the list of defaulters to ensure that the names of the Chairmen/Managing Directors/Executive Directors/Directors indicated therein are current ones, i.e. they were holding such position as on the date of submission of the list to Reserve Bank of India.

Yours faithfully,

(O. P. Agarwal)
General Manager

भाग VIII

नियुक्तियाँ/पारिश्रमिक

SECTION VIII

APPOINTMENTS/REMUNERATION

बैंपविवि.सं.पीएसबीएस.बीसी. 75/16.13.100/96

14 जून 1996
24 ज्येष्ठ 1918 (शक)

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक,
निजी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

निजी क्षेत्र के बैंक – निदेशकों और अंशकालिक अध्यक्षों की भूमिका

कृपया आप 9 मार्च 1992 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी 94/16.13.100/92 देखें, जिसमें निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों की कार्य-पद्धति के संबंध में कतिपय मूलभूत सिद्धांत स्पष्ट किये गये हैं। बैंक के निदेशकों को क्या करें और क्या न करें की सूची भी उसके साथ भेजी गयी थी (तुरत संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न है)। इस बात पर बल दिया गया था कि निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों के निदेशकों को बैंक की कार्य-पद्धति के संबंध में अपने को संलग्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की प्रथा उनकी भूमिका और उत्तरदायित्वों से मेल नहीं खाती है। विशेष रूप से, निदेशकों को बैंक के दिन-प्रतिदिन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर भी कुछ निदेशकों के हस्तक्षेप की अथवा निदेशकों के विरोधी दल बनाने की क्षोभकारी गतिविधियां होती रही हैं, जिनके परिणामस्वरूप निदेशक मंडल के सदस्यों के बीच समरसता (सामंजस्य) और समन्वय का अभाव रहा।

2. आपको विदित ही है कि कुछ बैंकों में प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त अंशकालिक अध्यक्ष भी हैं। हाल ही में, प्रबंध-तंत्र में अंशकालिक अध्यक्ष द्वारा बैंक के

DBOD.No.PSBS.BC.75/16.13.100/96

14 June, 1996

Chairmen/Managing Directors of All Private Sector Banks

Dear Sir,

PRIVATE SECTOR BANKS - ROLE OF DIRECTORS AND PART-TIME CHAIRMEN

Please refer to our circular letter DBOD.No. BC.94/16.13.100/92 dated 9 March, 1992 explaining certain basic principles in regard to the functioning of the Boards of Directors of private sector banks. A list of DO's and DONT's applicable to the Directors of the bank was also forwarded therewith (copy enclosed for ready reference). It was emphasised that the Directors on the Boards of private sector banks should not directly involve themselves in the bank's functioning as such practice was inconsistent with their role and responsibilities. In particular, the directors should not interfere in the day-to-day functioning of the bank. There have, however, been disturbing developments in the form of interference by some Directors or Directors forming conflicting groups resulting in lack of harmony and coordination among the members of the Board.

2. As you are aware, some banks are having part-time Chairman in addition to the Managing Director. Of late, instances of

दिन-प्रतिदिन के कार्यों, जैसे कि स्टाफ को कार्य के आबंटन, स्टाफ की भर्ती/पदोन्नति/स्थानांतरण, बैंक परिसर नियत करने/खरीदने में हस्तक्षेप के उदाहरणों की हमें जानकारी मिली है। किसी बैंकिंग कंपनी में अंशकालिक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति की अनुमति का उद्देश्य यह है कि मूल्यवान अनुभवसंपन्न प्रमुख व्यक्तियों का लाभ बैंक को मिले। अंशकालिक गैर कार्यपालक अध्यक्ष से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह बैंक के दिन-प्रतिदिन के ऐसे कार्य में अपने को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संलग्न करेगा, जो उसकी भूमिका से मेल नहीं खाता है। अंशकालिक अध्यक्ष वाली बैंकिंग कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक के पास ही रहता है।

interference by part-time Chairman in the management of day-to-day affairs of the bank, such as, allocation of work amongst staff, recuitment/promotion/transfer of staff, fixation/purchase of bank premises etc. have come to our notice. The objective in allowing the appointment of part-time non-executive Chairman in a banking company is to enable it to have the benefit of association of eminent persons of valued experience. A part-time non-executive Chairman is not expected to involve himself directly or overtly in the day-to-day functioning of the bank which is inconsistent with his role. The management of day-to-day affairs of the banking company, having a part-time Chairman, remains entrusted to the full-time Managing Director.

3. हम इस बात पर बल देना चाहते हैं कि अंशकालिक अध्यक्ष और साथ ही निदेशकों को उन कार्यकलापों से अलग रहना चाहिए, जो उनकी भूमिका से मेल नहीं खाते। अतः हम यह दोहराना चाहते हैं कि अंशकालिक अध्यक्ष या निदेशकों के ऐसे हस्तक्षेप को, जो बैंक के कार्यों के सहज और सुचारु रूप से संचालन के लिए अनुकूल नहीं हैं, हम गंभीरता से लेंगे।

3. We emphasise that the the part-time Chairmen as well as Directors should distance themselves from activities which are inconsistent with their role. We would, therefore, like to re-iterate that interference by part-time Chairmen or Directors, which is not conducive to smooth functioning of the bank will be viewed seriously by us.

4. इस पत्र की एक प्रति आपके बैंक के निदेशक मंडल की अगली बैठक में उनकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए रखी जाये।

4. A copy of this letter may please be placed before the next meeting of the Board of Directors of your bank for their information and necessary action.

5. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना मुख्य महा प्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केन्द्र, कोलाबा,

5. Please acknowledge receipt of this circular to the Chief General Manager, Department of Banking Operations and Development, Reserve Bank of India,

मुंबई-400 005 को भिजवायें।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
कार्यपालक निदेशक

Central Office, World Trade Centre, Colaba, Bombay - 400 005.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Executive Director

विवरण

क्या करें?

i) मंडल बैठक में नियमित और प्रभावी रूप से भाग लें।

ii) मंडल कागजातों का सांगोपांग अध्ययन करें और मंडल बैठक में सूचना प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यपालक के पद का इस्तेमाल करें।

iii) अध्यक्ष से निश्चित समय पर मंडल कागजात और अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहें।

iv) सामान्य नीति निर्माण के मामले में मंडल निदेशक के रूप में स्वयं पूर्णतः लगे रहें और यह भी सुनिश्चित करें कि मंडल स्तर पर बैंक के कार्य-निष्पादन की निगरानी की जाती है।

v) बैंक के निदेशक मंडल के उद्देश्य और सरकार तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति की जानकारी रखें।

STATEMENT

DO'S

i) Attend the Board meetings regularly and effectively.

ii) Study the Board papers thoroughly and use the good offices of the Chief Executive for eliciting any information at the Board meeting.

iii) Ask the Chairman to furnish you with the Board papers and follow-up reports on a definite time schedule.

iv) Involve yourself as Director, on the Board thoroughly in the matter of formulation of general policy and also ensure that performance of the bank is monitored adequately at Board levels.

v) Be familiar with the broad objectives of the bank and the policy laid down by the Government and the Reserve Bank.

vi) बैंक के बेहतर प्रबंध के लिए सभी रचनात्मक विचारों और उनके मूल्यवान योगदान का स्वागत किया जाएगा।

vii) वैयक्तिक प्रस्तावों के प्रयोजक बनने या उसके प्रति पूर्वाग्रह रखने के बजाय आप टीम के रूप में काम करें। प्रबंध से यह आशा की जाती है कि वह पूर्ण तथ्य और सभी कागजात पहले ही उपलब्ध कराए।

viii) प्रबंध को यथासंभव अपना अधिकाधिक विवेक, मार्गदर्शन और जानकारी देने का प्रयास करें।

ix) आर्थिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण, जनता के प्रति प्रबंध के उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहयोग और ग्राहक सेवा में सुधार के उपाय सुझाने तथा सामान्यतः बैंक प्रबंध को रचनात्मक सहयोग देने का प्रयास करें।

vi) All constructive ideas for the better management of the bank and for making valuable contribution would be welcome.

vii) You must work as a team and not sponsor or be prejudiced against individual proposals. Management on its part is supposed to furnish full facts and complete papers in advance.

viii) Try to give as much of your wisdom, guidance and knowledge as possible to the management.

ix) Try to analyse the trends of economy, assist in the discharge of management's responsibility to public and formulation of measures to improve customer service and be generally of constructive assistance to the bank management.

क्या न करें?

i) बैंक के किसी भी अधिकारी को किसी मामले में कोई अनुदेश या निदेश न दें।

ii) कार्मिक प्रशासन से संबंधित किसी मामले में स्वयं को शामिल न करें - चाहे वह किसी कर्मचारी के स्थानांतरण, नियुक्ति, तैनाती या पदोन्नति या उसके वैयक्तिक शिकायतों के निवारण से सम्बन्धित मामला क्यों न हो।

iii) बैंक के दैनंदिन कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करें।

DONT'S

i) Do not send any instruction to any individual officer of the bank or give direction to individual officer in any matter

ii) Do not involve yourself in any matter relating to personnel administration – whether it is appointment, transfer, posting or a promotion or a redressal of individual grievances of any employee.

iii) Do not interefere in the day-to-day functioning of the bank.

iv) किसी भी प्रकार की सुविधा की मंजूरी के लिए किसी शाखा प्रबंधक या किसी अन्य अधिकारी से संपर्क न करें या उसे प्रभावित न करें।

v) प्रतिदिन के कारोबार और प्रबंध कार्यों में अपने को शामिल न करें।

vi) यदि निदेशक मंडल के विचार विमर्श के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव आता है जिसमें आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हैं तो ऐसे विचार विमर्श में भाग न लें। अपने ऐसे हित के संबंध में मुख्य कार्यपालक को पहले ही सूचित कर दें।

vii) बैंक के किसी भी घटक से संबंधित कोई सूचना किसी के समक्ष प्रकट न करें क्योंकि आपने गोपनीयता और निष्ठा की शपथ ली हुई है।

viii) निदेशकों को ऐसे मामले में बैंक के किसी अधिकारी को बुलाना नहीं चाहिये या ऐसे अधिकारियों को कोई निदेश नहीं देना चाहिए।

ix) यदि किसी भी मामले में कोई कर्मचारी या यूनियन आपसे सम्पर्क करे तो उसे हतोत्साहित करें।

x) आप अपने विजिटिंग कार्ड या पत्रशीर्ष पर बैंक के निदेशकत्व का उल्लेख कर सकते हैं लेकिन विजिटिंग कार्ड या पत्र शीर्ष पर बैंक के लोगो या विशिष्ट डिजाइन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिये।

xi) निदेशकों को बैठकों में विचार विमर्श की जानेवाली कार्यसूची की मदों के संबंध में संवीक्षा आदि के लिए विभिन्न विभागों से कागजात/फाइलें या उनके

iv) Do not approach or influence for sanction of any kind of facility from an individual Branch Manager or any other official.

v) Do not involve yourself in the routine or every day business and in the management functions.

vi) Do not participate in the Board discussion if a proposal in which you are directly or indirectly interested comes up for discussion. Disclose your interest well in advance to the Chief Executive.

vii) Do not reveal any information relating to any constituent of the bank to anyone as you are under oath of secrecy and fidelity.

viii) Directors should not send for individual officers of the bank or give directions to such officers on any matter.

ix) You should discourage the individual employee or unions approaching you in any matter.

x) You may indicate your directorship of the bank on your visiting card or letter heads, but the logos or distinctive design of the bank should not, however, be displayed on the visiting card/letter head.

xi) Directors should not directly call for papers/files/notes recorded by various departments for scrutiny etc. in respect of agenda items to be dis-

द्वारा अभिलिखित टिप्पणियां सीधे नहीं मंगानी चाहिये। निर्णय के लिए अपेक्षित सभी सूचनाएं/ स्पष्टीकरण कार्यपालक द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

cussed in the meetings. All information/clarification that they may require for taking a decision will be made available by the executive.

xii) निदेशकों से आशा की जाती हैं कि वे बैंक के कार्यसूची संबंधी कागजातों/टिप्पणियों की गोपनीयता बनाये रखेंगे। सामान्यतः, यह सुझाव दिया जाता है कि बैठक के बाद पर्याप्त सतर्कता बरतते हुए बोर्ड संबंधी कागजात बैंक को वापस किये जायें।

xii) Directors are expected to ensure confidentiality of the Bank's agenda papers/notes. Ordinarily, it is suggested that by way of abundant precaution, the Board papers may be returned to the bank after the meeting.

xiii) कोई भी ऋण प्रस्ताव, बैंक परिसर के लिए भवन या स्थान, ठेकेदारों, वास्तुविदों, चिकित्सकों, वकीलों आदि का पैनल बनाने के लिए किसी को प्रायोजित न करें।

xiii) Do not sponsor any loan proposal, buildings and sites for bank's premises, enlistment or empanelment of contractors, architects, doctors, lawyers, etc. Do not do anything which will interefere with and/or be subversive of maintenance of discipline, good conduct and integrity of the staff.

भाग IX

विवरणी

SECTION IX

RETURNS

बैंपविवि.बीसी.9/12.01.001/94-95

2 फरवरी 1995
13 माघ 1916 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 - अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा (एनआरएनआर) योजना पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण

कृपया आप 11 जनवरी 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीसी 6/12.01.001/94-95 देखें, जिसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत रखा जानेवाला प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात 21 जनवरी 1995 से प्रारंभ पखवारे से 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना के अंतर्गत जमाराशियों के संबंध में शून्य प्रारक्षित अपेक्षा वापस ले ली गयी है। हमारे उपर्युक्त परिपत्र द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना के अंतर्गत देयताओं पर 21 जनवरी 1995 से प्रारंभ पखवारे से 7.5 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखना होगा।

2. उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन पर निगरानी रखने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना के अंतर्गत देयताओं की जिस राशि पर 7.5 प्रतिशत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखा जाना है उसे फार्म "ए" में बताया जाये और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे गये नकदी शेष पर ब्याज के दावे के लिए तिमाही विवरण हमें निम्नप्रकार प्रस्तुत किया जाये :

DBOD.BC.9/12.01.001/94-95

February 2, 1995
Magha 13, 1916 (S)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

SECTION 42 OF THE RBI ACT, 1934 - PRESCRIPTION OF CASH RESERVE RATIO (CRR) ON NON-RESIDENT (NON-REPATRIABLE) RUPEE DEPOSIT (NRNR) SCHEME

Please refer to our circular DBOD.No.BC.6/ 12.01.001/94-95 dated January 11, 1995 advising scheduled commercial banks that from the fortnight beginning Janaury 21, 1995, the cash reserve ratio (CRR) required to be maintained under FCNR (B) Scheme has been increased from 7.5 per cent to 15 per cent and the zero reserve requirement in respect of deposits under NRNR Scheme has now been withdrawn. It is also further advised vide above circular that the scheduled commercial banks, (SCBs) will have to maintain from the fortnight beginning January 21, 1995, a CRR of 7.5 per cent on liabilities under the NRNR Scheme.

2. In order to monitor compliance with the above instructions, it has been decided that the amount of liabilities under NRNR Scheme on which CRR is to be maintained at 7.5 per cent, may be indicated in Form 'A' and also in the quarterly statement submitted to us for claiming interest on cash balances maintained by SCBs with RBI as under :

फार्म 'ए'

बैंक की शुद्ध माँग और मीयादी देयताओं में से एनआरएनआर जमाराशियों की राशि घटा दी जाये और इन जमाराशियों को फार्म "ए" में अलग से दर्शाया जाय, ताकि इन देयताओं पर 7.5 प्रतिशत की दर पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की गणना की जा सके। इस प्रकार निकाला गया प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात पाद-टिप्पणी में दर्शाया जाये। साथ ही रखने के लिए अपेक्षित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का जोड़ निकालने के लिए, रिपोर्टिंग शुक्रवार को शुद्ध माँग और मीयादी देयताओं के 15 प्रतिशत पर सामान्य प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और 10 प्रतिशत की दर पर वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के साथ-साथ एनआरएनआर जमाराशियों पर 7.5 प्रतिशत का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात भी हिसाब में लिया जाये।

3. उपर्युक्त की दृष्टि से, रिज़र्व बैंक के पास रखे नकदी शेष पर देय ब्याज की राशि दर्शानेवाले तिमाही विवरण का जो प्रोफार्मा हमारे 9 दिसम्बर 1994 के पत्र बैंपविवि. सं. बीसी 143/12.01.001/94-95 के साथ भेजा गया है उसे अब थोड़ा संशोधित किया गया है। संशोधित प्रोफार्मा की प्रति संलग्न है। तदनुसार विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना के अंतर्गत देयताओं को स्तंभ 4 के अंतर्गत दर्शायी गयी शुद्ध देयताओं में शामिल किया जाये और एनआरएनआर के अंतर्गत देयताओं को प्रोफार्मा के स्तंभ 5 में दर्शाया जाये। कृपया यह सुनिश्चित करें कि तदर्थ ब्याज दावे के साथ-साथ पखवारे के 14 दिनों में से प्रत्येक को रिज़र्व बैंक के पास रखे नकदी शेष का पखवारावार विवरण भी 23 दिसम्बर 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 147/12.01.001/94-95 द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जाये।

भवदीय,

(सुनील बेंद्रे)
संयुक्त मुख्य अधिकारी

Form 'A'

The amount of NRNR deposits may be deducted from net demand and time liabilities (NDTL) of the bank and these deposits may be indicated separately in Form 'A' so as to facilitate calculation of CRR at 7.5 per cent on these liabilities. The CRR so arrived at may be indicated by way of a foot note. Further, while working out total CRR required to be maintained, in addition to normal CRR at 15 per cent of NDTL on the reporting Friday and incremental CRR at 10 per cent, CRR at 7.5 per cent on NRNR deposits may also be taken into account.

3. In view of the above, the proforma of the quarterly statement showing the amount of interest payable on cash balances maintained with RBI forwarded with our letter DBOD.No.BC.143/12.01.001/94-95 dated December 9, 1994 is now slightly revised. A copy of the revised proforma is enclosed. Accordingly liabilities under FCNR(B) Scheme may be included in net liabilities indicated under col.4 and liabilities under NRNR may be indicated under col.5 of the proforma. It may please be ensured that alongwith the adhoc interest claim, a statement showing fortnight-wise cash balances maintained with RBI on each of the 14 days of the fortnight, in the format prescribed vide our letter DBOD.No. BC.147/12.01.001/94-95 dated December 23, 1994 is also forwarded to Reserve Bank of India.

Yours faithfully,

(S. A. Bendre)
Joint Chief Officer

बैंक का नाम : .....

..... को समाप्त तिमाही के लिए रिज़र्व बैंक के पास नकदी शेष पर देय ब्याज की राशि दर्शानेवाला विवरण

(राशि हज़ार में)

क्रम सं.	पखवारे के रिपोर्टिंग शुक्रवार की तारीख	बकाया भारत विकास बांड की राशि	स्तंभ 2 में दर्शाये गये रिपोर्टिंग शुक्रवार को आईडीबी/ एफसीएनआरए एनआरई एफसीएनआर (बी) सहित शुद्ध देयताएं उन पर ब्याज सहित किंतु एनआरएनआर योजना और शून्य प्रारक्षित निधि निर्धारण श्रेणियों के अंतर्गत देयताओं को छोड़कर	एनआर-एनआर योजना के अंतर्गत देयताएं	23 मार्च 1990 को एफसीएन-आरए/एनआरई सहित शुद्ध देयताएं, उन पर ब्याज सहित	सीआरआर के प्रयोजन हेतु अपेक्षित औसत दैनिक शेष की राशि			भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत अपेक्षित वृद्धिशील सीआरआर की राशि	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) के अंतर्गत अपेक्षित औसत दैनिक शेष की राशि स्तंभ(8), (9) और (10) का जोड़	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) के अनुसार सीआरआर के प्रयोजन हेतु रखे गये वास्तविक औसत दैनिक शेष की राशि	स्तंभ 6 के अनुसार शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं की पात्र शेष राशि पर 10.5% वार्षिक की दर पर देय ब्याज की राशि
						.....को समाप्त पखवारे के लिए	स्तंभ 4 के आधार पर राशि	स्तंभ 5 के आधार पर राशि				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी सही है । हमारे बैंक ने उक्त तिमाही के सभी पखवारों के लिए अपेक्षित सीआरआर का पालन किया है/* नहीं किया है और तिमाही के दौरान सीआरआर रखने में चूक की है/* नहीं की है *। बाद में किसी चूक का पता लगने की स्थिति में अधिक राशि तथा रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये ब्याज को मांग की तारीख से एक सप्ताह में लौटाने का हम वचन देते हैं । हम रिज़र्व बैंक को यह प्राधिकार देते हैं कि ऐसा न होने पर वह अपने पास हमारे चालू खाते में उतनी राशि नामे कर दें । हमने यह भी नोट कर लिया है कि गलत जानकारी देने/अपेक्षित विवरणी देर से प्रस्तुत करने/गलत विवरणी प्रस्तुत करने की स्थिति में रिज़र्व बैंक ब्याज के तदर्थ भुगतान की सुविधा समाप्त कर देगा ।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

*यदि किसी पखवारे में सीआरआर रखने में कोई चूक/कमी हुई हो तो कृपया उसके कारण बतायें ।

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

नोट : दो क्रम संख्याओं के बीच कृपया पर्याप्त स्थान छोड़ें ।

Name of the Bank .....

Statement showing the amount of interest payable on cash balance maintained with RBI for the quarter ended.....

(000' omitted)

Sr. No.	Date of reporting - Friday of the fort-night	Amount of outstanding India Deve-lopment Bonds	Net liabilities including IDB/FCNRA NRE. FCNR (B) deposits with interest thereon as on the reporting Friday indicated in -- column No. (2) but excluding liabilities under NRNR Scheme and zero reserve prescription categories	Liabilities under NRNR Scheme	Net liabi-lities inclu-ding FCNRA/ NRE deposits with inte-rest thereon as on the March 23, '90	Amount of average daily balances required to be maintained for the purpose of CRR			Amount of incremental CRR requi-red to be maintained under Sec. 42(1A) of RBI Act, 1934.	Amount of average daily balances required to be main-tained under Sec. 42(1) and 42(1A) of RBI Act, 1934 (Total of Col. Nos. (8) (9) & (10)	Amount of average daily balance actually maintained for the purpose of CRR in terms of Sec. 42(1) and 42(1A) of RBI Act, 1934	Amount of interest payable at 10.5% per annum on the eligible balances on the NDTL as per Col. 6
						For the fortnight ended	Amount On the basis of Col. (4)	Amount On the basis of Col. (5)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												

We hereby certify that the information furnished above is correct. Our bank has/* has not complied with CRR requirement for all the fortnights of the quarter and has/* has not defaulted in the maintenance of CRR during the quarter*. In case of default detected subsequently, we undertake to refund the excess amount along with such interest as may be levied by Reserve Bank within a week from the date of demand, failing which we authorise Reserve Bank to debit our current account with them for like amount. We also note that Reserve Bank would withdraw the facility of adhoc payment of interest in the event of furnishing incorrect information/delayed submission of required returns/submission of incorrect returns.

Place :

Date :

Signature :

Name :

Designation :

* In case there is default/shortfall in the maintenance of CRR in any of the fortnights, please indicate reason therefor.

* Omit whichever is not applicable.

NB - Please leave sufficient space between two Sr. Nos.

बैंपविवि.सं. बीसी. 22/12.01.002/94-95

24 फरवरी 1995
5 फाल्गुन 1916 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2)– फार्म "ए" में पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारा 2 मार्च 1993 का परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी/89/12.01.002/92-93 देखें। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत फार्म 'ए' में मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की विवरणी के अंतिम समेकित आकड़े नीति निर्माण के लिए वार्षिक आवश्यकता की दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप शुक्रवार, 31 मार्च 1995 के लिए फार्म "ए" में अंतिम विवरणी निर्धारित 20 दिन की अवधि में, अर्थात् 20 अप्रैल 1995 तक अवश्य प्रस्तुत करने की व्यवस्था करें। यह विवरणी हमें, हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तथा निदेशक, बैंकिंग अध्ययन प्रभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8/9, छठी मंज़िल, पो.बॉ.सं. 8128, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बम्बई - 400 051 को प्रस्तुत की जाये। यह विवरणी फैक्स सं. 022/6441981 पर फैक्स द्वारा भी भेजी जा सकती है।

भवदीय,

(सुनील बेंद्रे)
संयुक्त मुख्य अधिकारी

DBOD.No.BC.22/12.01.002/94-95

February 24, 1995
Phalguna 5, 1916 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42(2) OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - SUBMISSION OF FORTNIGHTLY RETURNS IN FORM 'A'

Please refer to our Circular DBOD.No. BC.89/12.01.002/92-93 dated 2nd March 1993 on the above subject. The preparation of the final consolidated statistics of the return in Form 'A' under Section 42(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, for the last reporting Friday of March assumes special importance in view of the annual requirement for policy formulaton. Hence, we shall be glad if you will kindly arrange to submit the final Form 'A' return for Friday, the 31st March 1995 within the prescribed period of 20 days i.e. latest by 20th April 1995 to us, to our concerned regional office and to the Director, Division of Banking Studies, Department of Statistical Analysis and Computer Services, Reserve Bank of India, C-8/9, 6th Floor, P.B. No. 8128, Bandra-Kurla Complex, Bombay-400 051. The return can also be sent by fax on No. 022/6441981.

Yours sincerely,

(S. A. Bendre)
Joint Chief Officer

बैंपविवि. सं. बीसी. 43/11.15.001/94-95

19 अप्रैल 1995
29 चैत्र 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/कार्यपालक निदेशक

प्रिय महोदय,

एमआरटीपी अधिनियम, 1969 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों को अग्रिम-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा विवरण प्रस्तुत करना

कृपया दिनांक 2 अगस्त 1991 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. आइएनएफ. 64/सी.469(V-7)-91 देखें जो कि बैंकों द्वारा वह वार्षिक विवरण प्रस्तुत किये जाने से संबंधित था जिसमें एमआरटीपी अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत पंजीकृत उपक्रमों को स्वीकृत अग्रिमों का ब्यौरा दिया जाना था। अब हमें भारत सरकार, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय, नयी दिल्ली ने सूचित किया है कि 27 सितम्बर 1991 से एमआरटीपी अधिनियम में संशोधन किया गया है और उक्त अधिनियम के अंतर्गत उपक्रमों के पंजीकरण/अपंजीकरण/वर्ग परिवर्तन आदि संबंधी धारा 26 के संगत प्रावधानों को हटा दिया गया है। उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंक हमें उपर्युक्त विवरण भेजना बंद कर दें।

भवदीय,

(सी.पी.अंटोनी)
उप महा प्रबंधक

DBOD.No.BC.43/11.15.001/94-95

April 19, 1995
Chaitra 29, 1917 (S)

The Chairmen/Managing Directors of all Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

ADVANCES TO UNDERTAKINGS REGISTERED UNDER THE MRTP ACT, 1969 -- SUBMISSION OF STATEMENTS BY SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

Please refer to our circular DBOD. No.Inf.64/C.469 (V.7)-91 dated August 2, 1991 regarding submission of annual statement by banks giving details of advances granted to undertakings registered under Section 26 of the MRTP Act. We have since been advised by the Government of India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Department of Company Affairs, New Delhi that the MRTP Act has been amended with effect from September 27, 1991, omitting the relevant provisions of Section 26 relating to registration/ deregistration/change of group, etc. of undertakings under the said Act. In view of the above, it has been decided that banks may discontinue the submission of the above statement to us.

Yours faithfully,

(C. P. Antony)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं. बीसी.67/12.01.001/94-95

20 जून 1995
30 ज्येष्ठ 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42- रिज़र्व बैंक के पास रखे नकदी शेष पर देय ब्याज की राशि दर्शानेवाले तिमाही विवरण का संशोधित प्रोफार्मा

हाल ही में देखा गया है कि रिज़र्व बैंक के पास रखे नकदी शेष पर देय ब्याज की राशि दर्शानेवाले तिमाही विवरण में बैंक कतिपय जानकारी एकसमान रूप से नहीं दे रहे हैं, जो इस विवरण की जॉच के लिए अत्यावश्यक है। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त तिमाही विवरण का प्रोफार्मा संशोधित किया जाये। संशोधित प्रोफार्मा जून 1995 को समाप्त तिमाही और उसके बाद के लिए विवरण प्रस्तुत करने हेतु अनुबंध में दिये गये अनुसार होगा।

2. अनुबंध के अनुसार संशोधित प्रोफार्मा में एफसीएनआर (बी) योजना के अंतर्गत जमाराशियों की राशि स्तंभ सं. 4 में बैंक की शुद्ध माँग और मीयादी देयताओं में शामिल की जानी चाहिए और यही राशि फार्म 'ए' में पाद टिप्पणी द्वारा भी दर्शायी जानी चाहिए। साथ ही इसे विवरण के स्तंभ 6 में भी दिया जाये, ताकि हम बैंकों द्वारा रखे गये वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की जांच कर सकें, क्योंकि एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने की बैंकों से अपेक्षा नहीं की जाती। जहां तक एनआरएनआर योजना के अंतर्गत जमाराशियों का संबंध है, वे वर्तमान में 7.5 प्रतिशत पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात के अधीन हैं; इन्हें स्तंभ सं. 4 के अंतर्गत शुद्ध

DBOD.No.BC.67/12.01.001/94-95

June 20, 1995
Jyaistha 30, 1917 (S)

All Scheduled Commercial Banks

Dear Sir,

SECTION 42 OF THE RBI ACT, 1934 - REVISED PROFORMA OF THE QUARTERLY STATEMENT SHOWING THE AMOUNT OF INTEREST PAYABLE ON CASH BALANCES MAINTAINED WITH RBI

Of late it has been observed that in the quarterly statement showing the amount of interest payable on cash balances maintained with RBI, banks have not been uniformly furnishing certain information essential for scrutiny of this statement. It has, therefore, been decided to revise the proforma of the aforesaid quarterly statement as per proforma given in the Annexure for the submission of statements for the quarter ended June 1995 and onwards.

2. In the revised format as per the Annexure, the amount of deposits under FCNR(B) Scheme should be included in the NDTL of the bank under column No. (4) and the same amount may also be indicated by way of a foot note in Form 'A' as well as under col. No. (6) of the statement to enable us to check the incremental CRR maintained by banks as banks are not required to maintain incremental CRR on FCNR(B) deposits. As regards deposits under NRNR Scheme, which are at present subjected to CRR at 7.5 per cent, these should not be

मांग और मीयादी देयताओं में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें विवरण के स्तंभ सं. 5 के अंतर्गत अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

3. बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे तिमाही के पखवारे के प्रत्येक दिन रखे गये नकदी शेष का विवरण रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें, जो 23 दिसम्बर 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 147/12.01.001/94-95 के साथ संलग्न फार्मेट के अनुसार होगा। यह देखा गया है कि फार्मेट के नीचे दिये गये अनुसार अनुपालन प्रस्तुत करते समय बैंक काटकर यह स्पष्ट नहीं करते कि उन्होंने प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात संबंधी अपेक्षाओं का पालन किया है अथवा नहीं। इसलिए यह सूचित किया जाता है कि भविष्य में बैंक जो भाग लागू न हो उसे काटकर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से संबंधित सही स्थिति बतायें और प्राधिकृत अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय,

(सुनील बेंद्रे)
महा प्रबंधक

included in the NDTL under col. No. (4) but the same should be shown separately under col. No. (5) of the statement.

3. Banks are also advised to furnish to the Reserve Bank, a statement of cash balances maintained on each day of the fortnight of the quarter as in the format enclosed to our circular DBOD.No.BC.147/12.01.001/94-95 dated December 23, 1994. It is observed that while furnishing the compliance, as provided at the bottom of the format, banks do not strike out whether they have complied or not with CRR requirements. It is, therefore, advised that in future banks should indicate the correct position in regard to the maintenance of CRR by striking out the inapplicable portion under the signature of their authorised signatory.

Yours faithfully,

(S. A. Bendre)
General Manager

बैंक का नाम : .....

..... को समाप्त तिमाही के लिए रिज़र्व बैंक के पास नकदी शेष पर देय ब्याज की राशि दर्शानेवाला विवरण

(राशि हज़ार में)

क्रम सं.	पखवारे के रिपोर्टिंग शुक्रवार की तारीख	बकाया भारत विकास बांड की राशि	स्तंभ 2 में दर्शाये गये रिपोर्टिंग शुक्रवार को आईडीबी/ एफसीएनआरए एनआरई एफसीएनआर (बी) सहित शुद्ध देयताएं उन पर ब्याज सहित किंतु एनआरएनआर योजना और शून्य प्रारक्षित निधि निर्धारण श्रेणियों के अंतर्गत देयताओं को छोड़ कर	देयताएं		23 मार्च 1990 को एफसीएनआरए/ एनआरई जमाराशियां सहित शुद्ध देयताएं, उन पर ब्याज सहित	सीआरआर के प्रयोजन हेतु अपेक्षित औसत दैनिक शेष की राशि			भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत अपेक्षित वृद्धि-शील सीआरआर की राशि		औसत दैनिक शेष की राशि		स्तंभ 7 के अनुसार शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं की पात्र शेष राशि पर 10.5% वार्षिक की दर पर देय ब्याज की राशि
				एनआर-एनआर योजना के अंतर्गत	एफसीएन-आर (बी) योजना के अंतर्गत		.....को समाप्त पखवारे के लिए	स्तंभ 4 के आधार पर राशि 15%	स्तंभ 5 के आधार पर राशि 7.5%	3-5-91 को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं से अधिक	5-8-94 अथवा 30-9-94 को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं से अधिक [$]	भा.रि.बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) के अंतर्गत स्तंभ (9), (10), (11) और (12) का जोड़	भा.रि. बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) के अनुसार सीआरआर के प्रयोजन हेतु रखी गयी वास्तविक राशि	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी सही है । हमारे बैंक ने उक्त तिमाही के सभी पखवारों के लिए अपेक्षित सीआरआर का पालन किया है/*नहीं किया है और तिमाही के दौरान सीआरआर रखने में चूक की है/*नहीं की है ।* बाद में किसी चूक का पता लगने की स्थिति में अधिक राशि तथा रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये ब्याज को मांग की तारीख से एक सप्ताह में लौटाने का हम वचन देते हैं । हम रिज़र्व बैंक को यह प्राधिकार देते हैं कि ऐसा न होने पर वह अपने पास हमारे चालू खाते में उतनी राशि नामे कर दे । हमने यह भी नोट कर लिया है कि गलत जानकारी देने/अपेक्षित विवरणी देर से प्रस्तुत करने/गलत विवरणी प्रस्तुत करने की स्थिति में रिज़र्व बैंक ब्याज के तदर्थ भुगतान की सुविधा समाप्त कर देगा ।

स्थान : हस्ताक्षर :

तारीख : नाम :

*यदि किसी पखवारे में सीआरआर रखने में कोई चूक/कमी हुई हो तो कृपया उसके कारण बतायें ।

* जो लागू न हो उसे प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर के तहत काट दें । पदनाम :

[$] इस स्तंभ में जानकारी उन 37 बैंकों द्वारा दी जानी है, जिनसे 5-8-94/30-9-94 को शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने को कहा गया है ।

नोट : दो क्रम संख्याओं के बीच कृपया पर्याप्त स्थान छोड़ें ।

Name of the Bank.....

Statement showing the amount of interest payable on cash balance maintained with RBI for the quarter ended.....

(000 omited)

Sr. No.	Date of reporting Friday of the fortnight	Amount of outstanding India Development Bonds	Net liabilities including IDB. FCNRA NRE & FCNR (B) deposits with interest thereon as on the reporting Friday indicated in-column No. (2) but excluding liabilities under Non-Resident (Non-repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Scheme and zero reserve prescription categories	Liabilities under		Net liabilities including FCNRA NRE deposits with interest thereon as on the March 23. '90	Amount of average daily balances required to be maintained for the purpose of CRR			Amount of incremental CRR required to be maintained under Sec. 42(1A) of the RBI Act 1934		Amount of average daily balance		Amount of interest payable at 10.5% per annum on the eligible balances on the NDTL as per Col. (7)
				NRNR Scheme	FCNR (B) Scheme		For the fortnight ended	Amount on the basis of col. (4) (15%)	Amount on the basis of Col. (5) (7.5%)	Over the NDTL as of 3-5-1991	Over the NDTL as of 5-8-94 or 30-9-94 [5]	Required to be maintained under Sec. 42(1) and 42(1A) of RBI Act. 1934 (Total of Col. Nos. (9) (10) (11) and (12)	Actually maintained for the purpose of CRR in terms of Sec. 42(1) & 42(1A) of RBI Act. 1934	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														

We hereby certify that the information furnished above is correct. Our bank has/[@] has not complied with CRR requirement for all the fortnights of the quarter and has/[@] has not defaulted in the maintenance of CRR during the quarter.* In case of default detected subsequently, we undertake to refund the excess amount along with such interest as may be levied by Reserve Bank within a week from the date of demand, failing which we authorise Reserve Bank to debit our current account with them for like amount. We also note that Reserve Bank would withdraw the facility of adhoc payment of interest in the event of furnishing incorrect information/delayed submission of required/returns submission of incorrect returns.

Place :

Date :

Signature :

Name :

Designation :

* In case there is default/shortfall in the maintenance of CRR in any of the fortnights, please indicate reason therefor.

[@] Strikeout whichever is not applicable under the signature of authorised signatory.

[5] Information under this col. is to be furnished by 37 banks which were asked to maintain 10 per cent incremental CRR over their NDTL of 5-8-94/30-9-94

NB - Please leave sufficient space between two Sr. Nos.

बैंपविवि. सं. बीसी.149/12.01.001/95-96

16 दिसम्बर 1995
25 अग्रहायण 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42- अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों, अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमाराशि खातों और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात का निर्धारण

कृपया आप 30 अक्तूबर 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी/129/12.01.001/95-96 के पैराग्राफ 2 (क) और 2(ख) देखें, जिनके अनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता जमाराशियों और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा खातों की जमाराशियों में 27 अक्तूबर 1995 को बकाया स्तर से अधिक की वृद्धि को 28 अक्तूबर 1995 से प्रारंभ पखवाड़े से क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत के औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को रखने से छूट प्राप्त होगी। परन्तु बैंक 27 अक्तूबर 1995 के स्तर तक की अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता जमाराशियों पर 15 प्रतिशत और अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय रुपया जमाराशियों पर 7.5 प्रतिशत का औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखेंगे। हमारे 29 नवम्बर 1995 के परिपत्र बैंपविवि. बीसी. सं. 139/12.01.001/95-96 के पैराग्राफ 1 के अनुसार विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता जमाराशियों में 24 नवम्बर 1995 के बकाया स्तर के अधिक की किसी भी वृद्धि को औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट प्राप्त होगी, परन्तु बैंक 24 नवम्बर 1995 के स्तर तक की विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खाता जमाराशियों पर 14.5 प्रतिशत का

DBOD.No.BC.149/12.01.001/95-96

December 16, 1995
Agrahayana 25, 1917 (S)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTON 42 OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 -PRESCRIPTION OF CASH RESERVE RATIO (CRR) ON DEPOSITS UNDER NON-RESIDENT (EXTERNAL) RUPEE ACCOUNTS (NRE ACCOUNTS), NON-RESIDENT (NON-REPATRIABLE) RUPEE DEPOSIT (NRNR) ACCOUNTS AND DEPOSITS UNDER FCNR (B) SCHEME

Please refer to paragraph 2(a) and 2(b) of our circular DBOD.No.BC.129/12.01.001/95-96 dated 30th October 1995 advising that with effect from the fortnight beginning October 28, 1995 any increase in NRE deposits and NRNR deposits over the level outstanding as on October 27, 1995 will be exempt from maintenance of average Cash Reserve Ratio of 15 per cent and 7.5 per cent respectively. The banks will, however, continue to maintain the average CRR of 15 per cent on NRE deposits and 7.5 percent on NRNR deposits upto the level as on 27th October, 1995. In terms of para (1) of our circular DBOD.BC.No.139/12.01.001/95-96 dated 29th November 1995 any increase in FCNR (B) deposits over the level outstanding as on November 24, 1995, will be exempt from maintenance of average Cash Reserve Ratio (CRR). Banks will, however, continue to maintain average CRR

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखेंगे। इसके अलावा 6 दिसम्बर 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 144/12.01.001/95-96 के पैराग्राफ 1 के अनुसार विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमाराशियों के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की दर 9 दिसम्बर 1995 से प्रारंभ पखवाड़े से 14.5 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दी गयी है। हमारे 9 दिसम्बर 1995 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 146/12.01.001/95-96 के पैराग्राफ 2 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षा की गयी है कि वे 9 दिसम्बर 1995 से प्रारंभ पखवाड़े से अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता जमाराशियों सहित शुद्ध औसत मांग और मीयादी देयताओं की सभी श्रेणियों में 27 अक्तूबर 1995 को बकाया स्तर पर 14.0 प्रतिशत की दर से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखें।

of 14.5 per cent on FCNR (B) deposits upto the level as on November 24, 1995. Further, in terms of paragraph 1 of our circular DBOD.No.BC.144/12.01.001/95-96 dated December 6, 1995, the rate of CRR on liabilities under FCNR (B) deposits has been reduced from 14.5 per cent to 7.5 per cent with effect from the fortnight beginning December 9, 1995. Again in terms of paragraph 2 of our circular DBOD.No. BC.146/12.01.001/95-96 dated December 9, 1995 with effect from the fortnight beginning December 9, 1995 scheduled commercial banks are required to maintain average CRR @ 14.0 per cent on all categories of net demand and time liabilities including Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE) on the level outstanding as on October 27, 1995.

2. उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन पर निगरानी रखने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि 27 अक्तूबर 1995 के स्तर से ऊपर की अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता जमाराशियों और अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाता जमाराशियों में 27 अक्तूबर 1995 के स्तर से हुई कोई भी वृद्धि और विदेशी मुद्रा बैंक जमाराशियों में 24 नवम्बर 1995 के स्तर से अधिक की वृद्धि फार्म "ए" के अनुबंध में शून्य प्रारक्षित निर्धारण के अंतर्गत जमाराशियों में निम्नप्रकार दिखायी जाये :

2. In order to monitor compliance with the above instructions, it has been decided that from October 28, 1995 any increase in NRE deposits and NRNR deposits over the level of October 27, 1995 and any increase in FCNR (B) deposits over the level of November 24, 1995, may be shown in the Annexure to Form 'A' below the deposits under zero reserve prescription as follows :

	एनआरइ	एनआरएनआर	एफसीएनआर(बी)	जमाराशियां
(i) रिपोर्ट के पखवाड़े की जमाराशियां				
घटायें				
(ii) 27 अक्तूबर 1995 को जमाराशियां				लागू नहीं
घटायें				
(iii) 24 नवम्बर 1995 को जमाराशियां	लागू नहीं		लागू नहीं	
(iv) शेष (प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने से छूट)				

	NRENRNR	FCNR (B) Deposits	
i)	Deposits as on reporting fortnight		
Less			
ii)	Deposits as on October 27, 1995		NA*
Less			
iii)	Deposits as on November 24, 1995	NA*	NA*
iv)	Balance (exempted from maintenance of CRR)		

* Not Applicable

कृपया यह भी नोट करें कि हमारे 11 नवम्बर 1995 के परिपत्र बैंपविवि. बीसी. सं. 133/12.01.001/95-96 के पैराग्राफ 2 और 29 नवम्बर 1995 के परिपत्र बीसी. सं. 139/12.01.001/95-96 में बताये गये अनुसार अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाता जमाराशियों के अंतर्गत देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात की अपेक्षा क्रमशः 27 अक्तूबर 1995 और 24 नवम्बर 1995 को बकाया स्तर पर 14.50 प्रतिशत होगी, हालाकि 11 नवंबर 1995 को प्रारंभ होनेवाले पखवारे से प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात कम किया गया है। जहां तक अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खातों की जमाराशियों का संबंध है, बैंक 27 अक्तूबर 1995 के स्तर पर 7.5 प्रतिशत का औसत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखना जारी रखेंगे। दिसम्बर 1995 में समाप्त तिमाही के पहले दो पखवाड़ों के लिए अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं है। बैंक अनिवासी

It may also please be noted that as advised in Paragraph 2 of our circular DBOD. BC.No.133/12.01.001/95-96 dated November 11, 1995, and BC. No. 139/12.01.001/95-96 dated November 29, 1995, the requirement of CRR on liabilities under Non-Resident (External) Rupee Accounts (NRE) and FCNR (B) deposits will be 14.50 per cent on the level outstanding as on October 27, 1995 and November 24, 1995 respectively, though CRR has been reduced from the fortnight beginning November 11, 1995. As regards NRNR deposits, the banks will continue to maintain the average CRR of 7.5 per cent on the level outstanding as on October 27, 1995. There is no change in in-

(बाह्य) रुपया खातों, अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खातों और विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक योजना के अंतर्गत जमाराशियों के संबंध में पखवाड़ावार विवरण भी तदर्थ प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात ब्याज दावे के साथ परिपत्र के पैराग्राफ 2 में बताये गये प्रोफार्मा में भेजेंगे। हमारे 6 दिसम्बर 1995 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 144/12.01.001/95-96 की दृष्टि से 9 दिसम्बर 1995 से प्रारंभ पखवाड़े से विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातों के अंतर्गत जमाराशियों को बैंक की औसत मांग और मीयादी देयताओं से घटाया जायेगा और इन जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात तदर्थ ब्याज दावा विवरण के स्तंभ 11 के अंतर्गत अलग से दर्शाया जाये।

3. तिमाही विवरण का एक संशोधित प्रोफार्मा संलग्न है। बैंक यह नोट करें कि दिसम्बर 1995 में समाप्त तिमाही के लिए उनका प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात ब्याज दावा **केवल संशोधित प्रोफार्मा** में ही प्रस्तुत किया जाये।

भवदीय,

(सी.वी.अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

structions for the first two fortnights of the quarter ending December 1995. The banks may also forward a fortnight-wise statement in respect of deposits under NRE accounts, NRNR deposits and deposits under FCNR (B) Scheme along with Ad-hoc CRR interest claim as in the proforma shown in paragraph 2 of the circular. In view of our circular DBOD.BC.144/12.01.001/95-96 dated December 6, 1995, with effect from the fortnight beginning December 9, 1995, the amount of FCNR (B) deposits may be deducted from net demand and time liabilities (NDTL) of the bank and CRR on these deposits may be indicated separately under Col. 11 of Ad-hoc interest claim statement.

3. A revised proforma of the quarterly statement is enclosed. The banks should note to submit their CRR interest claims for the quarter ending December 1995 **in the revised proforma only.**

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंक का नाम : .....

..... को समाप्त तिमाही के लिए रिज़र्व बैंक के पास नकदी शेष पर देय ब्याज की राशि दर्शानेवाला विवरण

(राशि हज़ार में)

क्रम सं.	पखवारे के रिपोर्टिंग शुक्रवार की तारीख	बक़ाया भारत विकास बांड की राशि	स्तंभ 2 में दर्शाये गये रिपोर्टिंग शुक्रवार को आईडीबी, एफसीएनआरए, एनआरई सहित 27-10-95 को बक़ाया स्तर तक की और एफसीएनआर (बी) की 24-11-95 को बक़ाया स्तर तक की जमाराशियों की शुद्ध देयताएं उन पर ब्याज सहित, किंतु पिछले पखवाड़े के लिए एनआरएनआर योजना/एफसीएनआर (बी) योजना की जमा-राशियों और शून्य प्रारक्षित निधि निर्धारण श्रेणियों के अंतर्गत देयताओं को छोड़कर	देयताएं		23 मार्च 1990 को एफसीएनआर/ एनआरई जमाराशियां सहित शुद्ध देयताएं, उन पर ब्याज सहित	सीआरआर के प्रयोजन हेतु अपेक्षित औसत दैनिक शेष की राशि			भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1ए) के अंतर्गत अपेक्षित वृद्धि-शील सीआरआर की राशि		औसत दैनिक शेष की राशि		स्तंभ 7 के अनुसार शुद्ध मांग और मीयादी देवताओं की पात्र शेष-राशि पर 10.5% वार्षिक की दर पर देय ब्याज की राशि
				एनआर-एनआर योजना के अंतर्गत 27-10-95 को बक़ाया	एफसीएन-आर (बी) योजना के अंतर्गत 24-11-95 को बकाया		.....को समाप्त पखवारे के लिए	स्तंभ 4 के आधार पर राशि (15% - तिमाही के प्रथम तीन पख-वाड़ों के लिए / 14.5%/14%)	स्तंभ 5 के आधार पर राशि (7.5%)	स्तंभ 6 के आधार पर राशि (7.5%)	3-5-91 को शुद्ध मांग और मीयादी देवताओं से अधिक	5-8-94/ 30-9-94 को शुद्ध मांग और मीयादी देवताओं से अधिक $	भा.रि.बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) के अंतर्गत, रखे जाने हेतु अपेक्षित स्तंभ (9), (10), (11), (12) और (13) का जोड़	भा.रि. बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) और 42(1ए) के अनुसार सीआरआर के प्रयोजन हेतु रखी गयी वास्तविक राशि	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															

हम इसके द्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी सही है। हमारे बैंक ने उक्त तिमाही के सभी पखवारों के लिए अपेक्षित सीआरआर का पालन किया है/*नहीं किया है और तिमाही के दौरान सीआरआर रखने में चूक की है/*नहीं की है।* बाद में किसी चूक का पता लगने की स्थिति में अधिक राशि तथा रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये ब्याज की मांग की तारीख से एक सप्ताह में लौटाने का हम वचन देते हैं। हम रिज़र्व बैंक को यह प्राधिकार देते हैं कि ऐसा न होने पर वह अपने पास हमारे चालू खाते में उतनी राशि नामे कर दे। हमने यह भी नोट कर लिया है कि गलत जानकारी देने/अपेक्षित विवरणी देर से प्रस्तुत करने/गलत विवरणी प्रस्तुत करने की स्थिति में रिज़र्व बैंक ब्याज के तदर्थ भुगतान की सुविधा समाप्त कर देगा।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर .

नाम :

पदनाम :

* यदि किसी पखवारे में सीआरआर रखने में कोई चूक/कमी हुई हो तो कृपया उसके कारण बतायें ।

** जो लागू न हो प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर के तहत उसे काट दें ।

$ इस स्तंभ में जानकारी उन 37 बैंकों द्वारा की जानी है, जिनसे 5-8-94/30-9-94 को शुद्ध मांग और मीयादी देवताओं पर 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात रखने के लिए कहा गया है ।

नोट : दो क्रम संख्याओं के बीच कृपया पर्याप्त स्थान छोड़ें।

Name of the Bank.....

Statement showing the amount of interest payable on cash balance maintained with RBI for the quarter ended.....

(000 omited)

Sr. No.	Date of reporting Friday of the fort-night	Amount of outstanding India Deve-lopment Bonds	Net liabilities including IDB. FCNRA. NRE upto the level out-standing as on 27.10.1995 & FCNR (B) upto 24.11.1995 deposits with interest thereon as on the reporting Friday indicated in column No. (2) but excluding liabilities under Non-resident (Non-repatriable) Rupee Deposit (NRNR) Scheme/Deposits under FCNR (B) Scheme for the last fortnight and Zero reserve prescri-ption categories	Liabilities under		Net liabi-lities inclu-ding FCNR. NRE deposits with inte-rest thereon as on the March 23. 1990	Amount of average daily balances required to be maintained for the purpose of CRR				Amount of incremental CRR required to be maintained under Sec. 42(1A) of the RBI Act. 1934		Amount of average daily balance		Amount of interest payable at 10.5% per annum on the eligible balances on the NDTL as per Col. (7)
				NRNR Scheme outstan-ding as on 27.10.95	FCNR (B) Scheme outstan-ding as on 24.11.95		For the fortnight ended	Amount on the basis of col. (4) (15%-First three fort-nights of the quarter/ 14.5%/14%)	Amount on the basis of Col. (5) (7.5%)	Amount on the basis of Col. No. (6) 7.5%	Over the NDTL as of 3-5-1991	Over the NDTL as of 5-8-94/ 30-9-94 ^	Required to be mainta-ined under Sec. 42(1) and Sec. 42(1A) of RBI Act, 1934 (Total of Col. Nos. (9) (10) (11), (12) and (13)	Actually mainta-ined for the purpose of CRR in terms of Sec. 42(1) & 42(1A) of RBI Act. 1934	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															

We hereby certify that the information furnished above is correct. Our bank has/[@] has not compiled with CRR requirement for all the fortnights of the quarter and has/[@] has not defaulted in the maintenance of CRR during the quarter.* In case of default detected subsequently, we undertake to refund the excess amount along with such interest as may be levied by Reserve Bank within a week from the date of demand, failing which we authorise Reserve Bank to debit our current account with them for like amount. We also note that Reserve Bank would withdraw the facility of adhoc payment of interest in the event of furnishing incorrect information/delayed submission of required returns / submission of incorrect returns.

Place :

Date :

Signature :

Name :

Designation :

* In case there is default/shortfall in the maintenance of CRR in any of the fortnights, please indicate reason therefor.

@ Strikeout whichever is not applicable under the signature of authorised signatory.

^ Information under this col. is to be furnished by 37 banks which were asked to maintain 10 per cent incremental CRR over their NDTL of 5-8-94/30-9-94

NB - Please leave sufficient space between two Sr. Nos.

बैंपविवि. सं. बीसी. 32/12.01.002/95-96

30 मार्च 1996
10 चैत्र 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) - फार्म "क" में विशेष पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करना

कृपया आप निर्धारित अवधि के भीतर 31 मार्च 1996 तक की विशेष फार्म "क" विवरणी (अंतिम) हमें, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तथा निदेशक, बैंकिंग अध्ययन प्रभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण एवं कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सी-8/9, 6ठी मंजिल, पोस्ट बॉक्स सं. 8128, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई - 400 051 को निश्चित रूप से भेजने की व्यवस्था करें।

भवदीय,

(सी.वी.अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

DBOD.No.BC.32/12.01.002/95-96

March 30, 1996
Chaitra 10, 1918 (S)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 42 (2) OF THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - SUBMISSION OF SPECIAL FORTNIGHTLY RETURN IN FORM 'A'

We shall be glad if you will kindly arrange to submit the special form 'A' return (final) as on the 31st March 1996 positively within the prescribed period to us, to the concerned regional office and to the Director, Division of Banking Studies, Department of Statistical Analysis and Computer Services, Reserve Bank of India, C-8/9, 6th Floor, P. B. No. 8128, Bandra-Kurla Complex, Mumbai-400 051.

Yours faithfully,

(C. V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी. 103/12.03.001/96

31 जुलाई 1996
9 श्रावण 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 – फार्म IX में विवरण प्रस्तुत करना - दावा न की गयी जमाराशियाँ

जैसा कि आप जानते हैं, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 के अनुसार हर बैंकिंग कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति के बाद तीस दिन के भीतर निर्धारित फार्म (फार्म IX) एवं निर्धारित तरीके से भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति की स्थिति के अनुसार भारत में ऐसे सभी खातों के बारे में जिनका दस वर्ष तक परिचालन नहीं हुआ हो एक विवरण भेजें।

2. इस संबंध में, यह पाया गया है कि कई बैंक निर्धारित समय का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके कारण दावा न की गयी जमाराशियों का समेकित विवरण भारत सरकार को देर से प्रस्तुत किया जाता है। अभी तक कई बैंकों से 31 दिसम्बर 1995 को समाप्त अवधि का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि यदि आपने पहले ही विवरण नहीं भेजा है तो उसे इस विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तथा हमारे पास भी तुरंत भेजें।

DBOD.No.BC.103/12.03.001/96

July 31, 1996
Sravana 9, 1918 (S)

All Commercial Banks

Dear Sir

SECTION 26 OF BANKING REGULATION ACT, 1949 - SUBMISSION OF RETURNS IN FORM IX-UNCLAIMED DEPOSITS

As you are aware that in terms of section 26 of Banking Regulation Act, 1949 every banking company is requried to submit within thirty days after the close of each calendar year a return in prescribed form (form IX) and manner to the Reserve Bank of India as at the end of such calendar year of all accounts in India, which have not been operated upon for ten years.

2. In this connection, it is observed that many banks are not adhering to the prescribed time schedule which results in late submission of consolidated statement of unclaimed deposits to Government of India. The return for the period ended 31st December 1995 has not been submitted by many banks so far. You are, therefore advised to submit the return immediately, if not already done, to the concerned regional office of this department and to us.

3. हमारे उपर्युक्त अनुदेशों का यदि अनुपालन नहीं किया जाता तो उस पर गंभीर रुख अपनाया जाएगा।

भवदीय,

(सी.वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

3. Non-compliance of our above instructions in the matter will be viewed seriously.

Yours faithfully,

(C.V. Amalnekar)
General Manager

भाग X

विविध

(क) शाखा विस्तार
(ख) बैंक द्वारा शुरू किये गये गैर-पारंपरिक कार्य-व्यापारी बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किराया खरीद व्यवसाय, आदि
(ग) बैंकों में ग्राहक सेवा
(घ) बैंकों में धोखाधड़ी आदि
(ङ) अन्य

SECTION X

MISCELLANEOUS

(a) BRANCH EXPANSION
(b) NON-TRADITIONAL TYPE OF WORK TAKEN UP BY BANKS-MERCHANT BANKING, CREDIT CARD SYSTEM, HIRE-PURCHASE BUSINESS ETC.
(c) CUSTOMER SERVICE IN BANKS
(d) FRAUDS ETC. IN BANKS
(e) OTHERS

बैंपविवि.सं.बीसी.64/22.01.001/95

5 जून 1995
15 ज्येष्ठ 1917 (शक)

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय,

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की घाटा उठाने वाली शाखाओं को दूसरे स्थान पर ले जाना और शाखा-तंत्र को औचित्यपूर्ण बनाना

आपको विदित ही है कि हमारे 22 दिसम्बर 1993 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीएल.बीसी. 207/22.01.001/93-94 के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को घाटा उठानेवाली शाखाओं को दूसरे स्थान पर ले जा कर और विस्तार पटल (एक्सटेंशन काउंटर) खोलकर अपने शाखा-तंत्र को औचित्यपूर्ण बनाने की और अधिक स्वतंत्रता दी गयी थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन संबंधी समिति की सिफारिशों के प्रकाश में इस बारे में मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गयी है। इस संबंध में मौजूदा दिशा-निर्देशों/अनुदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किये जायेंगे :

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत यथा अपेक्षित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नये स्थान पर कारोबार खोलने के लिए लाइसेंस की अपेक्षा से संबंधित वर्तमान अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने कार्य-क्षेत्र के उन ग्राहकों को भी बिना किसी बाधा के और संतोषजनक ढंग से सतत आधार पर बैंकिंग सेवाएं देने के प्रावधान का पालन सुनिश्चित करते रहेंगे, जो ग्राहक इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में किसी शाखा को दूसरे स्थान पर ले जाने/शाखाओं को मिला देने/परिवर्तित करने की कार्रवाई से प्रभावित हो सकते हों।

DBOD.No.BC.64/22.01.001/95

June 5, 1995
Jyestha 15, 1917 (Saka)

All Regional Rural Banks

Dear Sir,

RELOCATION OF LOSS-MAKING BRANCHES AND RATIONALISATION OF BRANCH NETWORK OF REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

As you are aware, RRBs were allowed greater freedom to rationalise their branch network by relocating loss-making branches and opening extension counters in terms of our circular DBOD. No. BL.BC.207/22.01.001/93-94 dated 22 December 1993. The existing guidelines in this regard have been reviewed in the light of the recommendations of the Committee on Restructuring of RRBs. In partial modification of the existing guidelines/instructions in this regard, the following guidelines will come into force with immediate effect.

2. The current instructions regarding requirement of licence for opening a new place of business by RRBs as required under Section 23 of Banking Regulations Act, 1949 will remain unchanged. RRBs will continue to ensure the provision of uninterrupted and satisfactory banking services on an ongoing basis to the clientele in their areas of operation which may be affected by any action including relocation/merger/conversion of any branch pursuant to these guidelines.

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने शाखा तंत्र के संबंध में दीर्घकालिक दृष्टिकोण बना सकें, इसके लिए और आधार-स्तर पर मानदंडों और क्रियाविधि की एकरूपता की आवश्यकता को देखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा-लाइसेंस देने की नयी नीति में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी - (क) जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण संबंधी बाध्यता से 1993 में मुक्त कर दिया गया है उनके द्वारा घाटा उठानेवाली शाखाओं को दूसरे स्थान पर ले जाना, (ख) उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नयी शाखाएं खोलना जिन पर सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत सेवा क्षेत्र संबंधी उत्तरदायित्व अभी भी हैं और (ग) ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित बैंकों की दोनों श्रेणियों द्वारा घाटा उठानेवाली शाखाओं को अधीनस्थ (सैटेलाइट)/सचल कार्यालयों में परिवर्तित करना और शाखाओं को मिलाना। नीतिगत ब्योरे आगे के पैराग्राफों में दिये गये हैं।

शाखाओं को दूसरे स्थान पर ले जाने, नये स्थान पर कारोबार खोलने, अधीनस्थ/सचल कार्यालयों में परिवर्तित करने से संबंधित सभी प्रस्ताव जिला परामर्शदात्री समिति के उप-दल द्वारा निपटाये जायेंगे। इस उप-दल की स्थापना और कार्यों के बारे में हमारे ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग द्वारा अलग से बताया जायेगा।

4. सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण से मुक्त 70 क्षे.ग्रा. बैंकों की शाखाओं को दूसरे स्थान पर ले जाना, परिवर्तित करना, मिलाना आदि

(क) 22 दिसम्बर 1993 के परिपत्र ग्राआऋवि.सं. एसएए. बीसी. 76/08.01.00/93-94 के अनुसार सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण से मुक्त किये गये 70 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सेवा क्षेत्र संबंधी कोई विशिष्ट बाध्यताएं नहीं हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में लक्ष्य-समूह और उप लक्ष्य-समूह वित्तपोषण का कार्य वाणिज्य बैंकों की नामित शाखाओं को सौंप दिया गया है। उन्हीं को सेवा क्षेत्र योजनाएं तैयार करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इस दृष्टि से ये 70 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी घाटा उठानेवाली

3. With a view to enabling RRBs to take a long-term view on their branch network, and recognising the need for uniformity in norms and procedure at the ground level, the new branch licensing policy for RRBs, details of which are given in the following paragraphs, would cover (a) relocation of loss-making branches by RRBs which have been freed from their Service Area obligation in 1993, (b) opening of new branches by RRBs which continue to have Service Area responsibilities under Service Area Approach and (c) conversion of loss-making branches into satellite/mobile offices and merger of branches by both categories of banks referred to at (a) and (b) above.

All proposals relating to relocation of branches, opening of new places of business, conversion into satellite / mobile offices etc. should be cleared by a sub-group of the District Consultative Committee, the setting-up and functions of which will be advised separately by our Rural Planning & Credit Department.

4. Relocation, conversion, merger of branches etc. of 70 RRBs which are freed from Service Area Approach

(a) The 70 RRBs which have been freed from the Service Area Approach in terms of Circular RPCD.No. SAA.BC. 76/08.01.00/93-94 dated 22 December 1993 do not have any specific Service Area obligations. The target and non-target group financing in such areas has since been given to designated branches of commercial banks which have also been assigned the

शाखाओं को तालुका/विकास खंड मुख्यालय, ग्राम-बाजार, मंडी और कृषि उपज केंद्रों अथवा इसी प्रकार के अन्य केन्द्रों (जिन्हें यहां आगे "विशिष्ट केन्द्र" कहा गया है) पर ले जा सकते हैं, जो अधिमानतः उसी विकास खंड में होने चाहिए।

responsibility of preparing the Service Area plans. In view of this, these 70 RRBs may relocate their loss-making branches at taluka/block headquarters, village markets, mandis and agricultural produce centres or similar centres (hereinafter referred to as 'specified centres'), preferably within the same block.

(ख) शाखा को दूसरे स्थान पर ले जाने के विकल्प के रूप में ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक घाटा उठानेवाली शाखाओं को अधीनस्थ (सैटेलाइट)/सचल कार्यालयों में परिवर्तित कर सकते हैं, जो इस संबंध में हमारे 14 दिसम्बर 1987 के परिपत्र बैंपविवि. सं.बीएल. बीसी.72/सी. 168(64डी)-87 द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

(b) As an alternative to relocation, these RRBs may convert loss-making branches into satellite/mobile offices as per the guidelines issued in this regard, vide our circular DBOD. No. BL.BC.72/C-168(64D)-87 dated 14 December 1987.

(ग) यदि किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की घाटा उठाने वाली दो शाखाएं परस्पर निकट हैं, अर्थात् लगभग 5 कि.मी. तक की दूरी पर है, तो वे उन दोनों शाखाओं को मिलाने पर विचार कर सकते हैं।

(c) In case, two loss-making branches of RRB are in close proximity to each other, i.e. within a distance of about 5 kms. they may consider merging the two branches.

5. सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का पालन करने वाले क्षे.ग्रा. बैंकों द्वारा शाखाएं नये स्थान पर ले जाना, परिवर्तित करना और नयी शाखाएं खोलना

5. Relocation, conversion, merger and opening of new branches by RRBs which have to adhere to Service Area Approach

(क) उपर्युक्त श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी घाटा उठाने वाली शाखाओं को केवल अपने सेवा क्षेत्र के अंदर ही "विशिष्ट केन्द्रों" पर ले जा सकते हैं। जहां तक पहले ही अन्यत्र ले जायी जा चुकी शाखाओं का संबंध है, वे नये केन्द्रों से कार्य करना जारी रख सकती हैं।

(a) RRBs coming under above category should relocate their loss-making branches at 'specified centres' within their Service Areas only. As regards the branches which have already been relocated they may continue to function from the relocated centres.

(ख) ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी घाटा उठाने वाली सेवा क्षेत्र शाखाओं को अधीनस्थ (सैटेलाइट)/ सचल शाखाओं में परिवर्तित करने पर भी विचार कर सकते हैं, बशर्ते इस प्रकार के परिवर्तन से

(b) These RRBs may also consider converting loss-making Service Area branches into satellite/mobile branches provided such conversion will not

सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने में बाधा न पहुंचे। इस प्रकार के मामलों में ग्राम रूपरेखा/सेवा क्षेत्र योजना तैयार करने संबंधी कार्य को अद्यतन करने तथा विकास खंड (ब्लाक) स्तरीय बैंकर समिति आदि की बैठकों में भाग लेने का कार्य उस आधार शाखा द्वारा किया जायेगा, जिससे संबंधित अधीनस्थ/सचल शाखा सम्बद्ध करने का प्रस्ताव है।

impair continued performance of Service Area Approach (SAA) obligations. In such cases updating of village profiles/preparation of Service Area Plan and attending the Block Level Bankers Committee etc. meetings will be done by the base branch to which the concerned satellite/mobile branch is proposed to be attached.

(ग) यदि उसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कोई दूसरी शाखा भौगोलिक दृष्टि से निकटस्थ सेवा क्षेत्र में लगभग 5 कि.मी. तक की दूरी पर स्थित है तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थानगत फैलाव को औचित्यपूर्ण बनाने और स्थापना/परिचालन व प्रशासनिक लागत कम करने की दृष्टि से दोनों शाखाओं को मिलाने पर विचार कर सकता है।

(c) In case another branch of the same RRB is operating within a distance of about 5 kms. in a geographically contiguous Service Area, these RRBs may consider merging the two branches with a view to rationalising the spatial spread and reducing establishment/ operating administrative costs.

(घ) ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने अत्यधिक चयनात्मक आधार पर "विशिष्ट केन्द्रों" पर नयी शाखाएं खोलने पर भी विचार कर सकते हैं।

(d) These RRBs may also consider opening of new branches at 'specified centres' on a very selective basis within their area of operations.

6. नये स्थान पर शाखा ले जाने, परिवर्तित करने, शाखाओं को मिलाने और नयी शाखाएं खोलने के विभिन्न प्रस्तावों के लिए अपनायी जानेवाली क्रियाविधि

6. Procedure to be followed for various proposals for relocation, conversion, merger and opening of new branches.

(क) शाखा को अन्यत्र ले जाना और अधीनस्थ कार्यालयों में परिवर्तन

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अक्षम (अव्यवहार्य) शाखाओं को अन्यत्र ले जाने और इस प्रकार की शाखाओं को अधीनस्थ/सचल कार्यालयों में परिवर्तित करने के लिए जिला परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) के उप-दल का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। इस प्रकार के मामलों में रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक नहीं है परंतु लाइसेंस में आवश्यक संशोधन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।

(A) Relocation and conversion into satellite offices

For relocation of non-viable branches and conversion of such branches into satellite/mobile offices by the Regional Rural Banks the approval of the concerned sub-group of D.C.C. has to be obtained. Prior approval of Reserve Bank of India will not be necessary in such cases. The RRBs should, however, approach our Regional Offices concerned for necessary amendments in the licences.

(ख) **शाखाओं को मिलाना**

शाखाओं को मिलाने के सभी प्रस्ताव जिला परामर्शदात्री समिति के उप-दल के माध्यम से आने चाहिए तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की विशिष्ट सिफारिश प्राप्त करके भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंपविवि) को पूर्वानुमोदन के लिए भेजे जाने चाहिए।

(ग) **नयी शाखाएं खोलना**

जिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण संबंधी बाध्यताओं का पालन करना है, वे नयी शाखाएं खोलने के प्रस्ताव बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत अनुमति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग को भेजें। ऐसे प्रस्ताव जिला परामर्शदात्री समिति के उपदल के अनुमोदन तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सिफारिश प्राप्त करने के बाद भेजे जायें।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा शाखा अन्यत्र ले जाने, परिवर्तित करने, शाखाओं को मिलाने और नयी शाखाएं खोलने के प्रस्ताव उनके निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित होने चाहिए।

भवदीय,

(जे.आर. प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

(B) Merger

All proposals for merger of branches may be routed through the sub-groups of DCCs and after obtaining specific recommendations of NABARD they may be forwarded to us (DBOD) RBI for our prior approval.

(C) Opening of new branches

The RRBs which have to adhere to Service Area Approach (SAA) obligations could send proposals for opening of new branches to Central Office, Department of Banking Operations and Development for permission under Section 23 of Banking Regulation Act, 1949 after obtaining the approval of sub-groups of DCCs and recommendations of NABARD.

The proposals for relocation, conversion, merger and opening of new branches of RRBs should be duly approved by their Boards of Directors.

Yours faithfully,

(J.R. Prabhu)
Chief General Manager

बैंपविवि.सं.बीएल.बीसी.80/22.05.012/95

27 जुलाई 1995
5 श्रावण 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)

प्रिय महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23-शाखा बैंकिंग आँकड़े - खोले / बंद किये गये कार्यालय

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 मार्च 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी.29/22.01.001/94 देखें, जिसके अनुसार बैंकों से यह अपेक्षित था कि वे हमें तथा हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को हमारे सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा II और III में खोले/बंद किये गये कार्यालयों से संबंधित तिमाही विवरण प्रस्तुत करें। मामले की पुनरीक्षा करने के बाद अब यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को हमें अर्थात् बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय को उक्त विवरण भेजने की आवश्यकता नहीं है परंतु वे इसे हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजना जारी रखें।

2. तथापि, यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी प्रकार की शाखा/कार्यालय खोलने अथवा बंद करने अथवा उनकी हैसियत में कोई परिवर्तन, जैसे कि विस्तार काउंटर की प्रोन्नति, परिवर्तन, विलयन, स्थानांतरण आदि, होने के तत्काल बाद संलग्न फार्मेटों में उचित रूप से उसका विवरण हमें तथा हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाय।

DBOD No. BL.BC.80/22-05-012/95

July 27, 1995
Sravana 5, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(including Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SECTION 23 OF BANKING REGULATION ACT, 1949 - BRANCH BANKING STATISTICS - OFFICES OPENED/CLOSED

Please refer to our circular DBOD. No. BC.29/22-01-001/94 dated 12th March 1994 on the above subject in terms of which banks were advised to submit to us and our concerned Regional Offices, Quarterly Statements regarding offices opened/closed in proforma II and III prescribed by our Department of Statistical Analysis and Computer Services. On a review of the matter, it has now been decided that banks need not send the aforesaid statements to us, i.e. Department of Banking Operations and Development, Central Office but may continue to send the same to our concerned Regional Offices.

2. It may, however, be ensured that immediately after opening or closing of a branch/office of any type or on effecting any change in their status such as upgradation of Extension Counters, conversion, merger, shifting, etc. the details thereof may be advised to us, and our concerned Regional Offices appropriately in the enclosed formats.

3. निर्धारित फार्मेटों में मासिक विवरणियां अब तक की तरह बैंकों द्वारा सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग को भेजी जाती रहें।

भवदीय,

(जी.एन.डोंगरे)
सहायक महा प्रबंधक

3. The monthly returns in the prescribed formats will continue to be sent by the banks to Department of Statistical Analysis and Computer Services as hitherto.

Yours faithfully,

(G.N. Dongre)
Assistant General Manager

खोली गयी शाखा/कार्यालय की सूचना

1.	बैंक का नाम	:		
2.	केन्द्र का नाम	:		
3.	खोलने की तारीख	:		
4.	भा.रि.बैंक के अनुमोदन की संदर्भ संख्या और तारीख	:		
5.	लाइसेंस सं. और तारीख	:		
6.	कार्यालय की श्रेणी (यथोचित रूप से टिक/ विनिर्दिष्ट करें)	:	क.	नियमित शाखा
			ख.	विस्तार काउंटर की प्रोन्नति
			ग.	विशिष्ट शाखा :..... (विनिर्दिष्ट करें)
			घ.	विस्तार काउंटर
			ङ.	अन्य प्रकार का कार्यालय/ : काउंटर/वसूली/सेवा केन्द्र..... (विनिर्दिष्ट करें)
7.	आबादी समूह (ग्रामीण/ कसबाई/शहरी/महानगरीय)	:		
8.	जिला	:		
9.	राज्य	:		
10.	**परिवर्तित/पुनः आबंटित/ प्रतिस्थापित/स्थानांतरित/ परिवर्तित आदि का उल्लेख करें (यदि लागू हो तो)**	:		
11.	**कोई अन्य संगत विवरण**	:		

ADVICE OF BRANCH/OFFICE OPENED

1. Name of the Bank :

2. Name of the Centre :

3. Date of Opening :

4. Ref. No. & Date of RBI's approval :

5. Licence No. & Date :

6. Category of Office (Tick/specify appropriately) :
   - A. Regular Branch
   - B. Upgradation of Exten. Counter
   - C. Specialised Branch :..... (Specify)
   - D. Extention Counter
   - E. Other type of Office/Counter/ Collection / Service Centre :..... (Specify)

7. Population Group (Rural/Semi-Urban/ Urban/Metropolitan) :

8. District :

9. State :

10. Mention whether converted/Reallocated/ Substituted/Shifted/ Changed etc. (if applicable) :

11. Any other relevant particulars :

बंद की गयी शाखा/कार्यालय की सूचना

1. बैंक का नाम :

2. केन्द्र का नाम :

3. बंद करने की तारीख :

4. भा.रि.बैंक के अनुमोदन, यदि कोई हो, की संदर्भ संख्या और तारीख :

5. लाइसेंस सं. और तारीख :

6. बंद करने के कारण :

7. कार्यालय की श्रेणी (यथोचित रूप से टिक/विनिर्दिष्ट करें) :
   - क. नियमित
   - ख. विशिष्ट-शाखा :..... (विनिर्दिष्ट करें)
   - ग. विस्तार काउंटर
   - घ. अन्य प्रकार का कार्यालय/ : काउंटर/वसूली/सेवा केन्द्र..... (विनिर्दिष्ट करें)

8. आबादी समूह (ग्रामीण/ कसबाई/शहरी/महानगरीय) :

9. जिला :

10. राज्य :

11. कोई अन्य संगत विवरण :

ADVICE OF BRANCH/OFFICE CLOSED

1. Name of the Bank :

2. Name of the Centre :

3. Date of Closing :

4. Ref. No. & Date of RBI's approval, if any. :

5. Licence No. & Date :

6. Reasons for Closing :

7. Category of Office (Tick/Specify appropriately) :
   - A. Regular Branch
   - B. Specialised Branch :..... (Specify)
   - C. Extention Counter
   - D. Other type of Office/Counter/ Collection/Service Centre :..... (Specify)

8. Population Group (Rural/Semi-Urban/ Urban/Metropolitan) :

9. District :

10. State :

11. Any other relevant Particulars :

बैंपविवि. सं. बीएल.बीसी. 76/22.01.001/96

17 जून 1996
27 ज्येष्ठ 1918 (शक)

सभी भारतीय वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत प्रस्ताव – बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रशासकीय अधिकारों का प्रत्यायोजन

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत प्रस्तावों को शासित करनेवाली क्रियाविधि की समीक्षा करके निर्णय लिया गया है कि भविष्य में निम्नलिखित प्रकार के प्रस्तावों पर कार्रवाई सीधे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जायेगी।

i) **शहर/महानगर/पत्तन नगर केन्द्रों में स्थित शाखाओं का स्थान बदलना**
वर्तमान में शहर/महानगर/पत्तन नगर केन्द्रों में उसी अवस्थिति/नगर निगम वार्ड में शाखाओं का स्थान बदलने के लिए बैंक स्वतंत्र हैं। अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड को शाखा ले जानी हो तो बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई का पूर्व अनुमोदन लेना पड़ता है। भविष्य में ऐसे सभी मामलों में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सीधे कार्रवाई की जायेगी।

DBOD No. BL.BC.76/22.01.001/96

June 17, 1996
Jyeshta 27, 1918 (S)

All Indian Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

PROPOSALS UNDER SECTION 23 OF B.R.ACT, 1949-DELEGATION OF ADMINISTRATIVE POWERS TO REGIONAL OFFICES OF DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT

On a review of the procedures governing proposals under Section 23 of the Banking Regulation Act, 1949, it has been decided that in future the following types of proposals will be dealt with directly by the concerned Regional Offices :

i) **Shifting of branches located in Urban/Metropolitan/Port town centres**
Presently, banks have freedom to shift branches within same locality/municipal ward in Urban/Metropolitan/Port town centres. Where the shifting is from one ward to a different ward, banks have to obtain prior approval of Reserve Bank of India, Department of Banking Operations and Development, Central Office, Mumbai. In future, all such cases will be dealt with by the concerned Regional offices of Department of Banking Operations and Development directly.

ii) **विस्तार काउंटरों का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण शाखाएं करना**

विस्तार काउंटरों को पूर्ण शाखाओं का दर्जा देने के प्रस्ताव भी भविष्य में बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

2. बैंक अपने प्रस्ताव रखते समय क्रियाविधि में उपर्युक्त परिवर्तनों का कृपया ध्यान रखें।

भवदीय,

(एन.के. सरकार)
महा प्रबंधक

ii) **Upgradation of extension counters into full-fledged branches**

Proposals involving upgradation of extension counters into full-fledged branches will also henceforth be approved by the concerned Regional offices of Department of Banking Operations and Development.

2. The change in procedures as indicated above may be noted by the banks while submitting the proposals.

Yours faithfully,

(N. K. Sarkar)
General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.27/24.47.001/95

9 मार्च 1995
18 फाल्गुन 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

स्टॉकइन्वेस्ट योजना

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन, भारत सरकार ने स्टॉकइन्वेस्ट योजना की स्वीकार्यता और प्रभावशीलता के संबंध में एक अध्ययन किया है । इस अध्ययन में यह पाया गया है कि उक्त योजना सभी निवेशकर्ताओं को अभी भी स्वीकार्य नहीं है । अध्ययन के अनुसार इस योजना की लोकप्रियता में कमी के कुछ कारण हैं – स्टॉकइन्वेस्ट जारी करने में विलम्ब, जमाराशियों पर से ग्रहणाधिकार हटाने में विलम्ब आदि । यह उल्लेख किया गया है कि कभी-कभी ग्राहकों को स्टॉकइन्वेस्ट लेने के लिए अगले दिन बैंक आना पड़ता है ।

2. इस अध्ययन के निष्कर्षों की हमने जांच की है और हम निम्नप्रकार सूचित करते हैं :

(क) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टॉकइन्वेस्ट जारी करने में कोई विलम्ब न हो ।

(ख) जमा खातों पर से ग्रहणाधिकार अनावश्यक विलम्ब किये बिना हटाना चाहिए । इस संबंध में हमारे 19-10-1992 के परिपत्र बैंपविवि.एफएससी.बीसी.47/24.47.001/92-93 और 13-8-1993 के परिपत्र

DBOD No. FSC.BC.27/24.47.001/95

March 9, 1995
Phalguna 18, 1917 (Saka)

The Chairmen/Chief Executives of
All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

STOCKINVEST SCHEME

The Department of Administrative Reforms & Public Grievances, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Government of India had conducted a study on 'Acceptability & Effectiveness of the Stockinvest Scheme'. The study has observed that the scheme is yet to find acceptance among all the investors. Some of the reasons for the lack of popularity of the scheme according to the study, were the delay in issue of Stockinvests, delay in lifting of the lien on deposits, etc. It has been stated that the customers sometimes had to come to the bank the next day for collecting the Stockinvests.

2. The findings of the study have been examined by us and we have to advise as under :

(a) Banks should ensure that there is no delay in issue of Stockinvests.

(b) The lien on deposit accounts should be lifted without undue delay. In this connection, a reference is invited to our circulars DBOD.FSC.BC.47/24.47.001/92-

बैंपविवि.एफएससी.बीसी.149/24.47.001/93-94 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उनमें निर्धारित शर्तों के अधीन जमाखातों पर से ग्रहणाधिकार हटाया जा सकता है ।

93 dated 19.10.1992 and DBOD.FSC.BC.149/24.47.001/93-94 dated 13.8.1993 in terms of which the lien on deposit accounts could be lifted subject to the conditions stipulated therein.

(ग) अधिकाधिक निवेशक इस योजना का लाभ ले सकें, इस दृष्टि से स्टॉकइन्वेस्ट यथासंभव अधिकाधिक शाखाओं द्वारा जारी किये जाने चाहिए ।

(c) In order to make the scheme accessible to more investors, stockinvests may be issued by as many branches as possible.

(घ) स्टॉकइन्वेस्ट जारी करने के लिए आवेदन फार्म अधिक सरल बनाया जाना चाहिए ।

(d) The application form for issue of stockinvests may be made simpler.

(ङ) यह पाया गया है कि एक ही बैंक कूट संख्या एक से अधिक बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जाती है । चूंकि इससे लिखत के समाशोधन और छानबीन आदि में विलम्ब हो सकता है, इसलिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे यथोचित सावधानी रखें और स्टॉकइन्वेस्टों पर सही शाखा कूट लिखें ।

(e) It has been observed that same bank code is being used by more than one bank. As this would result in delays in clearing and processing, etc. of the instrument, banks are advised to exercise due caution and provide the correct branch code on stockinvests.

(च) दिनांक 1-2-1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.बीसी.76/24.47.001/91-92 के अनुबंध I द्वारा निर्धारित फार्मेट में स्टॉकइन्वेस्ट की राशि केवल आंकड़ों में भरने की बैंकों से अपेक्षा की जाती है । जालसाजी आदि की गुंजाइश न रहे इसके लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे स्टॉकइन्वेस्ट की राशि आंकड़ों और शब्दों दोनों में लिखें ।

(f) In the format prescribed vide Annexure-I to our Circular DBOD. BC.76/24.47.001/91-92 dated 1.2.1992, banks are required to indicate the amount of Stockinvest in figures only. In order to prevent chances of forgery etc., banks are advised to indicate the amount of Stockinvest issued both in figures and words.

भवदीय,

(के. वी. राजन)
उप मुख्य अधिकारी

Yours faithfully,

(K.V. Rajan)
Deputy Chief Officer

बैंपविवि. सं. एफएससी.बीसी.101/24.01.001/95

20 सितम्बर 1995
29 भाद्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

उपस्कर पट्टे पर देना, किराया खरीद और फैक्टरिंग आदि, गतिविधियां

कृपया 19 फरवरी 1994 का हमारा परिपत्र सं. बैंपविवि.एफएससी.बीसी.18/24.01.001/93-94 देखें जिसके द्वारा बैंकों को यह अनुमति प्रदान की गयी थी कि यदि वे चाहें तो उसमें वर्णित शर्तों के अधीन विभागीय तौर पर उपर्युक्त कार्य कर सकते हैं । जबकि आशय यह है कि उपस्कर/मशीनरी के वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए बैंकों को विभागीय तौर पर पट्टे का कारोबार करना चाहिए, हमें यह पता चला है कि गैर-बैंकिंग कंपनियों की ओर से भी बैंकों द्वारा ऐसे कारोबार किये जाते हैं जो कि बाद में उपयोगकर्ता को आस्तियां उप-पट्टे पर दे देती हैं ।

2. हमने इस मामले की जांच की है और हमारा कहना यह है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां पट्टे पर दी गयी अपनी आस्तियों से उत्पन्न पट्टा किराया प्राप्य की जमानत पर बैंक वित्त प्राप्त करने की पात्र हैं । इस तरह, बैंकों से पट्टे पर प्राप्त एवं उपयोगकर्ताओं को उप-पट्टे पर दी गयी आस्तियों से उत्पन्न पट्टा किराया प्राप्य को बैंक वित्त की संगणना में शामिल करने का परिणाम यह होगा कि बैंक द्वारा उसी आस्ति का दुहरा वित्तीयन होगा । अतः यह निर्णय किया गया है कि पट्टे पर उपस्कर देनेवाली कंपनियों तथा पट्टे पर उपस्कर देने का कारोबार करनेवाली अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ विभागीय तौर पर बैंकों को पट्टे के करार **नहीं** करने चाहिए । पुनश्च, चूंकि बैंक केवल उधारकर्ताओं

DBOD No. FSC.BC. 101/24.01.001/95

September 20, 1995
Bhadra 29, 1917 (S)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

EQUIPMENT LEASING, HIRE PURCHASE AND FACTORING ETC., ACTIVITIES

Please refer to our circular No. DBOD.FSC.BC.18/24.01.001/93-94 dated February 19, 1994, permitting banks to undertake the above activities departmentally, in case they so desire, subject to the conditions stipulated therein. While it is the intention that banks should departmentally undertake leasing activity for ultimate users of the equipment/machinery, it has come to our notice that such activity is undertaken by banks on behalf of non-banking financial companies as well, which in turn sub-lease the assets to the user.

2. We have examined the issue and observe that non-banking financial companies are eligible for bank finance against lease rental receivables arising out of their assets leased. As such, inclusion of lease rental receivables, arising out of assets procured on lease from banks and sub-leased to users, for the purpose of computation of bank finance would result in double financing of the same asset by the bank. It has, therefore, been decided that banks should **not** enter into lease agreements departmentally with equipment leasing companies as well as

के स्वामित्व में रहनेवाले उपस्कर/मशीनरी के पट्टे पर दिये जाने से उत्पन्न पट्टा किराया प्राप्य की सहायता कर सकते हैं, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनी (पट्टे का मामूली कारोबार करनेवाली) द्वारा अथवा किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा किसी आस्ति के उप-पट्टे से उत्पन्न पट्टा किराया प्राप्य को ऐसी कंपनी के बैंक वित्त की संगणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

भवदीय,

(के. वी. राजन)
उप महा प्रबंधक

other non-banking financial companies engaged in equipment leasing. Further, as banks can only support lease rental receivables arising out of lease of equipment/machinery owned by the borrowers, it is clarified that, lease rental receivables arising out of sub-lease of an asset by a non-banking non-financial company (undertaking nominal leasing activity) or by a non-banking financial company, should be excluded for the purpose of computaton of bank finance for such company.

Yours faithfully,

(K. V. Rajan)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.147/24.01.013/95-96

11 दिसम्बर 1995
20 अग्रहायण 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/वित्तीय संस्थाएं

प्रिय महोदय,

मुद्रा बाजार पारस्परिक निधि योजना -- दिशा निर्देश

कृपया आप 29 अप्रैल 1992 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीसी.131/24.01.013/91-92 देखें, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू की गयी मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों की योजना लागू करने की जानकारी दी गयी है । इस संबंध में आपका ध्यान गवर्नर महोदय के 23 नवम्बर 1995 के परिपत्र सं. सीपीसी.बीसी.148/

DBOD No. FSC.BC.147/24.01.013/95-96

December 11, 1995
Agrahayana 20, 1917 (S)

All Scheduled Commercial Banks/ Financial Institutions

Dear Sir,

SCHEME FOR MONEY MARKET MUTUAL FUNDS - GUIDELINES

Please refer to our circular DBOD. No.BC.131/24.01.013/91-92 dated 29 April 1992 wherein a scheme of Money Market Mutual Funds (MMMFs) was introduced by the Reserve Bank of India. In this connection we invite your attention to the Governor's

07.01.279/95-96 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें मुद्रा बाज़ार को अधिक लचीलापन और गहराई देने के उद्देश्य से तथा योजना को और अधिक लचीला बनाने तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए आकर्षक बनाने की दृष्टि से मौजूदा योजना में कुछ संशोधन लागू किये गये हैं । संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गयी हैं :

1. **मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि की स्थापना के लिए पात्रता**

अब मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4(क) के अंतर्गत यथापरिभाषित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के द्वारा अथवा निधि प्रबंधन में लगी उनकी मौजूदा पारस्परिक निधि/सहायक संस्था के माध्यम से की जा सकती है । साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित पारस्परिक निधियों द्वारा भी इनकी स्थापना की जा सकती है । निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियां भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियां स्थापित कर सकती हैं, जो योजना के अंतर्गत निर्धारित प्रचलित अन्य नियम और शर्तों के अधीन होंगी और उन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की भी अनुमति लेनी होगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राशि/अवधि के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मुद्रा बाज़ार में निवेशों संबंधी किन्हीं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन न हो ।

2. **मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों का ढांचा**

(i) मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों की स्थापना बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/पारस्परिक निधियों/सहायक संस्थाओं के प्रभाग/विभाग अर्थात् 'इनहाउस' मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि के रूप में की जा सकती है, जिनमें ऐसी मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों की आस्तियाँ और दायित्व संस्था के तुलनपत्र का एक भाग होंगे या उसका एक अलग अस्तित्व होगा अर्थात् वे एक न्यास के रूप में होंगे ।

circular No. CPC.BC.148/07.01.279/95-96 dated November 23, 1995, wherein, with a view to providing greater liquidity and depth to the money market and in order to make the scheme more flexible and attractive to banks and financial institutions certain modifications to the existing scheme have been introduced. The salient features of the scheme as modified are indicated below :

1. **Eligibility to set up MMMFs**

MMMFs can now be set up by scheduled commercial banks and public financial institutions as defined under Section 4A of the Companies Act, 1956 or through their existing Mutual Fund/Subsidiaries engaged in Funds Management as well as mutual funds set up in the private sector. Private sector mutual funds can set up MMMFs with the prior approval of Reserve Bank of India, subject to other extant terms and conditions stipulated under the Scheme and should also get Securities & Exchange Board of India (SEBI) clearance to ensure that there is no infringement of SEBI guidelines on money market investments for amount/duration.

2. **Structure of MMMFs**

(i) MMMFs can be set up departmentally in the form of a division/department of the banks/financial institutions/mutual funds/subsidiaries i.e. "in house" MMMFs wherein the assets and liabilities of such MMMFs would form part of the eligible institutions' balance sheet or as a separate entity i.e., as a "Trust".

(ii) मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों का परिचालन या तो मुद्रा बाज़ार जमा खाते के रूप में किया जा सकता है या मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि के रूप में । मुद्रा बाज़ार जमा खाता योजनाओं का परिचालन या तो जमा रसीद जारी करके किया जा सकता है या किसी पासबुक के द्वारा । लेकिन पासबुक खाता योजना चेक बुक सुविधारहित होनी चाहिए । मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियाँ सतत खुली योजना और निश्चित समय पर बंद होनेवाली (क्लोज़ एंडेड) योजना के रूप में संचालित की जा सकती हैं ।

(ii) MMMFs can be operated either as Money Market Deposit Accounts (MMDAs) or Money Market Mutual Funds (MMMFs). MMDAs schemes could be operated either by issuing Deposit receipt or through issue of Pass Book without cheque book facility. MMMFs could float both open-ended and close-ended schemes.

(iii) जहां मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों की स्थापना न्यास के रूप में की जाये, वहां प्रायोजक संस्था उसका प्रबंध करने के लिए एक न्यासी बोर्ड नियुक्त करे । जहां निधि की स्थापना एक न्यास के रूप में की जाये, वहां निधि के अंतर्गत योजना का दिन-प्रतिदिन का प्रबंध, न्यासी बोर्ड द्वारा यथाप्रत्यायोजित, पूर्णकालिक कार्यपालक द्वारा संचालित होना चाहिए अथवा जहां किसी बैंक/ वित्तीय संस्था/पारस्परिक निधि/सहयोगी संस्था के प्रभाग के रूप में स्थापित किया जाये, वहां एक अलग प्रबंधक इस कार्य को देखे ।

(iii) Where MMMFs are set up as a Trust, a Board of Trustees should be appointed by the sponsoring instituton to manage it. The day-to-day management of the schemes under the Fund, as may be delegated by the Board of Trustees where the Fund is set up as a Trust, should be looked after by a full time Executive Trustee or a separate Fund Manager if set up as a Division of a bank/ financial institution/mutual fund/subsidiary.

(iv) बैंक और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित समग्र सीमाओं और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष योजनाएं बनाने के लिए स्वतंत्र हैं । मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि को चाहिए कि वह कोई भी योजना प्रारंभ करने की घोषणा करने से कम से कम एक माह पहले प्रस्ताव पत्र, आवेदन पत्र आदि की प्रतियां के साथ योजना के ब्यौरे रिज़र्व बैंक को प्रेषित करें ।

(iv) Banks and public financial institutions are free to formulate special schemes as per their requirements subject to the guidelines stipulated by the Reserve Bank of India. MMMFs should forward the details of the scheme together with copies of offer letter, applications form etc. to the Reserve Bank of India at least one month before announcing the launching of any scheme.

3. मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों का आकार

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि के न्यूनतम आकार के बारे में हमारे 29 अप्रैल 1992 के परिपत्र में लगायी गयी 50 करोड़ रुपये की शर्त हटा ली जाये । इसी तरह, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/पारस्परिक निधियों/सहयोगी संस्थाओं द्वारा स्थापित मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संसाधन जुटाने के लिए उच्चतम सीमा की शर्त भी हटा ली गयी ।

3. Size of MMMFs

The minimum size of a MMMF of Rs. 50 Crores stipulated in our circular of April 29, 1992 is withdrawn. Likewise, the prescription of a ceiling for raising resources under various schemes by MMMFs set up by banks/financial institutions/mutual funds/ subsidiaries is also withdrawn.

4. **अभिदान कौन कर सकते हैं**

चूंकि मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों का उद्देश्य प्रधानतः मुद्रा बाज़ार में व्यक्तिगत रूप से सहभागिता करने के लिए निवेशकर्ताओं को एक माध्यम उपलब्ध कराना है, अतः मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों के यूनिट/शेयर केवल व्यक्तियों को ही जारी किये जा सकते हैं । अनिवासी भारतीय व्यक्ति भी मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों के यूनिटों में अभिदान कर सकते हैं । इस प्रकार के अभिदान से होनेवाली आय/लाभांश के प्रत्यावर्तन की अनुमति होगी । परंतु अभिदान की मूल राशि विदेश को प्रत्यावर्तित करने (भेजने) की अनुमति नहीं होगी ।

5. **किसी एक निवेशकर्ता द्वारा निवेश की न्यूनतम मात्रा**

किसी एक निवेशकर्ता द्वारा निवेश की न्यूनतम मात्रा का निर्धारण करने के लिए मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियां स्वतंत्र होंगी ।

6. **निवेश के उद्देश्य और नीतियां**

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों के निवेश संबंधी उद्देश्य और नीतियां प्रायोजक बैंक/संस्था अथवा संबंधित पारस्परिक निधि द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए तथा मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों द्वारा शुरू की जानेवाली प्रत्येक योजना ऐसे स्थूल उद्देश्यों एवं नीतियों और इस संबंध में बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार होनी चाहिए । जनता से अभिदान आमंत्रित करते समय मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियां योजना के नियमों और शर्तों के साथ-साथ मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों के निवेश-उद्देश्यों और निवेश-नीतियों को स्पष्ट रूप से घोषित करें । किसी योजना की घोषणा करते समय मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियाँ निवेशों पर प्रतिलाभ की दर के संबंध में कोई गारंटी या संकेत न दें ।

7. **मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों द्वारा निवेश**

(i) मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों द्वारा जुटाये गये संसाधन विशुद्ध रूप से निम्नलिखित मुद्रा बाज़ार लिखतों में निवेश किये जाने चाहिए, अर्थात्–

4. **Who can subscribe**

As MMMFs are primarily intended to be a vehicle for individual investors to participate in the money market, the units/shares of MMMFs can be issued only to individuals. Individual Non-Resident Indians (NRIs) may also subscribe to shares/units of MMMFs. The dividend/income on such subscriptions will be allowed to be repatriated. The principal amount of subscription will, however, not be allowed to be repatriated abroad.

5. **Minimum size of investment by a single investor**

MMMFs would be free to determine the minimum size of investment by a single investor.

6. **Investment objectives and policies**

The investment objectives and policies of MMMFs should be laid down by the sponsor bank/institution or concerned mutual fund and every scheme to be launched by the MMMFs should be in accord with such broad obejctives and policies and the rules and regulations framed in this regard. While inviting the subscription from the public, MMMFs should make a clear statement of investment objectives of the MMMFs and the investment policies besides the terms and conditions of the scheme. MMMFs should not give any guarantee or indication as to the rate of return on investments while announcing any scheme.

7. **Investments by MMMFs**

(i) The resources mobilised by MMMFs should be invested exclusively in the following money market instruments, namely --

(क) खज़ाना बिल और दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां. जिनकी अवधि पूरी होने में एक वर्ष की अवधि शेष हो,

(ख) मांग/सूचना मुद्रा,
(ग) वाणिज्यिक प्रपत्र,
(घ) वास्तविक व्यापार/वाणिज्यिक लेनदेनों से उत्पन्न और बैंकों द्वारा स्वीकृत/सहस्वीकृत वाणिज्यिक बिल तथा
(ङ) जमा प्रमाणपत्र ।

यह निर्णय किया गया है कि किसी एकल लिखत में निवेश के संबंध में हमारे 29 अप्रैल 1992 के परिपत्र में निर्धारित सीमा की शर्त हटा दी जाये और मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियां (मु.बा.पा.नि.) प्रत्येक लिखत में नीचे बताये गये अनुसार अपने निवेश निर्धारित करने को स्वतंत्र हैं ।

लिखत		सीमा (मु.बा.पा.नि.के संसाधनों का प्रतिशत)	
		मौजूदा	संशोधित
(क)	खज़ाना बिल और दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, जिनकी अवधि पूरी होने में एक वर्ष की अवधि शेष हो	न्यूनतम 25 प्रतिशत	न्यूनतम सीमा हटा ली गयी ।
(ख)	मांग/सूचना मुद्रा	अधिकतम 30 प्रतिशत	अधिकतम सीमा हटा ली गयी ।
(ग)	वाणिज्यिक प्रपत्र	अधिकतम 15 प्रतिशत । किसी एकल कंपनी द्वारा जारी किये गये वाणिज्यिक प्रपत्र में निवेश मु.बा. पा.नि. के संसाधनों के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए ।	अधिकतम सीमा हटा ली गयी, परंतु किसी एकल कंपनी द्वारा जारी किये गये वाणिज्यिक प्रपत्र में निवेश विवेकपूर्ण अपेक्षा के रूप में मु.बा.पा.नि.के संसाधनों के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए ।
(घ)	वास्तविक व्यापार/ वाणिज्यिक लेनदेनों से उत्पन्न और बैंकों द्वारा स्वीकृत/	अधिकतम 20 प्रतिशत	अधिकतम सीमा हटा ली गयी ।

(a) Treasury bills and dated Government, Securities having an unexpired maturity upto 1 year,
(b) call/notice money,
(c) commercial paper,
(d) commercial bills arising out of genuine trade/commercial transactions and accepted/ co-accepted by banks and
(e) certificates of deposit.

It has been decided that the limits on investments in individual instrument stipulated in our circular of April 29, 1992 should be withdrawn and MMMFs are now free to determine the extent of their investments in each instrument as indicated below :

Instruments	Limit (per cent of resources of MMMFs)	
	Existing	Revised
a) Treasury Bills and dated Government Securities having an unexpired maturity upto 1 year	Minimum 25 per cent	Minimum Limit withdrawn
b) Call/Notice Money	Maximum 30 per cent	Maximum limit withdrawn
c) Commercial Paper	Maximum 15 per cent. The exposure to commercial paper issued by an individual company should not be more than 3 per cent of the resources of the MMMF.	Maximum limit withdrawn The exposure to commercial paper issued by an individual company should, however, not be more than 3 per cent of the resources of the MMMF as a prudential requirement.
d) Commercial Bills arising out of genuine trade/ commercial transactions and accepted/co-	Maximum 20 per cent	Maximum limit withdrawn

	सहस्वीकृत वाणिज्यिक बिल				accepted by banks	
(ङ)	जमा प्रमाणपत्र	कोई सीमा नहीं	कोई सीमा नहीं	e) Certificates of Deposit	No limit	No limit

निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुसार किये जायें । मु.बा.पा.नि. को अपनी निधियां पूंजी बाजार लिखतों में नहीं लगानी चाहिए, ताकि उनके निवेश अनावश्यक जोखिम में न पड़ें ।

The investments should be made in accordance with the prudential guidelines which may be issued by the Reserve Bank of India from time to time. MMMFs shall not deploy their funds in capital market instruments so that their investments are not exposed to undue risk.

(ii) योजनाओं के बीच आस्तियों का आदान-प्रदान बाज़ार दरों और निवेश संबंधी सचेत निर्णयों के आधार पर किया जाना चाहिए, और

(ii) Switching of assets between schemes should be at market rate and based on conscious investment decision; and

(iii) मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों (एमएमएमएफ) की योजनाओं एवं मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि और प्रायोजक संस्थाओं के बीच उधार लेना और देना प्रतिबंधित है ।

(iii) Borrowing and lending between schemes of the MMMFs as also between the MMMF and the sponsoring institutions are prohibited.

8. **लिखतों की सुपुर्दगी**

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों को चाहिए कि वे खरीदे गये मुद्रा बाज़ार लिखतों की सुपुर्दगी अनिवार्यतः लें तथा बेचे गये लिखतों की सुपुर्दगी दें ।

8. **Delivery of instruments**

MMMFs should invariably take delivery of money market instruments purchased and give delivery of the instruments sold.

9. **प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं**

बैंकों द्वारा स्थापित की गयी मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों के जरिए जुटाये गये संसाधनों को उनकी शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं के भाग के रूप में नहीं माना जायेगा और इसलिए ये संसाधन प्रारक्षित निधि संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं से मुक्त होंगे ।

9. **Reserve requirements**

In the case of MMMFs set up by banks, the resources mobilised by them would not be considered as part of their net demand and time liabilities and as such these resources would be free from any reserve requirements.

10. **न्यूनतम रोध-अवधि और पुनर्खरीद**

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों में निवेशों के लिए न्यूनतम रोध-अवधि (लॉक-इन-पीरियड) 46 दिन होगी । उक्त मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियां निदेशकों को न्यूनतम रोध-अवधि के अधीन पुनर्खरीद (रिपर्चेज) की सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होंगी । पुनर्खरीद सुविधा के

10. **Minimum lock-in-period and repurchase**

The minimum lock-in-period for investments in MMMFs would be 46 days. The MMMFs would be free to offer repurchase facilities to the investors subject

ब्यौरे, क्रियाविधि सहित, प्रस्ताव के दस्तावेज़ में स्पष्ट किये जाने चाहिए ।

to the minimum lock-in period. The details of the repurchase facility including the procedures should be made clear in the offer document.

11. **बीमा सुरक्षा**

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों में निवेश की गयी निधियों के लिए भारतीय निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से बीमा सुरक्षा प्राप्त नहीं होगी । इस पहलू को मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों द्वारा प्रस्ताव के दस्तावेजों में स्पष्टतः सूचित किया जाना चाहिए ।

11. **Insurance cover**

The funds invested in MMMFs will not have insurance cover from the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation of India. This aspect must be clearly brought out in the offer documents by MMMFs.

12. **स्टाम्प-शुल्क**

मु.बा.पा.नि. द्वारा जारी किये गये शेयरों/यूनिटों पर स्टाम्प-शुल्क लगेगा । इसी प्रकार 46 दिन की रोध-अवधि तक धारण करने के बाद मु.बा.पा.नि. के यूनिटों के हस्तांतरण पर स्टाम्प-शुल्क लगेगा ।

12. **Stamp Duty**

The shares/units issued by MMMFs would be subject to stamp duty. Similarly, transfer of units of MMMFs after holding for a lock-in-period of 46 days would also be subject to stamp duty.

13. **मु.बा.पा.नि. के प्रमाणपत्रों का फार्मेट**

मु.बा.पा.नि. के यूनिट प्रमाणपत्रों के रूप में जारी किये जाने चाहिए, जिनमें निवेशकर्ता द्वारा खरीदे गये यूनिटों की संख्या दर्शायी जाये । निदर्शी फार्मेट संलग्न हैं ।

13. **Format of certificates of MMMFs**

The units of MMMFs should be issued in the form of a certificate indicating the number of units purchased by the investor. An illustrative format is enclosed.

14. **आवेदन का फार्म**

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियां अपनी योजनाओं में अभिदान करने हेतु उपयुक्त आवेदन का फार्म बनायें ।

14. **Application Form**

MMMFs may devise suitable application form for subscribing to their schemes.

15. **सुरक्षा संबंधी पहलू**

चूंकि यूनिट मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं, अतः उक्त लिखत की छपाई सुरक्षित अभिरक्षा के विषय में मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि द्वारा उचित सावधानी बरती जानी चाहिए । उन पर दो या उससे अधिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।

15. **Security Aspect**

Since units are freely transferable, due care must be exercised by the MMMF in the matter of printing/safe custody of the instrument. They should be signed by two or more authorised signatories.

16. **मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों का विनियमन**

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि की स्थापना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व प्राधिकार अपेक्षित होगा । इसके अलावा, बैंकों, उनकी सहायक संस्थाओं एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्थापित मुद्रा बाज़ार पारस्परिक

16. **Regulation of MMMFs**

The setting up of MMMFs would require prior authorisation of Reserve Bank of India. Furthermore, MMMFs set up by banks, their subsidiaries and public financial institutions

निधियों से यह अपेक्षित होगा कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये जानेवाले दिशा-निर्देशों का पालन करें । निजी क्षेत्र की मु.बा.पा.नि. को मुद्रा बाज़ार में परिचालन करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से अनुमति और भारतीय रिज़र्व बैंक का भी अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

would be required to comply with the guidelines and directives that may be issued by the Reserve Bank of India from time to time. The private sector MMMFs would need clearance of SEBI; the approval of Reserve Bank of India would be necessary to enable them to operate in the money market.

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग नीति और जनहित में मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों के संबंध में निर्देश जारी करने, कोई भी जानकारी मांगने, बहियों और खातों आदि का निरीक्षण करने के अधिकार होंगे । निजी क्षेत्र की मु.बा.पा.नि. का निरीक्षण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा किया जायेगा ।

The Reserve Bank of India shall have the powers in the interest of banking policy and public interest, to issue directions, call for any information, inspect the books and accounts of the MMMFs; and inspection of private sector MMMFs would be undertaken by SEBI.

17. **लेखा-विधि**

मु.बा.पा.नि. के खाते प्रायोजक संस्था के खातों से भिन्न और पृथक् रखे जाने चाहिए । 'इन हाउस' मु.बा.पा.नि. के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मु.बा.पा.नि. और उसकी प्रायोजक संस्था के बीच कोई विरोध नहीं होना चाहिए । मु.बा.पा.नि. और प्रायोजक संस्था के बीच आस्तियों का अंतरण बाज़ार दर पर होना चाहिए और प्रायोजक संस्था के बोर्ड के अनुमोदन से होना चाहिए ।

17. **Accounting**

The accounts of MMMFs should be kept distinct and separate from those of the parent institution. In the case of "In-house" MMMFs, it should be ensured that there is no conflict of interest between MMMFs and their parent organisation. The transfer of assets between MMMF and the sponsoring institution should be at market rate and should be subject to the approval of the sponsoring institution's Board.

18. **लेखा-विवरण और प्रकट करना**

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों द्वारा चलायी गयी प्रत्येक योजना के अंतर्गत आस्तियों को पृथक् करते हुए प्रत्येक योजना का अलग खाता रखा जाये । मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियां अपनी प्रत्येक योजना के संबंध में वार्षिक लेखा-विवरण तैयार करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विधिवत् लेखा-परीक्षित आस्तियों और देयताओं तथा आय-व्यय लेखा के विवरण सम्मिलित हों । इनका लेखा-परीक्षण प्रायोजक संस्था के लेखा-परीक्षकों से इतर सुयोग्य लेखा-परीक्षकों द्वारा करवाया जाना चाहिए । संबंधित योजनाओं में अभिदान करनेवाले अभिदाताओं की जानकारी के लिए लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों सहित

18. **Statement of Accounts and Disclosure**

MMMFs should maintain separate account of each scheme launched by it segregating the assets under each scheme. MMMFs should prepare an annual statement of accounts in respect of each of their schemes which should contain, inter alia, statements of assets and liabilities and income and expenditure account duly audited by qualified auditors, other than the auditors of the parent organisation. An abridged version of

वार्षिक खातों का संक्षिप्त पाठ प्रकाशित किया जाना चाहिए ।

the annual accounts together with the reports of the auditors should be published for the information of subscribers to the concerned schemes.

19. **मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों का प्रबंधन**

'इन-हाउस' मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियां यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी उपाय करें कि उनकी आस्तियों का प्रबंधन, लेखा-विधि और अभिरक्षा बैंक/वित्तीय संस्था/सहायक संस्था/पारस्परिक निधि से संबंधित प्रबंधन, लेखाविधि और अभिरक्षा से स्पष्ट रूप से अलग हो ।

19. **Management of MMMFs**

"In-house" MMMFs should take adequate and effective measures to ensure that management, accounting and custody of their assets should be kept distinct and separate from those relating to the bank/financial institution/subsidiary/mutual fund.

20. **निवल आस्ति मूल्य**

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियाँ प्रत्येक योजना के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) की गणना करें और निवेशकों के हित के लिए आवधिक रूप में निवल आस्ति मूल्य प्रकट करें । प्रारंभिक तौर पर मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियां निवल आस्ति मूल्य का निर्धारण और प्रकटीकरण सप्ताह में एक बार करें । उसके बाद निवल आस्ति मूल्य सप्ताह में दो बार और रोजाना भी निर्धारित किया जा सकता है । निवल आस्ति मूल्य की गणना के लिए अपनायी जानेवाली पद्धति प्रत्येक योजना के प्रस्ताव-पत्र में प्रकट की जानी चाहिए ।

20. **Net Asset Value**

MMMFs should calculate Net Asset Value (NAV) of each scheme and disclose the NAVs periodically for the benefit of the investors. To start with, MMMFs may determine and disclose NAV once in a week. Thereafter, NAV may be determined twice in a week or even daily. The method to be followed for calculation of NAV should be disclosed in the offer letter of each scheme.

21. **व्यय**

निर्गम-पूर्व व्यय, न्यासधारिता-शुल्क/प्रबंध-शुल्क, आदि सहित निधि के कुल व्यय उचित स्तर पर रखे जायें तथा निधि की वार्षिक रिपोर्टों/तुलनपत्रों में पूर्णतः प्रकट किए जायें ।

21. **Expenses**

The total expenses of the Fund including pre-issue expenses, trusteeship fees/management fees, etc. should be kept at reasonable levels and should be disclosed fully in the Fund's Annual Reports/balance sheets.

22. **भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टें प्रस्तुत करना**

प्रायोजक बैंक/वित्तीय संस्था/सहायक संस्था/पारस्परिक निधि को चाहिए कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक को निम्नलिखित रिपोर्टें (दो प्रतियों में) नियमित आधार पर प्रस्तुत करें :

22. **Furnishing Reports to Reserve Bank of India**

The sponsor bank/financial institution/subsidiary/mutual fund should furnish to Reserve Bank of India, in duplicate, the following reports on a regular basis.

(क) मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि एवं उसकी प्रत्येक योजना का समग्र रूप में निष्पादन दर्शानेवाली तिमाही रिपोर्ट,

(ख) लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टों सहित लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा-विवरण,

(ग) निधियों के निवेश संविभाग के योजना-वार ब्यौरे ऐसे निवेशों का मूल्य, वार्षिक रिपोर्ट और आस्ति-वार प्रकटीकरण के बाद संविभाग में होनेवाले परिवर्तन ।

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा बाज़ार के कतिपय क्षेत्रों में निवेश संबंधी जानकारी मांग सकता है ।

23. मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियाँ स्थापित करने के इच्छुक बैंक/वित्तीय संस्थाएं/पारस्परिक निधियां/सहायक संस्थाएं अपने आवेदनपत्र अन्य समर्थक ब्यौरों/दस्तावेजों, जैसे प्रस्तावित गठन और संगठनात्मक संरचना के ब्यौरे, न्यास विलेख (जहां वह लागू हो), योजना/योजनाओं के ब्यौरे आदि के साथ मुख्य महा प्रबंधक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्र 1, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, बम्बई-400 005 को प्रेषित करें ।

24. निजी क्षेत्र की पारस्परिक निधियों के लिए विस्तृत परिचालनात्मक क्रियाविधि भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा तैयार की जा रही है ।

भवदीय,

(बी. एस. एम. आचार्य)
महा प्रबंधक

(a) quarterly report indicating the performance of the MMMF as a whole and each scheme thereof.

(b) audited annual statement of accounts, together with the reports of the Auditors.

(c) scheme-wise details of investment portfolio of the Funds, value of such investments, changes in the portfolio since the annual report and asset-wise exposure.

(d) specific information on investments in certain segments of the money market as may be called for by the Reserve Bank of India.

23. Banks/Financial institutions/Mutual funds/Subsidiaries desirous of setting up MMMFs may forward their applications to the Chief General Manager, Department of Banking Operations & Development, Reserve Bank of India, Central Office, Centre 1, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Bombay 400 005 together with other supporting particulars/documents such as details of proposed constitution and organisational structure, draft Trust Deed (wherever applicable), details of scheme/s, etc.

24. Detailed operating procedures for private sector mutual funds are being worked out by the Reserve Bank and the Securities & Exchange Board of India.

Yours faithfully,

(B. S. M. Acharya)
General Manager

.....बैंक मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि
(.....बैंक द्वारा स्थापित)

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि प्रमाणपत्र

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि (199) योजना I या II या

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाणपत्र में उल्लिखित व्यक्ति इसमें उल्लिखित मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि की निम्नलिखित विशिष्ट संख्या (संख्याओं) वाले यूनिटों का/के धारक है/हैं । उपर्युक्त मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि के यूनिट मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि (199) योजना I या II या..... की योजना, नियमावली और विनियमावली के अधीन जारी किये गये हैं ।
मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि यूनिट प्रत्येक रु.....

पंजीकृत फोलियो सं.....प्रमाणपत्र सं.....

मु.बा.पा. निधि यूनिट के
धारक/धारकों का/के नाम

मु.बा.पा. निधि यूनिटों
की संख्या (शब्दों में) (अंकों में)

कृते.....बैंक मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधि
समेकित स्टाम्प-शुल्क अदा किया गया ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान :

तारीख :

_____BANK MMMF
(Set up by_____Bank)

MMMF CERTIFICATE

MMMF (199) SCHEME I OR II OR

THIS IS TO CERTIFY that the person(s) named in this CERTIFICATE is/are the holder(s) of the withinmentioned MMMF Units bearing the distinctive number(s) herein specified. The said MMMF Units are issued subject to the Scheme, Rules and Regulations of MMMF (199) SCHEME I or II or MMMF Units EACH OF Rs._____

Reg. Folio No._____ Certificate No._____

Name (s) of MMMF Unit Holder(s)

Number of
MMMF Units held _____ _____
(in words) (in figures)

For_____BANK MMMF
Authorsied Signatories

Consolidated
Stamp Duty paid.

Place :

Date :

पृष्ठ पर उल्लिखित
.....मु.बा.पा.नि.....के हस्तांतरण का ज्ञापन

तारीख	हस्तांतरण सं.	पंजीकृत फोलियो सं.	हस्तांतरिती का/के नाम	प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

MEMORANDUM OF TRANSFER OF_____MMMF_____
MENTIONED OVERLEAF

DATE	TRANSFER NO.	REG. FOLIO NO.	NAME(S) OF TRANSFEREE(S)	AUTHORISED SIGNATORY

बैंपविवि.सं. एफएससी.बीसी.31/24.47.001-96

30 मार्च 1996
10 चैत्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

स्टाकइन्वेस्ट योजना

कृपया दिनांक 2 सितंबर 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.100/24.47.001/94 देखें जिसके अनुसार स्टाकइन्वेस्ट की सुविधा केवल व्यक्तिगत निवेशकों एवं पारस्परिक निधियों के लिए ही सीमित थी । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किये गये निरीक्षणों एवं भारत सरकार के केन्द्रीय आर्थिक जाँच ब्यूरो द्वारा की गयी जाँच से यह पता चला है कि हमारे दिशानिर्देशों का

DBOD. No. FSC. BC. 31/24.47.001-96

March 30, 1996
Chaitra 10, 1918 (S)

The Chairmen/Chief Executive of all commercial banks (excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

STOCKINVEST SCHEME (SI)

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 100/24.47.001-94 dated September 2, 1994 in terms of which the facility of Stockinvest was restricted to individual investors and Mutual Funds only. The inspections undertaken by the RBI and the investigations done by the Central Economic

उल्लंघन हुआ है तथा यह भी कि अलग-अलग व्यक्तियों का इस्तेमाल करके शेयर-दलालों, कंपनी निकायों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आदि द्वारा स्टाकइन्वेस्ट की सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है । अत: सेबी से परामर्श करके उक्त योजना के परिचालन की पुनरीक्षा की गयी थी और यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा स्टाकइन्वेस्ट जारी करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति पूँजी निर्गम के लिए 10 लाख रुपये की एक उच्चतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए । ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू होते हैं । परंतु, उपर्युक्त उच्चतम सीमा पारस्परिक निधियों पर लागू नहीं होगी ।

2. आप कृपया तुरंत इन अनुदेशों की सूचना अपनी उन सभी शाखाओं को दे दें जो कि स्टाकइन्वेस्ट जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं । उपर्युक्त अनुदेशों का किसी भी तरह से उल्लंघन करने/उनमें उलट-फेर करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक यथावश्यक कार्रवाई करेगा जिसमें बैंक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी शामिल हो सकती है जैसा कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है ।

3. बैंकों द्वारा स्टाकइन्वेस्ट जारी किये जाने से संबंधित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महाप्रबंधक

Intelligence Bureau of the Government of India have revealed infringements of our guidelines including the availing of the facility of SIs by stockbrokers, corporate bodies, NBFCs etc. by using individuals. The operation of the scheme was, therefore, reviewed in consultation with SEBI and it has been decided that a ceiling of Rs. 10 lakhs per individual per capital issue should be prescribed for issue of SIs by banks. These instructions come into force with immediate effect. The above ceiling would, however, not be applicable to Mutual Funds.

2. You may please convey the above instructions immediately to all your branches authorised to issue SIs. Any violation/ circumvention of the above instructions would invite such action as deemed necessary by the RBI including penal action against the bank as provided under the Banking Regulation Act, 1949.

3. All other terms and conditions for issue of SIs by banks remain unchanged.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.46/24.01.013/95-96

9 अप्रैल 1996
20 चैत्र 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/
वित्तीय संस्थाएं

प्रिय महोदय,

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों की योजना – दिशा-निर्देश

कृपया आप 11 दिसंबर 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.147/24.01.013/95-96 देखें । उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 4 के अनुसार मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों (एमएमएमएफ) के यूनिट अनिवासी भारतीय व्यक्तियों सहित केवल व्यक्तियों को ही जारी किये जा सकते हैं । एमएमएमएफ योजना को और अधिक लचीला बनाने की दृष्टि से एमएमएमएफ के यूनिटों को केवल व्यक्तियों को जारी करने का प्रतिबंध हटाया जा रहा है और अब ऐसी योजनाओं में कौन निवेश कर सकता है, इस दृष्टि से एमएमएमएफ निधियां कंपनियों तथा दूसरों को दूसरी पारस्परिक निधियों के अनुसार ही उपलब्ध होंगी । इस संबंध में गवर्नर महोदय के 3 अप्रैल 1996 के परिपत्र सं.सीपीसी.बीसी.155/07.01.279/95-96 के पैराग्राफ 20 (च) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । हमारे 11 दिसंबर 1995 के परिपत्र में उल्लिखित परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश अपरिवर्तित रहेंगे ।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD. No. FSC. BC. 46/24.01.013/95-96

April 9, 1996
Chaitra 20, 1918 (S)

**All Scheduled Commercial Banks/
Financial Institutions**

Dear Sir,

SCHEME FOR MONEY MARKET MUTUAL FUNDS - GUIDELINES

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 147/24.01.013/95-96 dated 11 December 1995. In terms of paragraph 4 thereof, the units of Money Market Mutual Funds (MMMFs) can be issued only to individuals including individual Non-Resident Indians (NRIs). With a view to making the scheme of MMMFs more flexible, the restriction that the units of MMMFs can be issued only to individuals, is being withdrawn and MMMFs would now be available to corporates and others on par with all other mutual funds as regards who can invest in such schemes. In this connection, a reference is invited to paragraph 20(f) of our Governor's circular No. CPC. BC. 155/07.01.279/95-96 dated 3 April 1996. All other operating guidelines mentioned in our circular of 11 December 1995 remain unchanged.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.47/24.47.001/96

10 अप्रैल 1996
21 चैत्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

स्टाकइन्वेस्ट योजना

कृपया दिनांक 19 अक्तूबर 1992 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.47/24.47.001/92-93 देखें जिसके द्वारा बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचित किया गया था कि उसमें वर्णित कतिपय शर्तों के अधीन निवेशक की जमाराशि पर बैंकरों का ग्रहणाधिकार स्वत: समाप्त हो सकता है । दिनांक 20 दिसंबर 1993 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी.206/24.47.001/93-94 के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया है कि जारी किये जाने के बाद 10 दिन के भीतर स्टाकइन्वेस्टों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा लिखत के उपयोग की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से लिखत के ऊपर उल्लिखित होनी चाहिए । इसी तरह, 2 सितंबर 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी.बीसी/100/24.47.001/94 में यह भी विनिर्दिष्ट है कि आवेदक को स्टाकइन्वेस्ट लिखत देने के पहले पूँजी निर्गम करनेवाली कंपनी का नाम बैंक को भरना चाहिए । परंतु हमारे देखने में ऐसे मामले आये हैं जिनमें, निर्गम के 90 प्रतिशत के न्यूनतम अंशदान की अपेक्षा की पूर्ति के लिए, पूँजी निर्गम करनेवाली कंपनियों के प्रवर्तकों ने स्टाकइन्वेस्टों की फोटो प्रतियों के साथ शेयर आवेदन प्रस्तुत किये हैं । कुछ मामलों में जारी किये जाने के बाद एक सप्ताह के भीतर स्टाकइन्वेस्ट रद्द कर दिये गये थे, यद्यपि 90 प्रतिशत के अंशदान की गणना के लिए रद्द

DBOD No. FSC.BC. 47 /24.47.001/96

April 10, 1996
Chaitra 21, 1918 (S)

The Chairmen/Chief Executives of all commercial banks (excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

STOCKINVEST SCHEME

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 47/24.47.001/92-93 dated 19th October 1992 advising banks, among others, that the bankers' lien on the investor's deposit account could be lifted automatically under certain conditions stipulated therein. In terms of our circular DBOD. No. FSC. BC. 206/24.47.001/93-94 dated 20th December 1993, banks have been advised that Stockinvests should be used within 10 days of issue and the last date for use of the instrument is required to be indicated prominently on the face of the instrument. Likewise, it has also been stipulated in our circular DBOD. No. FSC. BC. 100/24.47.001/94 dated 2 September 1994 that banks should fill in the name of the capital issuing company before delivering the stockinvest instrument to the applicant. Instances have, however, come to our notice where promoters of capital issuing companies, in order to fulfil the requirement regarding the minimum subscription of 90

की गयी लिखतों को शामिल किया गया है । अतः बैंकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

(i) मूल स्टाकइन्वेस्टों/चेकों के बगैर शेयर आवेदनों को स्वीकार करना, उपयुक्त प्राधिकारियों को वचन-पत्र प्रस्तुत करना एवं ऐसे आवेदनों को वैध आवेदन मानना ठीक नहीं है ।

(ii) अप्रयुक्त स्टाकइन्वेस्ट लिखत के मामले में निवेशक के जमाखाते पर बैंकरों का ग्रहणाधिकार 4 महीने की अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त नहीं किया जाना चाहिए ।

2. आप कृपया स्टाकइन्वेस्ट जारी करने के लिए प्राधिकृत अपनी सभी शाखाओं को तुरंत उपर्युक्त अनुदेशों से अवगत करा दें तथा इनका पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें ।

3. स्टाकइन्वेस्ट जारी करने से संबंधित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

percent of the issue, have submitted share applications alongwith photocopies of stockinvests. In some cases, stockinvests were cancelled within one week of its issue although the cancelled instruments have been included for reckoning the 90 per cent of the subscription. The banks are, therefore, advised as under :

(i) Acceptance of share applications unaccompanied by original stockinvests/ cheques, furnishing declaration to the appropriate authorities and treating such applications as valid applications are not in order:

(ii) The bankers' lien on the deposit account of the investor in respect of an unused stockinvest instrument should not be lifted before the expiry period of 4 months.

2. You are requested to bring the above instructions to the notice of all your branches authorised to issue stockinvests immediately and ensure strict compliance.

3. All other terms and conditions for issue of stockinvests remain unchanged.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 95/24.01.013/96

3 जुलाई 1996
12 आषाढ़ 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /
वित्तीय संस्थाएँ

प्रिय महोदय,

मुद्रा बाज़ार पारस्परिक निधियों के लिए योजना - दिशानिर्देश

कृपया दिनांक 11 दिसम्बर 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी. बीसी. 147/24.01.013/95 देखें। उसके पैरा 10 के अनुसार, मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों में निवेश के लिए न्यूनतम रुद्धता अवधि 46 दिन होगी। निवेशकों के लिए मुद्रा बाजार पारस्परिक निधियों की योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, न्यूनतम रुद्धता अवधि को 46 दिन से कम करके 30 दिन कर दिया गया है। इस संबंध में कृपया हमारे गवर्नर के परिपत्र सं.सीपीसी. बीसी. 156/07.01.279/96-97 का अवलोकन करें। दिनांक 11 दिसंबर 1995 तथा 9 अप्रैल 1996 के हमारे परिपत्र क्रमशः बैंपविवि. एफएससी. बीसी. 147/24.01.013/95-96 तथा बैंपविवि.एफएससी.बीसी.46/24.01.013/95-96 में दिये गये सभी अन्य क्रियात्मक दिशानिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

भवदीय,

(बी.एस.एम. आचार्य)
महाप्रबंधक

DBOD No. FSC. BC. 95 /24.01.013-96

July 3, 1996
Aashadha 12, 1918 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks/ Financial Institutions

Dear Sir,

SCHEME FOR MONEY MARKET MUTUAL FUNDS - GUIDELINES

Please refer to our circular DBOD. No. FSC. BC. 147/24.01.013-95 dated 11 December 1995. In terms of paragraph 10 thereof, the minimum lock-in period for investments in Money Market Mutual Funds would be 46 days. In order to make the Scheme for Money Market Mutual Funds more attractive to investors, the minimum lock-in period has been reduced from 46 days to 30 days. In this connection a reference is invited to paragraph (b) of our Governor's circular No. CPC. BC. 156/07.01.279/96-97 dated 1 July 1996. All other operative guidelines set out in our circulars DBOD. FSC. BC. 147/24.01.013-95-96 dated 11 December 1995 and DBOD FSC. BC. 46/24.01.013-95/96 dated 9 April 1996 remain unchanged.

Yours faithfully,

(B.S.M. Acharya)
General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.52/09.07.007/95

20 अप्रैल 1995
30 चैत्र 1917 (शक)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रिय महोदय,

सरकार के आश्वासन संबंधी समिति, राज्यसभा की 40वीं रिपोर्ट ग्राहक-सेवा संबंधी गोइपोरिया समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

आपको विदित ही है कि बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को सम्बोधित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) के 18 जुलाई 1994 के पत्र सं.26/3/बीओ. II/94 के अनुसार बैंकों से कहा गया है कि वे बैंकों में ग्राहक-सेवा संबंधी गाइपोरिया समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित सरकार के आश्वासन संबंधी समिति, राज्यसभा की 40वीं रिपोर्ट में दी गयी 19 सिफारिशों/अभिमतों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार को जानकारी दें। इसके अलावा 5 सितम्बर 1994 के हमारे अ.शा.पत्र सं.डीबीओडी.119/09/07.007/94 द्वारा बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे सरकार को भेजी जानेवाली रिपोर्ट की प्रतियां हमें भेजें।

2. प्राप्त प्रतिसूचना को देखने पर पता चलता है कि बैंकों ने सभी सिफारिशों, विशेष रूप से समूह "अ" की सिफारिशों का पूर्णतया कार्यान्वयन नहीं किया है। इस संबंध में हम आपका ध्यान वित्त संबंधी स्थायी समिति (1994-95), दसवीं लोकसभा की नौवीं रिपोर्ट में की

DBOD. No. BC 52/09.07.007/95

April 20, 1995
Chaitra 30, 1917/S/

The Chairmen and Managing Directors
of Public Sector Banks

Dear Sir,

40TH REPORT OF THE COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES, RAJYA SABHA - IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATIONS OF THE GOIPORIA COMMITTEE ON CUSTOMER SERVICE

As you are aware, in terms of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) letter No. 26/3/BO.II/94 dated 18th July 1994 addressed to Chief Executives of Banks; Banks were advised to apprise the Government as to the implementation of the 19 recommendations/observations contained in the 40th Report of the Committee on Government Assurances, Rajya Sabha regarding implementation of the recommendations of the Goiporia Committee on Customer Service in banks. Also, banks were requested to send the copies of the reports being sent to the Government to us vide our D.O. letter No. DBOD. 119/09.07.007/94 dated 5th September 1994.

2. On a perusal of the feed-back, it is observed that banks have not fully implemented all the recommendations, particularly in Group A. In this connection, we draw your attention to the critical

गयी आलोचनात्मक टिप्पणियों की ओर आकर्षित करते हैं। इसकी एक प्रति तुरंत संदर्भ के लिए संलग्न है। वित्त संबंधी स्थायी समिति की आलोचनात्मक टिप्पणियों की दृष्टि से आपसे पुनः अनुरोध है कि आप गोइपोरिया समिति की सभी सिफारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने की ओर विशेष ध्यान दें। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में एक नयी रिपोर्ट इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से एक पखवारे में हमें भिजवायें।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य अधिकारी

remarks made by the Standing Committee on Finance (1994-95) Tenth Lok Sabha in their ninth report, a copy of which is enclosed for ready reference. In view of the critical observations made by the Standing Committee on Finance, you are once again requested to give special attention to the implementation of all the recommendations of the Goiporia Committee, in letter and spirit. We shall be glad if you will kindly send us a fresh report on implementation of the recommendations within a fortnight from the date of receipt of this letter.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief Officer

D. Recommendations of Goiporia Committee

(Recommendation Sl. No. 17, Para 5.12)

14. The Committee noted that Goiporia Committee made 97 useful recommendations and these have been categorised into four groups for the purpose of implementation. Inspite of clear cut instructions to implement recommendations under Group 'A' straightway, the progress made by the banks in implementing these recommendations was far from satisfactory. The Committee had desired that the process of implementation of the recommendations of Goiporia Committee should be expedited and the Committee be kept informed about the stage of each recommendation implemented by each nationalised bank.

15. In their reply, the Govt. have stated that it is not true that the progress made in implementation of various recommendations including the recommendations under Group 'A' of the Goiporia Committee is not satisfactory. Bank-wise information of the recommendations implemented in each of the four groups has also been furnished (Annexure I). They have further stated that a few recommendation on which banks have expressed certain difficulties are being examined in regard to their implementation.

16. The Committee regret to observe that the reply furnished by the Ministry is unsatisfactory. They view with concern the slow pace of the implementation of the recommendations of the Goiporia Committee. An analysis of the bank-wise information of the recommendations implemented in each of the four groups furnished by the Government show that inspite of categorisation and directives of RBI for implementation of 66 recommendations straightway under Group 'A', none of the banks has been able to implement all these recommendations and only 14 out of 27 banks had been able to implement 60-64 of those recommendations. Similarly, out of 32 recommendations under Group 'B' which were agreed to be examined by RBI, decision has been taken only in respect of 22 recommendations. Only 10 out of 27 banks have been able to implement 50 per cent of those recommendations. Even in case of recommendations in Group 'C' and 'D', the progess of implementation is extremely tardy. The Committee, therefore, desire that all out efforts should be made to expedite the implementation of the recommendations of the Goiporia Committee.

बैंपविवि.बीसी.सं.59/09.07.007/95

17 मई 1995
27 वैशाख 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

ग्राहक सेवा - बाहरी चेकों की वसूली

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों एवं प्रबंध निदेशकों को लिखे गये गवर्नर के 29 नवम्बर 1994 के अ.शा.पत्र के प्रत्युत्तर में हमें बैंकों से बाहरी चेकों की वसूली के संबंध में उनके द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान प्रणाली तथा इसमें लगनेवाले समय को कम करने के बारे में उनके सुझावों के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है, जो उनके द्वारा किये गये नमूना अध्ययनों पर आधारित है।

2. बैंकों से प्राप्त प्रतिसूचना से यह देखा गया है कि उपर्युक्त कार्य के संबंध में बैंकों के कार्य में एकरूपता नहीं है। ग्राहक की दृष्टि से यह एकरूपता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। बाहरी चेकों की राशि जमा लिखने में लगनेवाला समय 13 दिन से लेकर एक महीने तक होता है। इस विलम्ब के कारण आंतरिक और बाहरी दोनों हैं, जो नीचे दिये गये है –

(क) अंतर-नगरीय लिखतों को प्राप्त करनेवाली शाखाएं उन्हें गंतव्य केन्द्रों पर तत्काल भेजने की आवश्यकता को अनिवार्य स्थिति के रूप में नहीं लेतीं।

DBOD. BC. No. 59 /09.07.007/95

May 17, 1995
Vaishakha 27, 1917 (S)

The Chief Executives of all Commercial Banks

Dear Sir,

CUSTOMER SERVICE - COLLECTION OF OUTSTATION CHEQUES

In response to Governor's D.O. letter dated November 29, 1994 to the Chairmen & Managing Directors of public sector banks (copy enclosed), we have since received information from the banks, based on the sample studies carried out by them, on the present system and procedures followed by them in regard to collection of outstation cheques as also their suggestions to reduce the time taken therefor.

2. It is observed from the feedback received from the banks that there has been no uniformity in approach by banks towards the above work, which is of paramount importance from the customer's point of view. The time taken to credit proceeds of outstation cheques varied anywhere between 13 days to a month. The reasons for the delay are attributable to both internal and external factors given below -

a) There is no compulsive urgency on the part of branches receiving the inter-city instruments to despatch the same to destination centres immediately.

(ख) चेकों की वसूली के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करनेवाली कुछ सेवा शाखाओं में वसूली केन्द्रों को भेजने के लिए लिखतों की छंटनी आदि हाथ से करने में विलम्ब होता है। इसी प्रकार गंतव्य केन्द्रों पर भी लिखतों की हाथ से छंटनी आदि में और अधिक विलम्ब हो जाता है।

(ग) मूल शाखाओं द्वारा इन मदों के प्रेषण के लिए और साथ ही जवाबी कार्रवाई करनेवाली शाखाओं द्वारा राशि की वसूली की सूचना भेजने के लिए सामान्य डाक सेवा का उपयोग होने से विलम्ब की अवधि और भी बढ़ जाती है।

(घ) अधिकतर शाखाओं में इस कार्य को कम प्राथमिकता दी जाती है। इन कार्यों को करनेवाले स्टाफ-सदस्यों को हटाकर प्रायः काम के दबाव वाले क्षेत्रों में लगा दिया जाता है।

(ङ) कतिपय केन्द्रों में बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी राष्ट्रीय समाशोधन सुविधा का अधिकाधिक लाभ नहीं उठाते।

3. अध्ययनों से यह भी पता चला है कि जहां बैंकों ने अपनी क्रियाविधि को ठीक कर लिया है वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष में प्रस्तुत किये गये अंतर-नगरीय चेकों का समाशोधन छः सात दिन में हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि आपके बैंक में अपनायी जानेवाली मौजूदा क्रियाविधि/परंपराओं को गहन दृष्टि से देखा जाये, ताकि अड़चनें दूर की जा सकें। इस संबंध में हमारा अनुरोध है कि विलम्ब के लिए उत्तरदायी क्षेत्रों और कारकों को तत्काल पहचानने के लिए किसी महा प्रबंधक के अधीन एक समिति गठित की जाये। यह समिति बाहरी लिखतों की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए नयी प्रणाली और क्रियाविधि, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था आदि के सुझाव देगी

b) At some service branches functioning as nodal points for collection of the cheques, delays occur due to manual processing of the instruments for despatch to the collecting centres. Similarly, the manual processing of instruments at the destination centres also adds upto the delays.

c) The use of normal postal service for transmission of these items by the originating branches as also for the despatch of realisation advices by the responding branches has resulted in further delays.

d) Low priority given to this task at most of the branches. The staff members attending to these items of work are often withdrawn for other pressing areas of work.

e) At certain centres, the banks do not take optimum advantage of the national clearing facility provided by Reserve Bank of India.

3. The studies have further revealed that where the banks have streamlined their procedures, inter-city cheques presented to the National Clearing Cell of RBI are being cleared within 6 to 7 days. It is, therefore, necessary to have a closer look at the existing procedures/practices followed in your bank so as to remove the bottlenecks. In this connection, we would like you to constitute a committee under a General Manager urgently to identify the areas and factors responsible for the delays and to suggest and put in place new systems and procedures,

और उन्हें लागू करेगी। यह समिति विभिन्न प्रासंगिक कारकों की ओर ध्यान देगी, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्निलिखित शामिल होंगे :-

क) स्टाफ में जागरूकता उत्पन्न करना,

ख) संबंधित शाखाओं/सेवा शाखाओं में कार्य को स्वचालित करना/कम्प्यूटरीकृत करना

ग) आंकड़ों/वसूली-सूचनाओं को अंतर-नगरीय संचार नेटवर्क पर प्रेषित करना और

घ) अंतर-नगरीय डाक आदि भेजने के लिए कूरियर/स्पीड पोस्ट व्यवस्था का उपयोग करना।

4. यह उल्लेखनीय है कि जब तक उपर्युक्त व्यवस्थाएं नहीं की जातीं, तब तक अंतर-नगरीय लिखतों की राशि का समय पर जमा लिखना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यह मानते हुए कि बैंक उपर्युक्त व्यवस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर करेंगे, ग्राहकों को जमा देने के लिए निम्निलिखित समय-अनुसूची निर्धारित की जाती है।

(क) 5,000 रुपये तक के चेक

वर्तमान में 5,000 रुपये तक के स्थानीय और साथ ही बाहरी चेकों की जमा ग्राहक को तत्काल देने की बैंकों से अपेक्षा की जाती है, बशर्ते कि ग्राहक संतोषजनक रूप से खाता परिचालित रखें। इन व्यवस्थाओं का निपुणता से पालन किया जाना चाहिए। बैंकों को ग्राहकों के अनुरोध की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि सामान्य कार्य के रूप में यह सुविधा दी जानी चाहिए।

infrastructural arrangements, etc. to ensure quick collection of outstation instruments. The Committee may have to focus its attention towards various relevant factors which would include, inter alia, the following -

a) bringing awareness among the staff,
b) automation/computerisation of work in the concerned branches/ service branches,
c) transmission of data/realisation advice on inter-city communication network; and
d) use of courier/speed post arrangements for despatch of inter-city mail, etc.

4. It needs hardly any mention that unless above arrangements are made, timely credit for inter-city instruments cannot be ensured. Considering that the banks would put in place the above arrangements on a priority basis, the following time-frame is prescribed for affording credit to customers :

(a) Cheques upto Rs. 5,000/-

At present, the banks are required to afford immediate credit upto Rs. 5,000/- to a customer for local as well as outstation cheques subject to the customer maintaining a satisfactorily operated account. These arrangements should be scrupulously followed. The banks should not wait for customers' requests for the facility but should, as a matter of normal course, provide this service.

(ख) **10,000 रुपये तक के अन्य बाहरी चेक**

(i) माइकर चेक समाशोधन प्रणाली वाले चार महानगरों में अन्य तीन महानगरीय केन्द्रों में से किसी में भी स्थित बैंक पर आहरित चेक सप्ताह के किसी दिन प्रस्तुत किये जायें तो उसकी राशि अगले सप्ताह के उसी दिन (उदाहरण के लिए सोमवार से अगले सोमवार को) जमा लिखी जाये। इस प्रकार की सुविधा ग्राहक को अदाकर्ता केन्द्र से वसूली सूचना न मिलने पर भी दी जानी चाहिए।

(ii) राज्यों की राजधानी वाले केन्द्रों तथा 100 से अधिक बैंक कार्यालयों वाले अन्य केन्द्रों (केन्द्रों की सूची संलग्न है) के संबंध में ग्राहक के खाते में जमा 10 दिन में दी जानी चाहिए और ग्राहक को राशि निकालने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसा कि ऊपर (i) में बताया गया है, यह सुविधा ग्राहकों को अदाकर्ता केन्द्र से वसूली सूचना न मिलने पर भी दी जानी चाहिए।

इसके अलावा इस प्रकार की समयबद्ध वसूली/भुगतान सूची के लिए कोई अतिरिक्त प्रभार नहीं लगाया जाना चाहिए। यदि चेक अदत्त लौट आये तो बैंक अधिआहरित राशि पर आहरण की अनुमति देने की तारीख से राशि की प्रतिपूर्ति की तारीख तक के लिए वाणिज्यिक-दर पर ब्याज लगा सकता है।

(b) Other outstation cheques upto Rs. 10,000/-

(i) In the four metropolitan centres having MICR cheque clearing system, proceeds of a cheque drawn on a bank located at any of the other three metropolitan centres and presented for collection on any day in a week should be credited latest on the same day in the following week (e.g. Monday to next Monday). Such a facility should be extended to the customers even if the collection advices are not received from the drawee centres.

(ii) In respect of State capital centres and at other centres with more than 100 bank offices (list of centres enclosed), credit to the customer's account should be given within 10 days with full freedom to the customer to withdraw the amounts. As in (i) above, this facility should also be extended to the customers, even if the collection advices are not received from the drawee centres.

Further, there should be no additional charge for such time-bound collection/payment schedules. In case the cheques are returned unpaid, the banks could charge interest at commercial rate on the overdrawn amounts from the date of allowing the withdrawal till the amounts are reimbursed.

(ग) स्थानीय चेक

ग्राहकों के खातों में जमा लिखी जानी चाहिए और केन्द्र पर चेक की स्वीकृति की तारीख से अधिक से अधिक तीसरे कार्य दिवस को निधियों के उपयोग की अनुमति दी ही जानी चाहिए।

5. इसमें जोखिम को कम करने की दृष्टि से बाहरी चेकों के लिए खातों में जमा देने की सुविधा (जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 4(ख)(i) और (ii) में बताया गया है) संतोषजनक ढंग से परिचालित खातों को अधिक से अधिक 10,000 रुपये तक की राशि के लिए दी जानी चाहिए। जहां किसी चेक और/अथवा चेकों का मूल्य 10,000 रुपये से अधिक हो और उन्हें किसी एक दिन अथवा अनुवर्ती दिनों में वसूली के लिए जमा किया जाये तो उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसार आहरण की अनुमति अधिक से अधिक 10,000 रुपये तक के लिए दी जा सकती है, जिससे कि वसूलीकर्ता बैंक की किसी भी समय जोखिम की राशि किसी भी ग्राहक के संबंध में 10,000 रुपये से अधिक न हो।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि 10,000 रुपये से अधिक के मूल्य के लिखतों के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी वसूली कम से कम समय में की जाये और शाखाएं उनके प्रेषण और वसूली के लिए तत्काल कार्रवाई करें।

6. शाखाओं द्वारा उपर्युक्त समय-अनुसूची का निपुणता से पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से विलम्ब के बारे में स्टाफ की जवाबदेही स्पष्ट होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए विलम्ब से वसूली का रिकार्ड रखने के लिए एक विशेष रजिस्टर रखा जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां विलम्ब हो, खातेदार को दंडात्मक ब्याज उसके मांग न करने पर भी दिया जाये।

(c) Local Cheques

The customers' accounts should be credited and they should be allowed use of funds latest on the third working day from the date of acceptance of the cheques at the counters.

5. In order to limit the risks involved, the facility of giving credit to the accounts for outstation cheques (as detailed in paragraphs 4(b) (i) and (ii) above), may be extended to satisfactorily operated accounts upto a maximum amount of Rs. 10,000/-. Where more than one cheque and/or cheques of the value of more than Rs. 10,000/- are deposited for collection in a day or on subsequent days, withdrawal as per above instructions may be allowed upto a maximum of Rs. 10,000/- so that at any point of time, the collecting bank will have an exposure for amount not exceeding Rs. 10,000/- against any individual customer.

It may, however, be mentioned that in respect of instruments of the value of more than Rs. 10,000/-, it should be ensured that these are collected with least delay and the branches take prompt action for their despatch and realisation.

6. In order to ensure that the above time schedule is scrupulously followed by the branches, there needs to be a clear-cut staff accountability for the delay. For this purpose, special register may be introduced to record the delayed collections for necessary action. Further, it should also be ensured that where delays occur, the account holders are paid penal interest without their making requests therefor.

7. बैंक उपर्युक्त उपायों को तत्काल लागू करें।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

7. The banks should introduce the above measures with immediate effect.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

D.O. MSD.NCC.NO. /16.50B-94/95

November 29, 1994

As per list attached

COLLECTION OF OUTSTATION CHEQUES

Serious dissatisfaction has been expressed from several quarters regarding collection of outstation cheques and crediting of funds. There are persistent complaints from the customers about abnormal delays in collection of outstation cheques. This is despite the Reserve Bank instructions for expeditious credit of outstation cheques, presented for collection at the banks and banks requiring to pay interest for delay in collection beyond specified number of days. The National Clearing Centres (NCC) at the metro cities have also made arrangements for clearing of cheques drawn on metro centres within 5 days. In a number of centres, the NCCs have established one-way clearing facility. I also understand that many of the larger banks have their own courier service between specified cities to enable quick clearing service. We are, therefore, unable to understand as to why such delays occur.

2. I, therefore, feel that it has become necessary to look into the system more critically and identify and rectify the causes of delay. I would like you to take a look at the procedures and practices in your bank in relation to collection of outstation cheques and to initiate a quick sample study. The areas selected should represent fully the spread of your branch network. I would like to have the findings of your study reach us before the middle of January 1995. While undertaking the sample study you should determine -

(a) what is the procedure followed by various branches in handling the collection of outstation cheque;

(b) what is the time taken in collection; and

(c) steps necessary to reduce the time taken for collection.

3. I have chosen to write to you on this subject because of the large number of complaints that I receive on the delays. I feel that it is desirable that the system of collection of outstation cheques is widely publicised through national/regional newspapers and displayed prominently in the major branches for customer satisfaction.

4. I look forward to receiving the findings of the study.

With regards,

Yours sincerely,

(C. Rangarajan)

भारत में 100 से अधिक बैंक कार्यालयों वाले प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों की सूची
(30-6-94 की स्थिति)

केन्द्र	बैंक कार्यालयों की सं.	केन्द्र	बैंक कार्यालयों की सं.
बम्बई	1204	सूरत	141
दिल्ली	1096	लुधियाना	140
कलकत्ता	919	पटना	137
मद्रास	629	कोयम्बटूर	136
बंगलूर	581	तिरुवनंतपुरम	132
हैदराबाद	417	अमृतसर	129
अहमदाबाद	427	इंदौर	128
कानपुर	275	मंगलूर	123
पुणे	259	भोपाल	122
कोचिन	179	जलंधर	119
लखनऊ	179	वाराणसी	116
जयपुर	166	मदुरै	109
बड़ौदा	154	आगरा	104
नागपुर	144	चंडीगढ़	102

List of major commercial centres in India with more than 100 bank offices
(As on 30.06.94)

Centre	No. of Bank Offices	Centre	No. of Bank Offices
Bombay	1204	Surat	141
Delhi	1096	Ludhiana	140
Calcutta	919	Patna	137
Madras	629	Coimbatore	136
Bangalore	581	Thiruvananthapuram	132
Hyderabad	417	Amritsar	129
Ahmedabad	427	Indore	128
Kanpur	275	Mangalore	123
Pune	259	Bhopal	122
Kochi	179	Jullundur	119
Lucknow	179	Varanasi	116
Jaipur	166	Madurai	109
Vadodara	154	Agra	104
Nagpur	144	Chandigarh	102

बैंपविवि.सं.बीसी.19/09.07.007/96

29 फरवरी 1996
10 फाल्गुन 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

**बैंकों में ग्राहक-सेवा संबंधी समिति –
गोइपोरिया समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन**

आपको विदित ही है कि बैंकों में ग्राहक-सेवा संबंधी गोइपोरिया समिति ने ग्राहकों को इंतजार का समय कम करने के लिए ड्राफ्ट और बैंकर चेक/भुगतान आदेश जारी करने के लिए एक ही स्थान पर सेवा प्रदान करने की सिफारिश की है (सिफारिश सं. 3.29 और 3.30)। तदनुसार हमारे 28 जनवरी 1992 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीएल.74/09.07.001/91-92 द्वारा इन सिफारिशों (हमारे परिपत्र के अनुबंध का समूह "अ") को कार्यान्वित करने के लिए बैंकों से कहा गया। परन्तु इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

2. भारतीय बैंक संघ ने हमें सूचित किया है कि कामगार यूनियन के साथ हस्ताक्षर किये गये छठे द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत जिन लिपिकों को टेलर श्रेणी "बी" की ड्यूटी सौंपी जायेगी वे पहले से हस्ताक्षरित 10,000/- रुपये तक के ड्राफ्ट, उपहार चेक, यात्री चेक, भुगतान आदेश आदि नकदी और अंतरण दोनों पर जारी कर सकते हैं और इसलिए बैंकों को ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/बैंकर चेक आदि जारी करने के लिए एक ही स्थान पर सेवा प्रदान करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रारंभ में शहरी और महानगरीय केन्द्रों पर एक ही स्थान पर सेवा

DBOD No. BC.19/09.07.007/96

February 29, 1996
Phalguna 10, 1917 (S)

The Chief Executives of all Commercial banks (excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

COMMITTEE ON CUSTOMER SERVICE IN BANKS - IMPLEMENTATION OF THE RECOMMENDATIONS OF THE GOIPORIA COMMITTEE

As you are aware, the Goiporia Committee on Customer Service in banks had recommended Single Window Service for issuance of drafts and banker's cheques/pay orders (Recommendations No. 3.29 and 3.30) to reduce the waiting time to the customers. Accordingly, the banks were advised vide our Circular DBOD. No. BL.74/09.07.001/91-92 dated 28th January 1992 to implement these two recommendations (Group 'A' of Annexure to our Circular). The progress in the implementation of these recommendations has, however, not been satisfactory.

2. We have since been advised by the Indian Banks' Association that under the Sixth Bipartite Settlement signed with Workmen Union, clerks entrusted with duties of Tellers category 'B' can issue pre-signed drafts, gift cheques, travellers cheques, pay orders, etc. both against cash and transfer upto and inclusive of Rs. 10,000/- and as such, there should not be any difficulty for banks to introduce single window service for issue of drafts/pay

लागू करें और धीरे-धीरे इस सेवा को अन्य क्षेत्रों में भी प्रदान करें। इस संबंध में की गयी कार्रवाई से कृपया हमें अवगत करायें।

भवदीय

(अमलेन्दु घोष)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

orders/banker's cheques etc. The banks are therefore, advised to introduce the Single Window Service to start with, in urban and metropolitan centres, and gradually extend this service to other areas. Action initiated in this regard may kindly be reported to us.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Additional Chief General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.79/09.07.001/96

22 जून 1996
1 आषाढ़ 1918 (शक)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

ग्राहक-सेवा संबंधी स्थायी समिति की 8 नवम्बर 1995 को हुई बैठक – कपटपूर्ण लिखतों के भुगतान के संबंध में निपटान की क्रियाविधि

ग्राहक-सेवा संबंधी स्थायी समिति की बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में 8 नवम्बर 1995 को हुई बैठक में कपटपूर्ण लिखतों के भुगतान से संबंधित कतिपय मुद्दों पर चर्चा हुई। उक्त मुद्दों की जांच की गयी है और बैंकों को निम्नप्रकार सूचित किया जाता है।

DBOD No. BC. 79/09.07.001/96

June 22, 1996
Asadha 1, 1918 (Saka)

The Chairmen & Managing Directors
of Public Sector Banks
(other than Regional Rural Banks)

Dear Sir,

MEETING OF THE STANDING COMMITTEE ON CUSTOMER SERVICE HELD ON 8TH NOVEMBER 1995- SETTLEMENT PROCEDURE IN RESPECT OF PAYMENT OF FRAUDULENT INSTRUMENTS

At the meeting of the Standing Committee on Customer Service held on 8 November 1995 in the Banking Division, Ministry of Finance, Government of India, certain issues relating to payment of fraudulent instruments came up for discussion. The issues have been examined and the banks are advised as under :

1. कपटपूर्ण (जाली) चेकों/ड्राफ्टों के भुगतान के संबंध में जब दो बैंकों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो मामले को विवाचन (आर्बिट्रेशन) के लिए भेजने की प्रथा है। यह पाया गया है कि कतिपय मामलों में कोई भी बैंक पुलिस में शिकायत नहीं लिखवाता है। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि जिस बैंक को धोखाधड़ी की जानकारी पहले मिले वह तत्काल पुलिस में शिकायत लिखवाये। यदि पुलिस की छानबीन से किसी धोखाधड़ी का पता न चले अथवा साक्ष्य न मिलने आदि जैसे कारणों से पुलिस मामले को बंद कर दे तो मामले को विवाचन के लिए रिज़र्व बैंक को भेजा जाये। विवाचन के मामलों से संबंधित राशि की सीमा वर्तमान की तरह 50,000 रुपये रहेगी।

1. When a dispute arises between two banks on account of payment of fraudulent cheques/drafts, it has been the practice to take steps for referring the matter to arbitration. It is observed that in certain cases no police complaints have been lodged by either of the banks. It has, therefore, been decided that the bank which first comes to know of the fraud should file the police complaint immediately. In case, the police investigation reveals no fraud or the case is closed by the police on certain grounds such as non-availability of evidence etc., the matter may be referred for arbitration to the Reserve Bank. The amount of limit pertaining to arbitration cases would continue to be Rs. 50,000/- as hitherto.

2. एक बार प्रथमदृष्ट्या धोखाधड़ी स्थापित हो जाने पर प्रभावित खातेदार को तत्परता से भुगतान कर दिया जाना चाहिए। यह भुगतान खाता रखनेवाले बैंक द्वारा क्षतिपूर्ति पर किया जाना चाहिए। यह वांछनीय है कि इन मामलों को जहां तक संभव हो शीघ्र निपटाया जाये, किन्तु खातेदार द्वारा बैंक में शिकायत दर्ज कराने की तारीख से चार महीने की अवधि में निश्चित रूप से निपटाया जाये। बचत बैंक के खातेदारों को निहित अवधि के लिए प्रचलित बचत बैंक दर पर ब्याज का भुगतान करके क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए।

2. Once a prima facie forgery has been established, payment should be made to the affected account holder promptly against indemnity by the bank which maintains the account. It is desirable that such cases are settled as early as possible but positively within a period of four months from the date of complaint lodged with the bank by the account holder. The Savings Bank account holder shall be compensated by way of interest at the prevailing Savings Bank rate for the period involved.

3. बैंक चेकों/ड्राफ्टों की राशि और ब्याज की प्रतिपूर्ति ग्राहकों को शीघ्रता से करने की दृष्टि से शाखा/नियंत्रण कार्यालय स्तर पर संबंधित अधिकारियों को अधिकारों के प्रत्यायोजन की जांच करें।

3. The banks may examine the powers delegated to the officials concerned at the branch/controlling office level with a view to expeditiously reimburse the amounts of cheques/drafts and interest to the customers.

भवदीय,

Yours faithfully,

(श्रीमती श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

(Smt. Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager

बैंपविवि. सं.724/09.07.007/96

22 जून 1996
1 आषाढ़ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय

ग्राहक सेवा - बाहरी चेकों की वसूली

कृपया दिनांक 17 मई 1995 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.बीसी.सं. 59/09.07.007/95 का पैराग्राफ 3 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि वे वर्तमान प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों पर गहरी नज़र रखें ताकि बाहरी एवं स्थानीय चेकों, आदि की वसूली से संबंधित अड़चनों को दूर किया जा सके। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे भुगतान लिखतों की वसूली में होने वाली देर के लिए जिम्मेदार कारणों एवं क्षेत्रों का पता लगाने के लिए तथा नयी प्रणालियों एवं पद्धतियों, आधारभूत व्यवस्थाओं, आदि के संबंध में सुझाव देने एवं उन्हें लागू करने के लिए अविलंब एक महा प्रबंधक के अधीन एक समिति का गठन करें ताकि लिखतों की शीघ्र वसूली हो सके। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे विलंब की स्पष्ट जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए एक विशेष रजिस्टर रखें।

2. हमें विभिन्न ग्राहक समूहों से लिखतों की वसूली में विलंब तथा ग्राहकों द्वारा अनुरोध किये जाने के बगैर दंडात्मक ब्याज की अदायगी न किये जाने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के अध्यक्षों एवं प्रबंध निदेशकों के साथ 17 अप्रैल 1996 को हुई बैठक में भी इस मामले पर चर्चा की गयी थी तथा कार्यविवरण की एक प्रति बैंकों को

DBOD No. 724/09.07.007/96

June 22, 1996
Asadha 1, 1918

The Chief Executives of All Commercial Banks

Dear Sir,

CUSTOMER SERVICE - COLLECTION OF OUTSTATION CHEQUES

Please refer to paragraph 3 of our circular DBOD. BC. No. 59/09.07.007/95 dated the 17th May 1995 advising banks to have a close look at the existing procedures and practices so as to remove the bottlenecks in regard to collection of outstation as well as local cheques, etc, Banks were also advised to constitute a Committee under a General Manager urgently to identify the areas and factors responsible for the delays in collection of payment instruments and to suggest and put in place, new systems and procedures, infrastructural arrangements, etc., to ensure quick collection of instruments and also to introduce a special register to fix a clear-cut staff accountability for the delay.

2. We have been receiving a number of complaints from various customer groups regarding delay in collection of instruments and non-payment of penal interest without the customers making request therefor. The matter was also discussed in the meeting held on 17th April 1996 with the Chairmen

प्रेषित की गयी थी और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे इस संबंध में अविलंब सुधारात्मक उपाय करें।

3. आपसे अनुरोध है कि आप एक बार पुनः इस मामले पर गौर करें एवं इस बात की पुष्टि करें कि हमारे उपर्युक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

भवदीय,

(एस.ए.बेन्द्रे)
महा प्रबंधक

and Managing Directors of public sector banks and a copy of the Minutes has been forwarded to banks requesting them to initiate urgent corrective measures in this regard.

3. We would request you to look into the matter once again and confirm to us that necessary steps have been taken in accordance with the instructions contained in our circular referred to above.

Yours faithfully,

(S.A.Bendre)
General Manager

बैपविवि.सं.बीपी.बीसी.57/21.01.001/95

4 मई 1995
14 वैशाख 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंकों में धोखाधड़ी - जमाखातों पर निगरानी

कृपया आप 18 नवम्बर 1993 का हमारा परिपत्र डीबीओडी.सं.जीसी.बी.सी. 193/17.04.001/93 तथा 23 सितम्बर 1994 का परिपत्र बीपी.बीसी. 106/21.01.001/94 देखें। उक्त परिपत्रों में हमने जमा खातों को खोलने और उनके परिचालन के लिए दिशा-निर्देश एवं क्रियाविधि का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता बैंकों को पुनः बतायी है। इसका आशय बेईमान व्यक्तियों द्वारा तीसरी पार्टी के चेकों, ड्राफ्टों आदि के कपटपूर्ण ढंग से नकदीकरण के लिए बेनामी खाते खोलकर उनका इस्तेमाल होने से रोकने के लिए सुरक्षात्मक उपाय अपनाना है। बैंक खातों का दुरुपयोग रोकने के एक और सुरक्षात्मक उपाय के रूप में बैंकों को (हमारे 6 दिसम्बर 1993 के परिपत्र डीबीओडी. सं. जीसी. 202/17.04.001/93 द्वारा) सूचित किया गया कि वे 1 जनवरी 1994 से खोले गये नये जमा खातों के संबंध में खातों के परिचालन के लिए प्राधिकृत जमाकर्ताओं और खाताधारकों के फोटोग्राफ प्राप्त करें। बैंकों से यह भी कहा गया कि वे अपनी शाखाओं को यह चेतावनी दे दें कि जमा खातों के खोलने और परिचालन हेतु अनिवार्य सुरक्षात्मक उपायों एवं निर्धारित क्रियाविधि का बैंक अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किये जाने पर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी।

DBOD No. BP. BC. 57 /21.01.001/95

May 4, 1995
Vaishakha 14, 1917 (S)

The Chief Executives of all Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

FRAUDS IN BANKS - MONITORING OF DEPOSIT ACCOUNTS

Please refer to our circulars DBOD. No. GC. BC. 193/17.04.001/93 dated November 18, 1993 and BP. BC. 106/21.01.001/94 dated September 23, 1994 wherein we have reiterated the need for banks strictly adhering to the guidelines and procedures for opening and operating deposit accounts to safeguard against unscrupulous persons opening 'benami' (fictitious) accounts mainly to use them as conduit for fraudulently encashing third party cheques, drafts, etc. As a further measure to safeguard against misuse of bank accounts, banks were advised (vide our circular letter DBOD. No. GC.202/17.04.001/93 dated December 6, 1993) to obtain photographs of depositors and account holders who are authorised to operate the accounts in respect of new deposit accounts opened with effect from January 1, 1994. Banks were also advised to forewarn their branches that the violation of essential safeguards and laid down procedures in opening and operations of deposit accounts by the branch officials would attract punitive action against them.

2. हमने पाया है कि इस मामले में हमारे बार-बार अनुदेश देने के बावजूद जाली (बेनामी) खाते खोलने और तीसरी पार्टी/आदाता खाता चेकों, ब्याज/लाभांश वारंटों, धन वापसी आदेशों आदि के कपटपूर्ण नकदीकरण के मामलों की सूचना हमें तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को मिलती रही है। इस प्रकार के खाते बेईमान व्यक्तियों द्वारा धन निकाल लेने के बाद अल्प समय में बंद कर दिये जाते हैं।

2. We observe that, despite our repeated instructions in the matter, instances of opening of fictitious accounts and fraudulent encashment of third party/account payee cheques, interest/dividend warrants, refund orders, etc. are being reported to us as also to the Securities and Exchange Board of India. Such accounts are generally closed within a short period after syphoning off the money by the unscrupulous persons.

इसलिए जमा खाते तथा अन्य खातों को खोलने तथा उनके परिचालन से संबंधित प्रणाली पर निगरानी और अधिक कड़ी करने की दृष्टि से बैंकों को नीचे लिखे उपाय भी करने चाहिए :

In order, therefore, to further tighten the monitoring system relating to opening and operations in deposit and other accounts, banks should take further steps as indicated below :-

(क) नये जमा खातों पर कड़ी निगरानी रखने की प्रणाली लागू की जानी चाहिए। बैंक अपनी शाखाओं को सूचित करें कि इस प्रकार के नये खोले गये खातों पर निगरानी रखने के लिए जमा खाता अनुभाग/विभाग का प्रभारी मुख्य रूप से उत्तरदायी होगा, किन्तु शाखा में जमा खाता अनुभाग के प्रबंधक अथवा शाखा प्रबंधक कम से कम प्रथम तीन महीने तक कड़ी नज़र रखेंगे जिससे खाते में किसी भी प्रकार के कपटपूर्ण अथवा संदिग्ध लेनदेन न होने पायें। यह उन्हें स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि यदि बाद में यह पता चलेगा कि इन खातों का इस्तेमाल तीन महीने की प्रारंभिक अवधि में कपटपूर्ण लेनदेनों के लिए किया गया तो वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराये जायेंगे।

(a) A system of close watch on new deposit accounts should be introduced. The banks should advise their branches that although it will be the primary responsibility of the In-Charges of the deposit accounts section/departments to monitor such newly opened accounts, the branch managers or the managers of deposit accounts section at the branch will, at least, for the first three months keep a close watch so as to guard against any fraudulent or doubtful transactions taking place therein. It should be made clear to them that they will be held personally accountable in case it transpires subsequently that these accounts have been used during the initial period of three months for fraudulent transactions.

(ख) भारी राशि के नकदी आहरण पर कड़ी निगरानी रखने की प्रणाली अपनायी जानी चाहिए। यह देखा गया है कि तीसरी पार्टी

(b) A system of close monitoring of cash withdrawals for large amounts should be put in place. It has been observed

के चेक, ड्राफ्ट आदि मौजूदा खातों में जमा किये जाते हैं और उसके बाद भारी राशियां निकाली जाती हैं, जिससे ऐसे सम्पूर्ण लेनदेन की प्रकृति के बारे में संदेह उत्पन्न होता है। हमारे 1 सितम्बर 1993 के परिपत्र डीबीओडी. सं. एफएमसी.बीसी. 153/27.01.003/93-94 में यह उल्लेख किया गया है कि भारी राशि के नकदी आहरणों पर शाखा प्रबंधक स्वयं कड़ी नज़र रखें। हम यह सूचित करते हैं कि बैंक 10 लाख रुपये और उससे अधिक की नकदी जमा और आहरणों पर कड़ी निगरानी रखने की प्रणाली न केवल जमा खातों के लिए लागू करें बल्कि नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट जैसे अन्य सभी खातों के लिए भी लागू करें। शाखाएं 10 लाख रुपये और उससे अधिक की वैयक्तिक नकदी जमा और आहरणों के ब्यौरों का रिकार्ड रखने के लिए एक अलग रजिस्टर रखें। ब्यौरों में जमाराशियों के मामले में खातेदार का नाम, खाता सं. जमा की गयी राशि तथा आहरण के मामले में खातेदार का नाम, खाता सं. आहरण की राशि और चेक के हिताधिकारी का नाम लिखा जाये।

3. कृपया प्राप्ति-सूचना भिजवायें और उक्त अनुदेशों का कड़ाई से पालन करने के लिए नोट करने की पुष्टि करें।

भवदीय,

(जे.आर.प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

that third party cheques, drafts, etc. are deposited in the existing and newly opened accounts followed by cash withdrawals for large amounts thereby giving rise to suspicion about the nature of the whole transaction. In our circular DBOD. No. FMC. BC. 153/27.01.003/93-94 dated September 1, 1993, it has been mentioned that the branch managers should closely monitor cash withdrawals for large amounts. We advise that bank should introduce a system of closely monitoring cash deposits and withdrawals for Rs. 10 lakhs and above not only in deposit accounts but also in all other accounts like cash credit/overdraft etc. The branches should also maintain a separate register to record details of individual cash deposits and withdrawals for Rs. 10 lakhs and above. The details recorded should include, in the case of deposits, the name of the account holder, account number, amount deposited and in the case of withdrawals, the name of the account holder, account number, amount of withdrawal and name of the beneficiary of the cheque.

3. Please acknowledge receipt and confirm having noted these instructions for strict compliance.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager

बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 102/21.01.001/95

20 सितम्बर 1995
29 भाद्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

जमा खातों की निगरानी

कृपया दिनांक 4 मई 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.57/21.01.001/95 देखें जिसमें बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे जमा खातों तथा नकद जमा/ओवरड्राफ्ट, आदि अन्य सभी खातों में 10 लाख रुपये और उससे अधिक की नकद जमा और आहरणों की कड़ी निगरानी के लिए एक प्रणाली लागू करें। उसमें यह भी सूचित किया गया था कि शाखाओं को चाहिए कि वे 10 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि की अलग-अलग नकद जमा के ब्यौरों का अभिलेख रखने के लिए एक अलग रजिस्टर रखें।

2. ग्राहक खातों में कुछ संदिग्ध एवं आपत्तिजनक लेनदेनों के संबंध में बार-बार लगाये जानेवाले आरोपों के संदर्भ में, यह निर्णय लिया गया है कि 10 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि की किसी भी नकद जमा अथवा आहरण की सूचना पाक्षिक आधार पर शाखा प्रबंधक द्वारा उसके नियंत्रक कार्यालय (अर्थात् मंडल अथवा क्षेत्रीय अथवा आंचलिक कार्यालय) को दी जाय तथा उसके साथ पूरे ब्यौरे दिए जाएं जैसे कि खाताधारक का नाम, खाता संख्या, खाता खोलने की तारीख, आदि। शाखाओं से ये विवरण प्राप्त होने के बाद नियंत्रक कार्यालय को चाहिए कि यदि लेनदेन प्रथमदृष्ट्या संदिग्ध एवं संदेहास्पद प्रतीत होते हों तो वह तुरंत अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करके उसके ब्यौरों की छान-बीन करे और लेनदेन की जांच करें। नियंत्रक कार्यालय को चाहिए कि यदि संदिग्ध प्रकृति के किसी लेनदेन का पता चले तो वह प्रधान कार्यालय के महा प्रबंधक (निरीक्षण)

DBOD No. BP.BC. 102/21.01.001/95

September 20, 1995
Bhadra 29, 1917 (S)

The Chief Executives of all Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

MONITORING OF DEPOSIT ACCOUNTS

Please refer to our circular DBOD No. BP.BC.57/21.01.001/95 dated May 4, 1995 advising banks to introduce a system of closely monitoring cash deposits and withdrawals for Rs. 10 lakhs and above in deposit accounts and also in all other accounts like cash credit/overdraft, etc. It was also indicated therein that the branches should maintain a separate register to record details of individual cash deposits and withdrawals for Rs. 10 lakhs and above.

2. In the context of frequent allegations of certain dubious and questionable transactions involving customer accounts, it has been decided that any cash deposits or withdrawals for Rs. 10 lakhs and above should be reported by the Branch Manager to his controlling office (i.e. Divisional or Regional or Zonal Office) on a fortnightly basis along with full particulars, such as name of the account holder, account number, date of opening the account, etc. On receipt of these statements from branches, the controlling office should immediately scrutinise the details thereof and have the transactions looked into by deputing officials, if the transactions prima facie

को सूचित करे। भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी भी अपने निरीक्षणों के दौरान शाखाओं द्वारा प्रस्तुत विवरणों की जांच करते रहेंगे।

3. कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति स्वीकारें और पुष्टि करें कि शाखाओं और नियंत्रक कार्यालयों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

भवदीय,

(जे.आर.प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

appear to be dubious or giving rise to suspicion. The controlling office should in turn apprise the General Manager (Inspection) at the Head Office, if any transactions of a suspicious nature are observed. The inspecting officials from the Reserve Bank of India during the course of their inspections will also be looking into the statements submitted by the branches.

3. Please acknowledge receipt of this circular and confirm having issued suitable instructions for strict compliance by the branches and the controlling offices.

Yours faithfully,

(J.R. Prabhu)
Chief Ganeral Manager

बैंपविवि.बीसी. 14 /09.07.007/96

14 फरवरी 1996
25 माघ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से इतर)

प्रिय महोदय,

बैंकों में धोखाधड़ी और कदाचारों से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में जाँच करने के लिए समिति - जमाकर्ताओं / खाताधारकों के फोटोग्राफ प्राप्त करना

कृपया उपर्युक्त विषय पर क्रमशः दिनांक 6 दिसंबर 1993 और 22 अप्रैल 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.जीसी.बीसी.202 और 46/17.04.001/93 और 94 तथा दिनांक 10 सितंबर 1994 का परिपत्र बैंपविवि. सं.बीसी. 102/09.07.007/94 देखें। हमें ऐसा पता चला है कि जब कभी खाताधारक कोई अतिरिक्त खाता खोलना चाहता है तो कुछ बैंक नया फोटोग्राफ प्रस्तुत करने के लिए जोर देते हैं। इस संबंध में हम दिनांक 22 अप्रैल 1994 के अपने परिपत्र बैंपविवि. सं.जीसी.बीसी. 46/17.04.001/94 के अनुबंध की मद 9 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं और यह दुहराते हैं कि यदि खाताधारक कोई अतिरिक्त खाता खोलना चाहे तो नया फोटोग्राफ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

2. आप कृपया अपनी शाखाओं को उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

भवदीय,

(ए. घोष)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

DBOD No. BC.14 /09.07.007/96

February 14, 1996
Magha 25, 1917 (Saka)

The Chief Executives of All Commercial Banks (other than Regional Rural Banks)

Dear Sir,

COMMITTEE TO ENQUIRE INTO VARIOUS ASPECTS RELATING TO FRAUDS AND MALPRACTICES IN BANKS - OBTAINING PHOTOGRAPHS OF THE DEPOSITORS/ ACCOUNT HOLDERS

Please refer to our circulars DBOD Nos. GC.BC. 202 and 46/17.04.001/93 and 94, dated 6th December 1993 and 22nd April 1994 and DBOD No. BC.102/09.07.007/94 dated 10th September 1994 respectively on the above subject. It has come to our notice that some of the banks are insisting on fresh photographs whenever an additional account is desired to be opened by the account holder. In this connection, we invite your attention to item 9 of the Annexure to our Circular DBOD. No. GC. BC. 46/17.04.001/94 dated 22nd April 1994 and reiterate that fresh photographs need not be obtained when an additional account is desired to be opened by the account holder.

2. You may please issue suitable instructions to your branches.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Additional Chief General Manager

बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी.42/21.01.001/96

6 अप्रैल 1996
17 चैत्र 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

दस लाख रुपये और उससे अधिक की जमाराशियों/ अन्य खातों में नकद जमा/आहरण की निगरानी

कृपया आप हमारा 20 सितंबर 1995 का परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 102/21.01.001/95 देखें, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि वे 10 लाख रुपये और उससे अधिक की नकद जमाराशियों/आहरणों पर कड़ी निगरानी रखने की प्रणाली तत्काल लागू करें और यदि कोई लेनदेन संदेहास्पद/अविश्वसनीय स्वरूप का हो तो उसका सतत सत्यापन किया जाना चाहिए।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि बैंकों ने उपर्युक्त अनुदेशों/ दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया है। इन अनुदेशों/दिशा-निर्देशों के वास्तविक कार्यान्वयन के संबंध में हम बैंकों से प्रतिसूचना चाहते हैं। कृपया हमें बतायें... (i) क्या आपकी शाखाओं/कार्यालयों को इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, (ii) क्या उन्होंने 10 लाख रुपये और उससे अधिक की एकल नकदी जमाराशियों और आहरणों के ब्योरे लिखने के लिए अलग से रजिस्टर रखा है, (iii) क्या उक्त परिपत्र की तारीख से शाखा स्तर पर कोई संदेहास्पद स्वरूप के लेनदेन देखे गये और उनकी रिपोर्ट नियंत्रक कार्यालय/महा प्रबंधक (निरीक्षण) को की गयी और, यदि ऐसा है तो, इस संबंध में बैंक ने क्या कार्रवाई की है तथा (iv) क्या इस तरह के मामलों में स्टाफ की जबाबदेही संबंधी पहलू की जाँच की गयी और कार्रवाई

DBOD. No. BP.BC.42/21.01.001/96

April 6, 1996
Chaitra 17, 1918 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

MONITORING CASH DEPOSITS AND WITHDRAWALS OF RS. 10 LAKH AND ABOVE IN DEPOSITS/OTHER ACCOUNTS

Please refer to our circular DBOD.No. BP.BC.102/21.01.001/95 dated September 20, 1995 advising banks to immediately introduce a sytem for closely monitoring cash deposits and withdrawals of Rs. 10 lakh and above and verify on an ongoing basis if there are any transactions which are of suspicious/dubious nature.

2. Banks do not seem to have fully complied with the above instructions/ guidelines. We would like to have a feed back from banks on the actual state of implementation thereof. Please let us know (i) whether your branches/controlling offices have been advised to ensure strict compliance with these instructions (ii) whether they maintain a separate register in which details of individual cash deposits and withdrawals of Rs. 10 lakhs and above are recorded, (iii) since the date of the said circular, any transactions of suspicious nature were observed at the branch level and reported to the Controlling Offices/General

की गयी। उपर्युक्त जानकारी हमें 1 मई 1996 तक प्राप्त हो जानी चाहिए।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

Manager (Inspection) and, if so, what action has been initiated by the bank in this regard and (iv) whether staff accountability aspects have been examined in such cases and action taken. The above information should be furnished so as to reach us by May 1, 1996.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.आरईटी.10/12.06.029/94-95

2 फरवरी 1995
13 माघ 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से निष्कासन - "दि बैंक ऑफ कराड लि."

हम यह सूचित करते हैं कि "दि बैंक आफ कराड लि." का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से 6 दिसम्बर 1994 अर्थात् 29 नवम्बर 1994 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.बीपी./ईएक्ससीएल/1488/21.01.068/94 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से निकाल दिया गया है।

भवदीय,

(एच.एच.कामदार)
उप मुख्य अधिकारी

DBOD. No. BC.RET.10/12.06.029/94-95

February 2, 1995
Magha 13, 1916(S)

All Commercial Banks

Dear Sir,

EXCLUSION FROM THE SECOND SCHEDULE TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "THE BANK OF KARAD LTD."

We advise that the name of the "Bank of Karad Ltd." has been excluded from the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 6th December 1994 i.e. the date on which the relative notification DBOD. No. BP. EXCL.1488/21.01.068/94 dated 29th November 1994 was published in the Gazette of India (Part III-Section 4).

Yours faithfully,

(H.H. Kamdar)
Deputy Chief Officer

बैंपविवि.सं. 11/12.06.090/94-95

2 फरवरी 1995
13 माघ 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन – "दि चेज मैनहट्टन बैंक एन.ए."

हम सूचित करते हैं कि "दि चेज मैनहट्टन बैंक एनए." का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 14 दिसम्बर 1994 से अर्थात् 7 दिसम्बर 1994 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीपी. आईएनसीएल. 1561/21.01.068/94 के भारत के राजपत्र (भाग-III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(एच.एच.कामदार)
उप मुख्य अधिकारी

DBOD. No.BC. 11 /12.06.090/94-95

February 2, 1995
Magha 13, 1916 (Saka)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "THE CHASE MANHATTAN BANK N.A."

We advise that the name of "The Chase Manhattan Bank N.A." has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 14th December 1994 i.e. the date on which the relative notification DBOD. No. BP.INCL. 1561/21.01.068/94 dated 7th December 1994 was published in the Gazette of India (Part III-Sec.4).

Yours faithfully,

(H.H.Kamdar)
Deputy Chief Officer

बैंपविवि.सं. 17/12.06.093/94-95

10 फरवरी 1995
21 माघ 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "एचडीएफसी बैंक लि."

हम सूचित करते हैं कि "एचडीएफसी बैंक लि." का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 25 जनवरी 1995 से अर्थात् 23 जनवरी 1995 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.बीपी. 2034/21.01.056/95 के भारत के राजपत्र (भाग - III खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(एच.एच.कामदार)
उप मुख्य अधिकारी

DBOD. No. BC. 17 /12.06.093/94-95

February 10, 1995
Magha 21, 1916 (Saka)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "HDFC BANK LTD."

We advise that the name of "HDFC Bank Ltd." has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 25th January 1995 i.e. the date on which the relative Notification DBOD. No. BP. 2034/21.01.056/95 dated 23rd January 1995 was published in the Gazette of India (Part III-Sec. 4).

Yours faithfully,

(H.H.Kamdar)
Deputy Chief Officer

बैंपविवि.सं.बीसी.18/12.06.091/94-95

13 फरवरी 1995
24 माघ 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "स्टेट बैंक ऑफ मारीशस लि."

हम सूचित करते हैं कि "स्टेट बैंक आफ मारीशस लि." का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 19 दिसम्बर 1994 से अर्थात् 12 दिसम्बर 1994 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं. बीपी.आईइनसीएल.1602/21.01.068/94 के भारत के राजपत्र (भाग-III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(एच.एच.कामदार)
उप मुख्य अधिकारी

DBOD. No. BC. 18/12.06.091/94-95

February 13, 1995
Magha 24, 1916 (Saka)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "STATE BANK OF MAURITIUS LTD."

We advise that the name of "State Bank of Mauritius Ltd." has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 19th December 1994 i.e. the date on which the relative Notification DBOD.No. BP.INCL. 1602/21.01.068/94 dated 12th December 1994 was published in the Gazette of India (Part III-Sec. 4).

Yours faithfully,

(H.H.Kamdar)
Deputy Chief Officer

बैंपविवि.सं. बीसी.20/12.06.094/95

17 फरवरी 1995
28 माघ 1916 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "सेंचुरियन बैंक लिमिटेड"

हम सूचित करते हैं कि "सेंचुरियन बैंक लिमिटेड" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 1 फरवरी 1995 से अर्थात् 27 जनवरी 1995 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.बीपी. 2091/21.01.062/95 के भारत के राजपत्र (भाग – III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(एच.एच.कामदार)
उप मुख्य अधिकारी

DBOD. No. BC. 20/12.06.094/95

February 17, 1995
Magha 28, 1916 (S)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "CENTURION BANK LTD."

We advise that the name of "Centurion Bank Limited" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 1st February 1995 i.e. the date on which the relative Notification DBOD. No. BP. 2091/21.01.062/95 dated 27th January 1995 was published in the Gazette of India (Part III-Sec.4).

Yours faithfully,

(H.H.Kamdar)
Deputy Chief Officer

बैंपविवि. सं. आइबीएस.बीसी.29/23.06.001/95

20 मार्च 1995
29 फाल्गुन 1916 (शक)

भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

भारतीय कारोबार में विदेशी निधियाँ लगाना

कृपया आप 25 अक्तूबर 1994 का हमारा परिपत्र डीबीओडी. सं. आइबीएस.524/23.61.001/94-95 देखें, जिसमें हमने विदेशी बैंकों को सूचित किया है कि विदेशी बैंकों के विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा मंजूर किये गये विदेशी मुद्रा ऋणों के अंतर्गत बकाया राशि को ऋणकर्ता सीमा/ऋणकर्ता समूह की सीमाओं के निर्धारण के लिए "पूंजीगत निधियां" निकालने के प्रयोजन हेतु हिसाब में लिया जा सकता है।

2. उपर्युक्त अनुदेशों की दृष्टि से और 22 अप्रैल 1992 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी. 117/21.01.002/92 के अनुसार हमारे द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता संबंधी अपेक्षाओं की दृष्टि से उपर्युक्त विषय पर हमारे 22 अप्रैल 1971 के परिपत्र डीबीओडी सं.एनएटी. 685/सी.452-डी/71 और 13 मई 1989 के परिपत्र डीबीओडी. सं.आइबीएस.बीसी. 126/सी.452(डी)-89 (प्रतियां संलग्न) में निहित अनुदेश वापस लिया जा रहा है।

भवदीय,

(जे. आर. प्रभु)
मुख्य अधिकारी

DBOD No. IBS BC.29/23.06.001/95

March 20, 1995
Phalguna 29, 1916 (Saka)

The Chief Executives of Foreign Banks in India.

Dear Sir,

DEPLOYMENT OF FOREIGN FUNDS IN INDIAN BUSINESS

Please refer to our circular letter DBOD No. IBS. 524/23.61.001/94-95 dated 25 October 1994 wherein we have advised the foreign banks that the outstandings under foreign currency loans sanctioned by the overseas offices of the foreign banks can be reckoned for the purpose of arriving at 'capital funds' to determine the Single Borrower Limit/ Borrower Group Limits.

2. In view of the above instructions, and the capital adequacy requirements prescribed by us in terms of our circular DBOD. No. BP.BC. 117/21.01.002/92 dated 22 April 1992, the instructions contained in our letters DBOD No. Nat. 685/C.452-D/71 dated 22 April 1971 and DBOD. No. IBS. BC. 126/C.452 (D)-89 dated 13 May 1989 on the captioned subject (copies enclosed), stand withdrawn.

Yours faithfully,

(J.R. Prabhu)
Chief Officer

डीवीओडी.सं. एनएटी.685/सी.452 डी/71

22 अप्रैल 1971
2 वैशाख 1893 (शक)

भारत में विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

भारतीय व्यापार में विदेशी निधियाँ लगाना

जैसा कि आप जानते हैं नवम्बर 1967 में विदेशी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श के दौरान रिज़र्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर ने यह कहा था कि विदेशी बैंकों को हमेशा यह लक्ष्य रखना चाहिए कि "भारतीय व्यापार में लगी हुई स्वयं की निधियों" के रूप में वे उतनी राशि रखें जो कि 1967 के अंत में भारत में उनकी जमाराशियों के 3.5 प्रतिशत के बराबर हो तथा यह कि इन अतिरिक्त अपेक्षाओं की गणना त्रिवार्षिक रूप में होगी। यह भी कहा गया था कि इस प्रयोजन के लिए लगायी गयी अतिरिक्त विदेशी निधियाँ निम्नलिखित में से किसी एक अथवा उससे अधिक से निर्मित की जाएं :

(क) बैंक की कोई विदेशी मुद्रा जो कि भारत में किसी विशिष्ट श्रेणी की प्रारक्षित राशि में रखी गयी हो।

(ख) भारतीय पार्टियों को बैंक अथवा उसके प्रधान कार्यालय द्वारा विदेशी मुद्रा में दिये गये ऋण ।

(ग) विदेशी मुद्रा में रिज़र्व बैंक में कोई ब्याज रहित राशि जिसे इसके किसी विदेशी खाते में जमा किया गया हो तथा जिसके लिए यह विकल्प हो कि जो बैंक जमा करता है यदि वह चाहे तो रिज़र्व बैंक परस्पर सहमत शर्तों पर उस बैंक के

DBOD. No. Nat. 685 /C.452D-71

April 22, 1971
Vaisakha 2, 1893 (Saka)

The Chief Executives of foreign banks in India.

Dear Sir,

DEPLOYMENT OF FOREIGN FUNDS IN INDIAN BUSINESS

As you are aware, the then Governor of the Reserve Bank, in the course of his discussions with the representatives of foreign banks in November 1967, had indicated that the foreign banks should aim at all times to have as their 'own funds deployed in Indian business' an amount equivalent to 3.5 per cent of their deposits in India as at the end of 1967 and that the calculations of these additional requirements would be triennial. It was also indicated that the additional foreign funds inducted for the purpose may be made up of one or more of the following elements;

(a) Any foreign exchange belonging to the bank which has been retained in India in some specific category of reserves.

(b) Loans in foreign currency made by the bank or its Head Office to Indian parties.

(c) An interest-free deposit with the Reserve Bank in foreign exchange credited to any of its foreign accounts with an option that if the bank which makes the deposit so requests, the Reserve Bank would be prepared to consider making an interest-bearing

विदेशी कार्यालय में ब्याजयुक्त जमा करने पर विचार करने के लिए तैयार रहेगा।

(घ) भारत के बाहर बैंक के किसी कार्यालय में रिज़र्व बैंक के नाम ब्याजयुक्त विदेशी मुद्रा सावधि जमा।

हमने अब इस स्थिति की समीक्षा की है और यह सोचा जाता है कि भारतीय व्यापार में लगी विदेशी निधियाँ प्रत्येक वर्ष के अंत में भारत में बैंक की कुल जमा से उचित रूप से संबंधित होनी चाहिए । अतः हम यह सुझाव देंगे कि आप पहले 1970 के अंत में जमा राशियों के आधार पर स्थिति की समीक्षा करें और जैसी स्थिति पता चले उसके अनुसार आप हमें स्थिति से अवगत करायें और यदि कोई कमी हो तो यथावश्यक अतिरिक्त निधियों का उपयोग करें ताकि लगायी गयी कुल निधियां वर्ष के अंत में जमाराशियों के 3.5 प्रतिशत से कम न हों। उसके बाद प्रत्येक वर्ष के अंत में आप स्थिति की समीक्षा करें और यथापेक्षित आवश्यक समायोजन किये जाएं। इस मामले में की गयी कार्रवाई की सूचना आप हमें यथाशीघ्र दें।

2. आपसे अनुरोध है कि आप प्रत्येक छमाही की समाप्ति पर 30 जून 1971 को समाप्त छमाही से, संलग्न फार्म में एक विवरण भेजें जिसमें भारतीय व्यापार में लगी विदेशी निधियों का ब्यौरा दिया गया हो।

3. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय,

मुख्य अधिकारी

fixed deposit with that bank's foreign office on mutually agreed terms.

(d) An interest-bearing foreign currency fixed deposit in the name of the Reserve Bank with one of the bank's offices outside India.

We have now reviewed the position and it is considered that the foreign funds to be deployed in Indian business should appropriately be related to the total deposits of the bank in India at the end of each year. We would, therefore, suggest that you may, in the first instance, review the position on the basis of the deposits as at the end of 1970 and in the light of the position disclosed advise us as to the situation and if there is any shortfall, take steps to deploy such additional funds as may be necessary so that the total funds deployed constitute not less than 3.5 per cent of the deposits as at the end of the aforesaid year. The position may thereafter be reviewed by you as at the end of each year and necessary adjustments as may be required may be made.The action taken by you in the matter may be advised to us as early as possible.

2. We shall be glad if you will please arrange to forward to us, as at the end of every half-year, commencing from the half-year ending 30th June 1971, a statement as in the enclosed form giving particulars of the foreign funds deployed in Indian business.

3. Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Chief Officer

बैंक का नाम : _____

3० जून/31 दिसम्बर..... को भारत में लगी राशियों और विदेशी निधियों को दर्शानेवाला विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

जमा राशि	भारत में लगी विदेशी निधियाँ				कालम 2 से 5 तक का जोड़	टिप्पणी
	भारत में विशेष खातों में रखी विदेशी निधियों की राशि	भारतीय पार्टियों को दिये गये बकाया विदेशी मुद्रा ऋणों की राशि	भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम विदेशों में जमा राशि	भारतीय व्यापार में सतत नियोजन हेतु रखे प्रेषणीय लाभ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

टिप्पणी : 1. प्रत्येक शीर्ष के अंतर्गत कुल राशि दी जाय तथा इसके साथ संलग्न विवरण के फॉर्म I और II में क्रमशः कालम (2) और (3) के संबंध में विस्तृत ब्यौरा दिया जाए ।

2. केवल दीर्घावधि आधार पर लगायी गयी निधियाँ विवरण के प्रयोजनार्थ गणना में ली जाएँ ।

3. संपत्तियों की बिक्री अथवा उनके पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न कोई लाभ/अधिशेष अथवा वसूल न होने वाले एवं संदिग्ध ऋणों से निस्तार के लिए भारत में रखी गयी अथवा लायी गयी किसी राशि को विवरण के प्रयोजनार्थ गणना में नहीं लिया जाना चाहिए ।

Name of the Bank : _____

Statement showing the deposits and the foreign funds deployed in India as on the 30th June/31st December.....

(Amounts in lakhs of rupees)

Amount of Deposits	Foreign funds deployed in India				Total of columns (2) to (5)	Remarks
	Amount of foreign funds held in special accounts in India	Amount of outstanding foreign currency loans to Indian parties	Amount deposited in foreign countries in the name of Reserve Bank of India	Remittable profits retained for continued employment in Indian business		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Note : 1. The total amount may be given under each of the heads and detailed information in respect of columns (2) and (3) may be furnished in the form of statements Nos. I and II respectively attached herewith.

2. Funds deployed on a long term basis only should be taken into account for the purpose of the statement.

3. Any profit/surplus arising out of sale/revaluation of properties or any amounts brought in or retained in India to provide for bad and doubtful debts should not be taken into account for the purpose of the statement.

बैंक का नाम : _____

विवरण सं. I

30 जून/31 दिसंबर को भारत में विशेष खातों में रखी विदेशी निधियों को दर्शानेवाला विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

जिसमें रखी गयी हो उस शाखा का नाम	विशेष खाते का नाम	विशेष खाते में रखी राशि	तारीख जबसे राशि रखी गयी है	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Name of the Bank : _____

Statement No. I

Statement showing the foreign funds held in special accounts in India as on the 30th June/31st December.....

(Amounts in lakhs of rupees)

Name of Branch at which held	Name of the special account	Amount held in the special account	Date since when the amount is held	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

बैंक का नाम : _____

विवरण सं. II

बैंक द्वारा भारतीय पार्टियों को स्वीकृत और 30 जून/31 दिसम्बर..... तक बकाया विदेशी मुद्रा ऋणों को दर्शानेवाला विवरण

उस पार्टी का नाम और पता, जिसे ऋण स्वीकृत किया गया है	उस कार्यालय का नाम, जिसने ऋण स्वीकृत किया है	ऋण की बकाया राशि	मूल ऋण		शर्तें, जिन पर ऋण स्वीकृत किया गया है तथा अदायगी की शर्तें	ऋण के संबंध में भारत में रखी रुपया जमाराशि, यदि कोई हो	ऋण के लिए भारत सरकार/ भा. रि. बैंक के अनुमोदन की संदर्भ संख्या और तारीख	टिप्पणी
			तारीख	राशि				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Name of the Bank : _____

Statement No. II

Statement showing the foreign currency loans granted by the bank to Indian parties and outstanding as on the 30th June/31st December

(Amount in lakhs of rupees)

Name and address of the party to whom the loan has been granted	Name of the office which has granted the loan	Amount of loan outstanding	Original loan		Conditions on which the loan has been granted including terms of repayment	Amount of rupee deposits, if any, held in India in respect of the loan	Reference No. and date of Govt. of India/R.B.I. approval for the loan	Remarks
			Date	Amount				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

डीबीओडी सं.आइबीएस.बीसी.126/सी.452 (डी)-89

13 मई 1989
23 वैशाख 1911 (शक)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
भारत स्थित सभी विदेशी बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय व्यवसाय में विदेशी निधियों का प्रयोग

कृपया उपर्युक्त विषय से संबंधित दिनांक 22 अप्रैल 1971 का हमारा परिपत्र डीबीओडी सं.एनएटी. 685/सी.452(डी)-71 देखें। दिनांक 7 जनवरी 1989 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.एलईजी.बीसी.60/सी.233-89 द्वारा अधिसूचित लेखा वर्ष में परिवर्तन के फलस्वरूप उक्त विवरण के प्रस्तुतीकरण की अवधि में भी परिवर्तन होगा। तदनुसार, कृपया आप भारतीय व्यवसाय में लगाई गई विदेशी निधियों का विवरण प्रत्येक छमाही के अंत में अर्थात् मार्च 1989 को समाप्त अर्ध वर्ष से आरंभ होनेवाले मार्चांत और सितंबरांत तक हमें प्रेषित करें।

2. फिर भी, यदि दिसम्बर 1988 की समाप्ति का विवरण, पहले ही नहीं भेजा गया हो तो उसे पहले की तरह प्रेषित करें।

भवदीय

(वी.पी.बर्वे)
उप मुख्य अधिकारी

DBOD. No. IBS.BC. 126/C.452 (D)-89

May 13, 1989
Vaisakha 23, 1911 (Saka)

The Chief Executive Officers
of all foreign banks in India

Dear Sir

DEPLOYMENT OF FOREIGN FUNDS IN INDIAN BUSINESS

Please refer to our circular DBOD. No. Nat.685/C.452(D)-71 dated 22nd April 1971 on the above subject. Consequent upon change in the accounting year as notified by our circular DBOD. No. Leg. BC.60/C.233-89 dated 7th January 1989, there would be change in the periodicity of submission of the above statement. Accordingly, you may please note to forward to us the statement of the foreign funds deployed in the Indian business as at the end of every half year i.e. as at the end of March and September commencing from the half year ended March 1989.

2. The statement as at end-December 1988 may, however, be forwarded to us as usual, if not already done.

Yours faithfully

(V.P. Barve)
Deputy Chief Officer.

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 36/21.04.048/95

3 अप्रैल 1995
13 चैत्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना

बैंक लेखा-परीक्षा समिति की एक बैठक 10 मार्च 1995 को हुई थी। इस समिति में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) के प्रतिनिधि तथा कुछ प्रमुख बैंकों के अध्यक्ष शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता उप गवर्नर (श्री तलवार) ने की थी। उक्त बैठक में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गयी। बैठक में हुई चर्चा के प्रकाश में हम निम्नप्रकार सूचित करते हैं :

1. वसूल न हुए ब्याज का उत्क्रमण

यह निर्णय किया गया कि खरीदे और भुनाये गये बिलों सहित जिन अग्रिमों को पहली बार 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष में निष्क्रिय आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है उनके संबंध में उपचित जो ब्याज 31 मार्च 1994 को समाप्त पिछले वर्ष में आय खाते में जमा लिखा गया और जिसकी वसूली नहीं हुई उसका 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष में उत्क्रमण किया जाना चाहिए अथवा उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। यह सरकार द्वारा गारंटीकृत खातों पर वसूल न हुए ब्याज पर भी लागू होगा।

DBOD. No. BP.BC.36/21.04.048/95

April 3, 1995
Chaitra 13, 1917 (S)

The Chairmen/Chief Executives of all Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION AND PROVISIONING

A meeting of the Bank Audit Committee comprising representatives of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and Chairmen of some major banks was held on 10 March 1995. It was presided over by Deputy Governor (Shri Talwar). The meeting reviewed the existing guidelines on income recognition, asset classification and provisioning. In the light of the discussion held in the meeting, we advise as under :

1. Reversal of unrealised interest

It has been decided that in respect of advances including bills purchased and discounted which have been classified as Non-Performing Assets for the first time during the year ended 31 March 1995, the interest accrued and credited to the income account in the previous year ended 31 March 1994, which has not been realised should be reversed or provided for during the year ended 31 March 1995. This will apply to unrealised interest on Government guaranteed accounts also.

2. निष्क्रिय आस्तियों के संबंध में आंशिक वसूली

कुछ बैंकों ने पूछा है कि क्या वे निष्क्रिय आस्तियों के अंशतः वसूल हुए ब्याज को आय खाते में ले सकते हैं ? यह निर्णय किया गया है कि निष्क्रिय आस्तियों के वसूल हुए ब्याज को आय खाते में लेने पर कोई आपत्ति नहीं है किंतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खातों में ब्याज संबंधी उक्त जमा संबंधित ऋणकर्ताओं को मंजूर की गयी नयी/अतिरिक्त ऋण सुविधाओं में से न हों।

3. बीआईएफआर/मीयादी ऋणदाता संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास उपायों के अंतर्गत दिये गये अग्रिम

हमारे 4 फरवरी 1994 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी.8/21.04.043/94 के पैराग्राफ 5 में बैंकों से कहा गया है कि पुनर्वास के अधीन किसी इकाई को मंजूर की गयी मौजूदा ऋण सुविधाओं के संबंध में किसी बैंक को देय राशियों के संबंध में प्रावधान अवमानक अथवा संदिग्ध के रूप में उनके वर्गीकरण के अनुसार करना जारी रखा जाना चाहिए। जहां तक बीआइएफआर/और/अथवा मीयादी ऋणदाता संस्थाओं द्वारा अंतिम रूप दिये गये उपायों के अनुसार मंजूर की गयी अतिरिक्त सुविधाओं का संबंध है बैंक अपने लेखा-परीक्षकों के परामर्श से यह तय करेंगे कि क्या मंजूर की गयी अतिरिक्त सुविधाओं के लिए प्रावधान की आवश्यकता है। बार-बार यह अभिवेदन किया गया है कि मंजूर की गयी अतिरिक्त सुविधाओं के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता निरुत्साहकारी होगी । इस दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि बीआइएफआर/मीयादी ऋणदाता संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास उपायों के अंतर्गत मंजूर की गयी अतिरिक्त सुविधाओं के संबंध में वितरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित हमारे दिशा-निर्देश अतिरिक्त सुविधाओं के लिए वितरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद लागू होंगे।

2. Partial recoveries on NPAs

Some banks had enquired whether they could take to income account, interest partly recovered in Non-Performing Assets. It has been decided that while there could be no objection to take to income account interest realised in NPAs, it should be ensured that the credits in the accounts towards interest are not out of fresh/additional credit facilities sanctioned to the borrowers concerned.

3. Advances granted under rehabilitation packages approved by BIFR/ term lending institutions

In paragraph 5 of our circular DBOD. No. BP.BC. 8/21.04.043/94 dated 4 February 1994, banks were advised that provision would continue to be made in respect of the dues to a bank in respect of existing credit facilities sanctioned to a unit under rehabilitation as per their classification as sub-standard or doubtful. As regards the additional facilities sanctioned as per package finalised by BIFR/and/or term lending institutions, the banks in consultation with their auditors would take a view whether there is need for making provisions for the additional facilities sanctioned. In view of the persistent representations that the requirement to make provision for the additional facilities sanctioned acts as disincentive, it has been decided that provision need not be made for a period of one year from the date of disbursement in respect of additional facilities sanctioned under rehabilitation packages approved by BIFR/ term lending institutions. In other words, our guidelines on income recognition, asset classification and provisioning will apply to the additional facilities after a period of one year from the date of disbursement.

4. ईसीजीसी/डीआइसीजीसी गारंटी से रक्षित अग्रिमों के लिए प्रावधान करना

हमारे 30 अप्रैल 1994 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 50/21.04.048/94 में बैंकों से कहा गया था कि ईसीजीसी/डीआइसीजीसी द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के मामले में प्रावधान इन निगमों द्वारा गारंटीकृत राशि से अधिक शेष राशि के लिए ही किया जाना चाहिए। बाद में हमारे 16 मई 1994 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 58/21.04.048/94 द्वारा बैंकों को यह स्पष्ट किया गया था कि यदि वे हमारे 30 अप्रैल 1994 के उक्त परिपत्र में बताये गये ढंग की तुलना में ईसीजीसी/ डीआइसीजीसी की गारंटी से रक्षित अग्रिमों के संबंध में अधिक कड़े प्रावधान कर रहे हों तो वे उस प्रक्रिया को जारी रखने का विकल्प अपना सकते हैं, जो प्रक्रिया अब तक अपनायी जाती रही है। लेखा-परीक्षा समिति की उक्त बैठक में यह उल्लेख किया गया कि यदि किसी बैंक के पास प्रतिभूति है तो उसका वसूली-योग्य मूल्य ईसीजीसी/ डीआइसीजीसी की गारंटी के बराबर घटाने से पहले बकाया शेष में से घटा दिया जाना चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया कि यदि प्रतिभूति के वसूली-योग्य मूल्य को घटाने के बाद गणना किये गये प्रावधान की राशि उस राशि से अधिक भिन्न है जो हमारे द्वारा बताये गये ढंग से निकालने पर आती तो लेखा-परीक्षक इस पहलू को तुलनपत्र में लिख सकते हैं। इसलिए यह निर्णय किया गया कि वर्ष 1995-96 से किये जानेवाले पावधान की राशि निकालते समय प्रतिभूतियों का वसूली-योग्य मूल्य ईसीजीसी/डीआइसीजीसी द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के संबंध में बकाया शेष राशि में से घटा दिया जाना चाहिए। तथापि, 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम खातों को तैयार करने के लिए हमारे 16 मई 1994 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 58/ 21.04.048/94 में दिये गये अनुदेश लागू रहेंगे।

भवदीय,

(जे.आर.प्रभु)
मुख्य अधिकारी

4. Provisioning for Advances covered by ECGC/DICGC guarantee

In our circular DBOD. No. BP. BC. 50/21.04.048/ 94 dated 30 April 1994, banks were advised that in the case of advances guaranteed by ECGC/ DICGC, provision should be made only for the balance in excess of the amount guaranteed by these Corporations. It was subsequently clarified to the banks vide our circular DBOD. No. BP. BC. 58/21.04.048/94 dated 16 May 1994 that if they had been following more stringent methods of provisioning in respect of advances covered by the guarantees of ECGC/DICGC when compared to the method given in the circular of 30 April 1994, they would have the option to continue the procedure followed by them hitherto. In the meeting of the Audit Committee it was mentioned that if a bank holds a security, its realisable value should be deducted from the outstanding balance before the ECGC/DICGC guarantee is off-set. It was also mentioned that if the amount of provisions computed after deducting the realisable value of the securities is materially different from the amounts which would have been arrived at, according to the method given by us, the auditors could qualify this aspect in the balance sheet. It has, therefore, been decided that from the year 1995-96 while arriving at the provision required to be made, realisable value of the securities should be deducted from the outstanding balance in respect of advances guaranteed by ECGC/DICGC. The instructions contained in our circular DBOD. No. BP.BC.58/21.04.048/94 dated 16 May 1994 will, however, hold good for preparation of final accounts for the year ended 31 March 1995.

Yours faithfully,

(J.R. Prabhu)
Chief Officer

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 44/21.04.048/95

15 अप्रैल 1995
25 चैत्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यांकन

कृपया 14 नवम्बर 1994 का उक्त विषयक हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 134/21.04.048/94 देखें। उसके पैरा (घ) में यह उल्लेख किया गया था कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के परामर्श से भारतीय बैंक संघ सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए एक पद्धति तैयार करेगा, जो 31 मार्च 1995 के तुलनपत्र को अंतिम रूप देते समय बैंकों और लेखा परीक्षकों द्वारा अपनायी जानी चाहिये। भारतीय बैंक संघ ने अब विभिन्न मामलों पर अपना विचार, जो अनुबंध में उल्लिखित है, रिज़र्व बैंक को पेश किया है। रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा अभिव्यक्त दृष्टिकोणों पर विचार किया है और यह निर्णय किया गया है कि 31 मार्च 1995 के तुलनपत्र को अंतिम रूप देते समय बैंक अनुबंध के स्तंभ 4 में उल्लिखित पद्धति अपनाएं ।

2. हम सूचित करते हैं कि यदि अनुबंध में उल्लिखित मूल्यांकन पद्धति के कारण प्रतिभूतियों के मूल्य में कोई वृद्धि हो तो उसे आय नहीं माना जाए। लेकिन, जिन बैंकों ने प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए इस सुझाव से

DBOD. No. BP.BC. 44/21.04.048/95

April 15, 1995
Chaitra 25, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION, PROVISIONING AND OTHER RELATED MATTERS - VALUATION OF INVESTMENTS

Please refer to our circular DBOD. No. BP. BC. 134/21.04.048/94 dated 14 November 1994 on the above subject. It had been indicated in paragraph (d) thereof that Indian Banks' Association (IBA) in consultation with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) would evolve a method for valuation of Government and other securities, which should be adopted by banks and auditors while finalising the balance sheet as at 31 March 1995. IBA have since furnished to Reserve Bank their views on the various issues as detailed in the Annexure. The views expressed by IBA have been considered by Reserve Bank and it has been decided that banks should adopt the method indicated in column (4) of the Annexure, while finalising the balance sheet as at 31 March 1995.

2. We have to advise that if there is any appreciation in the value of securities on account of the method of valuation as indicated in the Annexure, it should not be

इतर अधिक विवेकपूर्ण पद्धति अपनायी है, वे उसे आगे भी जारी रख सकते हैं।

भवदीय,

(जे.आर.प्रभु)
मुख्य अधिकारी

booked as income. Further, banks which have adopted a more prudent method of valuation of securities than the one now being suggested, these banks may continue the practice hitherto followed by them.

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief Officer

अनुबंध

निवेश श्रेणी	भारतीय बैंक संघ और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गयी	भारतीय बैंक संघ और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के बीच हुआ करार	बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली पद्धति
1.	2.	3.	4.
1. स्थायी निवेश	27 अप्रैल 1992 के भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र के अनुसार बैंकों को स्थायी श्रेणी में आने वाली प्रतिभूतियाँ स्वेच्छा से नहीं बेचनी चाहिए लेकिन यदि वे ऐसा करते हैं तो प्रतिभूतियों के ऐसे लेनदेनों से प्राप्त किसी भी लाभ को पूंजीगत प्रारक्षित निधि लेखे में जमा करना चाहिए ।	स्थायी निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ सहित, लाभ के विनियोजन को निश्चित करना निदेशक मंडल का विशेषाधिकार है । तथापि, यदि स्थायी निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ को पूँजीगत प्रारक्षित निधि के रूप में दिखाया जाता है तो उसे पहले लाभ और हानि खाते में दर्ज करना चाहिए और उसके बाद उसे पूँजीगत प्रारक्षित निधि खाते में जमा करना चाहिए ।	जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 3 अप्रैल 1995 के परिपत्र बीपी.बीसी.37/ 21.04.048/95 के पैरा 7 में बताया गया है, स्थायी श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त किसी भी लाभ को पहले लाभ और हानि खाते में दर्ज करना चाहिए और उसके बाद उसे "पूँजीगत प्रारक्षित निधि" खाते में दर्ज किया जा सकता है ।
2. स्थायी निवेश	20 जून 1992 के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार स्थायी प्रतिभूतियों को बैंकों के विवेकानुसार बही मूल्य (लागत) या बाजार मूल्य पर तुलन पत्र में दर्ज किया जाना है बशर्ते वे एक सुसंगत लेखाकरण नीति अपना रहे हों । यदि बैंक बाजार मूल्य को मूल्यांकन का आधार बनाते हैं तो परिणामस्वरूप लाभ/हानि पुनर्मूल्यन पूंजीगत लाभ/हानि मानी जानी चाहिए ।	सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अंतर्गत स्थायी निवेशों का वर्ष के अंत में बाजार मूल्य पर मूल्यांकन करने की अनुमति नहीं दी जाती है । इन्हें लागत के आधार पर दर्ज किया जाना है ।	जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 3 अप्रैल 1995 के परिपत्र बीपी.बीसी.37/ 21.04.048/95 के पैरा 1 में बताया गया है, "स्थायी" निवेशों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाना चाहिए और यदि लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्रीमियम का परिशोधन प्रतिभूति की परिपक्वता की शेष अवधि के बीच किया जाना चाहिए । दूसरी ओर, यदि लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम हो तो अंतर की परवाह नहीं करनी चाहिए

1.	2.	3.	4.
			और उसका परिशोधन नहीं किया जाना चाहिए अथवा उसे आय खाते में दर्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी राशि अप्राप्त लाभ की द्योतक होती है ।
3. चालू निवेश	चालू श्रेणी के अंतर्गत आनेवाली सरकारी प्रतिभूतियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों में सक्रिय कारोबार नहीं किया जाता है अत: उनके मूल्यांकन के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं होते हैं । अत: इस प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन का आधार निर्धारित किया जाता है ।	1. चालू श्रेणी के अंतर्गत आनेवाली सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों का मूल्यांकन यथा उपलब्ध शेयर बाजार/भारतीय रिज़र्व बैंक भावों के अनुसार किया जाना चाहिए ।	चालू श्रेणी में सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन 31 मार्च 1995 की बाजार भाव-सूची, जहाँ-कहीं उपलब्ध हो, के अनुसार किया जाना चाहिए । यदि बाजार भाव-सूची उपलब्ध न हो तो सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिए .
		2. इस प्रकार के भाव उपलब्ध न होने की स्थिति में चालू निवेशों के अंतर्गत परिलक्षित सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों का मूल्यांकन ऐसी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल की दर तथा नीचे किये गये उल्लेख के अनुसार प्रतिदान के लिए शेष अवधि को हिसाब में लेकर किया जाना चाहिए । दलालों के अनुमानों के आधार पर मूल्यांकन की प्रथा समाप्त की जाती है ।	31 मार्च 1995 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, जो कि बिक्री के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की सूची पर थीं, तथा प्रतिफल सहित उनका मूल्य निम्नानुसार हैं :

प्रतिभूति का नाम आदि		बिक्री मूल्य (रु.)	परिपक्वता प्रतिफल (%)
10.50%	1998	95.46	12.27
11.75%	2001	95.50	12.80
11.50%	2006	91.21	13.01

1. | 2. | 3. | 4.

क) अनिवेदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करने के लिए सभी बैंक समान रूप से परिपक्वता प्रतिफल पद्धति अपनायेंगे ।

ख) 10 वर्ष और उससे अधिक अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए परिपक्वता प्रतिफल की दर का आधार 11.5% माना जाय और तदनुसार उससे कम परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों की सारणी तैयार की जाय । कर योग्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों के मूल्यांकन हेतु 11.5% का परिपक्वता प्रतिफल लागू किया जाय ।

ग) 31-3-1995 को समाप्त वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के करमुक्त प्रत्याशित परिपक्वता प्रतिफल 9.5 प्रतिशत लेना है ।

केन्द्र सरकार की अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में, 31 मार्च 1995 को निम्नलिखित प्रतिफल अपनाये जाने चाहिए :

वर्ष सं.	**परिपक्वता प्रतिफल** (%)
1	11.23
2	11.73
3	12.23
4	12.47
5	12.71
6	12.77
7	12.83
8	12.88
9	12.94
10 और उससे अधिक	13.00

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों के संबंध में भी उपर्युक्त प्रतिफल का प्रयोग किया जा सकता है । यह स्पष्ट किया जाता है कि परिपक्वता प्रतिफल की उपयुक्त दर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ वर्षों की संख्या की गणना वर्ष की आंशिक अवधि को

1.	2.	3.	4.
			निकटतम पूर्ण वर्ष में पूर्णांकित करके की जानी चाहिए । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों के संबंध में, कालम (3) के अंतर्गत मद (ख) और (ग) में उल्लिखित तरीका अपनाया जाना चाहिए । अन्य अनिवेदित प्रतिभूतियों के संबंध में कालम (3) के अंतर्गत मद (क) में उल्लिखित तरीका अपनाया जाना चाहिए ।
4. शेयर	जिनके वर्तमान भाव उपलब्ध नहीं हैं उन शेयरों और अनिवेदित शेयरों के मामले में मूल्यांकन आधार निर्धारित किया जाता है ।	इन शेयरों का मूल्य बही मूल्य से लिया जाता है (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि, यदि कोई है, को हिसाब में लिये बिना) जो उपलब्ध अद्यतन तुलन पत्र से निश्चित किया जाना है । यदि अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयरों को प्रति कंपनी 1 रुपये की दर से लेना है ।	स्तंभ (3) के अंतर्गत उल्लिखित पद्धति अपनायी जाये ।
5. डिबेंचर	जिनके वर्तमान भाव उपलब्ध नहीं हैं उन डिबेंचरों और अनिवेदित डिबेंचरों के मामले में मूल्यांकन आधार निर्धारित किया जाना है ।	1. जहाँ-कहीं शेयर बाजार के भाव उपलब्ध हों, वहाँ पर डिबेंचरों का तदनुसार मूल्यांकन निर्धारित किया जाना चाहिए । 2. जहाँ कहीं चालू भाव उपलब्ध नहीं हो अथवा शेयर बाजारों में डिबेंचरों के	स्तंभ (3) के अंतर्गत उल्लिखित पद्धति अपनायी जाये ।

1.	2.	3.	4.
		भाव नहीं दिये जाते हों, वहाँ पर निम्नानुसार मूल्य निर्धारित किये जायें : क) यदि ब्याज नियमित रूप से अदा किया जाता हो और ब्याज अदा करना चालू हो तो धारण लागत के अनुसार । ख) जहाँ पर ब्याज नियमित रूप से अदा नहीं किया जाता हो और इस प्रकार से ब्याज बकाया हो तो इसका मूल्य "वर्गीकृत अग्रिमों" के लिए लागू एनपीए मानदंडों को लागू करके निर्धारित किया जाना चाहिए ।	
6. पारस्परिक निधियों द्वारा जारी यूनिट	मूल्यांकन के आधार निर्धारित किये जाते हैं ।	पारस्परिक निधि के यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन पारस्परिक निधि द्वारा प्रत्येक विशेष योजना के संबंध में घोषित अद्यतन निवल संपत्ति मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।	स्तंभ (3) के अंतर्गत उल्लिखित पद्धति अपनायी जाये । तथापि, यदि शेयर बाजार के भावों के अनुसार बाजार दर हो तो बाजार दर अपनायी जानी चाहिए ।
7. सहायक और प्रायोजित संस्थाओं में निवेश	मूल्यांकन के आधार दोहराये जाने हैं ।	स्थिर आधार पर धारण लागत पर प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।	स्तंभ (3) के अंतर्गत उल्लिखित पद्धति अपनायी जाये ।
8. खजाना बिल (सभी	मूल्यांकन के आधार निर्धारित किये जाने	धारण लागत के आधार पर मूल्यांकन	स्तंभ (3) के अंतर्गत उल्लिखित पद्धति

1.	2.	3.	4.
अवधियों के)	हैं ।	किया जाना चाहिए ।	अपनायी जाये ।
9. वाणिज्यिक पत्र	मूल्यांकन का आधार निर्धारित किया जाना है ।	वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन धारण लागत पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।	स्तंभ (3) के अंतर्गत उल्लिखित पद्धति अपनायी जाये ।
10.	**<u>सामान्य निर्गम</u>** 1. पूर्णांकित करना (अर्थात निकटतम 000 तक) 2. निवेश श्रेणियां	स्थिर आधार पर बैंकों के विवेकानुसार किया जाना चाहिए । तुलन पत्र के हेतु निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए : क) सरकारी प्रतिभूतियां (खजाना बिलों, जीरो कूपन बांडों को शामिल करते हुए ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ग) शेयर घ) डिबेंचर और बांड ङ) सहायक और संयुक्त उपक्रम (प्रायोजित संस्थाएं) च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, पारस्परिक निधियों के यूनिट, आदि)	स्तंभ (3) के अंतर्गत उल्लिखित पद्धति अपनायी जाये ।
	3. एकत्रीकरण	प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत आनेवाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन ऊपर लिखे गये तरीके से स्क्रिप-वार किया जाना चाहिए और मूल्यह्रास/मूल्यवृद्धि को श्रेणीवार एकत्रित किया जाये । निवल मूल्यह्रास	स्तंभ (3) के अंतर्गत उल्लिखित पद्धति अपनायी जाये ।

1.	2.	3.	4.
		यदि कोई हो, तो लाभ-हानि लेखे में उसके लिए प्रावधान किया जाये/उसे घटाया जाय । निवल मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे ध्यान में न लिया जाय ।	
11. पुनः पूँजीकरण बांड	सरकार से पूँजी अंशदान के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों को विशेष श्रेणी का मानना चाहिए और "चालू" एवं "स्थायी" श्रेणियों में वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ अनुमोदित प्रतिभूतियों में उनकी गणना नहीं की जानी चाहिए । तथापि, यदि ऐसे बांड व्यापार के योग्य हों तो उनका व्यवहार अलग तरीके से करना चाहिए ।	ये प्रतिभूतियाँ स्थायी स्वरूप की हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक 70:30 के वर्गीकरण मानदण्डों से इन्हें हटाने के बारे में विचार कर सकता है तथा इन प्रतिभूतियों को एक अलग ही वर्ग का मान सकता है । यदि इन बाण्डों के जारी किये जाने से संबंधित अधिसूचना उनके व्यापार की अनुमति देती है तो इनका व्यवहार अलग प्रकार का होगा । यह निवेशों की प्रकृति तथा उनके धारण करने के पीछे उद्देश्य पर निर्भर करता है कि उनका वर्गीकरण स्थायी अथवा अन्य रूप में किया जाय ।	जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 3 अप्रैल 1995 के परिपत्र बीपी.बीसी.37/21.04.048/95 में बताया गया है, पुनः पूँजीकरण बाण्डों को "स्थायी" अथवा "चालू" निवेशों का हिस्सा नहीं माना जाएगा । सरकार से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त पुनः पूँजीकरण बाण्डों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करना आवश्यक नहीं होगा । परंतु यदि निवेश के प्रयोजनार्थ बैंकों को अन्य बैंकों से पुनः पूँजीकरण बाण्ड प्राप्त होते हैं तो मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

ANNEXURE

Investment Category	Issues discussed by IBA & ICAI	Agreement reached between IBA & ICAI	Method to be adopted by Banks
1.	2.	3.	4.
1. Permanent Investments	As per RBI Circular dated 27.04.92, banks are not expected to sell securities in the permanent category freely but if they do so any gain on such transactions in securities should be taken to "capital reserve account."	It is the prerogative of the board of directors to determine the appropriation of profits including those arising on sale of permanent investments; however, if profit on sale of permanent investments was taken to capital reserve, it should be first credited to Profit & Loss Account and then transferred to capital reserve account.	As indicated in paragraph 7 of RBI Circular BP.BC.37/ 21.04.048/95 dated 3 April 1995 any gain on sale of securities in the "permanent" category should be first taken to the profit and loss account and thereafter it could be appropriated to the "capital reserve" account.
2. Permanent Investments	As per RBI Circular dated 20.06.92, the permanent securities are to be carried in the Balance Sheet at Book Value (Cost) or at Market Value at the discretion of the banks, subject to their following a consistent accounting policy. Where banks elect to follow the Market Value basis of valuation, the resulting revaluation gains/losses should	Valuing permanent investments at year end at Market Value is not allowed by generally accepted accounting principles. These are to be carried at cost.	As indicated in paragraph 1 of RBI Circular BP.BC.37/ 21.04.048/95 dated 3 April 1995, "permanent" investments should be valued at cost and in case the cost price is higher than the face value, the premium should be amortized over the remaining period of maturity of the security. On the other hand, where the cost price is less than the face value,

1.	2.	3.	4.
	be recognised as capital gains/ losses.		the difference should be ignored and should not be amortized or taken to income account since the amount represents unrealised gain.
3. Current Investments	Government Securities/PSU Bonds under current category are not actively traded and as such,	1. Valuation of Government Securities, other approved securities and PSU Bonds under current category should be valued as per the Stock Exchange/RBI quotations wherever available. 2. In the absence of such quotations, the Government Securities, other approved securities/PSU Bonds appearing under the current investments should be valued taking into account rate of return on such securities and the balance period remaining for redemption as indicated below. The practice of valuation on the basis of brokers' estimates is to be discontinued :	Valuation of Government Securities in the current category should be done as per market quotations on 31st March 1995 wherever available. Where market quotations are **not** available, valuation of Government Securities should be made on the following basis : As on 31 March 1995, the Central Government securities which were on the RBI list for sale and their prices together with yields are given below :

Nomenclature of security		**Sale Price (Rs.)**	**YTM (%)**
10.50%	1998	95.46	12.27
11.75%	2001	95.50	12.80
11.50%	2006	91.21	13.01

1.	2.	3.	4.
		a) All the banks will uniformly follow yield to maturity method for arriving at valuation of unquoted securities.	In respect of other Central Government securities, the following yields, as on 31 March 1995 should be applied.
		b) 11.5% may be taken as the benchmark YTM rate for valuation of 10 years and above Government securities and YTM table for lesser maturity securities prepared accordingly. For valuation of taxable PSU bonds, the YTM of 11.5% may be applied.	**No. of years** / **YTM (%)** 1 / 11.23 2 / 11.73 3 / 12.23 4 / 12.47 5 / 12.71 6 / 12.77 7 / 12.83 8 / 12.88 9 / 12.94 10 & beyond / 13.00
		c) For tax free bonds of PSUs, for the year ended 31.3.1995, the expected yield to maturity be deemed as 9.5%.	The above yields could also be applied to State Government securities and government guaranteed securities. It is clarified that the reckoning of number of years for the purpose of deciding upon appropriate YTM rate be done by rounding off the fractional period

1.	2.	3.	4.
			of an year to the nearest completed year. As regards valuation of PSU bonds, the method suggested at items (b) and (c) under column (3) should be adopted. As regards valuation of other unquoted securities, the method suggested at item (a) under column (3) should be adopted.
4. Shares	In the case of shares for which current quotations are not available and unquoted shares, basis of valuation is to be laid down.	The value of these shares is to be taken at Book Value (without considering revaluation reserves, if any) which is to be ascertained from the latest available Balance Sheet. In case latest Balance Sheet is not available, the shares are to be taken at Re. 1 per company.	Method as indicated under Column (3) should be adopted.
5. Debentures	In the case of debentures for which quotations are not	1. Wherever Stock Exchange quotations are available, the debentures should be valued accordingly.	Method as indicated under Column (3) should be adopted.

1.	2.	3.	4.
	available and also for unquoted debentures, basis of valuation is to be laid down.	2. Wherever current quotations are not available or where the debentures are not quoted on the Stock Exchanges the same should be valued as follows : a) At carrying cost, if interest is serviced regularly and is current. b) Where interest is not serviced regularly and as such, is in arrears, the same should be valued applying the NPA norms for 'Classified Advances'.	
6. Mutual Fund Units	Basis of valuation is to be laid down.	Investment in Mutual Fund units is to be valued based on latest NAV declared by the Mutual Fund in respect of each particular scheme.	Method as indicated under Column (3) should be adopted. However, if market rates are available as per Stock Exchange quotations, market rates should be adopted.
7. Investments in subsidiaries and sponsored institutions	Basis of valuation is to be reiterated.	Security is to be valued at carrying cost on a consistent basis.	Method as indicated under Column (3) should be adopted.

1.	2.	3.	4.
8. Treasury Bills (All maturities)	Basis of valuation is to be laid down.	Valuation may be based at carrying cost.	Method as indicated under Column (3) should be adopted
9. Commercial Paper	Basis of valuation is to be laid down.	Commercial Paper to be valued at carrying cost.	Method as indicated under Column (3) should be adopted.
10.	**General Issues** 1) Rounding off (e.g. to nearest 000s) 2) Investment categories.	May be done at banks discretion on a consistent basis. For the purpose of balance sheet, investments are to be classified into the following categories : a) Government Securities (inclusive of T Bills, Zero Coupon Bonds) b) Other approved securities c) Shares d) Debentures and bonds e) Subsidiaries and Joint Ventures (sponsored institutions) f) Others (CP, Mutual Fund Units, etc.)	Method as indicated under Column (3) should be adopted.

1.	2.	3.	4.
	3) Aggregation	Securities under each category shall be valued scrip-wise as indicated above and depreciation/ appreciation shall be aggregated category wise. Net depreciation, if any, shall be provided for/ charged off to P&L Account. Net appreciation, if any, should be ignored.	Method as indicated under Column (3) should be adopted.
11. Recapitalisation Bonds	Securities received by nationalised banks towards capital contribution from Government should be treated as a special category and should be excluded from the approved securities for the purpose of classification into 'current' and 'permanent' categories. However, where these bonds are tradable, different treatment may be given.	These securities are permanent in nature and RBI may consider deleting the same from 70:30 classification norms and treat these securities as a separate class altogether. In case, the Notification accompanying the issuance of these bonds, permits their trading, the treatment can be different. It is the nature of investments and the intention behind holding them which determine their classification as permanent or otherwise.	As indicated in paragraph 5 of RBI circular BP.BC.37/ 21.04.048/95 dated 3 April 1995, the recapitalisation bonds will not form part of 'permanent" or "current" investments. It will not be necessary to provide for depreciation on the recapitalisation bonds received by the nationalised banks from Government. In case, however, banks acquire recapitalisation bonds of other banks for investment purposes, the depreciation, if any, will have to be provided for.

बैपविवि. सं. एमसी.149/19.03.29/94-95

अप्रैल 27, 1995
वैशाख 7, 1917 (शक)

अध्यक्ष/कार्यपालक निदेशक,
सभी सरकारी क्षेत्र बैंक

प्रिय महोदय,

प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय

व्यवसाय का पखवाड़ा स्तर और कर्मचारियों की तिमाही स्थिति के प्रस्तुतीकरण के लिए प्रपत्र संलग्न है, ताकि वर्ष 1994-95 के लिए प्रति कर्मचारी वार्षिक औसत व्यवसाय निकाला जा सके। कृपया इसे समुचित रूप से भरकर हमें 25 मई 1995 तक भेजें।

भवदीय,

(सी.पी.एन्टोनी)
उप मुख्य प्रबंधक

DBOD. No. MC. 149/19:03:29/94-95

April 27, 1995
Vaishakha 7, 1917 (S)

The Chairman/Executive Director
of all Public Sector banks.

Dear Sir,

AVERAGE BUSINESS PER EMPLOYEE

We enclose a format for furnishing the fortnightly levels of business as well as the quarterly position of staff so as to arrive at the annual average business per employee for the year 1994-95. We shall be glad if you will please forward the same to us duly completed by 25th May 1995.

Yours faithfully,

(C.P. Antony)
Deputy General Manager

अ नु बं ध

I. औसत व्यवसाय (वर्ष 1994-95) अर्थात 1-4-1994 से 31-3-1995 तक

(लाख रुपयों में)

निम्नलिखित तिथियों को समाप्त पखवाड़े में (1)	जमाराशि (अर्थात कुल जमा) (2)	अग्रिम (अर्थात कुल I ण) (3)
01-04-1994		
15-04-1994		
29-04-1994		
13-05-1994		
27-05-1994		
10-06-1994		
24-06-1994		
08-07-1994		
22-07-1994		
05-08-1994		
19-08-1994		
02-09-1994		
16-09-1994		
30-09-1994		
14-10-1994		
28-10-1994		
11-11-1994		
25-11-1994		
09-12-1994		
23-12-1994		
06-01-1995		
20-01-1995		
03-02-1995		
17-02-1995		
03-03-1995		
17-03-1995		
31-03-1995		
योग		

औसत व्यवसाय = स्तंभ 2 का योग + स्तंभ 3 का योग

27

अर्थात रु. लाख "क"

(दो दशमलव तक)

ANNEXURE

I. AVERAGE BUSINESS (Year 1994-95) i.e. from 1-4-1994 to 31-3-1995

(Rs. in Lakhs)

As at the fort-night ended (1)	Deposits (i.e. Aggregate Dep.) (2)	Advances (i.e. Gross Credit) (3)
01-04-1994		
15-04-1994		
29-04-1994		
13-05-1994		
27-05-1994		
10-06-1994		
24-06-1994		
08-07-1994		
22-07-1994		
05-08-1994		
19-08-1994		
02-09-1994		
16-09-1994		
30-09-1994		
14-10-1994		
28-10-1994		
11-11-1994		
25-11-1994		
09-12-1994		
23-12-1994		
06-01-1995		
20-01-1995		
03-02-1995		
17-02-1995		
03-03-1995		
17-03-1995		
31-03-1995		
TOTAL		

Average Business = Total of Column 2 + Total of Column 3

27

i. e. Rs.....lakhs "A"

(Upto 2 decimals)

2. **औसत कर्मचारी**
(अंशकालिक कर्मचारी रहित)

तिमाही समाप्ति में कर्मचारियों की स्थिति	अधिकारियों की संख्या	लिपिकों की संख्या	अन्य कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (2+3+4)
30 जून 1994				
30 सितम्बर 1994				
31 दिसम्बर 1994				
31 मार्च 1995				
सर्व योग				

औसत कर्मचारी = स्तंभ 5 का योग
———————
4

अर्थात..... "ख"

3. **प्रति कर्मचारी व्यवसाय** (वार्षिक औसत)
औसत व्यवसाय अर्थात (क)
———————————
औसत कर्मचारी अर्थात (ख)
= रु. लाख
(दो दशमलव तक)

ध्यानार्थ : जमाराशि और अग्रिम के उक्त आंकड़े वही होने चाहिये, जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अन्तर्गत पखवाड़ा विवरणी में भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किये गये हैं ।

II. **AVERAGE STAFF**
(excluding part-time employees)

Position of staff as at the quarter ended	No. of Officers	No. of Clerks	No. of Other	Total Staff
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (2+3+4)
30th June 1994				
30th Sept. 1994				
31st Dec. 1994				
31st March 1995				
Grand Total				

Average staff = Total of column 5

4

i.e. ..... "B"

III. **BUSINESS PER EMPLOYEE** (Annual Average)
Average Business i.e. (A)

Average Staff i.e. (B)
= Rs.....lakhs
(Upto 2 decimals)

N. B. : Figures of deposits and advances shown above should be those reported in the fortnightly return submitted to R.B.I. under Section 42 of the RBI Act, 1934.

बैंपविवि.सं.बीसी.65/12.06.096/95

19 जून 1995
29 ज्येष्ठ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "दि डेवेलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड"

हम सूचित करते हैं कि "दि डेवेलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 22 मई 1995 से अर्थात् 25 अप्रैल 1995 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.आइबीएस/1262/23.13.046/95 के भारत के राजपत्र (भाग-III - खंड-4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(एच.एच.कामदार)
उप महा प्रबंधक

DBOD No. BC.65/12.06.096/95

June 19, 1995
Jyestha 29, 1917(S)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE LIMITED"

We advise that "the name of The Development Bank of Singapore Limited" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 22nd May 1995 i.e. the date on which the relative Notification DBOD. No. IBS/1262/23.13.046/95 dated 25th April 1995 was published in the Gazette of India. (Part III - Sec. 4).

Yours faithfully,

(H.H. Kamdar)
Deputy General Manger

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.66/21.04.048/95

20 जून 1995
30 ज्येष्ठ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर)

प्रिय महोदय,

बैंकों का निवेश संविभाग - निवेशों का "स्थायी" और "चालू" श्रेणियों में वर्गीकरण

कृपया आप निवेशों के लेखा मानकों के संबंध में हमारे 27 अप्रैल 1992 के परिपत्र सं.बीपी.बीसी. 129/21.04.043/92 का पैराग्राफ 3 देखें, जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों को प्रारंभ में 1992-93 के लेखा-वर्ष से "स्थायी" श्रेणी में अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने निवेशों का 70 प्रतिशत से अधिक नहीं रखना चाहिए, जिसे धीरे-धीरे कम करके 50 प्रतिशत तक ले आना चाहिए। लेखा-वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लिए बैंकों को अनुमोदित प्रतिभूतियां "स्थायी" और "चालू" निवेशों में 70:30 के अनुपात में रखने की अनुमति दी गयी थी। परंतु अब यह आवश्यक समझा जा रहा है कि "स्थायी" श्रेणी में अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का अनुपात कम किया जाये, क्योंकि अनुमोदित प्रतिभूतियों की अवधिपूर्णता पर प्राप्ति बढ़ रही है तथा बैंकों द्वारा "स्थायी" श्रेणी में धारित अनुमोदित प्रतिभूतियों की भारी राशि पर मूल्यह्रास का प्रावधान करने की अपेक्षा बैंकों से नहीं की जाती। निवेशों का पूर्णतया बाजार पर आधारित मूल्यन करने की ओर संक्रमण तेजी से होना चाहिए। अतएव, यह निर्णय किया गया है कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए "चालू" निवेशों का अनुपात बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाये, अर्थात् चालू वर्ष के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेशों का "स्थायी" और "चालू" श्रेणियों का अनुपात 60:40 रहना चाहिए। हम यह भी कहना चाहते हैं कि जिन बैंकों के अनुमोदित प्रतिभूतियों में "चालू" श्रेणी में निवेश

DBOD No. BP. BC.66/21.04.048/95

June 20, 1995
Jyestha 30, 1917 (Saka)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INVESTMENT PORTFOLIO OF BANKS - CLASSIFICATION OF INVESTMENTS UNDER "PERMANENT" AND "CURRENT" CATEGORY

Please refer to paragraph 3 of our circular No. BP.BC.129/21.04.043/92 dated 27 April 1992 regarding accounting standards of investments wherein it was stated that, to begin with, banks should keep not more than 70 per cent of their investments in approved securities in the "permanent" category from the accounting year 1992-93, which would be brought down to 50 per cent in due course. For the accounting year 1993-94 and 1994-95 banks were permitted to maintain the ratio of approved securities in "permanent" and "current" investments at 70:30. However, it has now been considered necessary that the proportion of investments in approved securities in the "permanent" category should be reduced as Yield To Maturity (YTM) on approved securities is increasing and banks are not required to provide for depreciation on a large amount of approved securities held by them under the "permanent" category. There should be a rapid transition to a fully marked to market

40 प्रतिशत से अधिक हैं उन्हें घटाकर 40 प्रतिशत नहीं कर दिया जाना चाहिए।

भवदीय,

(आर.जे.फर्नांडिस)
उप महा प्रबंधक

basis of valuation of investments. It has, therefore, been decided that for the year ending 31 March 1996, the ratio of "current" investments should be increased to 40 percent, i.e. for the current year the ratio of "permanent" and "current" investments in the approved securities should be 60:40. We may add that banks which have more than 40 per cent of the approved securities in the "current" category should not bring it down to 40 per cent.

Yours faithfully,

(R.J. Fernandes)
Deputy General Manager.

बैंपविवि.सं. 72/12.06.095/95-96

10 जुलाई 1995
19 आषाढ़ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "बैंक ऑफ पंजाब लि."

हम सूचित करते हैं कि "बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 21 अप्रैल 1995 से अर्थात् 19 अप्रैल 1995 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.बीपी. 2877/21.01.060/95 के भारत के राजपत्र (भाग – III – खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(एच.एच.कामदार)
उप महा प्रबंधक

DBOD. No. BC.72/12.06.095/95-96

July 10, 1995
Asadha 19, 1917 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "BANK OF PUNJAB LIMITED"

We advise that the name of "Bank of Punjab Limited" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 21st April 1995 i.e. the date on which the relative Notification DBOD. No. BP/2877/21.01.060/95 dated 19th April 1995 was published in the Gazette of India (Part III - Section 4).

Yours faithfully,

(H.H. Kamdar)
Deputy General Manager

बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी.81/21.01.040/95

28 जुलाई 1995
6 श्रावण 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष

प्रिय महोदय

निष्क्रिय आस्तियों के संबंध में समझौते या बातचीत से निपटान

आपको विदित ही है कि आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और पूंजी पर्याप्तता संबंधी मानदंड लागू करने के बाद से बैंक ऋण जोखिम के प्रति और अधिक संवेदनशील हो रहे हैं तथा निष्क्रिय आस्तियों का स्तर कम रखने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। बैंक ऋणकर्ताओं के साथ समझौते अथवा बातचीत द्वारा निपटान करके निष्क्रिय आस्तियों को समाप्त अथवा कम कर रहे हैं अथवा वे कानूनी कार्रवाई करके इन्हें कम कर रहे हैं।

2. सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा निष्क्रिय आस्तियों को बट्टे खाते डालने की भारी मात्रा के प्रति विभिन्न जगहों से चिन्ता व्यक्त की गयी है। इस संदर्भ में हम निम्नप्रकार सूचित करते हैं :

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे निवेश नीति ऋण नीति, ऋण वसूली नीति आदि के दस्तावेज़ तैयार करें तथा अपने निदेशक मंडल से उनकी जांच करवायें। इस प्रकार प्रत्येक बैंक को ऋण वसूली नीति अपनाना आवश्यक हो गया है। यह ऋण वसूली नीति यह निर्धारित करती है कि बैंक को प्राप्त राशियों की वसूली किस तरह हो, कमी के स्तर का लक्ष्य (अवधिवार) क्या हो, छोड़ने/छूट की अनुमति के मानदंड क्या हों, छूट पर विचार करने से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाये। निर्णय का स्तर, उच्चतर प्राधिकारियों को रिपोर्ट देने तथा बट्टे खाते डालने/छूट के मामलों पर

DBOD. No. BP.BC.81/21.01.040/95

July 28, 1995
Sravana 6, 1917 (Saka)

The Chairmen of all Commercial banks

Dear Sir,

COMPROMISE OR NEGOTIATED SETTLEMENTS OF NON PERFORMING ASSETS (NPAs)

As you are aware, following the introduction of income recognition, asset classification and capital adequacy norms, banks are becoming increasingly sensitive to credit risks and there is a growing awareness of the need to keep NPAs at a low level. The banks try to eliminate or reduce the NPAs through persuasion, by way of compromises or negotiated settlements with the borrowers or resorting to legal action.

2. Serious concern has been expressed in different quarters over the increase in quantum of NPAs written off by public sector banks. In this context, we have to advise as under :

The Reserve Bank of India had advised banks to have documents of investment policy, loan policy, loan recovery policy etc. prepared and duly vetted by their Boards of Directors. Thus each bank is now required to have a loan recovery policy which sets down the manner of recovery of dues, targetted level of reduction, (period-wise), norms for permitted sacrifice/waiver, factors to be taken into account before considering waivers, decision levels, reporting to higher

निगरानी किस तरह से की जाये, आदि बातें ऋण वसूली नीति में तय की जाती हैं। हमने 28 अक्तूबर 1992 के अपने परिपत्र बैंपविवि. सं. बीसी. 48/21.01.040-92 द्वारा बैंकों से कहा है कि वे इस बारे में परिपत्र में उल्लिखित अनुदेशों का कुशलतापूर्वक और दृढ़ता से पालन करें।

3. हम यह भी सूचित करना चाहते हैं कि बैंक निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करें :

(क) समझौता बातचीत द्वारा किया गया इस तरह का निपटान होना चाहिए, जिसके अंतर्गत बैंक कम से कम खर्च करके यथासंभव अधिक से अधिक प्राप्य राशियों की वसूली सुनिश्चित कर सके।

(ख) अदायगी में जानबूझकर चूक करनेवालों और अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चूक होनेवाले ऋणकर्ताओं के बीच उचित भेद रखना आवश्यक है।

(ग) जहां वसूलीयोग्य मूल्य के निर्धारण के लिए जमानत उपलब्ध है वहां स्थान, स्थिति और विपणनयोग्य हक तथा जमानत के कब्जे को उचित महत्त्व दिया जाना चाहिए।

(घ) निपटान के मामलों में महत्त्वपूर्ण यह है कि बैंक वसूली के लिए लम्बी अवधि की खर्चीली कार्रवाई अपनाने के बजाय निधियों को तत्परता से पुनः लाभदायक ढंग से लगा सकें।

(ङ) किसी भी अधिकारी द्वारा अनुमोदित समझौता प्रस्ताव कार्योत्तर जांच के लिए उच्चतर अधिकारी को तत्परता से प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

(च) जहां स्टाफ की जवाबदेही की जांच नहीं की गयी है, वहां यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसे एक निश्चित समय में तत्परता से पूरा किया जाये।

authorities and monitoring of write-off/ waiver cases. We had advised the banks vide our circular DBOD. No. BC.48/21.01.040-92 dated October 28, 1992 that they should scrupulously adhere to the instructions mentioned therein in this regard.

3. We have further to advise that banks should observe the following guidelines.

(a) The compromise should be a negotiated settlement under which the bank should ensure to recover its dues to the maximum extent possible at minimum expense.

(b) Proper distinction needs to be made between wilful defaulters and the borrowers defaulting in repayments due to circumstances beyond their control.

(c) Where security is available for assessing the realisable value, proper weightage has to be given to the location, condition and marketable title and possession thereof.

(d) What is important in settlement cases is that the bank could promptly recycle the funds with advantage instead of resorting to expensive recovery proceedings spread over a long period.

(e) All compromise proposals approved by any functionary should be promptly reported to the next higher authority for post facto scrutiny.

(f) Where staff accountability has not been examined, it should be ensured that the same is completed expeditiously within a time-frame.

(छ) कार्यपालक निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंधन समिति/निदेशक मंडल के प्राधिकार में आनेवाले बट्टे खाते डालने/समझौते के प्रस्तावों की छानबीन पहले बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों (अर्थात् मुख्य महा प्रबंधक/महा प्रबंधक) की समिति द्वारा की जानी चाहिए।

(ज) जिन शाखाओं में भारी मात्रा में निष्क्रिय आस्तियां हों, उनमें वसूली अधिकारी नियुक्त किये जाने चाहिए और वसूली की प्रगति पर मासिक आधार पर निगरानी रखी जानी चाहिए।

(झ) सभी क्षेत्रीय/आंचलिक स्तरों पर विशेष वसूली कक्ष स्थापित किये जायें।

(ञ) अवमानक अग्रिमों के कोटि उन्नयन की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

4. हमारा अनुरोध है कि बैंक का सर्वोच्च प्रबंध-तंत्र यह सुनिश्चित करे कि समझौते/बट्टे खाते डालने के सामान्य सिद्धांतों से अधिक हटकर कोई कार्य न हो और बट्टे खाते डालने के निर्णय न्यायोचित हों तथा बैंक के सर्वोत्तम हित में हों।

5. प्रत्येक वर्ष सितम्बर और मार्च के अंत की स्थिति का एक छमाही विवरण हमें संलग्न प्रोफार्मा में भेजा जाये, जो निपटान से संबंधित छमाही की तारीख से 30 दिन में हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। 31 मार्च 1995 को समाप्त वर्ष का पहला विवरण हमें इस परिपत्र की तारीख से 30 दिन की अवधि में प्राप्त हो जाना चाहिए।

भवदीय,

(सत्यपाल तलवार)
उप गवर्नर

(g) The proposals for write-off/compromise falling within the authority of ED/CMD/Management Committee/Board of the bank should be first processed by a Committee of senior executives of the bank (i.e. Chief General Manager/General Managers).

(h) Recovery officers be appointed at branches having sizeable NPAs and their recovery progress monitored on monthly basis.

(i) Special Recovery Cells be set up at all Regional/Zonal levels.

(j) Adequate attention should be paid to upgrade Sub Standard advances.

4. We urge that bank's top management should ensure that there should not be any significant deviation from the general principles of compromise/write off and the write off decisions should be judicious and in the best interest of the bank.

5. A half yearly statement as at the end of September and March of each year should be forwarded to us as in the enclosed proforma within 30 days of the half year to which the statement relates. The first statement for the year ended 31 March 1995 should reach us within a period of 30 days from the date of this circular.

Yours faithfully,

(S. P. Talwar)
Deputy Governor

31 मार्च / 30 सितंबर को समाप्त छमाही में किये गये ऐसे समझौतों के ब्यौरों का विवरण, जिनमें 25 लाख रुपये से अधिक राशि बट्टे खाते डाली गयी/छोड़ी गयी

(राशि लाख रुपये)

(क) ऋणकर्ता का नाम

(ख) बकाया राशि

(i) बैंक की बहियों में

(ii) ब्याज तथा अन्य प्राप्य राशियां, यदि कोई हों, जो Iणकर्ता के खाते में नामे नहीं की गयीं

जोड़ :

(ग) रखी गयी जमानत और उसका मूल्य

(घ) समझौते या बातचीत से निपटान की राशि

(ङ) समझौते की राशि की अदायगी की अवधि

(च) छोड़ने/छूट की राशि

(छ) समझौते/बातचीत से निपटान का अनुमोदनकर्ता अधिकारी

(ज) वर्गीकरण का स्वरूप अर्थात संदिग्ध, घाटे, दायर मुकदमे/प्राप्त डिगरी आदि

(झ) समझौते अथवा बातचीत से निपटान करने के कारण

Statement giving details of compromise of negotiated settlements involving write offs/sacrifice of amount exceeding Rs. 25 lakhs entered into during the half year ended-31st March/30th September.

(Amount in Rs. lakhs)

a) Name of the borrower

b) Amount outstanding in the

i) bank's books

ii) Interest and other dues, if any, not debited to the borrower's account

Total

c) Nature of security held and value thereof

d) Compromise or negotiated settlement amount

e) Period of repayment of compromise amount

f) Amount of sacrifice and waiver involved

g) Authority approving the compromise/negotiated settlement

h) Nature of classification i.e., doubtful, loss, suit filed/decreed, etc.

i) Reasons for entering into compromise or negotiated settlement

बैंपविवि.सं.बीसी. 82/12.06.097/95

9 अगस्त 1995
18 श्रावण 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "डेवेलपमेंट क्रेडिट बैंक लि."

हम सूचित करते हैं कि "डेवेलपमेंट क्रेडिट बैंक लि." का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 5 जून 1995 से अर्थात् 1 जून 1995 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं. बीपी. 3284/21.01.66/95 के भारत के राजपत्र (भाग-III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(एच.एच.कामदार)
उप महा प्रबंधक

DBOD. No. BC.82/12.06.097/95

August 9, 1995
Shravana 18,1917 (S)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 "DEVELOPMENT CREDIT BANK LIMITED."

We advise that the name of "Development Credit Bank Limited" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 5th June 1995 i.e. the date on which the relative Notification DBOD,No.BP/3284/21.01.066/95 dated 1st June 1995 was published in the Gazette of India (Part III - Section 4).

Yours faithfully,

(H. H. Kamdar)
Deputy General Manager

बैंपविवि. एसपीएल. सेल. बीसी.सं. 90/27.08.003/ 95-96

25 अगस्त 1995
3 भाद्रपद 1917 (शक)

सभी बैंक

प्रिय महोदय,

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति लेनदेन संबंधी अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 - कुर्क की गयी आस्तियों के धारकों द्वारा उनकी घोषणा न करना

विशेष न्यायालय के समक्ष आये आवेदनपत्र पर विचार करते समय न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां दी हैं :

"7. न्यायालय ने यह पाया है कि बड़े बैंकों सहित बहुत-सी पार्टियां अपनी बाध्यताओं का निर्वाह नहीं कर रही हैं। अधिसूचना के बाद अधिसूचित पार्टियों की सभी सम्पत्तियां कुर्क हो जाती हैं। अभिरक्षक (कस्टोडियन) ने सार्वजनिक सूचनाएं जारी की हैं, जिनमें सभी पार्टियों से कहा गया है कि वे अधिसूचित पार्टियों को यदि कुछ भी देय हो तो वे उन्हें उसकी सूचना दें। अनेक पार्टियों ने इसका उत्तर नहीं दिया है। वे चुप रहे। ऐसा शायद इस आशा से किया गया है कि यदि वे चीजें प्रकाश में नहीं आयेंगी तो वे दायित्व से बच सकेंगे.... यदि अभिरक्षक को दावे का पता नहीं चलता है तो वह वसूली के लिए आवेदनपत्र दाखिल नहीं कर सकता। अधिसूचित पार्टियों सहित पार्टियां अभिरक्षक को सूचना नहीं देतीं....

8. प्रकट न करने की इस प्रवृत्ति पर मेरी दृष्टि से न्यायालय को गंभीर रुख अवश्य अपनाना चाहिए। मेरी दृष्टि से यदि यह न्यायालय की जानकारी में आयेगा कि

DBOD. Spl.Cell. BC.No.90/27.08.003/ 95-96

August 25, 1995
Bhadra 3, 1917 (S)

To all Banks

Dear Sir,

SPECIAL COURT (TRIAL OF OFFENCES RELATING TO TRANSACTIONS IN SECURITIES) ACT, 1992 - NON-DECLARATION OF ATTACHED ASSETS BY HOLDER THEREOF.

While dealing with an application before it, the Special Court has made the following observations :

"7. Court is noticing that many parties including big Banks,are not performing their obligations. After Notification, all properties of Notified parties stand attached. The custodian has issued Public Notices calling upon all parties to inform him if any thing is owed to Notified Parties. Many parties have not replied. They have kept quiet. This probably in the hope that if things do not come to light, they might escape liability ..... If the Custodian does not learn of the claim, he cannot file an aplication to recover. Parties, including notified parties, do not inform the Custodian .....

8. In my view, Court must take serious note of this tendency to not to disclose. In my view, if it comes to attention of Court

किसी पार्टी ने पिछले 2/3 वर्षों से प्रकट नहीं किया है और वह कुर्क की गयी आस्तियों को धारण किये हुए है, तो उस पार्टी को उच्च दर पर ब्याज और उच्च लागतों की अदायगी करने के लिए अवश्य कहा जाना चाहिए"।

2. यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि माननीय न्यायालय ने कुर्क की गयी आस्तियों के धारकों, विशेष रूप से बैंकों द्वारा अधिसूचित पार्टियों की आस्तियों की घोषणा अभिरक्षक को न करने के बारे में गंभीर रुख अपनाया है। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस ओर ध्यान दें और उनके हाथ में जो कुर्क आस्तियां हों उनकी घोषणा अभिरक्षक को करने के मामले में तत्काल (इस परिपत्र की तारीख से अधिक से अधिक एक महीने में) उपयुक्त कार्रवाई करें तथा हमें उसकी सूचना दें। यदि बैंकों के पास कोई आस्तियां (अधिसूचित व्यक्तियों की) अभिरक्षक को घोषित करने के लिए न हों तो भी उनके कार्यालय (और भारतीय रिज़र्व बैंक) को ऊपर बताये गये समय में तदनुसार सूचित अवश्य करना चाहिए। यदि बैंकों के मामले में अधिसूचित व्यक्ति के प्रति कोई दावा हो, अथवा दावे की वास्तविक सीमा ज्ञात न हो अथवा बैंकों को वास्तव में ऐसा संदेह हो कि सम्पत्तियां किसकी हैं, तो बैंक ऐसे मामले अभिरक्षक के पास तत्काल उठायें। यदि प्रकट न करने के किसी मामले की जानकारी रिज़र्व बैंक को मिलेगी, विशेष रूप से जानबूझकर घोषणा न करने की, तो इसे गंभीरता से लिया जायेगा।

भवदीय,

(आनंद सिन्हा)
उप महा प्रबंधक

that a party has not disclosed for the last over 2/3 years and that it is holding attached assets, then that party must be made to pay a high rate of interest and high costs".

2. It may be noticed that Hon'ble Court has taken a serious view of the holders of attached assets particularly the banks not declaring the assets of the notified parties to the Custodian. The banks are advised to take note of this and to take suitable action immediately in the matter of declaring to the Custodian (latest within one month from the date of this circular) the attached assets in their hands under advice to us. Even if banks have no assets (of notified persons) to declare to the Custodian, his office (and RBI) should be intimated accordingly within the time frame indicated above. In case banks have a claim against the notified person, or the exact extent of the claim is not known, or if banks have genuine doubt as to whom the assets belong, the banks may take up the matter with the Custodian immediately. Any instance of non-disclosure coming to the notice of Reserve Bank, particularly if the non-disclosure is deliberate or intentional, will be viewed very seriously.

Yours faithfully,

(Anand Sinha)
Deputy General Manager

बैंपविवि.बीसी.सं. 91/12.06.098/95-96

31 अगस्त 1995
9 भाद्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "टाइम्स बैंक लिमिटेड"

हम सूचित करते हैं कि "टाइम्स बैंक लिमिटेड" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 19 जून 1995 से अर्थात् 9 जून 1995 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.बीपी.3430/21.01.064/95 के भारत के राजपत्र (भाग - III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(डी.वी.झवेरी)
उप महा प्रबंधक

DBOD No. BC-91/12.06.098/95-96

August 31, 1995
Bhadra 9,1917 (S)

All Commercial Banks

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 -"TIMES BANK LIMITED"

We advise that the name of "Times Bank Limited" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 19th June 1995 i.e. the date on which the relative Notification DBOD.No.BP/3430/21.01.064/95 dated 9th June 1995 was published in the Gazette of India (Part III - Section 4).

Yours faithfully,

(D. V. Jhaveri)
Deputy General Manager.

बैंपविवि.सं.डीआइआर. बीसी. 99/13.07.01/95

12 सितम्बर 1995
21 भाद्र 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

असमाशोधित लिखतों पर आहरण

कृपया आप 19 फरवरी 1991 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. जीसी.बीसी.84/सी.408 (ए)-91 देखें, जिसमें समाशोधन के लिए भेजे गये चेकों पर आहरण की अनुमति देने के लिए लेखा-पद्धति तथा अन्य परंपरायें निर्धारित करने और उनका पालन करने के लिए बैंकों से कहा गया है, ताकि ग्राहकों द्वारा "निभाव" चेकों पर वित्त जुटाने के लिए समाशोधन प्रणाली का दुरुपयोग करने की कोई गुंजाइश न रहे। चूंकि इस प्रकार के आहरणों की अनुमति देने से बैंक की निधियां निकलती हैं, इसलिए इस प्रकार के आहरण को गैर-जमानती ऋण के रूप में मानना तथा अग्रिमों पर ब्याज दर संबंधी हमारे निदेश के अनुसार ब्याज लगाना उचित होगा, चाहे आहरण की अनुमति वाले चेक/अन्य भुगतान लिखत स्थानीय हों अथवा बाहरी चेक/लिखत हों।

2. तथापि उपर्युक्त अनुदेश हमारे 17 मई 1995 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीसी. 59/09.07.007/95 के अनुसार उगाही के लिए भेजे गये चेकों के संबंध में तुरंत जमा लिखने के लिए जमाकर्ताओं को दी गयी सुविधा पर लागू नहीं होंगे।

भवदीय,

(सी.वी.अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

DBOD No. DIR.BC.99/13.07.01/95

September 12, 1995.
Bhadra 21. 1917 (S)

All Commercial Banks

Dear Sir,

WITHDRAWALS AGAINST UN-CLEARED EFFECTS.

Please refer to our circular DBOD. No.GC.BC.84/C.408(A)-91 dated February 19, 1991 advising banks to prescribe and follow accounting and other practices for allowing withdrawals against cheques sent for clearing so as to leave no scope for customers to misuse the clearing system to raise finance against 'accommodation' cheques. As, by allowing such withdrawals, banks become out of funds, it would be in order to treat such drawals as unsecured credit and charge interest as per our directive on interest rate on advances, irrespective of whether cheques/other payment instruments against which withdrawals allowed are local or outstation cheques/instruments.

2. However, the above instructions will not apply to the facility afforded to depositors for immediate credits in respect of cheques sent for collection in terms of our circular DBOD No. BC.59/09.07.007/95 dated 17 May 1995.

Yours faithfully,

(C.V. Amalnerkar)
General Manager.

बैंपविवि. सं.बीसी.100/09.07.007/95

16 सितम्बर 1995
25 भाद्र 1917 (शक)

वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय महोदय,

इलेक्ट्रानिक समाशोधन योजना (जमा समाशोधन) - हिताधिकारियों के खाते में गंतव्य बैंकों द्वारा विलंबित जमा

जैसा कि आप जानते हैं, 1 अप्रैल 1995 से मद्रास और बम्बई में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इलेक्ट्रानिक समाशोधन योजना शुरू की गयी है और उसे बाद में दिल्ली और कलकत्ता में भी लागू किया जाएगा। उक्त योजना का उद्देश्य यह है कि हिताधिकारी के बैंक खाते में सीधे राशि जमा लिखी जाय और समाशोधन में कागजी लिखतों को कम किया जाय (बैंकों के अध्यक्षों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को संबोधित दिनांक 27 मार्च 1995 का हमारे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष) का परिपत्र सं.12/16.51/94/95 देखें।)

2. हमारे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अब हमें ऐसी सूचना मिली है कि ऐसे अनेक मामले आये हैं जिनमें गंतव्य बैंक शाखाओं ने योजना के अंतर्गत हिताधिकारियों के खातों में विलम्ब से राशि जमा लिखी है, यद्यपि जमा लेखा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमा की नियत तारीख को ही संबंधित बैंक के चालू खाते में राशि जमा लिखी थी। इस संबंध में, हम इलेक्ट्रानिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश (मार्च 1995) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें यह कहा गया है कि "गंतव्य बैंक हिताधिकारी के खाते में विलंब से कोई जमा लिखने के लिए जमा की नियत तारीख से वास्तविक जमा की तारीख तक, विद्यमान बैंक

DBOD No.BC 100/09.07.007/95

September 16, 1995
Bhadra 25, 1917 (S)

The Chairmen/Chief Executive Officers of Commercial Banks

Dear Sir,

ELECTRONIC CLEARING SCHEME (CREDIT CLEARING) - DELAYED CREDIT BY DESTINATION BANKS TO BENEFICIARIES' ACCOUNTS.

As you are aware, the Electronic Credit Clearing Scheme has been introduced by the Reserve Bank of India at Madras and Bombay with effect from 1 April 1995 and the same would be extended to Delhi and Calcutta at a later date, with a view to giving direct credit to the beneficiaries' bank accounts, thereby reducing the paper instruments in clearing (cf. our Department of Information Technology circular DIT (NCC) No.12/16.51/94/95 dated 27 March 1995 addressed to the Chairmen/Chief Executive Officers of banks).

2. It has now been brought to our notice by our Department of Information Technology that there had been several instances of Destination Bank branches affording delayed credit to the beneficiaries' accounts under the scheme even though the Deposit Accounts Department, Reserve Bank of India had credited the concerned banks' Current Accounts on the appointed day of credit. In this connection, we draw your attention to paragraph 29 of the Electronic Clearing Service (Credit

दर और उसके ऊपर दो प्रतिशत के दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। पुनश्च, इस तरह के विलंब के लिए गंतव्य खाता धारक के खाते में दंडात्मक ब्याज जमा लिखा जाना चाहिए, भले ही गंतव्य खाता धारक द्वारा कोई दावा प्रस्तुत न किया गया हो। दिशा-निर्देश की उपर्युक्त शर्त को ध्यान में रखते हुए तथा दक्ष ग्राहक सेवा के लिए विलंबित जमा की घटनाओं को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक बिना चूक किये नियत तारीख को हिताधिकारियों के खातों में राशि जमा लिखा करें अन्यथा जमा की नियत तारीख से हिताधिकारियों के खातों में वास्तविक जमा लिखने की तारीख तक विद्यमान बैंक दर (वर्तमान समय में 12 प्रतिशत) और उसके ऊपर दो प्रतिशत के दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए वे जिम्मेदार होंगे, भले ही गंतव्य खाता धारक ने उसके लिए कोई दावा न किया हो। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया इलेक्ट्रानिक जमा योजना से संबद्ध अपनी शाखाओं को अनुपालन हेतु तुरंत अनुदेश जारी करें।

clearing) Procedural Guidelines (March 1995) which stipulates that "Destination Banks would be liable to pay penal interest at the rate of prevailing Bank Rate plus two per cent from the due date of credit till the date of actual credit for any delayed credit to the beneficiaries' accounts. Further, penal interest is to be credited to the Destination Account Holders' accounts for such delay even if no claim is lodged by the Destination Account Holders". Keeping in view the above stipulation of the guidelines and to eliminate instances of delayed credit for efficient customer service, it is necessary that banks should afford credit to the beneficiaries' accounts on the appointed day without fail; otherwise they would be liable to pay penal interest at the prevailing Bank Rate (at present 12%) plus two per cent from the due date of credit till the date of actual credit to the beneficiaries' accounts without the Destination Account Holder claiming for the same. We shall be glad if you will please issue immediate instructions to your branches concerned under the Electronic Credit Scheme for compliance.

भवदीय,

(एस.ए.बेंद्रे)
महा प्रबंधक

Yours faithfully,

(S.A. Bendre)
General Manager

वैंपविवि.सं.120/12.06.099/95-96

12 अक्तूबर 1995
20 आश्विन 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "ड्रेस्डनर बैंक एजी"

हम सूचित करते हैं कि "ड्रेस्डनर बैंक एजी" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 30 सितम्बर 1995 से अर्थात् 7 सितम्बर 1995 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.आइबीएस.276/23.13.063/95-96 के भारत के राजपत्र (भाग-III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(डी.वी.जवेरी)
उप महा प्रबंधक

DBOD No.BC. 120/12.06.099/95-96

October 12, 1995.
Ashwina 20, 1917 (S)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "DRESDNER BANK AG."

We advise that the name of "Dresdner Bank AG" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 30th September 1995 i.e. the date on which the relative Notification DBOD.No.IBS-276/23.13.063/-95-96 dated 7th September 1995 was published in the Gazette of India (Part III - Sec.4).

Yours faithfully,

(D. V. Jhaveri)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.123/21.03.051/95

16 अक्तूबर 1995
24 आश्विन 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

स्वचालित टेलर मशीन

कृपया आप 29 दिसम्बर 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 152/21.03.051/94 देखें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सूचित किया गया है कि बैंक स्वचालित टेलर मशीनों को अपनी शाखाओं एवं विस्तार काउंटरों पर लगाने के अलावा इस प्रयोजन के लिए अभिनिर्धारित अन्य स्थानों पर भी स्वचालित टेलर मशीनें लगा सकते हैं, जिसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग) के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से कार्योत्तर आधार पर लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों को शाखाओं एवं विस्तार काउंटरों से इतर स्थानों पर केवल "स्टैंड अलोन" स्वचालित टेलर मशीनें लगाने की ही अनुमति है। इस प्रकार की गैर-शाखा/"स्टैंड अलोन" स्वचालित मशीनों पर कार्य केवल जमाराशियों और आहरणों तक ही सीमित रहने चाहिए। इन "स्टैंड अलोन" स्वचालित मशीनों को चलाने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इन स्वचालित मशीनों के लिए कोई फोन, व्यक्ति या फ्रांट आफिस स्थित नहीं होना चाहिए। बैंकों को इन अनुदेशों का कुशलता से पालन करना चाहिए।

भवदीय,

(आर.जे. फर्नांडिस)
उप महा प्रबंधक

DBOD.No. BP.BC. 123/21.03.051/95

October 16, 1995
Ashwina 24, 1917 (S)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

AUTOMATED TELLER MACHINES (ATMs)

Please refer to our circular DBOD.No.BP.BC. 152/21.03.051-94 dated 29 December 1994 advising, inter alia, that in addition to the installation of ATMs at branches and extension counters, banks may install ATMs at other places identified for the purpose, for which they should obtain a licence from the concerned Regional Office of RBI (DBOD) on post-facto basis. In this connection, it is clarified that banks are permitted to install only "stand alone" ATMs at places other than branches and extension counters. The functions of such non-branch/ "stand-alone" ATMs should be restricted only to deposits and withdrawals. These "stand alone" ATMs should not be manned. In other words, no phone or person or front office should be located at these ATMs. These instructions should be scrupulously followed by banks.

Yours faithfully,

(R. J. Fernandes)
Deputy General Manager.

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 134/21.04.048/95

20 नवम्बर 1995
29 कार्तिक 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

भारतीय निर्यात-आयात बैंक का ऋण देने का नया कार्यक्रम - आपूर्तिकर्ता को पोतलदान के बाद के ऋण के संबंध में वाणिज्य बैंकों को गारंटी - सह-पुनर्वित्त प्रदान करना

कृपया आप आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के मानदंडों से संबंधित हमारा 27 अप्रैल 1992 का परिपत्र बैंपर्विवि.सं.बीपी.बीसी. 129/21.04.043-92 देखें। भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) ने वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जानेवाले पोतलदान के बाद के ऋण के संबंध में एक गारंटी-सह-पुनर्वित्त कार्यक्रम लागू किया है, जिसमें उन देशों को माल के निर्यात शामिल हैं जिनके लिए निर्यात ऋण और गारंटी निगम की रक्षा उपलब्ध है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चूक होने की स्थिति में एक्ज़िम बैंक गारंटी के अंतर्गत वाणिज्य बैंक को गारंटी की राशि अदा करेगा। यह भुगतान निर्यातकर्ता द्वारा निर्यात ऋण और गारंटी निगम के पास दावा दायर करने के बाद बैंक द्वारा गारंटी का आह्वान करने के 30 दिन की अवधि में किया जायेगा। एक्ज़िम बैंक की गारंटी निर्यात ऋण और गारंटी निगम की रक्षा की सीमा तक उपलब्ध होगी। वाणिज्य बैंक द्वारा गारंटी के आह्वान पर एक्जिम बैंक द्वारा भुगतान एक्ज़िम बैंक द्वारा पुनर्वित्त के स्वरूप का होगा। वाणिज्य बैंक निर्यात ऋण और गारंटी निगम द्वारा दावे के निपटान पर अथवा विदेश स्थित खरीददार/भारतीय निर्यातकर्ता द्वारा भुगतान, जो भी पहले हो, मिलने पर एक्ज़िम बैंक को पुनर्वित्त अदा कर देगा।

DBOD.No.BP.BC. 134/21.04.048/95

November 20, 1995
Kartika 29, 1917 (S)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

EXIM BANK'S NEW LENDING PROGRAMME - EXTENSION OF GUARANTEE-CUM-REFINANCE TO COMMERICAL BANKS IN RESPECT OF POST - SHIPMENT SUPPLIER'S CREDIT - EXEMPTION FROM PRUDENTIAL NORMS.

Please refer to our circular DBOD. No.BP.BC.129/21.04. 043-92 dated 27 April 1992 regarding income recognition, asset classification and provisioning norms. The Export Import Bank of India (Exim Bank) has introduced a guarantee-cum-refinance programme in respect of post-shipment credit extended by commercial banks covering export of goods to countries for which the ECGC's cover is available. Under the programme, in the event of default, Exim Bank will pay the guaranteed amount to the commercial bank under the guarantee within a period of 30 days from the day the Bank invokes the guarantee after the exporter has filed claim with ECGC. Exim Bank's guarantee is to the extent of ECGC's cover. Payment made by Exim Bank on invocation of its guarantee by the commercial bank is in the nature of refinance by Exim Bank. The Commercial Bank will repay the refinance to Exim Bank on settlement of its

साथ ही यदि निर्यात ऋण और गारंटी निगम दावे का निपटान न करे और विदेश स्थित खरीददार अथवा भारतीय निर्यातक द्वारा भी अदायगी न की जाये तो जिस बैंक ने एक्ज़िम बैंक से गारंटी-सह-पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त की है उसे एक्ज़िम बैंक को पुनर्वित्त की अदायगी नहीं करनी होगी। इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एक्ज़िम बैंक से गारंटी-सह-पुनर्वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत जितना भुगतान प्राप्त किया गया है उस सीमा तक के अग्रिम को आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के प्रयोजन हेतु निष्क्रिय आस्ति के रूप में नहीं माना जायेगा। निर्यातकर्ता द्वारा देय शेष राशि पर, जो एक्ज़िम बैंक से गारंटी-सह-पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत भी नहीं है, बैंकों द्वारा आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के मानदंड लागू किये जायेंगे।

claim by ECGC or payment is made by the overseas buyer/Indian exporter, whichever occurs earlier. Further, in the event the ECGC does not settle the claim and no repayment is made by the overseas buyer or Indian exporter, the bank which has availed of guarantee-cum-refinance facility from the Exim Bank will not be required to repay the refinance to Exim Bank. In view of this, it has been decided that to the extent payment has been received from the Exim Bank, under the guarantee-cum-refinance programme, the advance may not be treated as a non-performing asset for asset classification and provisioning purposes. On the balance amount payable by the exporter and not covered by guarantee-cum-refinance facility from Exim Bank, asset classification and provisioning norms will have to be applied by the banks.

भवदीय,

(जे.आर.प्रभु)
मुख्य महा प्रबंधक

Yours faithfully,

(J. R. Prabhu)
Chief General Manager.

बैंपविवि.सं.बीसी. 150/12.05.008/95-96

20 दिसंबर 1995
29 अग्रहायण 1917 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36ए(2) के अंतर्गत अधिसूचना – बैंकिंग कंपनी बंद करना - "दि सेफ बैंक लिमिटेड, बम्बई"

हम सूचित करते हैं कि "दि सेफ बैंक लि., बम्बई" बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ में 14 अक्तूबर 1995 अर्थात् भारत सरकार के राजपत्र (भाग--III खंड 4) में 26 सितंबर 1995 की संबंधित अधिसूचना सं.726/12.05.008/95-96 के प्रकाशित होने की तारीख से बैंकिंग कंपनी नहीं रही है।

भवदीय,

(डी.वी.झवेरी)
उप महा प्रबंधक

DBOD. No.BC. 150/12.05.008/95-96

December 20, 1995
Agrahayana 29, 1917 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

NOTIFICATION UNDER SEC. 36 A (2) OF BANKING REGULATION ACT, 1949 - CESSATION OF A BANKING COMPANY - "THE SAFE BANK LIMITED, BOMBAY."

We advise that "The Safe Bank Limited, Bombay" has ceased to be a banking company within the meaning of the Banking Regulation Act, 1949 with effect from October 14, 1995 i.e. the date on which the relative Notification No. 726/12.05.008/95-96 dated 26th September 1995 was published in the Gazette of India (Part - III Section 4).

Yours faithfully,

(D. V. Jhaveri)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी. 9/12.06.100/95-96

5 फरवरी 1996
16 माघ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "आईडीबीआई बैंक लि."

हम सूचित करते हैं कि "आइडीबीआई बैंक लिमिटेड" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 5 जनवरी 1996 से अर्थात् 2 जनवरी 1996 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.बीपी.2166/21.01.063/96 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(डी.वी.झवेरी)
उप महा प्रबंधक

DBOD. No.BC.9/12.06.100/95-96

February 5, 1996
Magha 16, 1917 (S)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "IDBI BANK LIMITED".

We advise that the name of "IDBI Bank" Limited has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 5th January, 1996 i.e. the date on which the relative Notification DBOD.No.BP/2166/21.01.063/-96 dated 2nd January, 1996 was published in the Gazette of India (Part III - Sec.4).

Yours faithfully,

(D. V. Jhaveri)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी. 15/12.06.103/95-96

15 फरवरी 1996
26 माघ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "कामर्स बैंक ए.जी."

हम सूचित करते हैं कि "कामर्स बैंक ए.जी." का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अधिनियम में 27 जनवरी 1996 से अर्थात् 13 जनवरी 1996 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.आईबीएस. 870/23.13.074/95-96 के भारत के राजपत्र (भाग-III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(डी.वी.झवेरी)
उप महा प्रबंधक

DBOD No.BC.15/12.06.103/95-96.

February 15, 1996
Magha 26, 1917 (S)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "COMMERZBANK AG"

We advised that the name of "Commerz bank AG" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 27th January, 1996 i.e. the date on which the relative Notification DBOD.No.IBS/870/23.13.074/95-96 dated 13th January, 1996 was published in the Gazette of India (Part - III - Sec.4).

Yours faithfully,

(D. V. Jhaveri)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.16/21.01.023/96

16 फरवरी 1996
27 माघ 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारत में विभिन्न संघों/संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत विदेशी अंशदान की प्राप्ति

कृपया आप 16 जुलाई 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 88/21.01.023/94 देखें, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि वे संघों/संगठनों के खातों में विदेशी अंशदान तब तक जमा न लिखें, जब तक कि उन्हें विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकरण या पूर्व अनुमति प्राप्त न हो गयी हो। गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने हमें जानकारी दी है कि सभी वाणिज्य बैंकों को हमारे बार-बार अनुदेश दिये जाने के बावजूद कुछ बैंक अभी भी विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अनुमति के बिना संघों/संगठनों को जमा दे रहे हैं और निधियों के उपयोग की अनुमति तक दे रहे हैं। इस प्रकार वे उक्त अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं। गृह मंत्रालय पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमति देते समय अपने आदेश की एक प्रति बैंक की उस संबंधित शाखा को अनिवार्यतः परांकित करता है, जहां संघ ने अपना बैंक खाता नं. बताते हुए विदेशी अंशदान स्वीकार करने के लिए सहमति दी है। अनुरोध है कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध न होने पाये। अतः हम अपने अनुदेशों को पुनः दोहराते हैं कि बैंक इस मामले में समय-समय पर जारी किये गये हमारे अनुदेशों का कुशलता से पालन करें। हमारी जानकारी में आये किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा।

DBOD No. BP.BC.16/21.01.023/96

February 16, 1996
Magha 27, 1917 (S)

All Commercial Banks.

Dear Sir,

RECEIPT OF FOREIGN CONTRIBUTIONS BY VARIOUS ASSOCIATIONS/ORGANISATIONS IN INDIA UNDER FOREIGN CONTRIBUTIONS (REGULATION) ACT (FCRA) 1976.

Please refer to our circular DBOD. No.BP.BC.88/21.01.023/94 dated 16 July 1994 advising banks that foreign contributions should not be credited to the accounts of an Association/Organisation unless it has obtained registration or prior permission under FCRA, 1976. It has been brought to our notice by the Ministry of Home Afairs, Government of India that despite repeated instructions issued by us to all commercial banks, some of the banks are still allowing credit to the Associations/Organisations and even allowing them to utilise the funds without obtaining prior permission as required under FCRA 1976, thus violating the provisions of the said Act. While granting registration or prior permission, the Ministry of Home Affairs invariably endorses a copy of the Order to the concerned branch of the bank where the Association has agreed to receive the foreign contribution indicating the account number being maintained by the organisation. It will be appreciated that there should be no commission of offence under the Act. We, therefore, reiterate that banks should scrupulously follow the instructions issued by us from time to time in the matter and any violations coming to our notice will be viewed seriously.

2. मौजूदा परंपरा के अनुसार विदेशी मुद्रा में व्यवहार करनेवाली सभी शाखाओं से अपेक्षा है कि वे प्रति वर्ष 30 सितंबर और 31 मार्च को समाप्त छमाही आधार पर तिमाही विवरण छमाही की समाप्ति से दो महीने में गृह मंत्रालय को भेजें। अब यह निर्णय किया गया है कि छमाही विवरण संलग्न संशोधित फार्मेट के अनुसार प्रत्येक बैंक के प्रधान कार्यालय द्वारा समेकित किये जायें। इस प्रयोजन के लिए बैंक अपने प्रधान कार्यालय में एक केन्द्र अधिकारी (नोडल अफसर) नामित करें, जो सरकार को सही और समय पर विवरण प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

2. Under the existing practice, all the branches of banks dealing in foreign exchange are required to send a quarterly statement to Ministry of Home Affairs on half-yearly basis for the period ending 30 September and 31 March every year within two months of the closure of the half-year. It has now been decided that the half yearly statements may be consolidated by the Head Office of each bank as per the revised format enclosed, before forwarding the same to Ministry of Home Affairs. For this purpose banks may designate a 'nodal officer' at the Head Office, who should be responsible to ensure accurate and timely submission of these statements to the Government.

3. बैंक अधिकारियों को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों की जानकारी देने और ये विवरण सही और समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैंक अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस अधिनियम के उपबंधों की जानकारी शामिल करें।

3. In order to familiarise the bank officers with the provisions of Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (FCRA) and ensure accurate and timely submission of these half yearly statements, the banks may include a brief exposure to the provisions of FCRA in their training programmes.

4. इस परिपत्र की विषयवस्तु तत्काल अनुपालन के लिए अपने सभी कार्यालय/शाखाओं की जानकारी में लायी जाये। आप अपनी शाखाओं को जो सूचना जारी करें, उसकी एक प्रति हमारी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए हमें भेजें।

4. The contents of this circular should be brought to the notice of all your offices/ branches for immediate compliance. A copy of the advice issued to your branches in this regard may be sent to us for our information and record.

भवदीय,

Yours faithfully,

(आर.जे.फर्नांडिस)
उप महा प्रबंधक

(R. J. Fernandes)
Deputy General Manager.

अ नु बं ध

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत संघों/संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान के ब्यौरे

.....को समाप्त छमाही का विवरण

बैंक का नाम :

क्र. सं.	संघ/संगठन का नाम और पता तथा खाता सं.	वि.अं.(वि.) अधि., 1976 के अंतर्गत पंजीकरण सं.	वि.अं.(वि.) अधि. 1976 के अंतर्गत अनुमति देनेवाले गृह मंत्रालय के पत्र की सं. और तारीख	शाखा का नाम	खाते में जमा करने की तारीख और खाता सं.	राशि (रुपये)	दान देनेवाले के ब्यौरे, यदि उपलब्ध हों
1	2	3	4	5	6	7	8

ANNEXURE

Details of foreign contribution received by Associations/Organisations under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976

Statement for the half year ended_____

Name of the Bank :

Sr. No.	Name and address of the Association/Organisation and Account Number	Registration No. under FC (R) Act, 1976	Letter(s) No. and date of MHA* granting permission under FC (R) Act, 1976	Name and address of the branch	A/c. No. & date of credit to the account	Amount (in Rs.)	Details of donor(s) if available
1	2	3	4	5	6	7	8

* Ministry of Home Affairs

बैंपविवि.सं.बीसी. 20/09.08.001/96

29 फरवरी 1996
10 फाल्गुन 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

"बम्बई" का नाम बदलकर "मुंबई" करना

बैंकों को विदित ही है कि महाराष्ट्र सरकार (राजस्व एवं वन विभाग) ने अपनी 28 जुलाई 1995 की अधिसूचना सं.टीएलसी.2195/सीआर-804/एम-10 के द्वारा बम्बई के लिए मूल नाम मुम्बई अपना लिया है। राज्य सरकार ने यह भी अपेक्षा की है कि नया नाम (मुम्बई) अंग्रेजी और हिंदी दोनों में परिलक्षित होना चाहिए और नाम में यह परिवर्तन सभी आधिकारिक संप्रेषणों, नाम पट्टियों, साइन बोर्डों, कार्यालय की सील, रबड़ की मोहरों आदि में 31 जनवरी 1996 तक कर लिया जाना चाहिए। हम समझते हैं कि बैंकों ने जहां-जहां आवश्यक है, नाम बम्बई से बदलकर मुंबई कर लिया होगा।

हम यह भी उल्लेख करना चाहते हैं कि जो प्रलेख/लिखत आदि निष्पादित हो चुके हैं और जिनमें नाम मुंबई न होकर बंबई है, उन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार की 28 जुलाई 1995 की उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 2 में कहा गया है कि किसी कानून या लिखत या अन्य प्रलेख में जहां 28 जुलाई से पहले "बम्बई नगर जिला" और "बम्बई उपनगर जिला" (जैसा कि वे 28 जुलाई 1995 से तुरंत पहले विद्यमान रहे थे) का कोई उल्लेख है, उसे, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, क्रमशः "मुम्बई नगर जिला" और "मुम्बई उपनगर जिला" के संदर्भ में माना जायेगा। जहां तक नये लिखतों या नये प्रलेखों का संबंध है, वहां

DBOD No. BC. 20/09.08.001/96

February 29, 1996
Phalguna 10, 1917 (S)

The Chief Executives of
All Commercial Banks

Dear Sir,

CHANGE OF NAME OF "BOMBAY TO MUMBAI"

As banks are aware, the Government of Maharashtra (Revenue and Forest Department) have by its notification No.TLC.2195/CR-804/M-10 dated the 28th July 1995 restored the original name 'Mumbai' for 'Bombay'. The State Government has further required that the new name (Mumbai) should be reflected in both English and Hindi and the change in name is to be brought about in all official communications, name plates, sign boards, office seals, rubber stamps etc. by 31st January 1996. We presume banks must have implemented the change in the name from Bombay to Mumbai wherever it is necessary.

We may also mention that those documents/ instruments etc. which have already been executed and bear the name Bombay and not Mumbai need not be altered as it has been pointed out in paragraph 2 of Government notification dated 28th July 1995 that in any law or instrument or other document any reference to the district of the "the city of Bombay" and "Bombay suburban District" (as they exist immediately before the 28th July 1995) shall, unless the context requires otherwise, be deemed to be a reference to

बम्बई नगर के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मूल नाम मुम्बई का उल्लेख करना आवश्यक है।

आपने अपनी शाखाओं को यदि अभी तक उपयुक्त अनुदेश जारी न किये हों, तो कृपया जारी करें।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

the districts of "the city of Mumbai" and "the Mumbai Suburban District" respectively. So far as the new instrument or new documents are concerned, the original name "Mumbai" for "Bombay" is necessary to be mentioned for "City of Bombay", both in English and Hindi.

2. You may please issue suitable instructions to your branches, if not already done.

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Additional Chief General Manager.

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.23/21.01.001/96

1 मार्च 1996
11 फाल्गुन 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

अन्य बैंकों के निदेशकों को ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत करना तथा ठेके देना

कृपया दिनांक 10 अक्तूबर 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 110/21.01.001/94 देखें जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि अन्य बैंकों के निदेशकों, उनके रिश्तेदारों तथा उनकी रुचिवाले प्रतिष्ठानों को दिये जानेवाले 10 लाख रुपये और उससे अधिक के ऋणों एवं अग्रिमों तथा ठेकों के लिए बैंक के निदेशक

DBOD No.BP.BC. 23/21.01.001/96

March 1, 1996
Phalguna 11, 1917 (S)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

GRANT OF LOANS AND ADVANCES AND AWARD OF CONTRACTS TO DIRECTORS OF OTHER BANKS.

Please refer to our circular DBOD. No.BP.BC. 110/21.01.001/94 dated 10 October 1994. advising banks that the grant of loans and advances and award of contract for Rs. 10 lakhs and above to directors of other banks, their relatives and the concerns

मंडल/बोर्डों की प्रबंध समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी। मामले की पुनरीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि पहले बताये गये 10 लाख रुपये के बदले 25 लाख रुपये और उससे अधिक राशि के सभी ऋण प्रस्ताव बैंक के निदेशक मंडल/बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। 25 लाख रुपये से कम के प्रस्ताव बैंकों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा, उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, स्वीकृत किये जा सकते हैं। तथापि, ऐसे प्रस्तावों अर्थात् 25 लाख रुपये से कम के प्रस्तावों की सूचना बाद में प्रबंध समिति को दी जानी चाहिए जैसा कि दिनांक 10 अक्तूबर 1994 के हमारे उपर्युक्त परिपत्र में बताया गया है।

in which they are interested, need be sanctioned by the bank's Board of Directors/ Management Committee of the Boards. On a review of the matter, it has been decided that all credit proposals for Rs.25 lakhs and above should be sanctioned by the bank's Board of Directors/Management Committee of the Board as against Rs.10 lakhs stipulated earlier. The proposals for less than Rs. 25 lakhs may be sanctioned by the appropriate authority in banks in terms of the powers delegated to them. Such proposals i.e. for less than Rs. 25 lakhs should, however, be subsequently reported to the Management Committee as indicated in our circular dated 10 October 1994 referred to above.

भवदीय,

(आर.जे.फर्नांडिस)
उप महा प्रबंधक

Yours faithfully,

(R. J. Fernandes)
Deputy General Manager.

वैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.25/21.04.048/96

19 मार्च 1996
29 फाल्गुन 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान

कृपया आप 3 अप्रैल 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 36/21.04.048/95 देखें।

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित कतिपय मुद्दों पर रिज़र्व बैंक द्वारा मुंबई में 27 फरवरी 1996 को आयोजित बैंक लेखा परीक्षा समिति की बैठक में चर्चा की गयी थी। इस बैठक में प्रमुख बैंकों के सर्वोच्च कार्यपालक, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आइसीएआइ) और भारतीय बैंक संघ के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इन चर्चाओं के प्रकाश में हम निम्नप्रकार सूचित करते हैं :

1. सहायता संघीय अग्रिम

हमारे 17 दिसम्बर 1992 के परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 59/21.04.043/92 के पैराग्राफ 10 के अनुसार सहायता संघ के अग्रणी द्वारा अपनाया गया वर्गीकरण सदस्यों द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए, ताकि दृष्टिकोण में एकरूपता लायी जा सके। परन्तु कतिपय मामलों में जहां कुछ बैंकों ने अग्रिमों को निष्क्रिय आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया था, वहीं सदस्य बैंकों ने उन्हें सक्रिय अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया था। अतः एकरूपता लाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि यदि कोई सदस्य बैंक किसी अग्रिम को निष्क्रिय आस्ति के रूप में

DBOD. No.BP.BC.25/21.04.048/96

March 19, 1996
Phalguna 29, 1917 (S)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION AND PROVISIONING.

Please refer to our circular DBOD. No.BP.BC.36/21.04.048/95 dated 3 April 1995.

Certain issues relating to prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning were discussed at a meeting of the Bank Audit Committee held on 27 February 1996 in Bombay convened by RBI where top executives from major banks, representatives from the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the Indian Banks' Association (IBA) were present. In the light of these discussions, we advise as under :

1. Consortium advances

In terms of paragraph 10 of our circular DBOD.No.BP.BC.59/21.04.043/92 dated 17 December 1992, classification adopted by the leader of the consortium should be adopted by the members so as to bring about uniformity in approach. It was however observed in certain cases that while some member banks classified the advances as NPAs, other member banks classified them as performing advances. It has, therefore,

माने तो अग्रणी सहित अन्य सभी सदस्य बैंकों को उनके द्वारा दिये गये अग्रिमों को निष्क्रिय आस्तियों के रूप में ही मानना चाहिए।

been decided that in order to bring about uniformity, if any member bank considers an advance as NPA, then all the other member banks including the leader should treat the advances granted by them as NPAs,

2. सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम

हमारे 17 दिसम्बर 1992 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी 59/21.04.043/92 के पैराग्राफ 7 के अनुसार सरकार की गारंटियों से समर्थित ऋण सुविधाओं को, "गत देय" हो जाने के बावजूद, निष्क्रिय आस्तियों के रूप में मानना आवश्यक नहीं है। कुछ मामलों में यह पाया गया है कि बैंक परिसीमन अवधि से बचाव की दृष्टि से सरकारी गारंटी का आह्वान करने के बाद उधारकर्ता के विरुद्ध मुकदमा दायर कर देते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि इन परिस्थितियों में बैंक सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों को निष्क्रिय आस्तियों के रूप में तभी मानें जब गारंटी का आह्वान करने पर संबंधित सरकार उसको अस्वीकृत करे।

2. Govt.guaranteed advances.

In terms of paragraph 7 of our circular DBOD.No.BP.BC.59/21.04.043/92 dated 17 December 1992 credit facilities backed by Government guarantees though "past due" need not be treated as NPA. In some cases it is observed that banks have to file suit against the borrower after invoking the Government guarantee with a view to overcoming the limitation period. In the circumstances, it has been decided that banks may treat advances guaranteed by Governments as NPAs only when the Government concerned repudiates its guarantee when invoked.

3. अवमानक अग्रिमों के लिए प्रावधान

अवमानक आस्तियों के लिए बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे कुल बकाया राशि के 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान करें। कुछ बैंकों ने सुझाव दिया है कि डीआइसीजीसी/ईसीजीसी द्वारा रक्षित संदिग्ध आस्तियों के लिए किये जानेवाले प्रावधान की गणना हेतु प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य को घटाने अथवा समायोजित करने की अनुमति दी गयी है, वही छूट उन्हें अवमानक आस्तियों पर लागू करने के लिए भी दी जाये। हम यह सूचित करते हैं कि चूंकि संदिग्ध आस्तियों के लिए प्रावधान करने की अपेक्षाएं अपेक्षाकृत कड़ी हैं, इसलिए बैंकों को चाहिए कि वे डीआइसीजीसी/ईसीजीसी गारंटी रक्षा और उपलब्ध प्रतिभूतियों के लिए किसी अनुमति के बिना अवमानक आस्तियों पर 10 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान करना जारी रखें।

3. Provision for sub-standard advances.

For substandard assets, banks are required to make a general provision of 10 per cent of total outstandings. There have been suggestions from some banks that, while for doubtful assets covered by DICGC/ECGC guarantee they have been allowed to deduct or set off the realisable value of securities for arriving at the provision required to be made, the same concession may be made applicable to sub-standard assets also. We advice that since the provisioning requirements for doubtful assets are more stringent, banks should continue to make general provision of 10 per cent on substandard assets without making any allowance for DICGC/ ECGC guarantee cover and securities available.

4. निवेशों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान

यह पाया गया है कि बैंक लाभ और हानि खाते में "चालू" निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान दर्शाते समय एकसमान पद्धति नहीं अपनाते। कुछ बैंक इसे "प्रावधान और आकस्मिकताएं" के अंतर्गत शामिल करते हैं तो अन्य इसे लाभ और हानि खाते की अनुसूची 14 में "अन्य आय" के अंतर्गत नामे मद के रूप में दर्शाते हैं। यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को "चालू" निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास को लाभ और हानि खाते में "व्यय" शीर्ष के अंतर्गत "प्रावधान और आकस्मिकताएं" के अंतर्गत दर्शाना चाहिए। तुलनपत्र में तुलनपत्र की तारीख को निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास को निवेशों से घटाकर शुद्ध शेष दर्शाया जाना चाहिए। परन्तु मूल्यह्रास के लिए किये गये अधिक प्रावधान को निवेशों से नहीं घटाना चाहिए, बल्कि उसे "अन्य देयताएं और प्रावधान" के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए।

4. Provision for depreciation in investments.

It is observed that banks do not follow a uniform method while showing provisions for depreciation on 'current' investments in the Profit & Loss account. While some banks include it under 'Provisions and Contingencies', others show it as a debit item under 'Other income' in Schedule 14 to the Profit & Loss account. It has been decided that, in the Profit & Loss account, banks should show the depreciation in value of 'current' investments under 'Provisions & Contingencies' under the head 'Expenditure'. In the Balance Sheet, the depreciation in the value of investments as on the balance sheet date should be deducted from Investments and net balance shown. However, excess provision for depreciation should not be deducted from investments but should be shown under 'Other Liabilities & Provisions.'

5. दर न दिये जानेवाले शेयरों का मूल्यन

जिन कंपनियों के अद्यतन तुलनपत्र उपलब्ध नहीं हैं उन कंपनियों के दर न दिये जानेवाले शेयरों के मामले में शेयरों का मूल्य हमारे 15 अप्रैल 1995 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.44/21.04.048/95 के अनुबंध की मद 4 के अनुसार एक रुपया प्रति कंपनी लगाया जाना चाहिए। यह पाया गया है कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में उनके तुलनपत्र प्रकाशित करने में पर्याप्त विलंब होता है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में, 31 मार्च 1996 के खातों के प्रयोजन हेतु बैंक सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के शेयरों का मूल्यन 31 मार्च 1995 के तुलनपत्र के अनुसार ब्रेकअप मूल्य पर करें। यदि 31 मार्च 1995 का तुलनपत्र उपलब्ध न हो तो ब्रेकअप मूल्य 31 मार्च 1994 के तुलनपत्र के अनुसार लगाया जाना चाहिए और तब इसे घटाया या 20 प्रतिशत बट्टे खाते डाला जाये। यदि 31 मार्च 1994 का तुलनपत्र भी उपलब्ध न हो तो बैंक सरकारी क्षेत्र के संबंधित

5. Valuation of unquoted shares.

In the case of unquoted shares of companies whose latest balance sheets are not available, the shares are to be valued at Rs.1 per company in terms of item 4 of the Annexure to our circular DBOD No.BP.BC.44/21.04.048/95 dated 15 April 1995. It is observed that in the case of public sector companies there is considerable delay in publishing their balance sheets. It has, therefore, been decided that in the case of public sector companies, for the purpose of 31 March 1996 accounts, a bank should value the shares of PSUs at the break-up value as per the balance sheet as at 31st March 1995. In case the 31 March 1995 balance sheet is not available, it should work out the break-up value as per 31 March 1994

प्रतिष्ठानों के शेयरों का मूल्य एक रुपया प्रति कंपनी लगायें।

balance sheet and then reduce or discount it by 20 per cent. If 31st March 1994 Balance sheet is also not available, then the bank should value the share of the concerned PSUs at Rs.1 per company.

6. प्रतिभूतियों का "स्थायी" श्रेणी को अंतरण – संभावित हानि

हमारे 20 जून 1992 के परिपत्र बैंपविवि.सं.एफएससी. बीसी. 143ए/24.48.001/91-92 के अनुबंध में दिये गये अनुदेशों के अनुसार जहां अंतरण की तारीख को बाज़ार मूल्य बहियों में आगे ले जानेवाले मूल्य से कम है वहां प्रतिभूतियों का "चालू" से "स्थायी" श्रेणी को अंतरण करने के पहले संभावित हानि का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस संबंध में हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब कभी बैंक प्रतिभूतियों को "चालू" श्रेणी से "स्थायी" श्रेणी को अंतरित करें तो उन्हें इस तरह अंतरित की गयी प्रतिभूतियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान तत्काल करना चाहिए।

6. Transfer of securities to the 'permanent' category - potential loss.

As per the instructions contained in the Annexure to our circular DBOD No.FSC.BC.143A/24.48.001/91-92 dated 20 June 1992 potential loss should be recognised prior to the transfer of securities from 'current' to 'permanent' category where market value as on the date of transfer is less than the carrying value in the books. We clarify in this context that whenever banks transfer securities from the 'current' category to 'permanent' category, they should immediately provide for the depreciation on the securities so transferred.

7. प्रतिभूतियों की वायदा बिक्री/खरीद

जहां तक विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों के हाज़िर वायदा खरीद/बिक्री लेनदेनों का संबंध है, इन प्रतिभूतियों को निवेशों के भाग के रूप में लिये जाने के कारण, बैंकों को चाहिए कि वे तुलनपत्र की तारीख को बाज़ार दरों पर इनका मूल्य लगायें और बाज़ार दरों की अनुपस्थिति में अवधि पूर्ण होने पर प्रतिलाभ पर मूल्यन करें। परिणामी हानि के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

7. Forward sales/purchase of securities.

In regard to ready forward purchase/sale transactions in specified Government Securities, as these securities have to be reckoned as part of investments, the banks should on the balance sheet date value them at the market rates and in the absence of market rates at YTM. The resultant loss should be provided for.

8. प्रधान कार्यालय स्तर पर बट्टे खाते डालना

यह पाया गया है कि कुछ बैंक अग्रिमों को शाखा की बहियों में बकाया दिखाये जाने के बावजूद प्रधान कार्यालय स्तर पर उन्हें बट्टे खाते डालते हैं। यह सूचित किया जाता है कि प्रधान कार्यालय स्तर पर इस तरह बट्टे खाते डालने पर हालांकि हमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु यह आवश्यक है कि संबंधित खातों को दिये गये वर्गीकरण के अनुसार प्रावधान किया जाये। दूसरे शब्दों में यदि

8. Write-off at Head Office level.

It is observed that some banks resort to write-off of advances at Head Office level even though they are still shown as outstanding in the branch's books. It is advised that while we have no objection to such write-off at Head Office level, it is necessary that provision is made as per the classification

अग्रिम हानिवाली आस्ति है तो उसके लिए 100 प्रतिशत प्रावधान करना होगा।

9. 25,000 रुपये से कम के शेष वाले अग्रिम

4 फरवरी 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी. 8/21.04.043/94 के पैराग्राफ 1 के अनुसार 25,000 रुपये से कम के शेष वाले अग्रिमों को निष्पादन करनेवाली और निष्क्रिय आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करने की बैंकों से अपेक्षा की जाती है। यह निर्णय लिया गया है कि लेखा वर्ष 1996-97 से बैंकों को इस प्रकार के अग्रिमों को विभिन्न श्रेणियों अर्थात् मानक, अवमानक और हानिवाली आस्तियों में भी वर्गीकृत करना चाहिए और उपयुक्त प्रावधान करने चाहिए।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

accorded to the respective accounts. In other words, if the advance is a loss asset, 100 per cent provision will have to be made therefor.

9. Advances with balance less than Rs.25000.

In terms of paragraph 1 of our circular DBOD.No.BP.BC.8/21.04.043/94 dated 4 February 1994, banks are required to classify advances with balance less than Rs.25000 into performing and non-performing assets. It has been decided that from the accounting year 1996-97, banks should classify such advances also into different categories, viz.standard, sub-standard, doubtful and loss assets and make appropriate provisions.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager.

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.26/21.04.048/96

19 मार्च 1996
29 फाल्गुन 1917 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

निष्क्रिय अग्रिम - भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट देना

हमारे 8 फरवरी 1994 के परिपत्र सं.बीपी.बीसी.8/

DBOD No.BP.BC.26/21.04.048/96

March 19, 1996.
Phalguna 29, 1917 (S)

All commercial banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

NON-PERFORMING ADVANCES - REPORTING TO RESERVE BANK OF INDIA.

In terms of paragraph 6 of our circular

21.04.043/94 के पैराग्राफ 6 के अनुसार ब्याज उचंत खाते की राशि संबंधित अग्रिमों में से घटा दी जानी चाहिए और इस तरह घटाने के बाद शेष राशि पर प्रावधान किया जाना चाहिए, अर्थात् ब्याज उचंत खाते को प्रावधानों के भाग के रूप में नहीं गिना जाना चाहिए । इस संबंध में हमने देखा है कि निष्क्रिय खातों (एनपीए) में ब्याज के अनुप्रयोग के संबंध में कोई एकरूपता नहीं है । कुछ बैंक इस प्रकार के मामलों में ब्याज नामे डालते हैं और उसे ब्याज उचंत खाते को ले जाते हैं, जबकि कुछ बैंक इस प्रकार के ब्याज का केवल रिकार्ड रखते हैं। ब्याज के अनुप्रयोग के संबंध में बैंकों द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करने पर हमें हालांकि कोई आपत्ति नहीं हैं, परन्तु जब कभी निष्क्रिय खातों के आंकड़ों की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को देने की अपेक्षा की जाये तो वे ब्याज उचंत खाते की राशि को इस प्रकार के अग्रिमों में से हमेशा घटा दिया करें, क्योंकि अन्यथा हमें रिपोर्ट किये गये निष्क्रिय खातों की मात्रा के संबंध में विकृति पैदा होगी । अतएव यह निर्णय लिया गया है कि बैंक निष्क्रिय खातों की रिपोर्ट देने के लिए एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यहां पीछे दिये गये प्रोफार्मा में निष्क्रिय खातों के आंकड़ों की रिपोर्ट दिया करें

इस प्रकार का पहला विवरण हमें 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए भेजा जाये ।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक.

No.BP.BC. 8/21.04.043/94 dated 8 February 1994 amounts held in interest suspense account should be deducted from the relative advances and provision made on the balances after such deduction, i.e. interest suspense account should not be reckoned as part of provisions. In this connection, we observe that there is no uniformity with regard to application of interest in a non-performing accounts (NPAs). While some banks debit interest in such cases and take to Interest Suspense account, other banks only keep a record of such interest. Though we have no objection to the banks using their own discretion regarding application of interest in an NPA account, wherever they are required to report the figures of NPAs to Reserve Bank of India they should always deduct the amounts held in interest suspense account from such advances as otherwise there will be distortion in the quantum of NPAs being reported to us. It has therefore been decided that banks should report the figure of NPAs in the proforma appended overleaf to ensure uniformity in reporting of NPAs.

The first such statement may be sent for the year ending 31 March 1996.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager.

निष्क्रिय आस्तियों की रिपोर्ट के लिए फार्मेट - सकल और शुद्ध स्थिति

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	ब्यौरे	31 मार्च 1996	31 मार्च 1995	31 मार्च 1994
1.	सकल अग्रिम			
2.	सकल निष्क्रिय आस्तियां			
3.	सकल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में सकल आस्तियां (%)			
4.	कुल कटौतियां : – ब्याज उचंत खाते में शेष – प्राप्त डीआइसीजीसी/ईसीजीसी दावे जिनका समायोजन नहीं हुआ – प्राप्त और उचंत खाते में रखा गया आंशिक भुगतान			
5.	किया गया कुल प्रावधान			
6.	शुद्ध अग्रिम (1-4-5)			
7.	शुद्ध निष्क्रिय आस्तियां (2-4-5)			
8.	शुद्ध अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध निष्क्रिय आस्तियां (%)			

Reporting format for non-performing assets -Gross and Net position.

(Rs. in crores)

Sl.No.	Particulars	31 March 1996	31 March 1995	31 March 1994
1.	Gross Advances			
2.	Gross NPAs			
3.	Gross NPAs as percentage to Gross advances (%)			
4.	Total deductions : — Balance in Interest Suspense a/c. — DICGC/ECGC claims received and held pending adjustment. — part payment received and kept in suspense account.			
5.	Total provisions held			
6.	Net advances (1 minus 4 minus 5)			
7.	Net NPAs (2 minus 4 minus 5)			
8.	Net NPAs as percentage of net advances (%).			

बैंपविवि.सं.बीसी. 29/12.06.101/95-96

26 मार्च 1996
6 चैत्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "बैंक ऑफ सीलोन"

हम सूचित करते हैं कि "बैंक ऑफ सीलोन" का नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 30 दिसंबर 1995 से अर्थात 20 नवंबर 1995 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं. आईबीएस.622/23.10.059/95-96 के भारत के राजपत्र (भाग III खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है ।

भवदीय,

(डी. वी. झवेरी)
उप महाप्रबंधक

DBOD.No.BC.29/12.06.101/95-96.

March 26, 1996.
Chaitra 6, 1918 (S)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT. 1934 - "BANK OF CEYLON".

We advise that the name of "Bank of Ceylon" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 30th December, 1995 i.e. the date on which the relative Notification DBOD.No.IBS/622/23.10.059/95-96 dated 20th November, 1995 was published in the Gazette of India (Part III - Sec.4).

Yours faithfully,

(D.V. JHAVERI)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.30
आइबीएस.1164/23.10.011/95-96

22 मार्च 1996
2 चैत्र 1918 (शक)

भारत में शाखा परिचालन ग्ले सभी विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रिय महोदय,

भारत में शाखा परिचालन वाले विदेशी बैंकों द्वारा बैंकिंग आंकड़ों का देश से बाहर संसाधन

रिजर्व बैंक को भारत में परिचालन करनेवाले कुछ विदेशी बैंकों से इस आशय के अनुरोध मिले हैं कि उन्हें भारतीय परिचालन से संबंधित उनके बैंकिंग आंकड़ों को विदेश में स्थित स्थानों पर केन्द्रीकृत रखने/संसाधन करने की अनुमति दी जाये ।

2. हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, परन्तु हम यह सूचित करना चाहते हैं कि विदेशी बैंकों को भारतीय परिचालनों से संबंधित अपने बैंकिंग आंकड़ों का इस देश से बाहर संसाधन करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करना चाहिए ।

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि विदेशी बैंकों के अपने भारतीय परिचालनों के लिए वर्तमान में प्रयुक्त परिचालन प्रणालियों, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और नेटवर्क प्रोटोकोल संबंधी विशेष विवरण और उनके प्रकार से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा साथ ही नयी प्रणालियों को लागू करने/उन पर कार्य करने से पहले ऐसे विस्तृत ब्योरे हमें तत्काल भेजे जायें ।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD No.BC.30 IBS.1164
/23.10.011/95-96

March 22,1996
Chaitra 2, 1918 (S)

The Chief Executive Officers of all foreign banks having branch operations in India

Dear Sir,

CROSS BORDER PROCESSING OF BANKING DATA BY FOREIGN BANKS HAVING BRANCH OPERATIONS IN INDIA.

Reserve Bank has received requests from some of the foreign banks operating in India to hub/process their banking data pertaining to Indian operations at foreign locations.

2. While the matter is being examined by us, we have to advise that foreign banks should not undertake cross border processing of their banking data pertaining to Indian operations without prior approval of Reserve Bank of India.

3. It has also been decided that foreign banks should forward to us immediately detailed information on the specifications and type of operating systems, applications software and networking protocols presently being used for their Indian operations, and also such details before introduction of/ change over to new systems.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief Genager Manager.

बैंपविवि.सं.बीसी. 33/12.06.102/95-96

3 अप्रैल 1996
14 चैत्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "द स्याम कमर्शियल बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड"

हम सूचित करते हैं कि "द स्याम कमर्शियल बैंक पब्लिक कंपनी लिमिटेड" का नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 20 जनवरी 1996 से अर्थात् 8 जनवरी 1996 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.आइबीएस 838/23.12.034/96 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है ।

भवदीय,

(डी. वी. झवेरी)
उप महा प्रबंधक

DBOD. No.BC.33/12.06.102/95-96.

April 3, 1996
Chaitra 14, 1918 (S)

All Commercial Banks.

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED."

We advise that the name of "The Siam Commercial Bank Public Company Limited" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 20th January, 1996 i.e. the date on which the relative Notification DBOD.No.IBS/838/23.12.034/ 96 dated 8th January, 1996 was published in the Gazette of India (Part III - Sec. 4).

Yours faithfully,

(D.V. JHAVERI)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.43/21.04.048/96

6 अप्रैल 1996
17 चैत्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामले - निवेशों का मूल्यांकन

कृपया आप दिनांक 15 अप्रैल 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.44/21.04.048/95 देखें जिसके द्वारा 31 मार्च 1995 के तुलनपत्र को अंतिम रूप देते समय सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए बैंकों और लेखा परीक्षकों द्वारा अपनायी जाने वाली पद्धति निर्धारित की गयी है । अब यह निर्णय किया गया है कि बैंक 31 मार्च 1996 के तुलनपत्र को अंतिम रूप देते समय अनुबंध में उल्लिखित पद्धति अपनायें।

2. हम सूचित करते हैं कि यदि अनुबंध में उल्लिखित मूल्यांकन पद्धति के कारण प्रतिभूतियों के मूल्य में कोई वृद्धि हो तो उसे आय नहीं माना जाए । इसके अलावा, जिन बैंकों ने प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के लिए इस सुझाव से इतर अधिक विवेकपूर्ण पद्धति अपनायी है, वे उसे आगे भी जारी रख सकते हैं ।

भवदीय,

(वी.रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD. No.BP.BC.43/21.04.048/96.

April 6, 1996.
Chaitra 17, 1918 (Saka),

All Commercial Banks,
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION, PROVISIONING AND OTHER RELATED MATTERS. - VALUATION OF INVESTMENTS.

Please refer to our circular DBOD. No.BP.BC.44/21.04.048/95 dated 15 April 1995 prescribing the method to be adopted by banks and auditors for valuation of Government and other securities while finalising the balance sheet as at 31 March 1995. It has now been decided that banks should adopt the method indicated in the Annexure, while finalising the balance sheet as at 31 March 1996.

2. We have to advise that if there is any appreciation in the value of securities on account of the method of valuation as indicated in the Annexure, it should not be booked as income. Further, banks which have adopted a more prudent method of valuation of securities than the one now being suggested may continue the practice hitherto followed by them.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager.

अनुबंध

निवेश श्रेणी 1	बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली पद्धति 2
1. स्थायी निवेश	(i) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 3 अप्रैल 1995 के परिपत्र बीपी.बीसी. 37/21.04.048/95 के पैरा 7 में बताया गया है, स्थायी श्रेणी की प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त किसी भी लाभ को पहले लाभ और हानि खाते में दर्ज करना चाहिए और उसके बाद उसे पूँजीगत प्रारक्षित निधि खाते में दर्ज किया जा सकता है ।
	(ii) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 3 अप्रैल 1995 के परिपत्र बीपी.बीसी.37/ 21.04.048/95 के पैराग्राफ 1 में बताया गया है, स्थायी निवेशों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाना चाहिए और यदि लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्रीमियम का परिशोधन प्रतिभूति की परिपक्वता की शेष अवधि के बीच किया जाना चाहिए । दूसरी ओर, यदि लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम हो तो अंतर की परिवाह नहीं करनी चाहिए और उसका परिशोधन नहीं किया जाना चाहिए अथवा उसे आय खाते में दर्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी राशि अप्राप्त लाभ की द्योतक होती है ।
2. चालू निवेश	चालू श्रेणी में सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन 30 मार्च 1996 (31 मार्च 1996 को रविवार है) की बाजार भाव-सूची, जहाँ-कहीं उपलब्ध हो, के अनुसार किया जाना चाहिए । यदि बाजार भाव-सूची उपलब्ध न हो तो सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिए ।

30 मार्च 1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, जो बिक्री के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की सूची पर थीं, उनका मूल्य निम्नानुसार है :

प्रतिभूति का नाम आदि	**बिक्री मूल्य (रु. पै.)**
13.50% 1998	100.05
13.65% 1998	100.54
एफआरबी 1999	100.30
13.85% 2000	100.91
11.75% 2001	92.40
13.85% 2001	100.05
11.00% 2003	87.98
14.00% 2005	101.15
14.00% 2006	100.04

केन्द्र सरकार की अन्य प्रतिभूतियों के संबंध में 30 मार्च 1996 को निम्नलिखित प्रतिफल अपनाये जाने चाहिए :

वर्ष सं.	**परिपक्वता प्रतिफल** (%)
1	13.12
2	13.50
3	13.65
4	13.75
5	13.85
6	13.88
7	13.91
8	13.94
9	13.97
10 और आगे	14.00

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और सरकार की गारंटीकृत प्रतिभूतियों के संबंध में भी उपर्युक्त प्रतिफल का प्रयोग किया जा सकता है ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि परिपक्वता प्रतिफल की उपयुक्त दर के निर्धारण के प्रयोजनार्थ वर्षों की संख्या की गणना वर्ष की आंशिक अवधि को निकटतम पूर्ण वर्ष में पूर्णांकित करके की जानी चाहिए ।

कर योग्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों के मूल्यांकन हेतु ऊपर उल्लिखित सरकारी प्रतिभूतियों की परिपक्वता प्रतिफल दरों से 1 प्रतिशत अधिक दर लागू की जाये ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर मुक्त बांडों के लिए प्रत्याशित परिपक्वता प्रतिफल 10.5 प्रतिशत माना जाये ।

अन्य अनिवेदित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के संबंध में बैंक अनिवेदित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन करने के लिए एक समान परिपक्वता प्रतिफल पद्धति अपनायें ।

3. शेयर

(1) जहाँ-कहीं शेयर बाजार के भाव उपलब्ध हों, वहाँ शेयरों का मूल्यांकन तदनुसार किया जाना चाहिए ।

(2) उन शेयरों के मामले में, जिनके चालू भाव उपलब्ध नहीं हैं अथवा जहाँ शेयर बाजार में उक्त शेयरों के भाव नहीं दिये जाते हैं, उनका मूल्य बही मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि, यदि कोई है, को हिसाब में लिये बिना) हिसाब में लिया जाये जो उपलब्ध अद्यतन तुलन पत्र से निश्चित किया जाना चाहिए । यदि अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है तो शेयरों को प्रति कंपनी 1 रुपये के हिसाब से लेना है ।

(3) सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के मामले में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का मूल्यांकन 31 मार्च 1995 तक के तुलनपत्र के अनुसार मूल्य विवरण पर किया जाये । यदि 31 मार्च 1995 का तुलन पत्र उपलब्ध नहीं है तो मूल्य विवरण 31 मार्च 1994 के तुलन पत्र के अनुसार निकाला जाये और उसे 20 प्रतिशत कम कर दिया जाये या बट्टा काट लिया जाये । यदि 31 मार्च 1994 का तुलन पत्र भी उपलब्ध नहीं है तो संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का मूल्य प्रति कंपनी 1 रुपये के हिसाब से लिया जाये जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के 19 मार्च 1996 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.25/21.04.048/96 के पैराग्राफ 5 में उल्लेख किया गया है ।

4. डिबेंचर

(1) जहाँ-कहीं शेयर बाजार के भाव उपलब्ध हों, वहाँ डिबेंचरों का मूल्यांकन तदनुसार किया जाना चाहिए ।

(2) जहाँ-कहीं चालू भाव उपलब्ध नहीं हो अथवा शेयर बाजारों में डिबेंचरों के भाव नहीं दिये जाते हों, वहाँ पर निम्नानुसार मूल्य निर्धारित किये जायें ।

(क) यदि ब्याज नियमित रूप से अदा किया जाता हो और ब्याज अदा करना चालू हो तो धारण लागत के अनुसार ।

(ख) जहाँ पर ब्याज नियमित रूप से अदा नहीं किया जाता हो और इस प्रकार से ब्याज बकाया हो तो इसका मूल्य वर्गीकृत अग्रिमों के लिए लागू एनपीए मानदंडों को लागू करके निर्धारित किया जाना चाहिए ।

5. पारस्परिक निधियों के यूनिट

पारस्परिक निधि के यूनिटों में निवेश का मूल्यांकन पारस्परिक निधि द्वारा प्रत्येक विशेष योजना के संबंध में घोषित अद्यतन निवल संपत्ति मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए । तथापि यदि शेयर बाजार के भावों के अनुसार बाजार दर उपलब्ध हो तो बाजार दर अपनायी जानी चाहिए ।

6. सहायक और प्रायोजित संस्थाओं में निवेश

स्थिर आधार पर धारण लागत पर प्रतिभूतियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

7. खजाना बिल (सभी अवधियों के)

धारण लागत के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए ।

8. वाणिज्यिक पत्र

वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन धारण लागत पर निर्धारित किया जाना चाहिए ।

9. **सामान्य निर्गम**

(1) पूर्णांकित करना (अर्थात निकटतम 000 तक) — स्थिर आधार पर बैंकों के विवेकानुसार किया जाना चाहिए ।

(2) निवेश श्रेणियां — तुलन पत्र के प्रयोजन हेतु निवेशों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए ।

(क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (खजाना बिलों, जीरो कूपन बांडों को शामिल करते हुए)
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
(ग) शेयर
(घ) डिबेंचर और बांड
(ङ) सहायक और संयुक्त उपक्रम (प्रायोजित संस्थाएं)
(च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, पारस्परिक निधियों के यूनिट, आदि)

(3) एकत्रीकरण — प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत आनेवाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन ऊपर लिखे गये तरीके से स्क्रिप-वार किया जाना चाहिए और मूल्यह्रास और मूल्यवृद्धि को श्रेणीवार एकत्रित किया जाये । निवल मूलह्रास, यदि कोई हो तो उसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 19 मार्च 1996 के परिपत्र बैपविवि.सं.बीपी.बीसी.25/21.04.048/96 के पैराग्राफ 4 में बताये अनुसार प्रावधान किया जाय । निवल मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे ध्यान में न लिया जाय । किसी एक श्रेणी में निवल मूल्यह्रास के लिए किये जाने वाले प्रावधान को किसी अन्य श्रेणी में होनेवाली मूल्यवृद्धि में से घटा लिया जाये ।

10. पुनः पूंजीकरण बांड — जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 3 अप्रैल 1995 के परिपत्र बीपी.बीसी.37/21.04.048/95 के पैराग्राफ 5 में बताया गया है, पुनः पूँजीकरण बांडों को स्थायी अथवा चालू निवेशों का हिस्सा नहीं माना जाएगा । सरकार से राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त पुनः पूँजीकरण बांडों पर मूल्यह्रास का प्रावधान करना आवश्यक नहीं होगा । परंतु यदि निवेश के प्रयोजनार्थ बैंकों को अन्य बैंकों से पुनः पूंजीकरण बांड प्राप्त होते हैं तो मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

ANNEXURE

Investment Category	Method to be adopted by banks.
1. Permanent Investments	(i) As indicated in Paragraph 7 of RBI Circular BP.BC.37/ 21.04.048/95 dated 3 April 1995 any gain on sale of securities in the "permanent" category should be first taken to the Profit and Loss account and thereafter it could be appropriated to the "capital reserve" account.
	(ii) As indicated in Paragraph 1 of RBI Circular BP.BC.37/ 21.04.048/95 dated 3 April 1995, "permanent" investments should be valued at cost and in case the cost price is higher than the face value, the premium should be amortized over the remaining period of maturity of the security. On the other hand, where the cost price is less than the face value,the difference should be ignored and should not be amortized or taken to income account since the amount represents unrealised gain.
2. Current Investments	Valuation of Government Securities in the "current" category should be done as per market quotations on March 30, 1996 (March 31, 1996 being Sunday), wherever available. Where market quotations are **not** available, valuation of the Government securities should be made on the following basis :

As on March 30, 1996, the Central Government securities which were on the RBI list for sale and their prices are given below:

Nomenclature of Security	**Sale Price** (Rs. Ps.)
13.50 % 1998	100.05
13.65 % 1998	100.54
FRB 1999	100.30
13.85 % 2000	100.91
11.75 % 2001	92.40
13.85 % 2001	100.05
11.00 % 2003	87.98
14.00 % 2005	101.15
14.00 % 2006	100.04

In respect of other Central Government Securities, the following yields as on March 30, 1996 may be applied :

No. of Years	YTM (%)
1	13.12
2	13.50
3	13.65
4	13.75
5	13.85
6	13.88
7	13.91
8	13.94
9	13.97
10 and beyond	14.00

The above yields should also be applied to State Government Securities and Government Guaranteed Securities.

It is clarified that the reckoning of number of years for the purpose of deciding upon appropriate YTM rate be done by rounding off the fractional period of an year to the nearest completed year.

For valuation of taxable PSU bonds. 1% above the YTM rates of Government Securities stated above should be applied.

For tax free bonds of PSUs the expected yield to maturity may be deemed as 10.5%.

As regards valuation of other unquoted securities banks should uniformly follow yield to maturity method for arriving at valuation of unquoted securities.

3. Shares

(1) Wherever Stock Exchange quotations are available, the shares should be valued accordingly.

(2) In the case of shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the Stock Exchanges the same should be taken at Book Value (without considering revaluation reserves, if any) which is to be ascertained from the latest available balance sheet. In case latest balance sheet is not available, the shares are to be taken at Rs.1 per company.

(3) In the case of public sector companies, shares of PSUs should be valued at the break-up value as per the balance sheet as at 31 March 1995. In case the 31 March 1995 balance sheet is not available, the break-up value as per 31 March 1994 balance sheet should be worked out and it should be reduced or discounted by 20%. If 31 March 1994 balance sheet is also not available, the shares of the concerned PSUs should be valued at Re.1 per company as indicated in paragraph 5 of RBI circular DBOD.No.BP.BC.25/21.04.048/96 dated 19 March 1996.

4. Debentures

(1) Wherever Stock Exchange quotations are available, the debentures should be valued accordingly.

(2) Wherever current quotations are not available or where the debentures are not quoted on the Stock Exchanges the same should be valued as follows :

(a) At carrying cost, if interest is serviced regularly and is current.

(b) Where interest is not serviced regularly and as such, is in arrears, the same should be valued applying the NPA norms for "Classified Advances".

5. Mutual Fund Units

Investment in Mutual Fund Units is to be valued based on latest NAV declared by the Mutual Fund in respect of each particular scheme. However, if market rates are available as per Stock Exchange quotations, market rates should be adopted.

6. Investments in subsidiaries and sponsored institutions

Security is to be valued at carrying cost on a consistent basis.

7. Treasury Bills (All maturities)

Valuation may be based at carrying cost.

8. Commercial Paper

Commercial Paper to be valued at carrying cost.

9. **General Issues**

(1) Rounding off (e.g. to nearest 000s)	May be done at Banks' discretion on a consistent basis.
(2) Investment Categories.	For the purpose of balance sheet, investments are to be classified into the following categories : (a) Government Securities (inclusive of T Bills. Zero coupon bonds) (b) Other approved securities. (c) Shares. (d) Debentures and bonds. (e) Subsidiaries and Joint Ventures (sponsored institutions) (f) Others (CP, Mutual Fund Units, etc.)
(3) Aggregation	Securities under each category shall be valued scrip-wise as indicated above and depreciation/ appreciation shall be aggregated category wise. Net depreciation, if any, shall be provided for as indicated in paragraph 4 of RBI circular DBOD.No.BP.BC.25/21.04.048/96 dated 19 March 1996. Net appreciation, if any, should be ignored. Net depreciation required to be provided in any one category should not be reduced on account of net appreciation in any other category.
10. Recapitalisation Bonds	As indicated in paragraph 5 of RBI circular BP.BC.37/21.04.048/95 dated 3 April 1995, the recapitalisation bonds will not form part of "permanent" or "current" investments. It will not be necessary to provide for depreciation on the recapitalisation bonds received by the nationalised banks from Government. In case, however, banks acquire recapitalisation bonds of other banks for investment purposes, the depreciation, if any, will have to be provided for.

बैपविवि.सं.बीपी.बीसी.44/21.04.48/96

6 अप्रैल 1996
17 चैत्र 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

बैंकों का निवेश संविभाग - स्थायी और चालू श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का वर्गीकरण

कृपया आप 20 जून 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.66/21.04.048/95 देखें जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए चालू निवेशों का अनुपात 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाये अर्थात् मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियों में स्थायी और चालू निवशों का अनुपात 60:40 होना चाहिए । जैसा कि 3 अप्रैल 1996 को हुई ऋण नीति बैठक में गवर्नर महोदय ने पहले ही उल्लेख किया है (3 अप्रैल 1996 के परिपत्र सं. सीपीसी.बीसी.155/07.01.279/95-96 का पैरा 20 (एच) देखें, बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे उत्तरोत्तर पूर्णता बाजार प्रवृत्ति के आधार पर सभी निवेशों के मूल्यांकन की अंतरराष्ट्रीय प्रथा की ओर बढ़े जो सरकारी प्रतिभूतियों में एक सक्रिय और स्वस्थ द्वितीयक बाजार के विकास में सहायता करेगी । तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान अनुमोदित प्रतिभूतियों के लिए स्थायी श्रेणी का अनुपात 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात् चालू वर्ष (1996-97) के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियों में स्थायी और चालू निवेशों का अनुपात 50:50 होना चाहिए । बैंक नये मूल्यांकन मानदण्डों में समायोजन के लिए प्रारम्भिक व्यवस्थाएं

DBOD No.BP.BC.44/21.04.048/96

April 6, 1996
Chaitra 17, 1918(S)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INVESTMENT PORTFOLIO OF BANKS - CLASSIFICATION OF INVESTMENTS UNDER "PERMANENT" AND "CURRENT" CATEGORY.

Please refer to our circular DBOD. No.BP.BC.66/21.04.048/95 dated 20 June 1995 wherein banks were advised that for the year ended March 1996, the ratio of "current" investments should be increased to 40 per cent i.e. for the year ended March 1996 the ratio of "permanent" and "current" investments in the approved securities should be 60:40. As already stated by the Governor in the credit policy meeting held on 3 April 1996 (vide paragraph 20(h) of circular No.CPC.BC.155/ 07.01.279/95-96 dated 3 April 1996) it will be necessary for banks to progressively move towards the international practice of valuing all investments on fully 'marked to market' basis which will facilitate the development of an active and healthy secondary market in Government securities. Accordingly, it has been, decided that during the financial year 1996-97, the ratio of the 'permanent' category should not exceed 50 per cent for approved

कर लें और जिन बैंकों का स्थायी श्रेणी का अनुपात कम है वे इस श्रेणी में अनुपात में वृध्दि न करें ।

भवदीय,

(आर. जे. फर्नांडिस)
उप महा प्रबंधक.

securities, i.e. for the current year (1996-97) the ratio of "permanent" and "current" investments in the approved securities should be 50:50. Banks should make early arrangements to adjust to the new valuation norms and those banks which have a lower proportion of permanent category should not increase the proportion in this category.

Yours faithfully,

(R. J. Fernandes)
Deputy General Manager

बैंपविवि. सं.आईबीएस.बीसी.54/23.61.001/96

18 अप्रैल 1996
29 चैत्र 1918 (शक)

भारत में विदेशी बैंकों के
मुख्य कार्यपालक

प्रिय महोदय,

एकल ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं के
समूह को ऋण संबंधी सीमाएं

कृपया आप 25 अक्तूबर 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.आइबीएस.524/23.61.001/94-95 देखें, जिसमें भारत में एकल ऋणकर्ता और ऋणकर्ताओं के समूह को विदेशी बैंकों के ऋणों की उच्चतम सीमाएं निर्धारित करने के लिए पूंजी निधियों के घटकों की परिभाषाएं दी गयी हैं ।

DBOD.No.IBS.BC.54/23.61.001/96.

April 18, 1996
Chaitra 29, 1918 (S)

The Chief Executives of
foreign banks in India.

Dear Sir,

LIMITS ON CREDIT EXPOSURES TO INDIVIDUAL / GROUP OF BORROWERS.

Please refer to our circular letter DBOD.No. IBS.524/23.61.001/94-95 dated 25th October 1994, which defines the components of "capital funds" for the purpose of determining the ceilings on the exposure of foreign banks to individual borrower and group of borrowers in India.

2. वर्तमान में, उपर्युक्त परिपत्र के अनूसार ऋण की उच्चतम सीमा के निर्धारण हेतु भारतीय कंपनियों को दिये गये विदेशी मुद्रा ऋणों की पिछले वर्ष की 31 मार्च को बकाया राशि को हिसाब में लिया जाता है । अब इसे संशोधित करने का निर्णय लिया गया है और भारतीय कंपनियों का दिये गये विदेशी मुद्रा ऋणों की मार्च के अंत में समाप्त पिछले वर्ष के प्रत्येक महीने के अंत में बकाया राशि के औसत को हिसाब में लिया जायेगा ।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके बैंक और इसकी पूर्णतया स्वाधिकृत सहायोगी कंपनी/कंपनियों द्वारा भारतीय कंपनियों को दिये गये विदेशी मुद्रा ऋणों को ही (हमारे 25 अक्तूबर 1994 के परिपत्र की मद (ख) के अनुसार (एकल ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं के समूह को उच्चतम सीमाएं निर्धारित करने के लिए पूंजी निधियों के एक घटक के रूप में शामिल किया जा सकता है ।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

2. Currently, in terms of the above circular the foreign currency loans granted to Indian companies outstanding as on 31st March of the previous year are to be taken into account for determining the exposure ceilings. It has now been decided to modify this to average of the outstanding foreign currency loans granted to Indian companies at the end of each month during the previous year ended March.

3. It is also clarified that only foreign currency loans granted by your bank and its wholly owned subsidiary/ies to Indian companies can be included as one of the components of "capital funds" for determining ceilings on the Individual/group of borrowers (vide item (b) of our letter dated 25th October 1994).

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager.

बैंपविवि.बीपी.बीसी.57/21.04.018/96

23 अप्रैल 1996
3 वैशाख 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

जोखिम आस्ति से पूंजी का अनुपात (सीआरएआर)-लेखा-टिप्पणी में सूचना देना

कृपया दिनांक 6 फरवरी 1992 का हमारा परिपत्र बैंपविवि सं.बीपी.बीसी.78/सी.686/91-92 देखें जिसके साथ वर्ष 1991-92 से तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखा तैयार करने के लिए संशोधित फार्मेट भेजे गये थे । हम सूचित करते हैं कि बैंकों को 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र के साथ संलग्न लेखा-टिप्पणी में पूँजी पर्याप्तता अनुपात विषयक अपना मूल्यांकन शामिल करना चाहिए ताकि लेखा-परीक्षक सीआरएआर को अधिप्रमाणित कर सकें ।

भवदीय,

(आर. जे. फर्नांडिस)
उप महा प्रबंधक

DBOD. No.BP.BC.57/21.04.018/96

April 23, 1996
Vaishakha 3, 1918 (S)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

CAPITAL TO RISK ASSET RATIO (CRAR) - DISCLOSURE IN THE NOTES ON ACCOUNTS

Please refer to our circular DBOD No.BP.BC.78/C686/91-92 dated 6 February 1992 forwarding therewith the revised formats for preparation of Balance Sheet and Profit and Loss account from the year 1991-92. We advise that banks should include their assessment of capital adequacy ratio in the 'Notes on Accounts' attached to the Balance sheet from the year ended 31 March 1996, so as to enable the auditors to authenticate the CRAR.

Yours faithfully,

(R.J. Fernandes)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.58/21.02.053/96

13 मई 1996
23 वैशाख 1918 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक

प्रिय महोदय,

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उपलब्ध छूट - आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 193 (III क) के प्रयोजन से

कृपया दिनांक 15 अप्रैल 1987 का हमारा परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.1050/सी.469(81-बी)-87 देखें जिसके द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था कि केन्द्र/ राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में बैंकों द्वारा किये गये निवेशों पर उपचित ब्याज की राशि पर स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 193 के परंतुक के खंड (III क) का लाभ 5 मार्च 1987 की भारत सरकार की अधिसूचना सं.7159 (एफ.सं.275/132/86 आइटी(बी) के अनुसार सरकारी क्षेत्र के केवल सात बैंकों अर्थात् (1) यूको बैंक, (2) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, (3) देना बैंक, (4) न्यू बैंक ऑफ इंडिया, (5) पंजाब एंड सिंध बैंक, (6) विजया बैंक और, (7) पंजाब नेशनल बैंक को उपलब्ध है ।

2. सरकारी क्षेत्र के शेष बैंकों को यह लाभ दिये जाने के संबंध में सरकार से संपर्क किया गया था । अब भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष कर केंन्द्रीय बोर्ड ने दिनांक 23 फरवरी 1996 के अपने पत्र एफसं275/46/95-आइटी(बी) द्वारा हमें सूचित किया है कि भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंकों एवं सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को 1 अप्रैल 1996 से केन्द्र एवं राज्य सरकारों की सभी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज पर

DBOD.No.BP.BC.58/21.02.053/96

May 13, 1996
Vaishakha 23, 1918 (S)

The Chairmen/Managing Directors of all public sector banks.

Dear Sir,

EXEMPTIONAVAILABLETO PUBLIC SECTOR BANKS - FROM THE PURVIEW OF SECTION 193 (IIIA) OF INCOME TAX ACT, 1961

Please refer to our circular DBOD. No.BP.1050/C.469(81-B) /87 dated 15 April 1987, advising banks that the benefits of clause (IIIA) of the proviso to Section 193 of the Income Tax Act, 1961 in respect of deduction of tax at source on the interest amount accruing on the investment made by banks in Central/ State Government securities, is available only to seven of the public sector banks viz. (1) UCO Bank, (2) United Bank of India, (3) Dena Bank, (4) New Bank of India (5) Punjab & Sind Bank, (6) Vijaya Bank and (7) Punjab National Bank in terms of Government of India notification No.7159 (F.No.275/132/86-IT(B) dated 5 March 1987.

2. The matter regarding extending this benefit to the remaining public sector banks was taken up with the Government. We have now been advised by Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes vide their communication F.No.275/46/95-IT(B) dated 23 February 1996 that the State Bank

स्रोत पर कर की कटौती से छूट प्रदान की जाये ।

भवदीय,

(ए. के. खोंड)
सहायक महा प्रबंधक

of India, its subsidiaries and all nationalised banks may be exempted from tax deducted at source on interest payable on all securities of Central and State Governments with effect from 1 April 1996.

Yours faithfully,

(A.K. Khound)
Assistant General Manager.

बैंपविवि.सं.बीसी.59/12.06.104/96

15 मई 1996
25 वैशाख 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन- "बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया"

हम सूचित करते हैं कि "बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया" का नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 18 अप्रैल 1996 से अर्थात् 15 अप्रैल 1996 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं. आइबीएस.1265/23.13.047/96 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है ।

भवदीय,

(डी. वी. झवेरी)
उप महा प्रबंधक

DBOD No.BC.59/12.06.104/95-96.

May 15, 1996
Vaishakha 25,1918 (S)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "BANK INTERNASIONAL INDONESIA"

We advise that the name of "Bank Internasional Indonesia" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 18th April, 1996 i.e. the date on which the relative Notification DBOD. No.IBS/1265/23.13.047/95-96 dated 15th April 1996 was published in the Gazette of India (Part III - Sec.4).

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.60/21.03.051/98

18 मई 1996
26 वैशाख 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

स्वचलित टेलर मशीनें

कृपया आप 16 अक्तूबर 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.128/21.03.061/95 देखे, जिसमें बैंको को सूचित किया गया है कि उन्हें शाखाओं और विस्तार काउंटरों को छोड़कर अन्य स्थानों पर केवल 'स्टेंड एलोन' स्वचालित टेलर मशीनें लगाने की अनुमति है । इस मामले की समीक्षा की गयी और यह निर्णय किया गया है कि इस प्रकार की गैर-शाखा/'स्टेंड एलोन' स्वचलित मशीनों पर निम्नलिखित कार्यात्मक सुविधाएं दी जा सकती हैं ।

(i) वैयक्तिक पहचान संख्या (पिन) परिवर्तन
(ii) चेक बुकों के लिए मांग
(iii) खाता विवरण
(iv) शेष राशि संबंधी पूछताछ
(v) अंतर खाता अंतरण उसी केन्द्र पर उसी ग्राहक के खातों तक ही प्रतिबंधित

2. हम 'स्टेंड एलोन' स्वचालित टेलर मशीनों और शाखा में स्वचालित टेलर मशीनों के बीच टेलीफोन कनेक्शन और भागीदारी भुगतान नेटवर्क प्रणाली (एनपीएनएस) के लिए भी सहमति देते हैं, परन्तु इस प्रकार की 'गैर-शाखा'/'स्टेंड एलोन' स्वचालित टेलर मशीन वाले केन्द्रों पर सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति की तैनाती नहीं की जानी चाहिए ।

भवदीय,

(आर. जे. फर्नांडिस)
उप महा प्रबंधक.

DBOD No. BP.BC.60/21.03.051/96.

May 16, 1996
Vaishakha 26, 1918 (S)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

AUTOMATED TELLER MACHINES (ATMs)

Please refer to our circular DBOD. No.BP.BC. 123/21.03.051/95 dated 16 October 1995 advising banks that they are permitted to install only "stand alone" ATMs at places other than branches and extension counters. The matter has been reviewed and it has been decided that the following functional facilities may be provided at such non-branch/"stand alone" ATMs:

(i) PIN changes
(ii) Requisition for cheque books
(iii) Statement of accounts
(iv) Balance enquiry and
(v) Inter account transfer - restricted to accounts of the same customer at same centre.

2. We also agree for telephone connections between the "stand-alone" ATMs with branch ATMs and Shared Payment Net-Work system (SPNS), However, no person other than security guard should be posted at such "non-branch"/"stand-alone" ATM centres.

Yours faithfully,

(R.J. Fernandes)
Deputy General Manager.

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.61/21.01023/96

21 मई 1996
31 वैशाख 1918 (शक)

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

विवेकाधीन शक्तियों से अधिक अग्रिमों की स्वीकृति

अनेक अवसरों पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के महत्व की ओर बैंकों के प्रबंधतंत्र का ध्यान आकर्षित किया है कि विभिन्न अधिकारी अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग उचित सावधानीपूर्वक करें । इस संबंध में आपका ध्यान दिनांक 8 अप्रैल 1983 एवं 15 मार्च 1991 के हमारे परिपत्र क्रमश: डीबीओडी.सं.एफओएल.बीसी.29/सी.249-83 और एफओएल.बीसी.96/सी.249-91 की ओर आकर्षित किया जाता है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, हमने बैंकों को सूचित किया है कि वे विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को कड़े अनुदेश जारी करें कि वे स्वीकृत सीमाओं/अपनी विवेकाधीन शक्तियों से अधिक के अग्रिमों को स्वीकृत करने की अस्वस्थ परंपरा से बचें । बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे उन मामलों मे कतिपय प्रक्रियाओं का पालन करें जिनमें अपवादात्मक मामलों में मौखिक अथवा टेलीफोन द्वारा स्वीकृति अथवा विवेकाधीन शक्तियों से अधिक की स्वीकृति अत्यावश्यक हो जाती है ।

2. विभिन्न वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक और बैंकों के शीर्ष प्रबंधतंत्र के बीच बातचीत के दौरान बताये जाने के बावजूद हम यह बताने को बाध्य हैं कि विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग में परिकल्पित अनुशासन को बैंकों के प्रबंधतंत्र तथा उनके

DBOD.No.BP.BC.61/21.01.023/96

May 21, 1996
Vaishakha 31, 1918 (S)

**The Chairmen and Managing Directors/
Chief Executive Officers,
All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)**

Dear Sir,

SANCTION OF ADVANCES IN EXCESS OF DISCRETIONARY POWERS.

The Reserve Bank has on several occasions drawn the attention of bank managements to the importance of ensuring that various functionaries exercise the discretionary powers vested in them with due diligence. In this connection your attention is drawn to our circulars DBOD.No.Fol.BC.29/C.249-83 dated 8 April 1983 and Fol.BC.96/C. 249-91 dated 15 March 1991 wherein we have, inter alia, advised banks to issue strict instructions to the officials at various levels to desist from the unhealthy practice of grant of advances beyond sanctioned limits/ discretionary powers vested in them. Banks were also advised to follow certain procedures where oral or telephonic sanction or sanction beyond discretionary powers in exceptional cases become absolutely necessary.

2. Despite pointing out in various Annual Financial Inspection Reports and also during discussions between the RBI and the Top Management of banks, we are constrained to point out that the discipline envisaged in

अधिकारियों ने आत्मसात नहीं किया है । रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार को खेद है कि अग्रिम स्वीकृत करने की शक्तियों के पूर्ण दुरुपयोग की काफी घटनाएँ शाखा और क्षेत्रीय/आंचलिक स्तरों पर हो रही हैं और यहाँ तक कि बैंकों के शीर्ष प्रबंधतंत्र भी इस संबंध में अनुशासन का उल्लंघन करते हुए पाये गये हैं ।

exercise of discretionary powers has not been imbibed by the bank managements and its functionaries. The Reserve Bank and the Government of India are distressed that instances of gross misuse of sanctioning powers abound at branch and Regional/ Zonal levels and even the Top Managements of banks have been found to violate the discipline in this regard.

3. बिल्कुल उपयुक्त रूप से, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में इस संबंध में एक मामले में कड़ी निंदा की है । माननीय न्यायालय ने कहा है कि किसी बैंक अथवा डस संबंध में, किसी भी संस्था के प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को चाहिए कि वह अपने प्राधिकार की सीमा में काम करे । पुनश्च, माननीय न्यायालय ने कहा है कि बैंक के प्रत्येक अधिकारी को अपना लघु साम्राज्य बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसमें वह अनुग्रह एवं उदारदान वितरित करे और यह कि कोई बैंक ठीक से एवं दक्षतापूर्वक काम नहीं कर सकता यदि उसके अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित मानदंडों एवं अनुशासन का पालन नहीं करते .....। अपने प्राधिकार से बाहर काम करना अपने आप में अनुशासन का उल्लंघन और विनियम का उल्लंघन है ।

3. Quite pertinently, the Hon'ble Supreme Court has recently passed severe strictures in a case in this connection. The Hon'ble Court has observed that in the case of "a bank, or for that matter, any organisation every officer/employee is supposed to act within the limits of his authority". Further, the Hon'ble Court observed that each officer of the bank "cannot be allowed to carve out his own little empire wherein he dispenses favours and largesse" and that a bank cannot function properly and effectively "if its officers and employees do not observe the prescribed norms and discipline .... Acting beyond one's authority is by itself a breach of discipline and breach of Regulation."

4. अतः आप इस बात से सहमत होंगे कि आपके लिए यह आवश्यक है कि आप इस मामले को गंभीरता से लें तथा सभी स्तरों के कर्मचारियों को नियमों और विनियमों के ढाँचे के अंतर्गत काम करने के महत्व को बतायें तथा यह कि यदि उन्होंने अपनी विवेकाधीन शक्तियों अथवा इससे संबंधित प्रकियाओं का उल्लंघन किया तो उसके विरुध्द गंभीर रुख अपनाया जाएगा और आवश्यक होने पर दंडात्मक कारवाई की जाएगी । इससे संबंधित बातों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और बैंकों/उनके बोर्डों को चाहिए कि वे गलती करने वाले अधिकारियों के विरुध्द उपयुक्त अनुशासनिक कारवाई करें । अतः प्रबंधतंत्र को अवश्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले अनुशासनपूर्ण प्रबंध संस्कृति के

4. You will, therefore, appreciate that it is imperative on your part to take serious view on this issue and to convey to functionaries at all levels the importance of working within the framework of rules and regulations and that any deviation from the discretionary powers vested in them and the procedures laid down in this regard, will attract adverse attention and, if need be, punitive action. Non-compliance in this regard should be viewed seriously and banks/their Boards should take appropriate disciplinary action against the erring officials. Managements must, therefore, endeavour to ensure that

भीतर काम करें । बोर्ड की लेखा-परीक्षा समिति को भी विभिन्न कर्मचारियों द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के उल्लंघन के संबंध में आवधिक सूचना दी जानी चाहिए ।

5. आप कृपया इस पत्र को सूचनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करें ।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक.

field functionaries work within a disciplined management culture. The Audit Committee of the Board should also periodically be provided with the information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers.

5. You are requested to place this letter before the Board of Directors for their information.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager.

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.65/21.04.048/96

4 जून 1996
14 ज्येष्ठ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान

कृपया आप 19 मार्च 1996 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.25/21.04.048/96 का पैराग्राफ 1 देखें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया है कि संघीय अग्रिमों के संबंध में यदि कोई बैंक अग्रिम को निष्क्रिय आस्ति के रूप में मानता है तो अग्रणी सहित सभी अन्य सदस्य बैंको को चाहिए कि वे दिये गये अग्रिमों को निष्क्रिय आस्तियों के रूप में मानें । उपर्युक्त अनुदेशों

DBOD.No.BP.BC.65/21.04.048/96.

June 4, 1996
Jyestha 14, 1918 (S)

All Commercial Banks;
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

INCOME RECOGNITION, ASSET CLASSIFICATION AND PROVISIONING

Please refer to paragraph 1 of our circular DBOD.No.BP.BC.25/21.04.048/96 dated 19 March 1996 wherein banks have been advised that in respect of consortium advances, if any, bank considers an advance as NPA then all the other member banks including the leader should treat the ad-

का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से हम यह सूचित करते हैं कि यदि कोई सहभागी बैंक अग्रिम को निष्क्रिय आस्ति के रूप में माने तो उस संबंधित बैंक को संघ के अग्रणी को तत्काल सूचना देनी चाहिए, जो खाते के वर्गीकरण के लिए अन्य सदस्यों को सूचित करेगा ।

भवदीय,

(सी. आर. मुरलीधरन)
उप महा प्रबंधक.

vances granted by them as NPAs. With a view to ensuring the implementation of the above instructions, we advise that if any participating bank considers its advance as NPA, the bank concerned should immediately inform the leader of the consortium which in turn should advise the other members about the classification of the account.

Yours faithfully,

(C. R. Muralidharan)
Deputy General Manager

बैपविवि.सं.बीपी.बीसी.68/21.04.018/96

5 जून 1996
15 ज्येष्ठ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

लेखाकरण मानक 11 (संशोधित)

कुछ बैंकों ने निम्नलिखित के लिए लेखाकरण मानक 11 (संशोधित) के लागू होने के संबंध में हमारी राय मांगी है (i) भारत में किये गये विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं और आय की मदों के मूल्यन और विदेशी मुद्रा लाभ/हानि को लिखना और (ii) भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की आस्तियों और देयताओं को बदलने (Translation) का प्रयोजन ।

DBOD.BP.BC.68/21.04.018/96

June 5, 1996
Jyestha 15, 1918 (S)

All Commercial Banks,
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

ACCOUNTING STANDARD 11 (REVISED).

Some of the banks have sought our advice regarding the applicability of AS 11 (Revised) for (i) revaluing foreign currency assets and liabilities and revenue items and booking of foreign exchange profit/loss for foreign exchange transactions done in India and (ii) for the purpose of translation of assets and liabilities of foreign branches of Indian banks.

2. हमने मामले की जांच की है और यह कहना चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के प्रभाव के लिए लेखाकरण संबंधी संशोधित लेखाकरण मानक 11 पहली अप्रैल 1995 और उसके बाद की लेखा अवधियों के लिए लागू है । संशोधित लेखाकरण मानक 11 की जांच करने पर हमने पाया है कि ये मानक भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के दिशा-निर्देशों अथवा बैंकों द्वारा अपनायी जानेवाली विवेकपूर्ण प्रथाओं के अनुसार नहीं है, इसलिए हमने मामले को भारतीय सनदी लेखाकार इंस्टीट्यूट (ICAI) के साथ उठाया है । इस बीच बैंक 1995-96 के लिए लेखों को अंतिम रूप देने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश अपना सकते हैं ।

(i) भारत में सभी विदेशी मुद्रा लनदेनों का मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार होना चाहिए । यह उन सभी वाणिज्य बैंकों पर लागू होगा जो विदेशी मुद्रा का व्यापार करने के लिए प्राधिकृत हैं ।

(ii) विदेश में शाखाओं वाले भारतीय बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे वित्तीय विवरणों में शामिल करने के लिए अपनी विदेश स्थित शाखाओं के वित्तीय विवरणों को परिवर्तित (Translate) करेंगे । ये बैंक निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायें।

(क) विदेश की सभी आस्तियां और देयतायें, मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों, बंद दरों पर बदली जायें ।

(ख) विदेशी शाखाओं की आय और व्यय की मदें भी बंद दरों पर बदली जानी चाहिए ।

(ग) समेकन पर परिणामी विदेशी मुद्रा लाभों को लाभ और हानि खाते में नही लिया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें अनुसूची 5 "अन्य देयतायें" के अंतर्गत देयताओं की ओर अलग खाते में रखा जाना चाहिए । परन्तु

2. We have examined the matter and we observe that the revised Accounting Standard 11 on accounting for effects of changes in foreign exchange rates has come into effect for accounting periods commencing on or after April 1 1995. On examining the Revised AS 11 we find that the standards are not in accordance with FEDAI guidelines or prudential practices to be followed by the banks. We have accordingly taken up the matter with the Institute of Chartered Accountants of India. Meanwhile the banks may adopt the following guidelines for finalising the accounts for 1995-96.

i) All foreign exchange transactions in India should be valued as per guidelines issued by the Foreign Exchange Dealers Association of India. This will apply to all commercial banks who are authorised to deal in foreign exchange.

ii) Indian banks having foreign branches are required to translate the financial statements of their branches abroad for incorporation in the financial statements. These banks should adopt the following procedures:

(a) all assets and liabilities, both monetary and non-monetary of the foreign entity should be translated at the closing rate.

(b) income and expense items of the foreign branches should also be translated at the closing rate.

(c) resulting exchange profits on consolidation should not be taken to Profit and Loss Account but kept in a separate account on the liabilities side under Schedule 5 "Other liabilities". How-

समेकन पर यदि कोई विदेशी मुद्रा हानि हो तो उसे लाभ और हानि खाते में नामे लिखा जाना चाहिए ।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक.

ever, any exchange loss on consolidation should be debited to the Profit and Loss Account.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि.बी.सी.81/12.06.105/94

24 जून, 1996
3 आषाढ़, 1948 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक.

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "चो हंग बैंक"

हम सूचित करते हैं कि "चो हंग बैंक" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 3 जून 1996 से अर्थात् 23 मई 1996 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.आइबीएस.1473/23.13.072/95-96 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है ।

भवदीय,

(सी. वी. अमलनेरकर)
महा प्रबंधक

DBOD.BC.81/12.06.105/95-96.

June 24, 1996.
Aashadha 3, 1918 (S)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT. 1934 - "CHO HUNG BANK"

We advise that the name of "Cho Hung Bank" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 3rd June, 1996 i.e. the date on which the relative Notification DBOD.No.IBS/1473/23.13.072/95-96 dated 23rd May 1996 was published in the Gazette of India (Part III - Sec.4).

Yours faithfully,

(C.V. Amalnerkar)
General Manager

बैंपविवि.सं.डीआइआर.बीसी.84/13.07.05/96

26 जून 1996
5 आषाढ़ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

समूह प्रतिष्ठानों का ऋण सुविधाएं मंजूर करना.

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर हमारा 28 फरवरी 1986 का परिपत्र डीबीओडी.सं.एसआइसी.बीसी.20/सी.739(ए-1)/86 देखें। उसके पैराग्राफ 2(i) में यह निर्धारित है कि किसी समूह विशेष के किसी यूनिट/यूनिटों को कोई ऋण/साख सुविधा, नयी या अतिरिक्त, देने से पहले बैंक मुख्य कंपनी को वित्त प्रदान करनेवाले अग्रणी बैंक से ऋण संबंधी रिपोर्ट/सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें । इस शर्त के अनुपालन में कतिपय व्यावहारिक समस्याएं हमारे ध्यान में लायी गयी हैं । इस संदर्भ में यह पाया गया है कि व्यावसायिक समूह पृथक स्वतंत्र कंपनियों के भी हो सकते हैं और कंपनियों में से किसी एक को समूह की मुख्य कंपनी के रूप में पहचानना कठिन हो सकता है । इसके इतिरिक्त, यदि किसी कंपनी को उस समूह की मुख्य कंपनी मान भी लिया जाये, तो भी हो सकता है कि मुख्य कंपनी के अग्रणी बैंक को आवेदन करनेवाली कंपनी के स्तर (हैसियत) की जानकारी न हो, जिससे वह उसके बैंकरों को सहमति दे सके । यह भी हो सकता है कि मुख्य कंपनी ने बैंकों से उधार लेने की व्यवस्था रखी ही न हो । इन कारणों से हम यह सूचित करते हैं कि बैंक किसी समूह की कंपनियों को ऋण/साख सुविधाएं देने से पहले उनके खातों के संचालन के संबंध में विभिन्न बैंकों से पूछताछ कर लें और स्वयं संतुष्ट हो लें । उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे किसी समूह की दूसरी

DBOD.No.Dir.BC. 84/13.07.05/96

June 26, 1996.
Aashadha 05, 1918(S)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

SANCTIONING OF CREDIT FACILITIES TO GROUP CONCERNS.

Please refer to our circular DBOD.No. SIC.BC.20/C.739(A-1)/86 dated February 28, 1986 on the above subject. In paragraph 2(i) therein, it has been stipulated that before extending any credit facility, whether fresh or additional, to any of the unit/s belonging to a particular group, banks should invariably obtain credit report/consent of the lead bank financing the main company. Certain practical problems have been brought to our notice in complying with this stipulation. In this context, it is observed that a business group may comprise of separate independent companies and it may be difficult to identify one of the companies as the "main company" of the group. Besides, even if one of the companies could be considered as the "main company" of the group, lead bank of the "main company" may not be aware of the status of the applicant company to give consent to its bankers. It may also happen that the "main company" may not have any borrowing arrangements with banks. In view of these reasons, we advise that banks should

कंपनियों को ऋण/साख सुविधाएं देने से पहले मुख्य बैंक को वित्त प्रदान करनेवाले अग्रणी बैंक की सहमति प्राप्त करें ।

2. ऊपर उल्लिखित 28 फरवरी 1986 के परिपत्र के अन्य सभी अनुदेश लागू रहेंगे ।

भवदीय,

(वी. रंगराजन)
मुख्य महा प्रबंधक

make enquiries and satisfy themselves about the conduct of the accounts of the companies in a group with different banks before extending credit facilities. They need not necessarily obtain consent of the lead bank financing the "main company" of the group before extending credit facilities to other companies in a group.

2. All other instructions contained in the circular dated February 28, 1986 mentioned above will continue to be in force.

Yours faithfully,

(V. Rangarajan)
Chief General Manager

बैंपविवि.सं.बीसी.97/12.06.106/96

28 जून 1996
7 आषाढ़ 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना - "अरब बांगलादेश बैंक लि."

हम सूचित करते हैं कि "अरब बांगलादेश बैंक लिमिटेड" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 30 मई 1996 से अर्थात् 23 मई 1996 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं. आइबीएस.1471/23.13.048/95-96 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख

DBOD.No.BC.97/12.06.106/95-96

June 28, 1996
Aashadha 7, 1918 (S)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "ARAB BANGLADESH BANK LIMITED".

We advise that the name of "Arab Bangladesh Bank Limited" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 30th May, 1996 i.e. the date on which the relative

से शामिल कर लिया गया है ।

भवदीय,

(डी. वी. झवेरी)
उप महा प्रबंधक

Notification DBOD. No.IBS/1471/23.13.048/96 dated 23rd May 1996 was published in the Gazette of India (Part III - Sec.4).

Yours faithfully,

(D.V. Jhaveri)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं.एमसी.2/19.06.01/96-97

15 जुलाई 1996
24 आषाढ़ 1918 (शक)

DBOD. No.MC 2/19.06.01/96-97

July 15, 1996.
Ashadha 24, 1918 (S)

निजी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष

प्रिय महोदय,

अप्रैल 1996 - मार्च 1998 की अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए कार्य योजना.

कृपया दिनांक 28 जुलाई 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एमसी.14/19.06.001/94-95 देखें जो कि कार्य योजना संबंधी काम जारी रखने एवं योजना अवधि अप्रैल 1994 से मार्च 1996 तक बढ़ाने के संबंध में था । जैसा कि आप जानते हैं, हमारे उपर्युक्त परिपत्र के साथ भेजे गये फार्मेट में बैंक कार्य योजना की प्रगति संबंधी अपनी छमाही रिपोर्ट हमें भेजते रहे हैं । हम बैंकों के अध्यक्षों/मुख्य कार्यपालकों के साथ आवधिक चर्चाएँ भी करते रहे हैं जिसमें पूँजी पर्याप्तात, वित्तीय स्थिति, निष्क्रिय आस्तियों में कमी, लाभप्रदता तथा बैंकों के वित्तीय निरीक्षणों के दौरान मालूम हुए बैंकों के परिचालनों से संबंधित अन्य मुख्य पहलुओं तथा कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की जाती रही है ।

Sec. X (e)

The Chairmen of Private Sector Banks

Dear Sir,

ACTION PLAN FOR PRIVATE SECTOR BANKS FOR THE PERIOD APRIL 1996 - MARCH 1998

Please refer to our circular letter DBOD. No.MC 14/19.06.001/94-95 dated 28th July 1994 regarding continuation of the Action Plan exercise and extending the Plan period from April 1994 to March 1996. As you are aware, banks have been submitting to us their half yearly Action Plan Progress reports in the format circulated with our above circular letter. We have also been holding periodical discussions with the Chairmen / Chief Executives of banks reviewing the capital adequacy, financial position, reductions in non-performing assets, profitability and other major aspects relating to the operations of the banks as revealed in their firnancial inspections as also the progress made in the implementation of Action Plans.

2. चर्चाओं तथा प्रमुख क्षेत्रों में बैंको के कार्यकलापों के समीक्षातंत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय किया गया है कि कार्य योजना की पद्धति जारी रखी जाये । अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे मोटे तौर पर वर्तमान पध्दति के अनुसार अप्रैल 1996 से मार्च 1998 तक की अवधि के लिए उपयुक्त कार्ययोजना बनायें जिसमें पूंजी आधार सुदृढ़ करने, बेहतर ऋण प्रबंधन, बकाया की वसूली, उपयुक्त लक्ष्यों के साथ निष्क्रिय अग्रिमों में कमी, प्रति कर्मचारी कार्य के अनुसार बढ़ी हुई उत्पादकता, समग्र लाभप्रदता में सुधार के लिए आय में वृध्दि एवं व्यय पर नियंत्रण के लिए रणनीति तथा कंप्यूटरीकरण के लिए किये गये उपायों का उल्लेख किया जाये ।

3. बैंक के अनुभव तथा 1996-98 की अवधि के दौरान आपके बैंक के समक्ष संभावित रूप से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान मे रखते हुए आप योजना बना सकते हैं । उन बैंकों के मामले में, जिनका पूँजी आधार निम्नस्तर का है, बैंक के पूँजी आधार को भी पर्याप्त रूप से बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए । अगस्त 1996 के अंत तक योजना संबंधी दस्तावेज हमारे उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजे जाने चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में आपके बैंक का प्रधान कार्यालय कार्य कर रहा है । उसकी एक प्रति हमें भी भेजी जानी चाहिए ।

भवदीय,

(एल. डिसूज़ा)
महा प्रबंधक

2. Considering the importance of the discussions and the review machinery in vital areas of the banks' functioning, it has been decided to continue with the action plan exercise. The banks are therefore advised to draw suitable action plans for the period from April 1996 to March 1998 broadly on the existing lines spelling out the strategy of the bank for strengthening the capital base, better credit administration, recovery of overdues, reduction of non-performing advances with suitable targets, increased productivity in terms of business per employee, increase in income and control over expenditure for improvement in overall profitability and steps taken towards computerisation.

3. You may like to draw up the plan in the light of the experience gained by the bank as also the problems that your bank is likely to encounter during the period 1996-98. In regard to banks which are having low capital base, the thrust should also be to increase the capital base of the bank substantially. The plan document should be sent by the end of August 1996 to our Regional Office under whose jurisdiction your bank's Head Office is functioning. A copy of the same should also be sent to us.

Yours faithfully,

(L. D'Souza)
General Manager.

बैंपविवि.बीसी.सं.111/12.06.108/96

12 अगस्त 1996
21 श्रावण 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "दि फ्यूज़ी बैंक लिमिटेड"

हम सूचित करते हैं कि "दि फ्यूज़ी बैंक लिमिटेड" का नाम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 20 जुलाई 1996 से अर्थात् 26 जून 1996 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं.आइबीएस.1674/23.13.078/96 के भारत के राजपत्र (भाग-III–खंड-4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है ।

भवदीय,

(डी. वी. झवेरी)
उप महा प्रबंधक.

DBOD No.BC.111/12.06.108/96

August 12, 1996
Shravana 21, 1918 (S)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - "THE FUJI BANK LIMITED"

We advise that the name of "The Fuji Bank Limited" has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 20th July, 1996 i.e. date on which the relative Notification DBOD.No.IBS/1674/23.13.078/95-96 dated 26th June 1996 was published in the Gazette of India (Part III - Sec.4).

Yours faithfully,

(D. V. Jhaveri)
Deputy General Manager.

बैंपविवि.एमसी.15/19.06.01/96-97

4 सितम्बर 1996
13 भाद्र 1918 (शक)

निजी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष

प्रिय महोदय,

अप्रैल 1996 से मार्च 1998 तक की अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए कार्य योजना.

कृपया दिनांक 15 जुलाई 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.एमसी.2/19.06.01/96-97 देखें जो कि कार्य योजना प्रथा जारी रखने और योजना अवधि अप्रैल 1996 से बढ़ा कर मार्च 1998 तक करने के संबंध में था । इस संबंध में, आप कृपया कार्य योजना प्रगति रिपोर्ट के फार्मेट में, जो कि दिनांक 28 जुलाई 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.एमसी.14/19.06.01/94-95 के साथ आपको भेजा गया था, निम्नलिखित परिवर्तन कर लें :

(i) कूट सं. निकाल दें :-
373259 सी (जोखिम आस्तियाँ से पूँजी का अनुपात)

(ii) फार्मेट के अंत में अर्थात् कूट सं. 3942 के बाद अनुबंध में दिये कूट जोड़ें.

2. आप कृपया यह भी नोट करें कि सितम्बर 1996 में समाप्त छमाही और उसके आगे के लिए छमाही प्रगति रिपोर्ट में ऊपर बताए गये अतिरिक्त आँकड़े प्रस्तुत किये जाएँ ।

भवदीय,

(व. म. भगत)
उप महा प्रबंधक.

DBOD.No.MC 15/19.06.01/96-97

September 4, 1996
Bhadra 13, 1918 (S)

The Chairmen of Private Sector Banks

Dear Sir,

ACTION PLAN FOR PRIVATE SECTOR BANKS FOR THE PERIOD APRIL 1996 - MARCH 1998.

Please refer to our circular letter DBOD No. MC2/19.06.01/96/97 dated 15th July 1996 regarding continuation of the Action Plan exercise and extending the plan period from April 1996 to March 1998. In this connection, you may please carry out undernoted changes in the format of the Action Plan Progress Report forwarded to you vide our circular letter DBOD No.MC 14/19.06.01/94-95 dated 28th July 1994.

i) Strike off the code No :-
3732 59 c) Ratio of Capital to risk Assets.

ii) Append the codes given in Annexure at the end of the format i.e. after Code No. 3942.

2. You may also please note to furnish the additional data suggested above in the half-yearly progress report for the half-year ended September 1996 onwards.

Yours faithfully,

(V.M. Bhagat)
Deputy General Manager.

अनुबंध

394574 (सी) जोखिम आस्तियों से पूँजी का अनुपात

(क) **पूँजी निधियाँ**

स्तर I

3950	(i)	चुकता पूँजी
3955	(ii)	प्रारक्षित निधियाँ

स्तर II

3965	(i)	न बतायी गयी प्रारक्षित निधियाँ
3970	(ii)	प्रारक्षित निधियाँ

3980 कुल

(ख)	3985	जोखिम भारित आस्तियाँ
(ग)	3990	जोखिम भारित आस्तियों से पूँजी निधियों का अनुपात

ANNEXURE

3945 74 (C) Ratio of Capital to Risk Assets.

a) **Capital Funds**

Tier I

3950	i) Paid-up capital.
3955	ii) Reserves.

Tier II

3965	i) Undisclosed Reserves.
3970	ii) Reserves.

3980 Total

b) 3985	Risk weighted assets.
c) 3990	Capital Funds to risk weighted assets ratio.

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.121/21.03.038/96

23 सितम्बर 1996
1 आश्विन 1918 (शक)

मुख्य कार्यपालक,
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

समीक्षा कैलेंडर - निदेशक मंडल और प्रबंध समिति को प्रस्तुत किये जानेवाले मामले

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 01 नवम्बर 1993 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.190/21.03.038/93 देखें । बैंकों से प्राप्त अभिवेदनों/सुझावों के प्रकाश में और निदेशक मंडल की प्रबंध समिति के गठन एवं कार्यों में संशोधन तथा इस समिती को अधिकारों के प्रत्यायोजन की दृष्टि से हमारे ऊपर उल्लिखित परिपत्र के अनुदेशों की जांच हमने भारत सरकार से परामर्श करके की है और यह निर्णय किया गया है कि इस संबंध में कतिपय संशोधन किये जायें । तदनुसार, निदेशक मंडल और प्रबंध समिति को प्रस्तुत की जानेवाली समीक्षाओं का कैलेंडर संशोधित किया गया हैं और निदेशक मंडल एवं प्रबंध समिति को प्रस्तुत की जानेवाली समीक्षाएं क्रमशः अनुबंध I और II में दी गयी हैं ।

2. संशोधित अनुसूची तत्काल प्रभाव से लागू की जाये और विवरणों का कैलेंडर निदेशक मंडल को जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जाये । यदि किसी विशेष कारण से कैलेंडर के अनुसार कोई ज्ञापन निदेशक मंडल को उस महीने में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो जिस महीने में प्रस्तुत किया जाना है, तो विलम्ब के कारण बताते हुए

DBOD.No.BP.BC.121/21.03.038/96

September 23, 1996
Ashwina 1, 1918 (Saka)

The Chief Executives of
All Public Sector Banks

Dear Sir,

CALENDAR OF REVIEWS - MATTERS TO BE PLACED BEFORE THE BOARD OF DIRECTORS AND THE MANAGEMENT COMMITTEE.

Please refer to our circular DBOD.No. BP.BC.190/21.03.038/93 dated 1 November 1993 on the above subject. In the light of the representations/suggestions received from banks and also in view of the revision of composition and functions of the Management Committee of the Board and delegation of powers to this Committee, the instructions contained in our above circular were re-examined by us in consulation with Government of India and it has been decided that certain modifications be brought about in this regard. Accordingly, the calendar of reviews to be submitted to the Board and the Management Committee has been revised and the reviews which are to be placed before the Board of Directors and the Management Committee are given in Annexure I & II respectively.

2. The revised schedule may please be brought into force with immediate effect and calendar of returns put up to the Board for their information. If for any particular reason it is not possible to place the memorandum as per the calendar before the Board in the

एक नोट निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाये और यह भी बताया जाये कि निदेशक मंडल को समीक्षा कब प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ।

3. इन समीक्षाओं की एक-एक प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जानी चाहिए जिसके कार्यक्षेत्र में आपके बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है ।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक.

month it is due, a note should be put up to the Board giving reasons for the delay and when the review is proposed to be placed before the Board.

3. A copy each of these reviews should be sent to the Regional Office of DBOD under whose jurisdiction your bank's Head Office falls.

Yours faithfully,

(A Ghosh)
Chief General Manager.

अनुबंध - I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडलों को प्रस्तुत की जानेवाली समीक्षाएं

I. **मासिक**

1. निधि प्रबंधन - (जमाराशियों/अग्रिमों/ऋण-जमा अनुपात/प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात/सांविधिक चलनिधि अनुपात) की स्थिति

2. प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री

II. **तिमाही**

	प्रस्तुत करने का महीना			
1. जमाराशि जुटाने को अंचलवार समीक्षा (लक्ष्यों की तुलना में)	अप्रैल (1-3)	जुलाई (4-6)	अक्तूबर (7-9)	जनवरी (10-12)
2. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिमों की समीक्षा		- वही -		- वही -
3. निर्यात वित्त और विदेशी मुद्रा कारोबार की समीक्षा		- वही -		- वही -
4. लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तपोषण की समीक्षा		- वही -		- वही -
5. अंतर शाखा समाधान		- वही -		- वही -
6. लेखा परीक्षा/निरीक्षण विभाग का कार्यनिष्पादन		- वही -		- वही -
7. शाखा विस्तार/लंबित लाइसेंसों की समीक्षा		- वही -		- वही -
8. खराब स्थिति वाली शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टें - कमियों के निराकरण में हुई प्रगति		- वही -		- वही -

9.	सतर्कता विभाग के कार्य की समीक्षा- सतर्कता की गुणवत्ता के संदर्भ में, जिसमें निवारक सतर्कता, स्टाफ की जवाबदेही के संबंध में की गयी कार्रवाई शामिल हैं	मई (1-3)	अगस्त (4-6)	नवम्बर (7-9)	फरवरी (10-12)
10.	एक करोड़ रुपये और उससे अधिक के अवमानक, संदिग्ध और हानिवाली श्रेणियों के वर्गीकरण के साथ ऋण खातों की समीक्षा	जून (1-3)	सितम्बर (4-6)	दिसम्बर (7-9)	मार्च (10-12)
11.	कंपनी कार्यनिष्पादन और ऋण योजनाओं की समीक्षा		- वही -		- वही -
12.	निदेशक मंडल की टिप्पणियों का अनुपालन		- वही -		- वही -
13.	कृषि को ऋण देने में हुई प्रगति की समीक्षा		- वही -		- वही -
14.	आंतरिक व्यवस्था (अर्थात् बहियों का तुलन, समाशोधन अंतर, नोस्ट्रो/वोस्ट्रो खातों) की स्थिति		- वही -		- वही -

III. <u>छमाही</u>

1.	विदेश कार्यों की समीक्षा	अक्तूबर (4-9)	अप्रैल (10-3)
	i) विदेश स्थित शाखाओं के समस्याग्रस्त ऋण		

	ii) ऋणग्रस्त देशों को ऋण-जोखिम		
	iii) विदेश स्थित शाखाओं की आस्तियों और देयताओं संबंधी रिपोर्टों का विश्लेषण		
	iv) सर्वोच्च (25) बड़े समस्याग्रस्त खातों की स्थिति की रिपोर्ट		
2.	निवेश संविभाग	- वही -	- वही -
3.	प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य	- वही -	- वही -
4.	अनुषंगी कंपनियों का कार्य	- वही -	- वही -
5.	हामीदारी और निधि पर आधारित न रहने वाला कारोबार	- वही -	- वही -
6.	धोखाधड़ी, डकैती आदि से संबंधित रिपोर्ट	- वही -	- वही -
7.	छमाही कार्य के परिणाम	नवम्बर (4-9)	मई (10-3)
8.	बजट की तुलना में प्रचार व्यय की समीक्षा	- वही -	- वही -
9.	हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा	जून (10-3)	दिसम्बर (4-9)
10.	मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षण और औद्योगिक संबंधों की समीक्षा	जून (10-3)	दिसम्बर (4-9)
11.	निष्पादन देयताओं और प्रतिबद्धताओं (एमओयू) की समीक्षा	-वही-	-वही-

12.	ऋण सहायता के विशेष कार्यक्रमों, जैसे – आइआरडीपी डीआरआइ एसयूएमई/ एसइइयूवाइ पीएमआरवाइ आदि की समीक्षा	जुलाई (10-3)	जनवरी (4-9)
13.	पूंजीगत बजट की तुलना में पूंजीगत व्यय की समीक्षा	- वही -	- वही -
14.	जमा/अग्रिमों के वितरण - ऋण-जमा अनुपात की समीक्षा	अगस्त (10-3)	फरवरी (4-9)
15.	ग्राहक सेवा और शिकायत निराकरण	मई (10-3)	नवम्बर (4-9)
16.	सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा	- वही -	- वही -
17.	ऋण सीमाओं के अनुपालन की समीक्षा	अप्रैल (7-12)	अक्तूबर (1-6)
18.	बैंक को देय राशियों की वसूली	अप्रैल (10-3)	अक्तूबर (4-9)
19.	अग्रणी ज़िलों के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा	सितम्बर (10-3)	मार्च (4-9)
20.	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान करना तथा अन्य संबंधित मामलों पर व्यापक नोट-पूंजी पर्याप्तता मानदंड प्राप्त करना और उन्हें बनाये रखना	नवम्बर (4-9)	

21. रुग्ण इकाइयों को वित्तपोषण की समीक्षा	अप्रैल (10-3)	अक्तूबर (4-9)
i) एकमुश्त उपाय, जो स्वीकृत हैं किन्तु कार्यान्वित नहीं		
ii) राहत उपाय, जो बैंक के कार्यपालकों द्वारा अनुमोदित हैं		

IV. **वार्षिक**

	प्रस्तुत करने का महीना
1. कंपनी योजना, जिसके साथ ऋण योजना एक घटक के रूप में हो	दिसम्बर (अगले वर्ष अप्रैल-मार्च)
2. बैंक का तुलनपत्र - (विभिन्न मानदंडों लाभप्रदता और की अन्य वैंकों कार्य-परिणाम से तुलना)	सितम्बर (अप्रैल-मार्च)
3. घाटा उठानेवाली शाखाओं का अंचलवार विश्लेषण	नवम्बर (अप्रैल-मार्च)
4. रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को वित्तपोषण - क्षेत्रवार	जून (अप्रैल-मार्च)
5. विस्तृत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा	अगस्त (अप्रैल-मार्च)
6. आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान करने तथा अन्य संबंधित, मामलों पर व्यापक नोट-पूंजी पर्याप्तता मानदंड प्राप्त करना और उन्हें बनाये रखना	मई (अप्रैल-मार्च)

7.	वर्ष के दौरान दी गयी दान राशियों की समीक्षा	अगस्त ——— (अप्रैल-मार्च)
8.	डीआइसीजीसी/इसीजीसी को प्रस्तुत किये गये दावे	जून ——— (अप्रैल-मार्च)
9.	कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा	अप्रैल ——— (अप्रैल-मार्च)
10.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों को रोजगार की स्थिति	अप्रैल ——— (अप्रैल-मार्च)

अनुबंध - II

प्रबंध समिति को प्रस्तुत की जानेवाली समीक्षाएं

I. **मासिक**

1. अध्यक्ष-एवं प्रबंध निदेशक द्वारा स्वीकृत ऋण प्रस्ताव

II. **तिमाही**

		प्रस्तुत करने का महीना			
1.	बट्टे खाते डाले गये अशोध्य ऋण - महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अप्रैल ——— (1-3)	जुलाई ——— (4-6)	अक्तूबर ——— (7-9)	जनवरी ——— (10-12)
2.	प्रबंध समिति द्वारा की गयी टिप्पणियों का अनुपालन	जून ——— (1-3)	सितंबर ——— (4-6)	दिसं. ——— (7-9)	मार्च ——— (10-12)
3.	सर्वोच्च 100 ऋण खातों की समीक्षा, निष्क्रिय आस्तियों की प्रत्येक श्रेणी में अर्थात् अवमानक/संदिग्ध/हानि वाली श्रेणियां (प्रत्येक तिमाही में 75)			- वही -	

III. **छमाही**

	प्रस्तुत करने का महीना	
1. क्रेडिट कार्ड कारोबार की समीक्षा	मई	नवम्बर
	(10-3)	(4-9)
2. ऋण अनुशासन का अनुपालन – छमाही प्रगति रिपोर्ट	मई	नवम्बर
	(10-3)	(4-9)

IV. **वार्षिक**

	प्रस्तुत करने का महीना
1. प्रचार बजट	फरवरी
	(अगले वर्ष अप्रैल-मार्च)
2. प्रबंध समिति के अधिकार के अंतर्गत आनेवाले अतिदेय ऋण प्रस्ताव	जून
	(अप्रैल-मार्च)

ANNEXURE I

Review to be put up to the Boards of Public Sector Banks

I. **Montly**

1. Funds Management - (Position of Deposits/Advances/C. D Ratio/Cash Reserve Ratio/ Statutory Liquidity Ratio)

2. Sales & Purchases of Securities

II. **Quarterly**

	To be placed in the month of			
1. Review of deposit mobilisation zone-wise (vis-a-vis targets)	April (1-3)	July (4-6)	Oct. (7-9)	Jan. 10-12)
2. Review of Priority Sector Advances		-do-		-do-
3. Review of Export Finance and foreign exchagne business		-do-		-do-
4. Review of Financing of SSI Sector		-do-		-do-
5. Inter branch reconciliation		-do-		-do-
6. Performance of Audit/ Inspection Dept.		-do-		-do-
7. Review of Branch Expansion/ pending licences		-do-		-do-
8. Inspecton Reports of poorly rated branches - Progress in rectification of deficiencies		-do-		-do-

9.	Review of working of the vigilance department wth reference to quality of vigilance including preventive vigilance, action taken on staff accountability	May --- (1-3)	August --- (4-6)	Nov. --- (7-9)	Feb. --- (10-12)
10.	Review of borrowal accounts with classification of Sub-standard, Doubtful and loss categories of Rs. 1 crore and above	June --- (1-3)	Sept. --- (4-6)	Dec. --- (7-9)	March --- (10-12)
11.	Reviews of Corporate performance and Credit Plans	June --- (1-3)	Sept. --- (4-6)	Dec. --- (7-9)	March --- (10-12)
12.	Compliance on the observations of the Board		-do-		-do-
13.	Reviews of the Progress made in lending to Agriculture		-do-		-do-
14.	Position of House-keeping (i.e. balancing of books, clearing differences, Nostro/Vostro accounts)		-do-		-do-

III.**Half-Yearly**

1.	Review of Overseas Operations	October --- (4-9)	April --- (10-3)
	i) Problem credits at overseas branches		

	ii) Exposure to debt ridden countries		
	iii) Analysis of Report on Assets and Liabilities at Overseas Offices (RALOO) statements		
	iv) Status reports of top (25) large problem accounts		
2.	Investment Portfolio	October (4-9)	April (10-3)
3.	Working of the RRBs sponsored	-do-	-do-
4.	Working of subsidiaries	-do-	-do-
5.	Underwriting and non-fund based business	-do-	-do-
6.	Report on frauds, decoity, etc.	-do-	-do-
7.	Half yearly working results	November (4-9)	May (10-3)
8.	Review of publicity expenses vis-a-vis budget	-do-	-do-
9.	Review of use of Hindi	June (10-3)	December (4-9)
10.	Review of Human Resources, Management Training & Industrial Relations	-do-	-do-
11.	Review of performance obligations and commitments (MOU)	-do-	-do-

12.	Review of special programmes of credit assistance like IRDP DRI SUME/ SEEUY PMRY etc.	July --- (10-3)	January --- (4-9)
13.	Review of capital expenditure vis-a-vis capital budget	-do-	-do-
14.	Review of distribution of Deposit/Advances - Credit -Deposit Ratio	August --- (10-3)	February --- (4-9)
15.	Review of Customer Service and Grievances Redressal Cell	May --- (10-3)	November --- (4-9)
16.	Review of Security arrangement	-do-	-do-
17.	Review of Compliance on exposure limits	April --- (7-12)	October --- (1-6)
18.	Recovery of bank dues	April --- (10-3)	October --- (4-9)
19.	Review of performance under Lead Districts	September --- (10-3)	March --- (4-9)
20.	Comprehensive note on income recognition, asset classification, provisioning and other related matters - Attainment and maintenance of capital adequacy norms	November --- (4-9)	

21.	Review of Financing sick units	April --- (10-3)	October --- (4-9)
	i) Packages sanctioned but not implemented		
	ii) Relief Packages approved by executives of the bank		

IV. **Annual**		To be placed in the month of
1.	Corporate Plan with credit plan as a component	December --- (April-March next year)
2.	Bank's Balance Sheet Profitability and working results (Comparison of various parameters with other banks)	September --- (April-March)
3.	Zone-wise Analysis of loss making branches	November --- (April-March)
4.	Review of financing sick industrial units - sectorwise	June --- (April-March)
5.	Review of Long Form Audit Report	August --- (April-March)
6.	Comprehensive note on income recognition, asset classification, provisioning and other related matters-Attainment and maintenance of capital adequacy norms	May --- (April-March)

7.	Review of Donations made during the year	August --- (April-March)
8.	Claims lodged with DICGC/ECGC	June --- (April-March)
9.	Review of Progress in Computerisation Programme	April --- (April-March)
10.	Position of employment of SC/ST/OBC	April --- (April-March)

ANNEXURE II

Review to be put up before the Management Committee

I. **Monthly**

1. Credit proposals sanctioned by Chairman & Managing Director/Executive Director

II. **Quarterly**

		To be placed in the month of			
1.	Bad debts written off - General Manager/Executive Director/Chairman & Managing Director	April --- (1-3)	July --- (4-6)	Oct. --- (7-9)	Jan. --- (10-12)
2.	Compliance on observations by the Management Committee	June --- (1-3)	Sept. --- (4-6)	Dec. --- (7-9)	March --- (10-12)
3.	Review of Top 100 Borrowal accounts in each category of NPA i.e. Sub-Standard/ Doubtful/Loss (75 in each quarter)			-do-	

III. **Half-yearly**	To be placed in the months of	
1. Review of Credit Card business	May --- (10-3)	November --- (4-9)
2. Compliance with Lending Discipline - Half Yearly Progress Report	May --- (10-3)	November --- (4-9)

IV. **Annual**	To be placed in the months of
1. Publicity Budget	February --- (April-March next year)
2. Overdue loan proposals falling in the powers of Management Committee.	June --- April to March)

बैंपविवि.बीसी. 130/12.04.002/96-97

14 अक्तूबर 1996
22 आश्विन 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

तार अंतरण भुनाई सुविधा - नवीकरण.

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 4 अक्तूबर 1995 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.117/12.04.002/95-96 देखें ।

यह निर्णय किया गया है कि बैंको को स्वीकृत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ तार अंतरण के अंतर्गत वर्तमान सीमाएँ प्राप्त करने से संबंधित अवधि को, जो कि 31 अक्तूबर 1996 को समाप्त होनेवाली है, एक और वर्ष के लिए अर्थात् 1 नवंबर 1996 से 31 अक्तूबर 1997 तक बढ़ा दिया जाये।

भवदीय,

(डी. वी. झवेरी)
महा प्रबंधक

DBOD.No.BC.130/12.04.002/96-97

October 14, 1996
Ashwina 22, 1918 (Saka)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

T. T. DISCOUNTING FACILITY - RENEWAL

Please refer to our circular letter DBOD. No.117/12.04.002/95-96 dated 4th October 1995 on the above subject.

It has been decided to extend the period for availing of existing limits under telegraphic transfers with the Reserve Bank of India sanctioned to the banks, which is due to expire on 31st October 1996, for a further period of one year i.e. from 1st November 1996 to 31st October 1997.

Yours faithfully,

(D. V. Jhaveri)
General Manager.

बैंपविवि.सं.बीसी.149/12.06.107/96

20 नवम्बर 1996.
29 कार्तिक 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलन - "चायना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक."

हम सूचित करते हैं कि "चायना ट्रस्ट कमर्शियल बैंक" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 22 जून 1996 से अर्थात् 23 मई 1996 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं. आइबीएस.1472/23.13053/96 के भारत के राजपत्र (भाग III -खंड4) में प्रकाशित होने की तारीख से शामिल कर लिया गया है ।

भवदीय,

(डी. वी. झवेरी)
महा प्रबंधक

DBOD No.BC.149/12.06.107/96

November 20, 1996
Kartika 29, 1918 (S)

All Commercial Banks,

Dear Sir,

INCLUSION IN THE SECOND SCHEDULE TO RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 - " CHINATRUST COMMERCIAL BANK "

We advise that the name of " Chinatrust Commercial Bank " has been included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 22nd June, 1996 i.e. date on which the relative Notification DBOD.No.IBS.1472/ 23.13.053/96 dated 23rd May, 1996 was published in the Gazette of India (Part III - Sec.4).

Yours faithfully,

(D. V. Jhaveri)
General Manager

बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी/151/21.01.023/96

26 नवंबर 1996
5 अग्रहायण 1918 (शक)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

विवेकाधीन शक्तियों से अधिक अग्रिम स्वीकृत करना

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 21 मई 1996 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.61/21.01.023/96 देखें । ऐसी सूचना मिली है कि उसमें निहित अनुदेशों को बैंकों के अधिकारियों द्वारा विवेकाधीन शक्तियों के वैधानिक प्रयोग का निषेध समझा जा रहा है। उद्देश्य ऐसा नहीं है । अतः हम निम्नानुसार स्थिति को स्पष्ट करना चाहेंगे :-

(क) उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी वास्तविक आवश्यकताओं को, अनुचित विलम्ब के बगैर पूरा करने की दृष्टि से विवेकपूर्ण ढंग से विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने में कोई आपत्ति नही होनी चाहिए ।

(ख) फिर भी, विभिन्न स्तरों पर बैंक के अधिकारियों को बार-बार एवं नेमी तौर पर स्वीकृत सीमाओं/अपनी विवेकाधीन शक्तियों से अधिक अग्रिम स्वीकृत करने की अस्वस्थ परंपरा से बचना चाहिए ।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि शक्तियों के इस तरह के सभी प्रयोगों की सूचना नामित अथवा अगले उच्च अधिकारी को उसके अनुसमर्थन हेतु तत्परतापूर्वक

DBOD.No.BP.BC.151/21.01.023/96

November 26, 1996
Agrahayana 5, 1918 (S)

The Chairmen & Managing Directors /
Chief Executive Officers,
All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

SANCTION OF ADVANCES IN EXCESS OF DISCRETIONARY POWERS

Please refer to our circular DBOD.No. BP.BC.61/21.01.023/96 dated 21 May 1996 on the captioned subject. It has been reported that instructions contained therein are being construed as prohibiting the legitimate use of discretionary powers by the bank officials. This is not the intention. We would, therefore, like to clarify the position as under :-

(a) There should be no objection to exercise of discretionary powers in a judicious manner with a view to meeting, without undue delay, the genuine credit requirements of the borrowers.

(b) The officials of the bank at various levels should however desist from the unhealthy practice of grant of advances beyond sanctioned limits/discretionary powers vested in them in a repetitive and routine manner.

(c) The Board can also prescribe suitable mechanism, especially by recourse to

दी जाये, विशेष रूप से दूरसंचार के आधुनिक साधनों का सहारा लेकर बोर्ड उपयुक्त तंत्र भी निर्धारित कर सकता है ।

(घ) उधारकर्ताओं की असामान्य एवं आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक के अधिकारियों को अपनी प्रत्यायोजित शक्ति को लचीला बनाने के संबंध में भी बोर्ड विचार कर सकता है ।

(ङ) यदि बैंकों के बोर्ड ऐसा महसूस करते हैं कि कारोबार की बढ़ी हुई मात्रा तथा उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को स्वीकृत वर्तमान विवेकाधीन शक्तियां पर्याप्त नही हैं, तो वे विभिन्न स्तरों पर विवेकाधीन शक्तियों में वृध्दि कर सकते हैं ।

(च) फिर भी, किसी अधिकारी द्वारा अग्रिम स्वीकृत करने की शक्तियों के पूर्ण दुरुपयोग के मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए तथा उचित कारवाई की जानी चाहिए ।

2. आपको सूचित किया जाता है कि इस पत्र को आप अपने निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसके अनुमोदन से उचित कारवाई करें ।

3. इस संबंध में की गयी कारवाई की सूचना हमें दें ।

भवदीय,

(श्यामला गोपीनाथ)
अपर मुख्य महा प्रबंधक

modern means of telecommunications to ensure that all such exercise of powers are reported to the designated or next higher authority promptly for ratification.

(d) The Board may consider building in flexibility in its delegated authority to bank officials to meet exceptional and emergent requirements of the borrowers.

(e) The Boards of the banks if they consider that the existing discretionary powers granted to officials at various levels are not sufficient to meet the increased volumes of business and the needs of the borrowers, may suitably enhance the discretionary powers at various levels.

(f) Instances of gross misuse of sanctioning powers by any official should however be viewed seriously and appropriate action should be taken.

2. You are advised to place this letter before the Board of Directors and take suitable action with its approval.

3. The action taken in the matter may be advised to us.

Yours faithfully,

(Shyamala Gopinath)
Additional Chief General Manager.

बैंपविवि.सं. बीसी.155/09.08.001/96.

5 दिसंबर 1996
14 अग्रहायण 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अध्यक्ष एवं
प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी.

प्रिय महोदय,

दान राशि प्राप्त करने के लिए विशेष काउंटर खोलना.

आपको विदित ही है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में लगातार चक्रवातों (तूफान) मे भारी तबाही हुई है, जिसमें अभूतपूर्व जनहानि हुई है और सम्पत्ति को भारी नुकसान पहुँचा है । लोगों की पीड़ा को कम करने और पुर्नवास के प्रयासों में राज्य सरकार को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि जनता से दानराशियां प्राप्त करने के लिए बैंक चक्रावत से प्रभावित जिलों में अपनी शाखाओं में तथा राज्य मुख्यालयों मे विशेष काउंटर खोलें । ये दानराशियां करमुक्त होंगी । हमारा अनुरोध है कि आप इस प्रयोजन के लिए विशेष कांउटर खोलने हेतु अपनी शाखाओं/ नियंत्रक कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी करें ।

2. कृपया प्राप्ति-सूचना भिजवायें और इस मामलें में की गयी कारवाई से हमें अवगत करायें ।

भवदीय,

(के. शिवरामन)
अपर मुख्य महा प्रबंधक.

DBOD No.BC.155/09.08.001/96

December 5, 1996
Agrahayana 14, 1918(S)

The Chairmen and Managing Directors/ Chief Executive Officers of all Scheduled Commercial Banks.

Dear Sir,

OPENING OF SPECIAL COUNTERS TO RECEIVE DONATIONS.

As you are aware, recently certain districts of Andhra Pradesh were ravaged by successive cyclones which resulted in unprecedented loss of life and caused extensive damage to properties. To mitigate the sufferings of the people and to assist the State government in rehabilitation efforts, it has been decided by Government of India that banks should open special counters at their branches in the cyclone affected districts and at the State Headquarters for the purpose of receiving donations which are eligible for tax exemption from public. We shall be glad if you will issue necessary instructions to your branches/controlling offices to open special counters for the purpose.

2. Please acknowledge receipt and advise us the action taken by you in the matter.

Yours faithfully,

(K. Sivaraman)
Additional Chief General Manager.

बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी.161/21.03.054/96

19 दिसम्बर 1996
28 अग्रहायण 1918 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

एकल ऋणकर्ता / ऋणकर्ताओं के समूह को ऋण जोखिम की सीमा - सावधि जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम.

कृपया आप 26 मई 1989 के हमारे परिपत्र डीबीओडी.सं.बीपी.बीसी.132/66 -89 का पैराग्राफ 1 (ख) देखें, जिसके अनुसार किसी ऋणकर्ता को दिये गये ऋण में निधिक और गैर निधिक ऋण सीमाएं तथा हामीदारी एवं इसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी । हमने इस बात की जांच की है कि क्या बैंक की निजी सावधि जमाराशियों की जमानत पर दिये गये ऋणों / अग्रिमों को ऋणकर्ता को दिये गये ऋणों में शामिल किया जाना चाहिए । यह निर्णय लिया गया है कि बैंक की निजी सावधि जमाराशियों पर दिये गये अग्रिमों को ऋण जोखिम की उच्चतम सीमा से शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

भवदीय,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक

DBOD.No.BP.BC.161/21.03.054/96

December 19, 1996
Agrahayana 28, 1918 (S)

All Scheduled Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

LIMITS ON CREDIT EXPOSURE TO INDIVIDUAL/GROUP OF BORROWERS - ADVANCES AGAINST SECURITY OF TERM DEPOSITS.

Please refer to paragraph 1(b) of our circular DBOD.No.BP.BC.132/66-89 dated 26 May 1989 in terms of which exposure to a borrower shall include funded and non-funded credit limits and underwriting and similar commitments. We have examined whether loans/advances granted against the security of bank's own term deposits should be included in the exposure of the bank to the borrower. It has been decided that loans and advances granted against the security of bank's own term deposits may be excluded from the purview of "exposure ceiling".

Yours faithfully,

(A. Ghosh)
Chief General Manager.

बैंपविवि.सं.बीसी.160/12.06.090/96-97

21 दिसंबर 1996
28 अग्रहायण 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में बैंक के नाम में परिवर्तन - "दि चेज मैनहट्टन बैंक एन.ए." से "द चेज मैनहट्टन बैंक"

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में "द चेज मैनहट्टन बैंक एन.ए." 17 अगस्त 1996 से, अर्थात् भारत के राजपत्र (भाग III खंड 4) में संबंधित अधिसूचना बैंपविवि.सं. आइबीएस.133/23.03.012/96-97 के प्रकाशन की तारीख से, बदलकर "द चेज मैनहट्टन बैंक" कर दिया गया है ।

भवदीय,

(आर. एस. सालवी)
उप महा प्रबंधक

DBOD.No.BC.160/12.06.090/96-97.

December 21, 1996.
Agrahayana 28, 1918 (Saka)

All Commercial Banks

Dear Sir,

ALTERATION IN THE NAME OF THE BANK IN THE SECOND SCHEDULE TO THE RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 -'THE CHASE MANHATTAN BANK N.A.' TO 'THE CHASE MANHATTAN BANK'.

We advise that the name of "The Chase Manhattan Bank N.A." has been changed to "The Chase Manhattan Bank" in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from 17th August, 1996 i.e. the date on which relative notification DBOD.No.IBS.133/23.03.012/96-97 was published in Gazette of India (Part III Section 4).

Yours faithfully,

(R. S. Salvi)
Deputy General Manager.

बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.163/21.04.048-96

24 दिसम्बर 1996
3 पौष 1918 (शक)

सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

प्रिय महोदय,

25,000 रुपये से कम की शेष राशिवाले अग्रिमों का वर्गीकरण

कृपया आप 19 मार्च 1996 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं. बीपी.बीसी.25/21.04.048/95 का पैराग्राफ 9 देखें, जिसमें बैंकों से कहा गया है कि वे 1996-97 के लेखा-वर्ष से 25,000 रुपये से कम की शेष राशि वाले सभी अग्रिमों का चार श्रेणियों, अर्थात् मानक, अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों में वर्गीकरण करें तथा उनके लिए उपयुक्त प्रावधान करें । कुछ बैंकों ने बहुत-सी शाखाओं में फैले हुए इस श्रेणी के खातों की भारी संख्या को देखते हुए उपर्युक्त अपेक्षा का अनुपालन करने में कठिनाई बतायी है और इस प्रयोजन के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया है । अतएव इस प्रकार के बैंकों को एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च 1998 तक का समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि वे 25,000 रुपये से कम बकाया राशि वाले खातों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण कर सकें । परन्तु इस प्रकार के वर्गीकरण न होने तक संबंधित बैंक 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए अग्रिमों की इस श्रेणी में बकाया कुल राशि के 15 प्रतिशत का प्रावधान करें । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बैंको को इस प्रकार के अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक (सक्रिय) अथवा अनर्जक (निष्क्रिय) अस्तियों में करना चाहिए और 25,000 रुपये से कम की शेष राशि वाले अग्रिमों के संबंध में वसूल न हुए ब्याज को आय खाते में नहीं लिया जाना चाहिए (देखें 4 फरवरी 1994 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.8/21.04.043/94 का पैराग्राफ 1(क), इसके अतिरिक्त जो बैंक उपर्युक्त खातों का चार श्रेणियों में वर्गीकरण कर चुके हैं उन्हें तदर्थ प्रावधान

DBOD.No.BP.BC.163/21.04.048/96

December 24, 1996
Pausha 3, 1918 (S)

All Commercial Banks
(excluding Regional Rural Banks)

Dear Sir,

CLASSIFICATION OF ADVANCES WITH BALANCES LESS THAN RS.25,000/-

Please refer to paragraph 9 of our circular DBOD.No.BP.BC.25/21.04.048/96 dated 19 March 1996 advising banks that from the accounting year 1996-97 they should classify all advances with balances less than Rs.25,000/- into four categories viz. standard, sub-standard, doubtful and loss assets and make appropriate provisions. Some of the banks have expressed difficulties in complying with the above requirement considering the large number of accounts in this category spread over several branches and have requested for some more time for the purpose. It has, therefore, been decided to grant extension by one year i.e. upto 31 March 1998 to such banks to complete the exercise of classifying accounts with outstanding balances of less than Rs.25,000/- into the four categories. However, pending such classification, the concerned banks should make provisions to the extent of 15 per cent of the aggregate amount outstanding in this category of advances for the year ending 31 March 1997. As already advised, the banks should, however, classify such advances into performing or non-performing assets and

नहीं करना चाहिए और वे अनर्जक खातों की तीन श्रेणियों, अर्थात् अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली अस्तियों के लिए मौजूदा मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधान करने का दृढ़ता से पालन करें ।

should not take to income account interest not realised in respect of advances with balances less than Rs.25,000/- (vide paragraph 1(s) of our circular DBOD.No.BP.BC.8/21.04.043/94 dated February 4, 1994). Besides, banks which have already made classification of the above accounts into four categories should not revert to adhoc provisioning and should adhere to the provisioning requirements as per existing norms applicable to three categories of non-performing accounts viz., sub-standard, doubtful and loss assets.

भवदीय,

Yours faithfully,

(अमलेंदु घोष)
मुख्य महा प्रबंधक.

(A. Ghosh)
Chief General Manager.

भाग XI

बैंकों में हिन्दी का प्रयोग

SECTION XI

USE OF HINDI IN BANKS

बैंपविवि.सं. बीसी.286/06.02.01/95

30 जनवरी 1995
10 माघ 1916 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

कम्प्यूटरीकृत शाखाओं द्वारा खातेदारों को खाता विवरण हिन्दी में देना

कृपया आप 28 दिसम्बर 1994 को नयी दिल्ली में आयोजित बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 62 वीं बैठक के कार्यविवरण की मद सं.5 देखें । यह कार्यविवरण आपको हमारे 20 जनवरी 1995 के पत्र बैंपविवि.सं. 280/06.02.01/95 के साथ प्रेषित किया गया है । बैठक में हुई चर्चा के अनुसार कम्प्यूटरीकृत शाखाओं द्वारा खातेदारों को खाता विवरण हिन्दी में भी प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए कृपया शीघ्र आवश्यक कदम उठायें । बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे पर्सनल कम्प्यूटरों का उपयोग हिन्दी में कार्य करने के लिए भी करें ।

2. कृपया इस संबंध में की गयी कारवाई की सूचना हमें भिजवायें ।

भवदीय,

(राजेश्वर गंगवार)
उप मुख्य अधिकारी

DBOD.No. BC.286/06.02.01/95

January 30, 1995
Magha 10, 1916 (Saka)

All Public Sector Banks

Dear Sir,

PROVIDING STATEMENT OF ACCOUNTS TO THE ACCOUNTS HOLDERS IN HINDI BY THE COMPUTERISED BRANCHES

Please refer to item No. 5 of the minutes of 62nd meeting of Official Languages Implementation Committee of banks, held in New Delhi on December 28, 1994, forwarded to you vide our letter DBOD.No.280/06.02.01/95 dated 20th January 1995. As discussed at the meeting, necessary steps should be taken early to ensure that the computerised branches provide the statement of accounts to the accounts holders in Hindi also. Banks are also advised to utilise personal computers for doing work in Hindi.

2. Please inform us the action taken in this regard.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Gangwar)
Deputy Chief Officer

बैंपविवि.सं. 86/06.02.01/95

28 अगस्त 1995
6 भाद्रपद 1917 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 64 वीं बैठक - अनुवर्ती कार्रवाई

हम अपने 18 अगस्त 1995 के पत्र बैंपविवि.सं. 82/06.02.01/95 के साथ प्रेषित उपर्युक्त बैठक के कार्यविवरण की मद 2 (पृष्ठ 2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि बैंकों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित जानकारी के कम्प्यूटरीकरण हेतु जो प्रोफार्मा बैठक में वितरित किया गया था उस पर बैंक अपने अभिमत, यदि कोई हों, हमें 10 दिन में भेज दें । बैंकों से अभी तक इस संबंध में कोई अभिमत प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसका अभिप्राय है कि बैंक उपर्युक्त प्रोफार्मा यथावत् लागू करने के लिए सहमत हैं । अतएव अनुरोध है कि बैंक संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार जानकारी का कम्प्यूटरीकरण करें, ताकि जब भी आवश्यकता हो वांछनीय जानकारी प्राप्त की जा सके ।

2. प्रसंगवश, हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि इस प्रोफार्मा में उन मदों को शामिल नहीं किया गया है, जो तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा में शामिल हैं ।

3. कृपया की गयी कार्रवाई से हमें अवगत करायें ।

भवदीय,

(राजेश्वर गंगवार)
उप महा प्रबंधक

बैंपविवि.सं.बीसी. 27-/06.02.01/96

25 मार्च 1996
5 चैत्र 1918 (शक)

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक,
सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

बैंकों में हिन्दी का प्रयोग - 12 जनवरी 1996 को संपन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 66 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों/दिये गये सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई.

कृपया आप उपर्युक्त बैठक का कार्यविवरण देखें, जो हमारे 3 फरवरी 1996 के पत्र बैंपविवि.सं. 284(क)/ 06.02.01/96 के साथ आपको भेजा गया है । उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित मामलों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करें :

(i) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) से संबंधित सभी दस्तावेज द्विभाषिक रूप में (अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी दोनों में) साथ-साथ जारी किये जायें (कार्यविवरण का पैरा 3(ii) देखें) ।

(ii) हिन्दी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट संबंधित तिमाही की समाप्ति के बाद छः सप्ताह में हमें प्रस्तुत की जानी चाहिए । यह निर्णय जून 1996 और उसके बाद की तिमाहियों की रिपोर्ट के लिए लागू होगा (कार्यविवरण का पैरा 3(ii)(क) देखें) ।

भवदीय,

(राजेश्वर गंगवार)
उप महा प्रबंधक

DBOD.No.BC 27/06.02.01/96

March 25, 1996
Chaitra 5, 1918 (Saka)

The Chairmen/Managing Directors
All Public Sector Banks.

Dear Sir,

USE OF HINDI IN BANKS - FOLLOW-UP OF DECISIONS TAKEN/SUGGESTIONS GIVEN IN THE 66TH MEETING OF OLIC OF PUBLIC SECTOR BANKS HELD ON 12TH JANUARY 1996.

Please refer to the minutes of the captioned meeting forwarded to you vide our letter DBOD.No.284(A)/06.02.01/96 dated February 3, 1996. As per decisions taken thereat, banks are advised to take follow-up action on the following matters.

i) All documents relating to Section 3(3) of Official Languages Act must be issued in bilingual form (i.e. both in Hindi and English) **simultaneously**. (c.f. para 3(ii) of the minutes).

ii) QPRs regarding use of Hindi should be submitted within six weeks after the end of the concerned quarter. This will be applicable for the quarter ending June 1996 and onwards. (c.f. para 3(iii) (a) of the minutes).

Yours faithfully,

(R.S. GANGWAR)
Deputy General Manager

बैंपविवि.सं. बीसी.63/06.02.01/96

24 मई 1996
3 ज्येष्ठ 1918 (शक)

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक

प्रिय महोदय,

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 67 वीं बैठक का कार्यविवरण - हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए कार्रवाई योजना

कृपया आप उपर्युक्त बैठक के कार्यविवरण की मद 5(iv) देखें, जो आपको हमारे 17 मई 1996 के पत्र बैंपविवि.सं. 419/06.02.01/96 के साथ भेजा गया है। जैसा कि बैठक में निर्णय किया गया है, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित मामलों के संबंध में कार्रवाई योजना तैयार करें :-

(क) स्टाफ सदस्यों को कार्यसाधक ज्ञान प्रदान करना तथा हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

(ख) आशुलिपिकों तथा टंककों के लिए हिंदी आशुलिपि एवं टंकण के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(ग) हिन्दी माध्यम से बैंकिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना।

(घ) भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करना।

2. यह भी सूचित किया जाता है कि बैंक हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का विषय अपनी कारपोरेट योजना में शामिल करें, ताकि इस संबंध में प्रयास स्वतः सुनिश्चित

DBOD. No.BC.No.63/06.02.01/96

May 24, 1996
Jyestha 3, 1918 (Saka)

All Public Sector Banks.

Dear Sir,

MINUTES OF 67TH MEETING OF OFFICIAL LANGUAGES IMPLEMENTATION COMMITTEE OF PUBLIC SECTOR BANKS - ACTION PLAN FOR PROGRESSIVE USE OF HINDI

Please refer to item 5(iv) of the minutes of the above mentioned meeting, sent to your vide our letter DBOD.No.419/06.02.01/96 dated 17 May, 1996. As decided in the meeting, the banks are advised to prepare action plan in respect of the undernoted matters :-

a) providing working knowledge of Hindi to the members of staff and arranging Hindi workshops for them,

b) arranging training in Hindi stenography and typing for stenographers and typists,

c) conducting banking training programmes through Hindi medium, and

d) achieving the targets set by Government of India.

2. It is also advised that the banks should include the subject of progressive use of Hindi in their corporate plan so that efforts

हो सकें और बैंकों में स्थिति की आवधिक समीक्षा सर्वोच्च स्तर पर की जा सके । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी नोट निदेशक मंडल को प्रस्तुत करना जारी रहेगा, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है ।

3. कृपया प्राप्ति-सूचना भिजवायें और व्यवस्था करने की पुष्टि भी यथासमय करें ।

भवदीय,

(ओम प्रकाश अग्रवाल)
महा प्रबंधक

in this regard may be ensured automatically and the position reviewed periodically at the highest level in the banks. It is also clarified that the note on progressive use of Hindi will continue to be submitted to the Board of Directors as hitherto.

3. Please acknowledge the receipt and also confirm the arrangements in due course.

Yours faithfully,

(O. P. Agarwal)
General Manager

हिंदी के प्रयोग विषयक सूचना प्रणाली : तिमाही प्रगति रिपोर्ट की मदों के अतिरिक्त

हिंदी परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने वालों की सं.			पदोन्नति परीक्षाओं में हिंदी माध्यम अपनाने वालों की सं.		हिंदी माध्यम से बैंकिंग प्रशिक्षण प्राप्त करनेवालों की सं.		पुस्तकालय पर व्यय						बैंक के प्रकाशनों का विवरण				प्रोत्साहन योजनाएँ				राजभाषा अधिकारियों की सूची (वरिष्ठता क्रम में)		
परीक्षा का नाम	1994 में	1995 में	1994 में	1995 में	1994 में	1995 में	1994 में हिंदी पुस्तकों पर	1994 में अंग्रजी पुस्तकों पर	1995 में हिंदी पुस्तकों पर	1995 में अंग्रजी पुस्तकों पर	पत्रिकाओं पर व्यय 1994 में हिं	पत्रिकाओं पर व्यय 1994 में अ	पत्रिकाओं पर व्यय 1995 में हिं	पत्रिकाओं पर व्यय 1995 में अ	प्रकाशन का नाम	प्रकाशित करने वाले कार्यालय का नाम	आवधिकता	भाषा	योजना का स्वरूप	प्रमाण पत्र/ नकद या दोनों	वर्ष में सहभागियों की सं.	वर्ष में योजना पर व्यय	नाम	पदनाम	केन्द्र
	1		2		3		4								5				6				7		
	(क)	(ख)	(ग)	(क)	(ख)	(क)	(ख)	(क)	(ख)	(क)	(ख)	(क)	(ख)	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(क)	(ख)	(ग)

1. प्राज्ञ
2. प्रवीण
3. सीएआइआइबी
4. बैंकिंग उन्मुख
5. कोई अन्य

टिप्पणी : 1. यह जानकारी प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में रखी जाये तथा कर्मचारियों के नामों की सूची भी रखी जाये । प्रधान (केंद्रीय) कार्यालय में पूरे बैंक की समेकित स्थिति रखी जाये ।

2. वर्ष से अभिप्राय अप्रैल-मार्च से है ।

3. हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं को छोड़कर ।

7324